सप्तम माला, खंड 2, अंक 6, सोमवार, 17 फ , 19 / फाल्गुन, 1901 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

[दूसरा सत्र]

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 51(7)2
Date 22.7.60

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

अंक 7. मंगलवार 18 मार्च, 1980/28 फाल्गुन, 1901 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		1-17
*तारांकित प्रश्न संख्या :	102, 103, 105, 106, और 110 से 112	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		17-149
तारांकित प्रश्न संख्या :	104, 107 से 109 और 113 से 121	17-27
अतारांकित प्रश्न संख्या :	851 से 908, 910 से 976 और 978 से 988	27-149
अल्प सूचना प्रश्न संख्या : 1		150
सभा पटल पर रखे गये पत्र		150-154
मुरादाबाद (उ०प्र०) के निक झोंपड़ियां जलाये जाने के समाचार के बारे में वक्तव्य श्री जैलसिंह		154
पुलिस द्वारा लाठी प्रहार में कुछ अंधे व्यक्तियों के लापता होने के बारे		154
स्थावर सम्पति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक पुर:स्थापित		156
स्थावर-सम्पति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य श्री पी० सी० सेठी		156
तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पति समपहरण) संशोधन विधेयक—पुर:स्थापित		156
नियम 377 के अधीन मामले		156-158
(एक) बीड़ी से उपकर हटाया जाना श्री बालानन्दन		156
(दो) परियार बांध में पानी का भंडारण श्री कुमबुम एन० नटराजन		157
(तीन) राजस्थान में गंगा नहर की जर्जर अवस्था श्री कुम्भा राम आर्य		157
(चार) माल डिब्बों की कमी के कारण पश्चिम बगाल में आवश्यक वस्तुओं का प्रभाव प्रो० रूप चन्द पाल		158

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
(पांच) एम० बी० राली मालवाहक जहाज के गायब होने क समाचार श्री० ए० नीलालोहिथाडस	158
पंजाब बजट : 1980-81—सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगें, 1980-81, और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पंजाब) 1989-80	159-180
श्री सूरजभान	159-160
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	161-163
श्री सुशील भट्टाचार्य	164
श्रीमती सुखवंश कौर	165-166
श्री सुन्दर सिंह	167-169
श्री कमला मिश्र मधुकर	170
श्री हाकिम सिंह	171
श्री अमरींद्र सिंह	172
श्री आर० वेंकटरामन	173-178
पंजाब विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1980—पुरःस्थापित	179-180
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री आर० वेंकटरामन	179
खंड 2, 3 और 1	
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री आर० वेंकटरामन	179
पंजाब विनियोग विधेयक, 1980—पुरःस्थापित	
विचार करने का प्रस्ताव	180
श्री आर० वेंकटरामन	180
खंड 2, 3 और 1	
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री आर० वेंकटरामन	180
राजस्थान बजट,1980-81 सामान्य चर्चा, लेखानुदानों की मांगें, 1980-81 और अनुपूरक अनुदानों की, मांगें (राजस्थान) 1979-80	181-215
श्री दौलतराम सारन	181-184
श्री मूल चन्द डागा	184-187
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	187-190
श्री सैफुद्दीन चौधरी	190-192
श्री बनवारी लाल	192-194
श्री कृष्ण कुमार गोयल	195-198
श्री विरधी चन्द जैन	198-199
श्री मनफूल सिंह चौधरी	200-201
श्री रामावतार शास्त्री	201-203

विषय	पृष्ठ
श्री भीखा भाई	203-204
प्रो॰ नारायण चन्द पाराशर	204-205
श्री आर० वेंकटरामन	205-213
राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980-81—पुरःस्थापित	214-215
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री आर० वेंकटरामन	214
खंड 2, 3 और 1	
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री आर० वेंकटराम	214
राजस्थान विनियोग विधेयक, 1980-पुरःस्थापित	
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री आर वेंकटरामन	215
खंड 2, 3 और 1	
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री आर० वेंकटरामन	215
तमिलनाडु बजट, 1980-81—सामान्य चर्चा, अनुदानों की मांगें 1980-81 और	
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (तमिलनाडू) 1979-80	216-246
श्री अब्दुल समद	216-219
श्री एन० डेनिस	219-221
श्री के० मायातेवर	221-223
श्री के० टी० कोसलराम	223-225
श्री० सी० चिन्नास्वामी	225-227
श्री एस० ए० दोराई सेवस्तियान	227-228
श्री एम० कन्डा स्वामी	228-230
श्री ईरा अनबारासु	230-232
श्री एम० रामन्ना राय	232-234
श्री ईरा मोहन	234-235
श्री के० ए० राजन	235-237
श्री आर० वेंकटरामन	237-244
तमिलनाडु विनियोग (लेखानुदान) विधेयक,1980—पुरस्थापित	
विचार करने का प्रस्ताव	244-246
श्री आर० वेंकटरामन	244
खंड 2, 3 और 1	
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री आर० वेंकटरामन	245
तमिलनाडु, विनियोग विधेयक, 1980—पुरःस्थापित	
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री आर० वेंकटरामन	245

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No.....
Date.....

विषय	पृष्ठ
खंड 2, 3 और 1	
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री आर० वेंकटरामन	246
उत्तर प्रदेश बजट, 1980-81—सामान्य चर्चा, अनुदानों की मांगें (लेखानुदान) 1980-81, ओर अनुदानों की अनुपूरक मांगें (उत्तर प्रदेश) 1979-80	246-304
चौ० मुलतान सिंह	248-250
श्री नारायण दत्त तिवारी	251-254
श्री हरिकेश बहादुर	254-255
श्री चन्द्रपाल शैलानी	256-258
श्री रामप्यारे पनिका	258-262
श्री हरीशचन्द रावत	263-265
श्री हन्नान मौल्लाह	265-267
श्री आर० एन० राकेश	267-269
श्री जैनुल बशर	269-271
श्री मुजफ्फर हुसैन	271-274
श्री पी० के० कोडियन	274-275
श्री रामलाल राही	275-279
श्री मलिक एम० एम ए० खान	279-284
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	284-286
श्री आर० वेंकटरामन	286-297
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1980—पुरःस्थापित	298-304
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री आर० वेंकटरामन	298
श्री कृष्ण चन्द पांडे	298-300
श्री रामनगीना मिश्र	300-301
श्री महावीर प्रसाद	302-303
खंड 2, 3 और 1	
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री आर० वेंकटरामन	303
जत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1980—पुरःस्थापित	
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री आर० वेंकटरामन	303
खंड 2, 3 और 1	
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री आर० वेंकटरामन	304

लोक सभा

मंगलवार, 18 मार्च, 1980/28 फाल्गुन, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारत-बंगला देश संयुक्त नदी आयोग

102 श्री अमर राय प्रधान : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग ने दो देशों के बीच नदी के पानी के बंटवारे के प्रश्न पर फरवरी, 1980 के अन्तिम सप्ताह में कई बार बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो इनमें किन-किन विशेष मामलों पर विचार विमर्श किया गया था और क्या-क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) इन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) (क) से (ग) भारत बंगला देश संयुक्त नदी आयोग की 18वीं बैठक 27 फरवरी से 29 फरवरी, 1980 तक नई दिल्ली में हुई थी । इस बैठक में फरक्का में गंगा के जल के बंटवारे और उसके प्रवाह में वृद्धि करने के बारे में नवम्बर, 1977 के करार में आयोग को सौंपे गये कार्य अर्थात् गंगा के शुष्क मौसम के प्रवाह तथा तीस्ता के जल में बंटवारे से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श हुआ ।

बंगला देश के प्रस्ताव के अध्ययन में नेपाल को शामिल करने के मामले पर मतभेद बने रहे । बैठक में हुए विचार-विमर्श के रिकार्ड को अन्तिम रूप देने तथा मतभेद वाले मुद्दों के लिए शीघ्र ही पुनः बैठक करने का प्रस्ताव है ।

श्री अमर राय प्रधान : इस प्रश्न का सम्बन्ध कलकत्ता पत्तन के जीवन-मरण से है। कलकत्ता शहर पश्चिम बंगाल का दिल है। कलकत्ता पत्तन को कमी वाले मौसम में भी चालीस हजार क्यूसेक पानी की जरूरती होती है। इस प्रयोजन के लिए भारत ने कमी वाले मौसम में गंगा के बहाव को बढ़ाने हेतु गंगा-ब्रह्मपुत्र नहर और टीस्टा-महानन्दा परियोजना बनाने का प्रस्ताव किया। पर\उत्तर में बताए गए कारणों से इस पर विचार स्थगित करना पड़ा। ढाका में उच्चायुक्त श्री एम० दुबे और बंगला देश के सिंचाई मन्त्री श्री अनबरुल हक के 5 मार्च, 1980 के इस कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बंगलादेश ने समझौते में नेपाल को भी शामिल करने का आग्रह करके और उसकी परिधि को कायम बनाने की बात कह कर विभिन्न योजनाओं पर विचार अवरुद्ध कर दिया। इस बात को देखते हुए मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि (क) क्या नेपाल को संयुक्त नदी आयोग में शामिल किया जाएगा, (ख) क्या तीस्ता बांध का निर्माण कार्य जारी रहेगा, और (ग) अगर बंगला देश अड़चन डालता है तो कमी वाले मौसम में गंगा के बहाव में सुधार लाने के लिए कौन से प्रभावी कदम उठाने का विचार है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : आपको अच्छी तरह मालूम है कि यह समझौता जनता सरकार ने किया था.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तथ्यों का कथन मात्र है। किसी न किसी सरकार को यह करना था और तत्कालीन सरकार ने यह किया।

श्री श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यह एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है और हमें इसके उपबन्धों के अधीन काम करना है। इसके अनुसार पहली समीक्षा नवम्बर, 1980 में की जानी है। तब इस पर विचार किया जाएगा। अभी तो नवम्बर, 1977 के गंगा पानी समझौतों के अनुसार काम करना होगा। यही बात तीस्ता पर लागू होती है। हमारा हमेशा यह दृष्टिकोण रहा है कि यह द्विपक्षीय समझौता है और हम आज भी इस पर कायम हैं।

श्री अमर राय प्रधान : जनता सरकार यह कहती रही कि यह सब कुछ कांग्रेस सरकार की गलती के कारण हुआ। गंगा के पानी का बहाव ठीक नहीं रहा। अब कांग्रेस सरकार भी वही बात कह रही है। कलकत्ता के कुछ दैनिक समाचार पत्रों ने "फरक्का संधि समाप्त करो" शीर्षक के अन्तर्गत बयान जारी किए हैं। यह वक्तव्य श्री गनी खान चौधरी का है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने यह बयान गम्भीरता से दिया या बांगलादेश के मंत्री से मिलकर एक राजनीतिक चाल के रूप में यह कहा।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैंने जो कहा वह इस प्रकार है : जनता सरकार ने राष्ट्र-हित की नितान्त उपेक्षा की है और इसीलिए आज कलकत्ता पत्तन कठिनाई में है। उसने कलकत्ता पत्तन को कायम रखने की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। हम इस पहलू पर समय आने पर विचार करेंगे। इसके लिए 40,000 क्यूसेक पानी की जरूरत होगी।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : सबसे पहले मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता पार्टी के द्वारा कलकत्ता बन्दरगाह के हितों को ताक पर रखकर जो समझौता किया गया था उसको वह नहीं मान रहे हैं और आगे वह हमेशा कलकत्ता बन्दरगाह के हितों को ध्यान में रखेंगे। बंगला देश के नेता हमेशा इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि नेपाल को भी इसमें शामिल

किया जाए । क्या सरकार आश्वासन देगी कि नेपाल को इसमें शामिल करने के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जैसा मैंने पहले कहा यह एक द्विपक्षीय समझौता है और हम इस पर कायम हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : मंत्री जी कहते हैं कि वह राष्ट्र-हितों की रक्षा करना चाहते हैं । उन्होंने कहा कि कमी के मौसम में कलकत्ता पत्तन को 40,000 क्यूसेक पानी की जरूरत होगी । 3 वर्ष की इस अवधि की समाप्ति पर क्या मंत्री महोदय या सरकार यह आश्वासन दे सकते हैं कि कलकत्ता पत्तन को 40,000 क्यूसेक पानी दिया जाएगा ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : इस बारे में मैं निश्चित बात नहीं कह सकता । यह प्रभुता सम्पन्न दो सरकारों के बीच की बात है । समझौते में यह कहा गया है कि यदि यह दीर्घावधि योजना सफल नहीं होती तो समझौता स्वयं ही समाप्त हो जाता । संयुक्त नदी आयोग यह मामला सम्बद्ध सरकारों को भेजेगा । तब सम्बद्ध सरकारें पक्ष में या विपक्ष में निर्णय देंगी । और उसके अनुसार काम होगा । इस समय मैं सभा को कुछ भी नहीं बता सकता ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इस बात को देखते हुए कि 1 नवम्बर, 1980 को इस समझौते की समीक्षा की जाएगी, क्या केन्द्र सरकार उस समीक्षा में 40,000 क्यूसेक पानी लेने की बात पर अड़ी रहेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री चित्त बसु : यह बात स्पष्ट है कि कलकत्ता पोर्ट को 40,000 क्यूसेक पानी की जरूरत है । समझौते के बाद केवल 10-12,000 क्यूसेक पानी दिया गया है । तो क्या नवम्बर 1980 में और 1982 में जो समीक्षा होगी उसमें कलकत्ता पत्तन के लिए 40,000 क्यूसेक पानी सुनिश्चित किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री चित्त बसु : क्या वर्तमान करार के अन्तर्गत 40,000 क्यूसेक पानी देना सम्भव नहीं है, यदि हाँ तो क्या मंत्री जी राजनीतिक स्तर पर बांगलादेश सरकार से इस करार को समाप्त करने के लिए बातचीत करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इसका स्पष्टीकरण दिया जा चुका है ।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : इसका उत्तर नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : कठिनाई यह है कि विपक्ष एक मूल तथ्य की उपेक्षा कर रहा है । श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कभी भी अवसरवादी नीति नहीं अपनाई है । जनता सरकार ने एक समझौता किया है । हम उसे एक दम समाप्त नहीं कर सकते । समय आने पर ही हम इस पहलू पर विचार करेंगे ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए।

(व्यवधान)**

श्री सन्तोष मोहन देव : क्या सरकार को मालूम है कि बांगलादेश की सीमा से लगे करीमगंज शहर को भूमि-काटाव से खतरा पैदा हो गया है क्योंकि बांगलादेश सरकार ने नदी की दूसरी ओर बांध बना दिया है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यह मूल प्रश्न से बाहर है।

मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पर नवादा बांध का निर्माण

* 103 **श्री शिवकुमार सिंह क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पर नवादा बांध का निर्माण करने के लिए सर्वेक्षण कार्य इस बीच पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो बांध का निर्माण कब आरम्भ किया जाएगा और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) किसानों की सिंचाई सुविधाएं कब तक प्रदान को जाएंगी और अनुमानतः कितने क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त स्कीम है। दोनों राज्यों द्वारा अभी परियोजन-रिपोर्ट तैयार की जा रही है। योजना आयोग से परियोजना को स्वीकृति मिलने के बाद इस पर काम शुरू किया जाएगा। परियोजना-रिपोर्ट के न हों पर, इस समय यह बताना संभव नहीं है कि परियोजना का काम कब तक पूरा हो जाएगा। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर, इससे महाराष्ट्र में 59,849 हेक्टेयर और मध्य प्रदेश में 46,691 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होने की संभावना है।

श्री शिव कुमारसिंह ठाकुर : मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि नवम्बर, 1979 में मध्यप्रदेश के चीफ मिनिस्टर जी सखेलचा, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्री शरद पवार और जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री कुशाभाऊ ठाकरे, जो कि चुनाव में मेरे राइवल केडीडेट थे, उन्होंने मिलकर इस योजना का भूमि पूजन किया है और इस योजना का वहां फत्थर पर गाड़ा है, क्या यह सही बात है १

क्या स्टेट गवर्नमेंट से प्रोजैक्ट रिपोर्ट भी सरकार द्वारा मंगवाई गई है ?

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : रिकार्ड से पता चलता है कि परियोजना रिपोर्ट

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अभी नहीं आई है। अगर कोई राजनीतिक नींव रखी गई है तो वह जनता सरकार ने रखी होगी। मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : मैं मंत्री महोदय से यह भी जानकारी लेना चाहता हूं कि जनता गवर्नमेंट ने तो अपना पोलिटिकल स्टन्ट वहां पर कर दिया, लेकिन क्या हमारी कांग्रेस (आई) गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में प्रोजैक्ट को शुरू करवाने के लिए कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जैसे ही हमारे पास परियोजना रिपोर्ट आएगी हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री दिलीपसिंह भूरिया : मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह प्रोजैक्ट रिपोर्ट कब तक बन जाएगी और इसकी लागत क्या होगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो रिपोर्ट आयेगी, तभी पता लगेगा।

श्री मूल चन्द डागा : इसका सर्वे हो जाये, तभी प्रोजैक्ट रिपोर्ट बन सकती है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक
व्यवहार आयोग के कार्य की समीक्षा

* 105. **श्री पी० के० कोडियन** : **क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के कार्य की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आयोग के कार्य में कोई परिवर्तन लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) उत्पन्न नहीं होगा।

(ग) और (घ) : इस तथ्य की दृष्टगत करते हुए कि एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को सम्मिलित करते हुए, विभिन्न क्षेत्रों द्वारा कतिपय सुझाव दिये गये थे कि एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के बहुत से उपबन्धों के परिशोधन की आवश्यकता है और विभिन्न कठिनाइयां जैसे दुर्बोधता तथा रिक्तता, अधिनियम के कार्यान्वयन में सामने आईं, जिनके परिणामस्वरूप वस्तु विषयक संरचना के अधिनियमन में प्रभावीरूप से उपलब्धि नहीं हो पाई और सरकार आयोग के कार्य करने की प्रक्रिया में बहुत से परिवर्तनों पर विचार कर रही है। सरकार का जून, 1977 में नियुक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर भी ध्यान है।

श्री पी० के० कोडियान : उत्तर में यह कहा गया है कि "एकाधिकार और अवरोध व्यापारिक व्यवहार के बहुत से उपबन्धों के परिशोधन की आवश्यकता है और विभिन्न कठिनाइयों

जैसे दुर्बोधता तथा रिक्तता, अधिनियम के कार्यान्वयन में सामान्य भाई जिससे वस्तु विषय संरचना के अधिनियम में प्रभावी ढंग से उपलब्धि नहीं हो पाई। इसका क्या अभिप्राय है ? क्या यह शब्द-जाल नहीं है ? यह तथ्यों की गलत बयानी है। वास्तविकता सभी को मालूम है। यह अधिनियम 1970 में लागू हुआ और कमीशन ने काम करना आरम्भ किया। बडे एकाधिकार गृहों में बेहिसाब वृद्धि हुई। मेरे पास इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले 20 बड़े गृहों के आकड़े हैं। उनकी परिसम्पत्तियां जो 1972 में 3701·98 करोड़ थी 1977 में बढ़कर 5401-70 करोड़ रुपये हो गई। इनमें से टाटा और बिड़ला ने अभूतपूर्व गति से विकास किया है। मेरा निवेदन यह है कि इस आयोग का काम बिल्कुल निष्प्रभावी रहा है।

(व्यवधान)

सरकार ने आयोग का चेयरमैन नियुक्त नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री पी० के० कोडियान : में यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार की इन एकाधिकार गृहों में जो वृद्धि हुई है उस पर अंकुश लगाने की राजनीतिक इच्छा है ? यदि हां, तो इसमें संशोधन करने के लिए प्रस्तावित आवश्यक संशोधी विधान कब लाएगी।

अध्यक्ष महोदय : यह इच्छा का प्रश्न है।

श्री पी० शिवशंकर : उत्तर मैं न तो शब्द-जाल है और न ही गलत बयानी जैसा कि माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है। यह निष्प्रभाविकता पिछली सरकार की नीति का परिणाम है जिसके आप सदस्य थे। हमारी पार्टी (व्यवधान) जी हों आप भी उसमें भागीदार हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री पी० शिवशंकर : अपनी ओर से हमने 1977 से पहले बहुत कुछ किया और अब भी संविधान के भाग-4 में विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 39 (ग) में उल्लिखित उद्देश्यों को जिनके लिए हमारी दृढ़ निष्ठा है, प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह इतना लम्बा प्रश्न था कि दूसरे अनुपूरक प्रश्न के लिए कोई विकल्प नहीं है (व्यवधान)ह। मारे पास दूसरा सदस्य है (व्यवधान)। मैं उस पर दूसरे अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता। आपने पहले ही लम्बा समय ले लिया है (व्यवधान)। कृपया बैठ जाइए (व्यवधान)। अच्छा में एक शर्त पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता हूं और आप विस्तृत प्रश्न न पूछें जैसा आपने पहले पूछा है।

प्रो० मधु दण्डवते : वशर्ते सही उत्तर हो।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा ही दिया गया। प्रत्येक कार्यवाही की अपनी प्रतिक्रिया होती है।

प्रो० मधु दण्डवते : न्यूटन का तीसरा सिद्धान्त।

श्री पी०के०कोडियन : मंत्री महोदय ने कहा है कि आयोग के काम न करने का कारण गलत नीति, विशेष रूप से जनता सरकार द्वारा अपनाये जाने के कारण है। मै जनता सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं (व्यवधान)। मैं इस वक्तव्य का खण्डन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : खण्डन करने का कोई प्रश्न नहीं है । मैं निश्चित प्रश्न चाहता हूं । यदि आप इस प्रकार जोर देते रहे तो मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री पी० के० कोडियन : मैं जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जो विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी उसके सुझाव क्या हैं । मैं समझता हूं कि इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की है । इस समिति ने क्या सुझाव और सिफारिशें की हैं और अन्य सुझाव और प्रस्ताव क्या हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है और इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए वे प्रस्ताव कब लायेंगे ?

श्री पी० शिवशंकर : मैंने ही निवेदन किया है कि एकाधिकार आयोग तथा विशेषज्ञ समिति ने कुछ सुझाव दिये हैं । मैं अपने माननीय मित्र का ध्यान विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, जो के सभा पटल पर रखी गई है, अध्याय 23 के की ओर दिलाना चाहता हूं । विभिन्न सुझाव दिये गये हैं जिन पर विचार हो रहा है और मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शीघ्रताशीघ्र हम संशोधन लायेंगे ।

श्री मनोरंजन भक्त : चूंकि यह बहुत गम्भीर प्रश्न है और समस्त सभा इस बारे में चिंतित है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का इस पर विस्तार से विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त करने तथा इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने के लिए विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने का प्रस्ताव है ।

श्री पी० शिव शंकर : जहां तक एक नई समिति के गठन का प्रश्न है ऐसा करना सार्थक नहीं होगा क्यों कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट है और उसमें कुछ सुझाव दिये गये हैं । मैं समझता हूं कि बजाय दूसरी समिति का गठन करने के हम इस आधार पर कार्यवाही करेंगे ।

श्री संजय गांधी : क्या मंत्री महोदय इस बात की पुष्टि करेंगे कि क्या यह सच है कि साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के शासनकाल में बिडला जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा गृह था, अब भारत में सबसे बड़ा गृह बनने जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : यद्यपि दूसरा पक्ष प्रसन्न न हो फिर, भी मेरे लिए यह आवश्यक है कि मैं प्रश्न से सहमत हूं ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अन्ततः आप भारत के विधि मंत्री हैं और आपको एक जिम्मेदारी का दायित्व लेना है (व्यवधान) इस प्रकार मत कहिए ।

श्री भागवत झा आजाद : इस तथ्य को देखते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने विष दन्तुओं से इस देश में कई एकाधिकारी गृहों के साथ षडयन्त्र कर भारतीय अर्थव्यवस्था को, विशेष रूप से समाजवादी भाग को काटने के लिए तैयार हैं, क्या मैं प्रश्न के भाग (ग) के सन्दर्भ में जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास इस अधिनियम में उचित संशोधन करने के लिए तथा षडयंत्र का पता लगाने और इसे समाप्त करने के लिए प्रस्ताव हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : जहां तक एकाधिकार तथा निर्वन्धनकारी व्यापार व्यवहार अधिनियम का सम्बन्ध है, इस देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विकास को रोकने के लिए विशेषज्ञ समिति ने कुछ प्रस्ताव किये हैं और हम इस दिशा में निश्चित ही कदम उठायेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय वसु : 20 मार्च, 1977 से पहले एक अवसर आया था—मंत्री महोदय, क्या यह सच नहीं है, आप अपना ज्ञान यहां दिखाइए—कि एकाधिकारी निर्वन्धनकारी व्यापार व्यवहार आयोग के सभापति ने खुले रूप में प्रैस में कहा था कि यह आयोग एक प्रकार का डाकघर बन गया है और उनका अन्तिम निर्णय में कोई हाथ नहीं है और सरकार कई बार उनके निर्णयों को रद्द करती रही ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आप क्या कदम उठाना चाहते हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच नहीं है कि आयोग ने प्रतिवेदन के तीन खण्ड निकाले हैं जिसमें उसने यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि सभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, मुख्य रूप से वे कम्पनियां जो अपनी लाइसेंस शुदा पंजीकृत स्थापित क्षमता के 900 प्रतिशत से अधिक उत्पादन कर रही हैं. और विधि मंत्री ने उन कम्पनियों के विरुद्ध 1977 से पहले कानूनी कार्यवाही करने का वायदा किया था किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि उन्होंने आपको काफी चन्दा दिया है ? क्या यह सत्य है या नहीं ?

श्री पी० शिव शंकर : प्रश्न का 30 मार्च, 1977 से पहले एकाधिकार तथा निर्वन्धनकारी व्यापार व्यवहार आयोग के सभापति के वक्तव्य से अस्पष्ट सम्बन्ध है ।

श्री ज्योतिर्मय वसु : मैंने कहा, 20 मार्च, 1977.

श्री पी० शिव शंकर : ठीक है । जब तक वक्तव्य विशेष रूप से मेरे ध्यान में नहीं लाया जाता तब तक मैं उत्तर नहीं दूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय वसु : आयोग की रिपोर्ट में उन कम्पनियों का उल्लेख है जिन्होंने लाइसेंसशुदा स्थापित क्षमता से अधिक 900 प्रतिशत तक उत्पादन किया जिनके विरुद्ध, विधि मंत्री ने आश्वासन दिया है, कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री पी० शिव शंकर : मैंने अपने मित्र श्री भागवत झा आजाद के प्रश्न का उत्तर दे दिया है जिसमें उन्होंने इस देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विकास के बारे में सुझाव दिया । मैं उस उत्तर पर कायम हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : पांचवीं लोक सभा में जब मैंने तत्कालीन विधि और कम्पनी कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखा था कि एकाधिकार और निर्वन्धनकारी व्यापार व्यवहार अधिनियम की धारा 62 के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रत्येक मामले में, जो एकाधिकार तथा निर्वन्धनकारी व्यापार व्यवहार आयोग को भेजा गया है, प्रतिवेदन संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखा जाना चाहिए था और सरकार इसमें असफल रही है और उन्होंने इस असफलता के लिए विना शर्त क्षमा मांगी है तथा यह आश्वासन दिया है कि भविष्य में इन सभी प्रतिवेदनों को संसद की दोनों सभाओं के सभा-पटल पर रखा जायेगा । पांचवीं लोक सभा में दिये गये इस आश्वासन को दृष्टि में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि एकाधिकार और निर्वन्धकारी व्यापार व्यवहार आयोग को कितने ऐसे मामले भेजे गये जिनमें उन्होंने अपनी

सिफारिशें पूरी की हैं, सरकार को प्रशासनिक और व्यक्तिगत प्रतिवेदन दिये हैं तथा सरकार अभी भी इन प्रतिवेदनों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने में असफल रही है ?

श्री पी० शिव शंकर : इस समय मेरे लिए आश्वासन के बारे में तथा मेरे मित्र ने पांचवीं लोक सभा में जो बातें उठाई हैं उनके बारे में कुछ भी कहना सम्भव नहीं है। किन्तु वह आज की कार्यवाही की मद संख्या 4 को देखें तो उन्हें मालूम होगा कि हम 31 दिसम्बर, 1978 तक के प्रतिवेदन रख रहे हैं। उन विभिन्न मामलों के विवरणों के बारे में कि क्या वे सभा-पटल पर रखे गये या नहीं रखे गये, एक अलग प्रश्न की आवश्यकता है ।

प्रो० मधु दण्डवते : यह गम्भीर मामला है। इस बारे में उनके विरुद्ध दूसरा विशेषाधिकार का मामला उठ सकता है। उन्होंने केवल यह उत्तर दिया है कि 1978 की एक विशेष तारीख तक के प्रतिवेदन पहले ही पेश किये जा चुके हैं।

श्री पी० शिव शंकर : मैंने पहले ही सभा को सूचित किया है कि यदि वह इन मामलों के विवरण चाहते हैं तो यह एक ऐसा मामला है जो इस प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न के रूप में पैदा नहीं होता है। उन्हें इसके लिए अलग प्रश्न पूछना पड़ेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रश्न एकाधिकारी और निर्बन्धनकारी व्यापार व्यवहार आयोग के कार्यकरण के बारे में है। यह एकाधिकारी और निर्बन्धनकारी व्यापार व्यवहार अधिनियम के आधार पर काम करता है। धारा 62 इस अधिनियम की एक धारा है। इस अधिनियम के आधार पर उन्हें कार्य करना है। अतः चूंकि इसका सम्बन्ध कार्यकरण से है तथा कार्यकरण की समीक्षा से है, मेरा प्रश्न बिल्कुल ठीक है। यही कारण है कि आपने यह अच्छा किया कि मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। अतः मैं एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या ऐसे प्रतिवेदन हैं जो लम्बित हैं.....।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार नहीं किया है। वह उसके लिए अलग सूचना चाहते हैं।

श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या वह इसके लिए अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार करेंगे ?

श्री पी० शिव शंकर : माननीय सदस्य श्री मधु दण्डवते इस बात को मानेंगे कि हमारे कार्यभार लेने के दो महीने के समय में ही हमने 1978 के अन्त तक के प्रतिवेदन पेश कर दिये हैं और बाकी के बारे में मैं अपने मित्र को आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रतिवेदन की जांच के बाद शीघ्र ही हम इसे सभा-पटल पर रखेंगे।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या मंत्री महोदय इस पर अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे लिखित रूप में पूछिये।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने स्वयं सुझाव दिया है कि मैं एक नया प्रश्न पूछूं और तब वह उसका उत्तर दे सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने नई सूचना के लिए कहा है।

बेगूसराय-बरौनी औद्योगिक क्षेत्र से पानी की निकासी की योजना

* 106 **श्रीमती कृष्णा साही : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि बिहार में बेगुसराय-बरौनी औद्योगिक क्षेत्र से पानी की निकासी की 3 करोड़ रुपये की लागत वाली योजना कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग के विचाराधीन पड़ी हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) :

(क) और (ख) सितम्बर, 1976 में हुई भारी वर्षा के बाद, इस समस्या के अध्ययन के लिए बिहार सरकार द्वारा गठित समिति ने 1977 में बेगुसराय-बरौनी औद्योगिक क्षेत्र के लिए 2.5 करोड़ रुपये की लागत वाली एक स्कीम की सिफारिश की थी ।

बिहार में बेगुसराय-बरौनी क्षेत्र के लिए स्थल का निर्धारण करने से पहले, राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को आश्वासन दिया था कि इस क्षेत्र में विकसित किए जाने वाले औद्योगिक काम्पलेक्स में बाढ़ से सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी । अब राज्य सरकार चाहती है कि इस कार्य पर होने वाले व्यय को भारतीय उर्वरक निगम, भारतीय तेल निगम और बिहार सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाए । तथापि, इस स्कीम की लागत के लिए केन्द्रीय सरकार ने सहयोग की भावना से 40 लाख रुपया देने की पेशकश की है । यह मामला इस समय बिहार सरकार के पास लम्बित पड़ा हुआ है । इस स्कीम का कार्यान्वयन बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा ।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या एक निर्धारित अवधि के अन्दर इस योजना को भारत सरकार कार्यान्वयन करने का निर्देश देगी ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : केन्द्रीय सरकार का इस क्षेत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या भारत सरकार केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग को आदेश दे सकेगी कि निश्चित अवधि के अन्दर इस योजना को लागू किया जाए ?

श्री ए० बी० गनी खान चौधरी : हम इस पर विचार कर सकते हैं । जैसा कि मैंने कहा है कि तत्कालीन राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को आश्वासन दिया था कि वे बाढ़ और कटाव से इस क्षेत्र को बचाने के लिए सभी कदम उठायेंगे । इस आश्वासन के ही कारण केन्द्रीय सरकार इस बात से सहमत हुई कि उर्वरक निगम और आई० ओ० सी० कम्पलैक्स जैसे कुछ प्रतिष्ठानों को वहां स्थापित किया जाये ।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, सम्भवतः मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न को ध्यान से नहीं देखा है और यदि देखा है तो उनके सामने गलत उत्तर प्रस्तुत किया गया है । क्या मंत्री महोदय फिर से इसकी जांच करा कर मुझे इसका उत्तर देंगे ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यह एक अलग राज्य सरकार की परियोजना है

और केन्द्रीय सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने इस समय जो कुछ किया है वह यह है कि एक सद्भाव के रूप में हम 40 लाख रुपये देने के लिए सहमत हुए हैं। हम हमेशा उनके साथ इस समस्या पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

श्री भागवत झा आजाद : इस उत्तर से कार्यवाही दूषित न हो। जहां तक बिहार केन्द्रीय सरकार के प्रभार में है, वह ऐसा न कहें कि "यह मेरे अधीन नहीं है।" यह ठीक नहीं है। वह यह कह सकते हैं कि उनके पास जानकारी नहीं है और उन्हें सूचना चाहिए। वह तथ्यों के लिए कह सकते हैं किन्तु वह यह नहीं कह सकते कि "यह मेरे अधीन नहीं है।"

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैंने जो कुछ कहा है वह रिकार्ड में है।

श्री भागवत झा आजाद : मैं तथ्य और आंकड़े दे सकता हूं किन्तु मैं मंत्री महोदय को दिमाग़ नहीं दे सकता हूं।

श्री ए०बी० ए० गनी खान चौधरी : रिकार्ड के अनुसार स्थिति यह है कि केन्द्रीय सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न है वह मंत्री महोदय ने नहीं समझा है। अब मेरा प्रश्न है क्या मंत्री महोदय फिर से इसकी जांच करा कर मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैंने जैसा कि पहले कहा है, हमने 40 लाख रुपए दिए हैं। यदि वे इस पर हम से चर्चा करना चाहते हैं तो हम उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : मेरे प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं आया। मैं चाहती हूं कि इस को स्थगित किया जाय और इसका उत्तर फिर से मंत्री महोदय से दिलाया जाय। मैं चाहती हूं कि वह इसकी डिटेल्ज़ को देखें और फिर से इस का उत्तर दें। इस उत्तर से मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह पुनर्विचार है ?

श्रीमती कृष्णा साही : मेरा कहना यह है कि मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे ठीक नहीं मिला है। सम्भवतः मंत्री महोदय फाइल-संचिका को देख नहीं पाये हैं, इसलिए इसको स्थगित किया जाय।

श्री भागवत झा आजाद : यदि मंत्री महोदय के पास सूचना नहीं है और वह तैयार नहीं है तो इसे स्थगित कर दिया जाए।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैंने इसका उत्तर अपनी जानकारी के अनुसार दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको और कुछ भी कहना है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यही सही उत्तर है। मैंने जैसा कि कहा है, कि तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि वह इस क्षेत्र की रक्षा करेगी। योजना की कुल लागत 2.50 करोड़ रुपए है। बिहार सरकार अनुरोध कर रही है कि हम उन्हें कुल लागत का दो तिहाई दें। मैंने जो कहा है उसे फिर दोहराना चाहता हूं कि हमारे और

बिहार सरकार के मध्य उस समय ऐसा कोई करार नहीं हुआ था। फिर भी पैट्रोलियम मंत्रालय ने 40 लाख रुपए दिए हैं बस, केवल इतना ही।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिला है।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय बाढ़ आयोग की योजना को कार्यान्वित करने में समय लगेगा लेकिन मंत्री महोदय जानते हैं कि बेगूसराय-बरौनी का पूरे का पूरा औद्योगिक क्षेत्र हर साल बाढ़ का शिकार होता है और 1975-76 में उस औद्योगिक क्षेत्र को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या कोई अस्थायी हल निकालने की मंत्री महोदय ने कोशिश की है ताकि बाढ़ से उस क्षेत्र की रक्षा की जा सके।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

श्री रामावतार शास्त्री : क्या आपके पास उस क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए कोई अस्थायी योजना है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : इसके लिए कोई स्थायी या अस्थायी उपाय नहीं हो सकता। मैंने बताया है कि 2.5 करोड़ रुपए की एक योजना तैयार है।

अध्यक्ष महोदय : वह एक योजना रख रहे हैं। इस योजना पर 2.5 करोड़ रुपए व्यय होंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने यह कहा है कि उस योजना को तो पूरा होने में बहुत समय लगेगा और बरसात में हर साल वहां पर नुकसान होता है। **इन दि मीन टाइम** क्या सरकार के पास कोई योजना उस क्षेत्र को बाढ़ से बचाने की है या नहीं ? वह तो बहुत बड़ी योजना है, जो मंत्री जी ने बताई है।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यान्वित किया जाएगा। अगला प्रश्न।

आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा द्वारा बुकिंग के लिए अपनाया जाने वाला मानदण्ड।

*110**श्री टी० एस० नेगी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा द्वारा किसी एजेंसी विशेष के लिए बुकिंग करने और समय देने के लिए अपनाया गया मानदण्ड क्या है;

(ख) गत चार माह के दौरान स्थानीय रूप से कितने लोगों ने विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी, दिल्ली पर सुपर "ए" समय के लिए अनुरोध किया ;

(ग) केन्द्र निदेशक, विज्ञापन प्रसारण सेवा, दिल्ली द्वारा स्थानीय रूप से किन-किन एजेंसियों को सुपर 'ए" समय आबंटित किया गया, उन्हें कितने स्थानों का आबंटन किया गया ;

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली में कुछ एजेंसियों ने एक ही पते पर भिन्न-भिन्न नामों से अपना पंजीकरण करा लिया है और इसीलिए उन्हें अधिक बुकिंग मिल जाती है; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि यह संबंधित प्राधिकारियों की सांठ-गांठ से किया गया है और इस तरह की बातों को रोकने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्पाट बुक किये जाते हैं। तथापि परिवार कल्याण, मलेरिया उन्मूलन जैसे राज्य सरकारों आदि से प्राप्त स्पाटों, जो जनहित में होते हैं, अपवाद हो सकते हैं।

(ख) 52 (बावन) एजेन्सियों ने सुपर "ए" समय के लिए नवम्बर, दिसम्बर, 1979 और जनवरी, फरवरी, 1980 के चार महीनों के दौरान अनुरोध किया था।

(ग) सूचना परिशिष्ट-I में दी गयी है।

(घ) जी हां। जांच करने पर यह पाया गया है कि चार एजेंसियां हैं जिनमें प्रत्येक युगलों का एक ही पता है किन्तु उनके स्वामी अलग-अलग हैं (ऐसी एजेंसियों की सूची परिशिष्ट=2 में संलग्न है)। ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 566/807 तथापि, बुकिंग नितांत निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार की जाती हैं।

(ङ) जी, नहीं।

श्री टी० एस० नेगी : भाग (क) का उत्तर गलत है। यह नीति तो ठीक है कि 'पहले आओ, पहले पाओ, परन्तु केन्द्र निदेशक दिल्ली ने ऐसा नहीं किया। तथ्यों का पता लगाया जाना चाहिए। मुझे इस संबंध में बहुत-सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, विशेषरूप से इस अधिकारी के संबंध में।

मानवीय मंत्री महोदय, वर्तमान केन्द्र निदेशक, वाणिज्य सेवा, आकाशवाणी, दिल्ली ने अपनी पसन्द की एजेंसियों को सुपर (ए) समय आवंटित किया और बिना तथ्यों का पता लगाए उन्हें रजिस्ट्रेशन भी दिया। इसके बदले में राजनीतिक दलों के लिए 'राजेन्द्र नगर सांस्कृतिक सोसायटी' के नाम से धन और विज्ञापन के लिए।

क्या यह तथ्य नहीं है कि उत्तर के भाग (घ) में उल्लिखित एजेंसियां एक ही कमरे में परन्तु विभिन्न नामों से काम कर रही हैं? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रजिस्ट्रेशन देने से पूर्व तथ्यों की पूरी तरह जांच कर ली गई थी और क्या मंत्रालय द्वारा ऐसे कोई अनुदेश दिए गए हैं कि कार्यालय स्थान और नियुक्त स्टाफ तथा एजेंसी के बैंक खाते की जांच संबंधित प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से अवश्य ही की जानी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर में उल्लिखित मामलों के संबंध में तथ्यों की जांच कर ली गई थी?

श्री वसन्त साठे : दुर्भाग्यवश मेरे माननीय और विद्वान मित्र ने संभवतः उसी प्रश्न को दोहरा दिया है जिसका उत्तर मैंने उन्हें पहले ही दे दिया है इसे एक आम बात बनाने की बजाए यदि उनके पास कोई विशिष्ट मामले हैं तो वह मुझे लिखें। मैं उनका पता लगाऊंगा और उन्हें बता दूंगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण

*111 **प्रो० के० के० तिवारी** : **क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है ;

(ख) गुजरात राज्य के वे गांव कौन-कौन से हैं जिनका विद्युतीकरण छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया जाएगा ;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री [क] से [घ] : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) हरियाणा, केरल तथा पंजाब राज्यों तथा चंडीगढ़ दिल्ली और पाँडिचेरी संघ शासित क्षेत्रों में शत-प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में गुजरात के 7,250 गांवों को विद्युतीकृत करने की परिकल्पना है । छठी योजना के दौरान विद्युतीकृत किए जाने वाले सभी गांवों के नाम इस अवस्था में बता सकना संभव नहीं है । (ग) और (घ) ग्राम विद्युतीकरण में उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छठी योजना के प्रारूप में गुजरात के लिए 56 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । इसमें सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 30,00 करोड़ रुपए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा की गई वित्त व्यवस्था के 23,5 करोड़ रुपए तथा संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 2,5 करोड़ रुपए है । गुजरात तथा अन्य राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण की गति को बढ़ाने के लिए पिछले दो महीनों से कुछ कदम उठाए गए हैं । लम्बित तथा प्रस्तावित ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों पर ग्राम विद्युतीकरण निगम ने तथा ऊर्जा मंत्रालय ने अलग-अलग राज्य बिजली बोर्डों के साथ विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया है । इन बैठकों में अलग-अलग राज्यों की प्रगति की समीक्षा की गई थी तथा वित्त व्यवस्था और सामग्री संबंधी कठिनाइयों का पता लगाया गया था । आगामी वर्षा ऋतु से पहले की कार्य अवधि के लिए तथा 1980-81 के समूचे वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य को कार्रवाई के सुनिश्चित कार्यक्रम बता दिए गए हैं । इस संबंध में किए जा रहे कार्य की प्रगति मानीटरिंग ग्राम विद्युतीकरण निगम और उर्जा मंत्रालय द्वारा ध्यानपूर्वक की जा रही है ।

श्री मगन भाई बरोट : 1976 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा गुजरात के 70 गाँवों के विद्युतीकरण की एक योजना स्वीकृत की गई थी । ऊर्जा उप-मंत्री आए और इसे आरम्भ किया गया और दो गांवों का विद्युतीकरण किया गया परन्तु वर्ष 1977-79 के दौरान एक भी और गाँव का विद्युतीकरण नहीं किया गया । क्या मैं जान सकता हूं कि यह क्यों नहीं किया गया ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : माननीय सदस्य जनता पार्टी शासन की बात कर रहे हैं । दुर्भाग्यवश उनके शासन में सभी जगह एक निराशाजनक तस्वीर देखने को मिलेगी । ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के साथ यही हुआ । हम सब चीज में सुधार ला रहे हैं । मैं कई बिजली बोर्डों के अध्यक्षों से मिला हूं । कुछ बाधाएं आईं प्रतीत होती हैं जैसे इन्सुलेटरों और एल्यूमीनियम

की कमी । हमने लगभग 75,000 टन ऐसी सामग्री आयात करने का निश्चय किया है । हमने इन्सुलेटरों के निर्माताओं से उत्पादन बढ़ाने का अनुरोध भी किया है । मेरे विचार में ऐसे उपाय करने से ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम ठीक गति से चलेगा ।

श्री सोमजी भाई भईडाभोर : ग्रामीण बिजलीकरण योजना के अन्तर्गत कई गांवों में बिजली दवाखानों में तो दे दी गई है लेकिन कन्जूमर्ज द्वारा जब इसकी मांग की जाती है तो उनको नहीं दी जाती है । इसके बारे में आपका क्या कहना है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री कमल नाथ,

श्रीकमल नाथ : क्या यह सच है कि पिछली सरकार ने अपनी अन्दरूनी लड़ाई के कारण गुजरात के विद्युतीकरण की ओर ध्यान नहीं दिया ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : कुछ ऐसा ही रहा होगा ।

श्री बापू साहिब पारुलेकर : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने कुछ राज्यों के नाम बताए हैं जहां शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि गांव में एक घर का भी विद्युतीकरण हुआ हो तो आंकड़ों के लिए यह मान लिया जाता है कि सम्पूर्ण गांव का विद्युतीकरण हो चुका है ;

(ख) क्या भाग (क) का उत्तर ऐसे ही आंकड़ों पर आधारित हैं ;

(ग) क्या माननीय मंत्री महोदय यह नहीं समझते हैं कि यह सभा को गलत सूचना देना हैं; और

(घ) क्या सरकार इस प्रकार आँकड़े एकत्रित करने की पद्धति को परिवर्तित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

भाषण देने की बजाए मैंने अपने प्रश्न को चार भागों में विभक्त कर दिया है ।

श्री० ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : हमारे पास एक मानदण्ड है और इसी मानदण्ड के आधार पर हम देखते हैं किसी गांव विशेष का विद्युतीकरण हुआ है या नहीं । आखिर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कोई धर्मार्थ संस्था तो है नहीं वे भाग, भूगर्भीय जल स्रोतों को भी देखते हैं । इन सभी मुद्दों की ओर ध्यान दिया जाता है । मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि ग्रामीण विद्युतीकरण वालों ने गलत सूचना दी है ।

श्री छीतूभाई गामित : गुजरात में आदिवासियों के कई गांवों में इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ है लेकिन गांव में जहां आदिवासियों और हरिजनों की बस्तियां हैं वहां कई सालों से बिजली की लाइन नहीं दी गई हैं जहां तहां इस तरह से जो इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ है वहां आदिवासियों और हरिजनों की बस्तियां जो बाकी रह गई हैं उन बस्तियों को लाइन देने की कोई योजना आपने बनाई है और बनाई है तो कब तक उनको बिजली दे दी जाएगी ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : हम हरिजन बस्तियों और आ दिवासी क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे ।

श्री के० ए० राजन : गांव के शतप्रतिशत विद्युतीकरण का अर्थ क्या उस गांव के सभी उपभोक्ताओं को बिजली देना है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जैसा कि मैंने पहले कहा है, मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है । मैं यह सूचना दे दूंगा । परन्तु एक और मामले पर विचार किया जाता है । वह यह है कि यदि किसी गांव विशेष का विद्युतीकरण होता है तो माननीय सदस्य के विचार में.....

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत हो गया है । प्रश्न सं० 112

छोटे समाचार पत्रों को विज्ञापन दिया जाना ।

112***श्री रामलाल राही** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को विज्ञापन दिये जाते हैं जिसके कारण असन्तोष फैलता है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री श्री (वसंत साठे) (क) और (ख) : जो, नहीं नीति के विरुद्ध कोई विज्ञापन नहीं दिये जाते हैं । फिर भी, असन्तुलनों को हटाने के विचार से सरकार विज्ञापन नीति की समीक्षा करने पर विचार कर रही है ताकि छोटे और मध्यम समाचारपत्रों को अधिक प्रोत्साहन मिल सके ।

श्री रामलाल राही : मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने असंतुलन को स्वीकार किया है, इसके माने असमानता है विज्ञापन देने में तो इस असंतुलन को दूर करने के लिए वह जल्दी से क्या कदम उठा रहे हैं ? तथा छोटे समाचार-पत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए उनके पास क्या कोई ठोस योजना है ? यदि हां, तो उस पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री वसन्त साठे : यही तो मैंने कहा है कि इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं और हम एक कमेटी बैठा रहे हैं अपने मंत्रालय के अन्तर्गत यह देखने के लिये । जो कुछ असंतुलन होगा और उसे ठीक करने के लिए जो उपाय हम अमल में लायेंगे, जैसे हमारी योजना इस बारे में तैयार हो जायगी, उसमें मैं आपको विदित करा दूंगा ।

श्री रामलाल राही : मंत्री जी को याद होगा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले समय में छोटे समाचार-पत्रों में काम करने वाले सम्पादकों की और दूसरे लोगों को जो समाचार एकत्र करते थे उन्हें रेल सुविधा के फ्री पास जारी करने का प्रस्ताव किया था । क्या मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करेंगे और इन लोगों को रेल सुविधा फ्री देने की बात निश्चित करेंगे ?

श्री वसन्त साठे : यह बात तो रेल मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करके ही तय की जा सकती है । हम खुद तो रेल पास दे नहीं सकते । पर जो सुझाव माननीय मित्र ने दिया है हम जरूर रेलवे मंत्रालय से इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे ।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : क्या माननीय मंत्री महोदय लघु समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को विज्ञापन देने के लिए अपनाए जा रहे मानदण्ड के विषय में बताएंगे ?

श्री वसन्त साठे : ऐसा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है । परन्तु सामान्य

विज्ञापन नीति समाचारपत्रों और पत्रिकाओं की प्रसार संख्या पर आधारित होती है और उसी आधार पर मानदण्ड बना लिए जाते हैं और तदनुसार विज्ञापन दिया जाता है। परन्तु मैं महसूस करता हूं कि मैं सभा को विश्वास में ले सकता हूं और कह सकता हूं कि इस मामले में कुछ असन्तुलन है। बड़े समाचारपत्र विज्ञापनों का बड़ा भाग ले जाते हैं और छोटों को प्राप्त नहीं होते। इसीलिए आरम्भ में जैसा कि मैंने कहा है, मैं उस पर पुनः विचार करूंगा। जब तक सारी नीति नहीं बन जाती मैं कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं रख सकता। परन्तु मैं इसे यथा सम्भव करूंगा।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या मंत्री जी की जानकारी में यह है कि पिछले 20, 25 साल से जो अखबार नियमित रूप से निकल रहे हैं उनको आज तक डी. ए. वी. पी. तथा अन्य सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन नहीं मिल रहे हैं जब कि इसके विपरीत जिस अखबार का जन्म भी नहीं होता उसे डी. ए. वी. पी. के विज्ञापन दे दिए जाते हैं ? अगर यह सही है तो ऐसा पक्षपात क्यों ? मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि देश में तहसील और जिला स्तर पर छोटे-छोटे समाचारपत्र निकलते हैं और वह समाचार छापते हैं जिनको बड़े अखबार नहीं छापते जो स्थानीय समस्याएं होती हैं उनकी ओर सरकार और जिलाधिकारियों का ध्यान दिलाते हैं। लेकिन वे धनाभाव के कारण विज्ञापन न मिलने के कारण टूट जाते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो तहसील और जिला स्तर पर समाचारपत्र निकलते हैं उनको विज्ञापन देने में तथा अन्य आर्थिक सुविधाएं देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और किस-किस तरह की मदद देने का सरकार का विचार है ?

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इस तरह के बाक्यात हुए हैं कि जिला स्तर पर जो छोटे अखबार निकलते हैं उनको सुविधाएं प्राप्त नहीं होती रही हैं,

और इसीलिए मैंने कहा कि यह सारे प्रश्न और जो हमारी नीति है छोटे जिला स्तर के अखबारों को मदद करने की उस नीति को ध्यान में रखते हुए हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। और यदि कोई खास केस माननीय सदस्य की नज़र में हो जहां 20 साल से अखबार निकल रहा है और उसको मदद नहीं मिली है तो कृपया उसको मेरे ध्यान में लाइये, मैं उसको मदद दिलाने की कोशिश करूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रायगढ़ (मध्य प्रदेश) के शरणार्थी कैम्प में भूख के कारण मौतें

* 104. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में धर्माजय गढ़ के समीप बंगाली शरणार्थी कैम्प में भूख से चार व्यक्तियों की हुई मौतों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पीड़ित शरणार्थियों को खाद्यान्न और अनुदान देने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं; और

(ग) उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त पी० साठे)

(क) इस समय धर्मजयगढ़ या उसके आस-पास भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों

का कोई "शिविर" नहीं है । तथापि, भूतपूर्व प्रवासियों के कुछ परिवारों को धर्मजयगढ़ या उसके आसपास के गांवों में कृषि में बसाया गया है ।

मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि भुखमरी से कोई भी मृत्यु नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) :

प्रश्न हीं नहीं उठता । तथापि सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरु किए गए हैं ।

छोटे और मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों के लिए अधिक सुविधाएं

* 107. **कुमारी कमला कुमारी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत के छोटे और मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों और उनके लिए कार्य करने वाले पत्रकारों तथा अन्य पत्रकारों को भी कुछ अधिक सुविधाएं देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समय उन्हें क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) **और** (ख) : लघु और मध्यम समाचारपत्रों और उनके संवाददाताओं को अधिक सुविधाएं देने के प्रश्न पर सरकार सतत् ध्यान दे रही है । इस समय लघु और मध्यम समाचार-पत्रों को दी जा रही सुविधाओं, छूटों और वेटेज में सरकारी विज्ञापन देना, प्रचार सामग्री की आपूर्ति, रूपक-लेख, फोटोग्राफ, एबोनाइट ब्लाक्स की आपूर्ति तथा उदारता के आधार पर अखबारी कागज और प्रत्यायन आदि देना शामिल है ।

उड़ीसा में नये आकाशवाणी केन्द्र खोलना ।

* 108. **श्री के० प्रधानी :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में उड़ीसा राज्य में नये आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र खोलने संबंधी को प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो नये केन्द्र कब तक खोले जाने की संभावना है और वे किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) **और** (ख) कटक, जैपोर और सम्बलपुर केन्द्रों से उड़ीसा में फिलहाल 81 प्रतिशत जनसंख्या को दिन के समय प्राथमिक दर्जे की सेवा उपलब्ध है । कोइनझर में अल्पशक्ति वाला स्थानीय केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव अस्थायी रूप से छठी योजना में शामिल कर लिया गया है ।

कोलइंडिया लिमिटेड को हुआ घाटा

* 109. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :**

श्री एम०_रामगोपाल रेड्डी : क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इंडिया लिमिटेड को प्रतिवर्ष भारी घाटा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत चार वर्षों यथा 1976-77, 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुल कितना घाटा रहा ?

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) कोल इंडिया लि० को घाटा होने का कारण अलाभकर कीमतें रहीं। इसके साथ-साथ उत्पादन के साधनों की लागत और मजदूरी बिल में वृद्धि, बिजली, डीज़ल तथा विस्फोटक पदार्थों के अभाव से उत्पादन में कमी, अभूतपूर्व भारी वर्षा और बाढ़, गैर हाज़िरी तथा कानून और व्यवस्था की समस्याएं भी इसका कारण हैं।

(ख) बिना परीक्षा के अनंतिम लेखा के अनुसार गत चार वर्षों के दौरान हुआ अनुमानित घाटा इस प्रकार है :—

वर्ष	(करोड़ रुपयों में) हानि	संचयी घाटा
1976-77	80. 07	245. 81
1977-78	110. 85	356. 66
1978-79	220. 11	576. 77
1979-80	135. 00 (अनुमानित)	711. 77

ईस्टर्न रीजनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मुख्यालय को अन्यत्र ले जाया जाना

* 113. **श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ईस्टर्न रीजनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मुख्यालय को पटना से कलकत्ता ले जाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस निर्णय के परिणामस्वरूप कर्मचारियों में भारी असंतोष है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री ए० बी० ए० खान चौधरी : (ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री) (क) और

(ख) निम्नलिखित कारणों से सरकार ने मार्च, 1979 में पूर्वी क्षेत्रीय विलीज बोर्ड के मुख्यालय को पटना से कलकत्ता ले जाने का निर्णय किया है :

कलकत्ता में क्षत्रीय भार प्रेषणा केन्द्र के निर्माण करने का दायित्व पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के सदस्य-सचिव का है। क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली के समेकित प्रचालन का केन्द्र विन्दु है और लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से इसकी स्थापना की जा रही है। भवन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है और सभी आवश्यक उपस्करों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं। यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न स्तरों पर काफी छानबीन करने के बाद क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र की स्थापना के लिए कलकत्ता को चुना गया था। अतः उचित प्रबंध व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय बिजली बोर्ड और क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के मुख्यालय एक ही स्थान पर हां। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि देश में अन्य सभी क्षेत्रों के क्षेत्रीय बिजली बोर्ड और क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के मुख्यालय एक ही स्थान पर हैं।

(ग)और(घ) : इस बारे में कर्मचारियों की ओर से कोई औपचारिक अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा समझा जाता है कि कलकत्ता में आवास, शिक्षा और परिवहन आदि की समस्याएं कर्मचारियों के असंतोष का कारण हो सकती हैं। पटना में पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या 13 है और उनकी कठिनाइयों की जांच की जा रही है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में परिवर्तन के बारे में संविधान विशेषज्ञों के सुझाव

*114. **श्री एन० ई० हीरो : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञों ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में यह परिवर्तन किया जाए कि राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता दिए जाने के लिए संपरीक्षित लेखा रखें; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और उसके कारण क्या हैं ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री० पी० शिवशंकर) : (क) तारीख 25 फरवरी, 1980 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस आशय का समाचार सरकार की जानकारी में लाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि श्री एन० ए० पालकीवाला ने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की भी हिमायत की है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में परिवर्तन करके राजनीतिक दलों से यह अपेक्षा की जाए कि वे निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता दिए जाने के प्रयोजन से अपने संपरीक्षित लेखा रखें।

(ख) इस संबंध में अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

गुजरात में सिंचाई क्षमता

*115. **श्री डी० पी० जदेजा : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य, विशेषकर सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1979 तक उस क्षेत्र में कार्यान्वित की गई योजना का ब्यौरा क्या है, और

(ग) शेष कार्य का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) गुजरात ने सिंचाई विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। योजना अवधि के दौरान राज्य में सिंचाई क्षमता 1950-51 में 33,000 हेक्टेयर से बढ़कर पांचवीं योजना (1977-78) के अन्त तक 9,57,000 हेक्टेयर हो गई है। इसमें से 107,940 हेक्टेयर सौराष्ट्र क्षेत्र में है। राज्य सरकार ने प्रस्ताव किया है कि नर्मदा बहुद्देश्यीय परियोजना को बड़े रूप में हाथ में लिया जाए जिससे 14.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुँचेगा जिसमें से 4.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ेगा।

(ख) और (ग) सौराष्ट्र क्षेत्र में क्रियान्वित और निर्माणाधीन परियोजनाओं के ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में निर्माणाधीन तथा पूर्ण हुई वृहद् तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों का ब्यौरा।

क्रम सं०	स्कीम का नाम	लाभान्वित होने वाले जिले	अन्ततः सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)
1..	2.	3.	4.
क. पूर्ण हुई स्कीमें			
	I. बृहद् स्कीमें		
	शेत्रुंजी (पालिताना)	भावनगर	34.83
	II. मध्यम स्कीमें		
1.	मचुंद्री	जूनागढ़	0.45
2.	रावल	जूनागढ़	0.45
3.	ओजट	जूनागढ़	2.39
4.	कालिन्द्री	जूनागढ़	1.68
5.	मधुवंती	जूनागढ़	2.19
6.	सोराथी	जूनागढ़	1.86
7.	छनजेश्वरी	जूनागढ़	1.65
8.	हिरन	जूनागढ़	2.63

1.	2.	3.	4.
9.	मुनीजियासर	अमरेली	1.34
10.	सकरोली	अमरेली-राजकोट	1.22
11.	धातारवाडी	अमरेली	2.48
12.	शेत्रुंजी (खोदयर)	अमरेली	7.70
13.	गोंडली	राजकोट	0.93
14.	अजी	राजकोट	1.83
15.	मछून्दो	राजकोट	7.70
16.	मोज बांध को ऊंचा उठाना	राजकोट	0.76
17.	करद	राजकोट (और पंचमहल)	4.54
18.	मछू-एक	राजकोट	6.67
19.	डेमी	राजकोट	2.19
20.	भोज	राजकोट	4.82
21.	भदर	राजकोट	17.15
22.	ससोइ	जामनगर	3.06
23.	घी	जामनगर	0.83
24.	फुलजर-एक	जामनगर	1.22
25.	सपाडा	जामनगर	0.01
26.	वरतु	जामनगर	2.23
27.	फुलजर	जामनगर	1.22
28.	पूना	जामनगर	1.01
29.	मालम	भावनगर	2.34
30.	गोमा	भावनगर	2.53
31.	घेलो	भावनगर	3.14
32.	रोजकी	भावनगर	1.54
33.	रंगोडा	भावनगर	3.50
34.	सूरजवाडा	भावनगर	10.4
35.	भीमडाड	भावनगर	1.15
36.	धारी	सुन्दरनगर	0.30
37.	भोगवो-एक	सुन्दरनगर	1.67
38.	भोगवो-दो	सुन्दरनगर	0.47
39.	लिम्बड़ी (भोगवो)	सुन्दरनगर	3.20
40.	ब्रह्माणी	सुन्दरनगर	3 85
		कुल	107.94

1.	2.	3.	4.
ख. **निर्माणाधीन स्कीमें**			
	I. वृहद् स्कीमें—शून्य—		
	II. **मध्यम स्कीमें**		
1.	सिंगोड़ा	जूनागढ़	3.73
2.	अम्बाजल	जूनागढ़	1.64
3.	रावल	जूनागढ़	5.23
4.	मछुंद्री-दो	जूनागढ़	4.18
5.	सानी	जूनागढ़	1.38
6.	अमीपुर	जूनागढ़	3.86
7.	हिरन (एस)	जूनागढ़	7.15
8.	फोफाल	राजकोट	4.18
9.	चापरवाडी जे	राजकोट	2.94
10.	चापरवाडी एल	राजकोट	0.83
11.	वीनू-दो	राजकोट	3.74
12.	भादर पर वीयर	राजकोट	6.50
13.	गोदाक्षरी	राजकोट	2.65
14.	जीवापुर	जामनगर	2.17
15.	बगद	भावनगर	1.52
16.	कालूभार	भावनगर	2.38
17.	राजवाला	भावनगर	3.28
18.	सूखाभाडा	सुरेन्द्रनगर	4.29
		कुल	61.62

राजस्थान नहर पर व्यय

*116. **श्री मूलचंद डागा : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि

(क) राजस्थान नहर पर अब तक कुल कितना खर्च किया गया है और कितने मील लम्बी नहर का निर्माण किया जा चुका है तथा कितनी अभी निर्माण करनी शेष रही हुई है;

(ख) अब निर्माण के लिए शेष बची हुई नहर के निर्माण पर लगभग कितनी लागत आयेगी तथा यह कब तक बनकर पूरी हो जायेगी;

(ग) इस योजना से क्या उठाऊ सिंचाई (लिफ्ट इरीगेशन) का लाभ भी उठाया जा सकता है और

(घ) यदि हां तो, उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इसे प्रारम्भ किया जायेगा ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि मार्च, 1980 के अन्त तक राजस्थान नहर परियोजना पर कुल 253 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है । अब तक राजस्थान नहर 306 मील लम्बी बन चुकी है और शेष 114 मील लम्बी नहर अभी निर्माण की जानी है ।

(ख) राज्य सरकार ने बताया है कि मार्च, 1980 के बाद निर्मित किए जाने वाले शेष परियोजना कार्यों पर लगभग 189 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है । इन कार्यों को 1985-86 तक पूरा किये जाने का कार्यक्रम है ।

(ग) और (घ) राजस्थान नहर परियोजना में लूणकरणसार बीकानेर लिफ्ट स्कीम के अन्तर्गत 0-51 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की लिफ्ट सिंचाई के लिए पहले ही व्यवस्था है । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अन्य क्षेत्रों में लिफ्ट सिंचाई के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

समाचार एजेन्सियों का पुनर्गठन

*117. **श्री रामकृष्ण सदाशिव मोरे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की मन्शा सभी समाचार एजेंसियों का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय भाषायी समाचार एजेसियों को क्या दर्जा दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री वसन्त साठे) :

(क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

समेकित राष्ट्रीय चलचित्र नीति

*118. **श्री जी० वाई० कृष्णन क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक समेकित राष्ट्रीय चलचित्र नीति तैयार करने के लिए एक कार्य दल की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार करने का है; और

(ख) यदि हाँ तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) सरकार ने 8 मई 1979 के अपने संकल्प के द्वारा निर्माण, वितरण प्रदर्शन और कराधान जैसे क्षेत्रों में फिल्म उद्योग की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने तथा राष्ट्रीय फिल्म नीति, जो भारतीय सिनेमा के संवर्धन में सहायक हो, सुधारने के लिए एक कार्य दल नियुक्त किया है । कार्यदल के अध्यक्ष डा० के० एस० कारंथ हैं और इसके (संलग्न सूची के अनुसार) 19 अन्य सदस्य हैं । इसके निर्देश-पद भी संलग्न हैं । इस संबंध में विवरण संलग्न है ।

विवरण

कार्य दल के निर्देश-पद

सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम के रूप में सिनेमा की भूमिका के संदर्भ में इसकी कला विधा तथा सामाजिक परिवर्तन लाने के उपाय के रूप में, इसकी वर्तमान स्थिति की जांच करना तथा इसके और संवर्द्धन तथा विकास के लिए उपाय सुझाना;

(ख) तकनीक, कच्चा माल, साज-सज्जा और निर्माण-प्रक्रिया सहित फिल्म निर्माण तथा उत्पादन, वितरण, प्रदर्शन और वित्त व्यवस्था जैसी सभी संबद्ध आर्थिक गतिविधियों के सभी पहलुओं की जांच करना और इनमें सुधार के उपाय सुझाना;

(ग) सेंसर, मनोरंजन कर, उत्पादन शुल्क, स्थानीय करों, आयात शुल्कों तथा फिल्मों के आयात और निर्यात से संबंधित फिल्म उद्योग पर, केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों की नीतियों और पद्धतियों के प्रभाव की जांच करना और स्वस्थ भारतीय सिनेमा संवर्द्धन और विकास के लक्ष्य के अनुरूप संशोधन के सुझाव देना;

(घ) जहां आवश्यक हो, यह बताना कि भारतीय सिनेमा के कथाचित्रों, वृत्तचित्रों, समाचार चित्रों और दूरदर्शन फिल्मों जैसी सभी विधाओं के लिए सरकारी सहायता का स्वरूप क्या हो।

कार्य दल की संरचना।

1.	डॉ० के० एस० कारंथ	अध्यक्ष	विख्यात कन्नड़ लेखक
2.	श्री एम० भक्तवत्सल	सदस्य	फिल्म निर्माता और प्रदर्शक
3.	श्री श्याम बेनेगल	सदस्य	फिल्म निशर्देक
4.	श्री ताराचन्द बड़जात्या	सदस्य	फिल्म निर्माता, वित्तदाता और वितरक।
5.	श्री विक्रम सिंह	सदस्य	कार्यकारी सम्पादक, फिल्मफेयर
6.	श्रीमती विजय मुले	सदस्य	प्रिंसिपल, शैक्षिक टेकनोलोजी केन्द्र, एन० सी० ई० आर० टी० और फिल्म विशेषज्ञ
7.	श्री वासु भट्टाचार्य	सदस्य	फिल्म निर्देशक
8.	श्री मनोज कुमार	सदस्य	फिल्म निर्माता और निर्देशक
9.	श्री रामानंद सागर	सदस्य	फिल्म निर्देशक
10.	श्री अदूर गोपाल कृष्णन्	सदस्य	फिल्म निर्देशक
11.	श्री तरुण मजूमदार	सदस्य	फिल्म निर्देशक
12.	डॉ० जगदीश पारिख	सदस्य	अध्यक्ष, फिल्म वित्त निगम
13.	श्री पी० नीलकन्तन	सदस्य	प्रधानाचार्य, फिल्म तकनीकी संस्थान, मद्रास, तमिलनाडु सरकार द्वारा नामित।

14.	श्री मृणाल सेन	सदस्य	फिल्म निर्देशक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नामित ।
15.	सरदार मनोहर सिंह गिल	सदस्य	पंजाब सरकार के सचिव, पंजाब सरकार द्वारा नामित ।
16.	श्री दिलीप जामदार	सदस्य	निर्देशक (फिल्म), महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित ।
17.	श्री डी० रामानुजम	सह-सदस्य	फिल्म प्रदर्शक और निर्माता
18.	श्री एस० एस० जैन	सह-सदस्य	फिल्म प्रदर्शक
19.	श्री डी० वी० एस० राजू	सह-सदस्य	फिल्म निर्माता
20.	श्री एस० एल० कपूर	सदस्य-सचिव	संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ।

अस्पृश्यता के बारे में सरकारी प्रचार माध्यमों की भूमिका

* 119. **श्री के०मालन्ना : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार ने अस्पृश्यता-प्रथा के विरुद्ध सशक्त जागरूकता पैदा करने के बारे में सरकारी प्रचार-माध्यमों यथा आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा क्षेत्र प्रचार एककों द्वारा अदा की जा रही भूमिका का कोई अध्यय किया है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) :

हाल ही में छुआछूत के संबंध में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है, फिर भी सरकार छुआछूत की प्रथा को दूर करने के वातावरण बनाने में जन माध्यम की प्रभावोत्पादकता को साधन के रूप में कार्य करने में विश्वास रखती है और ये माध्यम इस दिशा में निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं।

2. 1979 के कैलेंडर वर्ष के दौरान आकाशवाणी ने अपने रेडियो स्टेशनों के तंत्र से 2809 कार्यक्रम प्रसारित किए। दूरदर्शन ने अपने दूरदर्शन तंत्र से 154 कार्यक्रम प्रसारित किए। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने "ग्रामीणों के लिए बेहतर जीवन" और "हमारे गांव" नामक दो प्रदर्शनियों का आयोजन किया जिसमें छुआछूत के ऊपर भी फलक शामिल थे। इस प्रदर्शनी को समस्त भारत में 634 स्थानों पर दिखाया गया जिसमें लगभग 1.10 करोड़ ग्रामीण आगन्तुकों को आकर्षित किया। फिल्म प्रभाग ने इस विषय पर एक डाकुमेंट्री तैयार की है जिसका शीघ्र ही विमोचन किया जाना है। दो अन्य फिल्में निर्माणाधीन हैं। दो इस विषय को समाचार चित्रों में भी व्यापक रूप से कवर किया गया है।

मतदाताओं को पहचान-पत्र देने की व्यवस्था

* 120. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक पात्र मतदाता को एक पहचान-पत्र, जिस पर उसका नाम, आयु, लिंग और पता लिखा हो, देने के बारे में निर्वाचन आयोग का सुझाव स्वीकार कर लिया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का है जिससे कि प्रत्येक मतदाता को उसके निर्वाचन क्षेत्र में विधान सभा अथवा संसद् के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पार्टी का नाम तथा प्रतीक बताने की व्यवस्था की जा सके ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्यमंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को फोटो लगे पहचान-पत्र जारी करने की प्रणाली अक्तूबर, 1979 में हुए सिक्किम विधान सभा के साधारण निर्वाचन में, एक प्रयोग के रूप में लागू की थी। अन्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मतदाताओं के लिए इस प्रणाली को लागू करने के प्रश्न पर, सिक्किम राज्य में प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर अभी विचार किया जाना है।

(ख) जी नहीं।

गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में नालों में बाढ़ आ जाना

* 121. **श्री अमरसिंह वी० राठवा : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गुजरात राज्य में छोटा उदयपुर क्षेत्र एक निचला क्षेत्र है और वहां वर्षाऋतु में नालों में बाढ़ आ जाती है ; और

(ख) क्या आसपास के क्षेत्रों की रक्षा के लिए उन नालों को चौडा करने की कोई योजना है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) गुजरात राज्य वड़ोबरा जिले का छोटा-उदयपुर तालुका अधिकांशत: पहाड़ी और ऊंचे-नीचे क्षेत्रों में स्थिति है। फिर भी, बरसात के मौसम में छोटी-छोटी नदियों-नालों का पानी किनारों से बाहर बहने लगता है।

(ख) इन नदी-नालों को चौड़ा बनाने की कोई स्कीम नहीं है। लेकिन इस क्षेत्र में स्थानीय बाढ़ सुरक्षात्मक वर्क्स की कुछ स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं।

न्यायालयों में बेपैरवी मामलों में वृद्धि

851. **श्री मनोरंजन भक्त :**

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि समूचे देश में विभिन्न न्यायालयों में विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर और पद्दलित लोगों के, जो मामलों की पैरवी करने में असमर्थ हैं, बेपैरवी मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है जिससे कुछ मामलों में उन्हें न्याय नहीं मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) सरकार बेपैरवी वाले मामलों की संख्या के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखती है, किन्तु सरकार को यह पता है कि निर्धन व्यक्ति अक्सर न्यायालयों में अपने मामलों की उपयुक्त रूप से

पैरवी करने में असमर्थ होते हैं। तदनुसार सरकार ने इस विषय की जांच करने और सिफारिश करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी जिसमें न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती और न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर थे। इस समिति ने रिपोर्ट दी है उस पर सरकार विचार कर रही है।

आकाशवाणी के नये केन्द्र खोलना

852. **श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने चालू और आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान आकाशवाणी के नये केन्द्र खोलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए, राज्यवार, किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे): (क)**और** (ख) छठी स्वीकृत पंचवर्षीय योजना (1978-83) में निम्नलिखित पांच नए आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का प्रावधान है :

1. तूरा मेघालय में
2. गंगटोक सिक्किम में
3. आगरा उत्तर प्रदेश में
4. मदुरै तमिलनाडु में
5. जमशेदपुर बिहार में

विकासात्मक परियोजनाओं की स्थानीय और विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु देश में पांच स्थानों पर जिला स्तरीय स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। अस्थायी रूप से इन केन्द्रों को निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित करने का निर्णय किया गया है :

1. कोटा राजस्थान में;
2. दिम्पू आसाम में;
3. कोइनझर उड़ीसा में;
4. आदिलाबाद आंध्रप्रदेश में; और
5. नागरकायल तमिलनाडु में।

सूरतगढ़ केन्द्र को अगले वित्तीय वर्ष के दौरान चालू करने का प्रस्ताव है।

रोंगाई घाटी सिंचाई परियोजना।

853. **श्री पी० ए० संगमा**

क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय सरकार ने रोंगाई घाटी सिंचाई परियोजना की योजना भारत सरकार को भेजी है ;

(ख) क्या उक्त परियोजना मेघालय राज्य में एकमात्र सिंचाई परियोजना है;

(ग) क्या भारत सरकार ने उक्त परियोजना की स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या भारत सरकार का विचार इस वित्तीय वर्ष में उक्त परियोजना की स्वीकृति देने का है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी):(क)से(ड़)

मेघालय सरकार ने रोंगाई रवि मध्यम सिंचाई परियोजना प्रस्तुत की है। केन्द्रीय जल आयोग ने परियोजना की जांच करने के बाद राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि यह सिंचाई कमान में बाढ़-सुरक्षा और जल-निकास की व्यवस्था करने के उद्देश्य से परियोजना की फिर से जांच करे। आयोग ने यह भी बताया है कि परियोजना अनुमान चालू बाजार-भावों और राज्य के कृषि विभाग की सलाह से तैयार किए गए लाभ-लागत अनुपात के आधार पर स्टेण्डर्ड फर्म में तैयार किये जाने चाहिए। राज्य सरकार से संशोधित परियोजना रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता संवैधानिक मुद्दों तक सीमित करने का प्रस्ताव

854. **श्रमती मोहिसिना किदवई : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वह इस पक्ष में हैं कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता केवल संवैधानिक मुद्दों तक ही सीमित रखी जाए और मामलों को शीघ्र निपटाने तथा बकाया पड़े मामलों को निपटाने की दृष्टि से नैमी मामलों के लिए अपील न्यायालय स्थापित किए जाएं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कुछ रचनात्मक और व्यावहारिक कदम उठाने के प्रस्ताव हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क)और (ख) न्यायिक सुधार के लिए स्कीमें बनाते समय इस सुझाव को ध्यान में रखा जाएगा कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता केवल संवैधानिक मुद्दों तक सीमित होनी चाहिए।

राज्य बिजली बोर्डों के संसाधनों के आधार को सुदृढ़ बनाया जाना

855. **श्री ओखर फर्नाडीस : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य बिजली बोर्डों के संसाधनों के आधार को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री :

(क) और (ख) बिजली बोर्डों के साधनों के आधार को सुदृढ़ बनाने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव इस समय भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि राज्य बिजली बोर्डों के साधनों

के आधार को सुदृढ़ बनाने तथा उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा चुके हैं। विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 को 1978 में संशोधित किया गया था ताकि राज्य बिजली बोर्ड सुदृढ़ वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर कार्य कर सकें और अपनी वित्तीय जीवन-क्षमता में सुधार कर सकें। संशोधन के परिणामस्वरूप राज्य सरकारें, यदि चाहें तो, राज्य बिजली बोर्डों के लिए निधि की व्यवस्था ईक्विटी के रूप में कर सकती हैं। इस संशोधन से राज्य सरकारें ऐसे अधिशेष का भी विशेष रूप से उल्लेख कर सकती हैं जो संबंधित बिजली बोर्डों द्वारा अपने सभी खर्चे पूरे करने के बाद अर्जित किया जाना चाहिए।

फिल्मों की सेंसर में उदारता बरतने का प्रस्ताव

856. **श्री सी० टी० दंडपाणि : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है कि जहाँ तक सेक्स का संबंध है, फिल्मों के सेंसर को समाप्त कर दिया जाये या उसमें उदारता बरती जाये, जैसा कि उन्होंने बम्बई में अपने प्रेस वक्तव्य में इशारा किया था : और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) बम्बई में मैंने सेक्स के सम्बन्ध में फिल्मों के सेंसर में उदारता बरतने के बारे में नहीं बोला था। इसके विपरीत मैंने यह कहा था कि हमारी फिल्मों में सेक्स के अशिष्टकरण और हिंसा को अनुचित समझना चाहिए और ऐसे दृश्यों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए ताकि फिल्मों का युवकों और सम्पूर्ण समाज पर स्वस्थ प्रभाव पड़ सके।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तापीय विद्युत संयंत्रों और भाखड़ा ग्रिड से दिल्ली में विद्युत की उपलब्धता

857. **श्री धर्मदास शास्त्री : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के सप्ताह में विद्युत की सप्लाई की स्थिति बिगड़ गई है ;

(ख) यदि हां तो दिल्ली में उसके विद्युत संयंत्रों और भाखड़ा ग्रिड से एक फरवरी से आगे प्रतिदिन कितनी विद्युत उपलब्ध हो रही है ?

(ग) विद्युत की उपलब्धता में निरन्तर गिरावट के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने ऐसे स्तर तक विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है जिससे दिल्ली की आन्तरिक तथा औद्योगिक मांग को पूरा किया जा सके ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी :

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री : (क) जी नहीं। तथापि, कई उत्पादन यूनिटों की

जवरन बंदी की स्थितियों में कभी-कभी लोड शैडिंग का सहारा लेना पड़ता है।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

500 मेगावाट और 1000 मेगावाट के तापीय बिजली एककों की स्थापना

858. **श्री नीरेन घोष : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी 15 वर्षों में किन-किन स्थानों पर 500 मेगावाट और 1000 मेगावाट के तापीय बिजली एककों की स्थापना की जाएगी ; और

(ख) क्या इन सेटों का आयात करने का विचार है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी :

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री : (क) निम्नलिखित स्थलों पर 500 मेगावाट की ताप विद्युत यूनिटें प्रतिष्ठापित करने की स्वीकृति दी गई है :

स्कीम का नाम	500 मेगावाट की स्वीकृत यूनिटों की संख्या	चालू करने का निर्धारित कार्यक्रम
1. ट्राम्बे ताप विद्युत केन्द्र (महाराष्ट्र)	1	1982-83
2. सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र (उत्तरी क्षेत्र)	2	यूनिट-एक 1985-86 यूनिट-दो 1986-87
3. कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र (पश्चिमी क्षेत्र)	1	1986-87
4. रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र (दक्षिणी क्षेत्र)	1	1986-87

कई अन्य स्थलों पर 500 मेगावाट की यूनिटें प्रतिष्ठापित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और जिस समय-सूची में ये यूनिटें राज्य/क्षेत्रीय ग्रिडों में उपयुक्त होंगी वह समय-सूची अभी सुनिश्चित की जानी है। 1,000 मेगावाट की यूनिटों प्रतिष्ठापना का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) 500 मेगावाट की विद्युत उत्पादन यूनिटों के आयात का कोई सामान्य प्रस्ताव नहीं है। स्वदेशी निर्माताओं की सामर्थ्य, परियोजना के लिए वित्त संबंधी व्यवस्था आदि को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक विद्युत परियोजना की आवश्यकताओं के बारे में विचार किया जाता है। जहां तक ट्राम्बे विद्युत केन्द्र का संबंध है, टर्बो-जेनरेटर यूनिट का आयात भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड के माध्यम से फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी में उनके सहयोगियों से आयात किया जा रहा है तथा बायलर स्वदेश से प्राप्त किए जा रहे हैं।

नामागुंडम वृहत् तापीय परियोजना

859. **श्री के० राममूर्ति : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामागुंडम वृहत् तापीय परियोजना के बारे में अत्यधिक अनिश्चितता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य बिजली बोर्डों के संसाधनों के आधार को सुदृढ़ बनाया जाना

855. **श्री ओखर फर्नान्डीस : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी० वी० लिंक को 1981 तक देशव्यापी बनाये जाने की योजना है जिससे देश के प्रत्येक भाग के टेलीविजन दर्शक किसी भी टेलीविजन केन्द्र से प्रसारित किये जाने वाले किसी भी कार्यक्रम को देख सकें ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और योजना पर कुल कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) क्या राष्ट्रीय योजना में इसके लिए आवश्यक प्रावधान कर लिया गया है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) :

(क) से (ग) : माननीय सदस्य महोदय अनुमानतः भारतीय उपग्रह "इनसेट 1" के प्रस्तावों, जो कि समस्त देश के लिए दो दूरदर्शन कार्यक्रमों को साथ-साथ प्रसारित करने की क्षमता रखेगा, के उपयोग के बारे में उल्लेख कर रहे हैं । आशा है कि यह उपग्रह 1981 में काम करना शुरू कर देगा । उपग्रह के धरातलीय खंड के दूरदर्शन के उपयोग के लिए एक योजना तैयार कर ली गई है जिसको इंजीनियरिंग संबंधी पहलुओं को प्रथम चरण में लागत 46.73 करोड़ रुपए के लगभग है । इस योजना का विस्तृत ब्यौरा विवरण में दिया गया है । इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के विकास और विस्तार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम संबंधी पहलुओं को तैयार किया जा रहा है । इस योजना को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया है । यह भी बताना है कि दिल्ली, बम्बई, मद्रास, लखनऊ कलकत्ता जलन्धर और श्रीनगर दूरदर्शन केन्द्रों को माइक्रोवेव लिंक द्वारा जोड़ने के लिए कदम उठाए गए हैं । इनमें से मद्रास-बम्बई में यह लिंक पहले ही प्राप्त है और जब कभी भी आवश्यकता पड़ने पर दूरदर्शन द्वारा उपयोग किया जा रहा है । 1980-81 की अवधि में दूसरे लिंक चरणों में, उपलब्ध होने की संभावना है । जब इन केन्द्रों को जोड़ लिया जायेगा तब एक केन्द्र द्वारा इनमें से किसी अन्य केन्द्र के कार्यक्रमों को भी प्रसारित करना संभव होगा ।

इनसेट-1 के सीमित उपयोग की योजना

	लागत का उद्धरण	पूंजीगत लागत (करोड़ रुपयों में)	प्रतिवर्ष आने वाली लागत (करोड़ रुपयों में)
1.	1981 तक अधिकतम स्थिति के लिए (परिशिष्ट-1 के अनुसार कार्यान्वयन का प्रारम्भिक चरण)	6.45	0.415
2.	जयपुर, अहमदाबाद, शिलांग और पटना के भू-केन्द्रों के उत्थान की सुविधाओं की व्यवस्था	2.00	0.20
3.	शिलांग, गोहाटी, राजकोट और नागपुर में कार्यक्रम बनाने हेतु केन्द्र	12·00	1.40
4.	मुजफ्फरपुर से पटना भू-केन्द्र तक, राजकोट से अहमदाबाद भू-केन्द्र तक, गुलवर्गा से हैदराबाद भू-केन्द्र तक, नागपुर से बम्बई और गोहाटी से शिलांग तक के लिए माइक्रोवेव लिंक		0.50
5.	एस-बैन्ड रिले रिसीवर सहित कवरेज के विस्तार के लिए उपग्रह पुनर्प्रसारण ट्रांसमीटर		
	(क) गोरखपुर, विशाखापत्तनम्, बड़ौदा, मैसूर, नागपुर, गंजम और जबलपुर में 10 कि० वा० के ट्रांसमीटर (7, प्रत्येक के लिए 164 लाख)	11.48	0.70
	(ख) गोहाटी और डिब्रूगढ़ में एक कि० वा० के ट्रांसमोटर (2-प्रत्येक के लिए 64 लाख)	1.28	—
6.	अहमदाबाद बंगलौर और त्रिवेन्द्रम के लिए एस-बेंड रिसवीर (6)	0.12	—
7.	डायरेक्ट रिसेप्शन कम्युनिटी टी० वी० सेट (प्रत्येक 1000 सेट 7 क्षेत्रों के लिए	7.00	—

	(7000) सैटों की देखभाल का कार्य संबंधित राज्यों द्वारा किया जाएगा)		
8.	वी० एच० एक कम्युनिटी सैट-700 (सैटों की देखभाल का कार्य संबंधित राज्यों द्वारा किया जाएगा)	3.15	—
9.	अतिरिक्त मोबाइल रिकार्डिंग यूनिट (7 क्षेत्रों के लिए प्रत्येक के लिए 2) (14 सैट)	2.10	0.21
10.	स्कूल कार्यक्रमों के लिए सुवाह्य वी० टी० आर० (प्रत्येक के लिए 2, 7 क्षेत्रों के लिए) (14 सैट)	0.35	0.035
11.	स्थापना हेतु स्टाफ और क्षेत्रीय व्यवस्था	0.80	0.08
12.	अनुसन्धान और मूल्यांकन स्टूडियोज	—	0.20
	कुल	46.73	3.740

या 47.00 करोड़ रुपए 3·7 करोड़ रुपए

दूरदर्शन सुविधाओं का विस्तार

*861. **श्री बापूसाहिब परुलेकर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार का विचार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन सुविधा प्रदान करने का है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिमी महाराष्ट्र में विशेषत: सांगली, कोल्हापुर तथा रत्नागिरी जिलों में तथा गोआ में लोगों को दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं है? और

(ग) क्या सरकार कोल्हापुर जिला, महाराष्ट्र में पन्हाला के स्थान पर एक दूरदर्शन टावर लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि पश्चिम महाराष्ट्र और गोआ में लोगों को दूरदर्शन सुविधा उपलब्ध हो सके ?

उत्तर

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) नए दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि (1978-83) में निम्नलिखित स्वीकृत प्रस्तावों को चालू योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित/आरम्भ करने की संभावना है :—

पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र :

1. अहमदावाद, 2. बंगलौर, 3. त्रिवेन्द्रम, 4. जयपुर ।

दूरदर्शन प्रेषण केन्द्र :

1. अजमेर, 2. कटक, 3. पणजी, 4. जम्मू, 5. मदुरै, 6. मुर्शीदावाद, 7. विजयवाड़ा, 8. वाराणसी, 9. आसनसोल 10. कसौली ।

कार्यक्रम बनाने वाले केन्द्र :

1. गुलवर्गा 2. मुजफ्फरपुर 3. रायपुर ।

जब ये केन्द्र स्थापित हो जाएंगे तब ग्रामीण क्षेत्रों को दूरदर्शन द्वारा पर्याप्त रूप से कवर किया जा सकेगा ।

(ख) और (ग) : एक पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र बम्बई में और एक प्रेषण केन्द्र पुणे में पहले से ही कार्य कर रहे हैं । चालू योजना की अवधि (1978-83) के दौरान पणजी में 150 मीटर ऊँचे टावर के साथ 10 किलोवाट का दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है जो 3.91 लाख शहरी और 14·95 लाख ग्रामीण जनसंख्या वाले 10,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर करेगा । अम्बाला में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

टिप्पणी : जलन्धर में एक पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र निर्माणाधीन है । इसके अन्तरिम ढांचे को 13 अप्रैल, 1979 को चालू कर दिया गया है ।

छठी योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उड़ीसा की सिफारिशें

*862. **श्री अर्जुन सेठी : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में उड़ीसा सरकार द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में ब्यौरा देने की स्थिति में है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें से उड़ीसा राज्य से सम्बन्धित कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और उड़ीसा राज्य की प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितना काम हो चुका है और उस पर कितनी लागत आई है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० गनी खान चौधरी) : (क) 1978-83 की छठी योजना अवधि के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों के अनुसार 170 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से 11,050 गांवों का विद्युतीकरण करने और एक लाख पम्पसेटों/ट्यूबवैलों का ऊर्जन करने की परिकल्पना की गई है । राज्य के सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 58.30 करोड़ रुपए की राशि ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा की जाने वाली वित्त व्यवस्था से 73. 81 करोड़ रुपए की राशि तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 37. 89 करोड़ रुपए की राशि उक्त परिव्यय में शामिल है । तथापि छठी योजना के प्रारूप में 55 करोड़ रुपए की व्यवस्था है । इसमें 20 करोड़ रुपए सामान्य विकास कार्यक्रम, 15 करोड़ रुपए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा की जाने वाली वित्त व्यवस्था से और 20 करोड़ रुपए संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान अर्थात् 1978-79 तथा 1979-80(29 फरवरी, 1980 तक)निगम ने उड़ीसा की 26.80 करोड़ रुपए की कुल ऋण सहायता की 78 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को स्वीकृति दी है। पूरा हो जाने पर इन स्कीमों में 6450 गांवों के विद्युतीकरण की तथा 11529 कृषि पम्पसेटों के ऊर्जन की परिकल्पना है। स्वीकृत ऋण निर्माण कार्यक्रम के सोपानों तथा प्रत्येक स्कीम में प्राप्त वास्तविक प्रगति के आधार पर किस्तों में मुहैया किया जाता है। उपरोक्त अवधि के दौरान उड़ीसा के लिए स्वीकृत स्कीमों के लिए निगम ने 7.62 करोड़ रुपए की राशि के ऋण की किस्तें वितरित की हैं। इन स्कीमों का कार्यान्वयन राज्य बिजली बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान निगम द्वारा स्वीकृत की गई 78 स्कीमों में से प्रत्येक की लागत विवरण में दी गई है।

विवरण

उड़ीसा में वर्ष 1978-79 और 1979-80(29-2-80 तक) के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के संबंध में स्कीमों की लागत और स्वीकृत ऋण की राशि को दर्शाने वाला विवरण।

1	2	3	4	5
क्र० सं०	स्कीम का नाम (ब्लाक/तालुका)	जिला	लागत (लाख रु० में)	ऋण (लाख रु० में)
	1978-79			
1.	अस्तरंग	पुरी	29. 565	26.668
2.	कंठपाडा	कटक	14.636	12.752
3.	डूंगरापाली	बोलनगीर	34.522	32.175
4.	ठाकुरगढ़	धेनकनाल	27.142	25.885
5.	तंगीचौदर	कटक	24.156	21.749
6.	खेरा	कालासोर	43.220	36.741
7.	बहानगर	,,	54.020	45.090
8.	नियाली	कटक	23.949	22.025
9.	रैंराखोल	संबलपुर	5.521	5.381
10.	नक्तीद्वेल	,,	7.281	7.116
11.	बिका	बोलनगीर	32.136	29.886
12.	केन्द्रपाडा	कटक	43.205	43.205
13.	निरतल	कटक	46.194	41.442
14.	रसूलपुर	कटक	19.010	18.789
15.	चांदवाली	बालासोर	67.373	64.620

1	2	3	4	4
16.	सुकिंदा	कटक	25.829	24.083
17.	दानागढ़ी	कटक	24.358	19.429
18.	भंजनगर	गंजाम	48.972	13.833
19.	खुर्द	पुरी	49.984	12.523
20.	गंजाम	गंजाम	42.103	11.018
21.	कटक	कटक	49.731	13.729
22.	केन्द्रपाडे	कटक	23.467	7.083
23.	ठाकुरमंडा	मयूरभंज	43.813	40.834
24.	फिरिंगिया	फुलबानी	40.844	39.256
25.	कौरमुंडा	सुन्दरगढ़	23.154	22.782
26.	गुरुंदिया	सुन्दरगढ़	33.402	30.012
27.	हेरंगपुर	मयूरभंज	28.674	26.930
28.	किसोई	मयूरभंज	62.646	57.079
29.	रयागढ़	गंजम	55.959	55.029
30.	सदर झुमपुर	क्योंझर	85.906	78.795
31.	रायगढ़	कौरापुट	57.316	55.653
32.	सहारपाडा	क्योझर	42.214	36.048
33.	बारीपाड़ा	मयूरभंज	24.755	23.261
34.	नवरंगपुर	कोरापुट	58.347	56.461
35.	घाटगांव	क्योझर	65.537	65.972
36.	दरिंगवादी	फुलबानी	68.020	66.902
37.	बेतनाटी	मयूरभंज	34.222	32.208
38.	थुआमल रामपुर	कलाबन्डी	30.711	30.455
39.	जयपटना	कलाबन्डी	54.636	53.019
40.	तिरिंग	मयूरभंज	51.819	50.197
41.	लेकरीपाड़ा	सुन्दरगढ़	31.227	30.662
42.	राजगंगपुर	सुन्दरगढ़	21.948	21.609
43.	सरसबोना	मयूरभंज	63.297	60.849
44.	गोबिन्दपुर	सम्भलपुर	36.655	33.070
45.	कुलियाना	मयूरभंज	55.616	54.020
46.	गोलमुन्डा	कलाबन्डी	11.433	10.812
47.	तेनतुलिखुन्टी	कोरापुट	45.682	44.777
48.	झारीगांव	कोरापुट	81.888	79.747
49.	नारला	कलाबन्डी	57.497	55.926

1	2	3	4	5
	1979-80			
50.	दिगपाहान्डी	गंजाम	49.781	13.080
51.	असका	गंजाम	34.737	9.102
52.	वलियापाल	बालासोर	22.870	7.281
53.	बसुदेवपुर	बालासोर	50.581	15.778
54.	धेनकनाल	धेनकलाल	45.525	11.921
55.	पुरी	पुरी	49.471	13.667
56.	जाजपुर	कटक	63.429	19.183
57.	बस्ता	बालासोर	37.951	11.816
58.	नकतीदुयल	सम्भलपुर	32.775	31.951
59.	बालीअन्ता	पुरी	21.135	19.000
60.	रायरखोल	सम्भलपुर	50.602	48.000
61.	कनिहा	धेनकनाल	43.414	36.957
62.	भुवन	धेनकनाल	22.474	20.640
63.	बहान्गा	बालासोर	55.992	15.688
64.	क्योझर	क्योझर	48.909	12.256
65.	भुवनेश्वर	पुरी	45.679	12.024
66.	भुवनेश्वर	कटक	8.250	4.600
67.	डेराविसी	कटक	17.494	16.557
68.	तेनतुलीखुन्टी	बोलगीर	26.939	25.341
69.	बानपुर	पुरी	34.444	31.299
70.	जतनी	पुरी	13.580	12.535
71.	जोदा	क्योझर	77.762	76.931
72.	लन्जीगढ़	कलाहंडी	66.498	68.348
73.	बौध	फुलबनी	82.882	79.964
74.	खुन्ता	मयूरभंज	70.745	69.868
75.	हरभंगा	फुलबनी	83.645	80.430
76.	उदाला	मयूरभंज	59.464	58.604
77.	मलकनगिरी	कोरापुट	39.806	38.884
78.	मथिली	कोरापुट	75.101	73.723
		जोड़	3387.524	2680.115

आग लगने के कारण सील किये गए जील-गोराह खान के 2 और 7 संख्या के गड्ढों पर काम आरम्भ करने में विलम्ब

863. **श्री ए० के० राय :** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कि बिहार के धनबाद जिले में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अन्तर्गत जीलगोराह खान के 2 और 7 संख्या के गड्ढों को आरंभ करने में अप्रत्याशित विलम्ब हुआ है;

(ख) क्या उक्त बंद खानों के वेल्ट कन्वेयर तथा अन्य बहुत-सी सामग्री और सहायक उपकरण नदारद पाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं। जीलगोरा पिट 2 और 7 को आग के कारण सील कर दिया गया किन्तु उनमें फिर से काम शुरू करने में देर नहीं की गई थी। पूरी तरह खान को फिर से दिनांक 9-1-1980 को खोला गया और खान में कार्य योजना के अनुसार काम 2 अप्रैल, 1980 से चालू हो जाएगा।

(ख) कोई वेल्ट कनवेयर अथवा अन्य कोई सामान खोया नहीं था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्वालियर रेडियो या स्टेशन की क्षमता

864. **श्री कालीचरण शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर रेडियो स्टेशन की क्षमता इतनी सीमित है कि उसके कार्यक्रम पूरे ग्वालियर डिवीजन में भी नहीं सुने जा सकते; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस डिवीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए वहां शीघ्र ही एक अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) शिवपुरी जिले के बड़े भाग और गुना जिले के एक छोटे भाग को छोड़कर, शेष ग्वालियर क्षेत्र को आकाशवाणी केन्द्र, ग्वालियर के 10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर और इन्दौर स्थित 100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर द्वारा कवर किए जाने की उम्मीद है।

(ख) ग्वालियर के वर्तमान 10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर की क्षमता बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, अगली योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय इस सुझाव को ध्यान में रखा जाएगा।

तापीय संयंत्री के लिए कोयले की आवश्यकता

865. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे तापीय संयंत्रों के लिए कोयले की कुल आवश्यकता कितनी है; और

(ख) तापीय संयंत्रों की स्थापना के लिए हमारे कोयले का भंडार कहां तक उपयोग में लाया जा सकता है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी चौधरी) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान कुल आवश्यकता लगभग 46.6 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान है।

(ख) ताप विद्युत संयंत्रों की संभाव्य जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में कोयले के भंडार हैं।

बम्बई और पूना दूरदर्शन केन्द्रों से मराठी कार्यक्रम

866. **श्री० बी० एन० गाडगिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई और पूना दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को केवल 28 प्रतिशन ही मराठी में होता है जब कि इन दो केन्द्रों के अन्तर्गत आने वाली अधिकतर जनसंख्या मराठी-भाषी है; और

(ख) यदि हां तो मराठी कार्यक्रमों की इतनी कम प्रतिशतता के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई से मराठी में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की प्रतिशतता 36% है। (पूना स्थित दूरदर्शन केन्द्र बम्बई दूरदर्शन केन्द्र का रिले केन्द्र है)। दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई बहु-भाषी क्षेत्र में स्थित है, जहां मराठी, गुजराती, हिन्दी और उर्दू बोली व समझी जाती हैं ; किन्तु इस केन्द्र से कार्यक्रमों की उच्चतम प्रतिशतता मराठी में है। अन्य भाषाओं की प्रतिशतता है : गुजराती—10% ; हिन्दी और उर्दू—26% ; अन्य प्रादेशिक भाषाएं और अंग्रेजी—28%।

दूरदर्शन के लिए दूरदर्शन समाचार-चित्र बनाने वाली फ़र्म

867. **डा० वसंत कुमार पंडित : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 8/10 वर्षों से दूरदर्शन के लिए दूरदर्शन समाचार चित्र (टी० वी० एन० एफ०) सिरीज बनाने का कार्य एक ही फर्म द्वारा किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, जो उस फर्म का नाम क्या है और उनके साथ किए गए करार की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत सी अन्य फर्में उसी दर्जे की टी० बी० एन० एफ० फिल्में अधिक सस्ती दरों पर बढ़ा सकती हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार का विचार अन्य फर्मों को भी टी० वी० एन० एफ० बनाने का अवसर देने का है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) दूरदर्शन समाचार चित्र नामक एक फर्म दूरदर्शन के लिए विकास और विज्ञान शृंखलाएं क्रमशः अप्रैल, 1975 और नवम्बर, 1976 से बना रही है। इन दो शृंखलाओं के लिए बनाई गई शर्तें जिसको समय-समय पर बढ़ाया गया है, की एक प्रति संलग्न है। वर्तमान समझौता 31-3-80 तक वैध है।

(ग) तथा (घ) इन शृंखलाओं के निर्माण हेतु खुले बाजार से सार्वजनिक निविदायें मंगवा ली गई हैं। इस कार्य के लिए कई फर्मों के प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं जिन पर दूरदर्शन महानिदेशालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

टी० वी० एन० एफ० डवलपमेंट सीरिज हेतु शर्तों का संक्षिप्त सार जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया है।

(क) प्रारंभ में यह सेवा दिल्ली, बम्बई, श्रीनगर, अमृतसर, कलकत्ता और मद्रास दूरदर्शन केन्द्रों के लिए 6 महीनों के लिए होगी जिसको दूरदर्शन द्वारा 3 महीने का अग्रिम नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

(ख) सेवा जुलाई, 1975 से शुरू होगी जिसका मतलब पहले 6 महीने की अवधि जुलाई, 1975 से दिसम्बर, 1975 तक होगी, अगर दूरदर्शन द्वारा 1.10 1975 को कोई अग्रिम नोटिस नहीं जाता है तो सेवा को दिसम्बर, 1975 तक जारी रखा जा सकता है।

(ग) चंदे के पहले वर्ष के द्वितीय 6 महीने की अवधि 1 जनवरी, 1976 से शुरू होगी और 30 जून, 1976 को समाप्त होगी। यदि 10. 10. 75 को समाप्ति का कोई नोटिस नहीं दिया जाता है तो सेवा द्वितीय 6 महीनों की अवधि के लिए जारी रहेगी किन्तु दूरदर्शन को समाप्ति के लिए 1.4.76 को 3 महीने का अग्रिम नोटिस देने का अधिकार बना रहेगा।

(घ) सेवा के प्रथम वर्ष के अन्त में, जो 6 महीने की 2 अवधियों में विभाजित होगी जैसा कि ऊपर ब्यौरा दिया गया है, दूसरे वर्ष के लिए सेवा भी अपने आप ही जारी रहेगी अगर 1.4.75 को समाप्ति का कोई नोटिस नहीं दिया गया जो कि जुलाई, 75 में शुरू हुई सेवा के 9 महीने बाद होगा।

(ङ) सेवा के दूसरे वर्ष में प्रवेश करने की स्थिति में जो कि 1.7.76 से 30.6.77 तक होगी, दूरदर्शन को 4 महीने का अग्रिम नोटिस देकर समाप्त करने का अधिकार होगा। चंदे और छपाई की लागत सहित निम्नलिखित अदायगी शामिल है :

केन्द्र	वर्ष का अंशदान	6 महीने का अंशदान
दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र	4 लाख रुपए	2 लाख रुपए
बम्बई ,, ,,	25,000/-रु०	12,500/-रु०
श्रीनगर ,, ,,	25,000/-रु०	12,500/-रु०

केन्द्र	वर्ष का अंशदान	6 महीने का अंशदान
अमृतसर ,, ,,	25।000/-रु०	12-500/-रु०
कलकत्ता ,, ,,	25,000/-रु०	12,500/-रु०
मद्रास ,, ,,	25,000/-रु०	12,500/-रु०
लखनऊ ,, ,,	25,000/-रु०	12,500/-रु०

चंदे की अवधि पर निर्भर कर संबंधित दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा समान मासिक किस्तों में अदायगी की गई।

उपरोक्त सूची के अनुसार अदायगी हेतु टी० वी० एन० एफ० की दूरदर्शन की सेवाएं निम्नलिखित होंगी :

1. अखिल भारतीय स्तर पर विकास कहानियां
2. यह पाक्षिक फिल्म सेवा होगी।
3. प्रत्येक फिल्म केपसूल 15 मिनट से कम की अवधि का नहीं होगा।
4. प्रत्येक फिल्म केपसूल 4-7 मिनट स्वत: स्पष्ट फिल्म कहानियों से बनी होगी और संख्याओं में 3 से कम नहीं होगा।
5. प्रत्येक केपसूल प्रयोग हेतु तैयार सम्पादित प्रिंटस के उपयोग तथा एक विशेष कहानी केपसूल को सारे प्रसारण की अवधि में उपयोग हेतु दूरदर्शन केन्द्रों में पहुंचने चाहिए।
6. प्रत्येक कहानी अच्छी तरह से रिकार्ड की हुई होगी। जिसके साथ स्क्रिप्टिड कमेंटरी अंग्रेजी में होगी ताकि दूरदर्शन केन्द्र स्थानीय भाषा में कार्यक्रमों को आसानी से प्रसारित कर सके।
7. 1/4'' मोटी ध्वनि पटी के साथ जहां आवश्यक होगा वहां प्रत्येक केन्द्र 16 मि० मी० साइलेंट प्रिंट प्राप्त करेगा।
8. टी० वी० एन० एफ० दूरदर्शन को एक वर्ष की अवधि में अच्छी तरह सम्पादित और स्क्रिप्टिड फिल्म सामग्री जो कि 14000 फुट से कम नहीं होगा, प्रदान करेगा। दूरदर्शन केन्द्र को मासिक अदायगी करने में सक्षम बनाने हेतु इसको उस अवधि में कम से कम 30 मिनट की फिल्म (1166 फीट) प्रदान करनी होगी।
9. बाहरी दूरदर्शन केन्द्रों को आपूर्ति हवाई जहाज द्वारा की जायेगी।
10. दूरदर्शन को अधिकार होगा कि वह अपने तंत्र के अतिरिक्त ऐसी सामग्री का प्रयोग कर सकता है जो इसके अन्य प्रसारण संस्थाओं के साथ विनिमय कार्यक्रमों का भाग हो।

समय-समय पर बढ़ायी गयी विज्ञान शृंखलाओं के लिए नियम और शर्तें

सेवा का कार्य क्षेत्र :

यह समस्त भारत को कवरेज देने हेतु पाक्षिक सेवा होगी जो कि आम आदमी की सेवा में विज्ञान और तकनीकी जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लाभ को बढ़ाने के लिए उपयुक्त होगी। विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से देश में आत्म-निर्भरता के उद्देश्य की प्राप्ति को भी कार्यक्रमों द्वारा विशिष्टता प्रदान की जायेगी। प्रत्येक कार्यक्रम में गहराई से अध्ययन किए एक विषय को लेकर एक दूरदर्शन कमंट्री तैयार होती है।

2. प्रत्येक पाक्षिक कार्यक्रम की अवधि 15 मिनट अर्थात 16 मि० मी० की सादी फिल्मों में कम से कम 575 फीट से कम नहीं होगी। अनुमान है कि कार्यक्रम कभी-कभी 20 मिनट की अवधि का होगा किन्तु दूरदर्शन यह ध्यान रखेगा कि अतिरिक्त फुटमान के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा। अतिरिक्त फुटेज के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। दूरदर्शन केन्द्र की जांच और प्रमाण करने के लिए प्रत्येक कायंक्रम के लिए फिल्म की लम्बाई अंकित की जायेगी।

(3) **कार्यक्रमों की आपूर्ति :**

नवम्बर, 1976 से प्रारम्भ प्रत्येक कार्यक्रम को हवाई जहाज द्वारा पहुंचाया जायेगा ताकि यह दूरदर्शन केन्द्रों में प्रत्येक महीने की पहली या पन्द्रहवीं तारीख तक पहुंच जाये। प्रत्येक कार्यक्रम को 1/4" ध्वनि पट्टी सहित 15 मि० मि० साइलेंट प्रिण्ट के साथ था दिया जायेगा। यह ध्यान दिया गया है कि टी० वी० एन० एफ० निकट भविष्य में आवश्यक सिने मार्क सहित 16 मि० मि० छिद्रत टेप की ध्वनि पट्टी को वितरित करने की स्थिति में होगा।

(4) **कार्यक्रमों की योजना और निर्माण :**

कार्यक्रमों के विषयों और उद्देश्यों को दूरदर्शन महानिदेशक की सलाह से अन्तिम रूप दिया जाएगा। आकाशवाणी महानिदेशालय का एक प्रतिनिधि रफ कट अवस्था में कार्यक्रमों को देखेगा। दूरदर्शन के प्रतिनिधि द्वारा जो सुझावों और संशोधनों का टी० वी० एन० एफ० अन्तिम प्रिण्ट तैयार करते समय उनका ध्यान रखेगा, कार्रवाई की जाएगी। यदि दूरदर्शन के सुझावों का पालन नहीं किया गया तो दूरदर्शन को किसी विशेष कार्यक्रम को रद्द करने और इसकी अदायगी न करने का अधिकार होगा।

(5) **फिनिश्ड कार्यक्रमों की समीक्षा :**

फिनिश्ड कार्यक्रमों की तकनीकी विशेषताओं के लिए टी० वी० एन० एफ० द्वारा हर संभव सावधानी का बरतना सुनिश्चित करेगा। महानिदेशालय द्वारा इस पहलू की समीक्षा की जायेगी और टी० वी० एन० एफ० को दूरदर्शन की प्रतिक्रिया के बारे में सूचित कर दिया जायेगा।

(6) **सेवा की अवधि तथा नोटिस अवधि :**

प्रारम्भ में दूरदर्शन नवम्बर, 1976 से शुरू होने वाली और 31 अक्तूबर, 1977 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की सेवा के लिए सहमत है। तथापि, यदि आवश्यक समझा गया तो उस अवधि में सेवा को तीन महीने का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

(7) **राजस्व अदायगियां :**

राजस्व अदायगियां निम्नलिखित रूप से होंगी ।

निम्न गणनाओं के आधार पर है किन्तु प्रत्येक दूरदर्शन केन्द्र द्वारा अदायगी, जैसे कि नीचे अंकित है, समान मासिक आधार पर होगी ।

केन्द्र	वार्षिक आधार पर राजस्व अदायगी (समान मासिक किस्त के आधार पर टूटने वाली)	कैफियत
दिल्ली	2,16,000 रु०	यह अदायगी प्रारम्भिक सेवा और और पहले प्रिण्ट के लिए होगी
बम्बई अमृतसर श्रीनगर, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ	25,000 प्रत्येक केन्द्र	यह अदायगी प्रत्येक अतिरिक्त प्रिण्ट के लिए होगी ।

नोट : प्रत्येक केन्द्र के लिए प्रिण्टों के वितरण का अनुपात एक महीने में 2 होगा अर्थात, एक साल में कुल 24

(8) **प्रसारण के अधिकार :**

उनके बाह्य विनिमय उद्देश्यों के उपयोग सहित दूरदर्शन को कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रसारण का अधिकार होगा । साइट के चल रहे नेट वर्क पर कार्यक्रमों के उपयोग के लिए भी कोई अतिरिक्त अदायगी नहीं की जायेगी ।

नोट : मूल करार के अनुसार दोनों श्रृंखलाओं के लिए अदायगी एक साल में 9,16,000/- रु० थी । कोष में निरन्तर उच्च कीमत की मांग के लिए एक लागत समिति की नियुक्ति की गयी थी जिसने एक साल में 70,810/- रु० की बढ़त की सिफारिस की ।

चुनावों के दौरान समाचार-पत्रों पर प्रबन्धकों का प्रभाव

868. **श्री चन्द्र भान आठरे पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि लोक सभा के लिए पिछले चुनावों के समय कई समाचार पत्रों के प्रबन्धकों ने इस विषय के निर्देश जारी किये थे कि प्रकाशित किये जाने वाले समाचारों का स्वरूप कैसा होना चाहिए तथा यह भी कि किस प्रकार के समाचारों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए ताकि समाचार वास्तविक तथ्यों के रूप में प्रकाशित होने की बजाय प्रबन्धकों की इच्छाओं के अनुरूप छप सकें ; और

(ख) यदि हां तो इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण समाचारों के प्रकाशन को रोकने के लिए

सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) : सरकार के पास कोई सूचना नहीं है कि लोक सभा के अन्तिम चुनावों के समय जैसा कि आरोप लगाया गया है प्रबंधकों ने कई समाचार पत्रों को ऐसे अनुदेश जारी किए थे या नहीं। मामले पर विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता है और इसको प्रेस आयोग के संशोधित निर्देश पदों में शामिल करने के प्रश्न पर यथोचित विचार किया जायेगा।

गुजरात में तापीय विजली घर को कोयला की सप्लाई में कमी

869. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978-79 के दौरान गुजरात में प्रत्येक तापीय बिजली घर की कोयले की मांग का ब्यौरा क्या है और महीनेवार कोयले की सप्लाई का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : वर्ष 1978-79 के दौरान गुजरात में ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले का आबंटन और वास्तविक प्राप्तियां दर्शाने वाला विवरण पृष्ठ 46 पर संलग्न है।

रविवार को निर्वाचन का कराया जाना

870, **श्री पी० जे० कुरियन** :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में लोग सभा निर्वाचनो के लिए 6 जनवरी, 1980 को हुए मतदान में दिए गए मतों का प्रतिशत केरल विधान सभा के लिए 21 जनवरी, 1980 को हुए मतदान में दिए गए मतों से कम था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह इस तथ्य के कारण हुआ कि लोक सभा के लिए निर्वाचन रविवार (6 जनवरी, 1980) को हुआ था ;

(ग) क्या सरकार रविवार को निर्वाचन कराए जाने के विरुद्ध लोगों द्वारा और विशेष रूप से अल्प संख्यक समुदाय के लोगों द्वारा व्यक्त की गई तीव्र भावनाओं की जानकारी है; और

(घ) क्या सरकार का ऐसे कदम उठाने का विचार है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में कोई भी निर्वाचन रविवार को न किए जाएं ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) केरल राज्य के 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में, जहाँ मतदान 21 जनवरी, 1980 को हुआ था, डाले गए मतों की प्रतिशतता 72.74 प्रतिशत थी जबकि 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में, जहां मतदान 6 जनवरी, 1980 को हुआ था, प्रतिशतता 62.15 प्रतिशत थी।

विवरण

वर्ष 1978-79 के दौरान गुजरात में बृहत ताप विद्युत केन्द्रों को आबंटन और वास्तविक प्राप्तियां दर्शाने वाला विवरण ।

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

ताप विद्युत केन्द्र का नाम		4/78	5/78	6/78	7/78	8/78	9/78	10/78	11/78	12/78	1/79	2/79	3/79	जोड़
अहमदाबाद	आ	80	80	80	85	90	90	100	100	110	100	110	110	1145
	प्रा	80	71	71	76	66	82	69	71	76	74	75	80	891
धुवारण	आ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	णून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रा	5	शून्य	शून्य	5	1	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	13
गांधीनगर	आ	60	60	60	50	50	50	40	50	50	50	65	65	650
	प्रा	45	25	26	25	34	17	30	35	44	50	62	46	439
उकई	आ	60	65	65	55	55	55	60	60	60	65	65	65	730
	प्रा	45	27	29	36	38	24	34	38	36	47	27	50	431
जोड़	आ	200	205	205	190	195	195	200	220	220	215	240	240	2525
	प्रा	175	123	126	142	139	125	133	144	156	171	164	176	1774

आ—आबंटन

प्रा—प्राप्ति

(ख) संसदीय निर्वाचनों में मतदान की अपेक्षाकृत कम प्रतिशतता के कारणों का निर्वाचन आयोग ने अभी तक पता नहीं लगाया है।

(ग) केरल के कुछ अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग में लोकसभा के पिछले साधारण निर्वाचन के समय प्राप्त हुए थे जो रविवार, 6 जनवरी, 1980 को मतदान की तारीख नियत किए जाने के विरुद्ध थे और उनका आधार यह था कि रविवार का दिन ईसाइयों के लिए आराधना का दिन होता है।

(घ) निर्वाचन आयोग की राय है कि ऐसा कोई स्पष्ट आश्वासन देना सम्भव नहीं होगा कि भविष्य में मतदान की तारीख रविवार को नियत नहीं की जाएगी किन्तु यह कि वह रविवार के दिन मतदान की तारीख नियत किए जाने के विरुद्ध जो सुझाव दिया गया है उसे ध्यान में रखेगा।

विद्युत उत्पादन और वितरण को केन्द्रीय विषय बनाने का प्रस्ताव

871. **श्री के० ए० राजन : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला और मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली और उत्पादन वितरण को केन्द्रीय विषय बनाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री श्री ए० बी० ए० गनी खान चोधरी : (क) और (ख) : संविधान के अन्तर्गत बिजली समवर्ती सूची का एक विषय है और बिजली के उत्पादन और वितरण को पूर्णत: केन्द्रीय विषय बनाने का कोई प्रस्ताव इस समय नहीं है। तथापि, आर्थिक विकास के लिए बिजली की मांग को पूरा करने के लिए विद्युत क्षेत्र का विकास सर्वाधिक इष्टतम ढंग से करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विद्युत सप्लाई उद्योग के ढाँचे की समीक्षा समय-समय पर की जाती है। यह आवश्यक समझा गया है कि केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत उत्पादन में अभिवृद्धि की जाए तथा अर्थ-व्यवस्था का तेजी से विकास करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण के लिए सहायता बढ़ाई जाए।

असम में मतदाता सूची तैयार करना

872. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम में मतदाता सूची तैयार करने के बारे में स्थिति बहुत खराब है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि बंगलादेश से आए निष्क्रांत व्यक्तियों को भारत का नागरिक मानने के लिए समय सीमा 25 मार्च, 1971 की तारीख रखी

जाए और यह कि जिन लोगों के नाम 1971 और 1977 में असम की मतदाता सूची में थे वे अब मतदाता के रूप में अपने नाम दर्ज करा सकते हैं; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि ऐसे सभी नामों को मतदाता सूची में वास्तव में सम्मिलित किया जाए ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) असम में 1979 के उत्तरार्ध से एक लम्बे समय का आन्दोलन चल रहा है । यह आन्दोलन आरम्भ में निर्वाचक नामावलियों से विदेशी राज्यों के राष्ट्रिकों के नाम निकाले जाने के लिए था, फिर यह उन निर्वाचनों को स्थगित करने के लिए हुआ जो जनवरी, 1980 के प्रथम सप्ताह में होने वाले थे और उसके बाद यह विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें देश से बाहर भेजने के लिए हुआ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान की लूनी सुदड़ी और जीपड़ी नदियों की बाढ़ का प्रभाव

873. **श्री विर्धी चन्द जैन क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में लूनी, सुदड़ी और जीजनी नदियों की बाढ़ से कौन-से क्षेत्र प्रभावित होते हैं;

(ख) इस वर्ष कौन से क्षेत्रों पर कितना प्रभाव पड़ा है तथा किस किस्म की हानि हुई है और जान व माल की कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने के लिए कोई स्थायी योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस योजना के लिए केन्द्र ने इस वर्ष कितना धन दिया है और अगले वर्ष कितना धन दिया जाएगा ; और

(ङ) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए०बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) इस वर्ष जोधपुर, अजमेर, नागपुर, पाली, जालोर और बाड़मेट जिलों के क्षेत्र प्रभावित हुए थे । जो हानि हुई उसके अनुरूप और यात्रा की जानकारी विवरण में दी गई है ।

(ग) से (ङ) राज्य में वेसिन में बाढ़ों से प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने के लिए एक मास्टर योजना तैयार करने के वास्ते राज्य सरकार ने अन्वेषण और सर्वेक्षण कार्य हाथ में लिए हैं । राज्य सरकार द्वारा बाद सुरक्षा की स्थाई स्कीम इसके बाद तैयार की जाएगी ।

विवरण

राजस्थान में बाढ़ों से हुई हानि का स्वरूप और मात्रा

1. प्रभावित क्षेत्र	5.7 लाख हेक्टेअर
2. प्रभावित जनसंख्या	11.2 लाख
3. फसली क्षेत्र को क्षति	1.8 लाख हेक्टेअर
4. क्षतिग्रस्त फसल का मूल्य	2362.9 लाख रुपये
5. क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	93.620
6. क्षतिग्रस्त मकानों की कीमत	4700 लाख रुपये
7. मृत पशु	1, 13,842
8. मृत व्यक्ति	478
9. सरकारी सम्पत्ति और सुविधाओं को क्षति	2994.1 लाख रुपये

घुमसार-कोइलवार तटबंध का निर्माण

874. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घुमसार कोइलवार तटबंध का शीघ्र निर्माण करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) : 35.67 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली बक्सर-कोइलवार स्कीम का क्रियान्वयन बिहार सरकार द्वारा 1973-74 से चरणबद्ध रूप में किया जा रहा है और इसके 1979-80 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा थी। इस स्कीम में गंगा, सोन, गंगी (पश्चिमी) और गंगी (पूर्व) नदियों के तटों पर कुल 165 किलोमीटर लम्बे तटबंधों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। धन की कमी के कारण, जो 1975 की बाढ़ों के बाद पटना बाढ़ सुरक्षा कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने की आवश्यकता के कारण और भी बढ़ गई थी, राज्य सरकार द्वारा इस स्कीम पर अब तक कुल लगभग 7.75 करोड़ रुपया ही खर्च किया गया है। इस स्कीम के लिए 1980-81 के लिए 3 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

बागमती परियोजना के लिए योजना

875. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तिम रूप दिए जाने के लिए बागमती परियोजना की योजना अनेक वर्षों से भारत सरकार के पास लम्बित पड़ी है।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या योजना को अन्तिम रूप देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री(श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) बागमती बाढ़ नियंत्रण परियोजना और बागमती सिंचाई परियोजना शुरू में क्रमश: 1960 और 1970 में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई थीं। बागमती नदी के मार्ग के बदल जाने के परिणामस्वरूप सिंचाई परियोजना में संशोधन किया गया था। इसके बाद दोनों परियोजनाओं की अनुमानित लागतों में भी संशोधन किया गया। संशोधित परियोजनाओं की जांच के बाद, राज्य सरकार के साथ सलाह करके और तकनीकी कारणों को ध्यान में रखने के पश्चात् राज्य सरकार को अगस्त, 1979 में सलाह दी गई थी कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को एक बहुद्देश्यीय परियोजना के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए ताकि सिंचाई बाढ़ नियंत्रण तथा जल-विकास के संघटकों को इसके अन्तर्गत लाया जा सके। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 25-2-80 को राज्य सरकार से प्राप्त एकीकृत बागमती परियोजना की जाँच की जा रही है।

(ग) जी, नहीं। परियोजना की जांच के बाद यह प्रस्ताव है कि अनिर्णीत मामलों, यदि कोई हों, को तय करने के लिए राज्य सरकार के इंजीनियरों के साथ विचार-विमर्श किया जाए ताकि परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्राप्त हो सके।

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिजली

876. **श्री आर० पी० यादव क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए दो मुख्य बुनियादी आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता बिजली की है ;

(ख) क्या बिहार में इसका अभाव है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कर रही है कि इन सभी गांवों को बिजली उपलब्ध हो जाए ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री : श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। 31-10-1979 की स्थिति के अनुसार, बिहार में ग्राम विद्युतीकरण में 28.5 प्रतिशत का लक्ष्य ही प्राप्त किया है जबकि इसकी तुलना में देश में प्राप्त यह लक्ष्य 41,4 प्रतिशत है।

(ग) बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने लगभग 497,00 करोड़ रुपये तक की धनराशि से 1994-95 तक ग्राम विद्युतीकरण में 100 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार किए हैं। तथापि, इनका कार्यान्वयन उनको उपलब्ध की जाने वाली धनराशि पर निर्भर होगा।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम के जरिए वितरण किए जाने के लिए 67 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युतीकृत कुल गांव

877. **श्रीबाबूलाल सोलंकी : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कुल कितने गावों का 29 फरवरी, 1980 तक राज्यवार और संघ राज्यवार क्षेत्रवार विद्युतीकरण नहीं किया गया है ;

(ख) किन-किन राज्यों ने ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिया है और प्रत्येक राज्य ने यह लक्ष्य कब प्राप्त किया ; और

(ग) देश के सभी राज्य और संघ राज्यों क्षेत्र में विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरी तरह कब तक प्राप्त करने का विचार है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री : श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : (क) कुल 5,75,936 गांवों में से 31 दिसम्बर, 1979 तक 2,40,794 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा 3,35,142 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना बाकी है। राज्यवार और संघ शासित क्षेत्रवार स्थिति दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने उनके सामने दिखाई गई तारीख को शत-प्रतिशत ग्राम बिद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर किया है:—

हरियाणा	:	अगस्त 1972
पंजाब	:	मई 1976
केरल	:	जून 1979
दिल्ली	:	1966-67
चंडीगढ़	:	मार्च, 1972
पांडिचेरी	:	मार्च, 1972

(ग) विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों से प्राप्त हुए अनन्तिम प्रस्तावों के अनुसार राज्यों द्वारा शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए परिकल्पित साथ अवक्यिां 1983-84 से 1994-95 तक भिन्न-भिन्न हैं, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

राज्यवार और संघ शासित क्षेत्रवार कुल ग्रामों की, 31-12-1979 को यथास्थिति विद्युतीकृत गांवों की और विद्युतीकरण के लिए शेष

रहे गांवों की संख्या रिखाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित राज्य	गांवों की कुल संख्या	31-12-1949 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव	शेष गांव जिनको विद्युतीकृत किया जाना है
1.	आन्ध्र प्रदेश	27,221	15,899 (घ)	11,322
2.	असम	21,995	3,440 (घ)	18,555
3.	बिहार	67,566	19,490	48,076
4.	गुजरात	18,275	10,283	7,992
5.	हरियाणा	6,731	6,731	—
6.	हिमाचल प्रदेश	16,916	8,697	8,219
7.	जम्मू और कश्मीर	6,503	4,428 (क)	2,075
8.	कर्नाटक	26 826	16,037	10,789
9.	केरल	1,268	1,268	—
10.	मध्य प्रदेश	70,883	21,175	49,708
11.	महाराष्ट्र	35,778	24,470	11,308
12.	मणिपुर	1,949	309 (ग)	1,640
13.	मेघालय	4,583	489 (ग)	4,094
14.	नागालेण्ड	960	303	617
15.	उड़ीसा	46,992	15,660	31,332
16.	पंजाब	12,188	12,126+	162
17.	राजस्थान	33,305	13,083	20,222
18.	सिक्किम	215	53 (ख)	162
19.	तमिलनाडु	15,735	15,531	204
20.	उत्तर प्रदेश	1,12,561	36,688	75,873
21.	पश्चिम बंगाल	38,074	12,602	25,472
22.	त्रिपुरा	4,727	667	4,060

(+)—62 ग्रामों को गैर आबाद घोषित कर दिया गया है।

(क)—31-3 1979 की स्थिति के अनुसार।

(ख)—30-9-1979 की स्थिति के अनुसार।

(ग)—31.19-1979 की स्थिति के अनुसार।

(घ)—30-11-1979 की स्थिति के अनुसार।

	जोड़ राज्य	5,71 251	2,39,429	3,31,822
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	390	84	306
2.	अरुणाचल प्रदेश	2,973	243	2,730
3.	चंडीगढ़	26	26	—
4.	दादरा और नगर हवेली	72	52	20
5.	दिल्ली	243	243	—
6.	गोवा दमन और दीव	409	351	58
7.	लक्षद्वीप	10	9	1
8.	मिजोरम	229	24	205
9.	पांडिचेरी	333	333	—
	जोड़ (संघ शासित क्षेत्र)	4,685	1,365	3,320
	जोड़ (असिल मारत)	5,75, 936	2,40,794	3,35,142

नई कम्पनियों का खोला जाना

878 **श्री विजय एन० पाटिल : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 से 79 तक के दौरान, राज्यवार, नई कम्पनियां खोलने के लिये कितने लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) छह महीनों के भीतर ही अर्थात् 1977 के बाद प्राप्त आवेदन-पत्रों पर नये आवेदकों को छह महीनों के भीतर ही कितने लाइसेंस दिये गये; और

(ग) ऐसे कितने मामले दो वर्षों से अधिक समय से पड़े हैं जो 1977 से पहले आरम्भ हुये थे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) देश में 2506 लाइसेंस अर्थात् विनिगमन प्रमाण-पत्र वर्ष, 1977 में नई कम्पनियों को आरम्भ करने के लिये, 1978 में 3290 लाइसेंस और 1979 में 4499 लाइसेंस कुल मिलाकर स्वीकृत किये गये थे। इन योगों का राज्यानुसार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जाता है।

(ख) तथा (ग) आपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत करदी जायेगी।

विवरण

वर्ष 1977, 1978 और 1979 के वर्षों में पंजीकृत शेयरों द्वारा सीमित नई कम्पनियों का राज्यानुसार ब्यौरा ।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1977	1978	1979
आन्ध्र प्रदेश	129	144	203
असम	31	24	24
बिहार	29	72	48
गुजरात	100	158	329
हरियाणा	15	18	30
हिमाचल प्रदेश	5	10	8
जम्मू एवं कश्मीर	7	10	6
कर्नाटक	167	171	251
केरल	75	84	107
मध्य प्रदेश	38	58	90
महाराष्ट्र	622	811	1156
नागालैण्ड	1	3	4
उड़ीसा	32	47	53
पंजाब	46	85	150
राजस्थान	44	76	115
तमिलनाडु	168	256	366
उत्तर प्रदेश	142	175	189
पश्चिमी बंगाल	447	511	604
चण्डीगढ़	24	15	45
दिल्ली	348	511	678
गोआ, दमण एवं दिव	18	33	22
मणीपुर	2	—	2
मेघालय	4	1	5
पान्डेचेरी	6	11	8
त्रिपुरा	1	1	1
अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीप	—	1	—
दादर एवं नागर हवेली	—	1	4
अरुणाचल प्रदेश	5	2	1
मिजारम	—	—	—
योग	2506	3290	4499

शाजहांपुर, उत्तर प्रदेश में तापीय बिजली

879. **श्री जितेंद्र प्रसाद : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में तापीय बिजली घर, स्थापित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां तो परियोजना का ब्यौरा क्या है ।

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : (क) शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई व्यवहार्यता रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पक्षों का खाली पड़ा रहना :

880. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 फरवरी, 1980 को उनके मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये कितने आरक्षित पद खाली थे; और

(ख) इन पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं और इन खाली पदों को किस समय तक भरे जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसत साठे) (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में वे पद, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थे और 1-2-1980 तक खाली पड़े रहे उनकी संख्या 59 है, जिनका पृथक्कीकरण निम्न प्रकार से है :—

अनुसूचित जाति : 26

अनुसूचित जनजाति : 33

(ख) ग्रुप "घ" के एक पद के अतिरिक्त, शेष सभी 58 पद ग्रुप "ग" (अराजपत्रिय पदों) के हैं । ये सभी 58 पद गठित सेवाओं अर्थात् केन्द्रीय सचिवालय आँशुलिपिक सेवा, केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में शामिल कर लिए गए हैं । ये पद कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा नामित कर्मचारियों से भरे जाने हैं और उस विभाग के ऐसे कर्मचारी, जिनके लिए आरक्षित रिक्तयां पहले बनाई गई हैं, प्रतीक्षित हैं ।

जहां तक ग्रुप "घ" की एक आरक्षित रिक्त का संबंध है, ऐसा कोई योग्य व्यक्ति नहीं था जिसे नियुक्त किया जा सके । योग्य व्यक्ति के मिलने पर इसका भरा जाना निर्भर करता है जैसे कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश हैं ।

कम्पनी अधिनियम में संशोधन

881. **श्री मधु दंडवते : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांचवीं लोक सभा में संसद की संयुक्त प्रवर समिति द्वारा विचार किये जाने के बाद संशोधित किया गया कम्पनी कानून आपातस्थिति के दौरान पुनः संशोधित किया गया था जिसमें कुछ ऐसे संशोधनों को रद्द कर दिया गया जिन्हें आपातस्थिति से पूर्व कम्पनी कानून में शामिल नहीं किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं, और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) नहीं श्रीमान् जी। कम्पनी कानून में 1974 में संशोधनों के पश्चात् कुछ अन्य संशोधन केवल दिसम्बर 1977 में किये गये थे।

(ख) **तथा** (ग) : उत्पन्न नहीं होते।

आकाशवाणी के नागपुर केन्द्र में उर्दू सेक्शन खोलने की मांग

882. **श्री जी० एम० बनात वाल क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आकाशवाणी के नागपुर केन्द्र में उर्दू सेक्शन खोलने की आवश्यककता और उसके लिए की जाती रही निरन्तर मांग की जानकारी है; और

(ख) उक्त उर्दू सेक्शन खोलने के बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसंत साठे)

(क) जी हां

(ख) मांग विचाराधीन है।

बिजली के प्रेषण में हानि

883. **श्री आर० के० महालगी क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में बिजली के प्रेषण में कितनी हानि होती है और क्या ये हानियां दूसरे देशों की तुलना में असाधारण रूप से अधिक हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) भारत में बिजली की लगातार कमी को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा की हानि में कमी करने के लिए सरकार द्वारा क्या तात्कालिक कदम उठाए जा रहे हैं/ उठाए जाने का विचार है ; और

(घ) क्या इस संबंध में एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) **और** (ख) भारत में प्रणाली हानियां, जिनमें पारेषण, ट्रान्सफार्मेशन और वितरण सम्बन्धी हानियां शामिल हैं, वर्ष 1978-79 में 19.81% थी। विकसित देशों की तुलना में ये हानियां भारत में अपेक्षाकृत अधिक हैं। विभिन्न वर्षों की इन हानियों की कुछ उन्नत देशों के साथ तुलना संलग्न वितरण में देखी जा सकती है।

(ग) **और** (घ) : साधनों संबंधी वर्तमान सीमाओं के भीतर राज्य बिजली बोर्ड उच्च हानियों वाले क्षेत्रों का पता लगा रहे हैं और हानियों को कम करने के लिए प्रणाली सुधार परियोजनाएं हाथ में ले रहे हैं।

पारेषण और वितरण हानियां

क्रम० सं०	देश	पारेषण और वितरण हानियों की प्रतिशतता				
		1970	1973	1974	1975	1976
1.	आस्ट्रिया	8.73	8.04	7.62	7.97	7.41
2.	बेलिजियम	5.55	4.99	5.03	5.75	5.45
3.	कनाडा	8.81	8.99	9.35	10.47	9.22
4.	चेकोस्लोवालिया	7.74	8.05	8.00	7.67	7.74
5.	फ्रान्स	7.07	6.71	6.57	6.91	6.86
6.	जर्मनी-पूर्व	7.78	7.25	7.24	7.25	7.10
7.	जर्मनी-पश्चिमी	5.96	5.04	4.82	5.07	उपलब्ध नहीं
8.	हंगरी	9.16	9·28	8.94	8.59	8.26
9.	**भारत**	16.90	19.86	19.56	18.82	19.19
10	इटली	8.41	8.45	7·86	8.79	8.66
11.	पोलैण्ड	8.92	9.19	9.29	9.56	9.76
12.	पोर्तगाल	12.18	12.76	12.60	10.70	उपलब्ध नहीं
13.	स्पेन	13.11	12.12	10.67	10.43	10.26
14.	टर्की	10.95	11.77	10.61	10.59	10.00
15.	यू० के०	7.63	7.45	7.16	7.66	7.26
16.	यू० एस० ए०	7.87	उपलब्ध नहीं	8.44	8.77	8.80
17.	यू० एस० एस० आर	7.93	8.02	8.01	8.00	8.25

*उत्पादन केन्द्रों में स्टेप अप ट्रान्सफार्मर की हानियां इसमें शामिल नहीं हैं।

टिप्पणी :—भारत के आंकड़ों की गणना, स्टेप अप ट्रान्सफार्मर की हानियों को 0.6% मानकर की गई है।

कोयला खनन की प्रगति की देखरेख के लिए पैनल

884. **श्री जनार्दन पुजारी : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला खान की प्रगति की देखरेख के लिये एक पैनल का गठन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन है और इसका अन्य ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा, और सिंचई और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) और (ख) औद्योगिक आधारभूत सुविधाओंके लिए मंत्रिमंडलीय समिति का गठन केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति में अध्यक्ष के रूप में वित्त मंत्री तथा सदस्य के रूप में ऊर्जा, इस्पात और खान पैट्रोलियम और रसायन तथा रेल मंत्री हैं। अन्य बातों के साथ-साथ यह समिति कोयले के उत्पादन तथा विभिन्न क्षेत्रों में उसको भेजे जाने की पुनरीक्षा करती है। यह समिति रेलवे मंत्रालय तथा कोयला एवं विद्युत विभागों के बीच समन्वयन हेतु एक उच्चस्तरीय निकाय के रूप में भी काम करती है।

कोयले पर अधिक रयाल्टी के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की मांग

885. **श्री चित्त बसु : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस बीच कोयले पर अधिक रायल्टी दर की मांग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला [मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : (क) जी हां।

(ख) पश्चिम बंगाल की मांग की जांच की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों की भट्टियों को कोयले की सप्लाई

886. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण विकास के लिये अपेक्षित कोयले की सप्लाई के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों की भट्ठियों को सुलभता से कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या वह पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये कोयले की सप्लाई के संबंध में कुछ सुविधा देने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेलवे के साथ परामर्श करके कोयले के संचलन को बढ़ाने के लिए कार्रवाई की गई है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा।

(ख) से (घ) राज्यों के भीतर कोयले की सप्लाई का विनियमन राज्य सरकारें करती हैं। उन्हें विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं को कोयले के वितरण का रूप निश्चित करने के अधिकार दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विज्ञापन जारी किया जाना

887. **श्री चित्त महाटा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 12060/पी० आर०/एस० इ० वी०/79-11/1977 दिनांक 10 दिसम्बर, 1979 के द्वारा विज्ञापनों के प्रकाशन के लिये बोर्ड को नियमित सूची में अलीगढ़ से प्रकाशित होने वाले एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र को शामिल किया था; और

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, लखनऊ और इसके क्षेत्र कार्यालयों ने 10 दिसम्बर, 1979 के बाद अन्य दैनिक समाचार पत्रों को विज्ञापन दिया था ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) मामला राज्य सरकार से सम्बन्धित है। सूचना सम्बन्धित राज्य सरकार से और

(ख) एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में तेजी लाना

888. **डा० फारुक अब्दुल्ला : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आगामी चार महीनों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में तेजी लाने के प्रभाव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम तथा विद्युत विभाग के अध्यक्ष से राज्य बिजली बोर्डों द्वारा क्रियान्वित किए जाने हेतु तदर्थ योजनाएं बनाने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सभी राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों को क्रियान्वयन योजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए दिल्ली बुलाया गया था;

(घ) यदि हाँ, तो जम्मू और काश्मीर राज्य में किन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा; और

(ङ) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य सरकार ने अपनी योजनाओं को, जो उन्होंने पहले बनाई थीं, क्रियान्वित करने के लिए अधिक राशि की मांग दी है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) : ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अपने द्वारा वित्त प्रोषित ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं को तेजी से कार्यान्वित करने का एक कार्यक्रम राज्य बिजली बोर्डों के साथ परामर्श करके बनाया है। अगले चार महीनों में पूरे किये जाने वाले कार्यों के संबंध में राज्य बिजली बोर्डों ने विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने जम्मू और कश्मीर राज्य में 4160 नये गांवों के विद्युतीकरण के लिए 66 स्कीमें 29-3-1980 तक स्वीकृत की हैं,इनमें से 2556 गांव सितम्बर, 1979 तक विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। आशा की जाती है कि अगले चार महीनों में 200 और गांव विद्युतीकृत हो जाएंगे।

(ङ) : अनुमोदित स्कीमों के संबंध में पहले से स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता के अलावा अतिरिक्त निधियों के लिये कोई अनुरोध जम्मू और कश्मीर राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त नहीं हुआ है।

सूरत में एक टेलीविजन केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव

889. **श्री अहमद एम० पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में सूरत में एक टेलीविजन केन्द्र अथवा रिले केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार सूरत में एक टेलीविजन केन्द्र अथवा रिले केन्द्र की स्थापना करने की लोगों की भारी मांग को क्रियान्वित करने पर विचार करेंगी ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) : वित्तीय संसाधनों की कमी और दूरदर्शन के विस्तार को निम्न प्राथमिकता दिए जाने के कारण चालू योजना की अवधि (1978-83) के दौरान सूरत में फिलहाल एक दूरदर्शन केन्द्र या रिले केन्द्र स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भविष्य में दूरदर्शन के विस्तार की योजनाओं को बनाते समय इस सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा।

अपर इन्द्रावती परियोनजा, उड़ीसा

890. **श्री रासबिहारी बेहेरा क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की "अपर इन्द्रावती परियोजना" को अनुमानित लागत क्या है और परियोजना पूरी करने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) इस परियोजना द्वारा कितने एकड़ भूमि में सिंचाई की जायेगी और "अपर इन्द्रावती परियोजना" द्वारा कितने मेगवाट बिजली पैदा की जायेगी ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) योजना आयोग ने अपर इन्द्रावती परियोजना को, जिस पर 208.14 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है, मई, 1978 में मंजूरी दी थी। इस परियोजना को 1987-88 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

(ख) इस परियोजना में प्रति वर्ष 1.85 लाख हैक्टेयर (4.57 लाख एकड़) भूमि की

सिंचाई और 100 प्रतिशत भार अनुपात पर 227 मेगावाट बिजली के उत्पादन की परिकल्पना की गई है ।

दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली का उत्पादन

891. **श्री मुकुन्द मण्डल: क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम अपनी क्षमतानुसार बिजली का उत्पादन नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान बिजली का उत्पादन कितना रहा और पश्चिम बंगाल को कितनी बिजली सप्लाई की गई (वर्षवार) ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) (क)से(ग) : औसतन प्रतिदिन 500 से 600 मेगावाट के बीच विद्युत उत्पादन बनाए रखा जाता है । विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं । उच्च स्तर पर विद्युत उत्पादन न हो सकने के मुख्य कारण ये हैं; बायलर ट्यूबों में बार-बार लीकेज होना तथा अपघर्षी (अब्रेसिव) किस्म के कोयले के कारण आवजीलरीज में खराबी हो जाना । उपस्कर के अनुरक्षण में सुधार करने, अतिरिक्त फुटकर पुर्जे प्राप्त करने के लिए दामोदर घाटी निगम ने कदम उठाए हैं तथा निगम दैनिक प्रचालनों की कड़ी मानीटरिंग कर रहा है ।

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान हुआ विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट में) तथा पश्चिम बंगाल को सप्लाई की गई विद्युत नीचे लिखे अनुसार है :—

वर्ष	दामोदर घाटी निगम में ऊर्जा उत्पादन (मिलियन यूनिट)	पश्चिम बंगाल में सभी उपभोक्ताओं की बिक्री (मिलियन यूनिट)
1974-75	4465	1747
1975-76	5007	1933
1976-77	5245	1894
1977-78	5161	1873
1978-79	5443	1949

नर्मदा सिंचाई परियोजना के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

892. **श्री आर० पी० गायकवाड : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नर्मदा सिंचाई परियोजना के लिये वित्तीय सहायता लेने हेतु गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार के माध्यम से विश्व बैंक से सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो संबंधित परियोजना के लिए सहायता की राशि तथा स्वरूप क्या है; और

(ग) विश्व बैंक की उस पर क्या प्रतिक्रया है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : (क)से(ग) गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों ने नर्मदा घाटी में अपनी परियोजनाओं, जैसे गुजरात को सरदार सरोवर परियोजना और मध्य प्रदेश की बारगी, नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर, महेश्वर आदि परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार से विदेशी सहायता प्राप्त करने का अनुरोध किया है। संबंधित ब्यौरे, जैसे परियोजनाओं की अद्यतन अनुमानित लागत, उनके क्रियान्वयन पर लगने वाले समय, और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों द्वारा की जाने वाली व्यवस्था पर राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। इन परियोजनाओं को विदेशी सहायता के लिए प्रस्तुत करना इस बात पर निर्भर करता है कि उक्त विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकलेगा।

दण्डकारण्य में विस्थापित लोग

893. **श्री टी०आर० शमन्ना : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आरम्भ से ही कितने व्यक्तियों को अथवा परिवारों को पुनर्वास हेतु दण्डकारण्य भेजा गया था; और

(ख) इस समय दण्डकारण्य में कितने विस्थापित व्यक्ति (परिवार) हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त पी० साठे) : (क)और (ख) ; समय-समय पर दण्डकारण्य में पुनर्वास के लिए परिवारों को जत्थों में भेजा गया है आरंभ से 29-2-1980 तक 44,594 परिवार पुनर्वास के लिए दण्डकारण्य लाए गए; इनमें से इस समय 19664 परिवार बसाए गए परिवार हैं और 4,939 कर्मी शिविर परिवार (पुनर्वास की प्रतीक्षा में) हैं।

गंगा नदी जल समझौते में से पैरा 2 का निकाला जाना

894. **श्री सतीश अग्रवाल : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल ने केन्द्रीय सरकार से गंगा नदी जल समझौते के पैरा 2 के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल को केवल 1200 क्यूसेक पानी मिल रहा था, को निकाल देने का आग्रह किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि जल प्रवाह को बढ़ाया नहीं गया तो हल्दिया और कलकत्ता दोनों पत्तनों को संकट का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इन पत्तनों को चालू बनाये रखने के लिए कम से कम 40,000 क्यूसेक जल प्रवाह आवश्यक है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क)पश्चिम

बंगाल सरकार ने अनुच्छेद-दो के पैरा (ii) को निकाल देने का सुझाव दिया है जिसके अन्तर्गत इस समय फरक्का का फीडर नहर के लिए केवल लगभग 17,000 क्यूसेक जल उपलब्ध है।

(ख) अनुमान लगाया गया है कि कलकत्ता पत्तन के लिए इष्ट तथा शीर्ष जल प्रवाह 40,000 क्यूसेक होना चाहिए। प्रवाह कम होने पर भी कुछ लाभ होंगे लेकिन उतनी सीमा तक नहीं जितने की योजना बनाई गई है।

(ग) शुष्क मौसम के दौरान, गंगा में इतना जल नहीं होता, जिससे दोनों देशों की समूची आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। इसलिए, करार में शुष्क मौसम के दौरान गंगा के प्रवाह को बढ़ाने के बारे में दोनों में से किसी भी सरकार द्वारा प्रस्तावित अथवा प्रस्तावित की जाने वाली स्कीमों का अन्वेषण और अध्ययन भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग द्वारा किए जाने की व्यवस्था है ताकि कोई ऐसा हल ढूंढा जा सके जो किफायती और व्यवहार्य हो। इस संबंध में दोनों देशों के प्रस्ताव इस समय आयोग के पास हैं।

थिरुनमाला पहाड़ियों पर टेलीविजन केन्द्र की स्थापना

895. **श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को थिरुनमाला पहाड़ियों पर पूर्ण टेलीविजन केन्द्र की स्थापना के लिए हाल ही में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि, हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठ) : (क) जी, हां।

(ख) संसाधनों की कमी और दूरदर्शन के विस्तार को निम्न प्राथमिकता दिए जाने के कारण चालू योजना की अवधि (1978-83) के दौरान थिरूनमाला पहाड़ियों पर फिलहाल एक पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, भविष्य में दूरदर्शन के विस्तार की योजना बनाते समय इस सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा।

सियग नदी पर बांध

896. **श्री पी० के० थुंगन क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें जानकारी है कि अरुणाचल प्रदेश के सियग जिले में सियग नदी पर (विहंग बांध) बांधका निर्माण करने का प्रस्ताव है जिससे हजारों एकड़ जोती, जाने वाली तथा वन भूमि तथा जनजातियों के सदियों पुराने अनेक गांव पानी में डूब जायेंगे;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस मामले पर अपने कोई विचार व्यक्त किये हैं; यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस प्रस्ताव का फरक्का समझौते से कोई संबंध है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) फरक्का पर गंगा के जल के बंटवारे तथा इसके प्रवाह को बढ़ाने के संबंध में भारत और बंगलादेश के बीच हुए करार के अनुसरण में शुष्क मौसम के दौरान गंगा के प्रवाह को बढ़ाने के भारत के प्रस्ताव में प्रवाह को बढ़ाने के लिए विहांग सुबनसिरी तथा वारक नदियों पर उचित स्थान पर जल-संचयों द्वारा अनुपूरित ब्रह्मपुत्र-गंगा लिंक नहर का निर्माण करने, ब्रह्मपुत्र और वारक नदियों में बाढ़ पर नियंत्रण पाने और भारी मात्रा में जल-विद्युत का उत्पादन करने, तथा नौचालन अन्य बहुद्देश्यीय लाभों की परिकल्पना की गई है।

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने इस परियोजना द्वारा कुछ क्षेत्रों के जलमग्न होने तथा लोगों के विस्थापित होने की संभावना पर चिन्ता प्रकट की है। इस समय इस परियोजना का विस्तृत अन्वेषण किया जा रहा है। इन अन्वेषणों के भाग के रूप में, राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् को इस परियोजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का, लोगों के पुनर्वास की समस्याओं के विशेष संदर्भ में, अध्ययन करने का काम सौंपा गया है। प्रस्तावों को अन्तिम रूप देते समय इस अध्ययन के परिणामों को ध्यान में रखा जाएगा।

नागपुर में वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड के मुख्यालय के भवन की निर्माण लागत

897. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : **क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागपुर में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रधान कार्यालय के जमीन और भवन आदि पर अब तक कितनी राशि खर्च हो चुकी है; और

(ख) नागपुर से मुख्यालय का स्थान बदलने और नया कम्पलेक्स स्थापित करने पर कुल अनुमानित लागत क्या आयेगी ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि, नागपुर, के मुख्यालय पर अब तक खर्च की गई धनराशि लगभग 1.18 करोड़ रुपए है।

(ख) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि का मुख्यालय नागपुर में ही चल रहा है तथा मुख्यालय के स्थानान्तरण और नए स्थान की व्यवस्था पर आने वाली लागत का निर्धारण नहीं किया गया है।

आकाशवाणी के डोगरी कार्यक्रम

898. **डा० कर्णसिंह** : **क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला और जम्मू स्थित आकाशवाणी के केन्द्रों से डोगरी भाषा के कार्यक्रमों की आवर्तिता और अवधि बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : रेडियो काश्मीर, जम्मू एक महीने में लगभग 76 घंटे की कुल अवधि का डोगरी कार्यक्रम प्रसारित करता है। आकाशवाणी दिल्ली और शिमला भी यदा-कदा डोगरी के संगीत कार्यक्रम, लोक और सुगम संगीत कार्यक्रमों को अपने सामान्य संगीत खंडों में प्रसारित करते हैं।

जम्मू और शिमला केन्द्र एक चैनल के हैं और इन्हें केन्द्रीय रिलेज/ राष्ट्रीय कार्यक्रम और स्थानीय.बोली/भाषा सहित बहुत से कार्यक्रमों की आवश्यकता की पूर्ति करनी होती है। दिल्ली महानगर का केन्द्र है तथा बहुत से कार्यक्रमों की वचनबद्धता के कारण इसके सेवा क्षेत्र में बहुत ही कम डोगरी भाषी जनसंख्या आती है। चंडीगढ़ केवल एक व्यापारिक केन्द्र है और विविध भारती कार्यक्रमों के क्षेत्रीय परिवर्तन के सिवाय किसी भी बोली या भाषा में कार्यक्रमों का प्रसारण नहीं करता। इसलिए जम्मू, दिल्ली और शिमला से डोगरी कार्यक्रमों के वर्तमान समय बढ़ाने का या चंडीगढ़ से डोगरी कार्यक्रम शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

गंगा को ब्रह्मपुत्र के साथ जोड़ने के प्रश्न पर विचार-विमर्श

899. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लुरी :**

श्री के० पी० सिंह देव : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदियों को जोड़ने के प्रश्न पर, भारत तथा बंगला देश के बीच इन नदियों के पानी के बंटवारे संबंधी हाल ही में हुई चर्चा के दौरान भारत ने बंगला देश के साथ विचार-विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) भारत बंगला देश संयुक्त नदी आयोग की 18वीं बैठक 27 फरवरी से 29 फरवरी, 1980 तक नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में फरक्का में गंगा के जल के बंटवारे और उसके प्रवाह में वृद्धि करने के बारे में नवम्बर, 1977 के करार में आयोग को सोंपे गए कार्य अर्थात गंगा के शुष्क मौसम के प्रवाह में वृद्धि करने के विषय पर विचार-विमर्श हुआ था, जिसके लिए भारत ने ब्रह्मपुत्र गंगा लिंक के निर्माण का प्रस्ताव किया है, जिसकी अनुपूर्ति दोहाग सुवनसिरी और बारक नदियों पर उपर्युक्त स्टेज में जल-संचयन द्वारा की जानी है।

बंगला देश के प्रस्ताव के अध्ययन में नेपाल को शामिल करने के मामले पर मतभेद बने रहे। बैठक में हुए विचार-विमर्श के रिकार्ड को अन्तिम रूप देने तथा मतभेद वाले मुद्दों के लिए शीघ्र ही पुनः बैठक करने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में रंगाली सिंचाई परियोजना

900. **श्री के० पी० सिंह देव : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में रंगाली सिंचाई परियोजना को तेज किये जाने के प्रश्न की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना इस समय किस चरण में है; और

(ग) इस परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी होगी तथा केन्द्र और राज्य पर कितना-कितना वित्तीय भार पड़ेगा ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) **और (ख)** जी, हां, यह परियोजना मार्च, 1978 में योजना आयोग द्वारा मंजूर की गई थी और रिहायशी भवनों के निर्माण, मुख्य नहर के निर्माण-सर्वेक्षण तथा बराज, शीर्ष नियामक, आदि के डिजाइन आदि जैसे प्राथमिक कार्य हाल ही में हाथ में लिए गए हैं।

परियोजना की वित्तीय वर्ष 1982 से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) की ऋण सहायता के लिए प्रायोजित किया जा रहा है और विश्व बैंक के मानदण्डों के अनुसार परियोजना-रिपोर्ट राज्य में तैयार की जा रही है। परियोजना को मार्च, 1989 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

(ग) परियोजना में 4.23 लाख हैक्टेयर की वार्षिक सिंचाई परिकल्पित है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 233.64 करोड़ रुपये है।

सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परयोजनाओं की क्रियान्वित के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपनी समग्र विकास योजनाओं के भीतर से ही की जाती है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है।

पूर्वी क्षेत्र में कुल प्रतिष्ठापित विद्युत क्षमता

901. **श्री आनन्द गोपाल मुखर्जी : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी क्षेत्र में बिजली-दरों की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है ;

(ख) कुल उत्पादन कितना है ;

(ग) इस समय मुख्य उद्योगों (कोर ग्रेड) और कृषि के लिए बिजली की कुल मांग कितनी है ; और

(घ) इस क्षेत्र में बिजली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : ((क) : 31-12-1979 की स्थिति के अनुसार, पूर्वी क्षेत्र में विद्युत केन्द्रों की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 5747 मेगावाट थीं; जिसमें से 4847 मेगावाट क्षमता युटिलिटीज़ में तथा 900 मेगावाट क्षमता नान-युटिलिटीज में थी।

(ख) : अप्रैल 1979 से जनवरी, 1980 तक की अवधि के दौरान पूर्वी क्षेत्र में कुल 12630 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन हुआ था जिसमें 10766 मिलियन यूनिट ताप विद्युत तथा 1864 मिलियम यूनिट जल विद्युत थी।

(ग) : पूर्वी क्षेत्र में मार्च, 1980 महीने की ऊर्जा की प्रतिबंधरहित आवश्यकता

1605 मिलियन यूनिट आंकी गई है। इसकी तुलना में प्रत्याशित उपलब्धता 1224 मिलियन यूनिट है।

(घ) देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय किए गए हैं और किए जा रहे हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं :

(1) केन्द्रीय क्षेत्र से मौजूदा प्रतिष्ठापिम क्षमता से अधिकतम उत्पादन करना। राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता से इसी प्रकार अधिकतम उत्पादन करें।

(2) केन्द्रीय क्षेत्र में नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना तथा ऐसे ही उपाय करने की सलाह राज्य सरकारों को देना।

(3) ताप विद्युत केन्द्रों पर कोयले के भण्डार की मानीटरिंग करना तथा कोयले/की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(4) फालतू विद्युत वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत का अन्तकरण।

(5) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाई कर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों की सप्लाई की व्यवस्था करना।

(6) विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना।

(7) डिजाइन, उपस्कर आदि में कमियों का पता लगाना और इनमें दोषसुधार/प्रतिस्थापन आदि के लिए कई ताप विद्युत केन्द्रों पर परियोजना नवीकरण कार्यक्रम हाथ में लेना।

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में जमानिया पम्प कनाल के लिए निधियों का नियतन

902. **श्री जेनुत बशर : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजीपुर जिले में जमानिया पम्प कनाल के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कोई निधि आबंटित की गई है, और

(ख) कितनी राशि आवंटित की गई है और तत्संबंधी कार्य में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) सिंचाई राज्य-विषय है और सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन क्रियान्वयन तथा प्रचलन राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकास योजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में समग्र रूप से दी जाती है और यह किसी विशिष्ट विकास क्षेत्र अथवा परियोजना से संबंधित नहीं होती।

(ख) उत्तर प्रदेश की 1980-81 की प्रस्तावित वार्षिक योजना के अनुसार जमानिया पम्प नहर की क्षमता को बढ़ाने की स्कीम की कुल अनुमानित लागत 939 लाख रुपये है। राज्य सरकार को पहले भेजी गई केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर राज्य सरकार के उत्तर प्राप्त न होने के कारण योजना आयोग द्वारा इस स्कीम को अब तक स्वीकृति नहीं दी गई है। तथापि,

उत्तर प्रदेश सरकार ने परियोजनाओं को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है। 1978-79 के अन्त तक किया गया वास्तविक खर्च 102·96 लाख रुपये था। 1979-80 में प्रत्याशित खर्च 200 लाख रुपये है। कार्यकारी दल ने 1980-81 के लिए भी 200 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया है।

थीन बांध की अनुमानित लागत

903. **श्रीमती सुखबंश कौर : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह कहने की कृपा करेंगे कि :

(क) थीन् बांध की अनुमानित लागत क्या है ;

(ख) इसके लिए अब तक किया गया वार्षिक आबंटन क्या है ;

(ग) इसके पूरा होने की संभावित तारीख क्या है ; और

(घ) कितना कार्य किया गया है और क्या सरकार परियोजना में हुई प्रगति से संतुष्ट है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री० ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) :

(क) 263.16 करोड़ रुपए।

(ख) 1979-80 (प्रथम वर्ष) — 12.70 करोड़ रुपए

1980-81 (द्वितीय वर्ष)— 10.00 करोड़ रुपए

(ग) काम 1987 में पूरा होने जाने की उम्मीद है।

(घ) इस परियोजना को पंजाब सरकार कार्यान्वित कर रही है। फिलहाल, विभिन्न असंरचनात्मक सुविधाओं जैसे सड़कों, वर्कशाप सुविधाओं, रिहायशी बस्तियों आदि का कार्य प्रगति पर है। पंजाब सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार प्रगति संतोषजनक है और निधियों के आवंटन के अनुरूप है।

गंगा नदी द्वारा मनेर और दानापुर गांवों का भू कटाव

904. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के पटना जिले में मनेर और और दानापुर के कुछ गांव गंगा नदी के कटाव से कट कर उसमें विलीन हो चुके हैं :

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इसके कारण हजारों ग्रामवासियों को निरासित जीवन बिताने पर मजबूर होना पड़ा है ; और

(ग) यदि हां तो उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ;

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण

905. **श्रीनारायण चंद पाराशर : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में उन गांवों के नाम क्या-क्या हैं जिनका विद्युतीकरण किया जा रहा है और उनका विद्युतीकरण किस तिथि तक पूरा हो जाएगा ; और

(ख) जिला-वार शेष बचे हुए गांवों का विद्युतीकरण कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की पारस्परिक प्राथमिकता राज्य सरकार द्वारा नियत की जाती है। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत 59 स्कीमों के अन्तर्गत या राज्य के सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जो गांव विद्युतीकृत किए जाएंगे उनके नाम बता सकना संभव नहीं है।

(ख) राज्य बिजली बोर्ड द्वारा तैयार किए गए अनन्तिम कार्यक्रम के अनुसार, सभी गांवों के 1987-88 तक विद्युतीकृत हो जाने की संभावना है बशर्ते की लगभग 46.90 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध हो।

हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

906. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि इस प्रकार दी गई धन-राशि पहले ही गांवों के विद्युतीकरण पर खर्च की जा चुकी है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में प्रत्येक वर्ष इसका सत्यापन करने और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कौन प्राधिकारी जिम्मेदार है ;

(घ) यदि नहीं, तो बिजली के अलावा और कौन से मुख्य शीर्षों पर धन खर्च किया गया है; और

(ङ) धन को अन्य कार्यों में लगाने के क्या कारण हैं और क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है।

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80 (29-2-80 तक) के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को ग्राम विद्युतीकरण के लिए लगभग 6.16 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की है।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा दी गयी निधि का उपयोग किये जाने संबंधी रिपोर्ट निगम को राज्य बिजली बोर्ड से 31-3-1979 तक की अवधि के बारे में प्राप्त हो गई है। उस तारीख तक ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वितरित की गई 13.91 करोड़ रुपए की राशि में से वे 10.54 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर चुके हैं।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने स्कीमों की मानीटरिंग करने की एक नियमित प्रणाली अपनाई है जिसके अनुसार, बिजली बोर्डों से अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्टों के मंगवाने के अतिरिक्त निगम के अधिकारी कार्यान्वयन की वास्तविक और वित्तीय प्रगति को देखने के लिए क्षेत्रों का दौरा भी करते हैं।

(घ) और (ङ) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को निधियां जिन प्रयोजनों के लिए दी गई थीं, उस प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों में इन निधियों को लगा दिए जाने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

विभिन्न राज्यों और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में हरिजन विद्युतीकरण बस्तियों/झोपड़ियों का

907. **श्री नरायण चन्द पराशर : क्या ऊर्जा और सिचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा सामान्य रूप से विभिन्न राज्यों और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में हरिजन बस्तियों/झोपड़ियों के विद्युतीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कोई योजना बना ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए बनाई गई योजना की रूप रेखा और वह तिथियां जब योजना को सर्वप्रथम बनाया गया था;

(ग) क्या इस दिशा में प्रगति सन्तोषप्रद है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सन्तोषप्रद परिणामों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

ऊर्जा और सिचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) **और** (ख) : पहले से विद्युतीकृत गांवों के साथ लगी हुई हरिजन बस्तियों में बिजली का विस्तार करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों में वितरित करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ग्राम विद्युतीकरण निगम को 4.50 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई थी। पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान निगम ने यह सुनिश्चित किया था कि राज्य बिजली बोर्डों द्वारा प्रस्तावित ग्राम विद्युतीकरण की सभी स्कीमों में संबंधित गांवों के साथ लगी हरिजन बस्तियों को भी शामिल कर लिया जाए। हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण को सक्रिय बनाने के लिए छठी योजना के प्रारूप में 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए यह राशि विभिन्न राज्यों को अलग-अलग स्कीम के आधार पर मुहैया की जाएगी। अभी तक, ग्राम विद्युतीकरण निगम ने हरिजन बस्तियों संबंधी 50 प्रस्तावों को 2.05 करोड़ रुपए की ऋण सहायता के लिए स्वीकृत किया है। इनके अंतर्गत 2,766 हरिजन बस्तियां हैं। फरवरी, 1980 के अन्तिम

सप्ताह में 8,577 लाख रुपए के ऋण प रिव्यय का, हरिजन वस्ती संबंधी एक प्रस्ताव ग्राम विद्युतीकरण निगम को प्राप्त हुआ था। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की नूरपुर तहसील की 81 हरिजन वस्तियां इस प्रस्ताव में शामिल है। इसमें जो हरिजन वस्तियां शामिल की गई हैं वे निगम द्वारा नूरपुर तहसील में पहले स्वीकृत की गई नियमित क्षेत्र विद्युतीकरण स्कीमों में पहले से ही शामिल हैं तथा इसके लिए नये सिरे से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

(ग) जी, हां। 109 अनुमोदित स्कीमों के अन्तर्गत विद्युतीकृत किये जाने के लिए परिकल्पित 10,460 हरिजन बस्तियों में से 9,073 हरिजन वस्तियां विद्युतीकृत हो चुकी हैं।

(घ) प्राप्त हुई प्रगति संतोषजनक है।

ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रक्रिया में पंचायतों द्वारा भाग लिया जाना

908. **श्री के० नारायण चंद पराशर : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रक्रिया में पंचायतों का सहयोग/भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य रूप-रेखा और अब तक की उपलब्धियों का सारांश क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी चौधरी) : (क) से (ग) : ग्राम विद्युतीकरण निगम, राज्य बिजली बोर्डों और ग्राम विद्युत सहकारी समितियों की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता देता है। जिन राज्यों में बिजली बोर्ड नहीं है उन राज्यों में निगम, ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए राज्यों सरकारों को वित्तीय सहायता देता है। अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों का प्रभावी समन्वय करने तथा इन कार्यक्रमों में स्थानीय एजेंसियों को सक्रिय रूप से शामिल करने की आवश्यकता पर निगम जोर देता रहा है। निगम ने सुझाव दिया है कि ब्लाक स्तर की समितियां बनाई जाएं जो ग्राम विद्युतीकरण स्कीम तैयार करने और उसका कार्यान्वयन करने में बिजली बोर्डों को सलाह दे, परियोजना तैयार करने के लिए अपेक्षित आंकड़े ग्रामीण सहकारी समितियों से एकत्रित करें और कृषि और औद्योगिक भार विकास में वृद्धि के लिए उपाय सुझायें।

पश्चिम बंगाल में गैस टरबाइनों की स्थापना

910. **श्री समर मुखर्जी : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने बिजली की भारी किल्लत पर काबू पाने के लिए लघु अवधि के उपाय के रूप में और अधिक गैस टरबाइनों की स्थापना के लिए हाल ही में केन्द्र सरकार की स्वीकृति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मन्त्री (श्री० ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां। हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के हल्दिया उर्वरक संयंत्र की बिजली संबंधी मांग की पूर्ति करने के लिए 1 × 20 मेगावाट की एक अतिरिक्त गैस टर्बाइन उत्पादन यूनिट की स्थापना का प्रस्ताव पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने जनवरी, 1980 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजा है।

(ख) इस परियोजना के संबंध में निर्णय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इसका तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किए जाने के बाद ही लिया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में स्थापित की गई गैस टर्बाइन उत्पादन यूनिटों के प्रचालन संबंधी कार्य-निष्पादन के बारे में और लागत के बारे में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सूचना माँगी है और ईंधन की उपलब्धता की पुष्टि करने को भी कहा है।

प्रसारण प्रणाली

911. **श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्त की ओर आकृष्ट किया गया है कि हमारी प्रसारण प्रणाली को ज्यादातर, अंग्रेजी द्वारा दिए गए उनपुराने मार्ग निदेशक सिद्धान्तों पर चलाया गया है जो समाज के साथ तालमेल बनाए रखने तथा जन-साधारण के लिए प्रतियोगी प्रतिपोषक कार्यक्रम देने वाले एक तंत्र के रूप में कार्य करने में असफल रही है :

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि उक्त माध्यम का उपयोग मुख्यतः सामाजिक-आर्थिक दशा और विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों में व्याप्त विभिन्नताओं को उभारने के लिए किया जा सके ;

(ग) क्या इस बारे में अभी कोई आयोग नियुक्त किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके निष्कर्ष क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) यह कहना ठीक नहीं होगा कि प्रसारण को कुल मिलाकर अंग्रेजों द्वारा दिए गए पुराने मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर चलाया जा रहा है। क्योंकि भारत में वर्षों से शहरी और ग्रामीण जनसंख्या को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन देने सहित जन संचार और प्रसार के शक्तिशाली साधन के रूप में स्वतंत्र प्रसारण प्रक्रिया को तैयार किया गया है। इसके विभिन्न कार्यक्रम-लक्षित श्रोतागणों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लोगों की सेवा के लिए तैयार किए जाते हैं। श्रोता अनुसंधान एककों, चर्चा मंडलों और सामुदायिक श्रोता केन्द्रों केवल जम्मू कश्मीर में आदि के रूप में फीड-बैक के लिए संस्थानिक व्यवस्थाएं प्राप्त हैं। इन व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उनकी हमेशा निरंतर समीक्षा की जाती है।

दो समितियों, 1964 में नियुक्त चंदा समिति और 1977 में नियुक्त आकाशवाणी और

दूरदर्शन की स्वायत्तता के लिए कार्य दल, ने और बातों के साथ-साथ आकाशवाणी की कार्य-प्रणाली की समीक्षा की और इस माध्यम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कई शिफारिशें दीं। इसके और अन्य सरकारी माध्यमों की कार्य-प्रणाली के लिए पिछली सरकार ने इसके और कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए थे। अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, विकास उद्देश्यों और वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों में कमियों को ध्यान में रखते हुए सरकार आकाशवाणी और अन्य माध्यमों को नए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की सूची देने पर विचार कर रही है।

भारत में उच्च वोल्टेज वाली सीधी करेंट की व्यवस्था आरम्भ किया जाना

912. **श्री नीरेन घोष : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उच्च वोल्टेज वाली सीधी करेंट की व्यवस्था आरम्भ करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस व्यवस्था की व्यवहार्यता पर तकनीकी-आर्थिक अध्ययन किया गया है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मत्री : (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी :) (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम और उत्तर क्षेत्रीय ग्रिडों को मध्य प्रदेश में उज्जैन और राजस्थान में कोटा और मध्यप्रदेश में कोरबा और उत्तर प्रदेश में सिंगरौली के बीच उक्च वोल्टता डायरेक्ट करेंट पारेषण लाइनों के जरिए आपस में जोड़ने के लिए तकनीकी-आर्थिक अध्ययन किए गए हैं :

औद्योगिक एककों को विद्युत सप्लाई पर राज्यवार रोक

913. **श्री नीरेन घोष : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बड़े, मध्यम तथा छोटे औद्योगिक एककों को, अलग-अलग, विद्युत सप्लाई पर राज्यवार रोक (प्रतिशतता में) का ब्यौरा क्या है ;

(ख) विद्युत सप्लाई पर जो रोक लगाई गई है उसे कब हटाने का विचार है ; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा राज्यों को इस विद्युत संकट को दूर कर सकने के लिए यदि कोई विशिष्ट सहायता दी गई है अथवा दी जा रही है तो वह क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री : (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 1.१.1980 को यथास्थिति, विभिन्न किस्म के उद्योगों/उपभोक्ताओं पर राज्यवार लागू किए गए विद्युत प्रतिबन्धों/कटौतियों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1979 में मानसून के न आने के परिणामस्वरूप जल विद्युत केन्द्रों से कम विद्युत उपलब्ध होने के कारण तथा ताप विद्युत केन्द्रों के घटिया कार्य-निष्पादन तथा कुछ ताप विद्युत केन्द्रों पर कोयले की कमी होने के कारण कई राज्य इस समय विद्युत की कमी का सामना कर

रहे हैं । विद्युत की उपलब्धता में सुधार हो जाने पर ये विद्युत कटौतियां/प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। जुलाई-अगस्त, 1980 तक यह सुधार हो जाने की उम्मीद है ।

(ग) देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार रखने के लिए कई उपाय किए गए हैं । इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) केन्द्रीय क्षेत्र में मौजूद प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम विद्युत उत्पादन करना । राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता से इसी प्रकार अधिकतम उत्पादन करें ।

(2) 1978-79 की अवधि में लगभग 17122 मेगावाट नई उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि करना । इसमें से लगभग 3,000 मेगावाट नई क्षमता वर्ष 1978-79 के दौरान चालू की जा चुकी है :

(3) जिन राज्यों में फालतू बिजली है उन राज्यों से कमी वाले राज्यों को बिजली का अन्तरण ।

(4) कोयले के स्टाक की मानीटरिंग करना और यह सुनिश्चित करना कि ताप विद्युत केन्द्रों पर पर्याप्त कोयला उपलब्ध रहे ।

विवरण

1-3-1980 को यथास्थिति, विभिन्न राज्यों में विद्युत कटौतियां/प्रतिबंधों को दिखाने वाला विवरण

क्र०सं०	राज्य	विद्युत कटौती	उर्जा कटौती
1	2	3	4
	पूर्वीक्षेत्र		
1.	पंजाब	कृषि	—6 घंटे सप्लाई प्राप्त करते हैं ।
		उद्योग	—8-10 घंटे सप्लाई प्राप्त करते हैं । सतत् प्रक्रिया वाले उद्योगों पर 50 प्रतिशत ऊर्जा कटौती भी है ।
2.	हरियाणा	कृषि	—4-5 घंटे सप्लाई प्राप्त करते हैं ।
		उद्योग	—एक सप्ताह में 6 दिन प्रतिदिन 6 घंटे सप्लाई प्राप्त करते हैं (50% विद्युत कटौती है
3.	राजस्थान	वृहत उद्योग	100 प्रतिशत कटौती
		मध्यम उद्योग	50 प्रतिशत
		कृषि	—कोई विद्युत कटौती नहीं (कुछ लोड शेडिंग की जाती है जो उपलब्धता पर निर्भर करती है)

1	2	3	4
4.	उत्तर प्रदेश	उद्योग कृषि प्रमुख शहर	—66.6% मांग और ऊर्जा कटौती —6 घंटे प्रतिदिन सप्लाई प्राप्त करते हैं। —6 घंटे प्रतिदिन सप्लाई प्राप्त करते हैं।
5.	दिल्ली	—	—10 (व्यवहार में लागू नहीं की जा रही)
6.	जम्मू व कश्मीर	उद्योग	6-7 घंटे सप्लाई प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त व्यस्ततमकालीन प्रतिबंध हैं।
	पश्चिमी क्षेत्र		
7.	गुजरात	20-50%	
8.	मध्य प्रदेश	20-30% तथा व्यस्ततमकालीन प्रतिबंध भी लागू हैं।	—15-25%
9.	महाराष्ट्र	15-30% तथा व्यस्ततमकालीन प्रतिबंध भी लागू हैं।	20-45%
10.	गोवा	—	40-60%
	दक्षिणी क्षेत्र		
11.	कर्नाटक	—	250 के वी ए से अपर वाले उच्च वोल्टता वाले उद्योगों पर 49-60%
12.	आंध्र प्रदेश	उच्च वोल्टता वाले उद्योगों पर 30.	उच्च वोल्टता वाले उद्योगों पर 30%
13.	तमिलनाडु	उच्च वोल्टता वाले सतत् प्रक्रिया वाले उद्योगों पर 30% तथा गैर सतत प्रक्रिया वाले उद्योगों पर 40% उच्च वोल्टता वाले सामान्य उद्योगों पर 30%	उच्च वोल्टता वाले सतत् प्रक्रिया वाले उद्योगों पर 30% तथा गैर सतत् प्रक्रिया वाले उद्योगों पर 6% उच्च वोल्टता वाले सामान्य उद्योगों पर 30%
14.	पांडिचेरी	व्यस्ततमकालीन प्रतिबंध	—
	पूर्वी क्षेत्र		
15.	पश्चिम बंगाल	उच्च वोल्टता वाले उद्योगों पर 10·23% तथा 3·3 के० वी० और अधिक सप्लाई प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं पर व्यस्ततमकालीन प्रतिबन्ध भी।	

1	2	3	4
16. उड़ीसा		45-60%	45-60% (विद्युत का गहन उपयोग करने वाले तथा भारी उद्योगों को दो भागों में बांट दिया गया है और बारी-बारी से 3 महीने विद्युत की सप्लाई प्राप्त करते हैं)।
17. बिहार		कोई अधिसूचित विद्युत कटौती नहीं है परन्तु लगभग हर रोज लोड शेडिंग की जाती है जो विद्युत की उपलब्धता पर निर्भर करती है।	
18. दा० घा० नि०		कोयला, इस्पात और अन्य पर श्रेणीकृत विद्युत कटौती जो उत्पादन के स्तर के अनुसार अलग-अलग होती है। ट्रेक्शन पर कोई कटौती नहीं।	
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		
19. असम		व्यस्ततमकालीन प्रतिबंध	10-25%
20. त्रिपुरा		व्यस्ततमकालीन प्रतिबंध	

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में गांवों का विद्युतीकरण

914. **श्री बापूसाहिब परुलेकर क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** (यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने वर्ष 1980-81 के लिए महाराष्ट्र में रत्नागिरि जिले में गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए कोई प्रस्ताव ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन गांवों का ब्यौरा क्या हैं तथा नाम क्या है और प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया ; और

(ग) क्या इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है और यदि नहीं, तो इस प्रभाव को स्वीकृति कब दी जायेगी ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : (क) आठ स्कीमें, जिनमें रत्नागिरि जिले के विभिन्न तालुकों के 349 गांवों को शामिल किया गया है ग्राम विद्युतीकरण निगम को महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड से सितम्बर-अक्तूबर, 1979 में प्राप्त हुई थीं।

(ख) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा ग्राम विद्युतीकरण निगम को प्रस्तुत की गई आठ स्कीमों में शामिल किए गए गांवों के तालुका-वार नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इन स्कीमों की ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा जांच की जा रही है और इन्हें अप्रैल, 1980 तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है।

ग्राम विद्युतीकरण निगम के पास वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए जांच के अधीन, रत्नागिरि जिले की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों में शामिल किए गए गांवों के नाम।

(29-2-1980 की स्थिति के अनुसार)

गुहागढ़ तालुका :

वाघाम्बे, चिन्दरावले, दोडावले, कारडे, जम्भारी, काटाले, कुटाली, अम्बारे ख, पचीरी

अगार, पचोरीसादा, कोला वली, भालगांव कजुरली, मासु, अवारे, असोर, शिवाने, जोम्बादी माधाल पाली, कुटीगिरी, पाभारे, सुरुल, गोनावली, वदादाय पिम्पर, जाममुत राहिले, काटकिरी टेले (30गांव)।

चिपलूण तालुका :

कुड़प, डेरावान, हाडाकाणी, कोसावी, मुनडके, टी० सावारडे, फुरुस, दुर्गावाड़ी, तालावाडी, गोवलमाजरे, पाठे, मरजुत्री, अम्वातखोल, कालाबन्डे, धोकरवली, तामनपाला, धाकमोली, गुलामाने, अम्बितगांव, वडेरू, खन्डोत्री, वावल, पिलावली, टी वेलम, केरे, मूरतावडे, वारेली, टोन्डाली, पिलावती टी०, सावर्डे, सेर, अम्बरे (वी के), कालामुन्डे, पखारड़ी, देवथरेकी, मिरावाने शिवली, दुगावे, कालाम्बत, कोन्धर ताम्हाने, मन्जरे कोंधर कतरोली, करमबावाने, केतकी, मिले मनदेवजारी तिवादी (46 गांव)।

दापोली तालुका :

अम्बरशेथ, रावटोली, कावडाली, खाले, अम्बाली (बी के), वानजलोती, खारावटे, विरसाय, दौली, दुखादे, चन्दीवाले, सुकोन्डी, देहेन, मालवी, लोंवादी, इलाने, वाधीवाने, राजापुर दसखान, वन्धतीबारे, सकुर्डे, धनकोली, रेवाली, पिचदोली, भोगादी, वेलवी, कादीवली, कांगावाई, भाटघर, सोवेली, शिरसादी, हातिप, कोनाले, कालागवत, वधावे, शिवाजीनगर, कोन्दावाली,वनाड़, वालने, शिरडे, सदैवे, सदावली, माथेगुजर गाँओनारी, शिवनारी उरफी, सतेरा टी. हवेली, केलिल, तामोद (49 गांव)।

लन्जा तालुका :

अडवली, आडरे, अरुयान, बापरे, वादे, लवागांव, बोरविले, चिनचवती, गोलवाशी, गोविल, हाराची, हासेल, तवादे कांगोली, काविनके, कोलहारी, कोलदेवाडी, कोनो, कवदेवाले, वयरानु, कछूवम्व, मचोल, मन्दीवाली, करेशी, पाल्व, प्रभावनवलि, पेवस्वी, हिंगने, शिवरोली, शिब्बाल, तलवाडे, वपाले, वसुराले, वडगांव, बधराट, केल, येरवान्डग, बादीलिम्बाची, रून, वधनगांव, कुरले। (41 गांव)

राजपुर तालुका :

गोथीवाडे, पाल्वे, चिवारी, चोंके, महालउन्जे, जनवाथी, वाल्वे, शेलावली, गुन्जेवाने, हातीवाले, पाहहल्ले-टी-साउन्दल, टेलेगांव, मोसाम, कालेवली, हसोल-टी-साउन्दल, पन्गारी बी के, शेम्बावाने, ससाले, सोले, अगाले, फवापरे, जम्भावाली, मोरोशी तुलासवाले, सोलीवादे, जवालीवादे जवालीथार हटाडे मिलन्द, कोलाम्ब, सवादेव, कजावाड, पोंगारी बी के, जराये, पाथारेड, कुलावाडे जिखेले, साखर, बडा हासेल, थिकनकन्द, तम्हाने, अदवाली, ओशीवाले, अज्जवाली, कोलवांचुना, वदावाली, गोवल, पनहाले, बाग अब्दुल कादिर, हुसेन। (50 गांव)

संगमेश्वर तालुका :

उजागा, मांडलज, मथमापवर, विगारवाली, सयाले, केटववली, कोन्दीजोर, बोरस्वट, कवले, वाशी किंजाले, देवलेधर, प्रालहितीगढ़, फनसुले, चनीवाले, धोदावली, फनसट, तुलसानी, निवे बी के, कोन्डकादमराव, कोन्डवजवोलराव, किरादी, वाशी टी, देवरुख, कारली, देवघार कोन्धान, किरदुवे,

व्यानगानी, करपवदे, तलावादे टी. देवरुज, ओजार खोल, निगवदवादी, निवाधे, वोन्डये, कुम्बलोनी खाडिकोनवान निनवे, उजारे बी के, चोपेवाली, गेधी, जंगलवाडी, तले, कनकाडी, कर्मनगर, देवले, दाकिन, कान्ते, भोवादे, किरवेट, वदियाघासी, पन्गोरी देवडे । (50 गांव)

रत्नागिरि तालुका :

वथाड, ओरी, चाफे देवूद, कालगाँव, नेवाली करबवदे, फनसावाले, धोक, अगरनलाल, कोलीसारे, चावे, वेलबन्द, साथेरे, काशेली, आदमभावे, आदम भावे जागभावन, करवाथे, चारवेली, रावी, बोन्डेय । (22 गाँव)

खेड तालुका :

वडगांव (के. एच.), वडगाँव (बी. के.) कटमणि (के. एच.), वीरमणि, कोयनजाले टी. खेड कन्डोशी, व्याहाली, धनवाडे, नन्दीवाह, वडीमाल्दा, असतान, चाटान, वडी वीड, सनागार, हुमवारी, घेरा रसोलगढ़, वरबाह, अम्बावार्ली, महालुन्जे, देवधर, सोन्दे, मोहाने, धोगारे, कितजाले टी. नातु, दहीवाली, शिनागारी, पुरे (बी. के.) पुरे (के. एच.), वानी, बेलदोर, घेरा, सुमोरगढ़, वादी, जैतपुर, मान्डवे, जैतापुर, तुलसी (बी. के.), तुलशी (के. एच.), कशेडी, पोयनार, अइनी, दयाल, नुमवड, अनासपुरे, सुइरगांव, मणि, तालधर, निगादे, करतेल, निल्लावणे, कस्वा टी.-नातु, सिवख, निवे. चोरवडे, सपारली, अपेदे शिरावाली, पसारे के. एच. साखर, तलवत, जवाली, तलवत खेद, पाल, कवाल, कसाय, पोसारे बी. के. कुरवल खेड । (67 गाँव)

बी० सी० सी० एल० में महिला कर्मचारियों के बदले में पुरुषों की नियुक्ति

915. **श्री ए० के० राय : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० सी० सी० एल० द्वारा ऐसे बहुत से प्रपत्र जारी किये गए हैं जिनमें महिला कर्मचारियों के बदले पुरुष कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में कहा गया है, पर उसका उलट नहीं जब कि यह बात संविधान के विरुद्ध है जिसमें स्त्री और पुरुष को बराबर रखा गया है, यदि हां तो गत तीन वर्षों में बी० सी० सी० एल० द्वारा जारी किए गए इन महिला-विरोधी प्रपत्रों की सूची क्या है और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इन प्रपत्रों को ठीक करके महिला कर्मचारियों को पुरुष के बराबर रखा जाएगा, यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

धनबाद जिले में गोवाई बांध द्वारा सिंचित क्षेत्र

916. **श्री ए० के० राय : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस सूखे की स्थिति वाले वर्ष में बिहार में धनबाद जिले के गोवाई बांध द्वारा

वास्तविक रूप में कुल कितनी भूमि की सिंचाई की गई है और उसकी प्रतिष्ठापित सिंचाई क्षमता क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि नहर को जो इस समय क्षतिग्रस्त स्थिति में है, ठीक न किये जाने के कारण पिछले पतझड़ के मौसम में इस बांध का पानी काफी मात्रा में व्यर्थ ही बर्बाद हो गया था।

(ग) क्या यह सच है कि इस खण्ड, धनबाद के जैतारा पंचायत के रानीविरका गांव के लोगों ने पानी को व्यर्थ बर्बाद किये जाने का विरोध किया था और कार्य के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत स्वयं इस नहर की मरम्मत करने की पेशकश की थी, परन्तु उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया हालांकि उनकी खड़ी फसल को बिना पानी के नुकसान हो रहा था, और

(घ) क्या सरकार का मामले की पूरी जांच करने का और सिंचाई नहर की मरम्मत को प्रारम्भ करवाने का विचार है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) राज्य को 1980-81 की वार्षिक योजना में दी गई सूचना के अनुसार परियोजना को सृजित क्षमता और उसका समुपयोजन निम्नलिखित हैं :

(हैक्टेयर)

	1978-79 के अन्त तक (वास्तविक)	1979-80 (प्रप्याशित)	1980-81 (लक्ष्य)
सृजित क्षमता	3400	4000	4950
समुपयोजन	800	800	800

परियोजना की अभिकल्पित क्षमता 4950 हैक्टेयर की सिंचाई करने की है।

(ख) से (घ) सूचना बिहार सरकार से मंगाई गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बालक विवाह अधिनियम और दहेज संबंधी अधिनियम के अतिक्रमण के मामले

917. **श्री अर्जुन सेठी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बालक विवाह अधिनियम और दहेज अधिनियम के अतिक्रमण के पिछले तीन वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए मामलों से संबंधित वर्ष-वार तथा राज्य-वार जानकारी एकत्रित कर ली है; और

(ख) क्या समस्या पर गहराई से और इसकी सभी शाखा-प्रशाखाओं का पूर्ण रूप से अध्ययन करने, और यदि आवश्यक हुआ तो अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने और इन अधिनियमों के अतिक्रमण के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) बालक विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के प्रवर्तन का कार्य राज्य सरकारों का है। यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) बालक विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 का संशोधन 1978 में किया जा चुका है। यह संशोधन विवाह की न्यूनतम आयु को महिलाओं के मामले में 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष और पुरुषों के मामले में 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए और इस अधिनियम के अधीन अपराधों को, अन्वेषण के सीमित प्रयोजन के लिए संज्ञेय बताने के लिए किया गया है। अतः फिलहाल और कोई संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम के उपबंधों को अधिक कठोर बनाने के लिए उस अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

निगमित क्षेत्र के निदेशकों के पारिश्रमिकों की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव

918. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री सी० टी० दंडपाणि : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार नियमित क्षेत्र में कम्पनियों के कर्मचारी निदेशकों के पारिश्रमिक की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) सरकार के समक्ष, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों, तथा उन प्राइवेट कम्पनियों, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की सहायक हों, के प्रबन्धकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक की अदायगी को शासित करने वाले विद्यमान मार्गदर्शक नियमों को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा खरीदे गए चलचित्र

919. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा गैर सरकारी लोगों से खरीदे गए चलचित्रों का (लम्बाई वार) ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उन्हीं विषयों पर स्टाफ आर्टिस्टों को अपने चलचित्र प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान चलचित्रों की खरीद पर वर्ष-वार कितनी राशि खर्च की गई है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

विस्थापितों के पुनर्वास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

920. **श्री अमरराय प्रधान : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगला देश के विस्थापितों के पुनर्वास के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) पश्चिम बंगाल में पुराने प्रवासियों के पुनर्वास के लिए पहले से मंजूर की गई योजनाएं राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं और इसके लिए धनराशि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि बंगला देश के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अतिरिक्त सहायता की मांग की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में विमाड़ जिले की बुरहानपुर तहसील में खेती योग्य भूमि की सिंचाई

921. **श्री शिवकुमार सिंह : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊपरी ताप्ती परियोजना (खड़िया बांध) के फलस्वरूप मध्य प्रदेश में विमाड़ जिले की बुरहानपुर तहसील में सिंचाई के अधीन लाई जाने वाली कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्र कितना है ;

(ख) उक्त परियोजना से उस क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी कब तक उपलब्ध होने की संभावना है; और

(ग) बुरहानपुर क्षेत्र में कपास के साथ-साथ खाद्यान और तिलहन का कितना अतिरिक्त उत्पादन होगा ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि अपर ताप्ती चरण-दो परियोजना के अन्तर्गत पूर्वी विमाड़ जिले की बुरहानपुर तहसील में कुल कृषि योग्य कमान क्षेत्र 54,932 हैक्टेयर है। इस क्षेत्र में लगभग 47,000 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं देने का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) अपर ताप्ती चरण-दो परियोजना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त स्कीम है। इन दोनों राज्य सरकारों द्वारा परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है। परियोजना रिपोर्ट के न होने के कारण, यह बताना संभव नहीं है कि परियोजना का निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए कितना जल उपलब्ध होगा।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि अपर ताप्ती चरण-दो से बुरहानपुर तहसील में 4,19,000 टन खाद्यान का, जिसमें हरी खाद भी शामिल है और 12,200 टन तिलहन, जिसमें रुई भी शामिल है, अतिरिक्त उत्पादन होने की आशा है।

दण्डकारण्डया कर्मचारी (अराजपत्रित) संगठन से ज्ञापन

922. **श्री समर मुखर्जी : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दण्डकारण्या कर्मचारी (अराजपत्रित) संगठन से दिनांक 15 दिसम्बर, 1979 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

सूचना और प्रसारण पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त पी० साठे) : (क), जी, हां।

(ख) और (ग) : एक विवरण, जिसमें ज्ञापन में उठाई गई मुख्य-मुख्य बातें तथा उनकी वर्तमान स्थिति दर्शाई गई हैं, संलग्न है।

विवरण

(1) **फालतू निर्माण प्रभारित स्टाफ की खपत :**

निर्माण प्रभारित स्टाफ विशिष्ट कार्यों पर लगाया जाता है। उनकी सेवाएं उस कार्य के समाप्त होने पर जिस पर कि उन्हें लगाया गया है, समाप्त कर दी जाती हैं। फालतू निर्माण प्रभारित स्टाफ कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग तथा रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के फालतू सैलों के माध्यम से फिर से खपाए जाने की सुविधाओं के हकदार नहीं हैं। तथापि, जहां तक संभव हो परियोजना में या केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के संगठनों में उनके लिए वैकल्पिक रोजगार खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(2) **केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1960 के अधीन निर्माण प्रभारित कर्मचारियों के वेतन को नियमित करना :**

निर्माण प्रभारित स्थापना के पदों की कुछ श्रेणियों के वेतन-मान प्रथम जनवरी, 1968 से संशोधित कर दिए गए हैं। 1-1-68 से पूर्व की अवधि के लिए वेतन के बकाया के भुगतान का कोई मामला नहीं है।

(3) **निर्माण प्रभारित कर्मचारियों का औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के रूप में वर्गीकरण :**

दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों के लिए उद्योग विवाद अधिनियम लागू करना परीक्षाधीन है।

(4) **निर्माण प्रभारित कर्मचारियों का नियमित स्थापना में स्थान्तरण :**

यदि फालतू रिक्तियां उपलब्ध हों; तो फालतू निर्माण प्रभारित स्टाफ को नियमित स्थापना के अधीन रोजगार दिलाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(5) **निर्माण प्रभारित स्टाफ के लिए स्थायी पदों का सृजन :**

(5) चूंकि दण्डकारण्य परियोजना में निर्माण कार्य, जिस पर कि निर्माण प्रभारित स्टाफ को रोजगार दिया गया है, वह अस्थायी स्वरूप का है, अतः उनके लिए स्थायी पदों के सृजन का कोई मामला नहीं बनता है।

(6) औद्योगिक श्रेणी के निर्माण प्रभारित स्टाफ के लिए नियमित उद्योग स्टाफ को लागू समान सेवा शर्तें प्रदान करना :

इसका प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जबकि दण्डकारण्य परियोजना के लिए उद्योग विवाद अधिनियम लागू करने का मामला तय हो जाएगा ।

(7) बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता दिया जाना :

अन्य के साथ-साथ सीधें केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रहे औद्योगिक कर्मचारियों को भी यह भत्ता स्वीकार्य है । निर्माण प्रभारित कर्मचारियों के औद्योगिक के रूप में वर्गीकृत होने के मामले में यह भत्ता भी उन्हें ग्राह्य होगा ।

(8) निर्माण प्रभारित कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की जीवन बीमा योजना लागू करना :

यह मामला विचाराधीन है ।

सूर्य ग्रहण के दौरान आकाशवाणी का प्रसारण

923. **श्री पी० के० कोडियन : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के नोटिस में यह बात आई है कि 16 फरवरी, 1980 को सूर्य ग्रहण की प्रायः पूरी अवधि के दौरान इस खगोलीय घटना की लोकप्रिय वैज्ञानिक टीका-टिप्पणी देने के बजाए आकाशवाणी से धार्मिक ग्रन्थों से भक्ति गीतों का प्रसारण किया जा रहा था जिसमें सूर्य देवता तथा अन्य ईश्वरीय देवताओं की महिमा गाई गई है और साथ ही भू-ग्रह के निवासियों से अनिष्ट को दूर रखने के लिए उनकी प्रार्थना की जा रही थी;

(ख) क्या देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को चित्रित करने के बारे में आकाशवाणी और दूर-दूरदर्शन को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) : जी, नहीं । आकाशवाणी केन्द्रों ने सूर्यग्रहण के बारे में बहुत बड़ी संख्या में कार्यक्रम प्रसारित किए जिनमें इस प्राकृतिक घटना से संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं की विशेष रूप से व्याख्या की गयी । सामाजिक और परम्परागत विचारों, और हमारी जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग के धार्मिक विचारों को ध्यान में रखते हुए धार्मिक ग्रन्थों से वार्ता और कथाएं आदि भी ग्रहण के दौरान प्रसारित की गयीं ।

(ख) और (ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन को यह सलाह दी गयी थी कि वे सूर्य ग्रहण के बारे में हमारी लोक विद्या और आध्यात्मिक परम्पराओं के वास्तविक पहलुओं को स्पष्ट करने का प्रयत्न कर, ताकि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाये बिना अन्ध विश्वासों को दूर किया जा सके और उसी समय आध्यात्मिक विश्वासों के सकारात्मक पहलुओं को भी दिखाया जाए ।

उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

924. **श्री के. प्रधानी क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य के लिए पहले मंजूर की गई ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं योजनाओं के क्रियान्वयन की वर्तमान प्रगति क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) उड़ीसा सरकार ने ग्राम विद्युतीकरण निगम से ऋण सहायता के लिये 62 स्कीमें प्रस्तुत की हैं।

(ख) : कुल 62 स्कीमों में से 8 स्कीमें अभी तक स्वीकृत की गई हैं। 19 स्कीमें स्पष्टीकरण/संशोधन के लिए वापस भेजी गई हैं। शेष 43 स्कीमों की जांच ग्राम विद्युतीकरण निगम में की जा रही है।

(ग) 29 फरवरी, 1980 तक निगम ने 204 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं। इन स्कीमों के लिए ऋण किस्तों में मुहैया कराया जाता है तथा इन स्कीमों में से जिन स्कीमों के संबंध में 31 मार्च, 1979 तक ऋण की कम से कम एक किस्त ले ली गई है, उन स्कीमों में हुई 30 सितम्बर, 1979 की यथास्थिति वास्तविक प्रगति निम्नानुसार है:—

1. विद्युतीकृत गांव	:	6025
2. पूरा किया गया निर्माण कार्य		
(क) एच० टी० लाइनें (किलोमीटर)	:	9926
(ख) एल. टी. लाइनें (किलोमीटर)	:	6178
(ग) वितरण ट्रांसफार्मर (के. वी. ए. क्षमता)	:	2,05,792
3. उपलब्ध की गई सेवाएं		
(क) कृषि पम्प सेट	:	3673
(ख) लघु उद्योग	:	1649
(ग) घरेलू और औद्योगिक	:	51249
(घ) स्ट्रीट लाइट	:	4410

आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा के पास पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियां।

925. **श्री टी.एस. नेगी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा द्वारा विज्ञापन एजेंसियां पंजीकृत की जा रहीं हैं और इन एजेंसियों को प्रारंभ से ही 10 प्रतिशत कमीशन दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1979 से 31 दिसम्बर, 1979 तक की अवधि के दौरान कितनी एजेंसियां पंजीकृत की गई हैं ;

(ग) उपरोक्त अवधि में ऐसी एजेंसियों और उनके मालिकों के नाम क्या हैं जो विज्ञापन प्रसारण सेवा के स्टेशन ड़ायरेक्टर द्वारा पंजीकृत की गई है ;

(घ) क्या यह सच है कि आकाशवाणी, दिल्ली की विज्ञापन प्रसारण सेवा द्वारा कुछ एजेंसियों को सुपर "ए" समयावधि में विशेष रूप से अधिक उदारतापूर्वक बुकिंग दी गई थी ; और

(ड़) यदि हां, तो इस पक्षपात के क्या कारण हैं और इस प्रकार के पक्षपात को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां। आकाशवाणी/दूरदर्शन के व्यापारिक संबंध के लिए पंजीकृत एजेंसियों को पंजीकृत होने की तारीख से 10% कमीशन दिया जाता है।

(ख) 1979 में कुल 84 (चौरासी) एजेंसियां पंजीकृत की गई थीं।

(ग) दिल्ली में पंजीकृत एजेंसियों और उनके स्वामियों के नाम विवरण में दिए हुए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

लोक सभा के दिनांक 18-3-80 के अतारांकित प्रश्न संख्या 925 के भाग (ग) के उत्तर में।

क्रम संख्या	एजेंसियों का नाम	मालिक/सांझीदार/निर्देशक आदि
1.	मैसर्स ब्यूटैक्स एटवर्टाइजिंग मीडिया (पंजीकृत) 1715, आर्य समाज रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली-5	मालिक : **ए. के. जैन** पता कालम 2 में
2.	मैसर्स यूनाइटेड एडवर्टाइजर्स दूसरा तल, होटल सम्राट, चांदनी चौक, दिल्ली।	साझीदार : **मनु गुप्ता** 5. नुरुद्दीन अहमद वैयद, सिविल लाइंस, दिल्ली। 2. **रूप चंद** एस-349, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली। 3. **रवि बसल** 702/17, मिलिट्री लेन, करोल बाग, नई दिल्ली।

1	2	3
3.	मैसर्स आनंद एडवर्टीजिंग एजेंसी, 31, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110002	मालिक : **वी० मोहन** 31, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110002
4.	मैसर्स करंट एडवर्टीजिंग एण्ड मार्केटिंग, 4 ई/7, झंडेवालान, नई दिल्ली-55	साझीदार: 1. **एम० एल० अग्रवाल** 2. **राजेन्द्र अग्रवाल** जे-372, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-60
5.	मैसर्स शारदा पब्लिसिटी सर्विस, 4265,गली मैरों, नई सड़क, दिल्ली-110006.	साझीदार: 1. **पी० सी० वर्मा** 2. **जी. के. वर्मा**
6.	मैसर्स स्वीट एडवर्टाइजिंग 807-ए. डी. एम. एम. एस. रोहित हाऊस, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली।	मालिक: **राजेन्द्र पी० नांचहल** के-1. नवीन शाहदरा, दिल्ली-32
7.	मैसर्स फिल्म एण्ड टी. वी. सेटर एडवर्टाइजिंग, 5, डाक्टर्ज लेन, गोल मार्किट, नई दिल्ली-1	एकमात्र मालिक: **कुलदीप गोयल** पता कालम 2 में
8.	मैसर्स तूलिका एडवर्टाइजिंग एंड मार्किटिंग प्रा. लि., 21, हनुमान रोड, नई दिल्ली।	अध्यक्ष: **दीवान चन्द जैन** 4. सफदरगंज एन्कलेव, प्रबंध निदेशक: नई दिल्ली। **नरेश चन्द जैन** 1124, बाजार सीता राय, दिल्ली—6
9.	मैसर्स जीनथ एडवर्टाइजिंग सर्विस, 255, डी.एस., न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-60.	एकमात्र मालिक: **विजय के. सोनी** पता कालम 2 में
10.	मैसर्स नवलदास 32/50, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-8	साझीदार: 1. **के . एल. मेहता** पता कालम य में 2. कमला देवी 3. **बलबीर सिंह** 16/8-ई, आनंदपुरी, देव नगर, नई दिल्ली-8.

1	2	3
11.	मेसर्स आरोही एडवर्टाइजिंग एजेंसी, 60, दरियागंज, नई दिल्ली-2.	एकमात्र मालिक: **जास्वां एबट** 91, गदोडिया मार्किट, खारी बावली, दिल्ली-6.
12.	मेसर्स ईस्टर्न एडवर्टाइजिंग, डी-69, अशोक विहार, फेज-1, दिल्ली 110052.	साझीदार : 1. कृष्ण कुमार सद्दी पता कालम 2 में 2. सी, वी. सद्दी पता कालम 2 में
13.	मैसर्स कादम्बरी एडवर्टाइजिंग प्रा. लि., ए-25/7, कनाटप्लेस, नई दिल्ली-1.	प्रा. लि. कं. (निदेशक) 1. **इन्दर के. शर्मा** (प्रबंध निर्देशक) एफ-51, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली 2. बी. डी. सोनी (निर्देशक) एस-72, कीर्तिनगर, नई दिल्ली 3. **राकेश के. शर्मा** एफ-31, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली **विनोद मेहरा** आर-59, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली । 5. **टी. एन. जैन** 160, वीर नगर, दिल्ली ।
14.	मैसर्स राष्ट्रीय एडवर्टाइजिंग एजेंसी, 3861, वीर नगर, दिल्ली-35.	मालिक: **आई. पी. गुप्त** पता कालम 2 में
15.	मैसर्स एडवैल एडवर्टाइजिंग एंड मार्किटिंग 87, भगत सिंह मार्किट, नई दिल्ली ।	**साझीदार** 1. **अयोध्या नाथ** 9/2, साऊथ पटेल नगर, नई दिल्ली । 2. **ओम प्रकाश** पत्र अपर दिये अनुसार
16.	मैसर्स एस० कल्याणी साउंड स्टूडियो, 4654/21, रमेश भवन, दूसरा तल, ईस्टर्न विंग, अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली-2	साझीदार: 1. **सुरिंदर गांधी** 2. **सीता रानी गांधी** 3. **शोभनी गांधी** 1/प्रथम, 56, लाजपत नगर, नई दिल्ली-24.

1	2	3
17.	मैसर्स विकाश एडवर्टाइजिंग एंड मर्किटिंग, 27, गोल मार्किट, नई दिल्ली ।	एकमात्र मालिक : **डी. के. जोशी** 1519, गली काशिम जां, बल्ली मारान, दिल्ली-6
18.	मैसर्स पलैनट एडवर्टाइजिंग 4636,डिप्टीगंज, सदर बाजार, दिल्ली 110006.	एकमात्र मालिक : **यू. एस. जैन** पता कालम 2 में
19.	मैसर्स विकल्प एडवर्टाइजिंग 4648, साधुमल बिल्डिग, 21, दरियागंज, दिल्ली-2	एकमात्र मालिक : **आर. एन. श्रीवास्तव** पता कालम 2 में
20.	मैसर्स स्वर सुधा साऊन्ड स्टूडियो, 2 ई-6, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-55	साझीदार: 1-**आर. डी. रावल** 144, राजा गार्डन, नई दिल्ली-15 2-**विनोद रावल** पता ऊपर दिए अनुसार
21.	मैसर्स शक्ति साउण्ड एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी, 1589, मद्रसा रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली	मालिकः **सत्य प्रकाश सक्सेना** एफ 14/36, माडल टाउन, दिल्ली-9
22.	मैसर्स वासुदेव प्रचार सेवा, 50-एम, कनाट सर्कस, नई दिल्ली ।	साझीदार : 1. **सीताराम वासुदेव** 2. **सतीश वासुदेव** 3. **सुरिन्दर वासुदेव** एच० 73 ए, एन. डी. एस. ई 2 भाग-1 नई दिल्ली-49
23.	मैसर्स स्टेंडर्ड एडवर्टाईजिंग सर्विस (रजि०), 7040, रामेश्वरी नेहरू नगर, करोल बाग, नई दिल्ली-5	मालिक : **कुलदीप कौर** पता कालम 2 में ।
24.	मैसर्स साऊंडऐड्स, 7/7, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-2	मालिक : **एस० शर्मा** पता कालम 2 में

1	2	3
25.	मैसर्स अमृतवाणी; जीवन तारा भवन के पीछे पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली ।	साझेदार : 1. **ए. आर. गुलाबी** 2. **एस. के. गुलाबी** 2-12, माडल टाउन, दिल्ली । 3. **के. के. बब्बर** 4. जे: बब्बर बी-136, कालकाजी, 5. **एस. पी.** बब्बर नई दिल्ली ।
26.	मैसर्स नेशनल प्रिंटिंग और पब्लिसिटी सर्विस, चांद होटल बिल्डिंग, 62, चांदनी चौक, दिल्ली ।	साझेदार : 1. **मालती देवी**-3243 पीपल महादेव, दिल्ली । 2. **विजय प्रकाश अग्रवाल** 3. **राकेश कुमार अग्रवाल**] के-22, कृष्ण नगर, दिल्ली ।
27.	मैसर्स सोनोविजन, 707, रोहित हाउस, 3-टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली ।	सीलिक : सुनीति कोहिली, ए-187, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली ।
28.	मैसर्स वन्दना एडवटाईइजिंग, 42-44, गली केदार नाथ, चावड़ी वाजार, दिल्ली ।	मालिक : अशोक कुमार गुप्ता 4/40, रूपनगर, दिल्ली-110007
29.	मैसर्स यूनीक एडवर्टाईजिंग, बी-26, सर्वोदय एनक्लेव, ओरोबी अरविंद मार्ग, नई दिल्ली	मालिक : राकेश चन्द्र जैन, पता कालम 2 में ।
30.	मैसर्स विशाल इंडिया एडवटाईजिंग एंडें मार्केटिंग, 14-अमेर चैम्बर्स, नाहर हाउस, एफ-14, कनाट प्लेस, नई दिल्ली ।	साझेदार : 1. **एस. आर. भसीन** 2. **एच. के भसीन** 3. **आर. भसीन** 22/51, पंजाबी बाग, नई दिल्ली ।

1	2	3
31.	मैसर्स राबर्ट एंड मिकल, 3939, बर्ना स्ट्रीट, सदर बाजार, दिल्ली-110006	साझेदार : 1. **चन्द्र कांता चौधरी** 2. **प्रमोद कुमार** डी-5, रेडियो कालोनी, किंग्जवें कैम्प, दिल्ली ।
32.	मैसर्स मधुरवाणी, सी-30, मालवीय नगर, नई दिल्ली ।	साझदार : 1. **विष्णु नरायण शर्मा** 2. **शिवानी मरवाह** 3. **जया मरवाह** पता कालम 2 में ।
33.	मैसर्स एडविस, परमानंद स्ट्रीट, नेताजी सुभाष मार्ग,' दरिया गंज, नई दिल्ली ।	मालिक : **धर्म वशिष्ट** 3766, परमानंद स्ट्रीट, नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, नई दिल्ली ।
34.	मैसर्स शीलस्वर मिलाप निकेतन, 8-ए, बी. एस. ज़फर मार्ग, नई दिल्ली ।	मालिक : **लतिका सुरी** डी-25 आनंदनिकेतन, नई दिल्ली । 2. **रूपली सूरी** ऊपर दिये अनुसार 3. **चन्द्र प्रकाश** दैनिक मिला, नई दिल्ली ।
35.	मैसर्स अवंत गार्द एडवटाइजिंग एसोसियेट्स, के-108, हौज़खास एनक्लेव, नई दिल्ली ।	मालिक : **शान्ती देवी**
36.	मैसर्स बाका पब्लिसिटी व्यूरो, 1715, आर्य समाज रोड, न्यू बैंक ऑफ इंडिया के पास, करोल बाग, नई दिल्ली ।	मालिक : **अरुण कुमार**

उत्तर प्रदेश के सूचना और प्रसारण विभाग द्वारा समाचार पत्रों को जारी किए गए विज्ञापन।

926. **श्री रामलाल राही : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सूचना और प्रसारण विभाग ने ऐसे अनेक समाचारपत्रों को विज्ञापन दिये हैं जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं जबकि कुछ ऐसे समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं जो नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं लेकिन उन्हें विज्ञापन नहीं मिलते; और

(ख) समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को विज्ञापन सीधे ही देने संबंधी नीति क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) मामला राज्य सरकार से सम्बन्धित है। सूचना सम्बन्धित राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और उसे यथासमय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

जनता सरकार द्वारा सेवा से हटाये गए कर्मचारियों की बहाली

927. **श्री रामलाल राही : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण विभाग में आपातस्थिति की अवधि के दौरान तथा 1975 से मार्च 1977 तक कार्य करने वाले कुछ कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उसका ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें बहाल करने का है तथा क्या उन्होंने इसके लिए अनुरोध किया था; और

(घ) क्या प्रसारण केन्द्र, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे कुछ पुरुष तथा महिला कर्मचारियों को भी सेवा से निकाल दिया गया था और क्या उन्हें बहाल करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) ; (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

मुजफ्फरपुर, केरलगांव और कटिहार में तापीय बिजली घरों की स्थापना।

928. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में बिजली की कमी दूर करने के लिए मुजफ्फरपुर, केरल गांव और कटिहार में तापीय बिजली घरों की स्थापना की मांग बहुत वर्षों से की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) : राज्य में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त

तक बिहार में विद्युत उत्पादन क्षमता में पर्याप्त अभिवृद्धि करने की योजना बनाई गई है। पतरातू में 110-110 मेगावाट की 2 यूनिटें स्थापित की जा रही हैं। 65 मेगावाट की एक यूनिट स्वर्णरेखा में स्थापित की जा रही है तथा उत्तर बिहार में बरौनी में 110-110 मेगावाट की दो यूनिटें स्थापित की जा रही हैं। इसके अलावा, दक्षिण बिहार में तेनुघाट में 210-210 मेगावाट की 2 यूनिटें स्वीकृत की गई हैं और 710 मेगावाट की कोयलकारों जल-विद्युत परियोजना स्वीकृत की गई है।

मुजफ्फरपुर में 110-110 मेगावाट की दो यूनिटें स्थापित करने की एक स्कीम की स्वीकृति योजना आयोग ने दे दी है। कहलगांव में 3,000 मेगावाट का एक केन्द्र प्रतिष्ठापित करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुई है।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड पर बिजली की कमी का प्रभाव

929. **श्री एन० ई० हीरो : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि बिजली की भारी कमी के कारण सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सभी 56 कोयला खानों और बिहार के हजारीबाग, गिरिडीह और रांची जिलों में फैली चार विशाल मध्यम कोकिंग कोल वशरियों पर पिछले दो वर्षों से संकट छाया हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बिजली की कमी के बावजूद उक्त घाटे को कम करने और वित्तीय वर्ष 1979-80 में लाभ कमाने की स्थिति में है ?

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० में गत दो वर्षों के दौरान बिजली की कमी रही।

(ख) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० को वर्ष 1979-80 के दौरान लाभ होने की आशा है।

बिजली घरों में द्वारा अभूतपूर्व कोयले की कमी का सामना करना

930. **श्री एन० ई० हीरो : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में बिजली संयंत्रों को कोयले की सप्लाई में कमी का मूल्यांकन किया है और गत वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के बिजली संयंत्रों की वास्तविक आवश्यकता क्या थी और उन्हें कुल कितना कोयला सप्लाई किया गया; और

(ख) सरकार ने बिजली संयंत्रों की पूरी क्षमता के अनुसार उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) ताप विद्युत केन्द्रों के लिए कलेंडर वर्ष 1979 के दौरान कोयले के क्षेत्रवार आवंटन और वास्तविक प्राप्ति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की मात्रा में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें ये शामिल हैं :

(1) कोयला कम्पनियों और रेलवे से कहा गया है कि विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में वृद्धि करें।

(2) कोयला विभाग, रेलवे और विद्युत विभाग के बीच घनिष्ट सम्पर्क रखा जा रहा है।

(3) विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की समीक्षा करने के लिए उच्च-स्तरीय अन्तर-मंत्रालीय बैठकें समय-समय पर की जाती हैं।

(4) विद्युत केन्द्रों को दैनिक आधार पर कोयले की सप्लाई की मनीटरिंग करने के लिए रेलवे बोर्ड में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।

(5) ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की मानीटरिंग मंत्रिमंडलीय औद्योगिक अवसंरचना समिति द्वारा भी साप्ताहिक आधार पर की जा रही है।

विवरण

ताप विद्युत संयंत्रों को कलैन्डर वर्ष 1979 की अवधि के दौरान कोयले के क्षेत्रवार आबंटन और सप्लाई को दर्शाने वाला विवरण

(मिलियन मीटर टन में)

	आबंटन	वास्तविक प्राप्ति
उत्तरी क्षेत्र	12.118	8.579
पश्चिमी क्षेत्र	13.776	11.481
दक्षिणी क्षेत्र	10.936	8.359
पूर्वी क्षेत्र	5·955	3.573
छोटे केन्द्र	1.586	0.924
जोड़ अखिल भारत	44.371	32.916

फिल्मों के निर्माण के लिए फिल्म वित्त निगम द्वारा ऋण देने की योजना

931. **श्री एन० ई० होरो : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म निर्माण के लिए सरकार ने फिल्म वित्त निगम द्वारा ऋण दिए जाने के बारे में कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) : फिल्मों के निर्माण हेतु अग्रिम ऋण दिए जाने के लिए सरकार ने कोई विशेष योजना नहीं बनाई है। अच्छे स्तर और कोटि की फिल्मों के निर्माण के लिए वित्तीय और अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने के मुख्य उद्देश्य से फिल्म वित्त निगम की स्थापना की गई है। निगम ने फिल्मों के निर्माण (वृत्त और डाकुमेंट्री/लघु दोनों के लिए ऋण प्रदान किए जाने के लिए उपनियम बनाए हैं।

(ख) सादी फिल्मों के लिए 3 लाख रु० तक का ऋण तथा रंगीन फिल्मों के लिए 4.5 लाख रु० तक का ऋण दिया जाता है । ऋण फिल्म के विषय-वस्तु और स्क्रिप्ट के आधार पर दिये जाते हैं । स्क्रिप्ट की जांच स्क्रिप्ट समिति द्वारा की जाती है जिसमें फिल्म उद्योग के प्रतिनिधि होते हैं ।

गुजरात में औद्योगिक एककों को कोयले की कमी

932. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री अमर सिंह वी० राठवा :

श्री अहमद एम० पटेल : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात तथा विशेषकर अहमदाबाद में अनेक औद्योगिक एकक कोयले के अभाव में बन्द होने की स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंडल से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने गुजरात राज्य को उसकी आवश्यकता का कोयला सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) गुजरात में कोयले की कमी होने की रिपोर्टें मिली हैं कमी के फलस्वरूप वहां के कुछ उद्योग बन्द होने की स्थिति में हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) कोयला कम्पनियां और खासतौर से वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० जो गुजरात की आवश्यकता की पूर्ति करती है, रेलवे से लगातार सम्पर्क बनाए हुए है ताकि गुजरात राज्य को रेल द्वारा कोयले का संचलन अधिकतम किया जा सके । इसके अतिरिक्त, कोयला कम्पनियां प्रायोजित मात्रा के अनुसार तथा रेल द्वारा कोयले के संचलन में रही कमी को पूरा करने के लिए सड़क द्वारा ले जाने के लिए कोयला दे रही है ।

राजस्थान की सिंचाई योजनाएं

933. **श्री मूलचंद डागा : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की कौन सी सिंचाई योजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं और यह कब से लम्बित पड़ी हैं और उन पर अब तक कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) उन पर कितना व्यय किये जाने की सम्भावना है और इनकी कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

विवरण

राजस्थान में नई सिंचाई स्कीमों की जांच की स्थिति

क्रम सं०	परियोजना का नाम	बेसिन	अनुमानित लागत (लाख रुपए)	लाभ हजार हैक्टेयर	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त होने की तारीख	जांच की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
(क)	बृहद्					
1.	साबी सिंचाई परियोजना	यमुना	2662.00	5.225	20-4-79	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा राज्य के इंजीनियरों के साथ जनवरी, 1980 में इस स्कीम के ब्यौरे पर विचार-विमर्श किया गया था। यह स्कीम आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं समझी गई है।
2.	गंग नहर का आधुनिकीकरण	सिंधु	8750.00	59.00	13-12-79	केन्द्रीय जल आयोग में इस स्कीम की जांच की जा रही है।
3.	भाखड़ा नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	सिंधु	3405.007	2.372	13-12-79	-वही-
4.	जुइसागढ़ परियोजना का आधुनिकीकरण	माही	625.00	5.479	25-1-80	-वही-

1	2	3	4	5	6	7
5.	लिफ्ट सिंचाई स्कीम चम्बल चरण-एक	चम्बल	1136.00	52.911	3-2-79	इस स्कीम में अन्तर्राज्यीय पहलू निहित है क्योंकि इसमें कोटा बराज से निकलने वाले चम्बल नहर के जल की परिकल्पना की गई है जिसे राजस्थान और मध्य प्रदेश द्वारा बांटा जा रहा है। इस संबंध में मध्य प्रदेश की स्वीकृति राजस्थान द्वारा प्राप्त की जानी है।
6.	बुंदी शाखा विस्तार स्कीम चम्बल परियोजना चरण-एक	चम्बल	1600.00	38.171	26-2-79	इस स्कीम में अन्तर्राज्यीय पहलू शामिल हैं क्योंकि इसमें माखड़ा मुख्य लाइन नहर के जरिए रवी-ब्यास के फालतू जल के समुपयोजन की परिकल्पना की गई है। सिंचाई विभाग के सचिव द्वारा 7-11-79 को बुलाई गई अन्तर्राज्यीय बैठक में राजस्थान के इंजीनियरों को सलाह दी गई थी कि इन स्कीमों के कमान क्षेत्रों को जल सप्लाई करने के वैकल्पिक अध्ययन किए जाएं।
7.	सिधमुख सिंचाई	सिंधु	2595.15	44·526	16-7-79	
8.	नाहर सिंचाई	सिंधु	959.34	26.030	20-6-79	

सिंचाई स्कीमों पर खर्च और परिव्यय (लाख रुपयों में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	1979-80 के दौरान प्रत्याशित खर्च	1980-81		अभ्युक्ति
			राज्य द्वारा प्रस्तावित	कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिश	
1.	लिफ्ट सिंचाई स्कीम चम्बल चरण-एक	20	30	30	
2.	बुंदी शाखा विस्तार स्कीम	शून्य	25	25	कार्यकारी दल की सिफारिश
3.	नाहर सिंचाई स्कीम (वार्षिक योजना में नाहर फीडर के रूप में दिखाई गई है)	10	20	20	योजना आयोग की स्वीकृति पर निर्भर करती है।
4.	सिंधमुख सिंचाई	10	5	5	

1	2	3	4	5	6	7
(ख) मध्यम						
1.	हिन्दलट सिंचाई परियोजना	चम्बल	256.82	2.964	27-1-79	इस स्कीम में अन्तर्राज्यीय पहलू शामिल हैं क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश में क्षेत्र के जलमग्न होने की परिकल्पना है। राज्य से मध्य प्रदेश सरकार स्वीकृति प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है।
2.	छापी सिंचाई परियोजना	चम्बल	590.60	7.000	7-7-79	तकनीकी सलाहकार समिति की 19-3-80 को होने वाली अगली बैठक में इस स्कीम पर विचार करने का प्रस्ताव है।
3.	विलास सिंचाई परियोजना	चम्बल	269.00	2.510	10-8-79	-वही-

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) आठ नई वृहद् सिंचाई स्कीमें और तीन मध्यम सिंचाई स्कीमें केन्द्रीय जल आयोग में जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इन ग्यारह स्कीमों में से दस स्कीमों के प्रस्ताव वर्ष 1979 के दौरान प्राप्त हुए थे और एक स्कीम का प्रस्ताव जनवरी, 1980 में प्राप्त हुआ था। इनकी वर्तमान स्थिति दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) योजना आयोग द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद इन स्कीमों को कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया जाएगा। राजस्थान की वर्ष 1980-81 की वार्षिक योजना से पता चलता है कि इन स्कीमों में से चार स्कीमों पर 80 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय दहेज अधिनियम के अन्तर्गत चालान

934. **श्री मूलचंद डागा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय दहेज अधिनियम के अन्तर्गत 1978-79 के दौरान कुल कितने व्यक्तियों का चालान किया गया, कितने मुकदमे दायर किये गये और कितने मुकदमों में दंड दिया गया; तथा कितनी अवधि का दंड दिया गया; और

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय दहेज अधिनियम केवल सांविधिक ग्रंथ में लिखा कानून है और इसे क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के प्रवर्तन का कार्य राज्य सरकारों का है। यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) दहेज प्रतिषेध अधिनियम जैसे समाज कल्याण विधान की सफलता जनता की राय और उसके सहयोग पर निर्भर करती है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कानून पुस्तक में एक अधिनियम मात्र है किन्तु यह स्वीकार करना होगा कि यह अधिनियम बहुत कारगर नहीं रहा है। सरकार को पूरी जानकारी नहीं है किन्तु इस अधिनियम के अधीन अभियोजन हुए हैं। सरकार इस अधिनियम को अधिक कारगर बनाने के उद्देश्य से इस अधिनियम का संशोधन करने का विचार कर रही है।

दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रमों में सुधार लाने का प्रस्ताव

935. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रमों में सुधार लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या दिल्ली दूरदर्शन पर "फादर डियर फादर" जैसे क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) क्या सरकार का दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र को देश के दूसरे महत्वपूर्ण दूरदर्शन केन्द्रों से जोड़कर दिल्ली केन्द्र से "मल्टी चैनल" प्रसारण प्रारम्भ करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसंत साठे) (क) : कार्यक्रमों में सुधार लाने हेतु सभी दूरदर्शन केन्द्र सतत् प्रयत्नशील हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, विभिन्न क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त लोगों की कार्यक्रम सलाहकार समितियां दूरदर्शन केन्द्रों में लगी हुई हैं। जहां तक दिल्ली के दूरदर्शन केन्द्र का संबंध है, यह समिति अब समीक्षा और पुनर्गठन की प्रक्रिया में है।

(ख) : जी, नहीं। फिर भी, हास्य नाटक, शृंखलाएं आदि प्रसारित की जा रही हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) : जी, नहीं। फिर भी, माइक्रोवेव सर्किट का उपयोग करते हुए दिल्ली को अन्य मुख्य दूरदर्शन केन्द्रों जैसे बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, श्रीनगर और जलंधर के साथ जोड़ने का विचार है, ताकि कोई एक केन्द्र किसी भी अन्य केन्द्र के कार्यक्रमों को प्रसारित कर सके। बम्बई-मद्रास माइक्रोवेव लिंक तैयार है और जब भी आवश्यकता पड़ती है इसका पहले से ही उपयोग किया जा रहा है।

कम्पनियों को विस्तार के लिए दी गई अनुमति

936. **श्री के० मालन्ना : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने पिछली सरकार के शासन के दौरान अपनी क्षमताओं में काफी वृद्धि करने अथवा नये उपक्रम स्थापित करने के लिये सरकार से अनुमति मांगी थी और उन्हें यह अनुमति दी गई थी; और

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें 221 करोड़ रुपए के परिव्यय के लिए अनुमोदित की गई है और उन बड़ी कम्पनियों के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें उनकी वर्तमान क्षमताओं में काफी विस्तार करने की अनुमति दी गई।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) एक अप्रैल, 1977 से 31 दिसम्बर, 1979 तक की अवधि के मध्य, (वर्ष-अनुसार) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों से इस अधिनियम की धारा 21 व 22 के अन्तर्गत क्रमशः अपने कार्यकलापों में सारवान विस्तारार्थ अथवा नवीन उपक्रमों को स्थापनार्थ प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में वर्णित है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी-567/80) एक अप्रैल, 1977 को अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत प्राप्त 39 प्रस्ताव तथा धारा 22 के अन्तर्गत प्राप्त 29 प्रस्ताव जो उक्त तारीख से पहले प्राप्त हुए थे, सरकार के पास विचाराधीन शेष थे। एक अप्रैल, 1977 से 31 दिसम्बर, 1979 तक की अवधि के मध्य, (वर्ष-अनुसार) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 21 व 22 के अन्तर्गत अनुमोदित प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र 2 में दिये जाते हैं। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 567/80)

(ख) ऐसी परिकल्पना है कि माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना दिनांक 29 नवम्बर, 1979 के "फाइनेसिल एक्सप्रेस" एण्ड "दि इक्नोमिकटाइम्स" में प्रकाशित समाचार पर आधारित है, जिसमें वर्णन है कि अप्रैल, 1977 से प्रारंभ 30 मासों की अवधि में बिड़लाओं को 241 करोड़ रु० के परिव्यय सहित 14 स्वीकृतियां एवं इसके अनुवर्ती टाटाओं को 221 करोड़ रु० की राशि सहित 10 स्वीकृतियां, प्रदान की गई थीं। समाचार में वर्णित उपरोक्त सूचना, 1 अप्रैल, 1977 से 30 सितम्बर, 1979 तक की अवधि की प्रतीत होती है। तथापि, 1 अप्रैल, 1977 से 31 दिसम्बर, 1979 तक की अवधि के मध्य, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, की धारा 21 तथा 22 के अन्तर्गत, बिड़ला समूह से सम्बन्धित उपक्रमों के 15 प्रस्ताव तथा टाटा समूह से सम्बन्धित उपक्रमों के 11 प्रस्ताव, जिनकी परियोजना लागत क्रमशः 245.14 करोड़ रु० तथा 228.62 करोड़ रु० अनुमानित थी, को स्वीकृतियां प्रदान की गई थीं। इन प्रस्तावों के ब्यौरे, संलग्न विवरण-पत्र 3 व 4 में दिये गये हैं। (ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 567/80)

कोयले और कोकिंग कोल की आवश्यकता का पुनरीक्षण

937. **श्री के० मालन्ना : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले और कोक के मामले में देश की आवश्यकताओं के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में किये गये पुनर्विलोकन से पता चला है कि राज्य सरकारों ने इस संबंध में अतिशयोक्ति पूर्ण कार्यक्रम बनाये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में विद्युतीकृत गांवों की संख्या

938. **श्री अमर सिंह वी० रठवा : श्री नर सिंह मकवाना : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में 31 दिसम्बर, 1979 तक, जिलावार, कितने गांवों में बिजली लगाई गई;

(ख) गुजरात राज्य में अभी भी जिलावार, कितने गांवों में बिजली लगाई जानी है;

(ग) क्या पूरे राज्य में बिजली लगाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) : क्रमश: 10, 283 और 7,992 गांव। जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दिखाई गई है।

(ग) और (घ) : गुजरात, राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बनाए गए अनन्तिम प्रस्तावों के अनुसार, 92.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत से, 1990-91 के अन्त तक राज्य के सभी ग्रामों का विद्युतीकरण कर सकना संभव होगा। तथापि वास्तविक कार्यान्वयन, इस समय अवधि में साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

दिसम्बर, 1979 के अन्त तक विद्युतीकृत किए गए गांवों तथा विद्युतीकरण के लिए शेष बचे गांवों की जिलावार संख्या बताने वाला विवरण।

क्र० सं०	जिले का नाम	31-12-1979 तक विद्युतीकृत किए गए गांव	विद्युतीकरण के लिए शेष बचे गांव
1.	बलसार	534	289
2.	सूरत	621	597
3.	डांग्स	33	278
4.	भड़ोच	447	690
5.	बड़ोदा	919	758
6.	पंचमहल	435	1,468
7.	खेड़ा	843	114
8.	अहमदाबाद	514	160
9.	गांधीनगर	75	—
10.	साबरकंठा	936	450
11.	महेसाना	898	186
12.	बनासकंठा	525	826
13.	कच्छ	445	455
14.	राजकोट	577	282
15.	सुरेन्द्रनगर	307	341
16.	भावनगर	567	312
17.	अमरेली	399	196
18.	जामनगर	429	277
19.	जूनागढ़	779	313
	जोड़	10,283	7,992

उड़ीसा से फालतू बिजली का पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग को पहुंचाया जाना

939. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में उत्पादित फालतू बिजली को पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में बिजली की भारी कमी को दूर करने हेतु पहुँचाया जा सकता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अपेक्षाकृत कम दूरी वाले ग्रिड कनेक्शन से इस प्रकार बिजली पहुंचाया जाना व्यावहारिक होगा ; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो अपेक्षित लाइन के शीघ्र निर्णय के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं। पश्चिम बंगाल को दिए जाने के लिए उड़ीसा में इस समय फालतू बिजली नहीं है।

(ख) शेष पूर्वी क्षेत्र को उड़ीसा से बिजली का स्थानान्तरण करने में पारेषण संबंधी कोई बाधा नहीं है। मानसून वर्षा शुरू होने के बाद ही उड़ीसा में फालतू बिजली उपलब्ध होने की संभावना है, जो कि बिहार—डी० वी० सी० प्रणाली के द्वारा पश्चिमी बंगाल ग्रिड को दी जा सकती है।

(ग) (क) और (ख) में दिए गए उत्तरों का ध्यान रखते हुए यह प्रश्न उठता ही नहीं। यद्यपि उड़ीसा से पश्चिमी बंगाल को बिजली का स्थानान्तरण करने में पारेषण संबंधी कोई बाधा नहीं है, तथापि उड़ीसा में तलचेर और पश्चिम बंगाल में कालाघाट के बीच 400 के० वी लाईन का निर्माण करके पारेषण प्रणाली को शक्तिशाली बनाने का विचार है ताकि दोनों राज्यों के बीच अधिक मात्रा में विद्युत का आदान-प्रदान किया जा सके।

दूरदर्शन के कार्यक्रमों का विविधीकरण

940. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के कार्यक्रमों को अधिक रुचिकर बनाने और युवा आयु वर्ग के लिए अधिक शिक्षाप्रद बनाने हेतु उनके विधीकरण का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है।

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) कार्यक्रमों के स्वरूप में सुधार और उनको अधिक मनोरंजक बनाने के लिए, विशेषकर युवा वर्ग के लिए, दूरदर्शन केन्द्र निरन्तर प्रयत्नशील हैं। इस दिशा में निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं :

(1) महत्वपूर्ण मनोरंजक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खेल कूद की घटनाओं को प्रसारित किया जा रहा है ;

(2) बच्चों और युवाओं के हितों के कार्यक्रमों का विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में आदान-प्रदान हो रहा है ;

(3) देश के विभिन्न क्षेत्रों की युवा प्रतिभाओं को दूरदर्शन कार्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है और उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए प्रत्येक प्रोत्साहन और अवसर प्रदान किया जा रहा है ।

उच्च न्यायालयों में विलम्ब से बचने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही

941. **श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी क्या प्रभावी कार्यवाही करने का प्रस्ताव है जिससे देश की निर्धन और शहरी जनता की न्यायालयों तक और अधिक आसानी से पहुंच हो और उच्च न्यायालयों में विचारण में होने वाले विलम्ब से बचा जा सके ;

(ख) क्या इस संबंध में विधि आयोग की सिफारिशों को अविलम्ब क्रियान्वित किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) उच्च न्यायालयों में मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कुछ समय से जो उपाय किए गए हैं उनका वर्णन संलग्न विवरण में किया गया है ।

देश में निर्धन और शहरी जनता की न्यायालयों तक पहुँच के संबंध में राज्यों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) उच्च न्यायालयों और अन्य अपील न्यायालयों में विलम्ब और बकाया मामलों के और संबंध में विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट अनेक सिफारिशों पर ((ग) कार्रवाई स्वयं उच्च न्यायालयों को करनी है । 79वीं रिपोर्ट की प्रतियां सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को समुचित कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं । जिन सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार को निश्चय करना है, उन पर सरकार विचार कर रही है ।

विवरण

मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) 1976 में सिविल प्रक्रिया संहिता का इस दृष्टि से संशोधन किया गया था कि उच्च न्यायालयों की पुनरीक्षण संबंधी और लेटर्स पेटेंट की अधिकारिता को समाप्त किया जा सके और द्वितीय अपीलों को उन मामलों तक निर्बन्धित किया जा सके जिनमें उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अन्तर्वलित है ।

(ii) विधि आयोग की सिफारिसों के आधार पर एक नई दण्ड प्रक्रिया संहिता का 1973 में अधिनियम और 1978 में संशोधन किया गया ।

(iii) उन उच्च न्यायालयों में, न्यायाधीशों के मंजूर पदों की संख्या बढ़ा दी गई है जिनसे इसके लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(iv) रिक्त पदों को भरने के प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं। परिणाम यह हुआ है कि 14-3-1980 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 349 हो गई।

(v) आवश्यकता पड़ने पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है।

(vi) विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा उन मामलों को, जिनमें समान प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, एक समूह में रखा जा रहा है जिससे कि एक ही निर्णय से सम्पूर्ण समूह के मामलों का एक साथ निपटारा हो जाए।

सिंचाई परियोजनाओं के कार्य में गतिरोध

942. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीजल और मिट्टी के तेल की कम सप्लाई और सूखे के कारण गत वर्ष छोटी और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के कार्य में किस सीमा तक गतिरोध आया ; और

(ख) इस बारे में स्थिति में सुधार करने के लिए दीर्घावधि आधार पर क्या उपाय किये गये हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री(श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) उत्तरी और मध्य क्षेत्र में खरीफ की फसलों को 10 से 15 प्रतिशत तक क्षति हुई। तथापि, सर्दियों में अनुकूल वर्षा होने के कारण स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ है और आशा है कि सूखे और डीजल की अपर्याप्त सप्लाई का प्रभाव मामूली सा ही होगा।

(ख) इस प्रकार की आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, सूखा-प्रवण क्षेत्रों को अतिरिक्त जल का ट्रांसफर करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने का एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया जा रहा है।

बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा समाचारपत्रों का प्रकाशन

943. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि बहुत से बड़े औद्योगिक घराने अपने समाचारपत्रों का प्रकाशन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो बड़े ओद्योगिक घरानों के स्वामित्व अधीन ऐसे समाचारपत्रों का ब्यौरा क्या है और उनके नाम क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) तथा (ख) :

समाचारपत्र कम्पनियों/उपक्रमों के निम्नलिखित नाम इस समय एकाधिकार प्रतिबन्धक व्यापार व्यवसाय अधिनियम 1969 के खण्ड 26 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं :

(1) कैपिटल लिमिटेड	बर्ड ग्रुप
(2) ईस्टर्न इकोनोमिस्ट लिमिटेड	बिरला ग्रुप
(3) न्यूज पेपर्स लिमिटेड	बिरला ग्रुप
(4) तमिलनाडु	थ्यागराज चेतियार ग्रुप
(5) इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप से संबंधित कुछ उपक्रम	

इन कम्पनियों/उपक्रमों द्वारा निकाले जा रहे समाचार पत्रों के नामों का विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार का विचार है कि समाचारपत्रों के स्वामित्व का विस्तार और उनको बड़े औद्योगिक घरानों से विच्छेद करना एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। प्रेस आयोग को संशोधित और व्यापक निर्देश पदों सहित शीघ्र पुनर्गठित करने का विचार है और इस विषय को संशोधित निर्देश पदों में शामिल करने पर यथोचित विचार किया जाएगा।

विवरण

बड़े औद्योगिक घरानों का नाम	औद्योगिक घरानों द्वारा प्रकाशित दैनिक/पत्रिकाएं
1. कैपिटल लिमिटेड-बर्ड ग्रुप	1. कैपिटल, अंग्रेजी साप्ताहिक, कलकत्ता
2. ईस्टर्न इकोनोमिस्ट लिमिटेड बिरला ग्रुप	1. ईस्टर्न इकोनोमिस्ट, अंग्रेजी साप्ताहिक, दिल्ली
3. न्यूज पेपर्स लिमिटेड-बिरला ग्रुप	1. भारत, हिन्दी, दैनिक, इलाहाबाद
4. तमिलनाडु-थ्यागराज चेतियार ग्रुप	2. तमिलनाडु, तमिल साप्ताहिक मद्रास (1-3-79 से इसका प्रकाशन बंद हो गया है)
5. इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप	3. लोक सत्ता, मराठी, दैनिक, बम्बई
(क) इंडियन एक्सप्रेस (बम्बई) प्रा० लि०	1. रविवार लोक सत्ता, मराठी, साप्ताहिक, बम्बई
	2. इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, बम्बई
	4. संडे स्टेंडर्ड, अंग्रेजी साप्ताहिक, बम्बई
	5. इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, नई दिल्ली
	6. संडे स्टेंडर्ड, अंग्रेजी साप्ताहिक, नई दिल्ली
	7. फाइनेंनसियल एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, बम्बई
	8. फाइनेंनसियल एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक नई दिल्ली
	9. लोक प्रभा, मराठी साप्ताहिक, बम्बई
	10. स्क्रीन, अंग्रेजी साप्ताहिक, बम्बई

1	2
	11. स्क्रीन, अंग्रेजी साप्ताहिक, मद्रास
	12. स्क्रीन, अंग्रेजी साप्ताहिक, दिल्ली
	13. आसपास, हिन्दी साप्ताहिक, दिल्ली
	14. इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी साप्ताहिक अहमदाबाद
	15. संडे स्टेण्डर्ड, अंग्रेजी साप्ताहिक, अहमदाबाद
	16. इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, चंडीगढ़
	17. संडे स्टेंडर्ड, अंग्रेजी साप्ताहिक, चंडीगढ़
(ख) इंडियन एक्सप्रेस (मदुरै) प्राइवेट लिमिटेड	1. इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, बंगलूर
	2. संडे स्टेंडर्ड, अंग्रेजी साप्ताहिक, बंगलूर
	3. इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, कोचीन
	4. संडे स्टेंडर्ड, अंग्रेजी साप्ताहिक, कोचीन
	5. इंडियन एक्सप्रेस अंग्रेजी दैनिक, मद्रास
	6. संडे स्टेंडर्ड, अंग्रेजी, साप्ताहिक, मद्रास
	7. इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, मदुरै
	8. संडे स्टेंडर्ड, अंग्रेजी साप्ताहिक, मदुरै
	9. इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, विजयवाड़ा
	10. संडे स्टेंडर्ड, अंग्रेजी साप्ताहिक, विजयवाड़ा
	11. दिनमानी, तमिल दैनिक, मदुरै
	12. दिनमानी, तमिल दैनिक, मद्रास
	13. इंड़ियन, एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, हैदराबाद
	14. संडे स्टेंडर्ड, अंग्रेजी साप्ताहिक, हैदराबाद
	15. दिनमानी कादिर, तमिल साप्ताहिक, मद्रास
	16. कन्नड़ प्रभा, कन्नड़ दैनिक, बंगलूर
(ग) आन्ध्र प्रभा प्राइवेट लि०	1. आन्ध्र प्रभा, तेलगु दैनिक, विजयवाड़ा
	2. आन्ध्र प्रभा, तेलगु, दैनिक, बंगलूर
	3. आंध्र प्रभा, तेलगु दैनिक, हैदरावाद
	4. आंध्र प्रभा-इलुस्ट्रेटिड विकली, तेलगु साप्ताहिक, मद्रास
(घ) टेडरस प्राइवेट लि०	1. जनसत्ता, गुजराती, दैनिक, अहमदाबाद
	2. लोक सत्ता, गुजराती दैनिक, बड़ौदा
	3. नूतन गुजराती, गुजराती साप्ताहिक अहमदाबाद
	4. जनसत्ता, गुजराती दैनिक, राजकोट
	5. रंगतरंग, गुजराती मासिक, अहमदाबाद
	6. चांदनी, गुजराती मासिक, अहमदाबाद
	7. रंग प्रभा, गुजराती साप्ताहिक, बड़ौदा

केन्द्र के पास अनिर्णीत पड़ी हुई मध्य प्रदेश की ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

944. **डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य की कितनी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं सरकार के पास मंजूरी के लिए अनिर्णीत पडी हुई हैं;

(ख) उपरोक्त योजनाओं में से कितनी योजनाएं राजगढ़, गुना और विदिशा जिलों की हैं;

(ग) वर्ष 1980 के दौरान उपरोक्त जिलों के लिए मंजूर की गई और कार्यान्वयनाधीन योजनाओं की प्रगति क्या है; और

(घ) क्या सरकार पिछड़े जिलों की ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को प्राथमिकता देती है और या पिछड़े जिलों के विकास हेतु निर्धारित मानदंडों में छूट दी जाती है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री० ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : (क) 29 फरवरी, 1980 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश की 79 स्कीमें ग्राम विद्युतीकरण निगम के पास विचाराधीन पड़ी थीं। इसके अतिरिक्त, ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 16 स्कीमेंसंशोधन स्पीष्टीकरण के लिए मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को वापस भेज दी हैं।

(ख) एक राजगढ़ की, एक गुना की और एक विदिशा की है।

(ग) मध्य प्रदेश के राजगढ़, गुना और विदिशा जिलों के लिए स्वीकृत की गई स्कीमों की प्रगति, ऋण की वितरित की गई किस्तें और इनमें हुई वास्तविक प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) सरकार ग्राम विद्युतीकरण निगम के जरिए पिछड़े क्षेत्रों/आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को प्राथमिकता दे रही है और इन क्षेत्रों की ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों की शर्तों और जीवन क्षमता संबंधी मानदण्ड में विशेष रियायतें भी दे रही है।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र० सं०	जिले का नाम	स्वीकृत स्कीमें 29-2-80 की यथा स्थिति 1979-80 के दौरान		29-2-80 तक		ऋण की वितरित की गई किस्तें 29-2-80 की यथा स्थिति 1979-80 के दौरान	कुल 29-2-80 तक	वास्तविक उपलब्धि 30-9-1919 की यथा स्थिति विद्युतीकृत गांव	ऊर्जित पम्प सेट
		सं०	ऋण	सं०	ऋण				
1.	राजगढ़	2	1.57	10	6.05	0.95	3.47	140	1211
2.	गुना	2	0.21	6	1.84	0.19	1.65	165	590
3.	विदिशा	—	—	3	1.79	0.15	0.60	314	1822

नोट : स्वीकृत किया गया ऋण, निर्माण कार्यक्रम के सोपान और प्रत्येक स्कीम में हुई प्रगति के आधार पर किस्तों में दिया जाता है। ऊपर दिखाई गई उपलब्धियों उन स्कीमों के संबंध में हैं जिनके लिए 31 मार्च, 1979 तक ऋण की कम से कम किस्त दे दी गई है।

विद्युत की कमी के कारण बिहार में व्यापार और उद्योग का अस्त व्यस्त होना

945. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल की कमी के कारण, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत सप्लाई में कटौती करनी पड़ी है बिहार के व्यापार और उद्योग के अस्त-व्यस्त होने के संबंध में 21 फरवरी, 1980 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' प्रातःकालीन संस्करण में (पृष्ठ '2' कालम 5) प्रकाशित बिहार वाणिज्य मंडल, पटना के महासचिव के वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, विद्युत की सप्लाई स्थिति सुधारने हेतु बिहार को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : (क) : सरकार को इस समाचार की जानकारी है।

(ख) बिहार में ताप विद्युत केन्द्रों की समस्याओं के निदान के लिए ऊर्जा मन्त्रालय के परामर्शदाताओं को भेजा गया है। सदस्य (प्रचालन), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण भी केन्द्रों का दौरा करते रहे हैं तथा परामर्शदाताओं द्वारा और इससे पहले केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य बिजली बोर्ड को सलाह भी देते रहे हैं। सचिव, धारी उद्योग ने 10 मार्च, 1980 को पटना का दौरा किया तथा पतरातू में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड द्वारा सप्लाई किए गए 110 मेगावाट के सैटों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के बारे में उन्होंने बिहार राज्य बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ विस्तृत रूप से विचार-विमर्श भी किया। इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के प्रतिनिधियों ने भी बैठकों में हिस्सा लिया। एक टर्बाइन की बड़े स्तर पर ओवरहालिंग करने के कार्य में लगे इंजीनियरों की सहायता करने के लिए पतरातू में एक रूसी विशेषज्ञ भी कार्य कर रहा है। एक पोलिश इंजीनियर द्वारा बरौनी ताप विद्युत केन्द्र का दौरा शीघ्र ही किए जाने की संभावना है। बिहार राज्य बिजली बोर्ड को सलाह दी गई है कि अपने ताप विद्युत केन्द्रों के प्रबंध में सुधार करने के लिए कदम उठाएं।

राज्य में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जोड़ने के लिए सरकार द्वारा उपाय किए जा रहे हैं। 110-110 मेगावाट की दो यूनिटें पतरातू में और 110-110 मेगावाट की दो यूनिटें बरौनी में प्रतिष्ठापित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, दो नए विद्युत केन्द्र एक केन्द्र 2×110 मेगावाट प्रत्येक का मुजफ्फरपुर में तथा दूसरा 2×210 मेगावाट प्रत्येक का तेनुघाट में स्वीकृत किए गए हैं। सुवर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की 65 मेगावाट की दूसरी यूनिट के भी शीघ्र ही चालू हो जाने की आशा है। कोइलकारो में 710 मेगावाट का एक जल विद्युत केन्द्र स्वीकृत किया

गया है । इन यूनिटों के चालू हो जाने तथा पतरातू और बरौनी के ताप विद्युत केन्द्रों में कार्य-निष्पादन में सुधार होने पर विहार की विद्युत स्थिति में काफी सुधार होने की आशा है ।

तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

946. **श्री आर० के० महालगी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1979)2 एस० सी० सी० 143] के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह प्रश्न उठाए गए हैं कि इस देश में बलात्संग की शिकार हुई महिलाओं को कितना कानूनी संरक्षण प्राप्त है और विधि तथा संविधान के अन्तर्गत स्त्रियों के मानवीय अधिकार क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का भारतीय दण्ड संहिता में कोई संशोधन करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कब और उसका स्वरूप क्या होगा ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री० पी० शिव शंकर) : (क) जी हां, सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय की ओर दिलाया गया है जो केवल इस बात के बारे में है कि क्या यह स्थापित करने के लिए कि अभियुक्त अपीलार्थी ने भारतीय दण्ड संहिता के अर्थान्तर्गत बलात्संग दिया है, साक्ष्य पर्याप्त है ।

(ख)और(ग) जहां तक बलात्संग के अपराध का संबंध है, सरकार भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन करने के किसी प्रस्ताव पर अभी विचार नहीं कर रही है ।

महाराष्ट्र के लिए हार्ड कोक के कोटे में कमी

947. **श्री आर० के महालगी : क्या ऊर्जा, और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के लिये हार्ड कोक के कोटे में गत कुछ महीनों में भारी कटौती कर दी गई है;

(ख) क्या यह सच है कि घटे हुए कोटे की भी सप्लाई नहीं की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि इसके फलस्वरूप महाराष्ट्र के सामान्य उद्योगों में तथा विशेषतया फाउन्डरी उद्योग को गम्भीर परेशानी पैदा हुई है;

(घ) राज्य सरकार ने हार्ड कोक की कितनी मात्रा मांगी है, केन्द्र सरकार ने कितनी मात्रा देना स्वीकार किया है और गत छः मास के दौरान केन्द्र सरकार ने प्रति मास वस्तुतः कितनी सप्लाई की है; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) :(क) जी नहीं । महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों को हार्ड कोक का कोटा वर्ष 1979 के आरंभ में निश्चित कर दिया था । तब से कोटा में कोई कमी नहीं की गई है ।

(ख) जी नहीं। प्रतिमास का कोटा 3600 टन है किन्तु इसके मुकाबले गत छह महीनों के दौरान वास्तविक प्रेषण 4550 टन रहा है।

(ग) महाराष्ट्र में हार्ड कोक की कमी की रिपोर्ट मिली हैं।

(घ) राज्य सरकार ने महाराट्र में हार्ड कोक की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया था। किन्तु हाल में मांग की मात्रा का कोई निश्चित उल्लेख नहीं किया गया है। गत छह महीनों के दौरान महाराष्ट्र को किया गया प्रेषण निम्नलिखित है :

अगस्त	:	5100
सितम्बर	:	5700
अक्टूबर	:	4800
नवम्बर	:	4500
दिसम्बर	:	3000
जनवरी	:	4200

(ड) देश में हार्ड कोक की प्रमुख उत्पादक कम्पनी भारत कोकिंग कोल लि० है और यहां उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। राज्यों के लिए नियत कोटे भी बढ़ाए जा रहे हैं।

विशेष न्यायालयों को समाप्त करने का निर्णय

948. **श्री आर० के० महालगी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री जैन के फैसले को ध्यान में रखते हुए विशेष न्यायालयों को समाप्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इन विशेष न्यायालयों को स्थायी रूप देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तारीख 30-5-1979 की अधिसूचना द्वारा स्थापित विशेष न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह अधिसूचना संविधान के उपबंधों के अनुसार जारी नहीं की गई थी और यह निष्प्रभाव है।

उन न्यायालयों द्वारा सुनाए गए निर्णयों के कारण ये न्यायालय अब अस्तित्व में नहीं रहे हैं और इसलिए सरकार द्वारा इन न्यायालयों को समाप्त करने के लिए विनिश्चय करने का कोई प्रश्न नहीं है।

(ख) इन न्यायालयों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, इसलिए इन्हें स्थायी बनाने का कोई प्रश्न नहीं है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में कत्यांग नदी पर सिंचाई बांध का निर्माण

949. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी है कि संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में एक भी एकड़ जमीन पर सिंचाई नहीं होती है और किसान लगातार यह मांग कर रहे हैं कि 'कत्यांग नदी' तथा अन्य उचित स्थान पर सिंचाई बांध का निर्माण करके तथा यहां तक कि तालाब, सिंचाई कुएं आदि की व्यवस्था करके उन्हें सिंचाई सुविधाएं दी जायें;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार समूचे संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार में सिंचाई संभावनाओं के बारे में संपूर्ण जांच करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में कोई वृहद् और मध्यम सिंचाई स्कीम नहीं है। तथापि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान लघु सिंचाई वर्क्स के माध्यम से कुछ सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। लघु सिंचाई कार्यक्रम भूगत जल से संबंधित है जैसे कुओं का निर्माण, जल को लिफ्ट करने के उन्नत यंत्र लगाकर मौजूदा कुओं में सुधार आदि और छोटे तालाब बनाकर भूतल जल का उपयोग, जलाशय, चैनलों पर वीथरों का निर्माण और सरिताओं से लिफ्ट सिंचाई की सुविधाएं।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, मुख्य रूप से दक्षिणी अण्डमान में 145 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधाएं दी गई थीं। छठी योजना के पहले दो वर्षों के दौरान भी इसमें 225 हैक्टेयर और भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई है। छठी योजना के दौरान 1500 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है।

कलपोंग परियोजना चरण एक की रिपोर्ट, जिसमें 940 किलोवाट विद्युत उत्पादन और 400 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन की परिकल्पना की गई है, संघ राज्य क्षेत्र से दिसम्बर, 1977 में प्राप्त हुई थी लेकिन इसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया। इस परियोजना को, जो केवल विद्युत उत्पादन के लिए संशोधित की गई है, जांच अब केन्द्रीय जल आयोग में की जा रही है।

कालपोंग परियोजना चरण-दो के प्रस्ताव को भी, जिसमें 215 किलोवाट विद्युत उत्पादन और दिगलीपुर तहसील में 1080 हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता की परिकल्पना की गई है, आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया। एक केन्द्रीय दल ने द्वीपसमूह का दौरा किया था और सुझाव दिया था कि इस क्षेत्र के लिए एक लघु सिंचाई स्कीम का अन्वेषण किया जाए। अन्वेषण-कार्य किया जा रहा है।

(ग) और (घ) : एक अन्वेषण डिवीजन संघ राज्य क्षेत्र में भूतल जल सिंचाई की शक्यता का पता लगाने के लिए कार्य कर रहा है। संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन ने केन्द्रीय भूगत जल बोर्ड से भी उप सतहों (सब-सर्फेस) जल शक्यता का विस्तृत अन्वेषण करने का अनुरोध किया है।

हाल ही में, फरवरी, 1980 में सदस्य (अभिकल्प और अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग ने

द्वीप समूह का दौरा किया था और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के साथ विभिन्न सिंचाई और जल सप्लाई स्कीमों के बारे में विचार-विमर्श किया था।

तमिलनाडु में उद्योगों पर बिजली की गैर-अनुसूचित कटौती का प्रभाव

950. **श्री सी० टी० दण्डपाणि : श्री मनोरंजन भक्त : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद कि तमिलनाडु में पहले से ही बिजली की इतनी अव्यवस्थित और गैर-अनुसूचित कटौती चल रही है जिसके परिणामस्वरूप वहां का उद्योग जगत अपंग होकर रह गया है, तमिलनाडु में बिजली की 50-60 प्रतिशत तक कटौती होने जा रही है;

(ख) क्या पिछली सरकार विद्युत बोर्ड को व्यवस्थित चरणबद्ध कटौती करने का आदेश देने में विफल रही; और

(ग) राज्य में बिजली की सप्लाई में सुधार करने के लिए सरकार क्या उपाय करेगी ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) इस समय राज्य की प्रतिबंध रहित कुल आवश्यकता लगभग 33.4 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है जबकि इसकी तुलना में उपलब्धता 29 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है। 15 दिसम्बर, 1979 से राज्य ने उच्च वोल्टता वाले सभी उद्योगों पर 15 से 30% तक मांग कटौती लागू की है। 28 जनवरी, 1980 से राज्य ने सभी उच्च वोल्टता वाले सतत और गैर-सतत प्रक्रिया वाले उद्योगों पर, पहली मांग कटौती के साथ-साथ, 15 से 25% ऊर्जा कटौती लागू की है। जल तथा ताप विद्युत केन्द्रों से विद्युत उपलब्धता में कमी हो जाने के कारण ऐसा करना आवश्यक हो गया था। स्थिति का सामना करने के लिए राज्य ने मार्च, 1980 के आरम्भ से उद्योगों पर 60% ऊर्जा कटौती लागू की है।

(ख) नवम्बर 1979 से ऊर्जा में 40% तक की कटौती लागू करने की वांछनीयता पर उत्तरी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड ने विचार-विमर्श किया था। राज्य ने मांग कटौती केवल दिसम्बर, 1979 में तथा 15 से 25% ऊर्जा कटौती 28 जनवरी 1980 से लागू की थी तथा ऊर्जा कटौती बढ़ाकर मार्च, 1980 से 60% तक कर दी है।

(ग) एन्नौर और तूतीकोरिन ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन की मानीटरिंग ध्यान-पूर्वक की जा रही है तथा सभी प्रकार की अपेक्षित सहायता मुहैया की जा रही है। खनन कार्य संबंधी कठिनाइयों के कारण इस वर्ष नेवेली ताप विद्युत केन्द्र के निष्पादन को भी काफी हानि हुई है। इन समस्याओं पर काबू पा लिया गया है और खनन कार्य तथा इसके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन भी सामान्य स्तर पर होने लगा है। आशा की जाती है कि इस केन्द्र में विद्युत उत्पादन को 7 मिलियन यूनिट प्रतिदिन से बढ़ाकर शीघ्र ही 10 मिलियन यूनिट प्रतिदिन करना संभव हो जाएगा। 1980 के मध्य में तूतीकोरिन की दूसरी यूनिट के चालू हो जाने पर स्थित में और सुधार होगा। तूतीकोरिन में 210 मेगावाट की तीसरी यूनिट भी स्वीकृत की जा चुकी है। कलपक्काम में न्यूक्लीय विद्युत केन्द्र से राज्य की उत्पादन क्षमता में और भी सुधार होगा। इस केन्द्र के 1981-82 में चालू हो जाने की संभावना है।

बकिंगम नहर परियोजना का क्रियान्वयन

951. **श्री सी० टी० दंडपाणि : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में मद्रास शहर की जल सप्लाई में वृद्धि करने के उद्देश्य से बकिंगम नहर परियोजना को क्रियान्वयन करने के लिए अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उक्त योजना पर उत्साहपूर्वक आगे कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसे क्रियान्वित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि बकिंगम नहर के जरिए मद्रास शहर की जल-पूर्ति में वृद्धि करने की कोई स्कीम राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि यह नहर खारे जल की नहर है जो कई स्थानों पर समुद्र से जुड़ी हुई है और इसका उपयोग केवल अन्तर्देशीय जल परिवहन के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्रव्य-दृश्य तकनीकों के बारे में भारत-फ्रांस संधि-प्रारूप

952. **श्री जनार्दन पुजारी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रव्य-दृश्य तकनीकों के बारे में हाल ही में किसी भारत-फ्रांस संधि-प्रारूप पर हस्ताक्षर किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) :जी, हां।

(ख) : विवरण के रूप में प्रोतोकाल की एक प्रति संलग्न है।

विवरण

प्रोतोकाल की प्रति

श्रव्य-दृश्य प्रविधियों में सहयोग पर भारत-फ्रांस प्रोतोकाल।

सभी क्षेत्रों में संचार की आधुनिक प्रविधियों की बढ़ती हुई भूमिका का विचार करते हुए,

अपने तकनीकी, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए इन प्रविधियों का प्रयोग करने की इच्छा रखते हुए,

भारत गणराज्य की सरकार और फ्रांस गणराज्य की सरकार निम्नलिखित के बारे में सहमत हो गई हैं :

1. दोनों देश श्रव्य-दृश्य प्रविधियों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प करते हैं।

2. दोनों देशों की रेडियो, टेलीविजन, संचार और अंतरिक्ष से संबंधित सरकारी एजेंसियों

की सहायता से भारतीय पक्ष की इस सहयोग के लिए पातिक (नोडल) संस्था सूचना और प्रसारण मंत्रालय और फ्रांस पक्ष की "डेलीगेशन इण्टरमिनिस्ट्रियल्ले औक्स टैक्नीक्स ओडियोविज्युअल्लेस" होगी ।

3. इस प्रकार के सहयोग का उद्देश्य निम्नलिखित सहित भारत में संचार माध्यमों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नई श्रव्य-दृश्य प्रविधियों के प्रयोग की संभावनाओं का पता करना होगा :

(क) उपग्रह के माध्यम से सीधा प्रसारण,

(ख) टेलीटेक्स्ट पद्धति का प्रयोग, और

(ग) केबल द्वारा टेलीविजन ।

4. दोनों पक्षकार

(क) तकनीकी जानकारी, औद्योगिकी, उपकरणों और कार्मिकों के आदान-प्रदान,

(ख) अन्य देशों में संयुक्त गतिविधियों के संवर्धन, के माध्यम से इस प्रकार के सहयोग को बढ़ाने की संभावना की जांच करेंगे ।

5. दोनों पक्षकार अपने कार्मिकों को इस क्षेत्र की आवश्यकताओं और क्षमताओं की जानकारी कराने के लिए उनकी यात्राओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनायेंगे ।

यह नई दिल्ली में आज सन् 1980 के फरवरी मास के 25वें दिन हिन्दी, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषाओं में दो दो प्रतियों में किया गया ।

ह०/-
(वसन्त साठे)
भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

ह०/-
(नोरबर्ट सेगार्ड)
फ्रांस गणराज्य की
सरकार की ओर से

बिहार की केन्द्र के पास विचाराधीन ऊर्जा और सिंचाई परियोजनाएं

953. **श्री आर० पी० यादव** क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार ऊर्जा और सिंचाई, दोनों ही के क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत सी परियोजनाएं भारत सरकार के पास विचाराधीन पड़ी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वे परियोजनाएं कौन सी हैं और राज्य के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए इन्हें कब तक निपटा दिया जाएगा ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी :) (क) बिहार में कोयले और पानी के पर्याप्त साधन हैं।

विद्युत की प्रतिष्ठापित क्षमता 890 मेगावाट है, परन्तु दामोदर घाटी निगम से भी बिहार को विद्युत की सप्लाई की जाती है।

1978-79 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 88 यूनिट थी जो कि अखिल भारत औसत से कम है।

1976 में बिहार में सकल सिंचाई क्षेत्र तथा सकल फसली क्षेत्र का अनुपात 31.8% था जो अखिल भारत औसत से ऊपर था।

(ख) और (ग) : बिहार सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं तथा उनकी स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

बिहार से प्राप्त विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं की सूची तथा उनकी वर्तमान स्थिति

विद्युत उत्पादन स्कीमें

स्कीम का नाम	वर्तमान स्थिति
1. संघ जल विद्युत परियोजना चरण-1 तथा 11-594 मेगावाट	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं जिन्होंने अपेक्षित स्पष्टीकरण अभी तक नहीं भेजे हैं।
2. कहलगांव ताप विद्युत केन्द्र (6×500 मेगावाट)	तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता, एक विशिष्ट समय-अवधि में उनका औचित्य तथा ईधन लिंक व्यवस्था अभी स्थापित किए जाने हैं।
3. रे ताप विद्युत केन्द्र (2×200+4×500)	

सिंचाई स्कीमें

वृहद परियोजनाएं

1. तिलैया के जल का धधार नदी (गया) में व्यपवर्तन	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण परियोजना प्राधिकारियों से अभी हाल ही में प्राप्त हुए हैं।
2. बरारी पम्प नहर स्कीम (भागलपुर)	
3. दुर्गावती नहर प्रणाली का पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण	यह परियोजना तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन की प्रारंभिक अवस्था में है।
4. उत्तरी कोइल परियोजना	यह परियोजना तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन की अन्तिम अवस्था में है।

स्कीम का नाम	वर्तमान स्थिति
5. बुरहाय जलाशय स्कीम (संथाल परगना)	
6. बन्सलोई जलाशय सह-बराज स्कीम (संथाल परगना)	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं और उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है।
7. सुवर्ण रेखा बहुद्देश्यीय परियोजना (सिंहभूमि)	
8. मोहाने जलाशय-सह-बराज स्कीम (गया)	
9. सिकतिया बराज (संथाल परगना)	
10. अजगयबीनाथ पम्प नहर	
11. लीलाजन पम्प नहर (हजारीबाग)	
12. सुखसेराघाट पम्प नहर स्कीम (संथाल परगना)	
13. जमानिया पम्प स्कीम (रोहतास)	
14. पुनासा जलाशय स्कीम (संथाल परगना)	
15. कोनार जलाशय से सिंचाई	
16, अपर सकारी जलाशय स्कीम (नवादा, हजारीबाग तथा मुंगेर)	
17. औरंगा जलाशय स्कीम (पालामऊ)	
18. अमानत जलाशय स्कीम (पालामऊ, हजारीबाग)	
मध्यम परियोजनाएं	
19. नकती जलाशय स्कीम (सिंहभूमि)	कुछ स्पष्टीकरण परियोजना प्राधिकारियों से अभी भी उपेक्षित हैं।
20. टोरलो जलाशय स्कीम	
21. सोनुजा जलाशय स्कीम	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के बारे में स्पष्टीकरण परियोजना प्राधिकारियों से अभी हाल में ही प्राप्त हुए हैं।

स्कीम का नाम	वर्तमान स्थिति
मध्यम स्कीमें	
22. बायां बंकी जलाशय स्कीम (पालामऊ)	
23. दकरानाला पम्प नहर सोपान-दो (मुंगेर)	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं।
24. खुदिया जलाशय स्कीम (धनवाद)	
25. सिंहवारनी जलाशय स्कीम (मुंगेर)	
26. सोन पम्पिग स्कीम	
27. सुरू जलाशय स्कीम	
28. दोमीनिया नाला जलाशय स्कीम (पालामऊ)	

300 करोड़ की दूरदर्शन योजना

954. **श्री चित्त बसु : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए एक 300 करोड़ की दूरदर्शन योजना आरम्भ करने के बारे में विचार कर रही हैं; और

(ख) यदि हां तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) और (ख) : कठी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग दूरदर्शन के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत देने के लिए सहमत हो गया है। इसमें नई योजनाओं के साथ साथ पुरानी योजनाओं को भी जारी रखने की व्यवस्था है। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में अहमदाबाद, बंगलूर, त्रिवेंद्रम और जयपुर में पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र ; अजमेर, आसनसोल, कटक, जम्मू, कसौली, मदुरै, मुर्शिदाबाद, पणजी, वाराणसी और विजयवाड़ा में दूरदर्शन रिले केन्द्र ; और गुलबर्ग, मुज्जफरपुर और रायपुर में कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव शामिल हैं।

यह भी बताना है कि 46.73 करोड़ रुपए की लागत की एक योजना भारतीय उपग्रह "इनसेट-1" के टी. वी. के धरातलीय खंड की इंजीनियरिंग संबंधी पहलुओं के प्रथम चरण को कवर करने के लिए दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के कवरेज देने के लिए विचारधीन है। यदि कार्यान्वित हो गई तो यह देश विभिन्न भागों में 17.000 विद्युतीय गांवों को कवरेज देने में सक्षम होगी। योजना का विवरण संलग्न है। योजना के कार्यक्रम संबंधी पहलू तैयार किए जा रहे हैं। इस योजना को अभी छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल करना बाकी है।

विवरण

इनसेट-1 के सीमित उपयोग की योजना

	लागत का उद्धरण	पूंजीगत लागत (करोड़ रुपयों में)	प्रतिवर्ष आने वाली लागत (करोड़ रुपयों में)
1.	1981 तक अधिकतम स्थिति के लिए (परिशिष्ट-1 के अनुसार कार्यान्वयन का प्रारम्भिक चरण)	6.45	0.415
2.	जयपुर, अहमदाबाद, शिलांग और पटना के भू-केन्द्रों के उत्थान की सुविधाओं की व्यवस्था	2.00	0.20
3.	शिलांग, गोहाटी, राजकोट और नागपुर में कार्यक्रम बनाने हेतु केन्द्र	12.00	1.40
4.	मुजफरपुर से पटना भू-केन्द्र तक, राजकोट से अहमदाबाद भू-केन्द्र तक, गुलवर्गा से हैदराबाद भू-केन्द्र तक, नागपुर से बम्बई और गोहाटी से शिलांग तक के लिए माइक्रोवेव लिंक	—	0.50
5.	एस-बैन्ड रिले रिसीवर सहित कवरेज के विस्तार के लिए उपग्रह पुनर्प्रसारण ट्रांसमीटर		
	(क) गोरखपुर, विशाखापत्तनम्, बड़ौदा, मैसूर, नागपुर, गंजम और जबलपुर में 10 कि० वा० के ट्रांसमीटर (7, प्रत्येक के लिए 164 लाख)	11.48	0.70
	(ख) गोहाटी और डिब्रूगढ़ में एक कि० वा० के ट्रांसमीटर) 2-प्रत्येक के लिए 64 लाख)	1.28	—
6.	अहमदावाद बंगलौर और त्रिवेन्द्रम के लिए एस-बैन्ड रिसीवर (6)	0.12	—
7.	डायरेक्ट रिसेप्शन कम्युनिटी टी० वी० सेट (प्रत्येक 1000 सैट 7 क्षेत्रों के लिए (7000) सैटों की देखभाल का कार्य संबंधित राज्यों द्वारा किया जाएगा)	7.00	—

1	2	3	
8.	वी० एच० एफ० कम्युनिटी सैट-7000 (सैटों की देखभाल का कार्य संबंधित राज्यों द्वारा किया जाएगा)	3.15	—
9.	अतिरिक्त मोबाइल रिकार्डिंग यूनिट (7 क्षेत्रों के लिए प्रत्येक के लिए 2) (14 सैट)	2.10	0.21
10	स्कूल कार्यक्रमों के लिए सुवाह्य वी० टी० आर (प्रत्येक के लिए 2, 7 क्षेत्रों के लिए) (14 सैट)	0.35	0.035
11.	स्थापना हेतु स्टाफ और क्षेत्रीय व्यवस्था	0.80	0.08
12.	अनुसन्धान और मूल्यांकन स्टूडियोज	—	0.20
	कुल	46.73	3.740

या 47.00 करोड़ रुपए 3.7 करोड़ रुपए

कोयले की सीधे उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर सप्लाई

955. **श्री मुकुंद मंडल : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयले के उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर सप्लाई करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोयले के वितरण में बिचौलियों के रूप में काम करने वाले एजेंटों के प्रति सरकार का क्या रुख है ; और

(घ) कोयले के ऊंचे मूल्य तथा अनुपलब्धता के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा सिंचाई और तथा कोयला मंत्री : (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : **(क) और (ख)** : कोयला कम्पनियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रायोजित मात्रा के अनुसार वास्तविक उपभोक्ताओं को कोयले की सप्लाई करती हैं। केवल साफ्ट कोक तथा घरेलू उपयोग में आने वाले कोयले की सप्लाई लाइसेंस प्राप्त डीलरों को अलग से की जाती है। सरकार ने विभिन्न ग्रेडों और टाइपों के कोयले की; खान मुहानों पर डिलीवरी के लिए, अलग अलग कीमतें निश्चित की हैं।

(ग) राज्यों के भीतर कोयले का वितरण राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किया जाता है। वही साफ्ट कोक तथा घरेलू उपभोक्ताओं के उपभोग वाले कोयले की बिक्री के लिए डीलरों

को लाइसेंस देती हैं। जहां इस प्रकार से लाइसेंस प्राप्त डीलरों की संख्या अधिक प्रतीत हुई है वहां राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है और अनुरोध किया गया है कि लाइसेंसदारों की संख्या में कमी कर दी जाए।

(घ) सरकार द्वारा नियत कोयले की कीमतें खान मुहाने पर कोयले की डिलीवरी के के लिए हैं। उपभोक्ता केन्द्रों पर कोयले की कीमत में वृद्धि होने का कारण है कुछ क्षेत्रों में उत्पादन की कमी तथा साथ ही साथ रेल परिवहन सुविधाएं अपर्याप्त होना और सड़क द्वारा कोयले का अधिक संचलन जिसकी लागत बहुत होती है।

जम्मू और काश्मीर में बाढ़ का सामना करने के लिए योजना

956. **श्री फारूख अब्दुल्ला : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर राज्य में बाढ़ का सामना करने के लिए राज्य सरकार ने 48 करोड़ रुपये की योजना बनाई है।

(ख) यदि हां, तो क्या तालाब नदी के तटों पर जम्मू अखनूर से हमीरपुर सिधार में में प्रति वर्ष बाढ़ आ जाती थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या बहुत अधिक लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं और धान की अधिकांश फसल नष्ट हो जाती थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या भूटाव से भू-भूमि क्षेत्र को बचाने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जा रही है ;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार इस बारे में राज्य को कोई वित्तीय सहायता तथा अन्य सभी प्रकार की सहायता देने के लिये सहमत हो गई है, यदि हां तो इस सहायता का ब्यौरा क्या है, और

(च) क्या केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त पानी के संरक्षण के लिये जिसका कमी के समय उपयोग किया जा सकेगा श्रीनगर में कूपवाड़ा में फरक्का बांध की तरह एक और बांध बनाने के लिए राज्य सरकार की सहायता करने पर विचार कर रही है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) :

(क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बाढ़ नियंत्रण की मास्टर योजना की रूपरेखा, जिस पर 48 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, केवल जम्मू डिवीजन के लिए तैयार की गई है। कश्मीर क्षेत्र के लिए मास्टर योजना की रूपरेखा राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा रही है।

(ख) और (ग) चनाव नदी में ऊंची बाढ़ आने के समय नदी के किनारों के साथ लगने वाले भिन्नवर्ती क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप सम्पत्ति और फसलों की कुछ हानि पहुँचती है। लेकिन चनाव की मुख्य समस्या यह है कि बाढ़ के दौरान नदी के किनारों का कटाव हो जाता है।

(घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भू-कटाव को रोकने के लिए कुछ अविलम्बनीय कार्य 1977 से किए जा रहे हैं जिन पर 130 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। इनमें से 63 लाख रुपये की लागत वाले कार्य पूरे किए जा चुके हैं और शेष कार्य किये जा रहे हैं।

(ङ) बाढ़ नियंत्रण राज्य विषय हैं, इसलिए ऐसे वर्क्स के लिए आवश्यक परिव्यय की पूर्ति राज्यों की योजनाओं में की गई व्यवस्था से की जाती है।

(च) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कूपवाड़ा में फरक्का की किस्म के दराज का तत्काल निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन राज्य सरकार कूपवाड़ा में लोलाव नाला पर एक जल-संचयन जलाशय के निर्माण की संभावना की जांच करने के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर रही है।

गुजरात में बिजली उत्पादन क्षमता

957. **श्री अहमद एम० पटेल : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में बिजली उत्पादन की कुल क्षमता क्या है;

(ख) इसकी कुल मांग क्या है; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) : 29-2-1980 की स्थिति के अनुसार गुजरात की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 2404 मेगावाट है (इसमें तारापुर न्यूकलीय केन्द्र से मिलने वाला 50% भाग भी शामिल है)।

(ख) : मार्च में ऊर्जा की आवश्यकता 30 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है।

(ग) : सामान्यत: गुजरात ऊर्जा की अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है। तथापि, तारापुर में 210 मेगावाट के एक सेट में पुनः ईंधन डालने के लिए उसे बन्द किए जाने, उकई में जल विद्युत जलाशय के खाली हो जाने के कारण तथा ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई अपर्याप्त होने के कारण गुजरात में इस समय विद्युत की कमी की स्थिति बनी हुई है। गुजरात में ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें से कुछ उपाय ये हैं :—

(1) कोयला कम्पनियों और रेलवे से कहा गया है कि गुजरात में विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में वृद्धि करें।

(2) कोयला विभाग, रेलवे और विद्युत विभाग के बीच घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखा जा रहा है।

(3) विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय अन्तर-मंत्रालयीय बैठकें समय-समय पर की जाती हैं।

(4) विद्युत केन्द्रों को दैनिक आधार पर कोयले की सप्लाई की मानीटरिंग करने के लिए रेलवे बोर्ड में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।

(5) दुवारण ताप विद्युत केन्द्र के लिए अधिक मात्रा में ईंधन तेल की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

विश्व बैंक की सहायता से आरम्भ की जाने वाली बड़ी सिंचाई परियोजनायें

958. **श्री रासविहारी बेहेरा : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई बड़ी सिंचाई और बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं आरम्भ की जायेंगी;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक के सिद्धान्तों के अनुसार भिन्न-भिन्न राज्यो के परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिये गये हैं; और

(ग) क्या विश्व बैंक ने इन परियोजनाओं पर स्वीकृति दे दी है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री० ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) छठी योजना (1978-83) के दौरान, जब तक विश्व बैंक के साथ निम्नलिखित पाच सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहायता प्राप्त करने के बारे में करार किये गये हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	राज्य	विश्व बैंक से ऋण की राशि (डालर मिलियन)	करार की तारीख
1.	अपर कृष्णा परियोजना	कर्नाटक	126	12-5-78
2.	गुजरात मध्यम सिंचाई परियोजनाएं			
	(अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास	गुजरात	115	
	एजेंसी द्वारा भी धन दिया	विश्व बैंक	85	17-7-78
	जाता है)	अ० अ० वि० स०	30	26-8-78
3.	हरियाणा सिंचाई परियोजना	हरियाणा	111	16-8-78
4.	पंजाब सिंचाई परियोजना	पंजाब	129	30-3-79
5.	महाराष्ट्र कम्पोजिट सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	260	
(1)	कृष्णा, अपर पेनगंगा, कुकाडी, अपर वर्धा, वर्णा और गिरना और मुला परियोजनाओं का आधुनिकीकरण	विश्व बैंक	210	13-9-79
(2)	भीमा	आई० एफ० ए० डी०	50	11-10-79

पांच ऐसी निर्माणाधीन परियोजनाएं भी हैं जिनके लिए विश्व बैंक 1978 से पहले ऋण सहायता देने के लिए राजी हो गया था, परन्तु जिन पर छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भी काम चल रहा है और जिन्हें इस योजनावधि के दौरान भी विश्व बैंक से ऋण सहायता मिलती रहेगी। इन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	राज्य	विश्व बैंक से ऋण की राशि (डालर मिलियन)	करार की तिथि
1.	गोदावरी बराज	आन्ध्र प्रदेश	45	7-3-75
2.	नागार्जुनसागर	आन्ध्र प्रदेश	145	19-6-76
3.	पेरियार वेगाई	तमिलनाडु	23	30-6-77
4.	उड़ीसा मध्यम सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	58	11-10-77
5	जयकवाडी परियोजना	महाराष्ट्र	70	11-10-77

कुछ अन्य सिंचाई परियोजनाएं भी हैं जिनके लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्व बैंक से सहायता लेने के प्रश्न पर विचार हो रहा है। इन परियोजनाओं के बारे में विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श हो रहा है जो विभिन्न चरणों में है। इन परियोजनाओं के लिए सहायता देने के बारे में अभी तक विश्व बैंक ने कोई वचन नहीं दिया है। (ख) और (ग) छठी योजना के दौरान विश्व बैंक ने ऋण सहायता के लिए जिन परियोजनाओं को पहले ही स्वीकार कर लिया है, वे ऊपर बताई गई हैं। इन परियोजनाओं की परियोजना-रिपोर्ट विश्व बैंक के मानदण्डों के अनुसार तैयार की गई थीं। अन्य जिन परियोजनाओं पर विश्व बैंक की सहायता लेने के लिए विचार-विमर्श हो रहा है, उनकी परियोजना रिपोर्टें विश्व बैंक के मानदण्डों के अनुसार तैयार की जा रही हैं।

गुजरात द्वारा कोयले की मांग

959. **श्री छीतू भाई गामित : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विभिन्न प्रयोजनों के लिए कुल कितनी मात्रा में कोयले की मांग की गई है;

(ख) जून, 1978 से जनवरी, 1980 तक मंजूर किये गये कोयले की मात्रा क्या है और वास्तव में सप्लाई किये गये कोयले की मात्रा क्या है; और

(ग) गुजरात को कोयले की अपेक्षित मात्रा सप्लाई न करने के क्या कारण हैं और गुजरात राज्य की कुल आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा की गई अथवा की जाने वाली ठोस कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा, और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : ((क)

गुजरात में, कोक तथा रेलवे कोयला को छोड़कर, कोयले की आवश्यकता का अनुमान लगभग 6.50 लाख टन प्रतिमास है।

(ख) विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए कोयले की मंजूरी देने की कोई प्रणाली नहीं है। गुजरात राज्य को जून, 1978 से जनवरी, 1980 तक की अवधि में भेजे गए कोयले की मात्रा 11.2 मि० टन है जिसमें कोक तथा रेलवे कोल की मात्रा शामिल नहीं है।

(ग) गुजरात राज्य को कोयले की सप्लाई में कमी का कारण रेलवे वैगनों की अपर्याप्त उपलब्धि है। गुजरात राज्य को कोयले की उपलब्धि में सुधार के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, जो राज्य को कोयले की सप्लाई का प्रमुख स्रोत है, कोयले के संचलन की मात्रा अधिकतम करने के लिए लगातार रेलवे से सम्पर्क बनाए हुए है। यह कम्पनी कोयले की प्रायोजित मात्रा का जितना कोयला रेल द्वारा जाने से बच रहता है वह सड़क द्वारा भी ले जाने के लिए दे रही है। गुजरात में कोयले का प्रमुख उपभोक्ता विद्युत क्षेत्र है। उसे कोयला पहुंचाने की पूरी देखभाल उच्च स्तर के प्राधिकारो कर रहे हैं जिनमें आधारभूत औद्योगिक व्यवस्था संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति भी शामिल है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित विभिन्न प्रकार के मामले

960. **श्री छीतू भाई गामित : श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालयों में दिसम्बर, 1979 तक कितने तथा कितने प्रकार के मामले लम्बित पड़े थे; और

(ख) इन न्यायालयों में ऐसे कितने मामले लम्बित पड़े हैं जो 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 30 वर्ष पुराने हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) उच्चतम न्यायालय के संबंध में अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण I में की गई है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-568/80) उच्च न्यायालयों के संबंध में दिसम्बर, 1979 तक की जानकारी उपलब्ध नहीं है। किन्तु 30-6-1979 को उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या और उनका प्रकार संलग्न विवरण II में बताया गया है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-568/80)

(ख) तारीख 31-12-1979 का इतने वर्ष पुराने लम्बित मामलों की संख्या संलग्न विवरण III में बताई गई है। (ग्रंथालय में रखा गया . देखिये संख्या एल० टी०-568/80)

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बिजली की आवश्यकता

961. **श्री छीतूभाई गामित**

क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बिजली की कुल आवश्यकता कितनी होगी ;

(ख) उक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या प्रबंध किये जाते हैं ;

(ग) इस आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से किन-किन स्थानों पर नये तापीय तथा पन-बिजली केन्द्र स्थापित किए जायेंगे ; और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उन पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : (क) और (ख) : 1978-83 की अवधि की विद्युत की आवश्यकता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में 1982-83 में बिजली का अखिल भारतीय उपभोग 128-83 बिलियन यूनिट होने का अनुमान लगया गया है, जिसके लिए 166 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन की आवश्यकता होगी। यह अनुमान लगाया गया है कि इसके लिए 1978-83 की अवधि को पंचवर्षीय योजना के दौरान युटिलिटीज में लगभग 17,122 मेगावाट उत्पादन क्षमता की अधिवृद्धि करनी होगी। तदनुसार 1978-83 के पांच वर्ष की अवधि के लिए विद्युत कार्यक्रम तैयार किया गया है।

(ग) : 1978-83 की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त करने के लिए 1978-83 के विद्युत कार्यक्रम में सम्मिलित की गई विद्युत उत्पादन स्कीमें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) : यह अनुमान लगाया गया है कि 1978-83 के विद्युत कार्यक्रम के लिए लगभग 15,112 करोड़ रुपये के परिव्यय की आवश्यकता होगी। इसमें से 9,272 करोड़ रुपए विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के लिए होंगे।

विवरण

1778-83 की अवधि में लाभ के लिए छठी पंचवर्षीय योजना 1978-83 के संशोधित मसौदे में सम्मिलित की गई विद्युतपरियोजनाएं।

क्रम सं०	क्षेत्र/राज्य	परियोजना	लाभ (मेगावाट)
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
1.	हरियाणा	पानीपत ताप विद्युत केन्द्र	220
		फरीदाबाद ताप विद्युत केन्द्र विस्तार यूनिट-3	60
		पानीपत ताप विद्युत केन्द्र विस्तार-1	110
2.	हिमाचल प्रदेश	बस्ती जल विद्युत स्कीम विस्तार	15
		विन्बा जल विद्युत स्कीम	6
		आन्ध्र जल विद्युत स्कीम	15
3.	जम्मू व कश्मीर	लोअर जेहलम जल विद्युत स्कीम	70
4.	पंजाब	गुरु नानक ताप विद्युत केन्द्र विस्तार यूनिट-4	110
		शासन जल विद्युत स्कीम विस्तार	50
		नई जल विद्युत स्कीमें	48.5

1	2	3	4
5	राजस्थान	कोटा ताप विद्युत केन्द्र	220
		माही बजाजसागर जल विद्युत स्कीम	95
6.	उत्तर प्रदेश	ओबरा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार 2 और 3	800
		परीक्षा ताप विद्युत केन्द्र	110
		गढ़वाल-ऋषिकेश जल विद्युत स्कीम	144
		खोडरी जल विद्युत स्कीम	120
		मानेरी-भाली जल विद्युत स्कीम	90
7.	अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाएं	ब्यास जल विद्युत स्कीम यूनिट-1 (देहर) (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान)	330
		ब्यास जल विद्युत स्कीम यूनिट-3 (पोंग) (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान)	120
8.	केन्द्रीय परियोजनाएं	बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र यूनिट-4 और 5	420
		बैरा स्थूल जल विद्युत स्कीम	180
		सिंगरोली सुपर ताप विद्युत केन्द्र	630
		राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-2	220
		जोड़ : उत्तरी क्षेत्र	4183.5
पश्चिमी क्षेत्र			
9.	गुजरात	अहमदाबाद ताप विद्युत केन्द्र	110
		उकई ताप विद्युत केन्द्र यूनिट 3 और 4	400
		उकई ताप विद्युत केन्द्र विस्तार यूनिट-5	210
		वानकबोरी ताप विद्युत केन्द्र	630
		उकई बायां तट नहर जल विद्युत बिजली घर	5
10.	मध्य प्रदेश	सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार-1	410
		कोरबा पूर्वी ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	120
		सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार-2	420
		कोरबा पश्चिमी ताप बिद्युत केन्द्र	420
11.	महाराष्ट्र	कोराडी ताप विद्युत केन्द्र चरण-3	420
		कोयना जल विद्युत स्कीम यूनिट-4	80
		नासिक ताप विद्युत केन्द्र विस्तार-1	210
		नासिक ताप विद्युत केन्द्र विस्तार-2	420

1	2	3	4
		भुसावल ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210
		पारली ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210
		चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र	420
		कोयना बांध बिजली घर	40
		गैस टर्बाइन संयंत्र	240
		ट्राम्बे ताप विद्युत केन्द्र	500
		भुसावल ताप विद्युत केन्द्र विस्तार-दो	210
12.	अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाएं	पेंच जल विद्युत स्कीम (मध्य प्रदेश महाराष्ट्र)	
13.	केन्द्रीय परियोजना	कोरबा सुपर ताह विद्युत केन्द्र	210
			जोड़ : पश्चिमी क्षेत्र5975
दक्षिणी क्षेत्र			
14.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र	420
		नागार्जुन सागर दायां तट नहर जल विद्युत स्कीम	60
		नागार्जुनसागर पम्प स्टोरेज स्कीम	400
		डोंकराये नहर जल विद्युत स्कीम	25
		बलिमेला बांध विद्युत बिजली घर	60
		श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना	440
		लोअर सिलेरु जल विद्युत परियोजना	100
15.	कर्नाटक	कालीनदी जल विद्युत स्कीम	810
		लिंगनामक्की जल विद्युत स्कीम	55
		रायचूर ताप विद्युत केन्द्र यूनिट-I	210
16.	केरल	इदामलयार जल विद्युत स्कीम	75
17.	तमिलनाडु	कुन्डाह जल विद्युत स्कीम चरण-4	50
		सुरुलियार जल विद्युत स्कीम	35
		तूतीकोरिन ताप विद्युत केन्द्र	630
		कदमपराई पम्प स्टोरेज	100
		सरवालर जल विद्युत स्कीम	20
18.	केन्द्रीय परियोजना	कलपक्कम परमाणु विद्युत परियोजना	470
			जोड़ : दक्षिणी क्षेत्र 3960

1	2	3	4
पूर्वी क्षेत्र			
19.	बिहार	स्वर्णरेखा जल विद्युत स्कीम	65
		पलरातू ताप विद्युत केन्द्र विस्तार-4	220
		बरौनी ताप विद्युत केन्द्र विस्तार यूनिट 6 और यूनिट 7	220
20.	दामोदर घाटी निगम	चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र यूनिट-6	120
		दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र यूनिट-4	210
21.	उड़ीसा	तलचेर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	220
22.	पश्चिम बंगाल	संथालडीह ताप विद्युत केन्द्र यूनिट 3 और 4	240
		जलढ़ाका जल विद्युत स्कीम चरण-2	8
		कुर्सीयोंग जल विद्युत स्कीम चरण-2	2
		बन्डेल ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210
		कोलाघाट ताप विद्युत केन्द्र	630
		दुर्गापुर परियोजनाएं लि० ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	110
		सी० ई० एस० सी० ताप विद्युत केन्द्र	120
		गैस टर्बाइन संयंत्र	100
23.	केन्द्रीय परियोजनाएं	लोअर लग्यम जल विद्युत स्कीम (सिक्किम)	12
			जोड़ : पूर्वी क्षेत्र 2437
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
24.	असम	बोंगाई गांव ताप विद्युत केन्द्र	120
		लकवा गैस टर्बाइन परियोजना	45
		नामरूप में वेस्ट हीट रिकवरी संयंत्र	22
		बोगाईगांव ताप विद्युत केन्द्र विस्तार मोबाइल गैस यूनिटें	9
			129

1	2	3	4
25.	मेघालय	किरंडमकुलाई जल विद्युत स्कीम	60
26.	त्रिपुरा	गुमटी जल विद्युत स्कीम यूनिट-3	5
27.	नागालैण्ड	दिखु जल विद्युत स्कीम	1
28.	उत्तर-पूर्वी परिषद्	कोपिली जल विद्युत स्कीम	150
29.	केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं	लोकतक जल विद्युत स्कीम	105
		जोड़ : उत्तर पूर्वी क्षेत्र	517
	जोड़ युटिलिटीज़		17122

राजस्थान में बिजली संकट

962. **श्री सतीश अग्रवाल : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान को आजकल अभूतपूर्व बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो भरतपुर ऊर्जा संयंत्र, कोटा अणु संयंत्र और मध्य प्रदेश से राजस्थान को मिलने वाली सप्लाई में कितनी कमी हुई है ;

(ग) इन तीन स्रोतों से सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ; और

(घ) किसानों के हित की रक्षा करने और राज्य के कुछ भागों में, जहां सड़क की बिजली के प्रयोग को बन्द रखने के आदेश दिये गये थे, कम से कम उसे वहां फिर जारी रखने के लिए सरकार का क्या प्रबंध करने का विचार है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) उत्तरी क्षेत्र में सूखे की गंभीर स्थिति होने के कारण पोंग में दो मशीनें उपलब्ध न होने के कारण और कोटा में राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र के 220 मेगावाट के यूनिट की बन्दी के कारण राजस्थान राज्य बिजली की कमी का सामना कर रहा है। इस समय राज्य में प्रतिदिन 80 लाख यूनिट बिजली उपलब्ध है जबकि बिजली की प्रतिदिन की मांग 160 लाख यूनिट है।

(ख) और (ग) : राजस्थान में बिजली की मांग की पूर्ति राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र से, भाखड़ा नांगल-कम्पलेक्स, देहर, पोंग, चम्बल कम्पलेक्स और सतपुडा ताप विद्युत केन्द्र में राजस्थान के हिस्से से की जाती है। राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र जनवरी, 1980 के तीसरे सप्ताह से जबरन बन्द करना पड़ा था और 20 मार्च, 1980 से इस यूनिट के फिर से कार्य

करने लगने की संभावना है । चम्बल कम्पलेक्स के उत्पादन में 50% और सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र के उत्पादन में 40 हिस्सा राजस्थान का है । किन्तु मध्य प्रदेश में विद्युत की कमी होने के कारण चम्बल-सतपुडा कम्पलेक्स से राजस्थान को बिजली का अपना हिस्सा प्राप्त नहीं हो रहा था । सतपुड़ा से राजस्थान को उसके हिस्से में से 7 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन कम सप्लाई की गई । मध्य प्रदेश से राजस्थान को प्रतिदिन 4 लाख यूनिट बिजली सप्लाई करने की व्यवस्था हाल ही में की गयी है । किन्तु मध्य प्रदेश में बिजली की कमी होने के कारण सारी कमी पूरी कर सकना उसके लिए संभव नहीं होगा । बदरपुर लगभग 6 से 10 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन राजस्थान को सप्लाई कर रहा है यद्यपि इसके लिए कोई बचनवद्धता नहीं है ।

(घ) यद्यपि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत सप्लाई संबंधी कोई अधिसूचित कटौतियां नहीं हैं लेकिन इन उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई करने वाले फीडर जब राज्य में बिजली की खपत का नियमन के लिए की जाने वाली लोड शैडिंग के दौरान डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तब कभी कभी इन उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई प्रभावित हो जाती है । मार्च, 1980 के तीसरे सप्ताह के अन्त तक विद्युत की स्थिति में पर्याप्त सुधार होने की संभावना है क्योंकि उस समय राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र और बदरपुर का 210 मेगावाट का यूनिट पुनः चालू हो जाएंगे ।

कोयले की सप्लाई में तेजी से गिरावट के कारण गुजरात के सामने बिजली का भारी संकट

963. **श्री आर० के० गायकवाड़ : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले की सप्लाई में तेजी से गिरावट के कारण गुजरात को बिजली के भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है और उससे बिजली उत्पादन ठप्प हो जाने का खतरा बन गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य में बड़े विद्युत संयंत्रों. अर्थात उकई, धुवरन, गांधीनगर और साबरमती विद्युत केन्द्रों पर बहुत असर पड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो गत दो माह में इन विद्युत संयंत्रों को उनकी मांग के मुकाबले कितना कोयला दिया गया; और

(घ) इन संयंत्रों की कुल अधिष्ठापित क्षमता के मुकाबले गत दो माह के दौरान कुल कितने युनिट बिजली का उत्पादन हुआ ?

ऊर्जा और सचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) उकई जल विद्युत जलाशय में जल कम हो जाने पुनः ईंधन डालने के लिए तारापुर केन्द्र बंद कर दिए जाने और ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की अपर्याप्त सप्लाई होने के कारण गुजरात इस समय ऊर्जा की कमी का सोमना कर रहा है । ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले

की सप्लाई में और वृद्धि करने के लिए और धुवारण विद्युत केन्द्र को अतिरिक्त तेल इंधन की सप्लाई किए जाने के लिए कदम उठाए गए हैं। तारापुर का दूसरा यूनिट 20 मार्च तक पुन: चालू हो जाने की संभावना है। तत्पश्चात स्थिति में सुधार होने की आशा है।

(ग) गुजरात में इन विद्युत संयंत्रों की कोयले की आवश्यकताओं और प्राप्ति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न (विवरण एक) है।

(घ) गुजरात में वृहत ताप विद्युत संयंत्रों की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता और उसकी तुलना में फरवरी, 1980 के दौरान हुए कुल विद्युत उत्पादन की मात्रा यूनिटों में दिखाने वाला विवरण संलग्न (विवरण दो) है।

विवरण—एक

गुजरात के ताप विद्युत केन्द्रों में जनवरी और फरवरी, 1980 की अवधि में कोयले की आवश्यकताओं और प्राप्तियों को दिखाने वाला विवरण

ताप विद्युत केन्द्र का नाम		जनवरी 1980	फरवरी, 1980
सावरमती	आवश्यकता	90,000	100,000
	प्राप्ति	86,000	84,000
धुवारण	आवश्यकता	25,000	10,000
	प्राप्ति	4,000	1,000
गांधीनगर	आवश्यकता	50,000	60,000
	प्राप्ति	38,000	48,000
उकई	आवश्यकता	105,000	120,000
	प्राप्ति	80,000	115,000

विवरण—दो

गुजरात के वृहद ताप विद्युत संयंत्रों की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता और उसकी तुलना फरवरी, 1980 के दौरान हुए कुल विद्युत उत्पादन की मात्रा यूनिटों में दिखाने वाला विवरण

ताप विद्युत केन्द्र का नाम	कुल प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट में)	फरवरी, 1980 के दौरान उत्पादित यूनिटों की संख्या (मिलियन यूनिट में)
अहमदाबाद	327.5 ह्रास हुई क्षमता 588	130.28
धुवारण	(2×27 मेगावाट गैस टर्बाइन शामिल करके)	267.32*
गांधीनगर	240	111.30
उकई	640	188.25

*सारा उत्पादन तेल और गैस से हुआ है।

भाषाई समाचारपत्रों को मान्यता

964. **श्री पी० ए० संगमा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु और मध्यम दर्जे के भाषाई समाचार-पत्रों को राष्ट्रीय समाचारपत्रों के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है ; और

(ख) विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों और अखबारी कागज के कोटे के बारे में सरकार की इन भाषाई पत्रों के प्रति क्या नीति है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी हां। हम लघु और मध्यम समाचारपत्रों सहित सभी राष्ट्रीय भाषाओं के समाचारपत्रों को राष्ट्रीय समाचारपत्रों के रूप में मान्यता देते हैं और हमारी नीति उनको प्रोत्साहन देने की है।

(ख) कुल मिलाकर, वर्तमान विज्ञापन नीति लघु और मध्यम समाचारपत्रों को यथोचित विचार और "वेटेज" देने के लिए है। फिर भी लघु और मध्यम समाचारपत्रों को, प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार विज्ञापन और अखबारी कागज के कोटे के वितरण के संबंध में सारी नीति की समीक्षा कर रही है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

965. **पी० ए० संगमा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर पूर्वी क्षेत्र के किसी राज्य में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर सकारात्मक है, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) : संसाधनों पर प्रतिबंध और दूरदर्शन के विस्तार को अल्प प्राथमिकता देने की वजह से चालू पंच-वर्षीय योजना (1978-83) के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के किसी भी राज्य में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, क्षेत्र में दूरदर्शन सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता के आगामी योजना के प्रस्तावों का प्रतिपादन करते समय ध्यान में रखा जायेगा।

श्रीनगर में आकाशवाणी केन्द्र

966. **डा० कर्ण सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर और जम्मू के आकाशवाणी केन्द्रों को अभी तक भी "रेडियो काश्मीर श्रीनगर" तथा "रेडियो काश्मीर जम्मू" कहा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पुरानी प्रथा को कब तक समाप्त किया जायेगा और केन्द्रों को "आकाशवाणी श्रीनगर" तथा "आकाशवाणी जम्मू" कहा जायेगा ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) : विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से श्रीनगर और जम्मू के आकाशवाणी केन्द्रों की घोषणा क्रमशः "रेडियो कश्मीर श्रीनगर" और "रेडियो कश्मीर जम्मू" के रूप में की जाती है। फिलहाल, इन केन्द्रों के नामों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जम्मू क्षेत्र में सलाल पन-बिजली परियोजना

967. **डा० कर्ण सिंह : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू क्षेत्र में महत्वपूर्ण सलाल पन-बिजली परियोजना का कार्य निर्धारित समय से पीछे रह गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि इसके कार्य को तेजी से पूरा किया जाए ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) : कंक्रीट बांध के निर्माण के दौरान गंभीर भूतत्वीय खराबियां पाई जाने के कारण प्रगति निर्धारित कार्यक्रम से पीछे रह गई है। इन समस्याओं के कारण पहले के डिजायनों की पूर्ण रूप से समीक्षा करना आवश्यक हो गया था। तकनीकी सलाहकार समिति तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अध्ययन किए जाने के पश्चात् इन समस्याओं का समाधान कर दिया गया है।

थीन बांध

968. **डा० कर्ण सिंह : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू क्षेत्र में थीन बांध पर कार्य के शीघ्र ही आरम्भ होने की आशा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि जम्मू, हिमाचल और पंजाब में बांध से प्रभावित लोगों को समय पर पर्याप्त मुआवजा मिले।

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) थीन बांध परियोजना का निर्माण पंजाब सरकार द्वारा किया जा रहा है। अवसंरचना की स्थापना संबंधी कार्य प्रगति पर है। जम्मू क्षेत्र में अभी किसी कार्य को हाथ में नहीं लिया गया है। आशा है कि बांध का निर्माण कार्य 2-3 वर्ष की अवधि में शुरू होगा।

(ख) प्रभावित परिवारों को देय सम्पूर्ण राशि का भुगतान परियोजना द्वारा किया जाएगा। संबंधित राज्यों के अधिकारियों की संयुक्त समिति का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाए और उनके पुनर्वास के लिए भी समुचित उपाय किए जाएं।

कलकत्ता तथा हल्दिया पत्तनों को बचाने के लिए पानी की आवश्यकता

969. **श्री के० पी० सिंह देव : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता तथा हल्दिया पत्तनों को बचाने के लिये 40,000 क्युसेक पानी की कुल आवश्यकता के समक्ष पानी का वर्तमान बहाव केवल 15,000 क्युसेक है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में बंगला देश सरकार को सूचित किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इन दोनों पत्तनों के सामने इस समय विद्यमान इस संकट को हल करने के लिये भारत सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) अनुपात लगाया गया है कि कलकत्ता पत्तन के लिए इष्टतम शीर्ष जल प्रवाह 40,000 क्यूसेक होना चाहिए । प्रवाह कम होने पर भी कुछ लाभ होंगे लेकिन उतनी सीमा तक नहीं जितने की योजना बनाई गई है । फरक्का फीडर नहर के जरिए कलकत्ता पत्तन के लिए इस समय उपलब्ध प्रवाह केवल लगभग 17,000 क्यूसेक है ।

(ख) गंगा के जल से संबंधित करार के उपबंधों के अधीन स्थापित भारत-बंगला देश संयुक्त प्रेक्षण दल प्रतिदिन भारत में फरक्का बराज के नीचे नदी में तथा फीडर नहर में और बंगला देश में हार्डिग ब्रिज पर जल प्रवाह का अवलोकन करता है और उसे रिकार्ड करता है ।

(ग) शुष्क मौसम के दौरान, गंगा में इतना जल नहीं होता, जिससे दोनों देशों की समूची आवश्यकताएं पूरी हो जाएं । इसलिए करार में शुष्क मौसम के दौरान गंगा के प्रवाह को बढ़ाने के बारे में दोनों देशों में से किसी भी सरकार द्वारा प्रस्तावित अथवा प्रस्तावित की जाने वाली स्कीमों का अन्वेषण और अध्ययन भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग द्वारा किए जाने की व्यवस्था है ताकि कोई ऐसा हल ढूंढा जा सके जो किफायती और व्यवहार्य हो । इस संबंध में दोनों देशों के प्रस्ताव इस समय आयोग के पास हैं ।

दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता विद्युत सप्लाई कम्पनी आदि का कार्य-निष्पादन

970. **श्री आनन्द गोपाल मुखर्जी : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य बोर्डों, दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता विद्युत सप्लाई कम्पनी और अन्य विद्युत उत्पादन कम्पनियां, यदि कोई हों, का कार्य निष्पादन कैसा है ?

क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : राज्य बिजली बोर्डों, दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी तथा अन्य विद्युत उत्पादन कम्पनियों का अप्रैल, 1979 जनवरी, 1980 की अवधि के दौरान प्रचालन संबंधी कार्य-निष्पादन विवरण संलग्न है ।

विवरण

अप्रैल, 1979 से जनवरी, 1980 के दौरान देश में राज्य बिजली बोर्डों/निगमों/विद्युत उत्पादन कम्पनियों की क्षमता, विद्युत उत्पादन और ताप विद्युत/न्यूक्लीय संयंत्र भार अनुपात का ब्यौरा ।

राज्य बिजली बोर्ड निगम/विद्युत उत्पादन कम्पनी	क्षमता (मेगावाट)			विद्युत उत्पादन (यूनिट)			ताप विद्युत और परमाणु विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात (%)
	ताप विद्युत	जल विद्युत	जोड़	ताप विद्युत	जल विद्युत	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (वदरपुर) दिल्ली	510	—	510	1232	—	1232	32.9
विद्युत प्रदाय शंस्थान	310.5	—	310.5	1496	—	1496	65.6
बी० एम० सी०	—	1205	1250	—	5820	5820	—
बी० सी० वो०	—	900	900	—	5881	2881	—
हरियाणा राज्य विजली बोर्ड	245	—	245	399	—	399	22.6
हिमाचल प्रदेश राज्य विजली योर्ड	—	105	105	—	278	278	—
जम्मू और कश्मीर सरकार	22.5	175	197.5	11	535	546	6.7
पंजाब राज्य विजली बोर्ड	440	88	523	945	405	1350	29.2
राजस्था राज्य विजली बोर्ड	—	271	271	—	920	920	—
उत्तर प्रदेश राज्य विजली वोर्ड	2107	1068.4	3175.4	5524	2977	8501	39.4
गुजरात राज्य विजली बोर्ड	1591.5	300	1891.5	4990	1036	6026	45.8
अहमदावाद विजली कम्पनी	302.5	—	302.5	1179	—	1179	53.1
मध्य प्रदेश राज्य							

1	2	3	4	5	6	7	8
विजली बोर्ड	1252.5	115	1367.5	4651	418	5069	52.8
महाराष्ट्र राज्य विजली बोर्ड	1703	987.5	2690.5	6097	3735	9832	52.6
टाटा जल-विद्युत कम्पनी	330	276	606	1788	1090	2878	73.8
आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	1032.5	826.7	1859.2	2577	3064	5641	39.6
कर्नाटक राज्य विजली बोर्ड	—	1279.7	1279.7	—	4567	4567	—
केरल राज्य विजली बोर्ड	—	1011.5	1011.5	—	4215	4215	—
तमिलनाडु विजली बोर्ड	1305	1369	2719	3523	4718	8241	35.5
विहार राज्य विजली बोर्ड	765	80	845	2111	66	2177	37.6
दामोदर घाटी निगम	1257.5	104	1361.5	3728	188	3916	40.4
उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड	250	630	880	591	1584	2175	32.2
पश्चिमी बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	768	33	801	2348	26	2374	43.2
कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन सप्लाई	328	—	328	1326	—	1326	55.0
डी० पी० एल० (दुर्गापुर लि०) परियोजना	280	—	280	662	—	662	32.2
असम राज्य बिजली बोर्ड	141.5	—	141.5	453	—	353	43.6
मेघालय राज्य बिजली बोर्ड	—	125.2	125.2	—	259	259	—
नागालैण्ड, त्रिपुरा और सिक्किम	—	23.5	23.5	—	33	33	—
परमाणु विद्युत प्राधिकरण	640*	—	640	2604	—	2604	55.4

* न्यूक्लीय

पूर्वी कोयला पट्टी में बड़ा विद्युत केन्द्र

971. **श्री आनन्द गोपाल मुखर्जी : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वी कोयला पट्टी में वड़ा विद्युत केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार मालदा जिले में एक दूसरा बड़ा विद्युत केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या सरकार पश्चिम बंगाल क्षेत्र में बड़ा पन-विद्युत केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रही है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां । पूर्वी क्षेत्र में फरक्का में सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार ने मार्च, 1979 में स्वीकृति दे दी है । इसके पहले चरण में 200-200 मेगावाट के तीन उत्पादन यूनिटों की स्थापना की जानी है ।

(ख) मालदा जिले में सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है ।

(ग) जी, नहीं । इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राष्ट्रीय पावर-ग्रिड

972. **श्री आनन्द गोपाल मुखर्जी : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में बिजली के लिए राष्ट्रीय ग्रिड बनाने पर सरकार विचार कर रही है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : राष्ट्रीय ग्रिड के प्रचालन की दिशा में, देश में क्षेत्रीय ग्रिडों का विकास किया जा रहा है । क्योंकि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ग्रिडों के लिए शक्तिशाली अंतर्राज्यीय/क्षेत्रीय पारेषण लाइनों की आवश्यकता है, अत: इन पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए राज्यों को, चौथी योजना से और उसके बाद 100% ऋण सहायता दी जा रही है । समेकित क्षेत्रीय ग्रिडों के उत्तम प्रचालन के लिए क्षेत्रीय भार पारेषण केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं । इस प्रकार, राज्यों और क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों को परस्पर संवद्ध किए जाने के जरिए राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड का क्रमिक विकास हो रहा है ।

आकाशवाणी के पोर्ट ब्लेयर केन्द्र के लिए सलाहकार समिति

973. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों से आकाशवाणी के पोर्ट ब्लेयर केन्द्र के लिए कोई भी सलाहकार समिति नहीं है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार आकाशवाणी केन्द्र पोर्ट ब्लेयर के लिए सलाहकार समिति गठित करने पर अब विचार कर रही है और यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां। आकाशवाणी, पोर्ट ब्लेयर के लिए कार्यक्रम सलाहकार समिति का कार्यकाल दिसम्बर, 1976 में समाप्त हो गया है।

(ख) आकाशवाणी, पोर्ट ब्लेयर के लिए कार्यक्रम सलाहकार समिति का पुनर्गठन शीघ्र किया जायेगा।

दूरदर्शन पर मराठी लोक नाट्य का प्रदर्शन

974. **श्री बी० एन गाडगिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोई ऐसे निर्देश है कि मराठी लोक नाट्य(तमाशा)को बम्बई और पूना के दूरदर्शन केन्द्र से नहीं दिखाया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं। वास्तव में बम्बई दूरदर्शन केन्द्र समय-समय पर जाने माने तमाशा दलों के कार्यक्रम प्रसारित करता रहा है।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा कुछ दैनिक समाचारपत्रों को विज्ञापन दिया जाना

975. **श्री बी० एन० गाडगिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा वर्ष 1974-75 से 1978-79 के दौरान पूना से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार-पत्रों, पूना—हैराल्ड, 'सकल', 'केसरी', 'तरुण भारत', 'प्रभात', 'विशाल' सह्याद्री' और 'संध्या' को कुल कितनी राशि के विज्ञापन दिए गए हैं; और

(ख) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान तरुण भारत को दिए गए, विज्ञापनों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) वर्ष 1974-75 से 1978-79 की अवधि के दौरान "तरुण भारत", जिसको मई, 1976 से 27 मार्च 1977 तक प्रयोग नहीं किया गया, के सिवाए, अंग्रेजी दैनिक पूना हैराल्ड और मराठी दैनिक "सकल," 'केसरी', "तरुण भारत" विशाल सह्याद्री और सान्ध्य, विज्ञापन देने के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की सूची में थे। 'प्रभात' के आवेदन पर उसे 1977-78 पैनल में रखा गया और उसके बाद से विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल में है। तथापि, अलग-

अलग समाचारपत्रों में बुक किए गए विज्ञापन के लिए स्थान और उनके मूल्य गोपनीय समझे गए ।

(ख) यह सही नहीं है कि "तरुण भारत" के विज्ञापनों में कोई विशेष वृद्धि की गई थी । 26 मई, 1976 से 23 मार्च, 1977 की अवधि के दौरान "तरुण भारत" माध्यम सूची में नहीं था । तदन्तर यह माध्यम सूची में आया । किन्तु दिए गए विज्ञापन इस अवधि के दौरान अपने परिचालन अनुपातहीन नहीं थे ।

मैसर्स मोटर इण्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर द्वारा उत्पादों की अधिक कीमत पर बिक्री

976. **श्री के० ए० राजन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली तथा 'नोजल्स', 'एलिमेन्ट्स', डिलेवरी वाल्वस् और कंम्पलीट पम्प्स एण्ड इन्जैक्शन्स की एक मात्र उत्पादक कम्पनी मैसर्स मोटर इण्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड (माइको) बंगलौर अपने स्वयं के वितरकों के द्वारा अपने उत्पाद अधिक कीमत पर बेच रही है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इन उत्पादकों की असली अथवा नकली रूप में कमी है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत इस कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) क्या इन वस्तुओं के निर्माण के लिए और अधिक लाइसेंस जारी करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) मैसर्स मोटर इण्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड (मिको) बंगलौर इस देश में आटोमोबाइल उद्योग के लिये ईंधन इन्जैक्शन उपस्करों का प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता है । पिछले दो वर्षों में, वाणिज्य कार्य में कार्यरत वाहनों और ट्रक्टरों के उत्पादनों में भारी वृद्धि के कारण, इन उद्योगों में, यद्यपि सभी सम्भव सहायता सरकार द्वारा इनकी वृद्धि को बढ़ाने के लिये दिये जाने पर भी सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में कम्पनी समर्थ नहीं हुई है। सरकार को समय-समय पर, अन्य आरोपों के साथ-साथ, कृतिम कमी, अनुषंगी पुर्जो जैसे ईंधन इन्जैक्शन और कम्पनी द्वारा विनिर्मित उसके अनुषंगी पुर्जों की आपूर्ति की बढ़ी दरों पर बेचने के आरोप लगाते हुए, कम्पनी के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती रही हैं । यह भी आरोप है कि कम्पनी द्वारा एक वर्ष में उसके द्वारा विनिर्मित उत्पादों के सम्बन्ध में, मूल्यों में 100 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है । इन आरोपों की एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा जांच की जा रही है ।

कम्पनी द्वारा विभिन्न प्रकार के अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों को भी किये जाने के कतिपय आरोप हैं। आयोग ने, रजिस्ट्रार, अवरोधक व्यापारिक संविद द्वारा एकाधिकार एवं अवरोधक एवं व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 10 (क) (111) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर तीन जांच गठित की। एक मामले में, आयोग द्वारा जांच समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि आरोपित अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों को सम्मिलित करते हुए अनुबन्ध/प्रबन्ध के कार्य का उत्प्रवाहकाल समाप्त हो चुका था। अन्य दो जांचों में, आयोग ने "बन्द करो—बाज आओ" आदेश पारित किया अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों के सम्बन्ध में कुछ आरोपों की आयोग द्वारा जांच अभी तक चल रही है।

सरकार ने देश में आटोमोबाइल उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन मदों की आपूर्ति के वैकल्पिक श्रोतों को स्थापित करने को प्रोत्साहन देने के लिये प्रयास भी किये हैं और इस क्षेत्र में दूसरा औद्योगिक लाइसेंस की संस्वीकृति का प्रस्ताव विचाराधीन है। मैसर्स मोटर इण्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड ने भी एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत दिनांक 20.2.80 को स्पार्क प्लगों, पम्पों, नोजल्स, नोजल होल्डरों, फिल्टरों, इलीमैंट और डेलिवरी वाल्वों के विनिर्माण में भारी विस्तार करने के लिये निम्नांकित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है :

वार्षिक क्षमता संख्याओं में

विनिर्माण का पद	वर्तमान दिये लाइसेंस की क्षमता	प्रस्तावित विस्तार
1. स्पार्क प्लग	60,00,000	90,00,000
2. सिंगल सिलेन्डर पम्प्स	5,40,000	1,80,000
3. डिस्ट्रीब्यूटर और मल्टी फ्यूल टाइप को सम्मिलित करते हुए मल्टी सिलेन्डर पम्प	1,65,500	1,34,500
4. नोजल होल्डर्स	9,60,000	5,40,000
5. नोजल	42,00,000	18,00,000
6. फिल्टर्स	1,12,500	1,47,500
7. इलीमैंट	36,00,000	27,00,000
8. डिलीवरी वाल्व	47,50,000	32,50,00

आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन है।

मतदाता सूचियों में अनियमितताएं

978. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मतदाता सूचियों में अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार इनकी जांच के लिए एक समिति नियुक्त करने का है ; और

(ग) यदि हां तो कब तक और उसका गठन एवं निर्देश पद क्या है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) निर्वाचक नामावलियों में पात्र मतदाताओं के नाम के लोप काटे जाने के संबंध में शिकायतें निर्वाचन आयोग में मतदाता की तारीख को और उसके बाद प्राप्त हुई थीं। अधिकतर शिकायतें साधारण प्रकृति की हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में बिजली की उपलब्धता एवं आवश्यकता

979. **श्री बालसाहिब विखे पाटिल** : **क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि देश भर में पिछले कुछ सप्ताहों में बिजली की स्थिति बहुत बिगड़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्यवार बिजली की उपलब्धता एवं आवश्यकता संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) देश में सामान्य रूप से और महाराष्ट्र में विशेष रूप से स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा, और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) : यह कहना सही नहीं है कि पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान देश में विद्युत सप्लाई की स्थिति बिगड़ गई है। तथापि, मानसून से वर्षा न होने और परिणामस्वरूप कुछ राज्यों के जल विद्युत केन्द्रों से कम विद्युत उपलब्ध होने, भार मांग बढ़ जाने, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे के कारण भार मांग बढ़ जाने और कुछ राज्यों में फसलों के स्वरूप में परिवर्तन होने के कारण कई राज्यों को इस समय विद्युत की कमी का सामना करना पड़ रहा है और बढ़ती हुई भार मांग को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठापित क्षमता अपर्याप्त होने तथा कुछ ताप विद्युत केन्द्रों पर कोयले की कमी होने के कारण भी विद्युत की कमी हुई है। दिसम्बर, 1979 से फरवरी, 1980 तक के महीनों में विद्युत सप्लाई की राज्यवार स्थिति दिखाने वाला विवरण विवरण में संलग्न हैं।

(ग) देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) केन्द्रीय सेक्टर में वर्तमान प्रतिष्ठापित ताप विद्युत क्षमता से अधिकतम उत्पादन करना। राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे इसी प्रकार अपनी प्रतिष्ठापित ताप-विद्युत क्षमता से अधिकतम उत्पादन करें।

(2) 1978-79 की अवधि में लगभग 17122 मेगावाट नई उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि करना। इसमें से लगभग 3000 मेगावाट नई क्षमता 1978-79 के दौरान चालू की जा चुकी है।

(3) जिन राज्यों के फालतू बिजली है, उन राज्यों से, कमी वाले राज्यों को बिजली का अन्तरण।

(4) कोयले के स्टाक की मानीटरिंग करना और यह सुनिश्चित करना कि ताप विद्युत केन्द्रों पर पर्याप्त कोयला उपलब्ध रहे।

महाराष्ट्र राज्य में भी विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

इन उठाए गए कदमों में नई उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि करना, नई स्थापित की गई 200/210 मेगावाट की यूनिटों के शीघ्र स्थिरीकरण के लिए उनमें संशोधन/दोष सुधार करना और ताप विद्युत केन्द्रों को पर्याप्त कोयले की सप्लाई करना शामिल है।

इस समय निर्माणाधीन निम्नलिखित नई यूनिटों को 1980-81 की अवधि में चालू किए जाने की उम्मीद है :

नासिक यूनिट सं० 4	210 मेगावाट	मई, 1980
पारली यूनिट सं० 3	210 मेगावाट	जून, 1980
नासिक यूनिट सं० 5	210 मेगावाट	अगस्त, 1980

इन नई यूनिटों को चालू हो जाने से महाराष्ट्र में विद्युत सप्लाई की स्थिति में पर्याप्त सुधार होगा।

दिसम्बर, 79 से फरवरी, 80 तक की अवधि में राज्यवार विद्युत सप्लाई की स्थिति

(मिलियन यूनिट)

क्रम सं०	क्षेत्र/राज्य		दिसम्बर, 1979	जनवरी, 1980	फरवरी 1980
1	2		3	4	5
एक—उत्तरी क्षेत्र					
1.	हरियाणा	आवश्यकता	355	456	348
		सप्लाई	258	222	349
		कमी (%)	27.3	51.3	28.4
2.	हिमाचल प्रदेश	आवश्यकता	29	32	32
		सप्लाई	29	32	32
		कमी (%)	—	—	—

1	2		3	4	5
3.	जम्मू और कश्मीर	आवश्यकता	91	84	76
		सप्लाई	65	69	64
		कमी (%)	28.6	17.9	15.8
4.	पंजाब	आवश्यकता	539	522	470
		सप्लाई	432	378	386
		कमी (%)	19.85	27.58	17.87
5.	राजस्थान	आवश्यकता	420	465	435
		सप्लाई	371	418	342
		कमी (%)	11.7	10.1	21.4
6.	उत्तर प्रदेश	आवश्यकता	1316	1307	1262
		सप्लाई	708	870	774
		कमी (%)	46.2	33.4	38.7
	दो—पश्चिमी क्षेत्र				
1.	गुजरात	आवश्यकता	890	895	810
		सप्लाई	771	850	810
		कमी (%)	13.4	5.0	—
2.	मध्य प्रदेश	आवश्यकता	630	645	570
		सप्लाई	467	497	457
		कमी (%)	25.9	22.9	19.8
3.	महाराष्ट्र	आवश्यकता	1665	1675	1580
		सप्लाई	1351	1385	1227
		कमी (%)	18.9	17.3	22.3
	तीन—दक्षिणी क्षेत्र				
1.	आंध्र प्रदेश	आवश्यकता	564	583	589
		सप्लाई	458	484	493
		कमी(%)	18.8	17.0	16.3
2.	कर्नाटक	आवश्यकता	753	763	742
		सप्लाई	498	533	473
		कमी (%)	33.9	30.1	36.3
3.	केरल	आवश्यकता	259	250	275
		सप्लाई	259	250	275
		कमी (%)	—	—	—

1		2	3	4	5
4.	तमिलनाडु	आवश्यकता	890	959	882
		सप्लाई	826	896	806
		कमी (%)	7.2	6.5	8.6
5.	पांडिचेरी	आवश्यकता	13	12	12
	(संघ राज्य क्षेत्र	सप्लाई	12	12	12
		कमी (%)	7.7	—	—
चार—पूर्वी क्षेत्र					
1.	बिहार	आवश्यकता	310	310	290
		सप्लाई	202	183	220
		कमी (%)	34.8	41.0	24.1
2.	पश्चिमी बंगाल	आवश्यकता	490	512	373
		सप्लाई	419	434	452
		कमी (%)	14·5	12.2	4.4
3	उड़ीसा	आवश्यकता	222	382	271
		सप्लाई	196	198	178
		कमी (%)	32.9	2०.8	35.0

विभिन्न केन्द्रीय विभागों में कानूनी सलाहकार

980. **श्री रामलाल राही** क्या : विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न केन्द्रीय विभागों में कानूनी सलाहकार विधि विभाग से परामर्श करके नियुक्त किए जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो 1977-78, 1978-79, और 1979-80 में कितने कानूनी सलाहकार नियुक्त किए गए और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की विभाग-वार संख्या क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) यह मंत्रालय अपने कर्मचारियों के माध्यम से भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को विधिक सलाह देता है। सामान्यतः अन्य मंत्रालय विधि सलाहकारों की नियुक्ति के संबंध में इस मंत्रालय से परामर्श नहीं करते हैं। उन मंत्रालयों से यह अपेक्षित है कि वे अपने सुसंगत भर्ती नियमों का पालन करें।

(ख) ऊपर जो कहा गया है उसको दृष्टि में रखते हुए इस मंत्रालय के पास यह जानकारी नहीं है। किंतु यह मंत्रालय केन्द्रीय विधि सेवा और अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन

अन्य पदों पर भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का कड़ाई से पालन करता है।

सुन्दर वन क्षेत्र के दक्षिणी भाग भूरक्षण

981 **श्री मुकुन्द मण्डल : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सुन्दर वन-क्षेत्र के दक्षिणी भाग का बंगाल की खाड़ी से तेजी के साथ कटाव होने के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने सुन्दर वन क्षेत्र को कटाव से बचाने के लिए क्या उपाय किये हैं तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) से (ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 24-परगना जिले के सुन्दरवन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के समुद्रतट का कुछ भागों में उत्तरोत्तर कटाव हो रहा है। इसे रोकने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने 24-परगना जिले में 42 किलोमीटर लम्बे तट भाग तथा मिदनापुर जिले में 23 लिोमीटर लम्बे तट भाग को सुरक्षा के लिए एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम की कुल अनुमानित लागत 54 करोड़ रुपए है। इस स्कीम की केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे द्वारा जांच की गई है और कुछ तकनीकी बातों पर और आगे विचार करना अपेक्षित है, जिन पर राज्य सरकार से पहले ही कार्रवाही करने का अनुरोध किया गया है। इस स्कीम को अभी तक राज्य सरकार द्वारा राज्य के बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आकाशवाणी के केन्द्रों द्वारा आयोगों के बारे में प्रसारणों पर दिया गया समय

982. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों द्वारा 1977 से 1979 तक जनता और लोकदल के शासन काल में भिन्न-भिन्न आयोगों के प्रतिवेदनों के प्रसारण पर कितना समय लगाया गया ;

(ख) इन प्रसारणों के कारण अनुमानतः कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस मामले में सरकार का यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है तो वह क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति औरपुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

पारेषण वितरण और चोरी के कारण विद्युत की हानि

983. **श्री चित्त महाटा : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1979 के अन्त में विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी ;

(ख) पारेषण, वितरण और चोरी के कारण विद्युत की अनुमानत: कितनी हानि हुई; और

(ग) देश में विद्यमान विद्युत संयंत्रों के क्षमता के उपयोग में सुधार करने और विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री० ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : (क) : दिसम्बर, 1979 के अन्त में देश में कुल प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 29499 मेगावाट थी, जिसमें से 27181 मेगावाट क्षमता युटिलिटीज में थी ।

(ख) : पारेषण, वितरण और बिजली की चोरी के कारण देश में वर्ष 1978-79 के दौरान 1,146 मेगावाट बिजली की हानि हुई । यह मात्रा, देश में सप्लाई के लिए उपलब्ध कुल ऊर्जा का 19-81% है : पारेषण, वितरण और चोरी के कारण विद्युत की हानि का अलग-अलग मूल्यांकन कर सकता व्यावहारिक नहीं है ।

(ग) : देश में ताप विद्युत संयंत्रों की लमता के उपयोग में सुधार करने और विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय किए गए हैं और किए जा रहे हैं ।

अल्पकालिक उपाय

(1) केन्द्रीय क्षेत्र में मौजूदा प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करना । राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता से इसी प्रकार अधिकतम उत्पादन करें ।

(2) केन्द्रीय क्षेत्र में नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना तथा ऐसे ही उपाय करने की सलाह राज्य सरकारों को देना ।

(3) ताप विद्युत केन्द्रों पर कोयले के भंडार की मानीटरिंग करना तथा कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

(4) फालतू विद्युत वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत का अन्तरण ।

(5) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाई-कर्ताओं से फुटकर पुर्जों की सप्लाई की व्यवस्था करना ।

दीर्घकालिक उपाय

(1) 1979-83 की अवधि में युटिलिटीज में लगभग 17,122 मेगावाट नई उत्पादन क्षमता की अधिवृद्धि करने की योजना बनाई गई है । इसमें से लगभग 3000 मेगावाट नई क्षमता 1978-79 के दौरान चालू की जा चुकी है ।

(2) विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुसरण के लिए इन्जीनियरों को प्रशिक्षण देना ।

(3) डिजाइन, उपस्कर आदि में कमियों का पता लगाना और इसमें दोष सुधार/प्रतिस्थापन आदि के लिए कई ताप विद्युत केन्द्रों पर परियोजना नवीकरण कार्यक्रम हाथ में लेना ।

बन्द पड़ी कोयला खानें

984. **श्री नरसिंह नकवाना : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बन्दी पड़ी कोयला खानों की संख्या कितनी है और उनको पुन: खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : कोल इंडिया लि० और सिंगरैनी कोलियरीज कं० लि० की 415 खानों में से 15 खानें बन्द हैं। इनमें से 13 खानें तो भण्डार समाप्त हो जाने के कारण बंद की गई थीं। अन्य मामलों में कोयले के परिवहन के लिए आधारभूत सुविधाएं न होने के कारण खानें बन्द की गई थीं।

समाचार-पत्रों को एकाधिकार-गृहों से पृथक करने के बारे में दिल्ली स्टेट एम्पलाईज फेडरेशन के सुझाव

985. **श्री के० पी० सिंह देव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्टेट एम्पलाईज फेडरेशन ने मंत्री महोदय से अनुरोध किया है कि समाचार-पत्रों को बड़े एकाधिकार गृहों से पृथक करने के प्रश्न पर छह महीने के भीतर रिपोर्ट देने हेतु समिति गठित की जाए ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने पहले ऐसा प्रयास किया है ;

(ग) यदि हां, तो अध्ययन की क्या-क्या असफलताएं रहीं ; और

(घ) उपरोक्त भाग (क) में किए गए अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) : जी, हां।

(ख) से (घ) : सरकार का विचार है कि इस विषय पर गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। 1978 में स्थापित प्रेस आयोग के निदेश पदों में निम्नलिखित मद थी:—

"सम्पादकीय स्वतंत्रता और व्यावसायिक ईमानदारी तथा वस्तुनिष्ठ समाचार और विचार तथा मुक्त रूप से अभिव्यक्त टिप्पणियां प्राप्त करने के पाठकों के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रेस के घटकों के स्वामित्व का स्वरूप तथा उनका वित्तीय ढांचा।"

तथापि, प्रेस आयोग को संशोधित और व्यापक निर्देश-पदों सहित पुनर्गठित करने का विचार है। इस विषय को संशोधित निदेश-पदों में शामिल करने के प्रश्न पर उचित विचार किया जाएगा।

कोयले के उत्पादन में अवरोध

986. **श्रीमती मोहसिना किरदई : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला उद्योग में भारी पूंजी लगाने के बावजूद कोयले का उत्पादन चौथी योजना के 1130 लाख टन के लक्ष्य से आगे नहीं बढ़ रहा है; और

(ख)यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा, सिंचाई कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क)और (ख)चौथी योजना में कोयले के उत्पादन का अन्तिम लक्ष्य 93.05 मि0 टन था जिसके मुकाबले में वर्ष 1973-74 में कोयले का उत्पादन 78.17 मि० टन हुआ था। इसके बाद उत्पादन में वृद्धि होती जा रही है तथा 1974-75 में 88.41 मि० टन, 1975-76 में 99.68 मि० टन, 1976-77 में 101.02 मि टन, 1977-78 में 100.98 मि० टन तथा 1978-79 में 101.94 मि० टन उत्पादन हुआ। वर्ष 1979-80 में लगभग 104. मि० टन उत्पादन होने की आशा है।

पिछले दो वर्षों में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव मुख्य रूप से उन विभिन्न कारणों से पड़ा जो उत्पादक कम्पनियों के नियत्रण से बाहर हैं। ये कारण थे सितम्बर, 1978 में कोयला खानों में आई बाढ़ें, बिजली की अपर्याप्त सप्लाई, विस्फोटक पदार्थों की कमी, औद्योगिक अशान्ति तथा पूर्वी भारत में कानून और व्यवस्था की स्थिति में गिरावट है भूमि के अधिगृहण और कब्जा लेने में विलम्ब से भी उत्पादन पर प्रतिकूल पड़ा।

प्यारे ड्रिक्स लिमिटेड द्वारा मांगीगई सावधिक जमा

987. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979 के अन्त में अथवा वर्ष 1980 के प्रारम्भ में प्योर ड्रिक्स(नई दिल्ली) लिमिटेड ने जनता से जमा-राशि का अनुरोध किया है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के लाभ आंकड़े देना आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तो सावधिक जमा के लिए आवेदन प्रपत्रों पर उन्हें कौन से तीन वर्षों के लाभ के आंकड़े देने होते हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि उन्होंने वर्ष 1977-78 के आंकड़ों को छोड़ दिया है, यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) हां, श्रीमान् जी कम्पनी ने जनता से जमाधन आमंत्रित करते हुए दिनांक 9 फरवरी, 1980 को कुछ अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किया।

(ख) हां, श्रीमान् जी।

(ग) 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78

(घ) नहीं, श्रीमान् जी। कम्पनी ने 1977-78 के वर्ष के लाभों के आंकड़े दिये है, एवं इस प्रकार उन्हें छोड़ देने के लिए कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

धनराशि के दुर्विनियोजन के बारे में प्योर ड्रिक्स लिमिटेड के विरुद्ध शिकायतें

988. **श्री चन्द्र भाल मणि तिवारी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** दिनांक 13 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3010 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्योर ड्रिंक्स(नई दिल्ली) लि० के दो कर्मचारियों की ओर से प्राप्त कम्पनी की धनराशि के बड़े पैमाने पर दुर्विनियोजन के बारे में शिकायतों की जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ख) क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर (क) तथा (ख) : मामले की प्राथमिक परीक्षा के आधार पर, (1) प्योर ड्रिंक्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (2) मैं० मोहन आटोमन एण्ड हर बर्ट कम्पनी लिमिटेड की लेखा-बहियों का, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209-क के अन्तर्गत निरीक्षण के आदेश 27 जून, 1979 को प्रेषित किये गये थे। निरीक्षण अधिकारी से निरीक्षण रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। निरीक्षण रिपोर्टों के प्राप्त होते ही, समुचित कार्यवाही, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत, इस रिपोर्ट के आधार पर अधिपत्रित होगी, की जायेगी।

पं० जवाहरलाल नेहरू के चित्र (डैफिनिटिव) डाक-टिकटों का न मिलना

1. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पं० जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाले (डैफेनिटिव) डाक-टिकटों की डाकघरों द्वारा बिक्री नहीं की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन डाक-टिकटों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां, हो सकता है कि पं० जवाहर लाल नेहरू के चित्र वाले डाक-टिकट इस समय बिक्री के लिए विभिन्न डाकघरों के सुलभ न हो क्योंकि इन टिकटों का मुद्रण अप्रैल 1979 से बंद कर दिया गया था।

(ख) इन डाक टिकटों की मांग होने की जानकारी सरकार को है। इसलिए जन-साधारण को ये डाक-टिकट उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

सभापटल पर रखे गये पत्र

उत्तर पूर्व विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड़ शिलांग, राष्ट्रीय पन बिजली निगम लि० नई दिल्ली, जल और विद्युत विकास परामर्शदात्री सेवाएं (भारत) लि० नई दिल्ली और राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि० नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, 1979 और कोयला खान श्रम कल्याण निधि(संशोधन) नियम, 1980

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) उत्तर पूर्व विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) उत्तर पूर्व विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—524/80]

(ख) (एक) राष्ट्रीय पन बिजली निगम लि०, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय पन बिजली निगम लि० नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—525/80]

(ग) (एक) जल और विद्युत विकास परामर्शदात्री सेवाएं (भारत) लि०, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) जल और विद्युत विकास परामर्शदात्री सेवाएं (भारत) लि०, नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—526/80]

(घ) (एक) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि०, नई दिल्ली के अद्यतन कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि०, नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—527/80]

(2) बिजली (संदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 4ग के अन्तर्गत जारी किए गए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—528/80]

(3) कोयला खान श्रम कल्याण निधि, अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा 3 के अन्तर्गत कोयला खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी और

अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र में दिनांक 5 फरवरी, 1980 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 30(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—529/80]

1978 के लिए एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग का कार्यकरण संबंधी प्रतिवेदन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) :

मैं एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अंतर्गत 1 जनवरी, 1978 से 31 दिसम्बर, 1978 की अवधि के लिए एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के कार्यकरण संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—530/80]

भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1980

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन :)

मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 16 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 196 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—531/80]

राष्ट्रीय लोकवित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ-साथ विलम्ब का कारण बताने वाला विवरण तथा प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण, जिंक आक्साइड पर उत्पाद-शुल्क में छूट की अधिसूचना, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के बारे में अधिसूचना, मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1980 और भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियम, 1949 का संशोधन।

वित्त और उद्योग मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं श्री जगन्नाथ पहाड़िया की ओर से : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब और उसका हिन्दी संस्करण साथ-साथ पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—532/80]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 47 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करन) की एक प्रति जो दिनांक 19 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या 77/73-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 1 मार्च, 1973 में कतिपय संशोधन किया गया है जिसके अन्तर्गत जिंक ओक्साइड पर बिना शर्त छूट में संशोधन किया गया है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-533/80)

(3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति।

(एक) सा० सां० नि० 76 (ङ) जो दिनांक 6 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा पौंड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को पौंड स्टर्लिंग में बदलने के लिए पुनरीक्षित विनिमय दर सम्बन्धी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 79 (ङ) जो दिनांक 11 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जो दिनांक 6 मार्च, 1980 की अधिसूचना के अधिक्रमण में जारी की गई है जिसमें पौंड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को पौंड स्टर्लिंग में बदलने के लिए पुनरीक्षित विनिमय दर दी गई है एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रान्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी-534/80)

(4) मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 को उद्घोषणा खे खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 1) की एक प्रति जो राज्यपाल द्वारा 18 जनवरी, 1980 को प्रख्यापित किया गया था।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-535/80)

(5) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बेंक सामान्य विनियम, 1949 के विनियम 23 (दो) में संशोधन की एक प्रति।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी- 536/80)

उत्तर प्रदेश स्थानीय शासन विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1980 और पंजाब भूमि सुधार (पहला संशोधन) नियम, 1979 के साथ हिन्दी संस्करण न रखे जाने का कारण बताने वाला एक विवरण।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामी नाथन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित विधान के अनुच्छेद 213 (2) (क)

के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश स्थानीय शासन विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 3) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 6 मार्च, 1980 को राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-537/70)

(2) (एक) पंजाब राज्य के सम्बन्ध में, राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17. फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजाब भूमि सुधार (पहला संशोधन) नियम, 1979 की एक प्रति जो दिनांक 23 नवम्बर, 1979 के पंजाब सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या 162 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी-538/80)

मुरादाबाद (उ० प्र०) के निकट झौपड़ियां जलाये जाने के समाचार के बारे में वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री जैलसिंह) :

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद शहर के बाहरी हिस्से में बंगला गांव बस्ती में म्यूनिसिपल बोर्ड की भूमि पर अनधिकृत रूप से बनाई गई 73 झौंपड़ियां 15 मार्च, 1980 की रात को जला दी गई। इसमें कोई भी जन हानि नहीं हुई। जलने से एक महिला के मामूली जख्म हुए। पशु जीवन की भी कोई हानि नहीं हुई। अनुमान है कि आग से 37000 रु० की हानि हुई। घटना के तुरन्त बाद ए० डी० एम० एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ घटना स्थल पर गये। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि एक माली और कुछ हरिजनों के बीच निकट के एक खेत के बारे में विवाद था। कुछ दिन पहले माली ने इस संबंध में न्यायालय से मुकद्दमा जीत लिया था। अग्निकांड के मामले में दोनों फरीकों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध रिपोर्टें दर्ज कराई गई हैं। उनकी जांच की जा रही है जिससे आग लगने के कारण का पता चलेगा। डी० एम० तथा एस० एस० पी ने घटना स्थल का दौरा किया है। राज्य सरकार को शीघ्रता से जांच करने तथा आगे कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। पीड़ितों के लिये कुल 7450 रु० की सहायता स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार से इन हरिजनों के मकानों की आवश्यकताओं पर गौर करने और शीघ्र ही उनका संतोषजनक रूप से हल करने का भी अनुरोध किया गया है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : मन्त्री जी ने कहा कि उन्होंने अवैध कब्जा कर लिया था किसी जमीन पर तो उन पर मुकद्दमा चलाते; कानूनी कार्यवाही करते, अदालत में ले जाते, वहां से जो सजा मिलती वह देते, इसका मतलब यह तो नहीं है कि उनके घर जला दिए जाएं, और उनको जिन्दा जला दिया जाए।

पुलिस द्वारा लाठी प्रहार में कुछ अंधे व्यक्तियों के लापता होने के बारे में

प्रो० मधुदण्डवते (राजपुर) : कल प्रधान मन्त्री महोदय ने अन्धों के साथ घटी घटना के

बारे में यहां स्पष्ट आश्वासन दिया था। हम उस आश्वासन का स्वागत करते हैं परन्तु मैं गृहमंत्री महोदय को यह बता देना चाहता हूं कि आज समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि प्रदर्शन में भाग लेने वालों में से दो व्यक्ति कल आधी रात तक गुम थे। सभी समाचार-पत्रों में यह समाचार मुख-पृष्ठ पर छपा है। टाइम्स आफ इण्डिया ने तो इसके बारे में मुख पृष्ठ पर विशेष रूप से समाचार छापा है। मैं गृहमंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन अन्धों में से जिन्होंने प्रदर्शन में भाग लिया था, गुम होने वाले दो व्यक्तियों को ढूंढ़ कर उस संघ को वापिस सौंप दिया गया है जो उनकी खोज में है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने उस ओर उनका ध्यान दिला दिया है।

गृहमंत्री (श्री जैलसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इनकी जानकारी के लिये स्टेट गर्वनमेंट को ओर पुलिस कमिश्नर को कहा गया है। उन्होंने बताया कि एक हरीशंकर, जिन्हें इम्तहान देना था, उसको लखनऊ भेजने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन इसके बाद मैं तमाम जानकारी करके हाउस को इन्फार्म कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि वह सदन को सूचित करेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उन्होंने तो कुछ और ही बात कही है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आपकी समझ में उनकी वात आ गई है? कृपया जो कुछ मैंने कहा है वह उन्हें बता दें।

अध्यक्ष महोदय : ज्ञानी जी, उन्होंने ब्लाइन्ड मैन के लिए पूछा था, आप उन्हें बाद में इन्फार्मेशन भेज दीजिएगा।

श्री जैल सिंह : मैंने ब्लाइंड मैन के बारे में ही बताया है। ब्लाइंड मैन में से एक हरीशंकर नाम का ब्लाइंड परसन था। उसने कहा कि मेरा इम्तहान है लखनऊ में और पुलिस ने इन्फार्म किया है कि हम ने उसको छोड़ दिया था। वह लखनऊ इम्तहान देने गया है। लेकिन इसके बारे में हमने उन को कहा है कि लखनऊ से पता करके कि वह वहां पहुंचा है या नहीं पहुंचा है और दूसरे आदमी का भी पता करके कि वह कहां गया है, कहां पहुंचा है, इन्फार्मेशन दें। पूरी इन्फार्मेशन मिलने के वाद सदन के सामने सूचना रख दी जायगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री सेठी

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैया) : महोदय, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं? मेरा निवेदन यह है कि प्रो० मधु दण्डवते ने कुछ स्पष्टीकरण मांगा है या गृह मन्त्री जी से कोई वक्तव्य देने को कहा है। और वह भी उस घटना के बारे में जो कि कल ही घटी है। उन्हें अध्यक्ष महोदय को सूचित करना चाहिये। यदि इसी प्रकार मामले उठाने की अनुमति मिलती रही, तो यहां ऐसी बातों का कोई अन्त नहीं होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें मैं अपने विवेक का प्रयोग कर सकता हूं।

प्रो० मधुदण्डवते : आप निश्चित रहिये, मेरी ओर से प्रक्रिया सम्बन्धी कोई गलती नहीं होगी। मैंने तो लिखित में दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वह तो प्रधान मन्त्री जी द्वारा दिये गये आश्वासन की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने उन्हें अनुमति दी। श्री सेठी।

स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक

निर्माण तथा आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्थावर सम्पत्ति के अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री पी० सी० सेठी : महोदय, मैं विधेयक को पूरा स्थापित करता हूं।

स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

श्री पी० सी० सेठी : महोदय मैं स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, 1980 द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बनाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी) भी सभा पटल पर रखता हूं।

तस्कर और विदेशी मुद्राछल साधक (सम्पत्ति समयहरण) संशोधन विधेयक

वित्त और उद्योग मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समयहरण) अधिनियम, 1976 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समयहरण) अधिनियम, 1976 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बीड़ी से उपकर हटाया जाना

श्री ई० बाला नन्दन (मुकुन्द पुरम) : मैं उद्योग और वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान देश में संगठित बीड़ी उद्योग द्वारा झेले जा रहे गम्भीर संकट की ओर तुरंत आकृष्ट करना चाहता हूं। उनमें से बहुत से एकक तो बन्द होने वाले हैं। मैं सरकार का विशेष ध्यान केरल दिनेश बीड़ी औद्योगिक सहकारिता की ओर दिलाना चाहता हूं जो लगभग 25,000 मजदूरों को रोजगार देती है। महोदय यह एकक उत्पादन जारी रखने में असमर्थ है और किसी भी दिन यह बन्द हो सकती है।

जिन निर्माणकों का वार्षिक उत्पादन 60 लाख बीड़ियों से अधिक है, केन्द्रीय सरकार ने

उन पर प्रति 1000 बीड़ी पर 3.60 रुपये लेवी लगाई है। इसके परिणामस्वरूप बहुत से निजी नियोक्ताओं ने लेखा में गड़बड़ी करके लेवी के भुगतान से मुक्ति पा ली है। कुछ अन्य नियोक्ताओं ने अपने प्रतिष्ठानों का विभाजन करके उनको अलग-अलग नामों से चलाया तथा अपने उत्पादन को लेवी सीमा से नीचे रखा। उनमें से कुछ जिनका व्यापार चिन्ह का अच्छा नाम था ऐसा नहीं कर सके और उन्हें संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वे बाजार प्रतियोगिता के आगे नहीं ठहर सकते। इसका शुद्ध परिणाम यह निकला है कि सरकार को उत्पाद-शुल्क की प्राप्ति में पर्याप्त कमी आई है। लाखों कामगर बेकार हो गए हैं और जिनको काम मिलता है उनको नाममात्र मजदूरी पर काम करने को बाध्य किया जाता है चूंकि उनकी लाभार्जन शक्ति नष्ट हो चुकी है।

अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि वह बीड़ियों पर से लेवी हटा ले और तैयार तम्बाकू पर उत्पाद-शुल्क लगाये जिससे सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी और मजदूरों को वर्तमान कठिनाइयों से बचाया जा सकेगा।

जब तक इस प्रकार का कदम नहीं उठाया जाता, उस समय तक केरल दिनेश बीड़ी औद्योगिक सहकारी समिति के इस उत्पादन शुल्क से मुक्त किया जाए। भारत में कर्मचारियों द्वारा चालू यह एक खान से बड़ी-बड़ी औद्योगिक सहकारी समिति है जिसमें कर्मचारियों की सेवा शर्तें और मजदूरी अन्य उद्योगों की अपेक्षा अच्छी है। अत: भारत सरकार को इसकी सहायता के लिए सामने आना चाहिए।

(दो) परियार बांध में पानी का भडारण (श्री कुम-कुम एन० नटराजन (परियाकुलम) : अभी हाल में केरल राज्य के अधिकारियों ने घोषणा की है कि परियार बांध में केवल 136 फुट गहरा पानी ही स्टोर किया जाएगा और फालतू पानी स्पिल वे द्वारा केरल को दिया जाएगा।

इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने बांध की सुरक्षा को प्रमाणित किया है और 156 फुट गहरे पानी के स्टोर करने की अनुमति दी है। मंत्री महोदय, को 156 फुट गहरे पानी के स्टोर करने तथा फालतु पानी को स्पिल वे द्वारा बेबी डेम में डालने के प्रस्ताव को रोकने सम्बन्धी उचित आदेश दें। केरल तथा तमिलनाडु को छोड़ कर अन्य राज्यों के इन्जीनियरों को बांध की सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए भेजा जाये। परियार बांध के प्रस्तावित काम को उस समय तक रोक दिया जाए।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस समस्या की ओर तुरन्त ध्यान दें और तमिलनाडु को अकाल और सूखे से बचायें।

(तीन) राजस्थान में गंगा नहर की नजंर अवस्था

श्री कुम्भाराम आर्य (सीकर) अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन आपके द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

गंग कैनाल (जिला श्री गंगानगर, राजस्थान प्रदेश) अत्यधिक जर्जरित हो चुकी है क्योंकि इसे बने बहुत समय हो गया है। कैनाल का निर्माण आज से पचास वर्ष पहले हुआ था। आज वह क्षत विक्षत होने के कारण पूरा पानी भी नहीं दे रही है और वर्षाकाल में बिखर सकती है। ऐसा हो जाता है तो गंग कैनाल क्षेत्र का हरा भरा इलाका वीरान हो जाएगा और वहां का

किसान और दुकानदार उजड़ जायेगा जिसको फिर से आबाद करने और क्षेत्र को हरा भरा करने में भारी शक्ति, धन और समय लगा कर भी आज जैसा नहीं बना सकेंगे। इसलिए सरकार अविलम्ब ध्यान देकर गंग कैनाल को नया बनाये। अर्थात् नई कैनाल बनाने के लिए योजना कार्य और गंग कैनाल क्षेत्र को सिंचित रखने के लिए राजस्थान कैनाल और भाखड़ा कैनाल से सिंचाई की व्यवस्था अविलम्ब व्यवस्था की जाये।

(चार) माल डिब्बी की कमी के कारण पश्चिम बंगाल में आवश्यक वस्तुओं का अभाव

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : वैगन न होने के कारण चावल, गेहूं, चीनी, रेपसीड तेल आदि-आदि अनिवार्य वस्तुएं पश्चिम बंगाल में नहीं पहुँच रही हैं। राज्य में पर्याप्त भण्डार नहीं है। यदि दो सप्ताह के अन्दर पश्चिम बंगाल में खाद्यान्न तथा अन्य अनिवार्य वस्तुऐं नहीं पहुंचती तो एक गम्भीर स्थिति पैदा हो जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। केन्द्रीय सरकार को भी एक अविलम्बनाधि संदेश भेजा जा चुका है।

(पांच) "एम० वी० कैराली" मालवाहक जहाज के गायब होने का समाचार

श्री ए० नीलालो हिथाडसन (त्रिवेन्द्रम) : केरल नौवहन निगम का जहाज "एम० वी० कैराली" पूर्वी जर्मनी के रेस्तोक पत्तन के मार्फउपेक्षा से लोह अयस्क तथा 50 व्यक्तियों के साथ रवाना हुआ। गुम हुए इस जहाज की गहन खोज करने के बजाय अधिकारी-गण इस मामले को किसी न किसी रूप में समाप्त करना चाहते हैं और बीमे की राशि लेना चाहते हैं।

यद्यपि जहाज ने निगम से 4-7-1979 से 6-7-1979 तक भेजे संदेशों को प्राप्त नहीं किया, फिर भी अधिकारियों ने न तो कोई कार्यवाही की और न ही इस मामले को उचित कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को समय पर भेजा है।

15-7-1979 को नौवहन निगम के कंट्रोल रूम (आई० एन० एस० आगैरा) ने एक जहाज की वेद्यशाला से यह संदेश प्राप्त किया कि "कैराली जैसा जहाज सकात्रा द्वीप के निकट देखा गया। संचार की गड़बड़ी है लेकिन सब सुरक्षित हैं। इससे अगले दिन निगम के सम्पर्क अधिकारी ने यह जहाज कैराली नहीं बल्कि कोराली है। लेकिन गुम हुए जहाज में बैठे लोगों के सम्पर्क परिवार के सदस्यों का अनुमान है कि यह जहाज कैराली ही था और शायद इसका अपहरण हुआ है।

अपहरण के अनुमान की पुष्टि इस बात से होती है कि एक अरब नौवहन कम्पनी ने गुम होने के कुछ दिनों में अर्थात् 23-7-1979 को जहाज और यात्रियों को ढूढने की पेशकश की थी। अब भी इस बारे में कोई लाभदायक कार्यवाही नहीं की गई है। आठ महीने के बाद भी केरल नौवहन निगम तथा केरल सरकार यह बताने में असफल रही है कि जहाज कैसे गुम हुआ।

अतः मैं माननीय सदस्यों, नौवहन मंत्री तथा प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर विचार करें और जहाज ढूढने के लिए पूरी छानबीन करायें चाहे इसके लिए भारत सरकार के रिसर्च और ऐनेलिस्टिक विंग की सहायता क्यों न लेनी पड़े ताकि उस पर बैठे 51 निर्दोष व्यक्तियों की जानें बच सकें।

पंजाब बजट, 1980-81—सामान्य चर्चा, लेखानुदानों की मांगें 1980-81 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पंजाब) 1979-80

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पंजाब बजट की मद संख्या 11, 12 तथा 13 पर विचार करती है जिसके लिये एक घंटे का समय नियत किया गया है।

श्री सुशील भट्टाचार्य। नहीं हैं।

श्री सूरजभान।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, पिछले महीने मुल्क में दो ग्रहण लगे—एक सूरज ग्रहण था जो 16 फरवरी को लगा और चन्द घण्टे मुल्क पर रहा, दूसरा सियासत का ग्रहण जो 16 फरवरी के अगले दिन यानीं 17 फरवरी को लगा और मुल्क के दो-तिहाई हिस्से पर अभी तक कायम है। सूरज ग्रहण के बुरे असर से बचने के लिए बहुत से लोगों ने अपने मकानों और दुकानों के दरवाजे बन्द कर लिए, लेकिन इस सियासी ग्रहण से बचने के लिए कुछ लोगों ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कुछ दूसरी जगहों पर दलबदलियां कीं। हरियाणा में तो यहां तक हुआ कि भजन लाल अपनी पूरी की पूरी भजन मण्डली को लेकर चले गये। जिन लोगों ने सियासत के ग्रहण से बचने के लिए दलबदलियां की हैं, मैं इन लोगों को चन्दा चन्दी के टुकड़ों के लिए या कुर्सी के लिए इनको जहां चाहें वहां ले जाया जा सकता है। मैं पंजाब के···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या यह संसदीय है ? **(व्यवधान)**

श्री सूरज भान : हां, हां, मैं इन्हें वैसा ही कहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी भाषा को स्वच्छ रखिए। मैं रिकार्ड में यह देखने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या शब्द संसदीय है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय, पंजाब के बजट में 41 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है और एक पैसे का भी टैक्स नहीं लगा है। यह पंजाब के लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है कि हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं, ताकि वे आइन्दा होने वाले चुनावों में उन्हें वोट डाल दें। लेकिन पंजाब के लोग सूझ-बूझ के मालिक हैं, वे इनको मुंह-तोड़ जवाब देंगे। उन को पता है कि अब सही बजट आयेगा.....(व्यवधान).....उस वक्त यह धारा 41 करोड़ के बजाय 60-70 करोड़ का हो सकता है लोग और तब कमर-तोड़ टैक्स लगेंगे, इसलिए वे इलैक्शन के मौके पर मुंह-तोड़ जवाब देने के लिये तैयार है।

जब से वहां पर राष्ट्रपति का राज हुआ है, तीन-चार बातें उल्लेखनीय हुई हैं। पहली सरकार ने शराब के इस्तेमाल पर पाबन्दी लगाई थी, लेकिन अब शराब की खुली छूट कर दी गई है। शायद महात्मा गांधी की आत्मा को शान्ति देने का यही एक तरीका है। दूसरी चीज़ पंजाब एक कृषि प्रधान प्रदेश है, न वहां डीजल मिलता है, न मिट्टी का तेल मिलता है, न बिजली मिल रही है, न सीमेन्ट मिल रहा है, पहले से ज्यादा किल्लत हो गई है। अब फसल काटने का

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

टाइम आ गया है, डीजल की ज्यादा जरूरत है, बिजली की ज्यादा जरूरत है। मैं मांग करता हूं कि पंजाब और हरियाणा दोनों कृषि प्रधान प्रदेश हैं, इनमें डीजल की मिकदार को बढ़ाया जाय और बिजली की कटौती को कम किया जाय, ज्यादा बिजली दी जाय ताकि वे गेहूं और दूसरे अनाज निकाल सके।

तीसरी बात—वहां पर मंहगाई पहले से ज्यादा बढ़ गई है जनता पार्टी के राज में लोग राशन कार्डों को भूल गये थे, लेकिन आज चीनी तो दूर रही, गुड़ भी लोगों को नहीं मिल रहा है। सरसों का तेल जनता राज में साढ़े सात रुपये किलो था अब किस भाव मिल रहा है और इस बजट के बाद मंहगाई कहां जायगी, इसका अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। विशेष रूप से तीन-चार चीजों की मंहगाई को, सीमेन्ट, डीजल, चीनी और बिजली की कमी को रोकना चाहिए।

चौथी चीज़—सरकार की तरफ से कुछ दिखावा किया जा रहा है, छोटे-छोटे दुकानदारों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, हैरास करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो बड़े मगर-मच्छ हैं, उनके खिलाफ़ कुछ नहीं हो रहा है। जो ब्लैक-मार्केटिंग करते हैं, मुनाफ़ाखोरी करते हैं, उनके खिलाफ़ कार्यवाही होनी चाहिये। आज पंजाब में व्यापारियों को सेल्ज़ टैक्स के "सी फार्म" नहीं मिल रहे हैं, लोगों का माल स्टेशनों पर पड़ा है, बैंकों से बिल्टियां नहीं छूट रही हैं—इसका बन्दोबस्त तुरन्त होना चाहिये।

बहुत बड़े पैमाने पर वहां जाली वोट बनाये जा रहे हैं, ताकि इलैक्शन को जीता जा सके। इस सम्बन्ध में "बनूर" के लोगों को हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी है—इस की जांच होनी चाहिये। अब तक वोटर्स-लिस्ट ठीक न हो, वहां पर इलैक्शन नहीं होने च हिये।

अध्यक्ष महोदय, आज पंजाब में कोई सरकार नहीं है, उसकी ज़िम्मेदारी केन्द्र सरकार पर है, इसलिये दो शब्द में हरिजनों के बारे में कहना चाहता हूं। दूसरी ज्यादतियां तो उनके साथ होती ही हैं, लेकिन सर्विसिज में पंजाब में हरिजनों की जो हालत है—उसको भी देख लीजिये। सुपर जुडीशियल सर्विसिज़ में 25 फीसदी के बजाय सिर्फ 2 फीसदी लोग सर्विसिज़ में है। क्लास 1 में 25 फीसदी के बजाय 7.2 प्रतिशत सर्विसिज़ में हैं। क्लास 2 में 25 फीसदी के बजाय 5·9 फीसदी हैं और क्लास 3 में 25 फीसदी के बजाय 12,13 फीसदी लोग हैं। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में कानून बनाया जाय ताकि जहां हमारा रिज़र्वेशन का कोटा पूरा हो सके। इस तरह का कानून तीन स्टेट्स में पहले ही बन चुका है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और मणिपुर ने इस सिलसिले में अपने यहां कानून बनाकर कदम उठाये हैं।

अब आखरी बात कह कर मैं बैठ जाना चाहता हूं। पंजाब में जन-सेवाओं में बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांस्फर्स हो रही हैं। एक-दो ट्रांस्फर हों, तो बात समझ में आ सकती है। मेरी जानकारी है कि एक निरंकारी आई० ए० एस० अफसर था, उसको गलत तौर पर केस में फंसाया गया, बाद में अदालत ने उसको बरी कर दिया। उसको आपने किसी जगह पोस्ट कर दिया तो वह ठीक है, यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिस ढंग से आज वहां ट्रांस्फर्स हो रहे हैं, यह बहुत गम्भीर बात है। चीफ़ सेक्रेटरी ने जो ट्रांस्फर्स की थीं, उनको कैन्सिल कर दिया गया और सेन्टर के इशारे पर ट्रांस्फर्स की जा रही हैं, इससे अफसरान के मन में बहुत असन्तोष पैदा हो गया है।

उत्तरी भारत का एक विख्यात अखबार है, उसका नाम 'ट्रिब्यून" है, उसने अपने एडिटोरियल में लिखा है—मैं उसे पढ़कर सुनाता हूं ।

"कांग्रेस जिसे इन तबादलों से लाभ होगा, के ऐसे कामों के लिए अपने प्रभाव का उपयोग किया है जिससे उसके उम्मीदवारों के आगामी चुनावों में लाभ पहुंचेगा । 3 नवम्बर, 1980 को प्रकाशित सूची द्वारा वित्त आयुक्त तथा सचिवों सहित 24 आई० ए० एस० अधिकारी स्थानांतरित किये गये । आई० ए० एस० अधिकारियों चैक बोर्ड को गोटियों की तरह पटका गया ।"

वहां पर यह आम बात हो रही है कि होम मिनिस्टर साहब इन ट्रांसफर्ज़ को करा रहे हैं ।

भारत के गृहमंत्री दिल्ली में रह रहे पंजाब के मुख्य मंत्री हैं ।

इन सब बातों के कारण मैं इस बजट का विरोध करता हूं ।

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया (अमृतसर) : अध्यक्ष महोदय, हाल के चुनावों में अकालियों की पराजय अपने पिछले कार्यों के कारण हुई । इस संसद में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं । अतः उन्होंने हमारे हरियाणा के मित्र से अपनी बात कहने को कहा । अतः जो कुछ वे कहते हैं, सच नहीं है । पंजाब में हरिजनों और किसानों की जो भी स्थिति है, उसके लिए पिछले तीन साल का अकाली शासन जिम्मेवार है । अकाली शासन से पहले जब कांग्रेस (आई) सत्ता में थी तो हरिजनों को जमीन बांटी गई थी । लेकिन यह जमीन अब उनसे वापिस ले ली गयी है और उन्हें वहां से हटा दिया गया है । हरिजनों पर कई अत्याचार हुए, जिनके बारे में इन्होंने सभा में चर्चा की । मेरे मित्र अकालियों की वकालत क्यों कर रहे हैं, जिन्हें पंजाब के लोगों ने अस्वीकार कर दिया है ।

इस बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने ठीक ही कहा है कि जनता सरकार के कुशासन तथा दिशाहीन नीतियों से देश में कुशासन जैसी स्थिति पैदा हुई । शासन करने की योग्यता न रखने वाले अकालियों ने हमारे लिए पंजाब में कई समस्याएं पैदा कीं । हमें खुशी है कि इस बजट को केन्द्र के मंत्री ने पेश किया है । उन्हें अकालियों द्वारा पैदा समस्याओं का भी ध्यान रखना चाहिए ।

पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और हमारी समस्याएं भी कृषि सम्बन्धी हैं । पंजाब कृषि की आधुनिक तकनीकों को अपनाने और फालतू खाद्यान्न पैदा करने के मामले में सबसे आगे रहा है । लेकिन हम देखते हैं कि पंजाब के किसानों को अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता । उत्पादन लागत बढ़ गई है । ट्रेक्टरों तथा अन्य कृषि उपकरणों की कीमतें बढ़ रही हैं । डीज़ल मिल नहीं रहा । इन सब बातों के कारण उत्पादन लागत अधिक हो गयी है । लेकिन आपने खाद्यान्न के वसूली मूल्यों के लिए अधिकतम मूल्य निश्चित कर लिए हैं । जब उत्पादन लागत बढ़ रही है तो किसानों को भी इसी अनुपात में अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए । इन हालातों में पंजाब के किसानों के लिए खाद्यान्न पैदा करना बहुत कठिन हो रहा है ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, अकाली किसानों के प्रतिनिधि थे । उन्हीं दिनों किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा । पंजाब के किसानों को अकाली शासन के दौरान अपनी

पैदावार के लिए लाभदायक मूल्य नहीं मिले । उन्हें बहुत कम मूल्य मिले जिसके फलस्वरूप उस शासनकाल में पंजाब के किसानों को बहुत परेशानी हुई ।

1977 से पहले, पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बादल ने इस संसद भवन से बाहर कपास जलाई थी । उस समय कपास का मूल्य 400 रुपए तथा 500 रुपये प्रति क्वांटल था । श्री बादल 800 रुपये प्रति क्वांटल की मांग कर रहे थे । उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार ने किसानों को वर्बाद कर दिया है । लेकिन अकाली शासनकाल में पंजाब में कपास के भाव 250 रुपये प्रति क्वांटल थे । लेकिन उसी व्यक्ति बादल ने भवन संसद के बाहर कपास का टुकड़ा जलाया स्पष्ट है कि अकाली मरकार ने पंजाव के किसानों को बर्बाद किया ।

पिछले वर्ष आलू सड़कों पर फैंके गये । बंदरों ने भी उन्हें नहीं खाया । आलू का भाव 5 रुपये प्रति क्वांटल था । बोरी की कीमत भी 5 रुपये है । प्राप्त मूल्य से तो भाड़ा भी पूरा नहीं हुआ ।

इसका परिणाम यह हुआ कि पंजाव के लोगों ने अकालियों को मत नहीं दिये । उन्होंने वायदा किया था कि वे किसानों को लाभ पहुंचायेंगे तथा उनके मित्र होंगे लेकिन उन्होंने पंजाब के किसानों को वर्बाद किया ।

सरकार ने गेहूँ के वसूली मूल्य में 2 रुपये को वृद्धि की है । पहले यह मूल्य 115 रुपये प्रति क्वांटल था और अब 117 रुपये है । यह बहुत कम है । आपने पंजाब के किसानों के साथ मज़ाक किया है । आपने अपने भाषण में कहा है कि मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । अतः 2 रुपये की यह वृद्धि किसानों के लिये बहुत ही कम है । हम इसे स्वीकार नहीं करते । जहां तक पंजाब तथा गेहूँ पैदा करने वाले क्षेत्रों का सम्बन्ध है, हम इसका मूल्य कम से कम 125 रुपये प्रति क्वांटल चाहते हैं ।

अब मैं अन्य समस्याओं की चर्चा करता हूं । पंजाब में ड़ीज़ल की बहुत कमी है । हमारे पास एक लाख ट्रेक्टर तथा 6 लाख डीज़ल पम्पिग सेट हैं । आप हमें प्रति मास लगभग 40 हजार किलोलीटर डीज़ल दे रहे हैं । डीज़ल की यह मात्रा उस समय 1974 में निश्चित की गई जब सूखे की स्थिति बनी हुई थी । उसके बाद 6 वर्ष के अन्दर पंजाव ने वहुत प्रगति की है तथा ट्रेक्टरों तथा पम्पिग सेटों की संख्या में वृद्धि हुई है और तेल की खपत में वृद्धि हुई है । यह मात्रा हमारी जरूरत को देखते हुए वहुत ही कम है । अतः मैं अनुरोध करता हूं कि आप हमारी सहायता करें क्यों पंजाब के लिए अगले दो महीने बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । आपको काफी गेहूं मिलेगा । पंजाब युद्ध या शान्ति में हमेशा केन्द्र की आज्ञा का पालन करता है । पंजाब हमेशा केन्द्र की सहायता के लिए आगे रहा है । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी मदद करें और हम अच्छे परिणाम दिखायेंगे ।

पंजाब में कोई भी भारी उद्योग नहीं हैं । वहां पर ऊनी माल, होयज़री, औजार बनाने आदि के उद्योग है । इन सब उद्योगों के लिए कोयले की कमी है । पंजाब में बिजली की भी बहुत कमी है और लोग डीज़ल के सेटों का उपयोग कर रहे हैं । हम डीज़ल की कमी अनुभव कर रहे हैं । अतः छोटे स्तर के उद्योगों को बहुत नुकसान हो रहा है । सरकार उनकी सहायता करे । पंजाब के उद्योग वर्वाद हो रहे हैं । मेरे चुनाव क्षेत्र, अमृतसर में कम से कम 30 उद्योग वन्द हो

गए हैं और लोगों ने सूरत से मशीनें खरीदी हैं क्योंकि पंजाब में बिजली नहीं है।

पंजाब के उद्योगों को कच्चा माल भी नहीं मिल रहा है। इस्पात कोयले जैरफ कच्चा माल वहां उपलब्ध नहीं है। पंजाब में बेरोजगारी भी बहुत है।

वित्त मंत्री के सामने मैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न रखता हूं। आप इस परियोजना के लिए दो करोड़ रुपये और छोटी सिंचाई की एक दूसरी योजना के लिए चार करोड़ रुपये दे रहे हैं। मेरे पास जो आंकड़े हैं, उनके अनुसार पंजाब ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में 832 करोड़ रुपये जमा किए और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने पंजाब में केवल 311 करोड़ रुपये लगाये हैं। आप हमें विभिन्न छोटी परियोजनाओं के लिए 40 अथवा 50 करोड़ रुपये दे रहे होंगे। लेकिन पंजाब से 500 करोड़ रुपये ले जाने के बारे क्या स्थिति है ? आप धन पंजाब से बाहर ले जा रहे हैं। इसी कारण पूंजी निवेश के अभाव में उद्योग तथा कृषि क्षेत्र में प्रगति नहीं हो रही है। आप धन राज्य से बाहर ले जा रहे हैं। यह एक गम्भीर मामला है और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस ओर ध्यान दें क्योंकि यह आपके विभाग से सम्बन्धित है।

थीन डेम के बारे की एक समस्या है। 1969 में भारत और पाकिस्तान विश्व बैंक के द्वारा रावी के पानी का उपयोग करने के लिए सहमत हुए थे। भारत को उसके लिए 100 करोड़ रुपए देने पड़े।

(श्री शिवराज वी० पाटिल पीठासीन हुए)

क्या हो रहा है ? 1969 से लेकर आज हम 1980 में हैं—पानी पाकिस्तान को जा रहा है, जिसके लिए हमने 100 करोड़ रुपये खर्च किए। क्यों कुछ नहीं किया जाना चाहिए। पानी की आवश्यकता हमें है। लाखों एकड़ जमीन की जुताई इस पानी से होगी और लाखों टन खाद्यान्न प्राप्त होंगे।

पंजाब ने अपने अल्प साधनों के बावजूद 1978 तक 12 करोड़ की धन राशि इन योजनाओं में व्यय की और उसके बाद 10 करोड़ रुपये रेलवे लाइन बिछाने के लिए खर्च किया किन्तु केन्द्र ने सहायतार्थ कुछ भी नहीं किया। केन्द्रीय सरकार की तकनीकी समिति ने परियोजना को स्वीकृत की है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस महत्वपूर्ण साधन का दुरुपयोग क्यों किया जाता है।

एक बात और, 1977 के पूर्व जी. टी. रोड, राष्ट्रीय मार्ग नं० 1— जो अभी शेरशाह सूरी रोड कहलाता है—4 लेन की सड़क निर्माण के लिए प्रस्तावित था। वहां यातायात काफी बढ़ गया है। विदेशी पर्यटक वहां आते हैं। उस सड़क पर बहुत सारे दुर्घटनाएं होती हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। यह सहमति हुई थी कि 10 मील का मार्ग हरियाणा एवं दूसरे 10 मील का पथ पंजाब के द्वारा बनाया जाएगा। हरियाणा को मंजूरी दी गई पर पंजाब को नहीं। कृपया इस प्रकरण की जांच की जाए।

अंत में, सरकार की कृषि नीति व्यापक होनी चाहिए। सरकार कभी गेहूं को सहायता देती है, कभी चावल को इससे समस्या सुलझेगी नहीं। अगर आप समस्या का निराकरण चाहते हैं तो कृषि नीति ऐसी बनानी चाहिए जिससे प्रमुखत: कृषि को महत्व देते हुए एक ओर हमें खाद, बीज एवं विभिन्न कृषि औजारों की कीमतों पर ध्यान देना होगा, दूसरी ओर अनाज के मूल्यों को

देखना होगा । यह भी देखना होगा कि उत्पादक या कृषक अपने श्रम का सही मूल्य पाते हैं या नहीं । जब तक यह नहीं होता तब तक हमें परेशानी रहेगी । इसी कारण आपके पास पर्याप्त बीज नहीं है । जिससे लोग दूसरी फसल की खेती करते हैं । मुझे भय है कि कृषक अन्य फसलों की खेती करेंगे—परिणामस्वरूप लोगों को अडचनें होंगी । अत: सरकार को चाहिए कि समस्या की समाधान हेतु कृषि सम्बन्धी नीति को व्यापक बनाये । जब आप इसका हल करेंगे तब पंजाब की समस्या भी सुलझ जाएगी ।

श्री सुशील मट्टाचार्य (बर्द्धवान) : 1980-81 के पंजाब के अंतरिम बजट एवं 1979-80 के संपूरक अनुदान से लोगों की इच्छा एवं आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति नहीं होती है । राज्य विधान सभा अप्रजातांत्रिक विघटन के बाद, सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का स्थानांतरण, सचिवालय से जिला तक बड़े पैमाने पर हो रहा है । बहुत से उप-आयुक्त एवं पुलिस अधीसकों का स्थानान्तरण किया गया है । बहुत से अधिकारियों का सचिवालय से स्थानान्तरण किया गया है । यह चुनाव आयुक्त के परिपत्र का उलंघन है । ऐसा विधान सभा चुनावों में जीत की इच्छा के संकीर्ण उद्देश्य से किया गया है । इस बड़े पैमाने में स्थानांतरण से प्रशासन का हौसला गिरेगा एवं अन्ततोगत्वा जनता का प्रशासन में विश्वास खतम हो जाएगा ।

बड़े पैमाने में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप कानून एवं व्यवस्था की स्थिति तेजी से बदतर होती जा रही है । चोरी एवं डकैतियां बहुत हो रही हैं । विशेष्त: फरीदकोट एवं भटिन्डा इन दो जिलों में ये चरम सीमा तक पहुंच गई हैं । अमृतसर के तरण तरणजिला में एक अप्रिय घटना घटी । दो व्यक्ति चोरी के जुर्म पर पकड़े गए जिनकी मृत्यु पीटने के कारण हवालात में हुई । स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रदर्शन किया ।

मूल्य वृद्धि सारे भारत में हो रही है । यहां तक कि पंजाब में भी मुख्यत: गरीब किसान एवं श्रमिक इस समस्या का सामना कर रहे हैं । पंजाब बिजली एवं डीजल के भारी संकट का सामना कर रहा है । बहुत से उद्योग इस संकट का सामना कर रहे हैं । मुख्यत: छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं और वहां काम करने वाले मजदूरों की छंटनी की जा रही है और उनकी सेवायें समाप्त की जा रही हैं ।

मैं पंजाब के तापीय एवं खाद्य संयंत्र का उल्लेख कर सकता हूं । ये कोयले की कमी के कारण संकट झेल रहे हैं । माननीय सदस्यगण इस बात से वाकिफ हैं कि पंजाब में गेहूं और चावल राज्य की आवश्यकता से अधिक होता है जिस पर पूरा देश निर्भर है किन्तु बिजली एवं डीजल की कमी से व्युत्पन्न गंभीर संकट जिसका सामना किसान कर रहें हैं उसका प्रभाव पूरे देश की खाद्यान्न आपूर्ति हर पड़ सकता है।

थीन बांध का निर्माणकार्य पिछले सरकार के शासन काल में शुरू किया गया था । क्या मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से परियोजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने की प्रार्थना कर सकता हूं । भूतपूर्व सरकार ने सम्पूर्ण सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने का आश्वासन दिया था । इसे पूरा करने के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि का आबंटन नहीं किया गया । 60 प्रतिशत पहले से किया जा चुका है ।

मैं सरकार का ध्यान पुलिस के कर्मचारियो की दुर्दशा की ओर आकर्षित करता हूं । बड़ी

संख्या में सिपाहियों को अपनी वैधानिक मांग को रखने के कारण उत्पीड़ित किया गया और उन्हें वहाल नहीं किया गया । मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उन्हें पुनः नौकरी में वहाल किया जाए । मैं भाषण समाप्त करने के पूर्व अपनी हमदर्दी पंजाब वालों के साथ व्यक्त करता हूं चूंकि मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं जहां कि वामपंथी सरकार बारहवीं कक्षा तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा, बेरोज़गारों को छूट या सुविधा, बूढ़ों किसान एवं असहाय विधवाओं को पेंशन, भूमिहीन एवं गरीब किसान को जमीन, कृषि मजदूरों को उचित मजदूरी की व्यवस्था की है तथा खाद्यान्न पदार्थों के मूल्यों को काम के बदले अनाज की योजना का सफलतापूर्वक संचालन के द्वारा नियंत्रण किया है । मुझे खेद है कि ये सब प्रावधान माननीय वित्त मंत्री के बजट में नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं बजट का विरोध करता हूं ।

श्रीमती सुखबन्स कौर (गुरदासपुर) : सभापति महोदय पंजाब इस देश में सम्पन्न (धनी) प्रान्त जहां है प्रतिव्यक्ति आय उच्चतम है । गत तीन वर्षों में, यद्यपि राज्य पर्याप्त साधन नहीं जुटा पाया जिससे योजना के विकास की दर पर गहरा प्रभाव पड़ा है ।

वर्तमान संसाधनों की बचत से यह पता चलता है कि राज्य सरकार के व्यय से आय अधिक है तथापि यह आय संतोषप्रद ढंग से नहीं बढ़ रही है । सन् 1977-78 में यह राशि 81 करोड़ रुपये थी एवं 1978-79 में 14 करोड़ की अभिवृद्धि से यह राशि 95 करोड़ हो गई । इस वर्ष फिर से यह गिरकर 80 करोड़ रुपये और अग्रिम वर्ष यह आशा की जाती है यह राशि करीब 88 करोड़ हो जायगी । इस अकुशल क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप राज्य के संसाधनों की राशि प्रायः स्थिर रही है । संसाधनों की कमी के कारण राज्य, योजना समिति के द्वारा निर्धारित सीमा तक योजना को पूरा नहीं कर रहा है । सन् 1977-78 में योजना की लागत राशि 254 करोड़ रुपये, योजना समिति के द्वारा स्वीकृत की गई थी, जिसमें 50 करोड़ रुपये की राशि सहायता के रूप में केन्द्र से मिली जैसे वह योजना के प्रति संकल्प कृत था, परन्तु राज्य की उपलब्धि मात्र 204 करोड़ रुपये थी अतः 50 करोड़ रुपए की कमी थी । ऐसे ही निराशाजनक असफलता की पुनरावृत्ति सन् 1979 में हुई थी उस समय लागत राशि 260 करोड़ रुपए योजना के लिए स्वीकृत थी परन्तु राज्य मात्र 221 करोड़ रुपये प्राप्त कर सका इस तरह करीब 40 करोड़ रुपए की कमी रह गई ।

राज्य की इस असंतोषजनक उपलब्धि को देखकर योजना समिति ने गत वर्ष के बजट में पिछले साल के लिए जितनी ही राशि स्वीकृत की । और इस वर्ष भी ऐसा लगता है कि राज्य की उपलब्धि लक्ष्य से काफी कम रहेगी ।

राज्य के विकास के लिए बिजली की सुगम उपलब्धि आवश्यक है, किन्तु अनंतपुर साहिब जल परियोजना के संबंध में गंभीर भूल की गई, परिणामस्वरूप यह परियोजना जिसे 1980-81 तक चालू होना था उसके चालू होने में अभी वर्षों का विलम्ब है । सरकार को बहुत सारी परियोजनाओं में खर्च करने के बजाय कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के ही लिए ध्यान देना चाहिए जो भविष्य के लिए लाभदायक होगा बहुत सारी परियोजनाओं में एक साथ ध्यान देने के कारण देरी होती है ।

104 करोड़ रुपये बिजली के लिए एवं 41 करोड़ रुपये सिंचाई के लिए आबंटित किये गये हैं जो अधिक से अधिक विकास कार्यों को वर्तमान स्तर तक रखने के लिए पर्याप्त हैं तथा इससे विद्युत तथा सिंचाई के वर्तमान परियोजनाओं का काम चालू रखा जा सकता है। साथ ही बिजली एवं सिंचाई के कार्यक्रम सुचारु रूप से चालू रखना आवश्यक है।

मैं अनुरोध करती हूं बिजली एवं सिंचाई के क्षेत्र में बड़ी राशि व्यय की जाये ताकि कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं जिनकी राज्य के भावी विकास से सीधा ताल्लुक है उन्हें पूरी की जा सके। यह तभी संभव होगा जब राज्य अपने संसाधनों को बढ़ाने के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार से भी पर्याप्त सहायता प्राप्त करे। कुछ परियोजनाएं जो इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं उसमें थीन बांध एवं शाह नहर विस्तार एवं विकास परियोजना उल्लेखनीय हैं। कुछ सदस्यों ने चीन बांध का विकास जो संतोषप्रद नहीं है, का पहले ही जिक्र किया है। गत वर्ष वित्त एवं योजना विभाग ने मात्र 13.50 करोड़ रुपये दिये जबकि बांध संचालक-मंडल ने 50 करोड़ रुपये की मांग की थी। वित्त के अलावा, सीमेंट एवं इस्पात की पूर्ति ठीक नहीं होने के कारण परियोजना का विकास अवरुद्ध पड़ा है। यह कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि इस तरह के वित्तीय सहायता से परियोजना को पूरा होने में कितना समय लगेगा। विशेषज्ञों के विचार के अनुसार बिजली की स्थिति अस्सी तक और भी खराब हो जायगी जब तक कि चीन बांध जो 480 M W बिजली पैदा करेगी, निर्माण को और गति प्रदान करना चाहिए।

अनुभव से यह पता चलता है कि भटिन्डा तापीय संयंत्र को वांछित सफलता कोयला की कमी के कारण नहीं मिली। कोयला हजारों कि० मी० दूर से लाना पड़ता है और जरा-सा रेल परिवहन के गड़बड़ी के कारण बिजली की आपूर्ति ठप्प पड़ जाती है। भाखड़ा बांध जो बिजली प्राप्ति का दूसरा साधन है प्रकृति की कृपा पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त इसकी बिजली का उपयोग दूसरे राज्य भी कर रहे हैं। मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करूंगा कि वह एक आणविक संयंत्र की स्थापना के बारे में गंभीरता से विचार करे ताकि पंजाब, किसानों और उद्योग को पर्याप्त बिजली देने में सक्षम हो सके। इससे किसानों और उद्योगपतियों में अच्छा विश्वास जगेगा जिससे भावी विकास के लिए धन राशि निवेश करेंगे।

ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम की भी बुरी तरह से उपेक्षा की गई और स्वास्थ्य केन्द्र जो खोले गये उसमें कर्मचारी नहीं भेजे गये। पौष्टिक आहार एवं पर्यावरण के सुधार का कार्यक्रम भी शहरों में उपेक्षित रहा। छोटे किसान के विकास का कार्यक्रम जो केन्द्र से चलाया गया था उसका उद्देश्य गरीब लोगों को फायदा पहुंचाना था किन्तु यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम इतना सर्वांगीन नहीं था। इस कार्यक्रम का विस्तार होना चाहिए जिससे अधिकतम लोग लाभान्वित हो सकें। इस कार्यक्रम का संचालन ऐसा हो जिससे पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ मिल सके।

मेरा चुनाव क्षेत्र सीमा पर स्थित है इसलिए राज्य सरकार से आग्रह करूंगी कि सीमा क्षेत्र के विकास के लिए विशेष ध्यान दे। मेरा चुनाव क्षेत्र 'गुरदासपुर' एक पिछडा इलाका है। लघु उद्योग की स्थापना की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। केन्द्र और सरकार बडे उद्योग स्थापना के लिए हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं क्योंकि यह सीमा क्षेत्र है। पंजाब सरकार के कर्मचारी जो मेरे जिले सीमान्त क्षेत्रों में कामप करते हैं उन्हे कुछ लाभ तथा विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है किन्तु

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जो वहां कार्यरत है वे उन्हें यह लाभ नहीं मिल रहा है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 4 करोड़ रुपये का आवेदन किया गया है। शायद बहुत लोगों को इस बात की जानकारी नहीं कि पंजाब में काफी संख्या में ऐसे इसाई है जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की तरह गरीब है अत: मैं राज्य सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह उनकी ओर उचित ध्यान दें तथा उनके लिए कुछ विशेष उपबन्ध करें।

20 करोड़ रुपया सड़क परिवहन के लिए आवंटित किया गया है। पिछले ढाई वर्षों में सड़कों की हालत बहुत खराब हो गई है मैं विशेषकर गांव की सड़कों की बात कर रही हूं जो कांग्रेस के 27 वर्षों के शासन के दौरान बनाई गई मेरे जिले में दो पुलों की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में केवल जम्मू कश्मीर के जरिए ही पहुँचा जा सकता है। रावी नदी पर और व्यास नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता है ताकि होशियारपुर जिले को गुरदासपुर से जोड़ा जा सके। मैं आशा करती हूं जब नियमित बजट पेश किया जाएगा तो राज्य सरकार को सहायता के रूप में वित्त मंत्री इन परियोजनाओं के लिए उसमें उपबंध करेंगे।

जैसाकि आप जानते हैं कि पंजाब के किसान को जब पर्याप्त बीज खाद आदि मिले तो उसने यह दिखा दिया कि वह विश्व में सबसे अधिक उत्पादन कर सकता है। यदि विकास की इस दर को सुनिश्चित करना है तो यह आवश्यक है कि पंजाब के किसान को आगामी दो महीनों में डीज़ल और खाद की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की जाए। रबी की फसल के लिए और उसकी कटाई के लिए डीज़ल बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही फसलों के लिए लाभप्रद मूल्य दिए जाने चाहिए। 117 रुपये का मूल्य निर्धारित किया गया है। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं लेकिन जैसाकि अन्य सदस्यों ने कहा मैं भी यह कहना चाहती हूं यह पर्याप्त नहीं है। यद्यपि यह मूल्य निर्धारित किया गया है फिर भी यह सुनिश्चित करना सरकार का काम है कि किसानों को यह मूल्य प्राप्त हो। गत वर्ष धान के लिए 95 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य निर्धारित किया गया था लेकिन किसान को 84 से लेकर 88 रुपये तक का मूल्य प्राप्त हुआ और वह भी दो-तीन महीने बाद।

कृषि के विकास के साथ-साथ पंजाब के औद्योगिकीकरण की ओर समुचित ध्यान देना चाहिए। नई चीनी और कताई मिलों के लिए अधिकलाइसेंस दिये जाने चाहिए क्योंकि कच्चा माल उपलब्ध है।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : सभापति महोदय, पंजाब में जहां तक लैंड रिफार्म का ताल्लुक है 1937 से मैं उसके लिए लड़ाई कर रहा हूं। 1952 में मैं वहां लेकर मिनिस्टर था और लाला भीमसेन सच्चर उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझसे साफ कह दिया था कि जमीन जिन के हाथ में है वे जबर्दस्त हैं और जो लेने वाले हैं वे कमजोर हैं, और चाहे जो मर्जी आए ले लो, यहां जमीन नहीं मिल सकती है। आज जितनी पार्टीज़ हैं तमाम हरिजनों का नाम लेती हैं। मगर मुझे पता है कि दिल से इनकी कोई बेहतरी नहीं करना चाहता। उसका नतीजा यह है कि जो हरिजन हैं वे अभी तक तरक्की नहीं कर सके हैं। जहां तक लैंड रिफार्म का ताल्लुक है,

मैं यह कह देना चहता हूं कि जब तक यह मसला हल नहीं होगा, हरिजनों की बेहतरी नहीं हो सकती है क्योंकि मैं खुद जमींदार हूं, मुझे इसके वाकयात पता हैं।

जहां तक जनता पार्टी का ताल्लुक है, अभी मेरे भाई जनता वाले बोले हैं, उन्होंने कहा है कि पंजाब में कुछ नहीं हुआ है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि इसका सबूत यही है कि बाबू जगजीवन राम, जनता या लोक दल अच्छा होता तो उसको कभी न छोड़ते। अगर जनता पार्टी और लोक दल अच्छे होते तो वह उसमें रहते। लेकिन वह भाग गए इसलिए कि ये निकम्मे आदमी हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। यही इसका सबसे बड़ा सबूत है। जहां तक जार्ज फर्नांन्डिस का ताल्लुक है पिछले दिनों में उन्होंने वायलेंस की थी, तमाम गाड़ियां उलटवा दी थीं, उनकी मौजूदगी में जब वह जनता पार्टी और लोक दल में थे, हमारी बहुत बुरी हालत हुई, उनके जमाने में हरिजनों पर इतनी मारपीट हुई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए उसका जो केस है वह भी बड़ा कमजोर है।

सी० पी० एम० वाले जो हैं वे जनता के साथ मिलते हैं और मिल करके कहते हैं कि हम हरिजनों की बेहतरी करेंगे। मैं जानना चाहता हूं उनका जस्टिफिकेशन क्या है? वह कहते हैं कि हम बड़े प्रोग्रेसिव हैं लेकिन कोई प्रोग्रेसिव नहीं हैं। वह बड़े अच्छे स्पीकर हैं और अंग्रेजी पर उनका बड़ा अच्छा कमाण्ड है। अर्थात् शिक्षा का अभिप्राय यह नहीं है कि मस्तिष्क में नाना प्रकार की जानकारी ठूंस दी जाए और उसका जीवन पर्यन्त कोई उपयोग न किया जाए। उसे आपके चरित्र-निर्माण जीवन के विकास में सहायक होना चाहिए। अगर आप केवल पांच विचार आत्म सात् कर लें और उन्हीं के आधार पर अपने जीवन और चरित्र का निर्माण करें तो मैं समझता हूं आप उस व्यक्ति से कहीं अधिक शिक्षित हैं जिसने पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ कर रखा है। यदि शिक्षा और ज्ञान एक ही हो तो मैं समझता हूं दुनियां के ग्रन्थालय और विश्वकोष सबसे बड़े ऋषि माने जाएंगे। किसी को बोलने नहीं देते हैं। वह जनता से मिलकर और दूसरों से मिल कर हरिजनों की बेहतरी करने की हामी भरते हैं लेकिन यह उनकी खाम खयाली है और इस तरह वह कुछ नहीं कर सकते हैं।

जहां तक लैण्ड रिफार्म्स का तल्लुक है, पंजाव में कोई लैण्ड रिफार्म्स नहीं हैं। पहले कानून बनते थे लेकिन वह कानून अधूरे रह जाते थे। अपनी ज़मीन देने के लिए कोई तैयार नहीं हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि जो हमारी हामी भरते हैं वे अगर जमीन नहीं देते हैं तो वे हमारे खैर-ख्वाह नहीं हैं। कोई भी आदमी बिना ज़मीन के देहात में रह नहीं सकता है। मैं खुद एक ज़मींदार हूं और मुझे पता है कि देहात में जब तक ज़मीन नहीं होगी तब तक किसी का भला नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

जहां तक जनता पार्टी का ताल्लुक है, उसने हमें बड़ी तकलीफें दी हैं। अब जनता पार्टी का फ्यूचर बिल्कुल डार्क है और वह पार्टी हमेशा के लिए डूम हो गई है। हम समझते थे कि जनता पार्टी पावर में आई है तो कुछ अच्छा काम करेगी लेकिन उन्होंने भट्टा ही बिठा दिया। उन्होंने सब सत्यानाश कर दिया। वे पं० जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं लेकिन मैं हैरान हूं

कि जब उनके रास्ते पर चलने के लिए वे तैयार नहीं हैं तो उनका नाम क्यों लेते हैं ? वे महात्मा गांधी का नाम लेते हैं लेकिन जब उनके रास्ते पर चलना नहीं है तो फिर नाम क्यों लेते हैं ? सिवाये श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के हरिजनों व गरीबों का नाम तक नहीं लेते। अगर कोई उम्मीद हो सकती है तो केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी से ही हो सकती है।

अब मैं थोड़ी सी बात अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। मिसेज़ भिण्डर ने कथलौर के निकट पुल बनाने के बारे में अभी कहा है उसको मस्तो का पुल कहते हैं। मिसेज़ भिण्डर इस पुल को बनवाने में हमारी मदद करेंगी और अगर यह पुल बन जायेगा तो वहां की बैकवर्डनेस दूर हो सकती है। इसके अलावा हमारा जो इलाका है वहां पर नहरें काफी हैं और वहां पर बिजली भी बनाई जा सकती जिससे अभी जो वहां पर बिजली की समस्या है उसको भी दूर किया जा सकता है। गुरदासपुर, जालंधर, कपूरथला—इस इलाके में बिजली की जो तकलीफ है इस प्राब्लम को हल किया जा सकता है। मैं कहता हूं कि हमारे यहां सियालकोट डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं जो आकर जालन्धर में बस गए हैं।

चमड़े की हालत यह है कि आप सारा चमड़ा एक्सपोर्ट करते हैं जिससे उनका भट्टा बैठ रहा है। पहले ये लोग चमड़ा 14 रु०, 16 रु० और 18 रुपए में लेते थे, किन्तु चमड़े की कीमत बढ़ने से उनको 24 रु० 25 रु० और 26 रु० तक चमड़ा लेना पड़ता है। मैं कहता हूं कि उस पर लेवी लगनी चाहिए, 20 प्रतिशत तो आपने लगाई है यदि 20 प्रतिशत और लग जाए तो उनका काम बन सकता है। एक्सपोर्ट करने की वजह से कीमतें बढ़ गई हैं जिसकी वजह से वे बहुत तंग हैं और मुखमरी की स्थिति पैदा हो रही हैं। मुझे उम्मीद है वित्त मन्त्री जी जरूर उनका ख्याल रखेंगे।

जहां तक बैकवर्ड इलाकों का ताल्लुक है,—गुरुदास पुर, संगरूर, होशियारपुर और भटिण्डा—यहां छोटे-छोटे कारखाने हैं। इन कारखानों को केवल इनकी ज़रूरत का कच्चे माल 25 प्रतिशत अधिक कोटा दिया जाना चाहिए, यदि वित्त मंत्री जी इनकी समस्याओं पर ध्यान दें तो ये कारखाने भी तरक्की कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास केवल एक मिनट का समय बाकी है।

श्री सुन्दर सिंह : इतने में तो मेरा काम नहीं चलेगा और जो मैं दिल की बातें यहां कहना चाहता हूं, वह रह जायेंगी। आपको मुझे और टाइम देना चाहिए।

जहां तक प्रोडक्शन ऑफ नांगल फर्टिलाइज़र का ताल्लुक है, इसका प्रोडक्शन दो हजार मीट्रिक टन से घट कर 300 मीट्रिक टन रह गया है, इससे जमीदारों को नुकसान हो रहा है। जब तक इन लोगों को फर्टिलाइज़र नहीं मिलेगा तब तक इनका काम कैसे चल सकता है। मैं समझता हूं कि जितने भी हरिजन हैं, चाहे कहीं के भी हों, उन सबको इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठे होकर लड़ाई करनी चाहिए। मैं यह नहीं समझता कि कमियां एक ही तरफ हैं, कमियां दूसरी तरफ भी हैं और जनता पार्टी ने तो इनको बिल्कुल नज़र अन्दाज कर दिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार इसकी ओर ध्यान देगी ताकि इनकी समस्यायें हल हो सकें।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : सबसे पहले तो मैं इस बात का विरोध करता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने 9 राज्यों की विधान सभाओं को भंग कर दिया है और अब उन राज्यों के बजट को यहां पेश किया गया है। यह एक तरह से हिन्दुस्तान के जनतन्त्र पर हमला है। जनता पार्टी का रिकार्ड भी इस सम्बन्ध में अच्छा नहीं रहा है, उन्होंने भी सरकार में आने के बाद ऐसा ही किया था और आप ने भी वही कदम उठाया है। ऐसी कार्यवाही पूंजीवादी जनतन्त्र में होती है, उन के अपने तरीके होते हैं, जिनके अनुसार वे जनतन्त्र को अपने ढंग से चलाते हैं, उसमें कांग्रेस (आई) हो या जनता पार्टी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

पंजाब की जनता बहुत महान है। उस महान जनता के राज्य के सम्बन्ध में जो बजट पेश किया गया है, वह उनकी मांगों के अनुरूप नहीं है। अभी हम को जानकारी मिली है कि पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, जो आज केन्द्र के गृह मंत्री हैं, उनके इशारों पर पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर अधिकारियों की तबदीलियां की जा रही हैं और हर तरह से रोज़मर्रा के शासन में हस्तक्षेप किया जा रहा है, जिस से प्रशासन के लोगों में मानसिक गिरावट आ रही है, उनके मन में भय उत्पन्न हो गया है कि वे अपनी बुद्धि और अपनी इच्छाओं के अनुसार आगे कार्य नहीं कर सकेंगे। यह बात ठीक है कि पंजाब में आज डीज़ल का संकट है, बिजली का संकट है, कैरोसिन तेल का संकट है और मंहगाई बढ़ती जा रही है। मैं भाटिया जी की इस बात से सहमत हूं कि पंजाब एक कृषि प्रधान देश है और इस दृष्टि से उस प्रदेश का जो विकास पिछले 30 सालों के कांग्रेस राज्य में और बाद में जनता पार्टी के तीन सालों में होना चाहिये, वह नहीं हुआ। मुख्य उद्देश्य यही रहा कि वहां की कृषि को टैकनिकल फार्मिंग के आधार पर डेवेलप किया जाय, लेकिन इस का लाभ किसको मिला, जो बड़े-बड़े पूंजीपति थे, उन्होंने उस का लाभ उठाया, गरीब किसान को इसका कोई लाभ नहीं मिला। न केवल पंजाब, बल्कि सारे देश के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिला और आज यह एक राष्ट्रीय सवाल बन कर रह गया है। पंजाब में गन्ना पैदा करने वालों, कपास पैदा करने वालों, आलू पैदा करने वालों को आज लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है—मैं समझता कि भाटिया जी भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। इस सवाल को हल करने के लिये आपके बजट में कोई प्रावधान नहीं है, आप ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है जिससे उनको सही मूल्य मिल सके।

पंजाब में भूमि सुधार कानूनों को अभी तक ठीक से लागू नहीं किया गया है। फाज़िल जमीन का बटवारा ठीक से नहीं हो पाया है। चूंकि आपका कानून डिफेक्टिव है, इस लिए इस सवाल का हल नहीं होता है। आज पश्चिमी बंगाल और केरल ने हिन्दुस्तान को एक राह दिखलाई है, वहां पर भूमिसुधार कानूनों पर अमल सही ढग से किया गया है। क्या पंजाब में वैसा नहीं हो सकता था ? कुलक्स के प्रभाव में आ कर वहां की पिछली सरकारों ने पंजाब की उस पिछड़ी जनता के हितों की उपेक्षा की है, जिनकी संख्या 25 फीसदी के लगभग है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप पंजाब के किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलायें, उनकी फसल में लगने वाले सामानों को उचित दामों पर उपलब्ध करायें, उनको ऋण की सहायता दीजिये, उनको बिजली दीजिये, उन को सस्ते दर पर डीजल उपलब्ध कराइये और उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था कीजिए। साथ ही यह भी जरूरी है कि भूमिसुधार कानूनों को तुरन्त लागू कीजिए और उसके जरिए भूमिहीनों, हरिजनों के जीवन में सुधार लाने की कोशिश कीजिए।

आज भी पंजाब में जो भूमिहीन लोग खेतों में काम करते हैं उनको उचित बनिहारी (मजदूरी) नहीं मिलती है। हरिजन महिलाओं की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है, बल्कि इस बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस अवसर पर एक विशेष बात की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं जिसके लिए हमारे पंजाब के कम्यूनिस्ट पार्टी के विधायक दल के नेता श्री सत्यपाल डांग ने वहां के गवर्नर को भी लिखा है। पंजाब में जो मैडिकल आफिसर्स हैं, उनके विभाग में जो महिलायें काम करती हैं, उनको मैटरनिटी लीव नहीं दी जाती है। उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जाता, उनका तिरस्कार किया जाता है। इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए।

आज पंजाब की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है। ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं और आज गृह मंत्री हैं। इस बजट को देख कर मुझे ऐसा लगता है कि इस में पंजाब के सर्वांगीण विकास के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस तरफ विशेष ध्नान दें, महिलाओं को मैटरनिटी लीव अवश्य मिलनी चाहिए, वहां के मजदूरों की समस्याओं को हल किया जाना चाहिए और महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए।

पंजाब में सिंचाई और ड्रेनेज के लिए एक सर्वांगीण योजना बनाई गई थी जिसके लिए अकाली दल की सरकार ने कुछ कदम उठाये थे। क्या यह सरकार उस योजना को लागू करने के लिए कोई कदम उठाने जा रही है या नहीं जा रही है ? इस बजट के द्वारा उस योजना को पूरा करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, इन बातों का मंत्री महोदय जवाब दें और मुझे आशा है कि वे इन पर ध्यान देंगे।

श्री हाकम सिंह (भटिंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स बेकार हैं और जो बेरोजगार हैं, उनके लिए जो बजट 1 करोड़ 72 लाख 61 हजार रुपया रखा है, उसको 5 करोड़ रुपये किया जाए क्योंकि प्रजा में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है और लोगों को नौकरी में नहीं लिया जाता है। जिनको नौकरी नहीं दी जा सकती, उनको उसके लिए भत्ता दिया जाए, ऐसा मेरा आपसे कहना है।

इसके बाद सामाजिक सुरक्षा के लिए 5 करोड़ 81 लाख 3 हजार रुपये रखे गए हैं। इस को बढ़ा कर 10 करोड़ रुपया किया जाए। खाद के लिए जो 2 करोड़ 76 लाख 48 हजार रुपये रखा गया है, उसको 5 करोड़ रुपये किया जाए। खेतीवाड़ी के लिए 6 करोड़ 93 लाख 91 हजार रुपया जो रखा गया है, उसजो 10 करोड़ रुपये किया जाए। किसानों को सब्सीडी दी जाए ताकि किसान अच्छी फसल पैदा कर सकें और ज्यादा गेहूं पैदा कर सकें।

अब मैं सड़कों के विकास के बारे में यह कहना चाहता हूं कि इसके लिए जो 13 करोड़ 78 लाख 16 हजार रुपये रखे गए हैं, उनको बढ़ा कर 20 करोड़ रुपये किया जाए। पिछले तीन सालो में सड़कों का कोई विकास नहीं किया गया है और वे सड़कें टूटी पड़ी हैं और उनकी मरम्मत नहीं हो पाई। इसलिए इसके लिए ज्यादा रुपया रखा जाए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा के लिए जो 50 करोड़ 3 हजार रुपया रखा गया है, उसको बढ़ा कर 60 करोड़ रुपया किया जाए।

धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट का समय ले सकते हैं ।

श्री अमरीन्द्र सिंह : (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह मेरा प्रथम भाषण है मैं चाहता हूं आप मुझे नियत समय से थोड़ा अधिक समय दें ।

मैं लेखानुदानों का समर्थन करता हूं ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे राज्य को इस अंतरिम अवधि के दौरान भी वित्त की आवश्यकता होगी । लेकिन जो आंकड़े हमारे समक्ष हैं उनसे तो भूतपूर्व सरकार की विचारधारा परिलक्षित होती है क्योंकि उल्लिखित आंकड़े हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं । योजना उपबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि हमारे राज्य के कृषि और औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत ढांचा बनाया जा सके । मैं योजना के संबंध में बाद में बोलूंगा सबसे पहले मैं इस बजट से संबंधित कुछ विषयों को लेता हूं । सबसे पहला विषय है बिजली । मेरे कुछ सहयोगियों ने भी इस विषय पर विचार व्यक्त किए हैं लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि आज पंजाब के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है । पानी का हमारे यहां अत्यंत अभाव है । ग्रामीण औद्योगिक और घरेलू क्षेत्र में भी प्रतिदिन 16 घंटे तक बिजली नहीं रहती । वस्तुतः हमारी आवश्यकता 1.70 करोड़ यूनिट बिजली प्रतिदिन है और हमें 1.25 करोड़ यूनिट प्राप्त हो रही है । वास्तव में स्थिति में पहले से सुधार हुआ है । कुछ सप्ताह पहले बिजली उत्पादन 1 करोड़ यूनिट हो रहा था जिसका अर्थ यह था कि बिजली उत्पादन मात्र से 40 प्रतिशत कम होता था बिजली की वृद्धि दर 40 प्रतिशत प्रतिवर्ष है जैसा कि पिछले वर्ष की मांग की तुलना में इस वर्ष की मांग को देखने से पता चलता है । और यदि यह दर जारी रहती तो जब तक अगले बिजली घर, जिसकी स्थापना 1983 तक होगी, हमारे लिए अगले कुछ वर्षों में बिजली की कमी रहेगी । मैं अनुरोध करता हूं कि भटिंडा विद्युत घर के लिए विशेष आबंटन किया जाए और शीघ्र कोयला भेजा जाए ताकि बिजली की सप्लाई नियमित रूप से होती रहे । हमारे लिए वर्ष का यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है पंजाब में अगले महीने से रबी की फसल की कटाई आरम्भ हो जाएगी यह तो हमारा सौभाग्य था कि इस बार थोड़ी वर्षा हो गई अन्यथा रबी की सारी फसल नष्ट हो जाती । कटाई के बाद उसे खरीफ की बुआई करनी है और उसके लिए धान से भी अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है । अतः मैं सरकार से एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि सरकार भटिंडा विद्युत घर के लिए कोयले का विशेष आबंटन करने पर गम्भीरता पूर्वक विचार करे ताकि बिजली की सप्लाई नियमित रूप से हो सके ।

मेरे कुछ सहयोगियों ने उन नई परियोजनाओं के बारे में उल्लेख किया है जिनकी स्वीकृति दी जा चुकी है उदाहरणार्थ थीन बांध, रोपड तापीय संयंत्र और आनन्द पुर साहिस पन बिजली घर । बिजली बढ़ाने के लिए हमारा योजना उपबंध 100 करोड़ रुपये का है लेकिन अकेले थीन बांध की आवश्यकता 263 करोड़ रुपये की है और रोपड़ तापीय सयंत्र की 400 करोड़ रुपये । जब तक हमें केवल थीन बांध के लिए ही 50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष नहीं मिलेंगे तब तक अगले चार पांच वर्षों में इससे बिजली प्राप्त नहीं हो सकती । रोपड़ सयंत्र के लिए अब तक कोई उपबंध नहीं किया गया है । और पन बिजलीघर भी 1983 तक तैयार होगा । यदि इन परियोजनाओं के लिए समुचित उपबंध नहीं किया जाता अर्थात् समय समय पर अधिक आबंटन नहीं किया जाता तो 40 प्रतिशत वृद्धि दर की प्राप्ति कर पाना असंभव होगा ।

जहां तक डीजल का संबंध है हमें 45,000 किलोलिटर डीजल प्रति माह प्राप्त होता है

लेकिन हमारी मासिक आवश्यकता 110,000 किलोलिटर है। हम जानते हैं कि डीजल अब देश में उपलब्ध है। हमारी सरकार ने इसे उपलब्ध कराया है लेकिन रुकावट परिवहन की है। अतः मैं पैट्रोलियम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह पंजाब की डीजल सम्बंधी आवश्यकता फसल की कटाई आरंभ होने से पहले पूरी करे अन्यथा इसका असर कटाई पर होगा और हम केन्द्रीय पूल में उतनी मात्रा में अनाज नहीं दे पायेंगे जितना कि हम हमेशा देते रहे हैं। पंजाब में देश का केवल दो प्रतिशत खेती योग्य क्षेत्र है जबकि केन्द्रीय पूल में हमारा योगदान 50 प्रतिशत है।

मैं किसानों को ओला वृष्टि के सम्बंध में दी जाने वाली राहत का भी उल्लेख करना चाहता हूं। बजट में इस उद्देश्य हेतु 2.68 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है लेकिन पिछले एक महीने में ओला वृष्टि के कारण 30 करोड़ रुपये की क्षति हुई। इस समय हम उन किसानों को जिनकी 75 प्रतिशत फसल नष्ट हो हो गई है 300 रुपये प्रति एकड़ के आधार पर मुआवजा दे रहे हैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 70 गांव ओला वृष्टि से प्रभावित हुए हैं। जब तक हम उन्हें उपयुक्त और अधिक राहत नहीं प्रदान करेंगे तब तक उनके लिए अगली फसल बोना तो दूर रहा खाने को भी नहीं रहेगा।

अन्त में मैं सम्पत्ति कर के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं यद्यपि बजट से इसका प्रत्यक्ष संबध नहीं है फिर भी हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था से इसका बहुत संबंध है। इसका उन छोटे किसानों की जीविकोपार्जन से बहुत संबंध है जो शहरों के साथ साथ रहते हैं। गत पांच छह वर्षों में विदेशों में रह रहे पंजाबियों द्वारा स्वदेश में धन भेजने के परिणामस्वरूप, जमीन की कीमत कृत्रिम रूप से बहुत बढ़ गई है पंजाब के केवल ए० बी० सी० शहरों में ही नहीं अपितु गांवों में भी जमीन के मूल्य काफी बढ गए हैं और कई शहरों में जमीनें 1.5 लाख रुपये प्रति एकड़ तक बिक रही हैं जिसके कारण केवल तीन एकड़ भूमि वाले छोटे अशिक्षित किसान को भी सम्पत्ति कर देना पड़ रहा है। उन्हें न केवल विभाग वाले परेशान कर रहे हैं अपितु वकील भी उनसे काफी धन ऐंठ रहे हैं और इन लोगों के पास कृषि क्षेत्र को छोड़कर अपनी जमीन उद्योगपतियों या कालोनी निर्माताओं को बेचने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहेगा। अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर तत्काल ध्यान दे क्योंकि यह एक गम्भीर समस्या है और हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। कर वसूली की मात्रा से ही समस्या की गम्भीरता का पता चलता है। 2400 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की कर वसूली में 7 करोड़ रुपया कृषि सम्पतिकर के रूप में प्राप्त होता है और इस 7 करोड़ रुपये में अकेले पंजाब का योगदान दो करोड़ रुपया है। पंजाब में देश की दो प्रतिशत खेती योग्य भूमि है और वसूल किए गए कर में हमारा योगदान 29 प्रतिशत है इससे पंजाबी किसान के साथ किया जा रहा अनुचित व्यवहार स्पष्ट होता है।

वित्त और उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन): श्रीमान् मैं माननीय सदस्यों को वाद-विवाद में भाग लेने तथा उपयोगी सुझाव देने के लिए धन्यवाद देता हूं। हम राष्ट्रीय राजनीति में पंजाब द्वारा दिये गये शानदार योगदान के प्रति सजग हैं, युद्ध और शान्ति में पंजाब ने बहुत योगदान दिया है।

जहां तक बजट का प्रश्न है हमने 1980-81 की योजना के लिए पर्याप्त उपबन्ध किया है तथा आबंटनों की प्राथमिकता को बनाये रखा है। इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि 1979-80 में 260 करोड़ रुपए की आबंटन की तुलना में 1980-81 में 284 करोड़ रुपए हो गया है

और केन्द्रीय सहायता अगले वर्ष के लिए 46 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 52 करोड़ रुपए कर दी गई है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के सम्बन्ध में हमने 29,000 मीटरिक टन का आवंटन किया है। राज्य ने सिंचाई और बिजली के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। इसके लिए 150.31 करोड़ रुपए जिसमें से 104 करोड़ रुपए बिजली के लिए तथा 46 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए पिछले वर्षके 86 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में इस बार का आबंटन श्रेष्ठ है। यदि हम 1980-81 के लिए वृहत तथा माध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनाओं की प्रस्तावित क्षमताओं पर ध्यान दें, तो इसकी 29,000 हैक्टेयर वृहत तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं में, और 65000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षमता होगी। इससे मुख्य रूप से राज्य की स्वस्थ आर्थिक स्थिति का परिचय मिलता है।

अब मैं संक्षेप में माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गई बातों को लेता हूं। श्री भाटिया ने रावी नदी के जल के उपयोग का मामला उठाया तथा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को 100 करोड़ रुपए दिये जाने के बावजूद अभी भी इस नदी का पानी अप्रयुक्त है। माननीय सदस्यों को सिन्ध जल पर भारत-पाकिस्तान समझौते का पता होगा। विश्व बैंक ने पाकिस्तान को भारत द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी के बदले 100 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। यह पानी तभी उपयोग में लाया जा सकता है यदि थीन बांध पूरा हो जाता है। थीन बांध का निर्माण हो रहा है। निर्माण कार्य की धीमी गति के बारे में मुझे भी सदस्यों के समान चिन्ता है। इस समय उसके लिए 12 करोड़ रुपए आवंटित किये गये हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि नियमित बजट में थीन बांध के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

श्री भाटिया ने दो अन्य बातें भी कही हैं। एक का संबन्ध राष्ट्रीय राजपत्रों से और दूसरी का ऊर्जा से था। जहां तक बिजली का संबन्ध है मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रतिस्थापित क्षमता बढाई जा रही है। वास्तव में अगले वर्ष क्षमता 1383 मैगावाट से बढ़ाकर 1549 मैगावाट की जायेगी। जिन सदस्यों ने कहा है कि 1983 तक कोई अतिरिक्त क्षमता उत्पादित नहीं की जायेगी, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि 1980-81 में क्षमता को बढ़ाकर 1549 मैगावाट कर दिया जायेगा।

राष्ट्रीय राजपथ पर कार्य शुरु हो गया है। इस योजना पर कुछ समय लगेगा परन्तु जब तक कार्य पूरा नही हो जाता हर वर्ष उसके लिए उपबन्ध किया जाता रहेगा।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि बिजली 5 घंटे के स्थान पर 10 घंटे प्रतिदिन दी जायेगी ताकि पानी की कमी के प्रभाव को दूर किया जा सके।

मैं श्रीमती कौर को उनके शानदार भाषण के लिए बधाई देता हूं, उन्होंने कहा कि छोटी योजनाओं के लिए अनुदान बढ़ाया जाये ताकि राज्य में अधिक लघु उद्योग स्थापित किये जा सकें। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पंजाब के लघु उद्योग देश भर के लिए आदर्श हैं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां कोई भी भारी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है। भारी उद्योगों की स्थापना बहुत सी बातों पर निर्भर करती हैं। जैसे प्राकृतिक सुविधाएं कच्चा माल इत्यादि। भारी उद्योगों की स्थापना के लिए खुली अनुमति नहीं दी जा सकती।

माननीय सदस्य ने यह बात उठाई थी कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकांश जमा पंजाब से प्राप्त होती है परन्तु उसके बहुत कम भाग को पंजाब में लगाया जाता है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि जमा ऋण अनुपात स्थानीय आधार पर नहीं निर्धारित किये जाते। इनका वास्तविक आधार हर राज्य तथा क्षेत्र की आवश्यकताओं पर आधारित है। यदि उन क्षेत्रों में पूंजी लगाने की अच्छी योजनाएं हैं तो बैंक ऋण देंगे ही। परन्तु यह कहना कि केवल इसीलिए कि जमा किसी क्षेत्र में किये गये हैं इसलिए उसका तदानुरूप भाग उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाना चाहिए, यह सिद्धान्त पूरे देश के लिए स्वीकार्य नहीं है।

श्री आर० एल० भाटिया : क्या इसका यह अर्थ है कि पंजाब ने अच्छी व्यवहार्य योजनाएं नहीं भेजी हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : अच्छी योजनाएं पेश करना आपका कार्य है। उसके बाद आप बतायें कि उक्त योजनाएं स्वीकार नहीं की गई।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पंजाब में ब्याज में भिन्न दरों वाली योजना सफल रही है तथा क्या पंजाब के बैंकों ने इस बारे में अपना कर्तव्य शत-प्रतिशत निभाया है ?

श्री आर० वेंकटरामन : मेरे पास यह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को इसमें भी स्वीकार नहीं करता कि केवल इसीलिए कि जमा राशि एक क्षेत्र में की गई है उसे उसी क्षेत्र अथवा राज्य में लगाया जाना चाहिए।

मुझे केवल यही कहना है कि परियोजनाओं की स्थापना क्षेत्रों की आवश्यकता तथा भेजी गई योजनाओं के गुणदोषों के आधार पर निर्भर करेगी और तभी पूंजी लगाई जायेगी। इसीलिए मैंने कहा है कि यदि उचित योजनाएं स्वीकृत नहीं होती तो इस मामले पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ बात की जा सकती है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि न केवल पंजाब अपितु सभी राज्यों को व्यवहार्य परियोजनाओं एवं योजनाओं के लिए धन दिया जाना चाहिए। परन्तु मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि किसी विशेष क्षेत्र अथवा राज्य में जमा राशि उसी राज्य में उपलब्ध की जाए। मैं उनकी इस अपील का समर्थन करता हूं कि पंजाब समेत सभी राज्यों को पर्याप्त धन दिया जाये।

मुझे और कुछ नहीं कहना और मेरा निवेदन है कि बजट को स्वीकार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं पंजाब राज्य के लिए अनुदानों की मांगें सभा के समक्ष रखता हूं। प्रश्न यह है :

" कि निम्नलिखित मांग संख्या 1 से 41 के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक लेखानुदान राशियों पंजाब राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये। जाये।"

मांग की संख्या	शीर्षक	राशि	
1		2	
		राजस्व	पूंजी
		रु०	रु०
1.	राज्य विधान मंडल ...	25,31,000	...
2.	मंत्री परिषद् ...	26,19,000	...
3.	न्याय प्रशासन ...	92,85,000	...
4.	निर्वाचन ...	89,89,000	...
5.	राजस्व ...	2,75,72,000	...
6.	उत्पाद शुल्क तथा कर ...	1,02,22,000	...
7.	वित्त ...	3,53,11,000	...
8.	लोक सेवा आयोग ...	4,35,000	...
9.	सिविल सचिवालय ...	86,87,000	...
10.	जिला प्रशासन ...	1,30,94,000	...
11.	पुलिस ...	8,58,02,000	...
12.	जेल ...	70,41,000	...
13.	लेखन सामग्री तथा मुद्रण ...	1,14,86,000	4,33,000
14.	विविध सेवाएं ...	92,92,000	...
15.	पुनर्वास, राहत, तथा पुनर्स्थापन ...	21,28,000	...
16.	शिक्षा ...	32,32,87,000	...
17.	तकनीकी शिक्षा ...	50,03,000	...
18.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य ...	15,12,55,000	...
19.	आवास तथा नगर विकास ...	71,99,000,	2,70,17,000
20.	सूचना तथा प्रचार ...	43,20,000	...
21.	पर्यटन तथा सांस्कृतिक मामले ...	14,54,000	15,00.000
22.	श्रम, रोजगार तथा औद्योगिक प्रशिक्षण ...	1,72,61,000	5.00,000
23.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ...	5,80,86,000	48,33,000
24.	आयोजना तथा सांख्यिकी ...	34,07,000	...
25.	सहकारिता ...	1,82,16,000	2,16,93,000
26.	कृषि ...	6,93,72,000	2,43,33,000
27.	भूमि तथा जल संरक्षण ...	1,27,95,000	...
28.	खाद्य ...	2,76,48,000	3,59,50,21,000
29.	पशुपालन ...	2,25,97,000	...
30.	डेरीविकास ...	17,85,000	7,00,000

1		2	
		राजस्व	पूंजी
		रु०	रु०
31. मत्स्य-उद्योग	...	15,08,000	...
32. वन	...	1,16,04,000	...
33. सामुदायिक विकास	...	4,96,15,000	...
34. उद्योग	...	1,89,73,000	1 59,17,000
35. सिविल विमानन	...	6,88,000	2,67,000
36. सड़कें तथा पुल	...	6,99,37,000	4,16,67,000
37. सड़क परिवहन	...	13,76,38,000	2,33,33,000
38. बहूद्देश्यीय नदी प्रायोजनाएं	...	2,29,52,000	9,05,99,000
39. सिंचाई जल-निकास तथा बाढ़-नियंत्रण	...	10,07,95,000	10,68,08,000
40. भवन	...	6,87,67,000	2,71,84,000
41. राज्य सरकार द्वारा कर्जे तथा पेशगियां	...	...	42,80,82,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं पंजाब राज्य की अनुपूरक अनुदानों की मांगे सभा के समक्ष रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां पंजाब राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये ।

मांग संख्या 1,3,4, 7 से 11, 13, 15, 17, 19 से 22, 24, 32 से 41

मांग की संख्या		राशि	
		राजस्व	पूंजीगत
1		2	
		रु०	रु०
1. राज्य विधान मण्डल	...	3,40,000	...
3. न्याय प्रशासन	...	33,67,000	...
4. निर्वाचन	...	2,90,000	...
7. वित्त	...	1,93,73,000	...
8. सिविल सचिवालय	...	29,93,000	...
9. जिला प्रशासन	...	49,72,000	...
10. पुलिस	...	4,43,52,000	...
11. जेलें	...	12,74 000	...
13. विविध सेवाएं	...	29,59,000	...
15. शिक्षा	...	11,92,31,000	...
17. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	...	80,02,000	...
19. सूचना तथा प्रचार	...	33,87,000	...
20. पर्यटन तथा सांस्कृतिक मामले	...	5,60,000	...
21. श्रम, रोजगार तथा औद्योगिक प्रशिक्षण	...	15,16,000	...
22. सामाजिक सुरक्षा तथा भलाई		...	1,00,00,00
24. सहकारिता	...		1,20,00,000
32. सामुदायिक विकास	...	5,30,11,000	...
33. उद्योग	...	21,36,000	...
34. सिविल विमानन	...	8,39,000	...
35. सड़कें तथा पुल	...	1,23,78,000	...
36. सड़क परिवहन	...	4,35,13,000	1,18,4,4,000
37. बहुद्देश्यीय नदी परियोजनाएं	...	24,27,000	...
38. सिंचाई, जल निकास तथा बाढ़ नियन्त्रण	...	97,67,000	2,11,93,000
39. भवन	...	62,51,000	7,56,000
40. राज्य सरकार द्वारा कर्ज और पेशगियां	...	...	9,000
41. आकस्मिक निधि में विनियोग	...	...	13,00,00,000

प्रस्ताव स्वीकार हुआ

पंजाब विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980

वित्त मंत्री (श्री० आर० वेंकटरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री० आर० वेंकटरामन : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसुची विधेयक में जोड़ दिये गए ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गए ।

श्री आर. वेंकट रामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

पंजाब विनियोग विधेयक, 1980

वित्तमंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष (1979-80) की सेवाओं के लिये पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1979-80 की सेवाओं के लिये पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री आर० वेंकट रामन ; मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1979-80 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1979-80 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डों को लेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 और 3 अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा शीर्षक विधेयक में जोड़ दिए गए

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

राजस्थान बजट, 1980-81—सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगें 1980-81 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (राजस्थान) 1979-80

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब राजस्थान बजट के सम्बन्ध में मद संख्या 18, 19 और 20 पर विचार करेगी और इसके लिए 1½ घंटा आवंटित किया गया है। वे माननीय सदस्यों जिन्होंने राजस्थान बजट पर कटौती प्रस्ताव रखे हैं, यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे 15 मिनट के अन्दर पटल पर स्लिप भेजें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों के क्रमांक दर्शाये जायें जिनको वे प्रस्तुत करना चाहेंगे। इन कटौती प्रस्तावों से ही प्रस्तुत किया गया समझा जायेगा।

श्री दौलत राम सारण (चूरू) : सभापति महोदय, राजस्थान का आय-व्यय का विवरण आज इस सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है। बड़े खेद की बात है कि एक निर्वाचित सरकार को भंग करके इस अप्रिय कार्य को इस लोकसभा को करना पड़ रहा है। काश, इस बजट पर विचार करने का अवसर राजस्थान की निर्वाचित विधान सभा को होता। परन्तु जबरन राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर उसको विचार का वह अवसर नहीं दिया गया। इस परिस्थिति में मैं आपके सामने राजस्थान के विषय में कुछ विशेष बाते निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान सौभाग्यशाली है जो उसके पास खेती का विशाल भूखण्ड है और उसके पास अच्छी उपजाऊ भूमि तथा अपार खनिज सम्पदा है। परन्तु राजस्थान में पेरेनियल इर्रीगेशन के लिए बारहमासी बहने वाली नदियां नहीं हैं। इसलिए राजस्थान की जो भी सिंचाई योजनाएं बनीं वह दूसरे प्रदेशों, पंजाब, हरियाणा और मध्यप्रदेश से पानी लेकर के बनीं। इसलिए राजस्थान प्रायः अन्तरप्रान्तीय झगड़ों में उलझा रहता है। राजस्थान की सिंचाई के पानी का हिस्सा दूसरे प्रदेश हड़प जाते हैं। यही हालत राजस्थान की बिजली के मामले में भी है। बिजली के मसले में भी राजस्थान अधर में लटका रहता है। अणु बिजलीघर रोज खराब रहता है और आज तो राजस्थान में बिजली की यह स्थिति है कि एक तरफ बरसात नहीं हुई, उसकी कमी के कारण खेती उजड़ गई, अकाल पड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ विद्युत संकट भारी रूप में सामने आया है। इस विद्युत संकट के कारण राजस्थान की खेती चौपट हो गई है और राजस्थान का सारा उद्योग ठप पड़ गया है। इससे राजस्थान को भारी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है। अभी प्रधानमन्त्री जी ने राजस्थान का दौरा किया और उन्होंने मौके का जायजा लिया है। उन्होंने कहा है कि इसमें शीघ्र सुधार किया जायगा। परन्तु शीघ्र में इतना समय तो निकल गया है और राजस्थान की अकाल की भयंकरता और बढ़ती जा रही है। राजस्थान में बिजली की कमी के कारण कुओं को जो सिंचाई के लिए बिजली जाती है उसमें भारी कटौती कर दी गई और इस तरह से अव्यवस्थित ढंग से बिजली दी जाती है जिससे किसानों को बड़ी संख्या में मशीनें जल गईं और उनकी खेती चली गई। लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर जो सरकारी ऋण हैं और सहकारी संस्थाओं का ऋण है उसकी वसूली के लिए ताकीद की जा रही है। उसके लिए राज्य का बड़ा भारी दबाव चल रहा है। किसान इससे भयभीत हैं। एक तरफ डीजल का अभाव है जिससे खेत की पैदावार पर असर पड़ा, दूसरी तरफ बिजली की कमी से किसान बरबाद हुआ और इधर वसूली की ताकीद जिससे किसान की हालत बहुत दयनीय हो गई है। राजस्थान में भयंकर

अकाल होने की वजह से आज लाखों लोग राजस्थान से अपने पशु और अपने बाल-बच्चे लेकर अनाज, चारा, पानी और रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं। उनकी कोई देख रेख नहीं है। जो राजस्थान में हैं वे मुसीबत से सड़ रहे हैं।

लाखों पशु राजस्थान में मर रहे हैं, प्रति दिन मरते जा रहे हैं। राजस्थान में किसानों की मुख्य आमदनी का साधन पशु ही है लेकिन वही पशु बेरहमी के साथ घास, चारा और पानी के अभाव में मर रहे हैं और सरकार की तरफ से उनको बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है॥ आज राजस्थान के किसानों की आर्थिक स्थिति बरबाद हो चुकी है। अगले दस सालों में भी राजस्थान का किसान ऊपर नहीं उठ सकेगा यदि उसकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया॥ और अब तो आदमियों के मरने की स्थिति भी आ रही है क्योंकि उनके पास रोजगार के पर्याप्त साधन नहीं हैं। पंचायतों में छोटे-छोटे स्कूलों के कमरे और पंचायत-घर आदि बनाने का काम उनको दिया गया है लेकिन इससे पर्याप्त रोजगार नहीं मिल सकता है। आज राजस्थान में लाखों लोग भूखे सोते हैं तथा भूख से मर रहे हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां उनमें फैली हुई हैं। ऐसी संकटापन्न स्थिति से आज राजस्थान गुजर रहा है फिर भी राजस्थान की समस्याओं की ओर देखने वाला कोई भी नहीं है। न तो उनके लिए कोई पानी की व्यवस्था की गई है और न रोजगार के साधन उपलब्ध किए गए हैं। पिछले वर्षों में जो जलप्रदाय योजनायें बनाई गईं जिन पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया, उनको बड़े गलत तरीके से बनाया गया है। उनको बनाते समय बढ़ी हुई जनसंख्या और पशु संख्या का कोई शुमार नहीं रखा गया इसलिए वह योजनायें पानी दे सकने में बिलकुल अपर्याप्त हैं। बहुत से टैंक बनाए गए हैं, नल डाले गए हैं लेकिन एक बूंद भी पानी का नहीं मिल रहा है। इस सम्बन्ध में बार-बार शिकायत करने के बाद भी शासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है। डीजल अथवा बिजली से चलने वाली जलप्रदाय योजनाओं के प्रति केन्द्रीय सरकार की पूर्ण उपेक्षा है। राजस्थान में अपार प्राकृति सम्पदा के होते हुए भी भारत सरकार ने राजस्थान की घोर उपेक्षा की है। पब्लिक सेक्टर में भी राजस्थान को सबसे कम सहायता केन्द्र से दी गई है। पब्लिक सेक्टर में सबसे कम उद्योग राजस्थान में लगाए गए हैं। इसी प्रकार से राजस्थान में खनिज सम्पदा के खनन एवं दोहन के लिए भारत सरकार से कोई माकूल सहायता नहीं दी गई है। राजस्थान रेल और सड़क यातायात की दृष्टि से भी बहुत पिछड़ा हुआ है। राजस्थान में सैकड़ों मील तक कोई भी यातायात के साधन नहीं हैं जिसका वहां के आर्थिक विकास पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके बावजूद भारत सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। केन्द्रीय सड़क कोष या ऐसी दूसरी मदों से भी राजस्थान को बहुत कम मात्रा में सहायता दी जा रही है। राजस्थान की प्यासी धरती को पानी देने वाली योजनायें अन्तर्प्रान्तीय झगड़ों में उलझी हुई हैं। यमुना कैनाल राजस्थान को पानी देने में वरदान हो सकती है लेकिन उसका कार्य अधर में है। इसी तरह से चीमुख नहर और नार्थ फीडर नहर की योजनायें भी अधर में लटकी हुई हैं। अन्डरग्राउन्ड वाटर, भूतल जल भी राजस्थान के कई क्षेत्रों में निकला है—सीकर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर के जिलों में—लेकिन इस पानी का भी कोई उपयोग नहीं किया गया है। इस तरह की योजनाओं से राजस्थान की सूखी धरती को हरा-भरा करने, रोजगार के साधन देने तथा अकाल की स्थिति का स्थायी हल निकालने में

बहुत मदद मिल सकती है लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी तरह से नर्मदा वैली से मिलने वाले पानी की योजना भी अधर में लटकी हुई है। राजस्थान सरकार में स्वयं इतनी बड़ी योजनाओं को लागू करने की क्षमता नहीं है। यदि केन्द्रीय सरकार राजस्थान को विशेष सहायता दे तभी यह सम्भव हो सकता है। राजस्थान पूरे देश के लिए अन्न तथा कच्चे माल की आपूर्ति कर सकता है वशर्ते कि इस सम्बन्ध में उसकी पूरी मदद की जाए। दुर्भाग्य से 33 वर्ष की आजादी के बाद भी राजस्थान के लोग लाखों की संख्या में अकाल की स्थिति में हर वर्ष अपने पशु एवं बाल-बच्चों को लेकर मजदूरी कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों की यात्रा करते हैं। यह बड़ी शर्मनाक बात है फिर भी इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं—यदि राजस्थान की समस्याओं को ठीक तरह से देखकर और समझ कर योजनायें बनाई जातीं तो राजस्थान आज हिन्दुस्तान में पहले नम्बर पर होता। राजस्थान हर मामले में पिछड़ा हुआ है, चाहे बिजली का कन्जम्पशन हो, सड़कों के निर्माण का मामला हो या कोई भी मामला हो। समय इतना कम है कि मैं सब बातों पर विस्तार से रोशनी नहीं डाल सकता, फिर भी थोड़े में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर राजस्थान की विकट समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो वह हिन्दुस्तान के लिए एक समस्या बन सकता है। राजस्थान की 600 मील से अधिक की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और यह सारा प्रदेश बिना यातायात के है, रोजगार की सुविधायें तो बिलकुल शून्य हैं। इस इलाके में आये-दिन अकाल पड़ते हैं, दो-तिहाई भाग अकाल से पीड़ित रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ "डेज़र्ट डवेलपमेन्ट" के नाम से कुछ योजनायें चलती हैं, लेकिन वे ऊट के मुंह में जीरे के समान हैं। उनसे राजस्थान की समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह राजस्थान की समस्याओं को पर गम्भीरता से विचार करे।

आप राजस्थान नहर के मसले को लीजिये, जो एक तरफ से अधर में लटकी हुई है। जो नहर करीब 10 वर्ष पहले पूरी होनी चाहिये, वह अभी तक केवल अपना प्रथम चरण पूरा कर सकी है। यह एक बहुत बढ़िया प्राजेक्ट है, जो पाकिस्तान के बार्डर के साथ-साथ जाता है, लेकिन उसकी उपेक्षा की जा रही है। नहर बन गई है, उसका पहला चरण पूरा हो गया है, लेकिन वहां की उपज को ले जाने के लिए कोई रेल्वे लाइन नहीं है—यह कितनी आश्चर्यजनक बात है। वहां पर न कोई रेल्वे लाइन है और न कोई दूसरी यातायात की व्यवस्था है। जो सड़कें हैं, वे बहुत मामूली हैं, बिलकुल अपर्याप्त हैं। इसी तरह से विश्व बैंक की सहायता से जो विकास कार्यक्रम वहां चल रहा है, उसमें भयंकर भ्रष्टाचार है, किसानों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, उनके साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। बैंकों की तरफ से जो ऋण दिया गया है, वह किसानों के नाम लिख दिया गया है लेकिन नाला बना ही नहीं है। बैंकों की तरफ से किसानों के ऊपर 7-8 किश्तों की वसूली के लिये चक्रवृद्धि ब्याज के साथ नोटिस जारी हो गये हैं, जिनमें मूलधन से ब्याज की रकम कहीं ज्यादा है। इसके बारे में कई बार वहां के किसानों ने अपने प्रतिनिधि मंडलों के साथ जा कर सरकार से निवेदन किया, लेकिन राज्य सरकार बिलकुल नहीं सुनती है। अब चूंकि यह मामला केन्द्र सरकार के हाथ में है, इसलिये मैं उनके असन्तोष को आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं—गंगानगर के किसान अब

आन्दोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। लोकतन्त्रात्मक तरीके से उन्होंने सारे प्रयास कर लिये, अब वे अहिंसात्मक आन्दोलन के रास्ते पर जाने के लिए आमादा हैं। यदि सरकार ने उन किसानों की वाजिब मांगों पर तुरन्त ध्यान नहीं दिया तो किसान अपने आन्दोलन के द्वारा सरकार को झुका देगा, उसको अपनी मांगें मनवाने के लिए मजबूर कर देगा। इस प्रकार की उपेक्षा यदि लोकतन्त्र में होती है या किसी भी स्तर पर होती है तो उसको बरदाश्त नहीं किया जा सकता।।

अन्त में, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं—हमारे यहां बिजली, पानी, डीजल, सीमेन्ट और चीनी के अभाव की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। इनके कारण आज राजस्थान का औद्योगिक विकास खतरे में पड़ गया है, राजस्थान का जन-जीवन खतरे में पड़ गया है, राजस्थान की खेती और उद्योग नष्ट हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि हमारे वित्त मंत्री महोदय राजस्थान की ज्वलंत समस्याओं की तरफ और वहां के जन-जीवन में व्याप्त असन्तोष को ध्यान में रखते हुए समय रहते कार्यवाही करेंगे।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : बजट में सरकार अपनी नीतियों को पैसों की भाषा में लिखती है। मैं इस अवसर पर अपने वित्त मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, उनमें अपार शक्ति है कि वे दस-दस राज्यों के बजट पास करवाते हैं, साथ ही केन्द्र का बजट भी पास करवाते हैं। इतनी उम्र में इतनी ताकत की तारीफ सारा हाउस करेगा और हिन्दुस्तान की 65 करोड़ जनता भी करेगी।

आज राजस्थान पर जहां 9 अरब 51 करोड़ रुपये का कर्जा है, जिसे 75 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष ब्याज का देना पड़ता है और जिस राजस्थान के अन्दर आज 32 हजार गांव अकाल से पीड़ित हैं, 2 करोड़ 40 लाख आदमी अकाल से तड़प रहे हैं, जहां केवल 3 किलो अनाज मिलता है और वह भी पूरा नहीं मिलता है, क्योंकि उसका अनुपात वह काम की मात्रा से करते हैं, भूख से पीड़ित होकर जब वे पूरा काम नहीं कर पाते तो उनको डेढ़ किलो अनाज भी नहीं मिलता है—ऐसे राजस्थान की हालत का अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। हमारे पूर्व वक्ता ने अभी बतलाया कि हजारों परिवार अपने घरों को छोड़कर चले गये हैं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वे घर छोड़कर ही नहीं गये हैं बल्कि अपनी जमीनों को पूंजीपतियों के हाथों में कौड़ी के मूल्य बेच कर जा रहे हैं। वहां के बड़े काश्तकार जो उनको कर्जा देते हैं, 40 परसेन्ट ब्याज पर कर्जा दे रहे हैं और इस तरह से उनकी जमीनों को हड़पते जा रहे हैं।

एक और ताज्जुब की बात है—इस नेशनल कैलेमिटी के लिये राजस्थान सरकार ने अपने बजट में केवल सात करोड़ रुपया रखा है जब कि हमारे राज्यपाल महोदय, जो हमारे राष्ट्रपति जी के नुमाइन्दे हैं, वह कह रहे हैं कि इसके लिए 100 करोड़ रुपये दिये जायं—इस तरह का कन्ट्राडिक्शन इनके स्टेटमेन्ट्स में है। अभी जब श्रीमती इन्दिरा गांधी अजमेर गईं, तब उन्होंने उनसे कहा कि हमें इसके लिये 100 करोड़ रुपया चाहिये, जब कि उसी सरकार के अधिकारी इस काम के लिये 7 करोड़ रुपये का प्रावधान अपने बजट में कर रहे हैं। वह समझते हैं कि इस नेशनल कैलेमिटी को फेस करने के लिए 7 करोड़ रुपया पर्याप्त है। जनता पार्टी की सरकार चली गई, भगवान ने अच्छा ही किया। मैं उसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता, ये लोग कहा करते थे कि हम मुगलिया ठाठ-बाट से रहते हैं, लेकिन अपने शासन काल में इन्होंने जो कुछ

किया उसका नतीजा यह कि हर साल खर्चे बढ़ते गये। मैंने राजस्थान की विधान सभा में एक प्रश्न पूछा था—उसके उत्तर में मालूम हुआ कि 1976-77 में खर्च 193.63 करोड़ बढ़ा, 1977-78 में 218.63 करोड़ बढ़ा और 1978-79 में 243.32 करोड़ बढ़ा और अब सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड्स की शक्ल में 1 अरब रुपये की मांग लेकर आये हैं। ये लोग जो सादगी से रहना चाहते थे, उनके ठाठ-बाट का यह नमूना है।

इस पार्टी ने अपने शासन-काल में एक इंच भी ज़मीन जागीरदारों से हासिल नहीं की, सामन्तवादियों से नहीं ली, उसके स्थान पर भूमि और भवन कर लगाया। इन्होंने उस समय अपने बजट में प्रावधान किया कि हम हाउस-टैक्स (इम्मूवेबिल प्रापर्टी टैक्स) से 2 करोड़ रुपये की बसूली करेंगे, लेकिन ये वह भी नहीं कर पाये और इनको अपने एस्टीमेट्स को फिर से रिवाइज़ करना पड़ा, उसको घटाकर 85 लाख पर लाना पड़ा, जब कि इस काम में इनका बहुत बड़ा स्टाफ लगा हुआ है। अर्बन सीलिंग एक्ट, जिस पर इन्होंने डेढ़ करोड़ रुपया एडमिनिस्ट्रेशन का खर्च किया है, जयपुर में एक इंच भी ज़मीन नहीं ले सके—यह काम इन्होंने अपने कार्यकाल में किया। जो हमको कहते थे कि हम मुगलिया ठाट-बाट से रहते हैं, जिन्होंने गांधी जी की समाधि पर जाकर शपथ ली थी और कहा था कि हम सादगी से रहेंगे, हमारा रहन-सहन लोगों के सामने एक तस्वीर नज़र आयेगी—यह तस्वीर अब जाहिर हो गई है।

राजस्थान में बाण्डेड लेबर 66 हज़ार के करीब है।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : आपने क्या किया है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप जनता पार्टी को सपोर्ट मत करो वरना बदनाम कर देंगे आपके कम्युनिज़्म को।

तो मैं यह कह रहा था कि 66 हजार बोंडेड लेबर है और उस बोंडेड लेबर के लिए जो मेचिंग ग्रान्ट 2 करोड़ रुपये की थी, वह भी नहीं ली। उस सारे के सारे काम को नहीं लिया और बोंडेड लेबर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था। आप ही बताइए कि मिनिमम वेजेज एक्ट कहां लागू किया। हां, एक बात की है कि शराबबन्दी करेंगे और इसके लिए शपथ ली और कहा कि 1 अप्रैल, 1980 के बाद राजस्थान में शराबबन्दी कर दी जाएगी लेकिन आमदनी वही की वही। आमदनी के जो आंकड़े हैं वे वही हैं। ये जो आपके बड़े लोग बजट बनाते हैं, उसमें एक्साइज ड्यूटी में 18 करोड़ 50 लाख रुपये की आमदनी थी और अब आमदनी क्या होगी? यह 18 करोड़ रुपये की होगी। तो प्रोहिबिशन कहां है? इस जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि गांव-गांव उद्योग खोलेंगे। बहुत कमाल का काम किया। सब जगह गांवों में दारू बनने लगी और भट्टियां चलने लगीं। कितना अच्छा काम इन्होंने गाँव गांव में कर दिया। यह वहां पर एक तरह से होम इंडस्ट्री हो गई है।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि आप यह देखिये कि कितना रैवेन्यू कलेक्शन है। शराबबन्दी की जो बात थी, वह सिर्फ दिखाने वाली बात थी। अब आप इनका बजट देखिये। बड़ा प्रोग्रेसिव बजट है। यह किस प्रकार रखा गया है। यहां से फाइनेन्स मिनिस्टर साहब चले गये हैं। बड़ी करामात इन्होंने दिखाई है। आप एजूकेशन को ही लें। लगभग 2 अरब 77 करोड़

रुपया इसके लिए था, जिसको अब 1 अरब 60 लाख रुपये के करीब कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 1 अरब 17 करोड़ रुपया घटा दिया है। आवश्यकता तो यह है कि एजूकेशन में इम्प्रूवमेंट हो लेकिन आपने उस पर रुपया घटा दिया। इंडस्ट्री और हैल्थ का भी यही हाल है।

एक चीज और मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां बिजली नहीं है, उसकी कोई फिक्स्ड एवेलएबिलिटी नहीं है। यहां पर होम मिनिस्टर आफ स्टेट बैठे हुए हैं, यह अभी उत्तर देंगे क्योंकि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब नहीं हैं और मिनिस्टर इन्क्लूड्स एवरी मिनिस्टर। हमारे यहां बिजली की कोई फिक्स्ड एवेलेबिलिटी नहीं है। हमारे यहां 200 मेगावाट का एक एटोमिक एनर्जी प्लान्ट लगाया गया था लेकिन उससे हमको सन् 1973 से लेकर आज तक 20 पर सेन्ट बिजली ही मिल पाई। पोंग में और दहेज में जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की मशीनरी लगाई गई, उसकी मशीनरी खराब निकली, जिसके लिए वह जिम्मेवार है। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे चम्बल में न पानी है और न बिजली है। घरों में लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। हमारे मन्त्री जी क्या भाषण देते हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि मिनीमम चार्जेज कह कर, वहां के किसानों से 2600 रुपये देने की बात कही जाती है। उन काश्तकारों को बिजली नहीं दी गई और उनकी फसलें बरबाद हो गईं लेकिन लैंड रेवेन्यू फिर भी वही का वही है। एक फ्लैट रेट कर दिया है जबकि बिजली किसानों को नहीं दी जा रही है। ऐसी स्थिति में 1980-81 में उनके यहां क्या फसल पैदा होगी। कैसे आप उस लैंड रेवेन्यू की रिकवरी करना चाहते हैं। आप उनसे न्यूनतम चार्जेज की वसूली करना चाहते हैं जिन्हें आपने बिजली नहीं दी है जिनको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त नहीं करा सके, डीज़ल नहीं दे सके, उनसे वही लैंड रेवेन्यू आप रिकवर करेंगे, तो वे क्या बचेंगे। क्या वे मर नहीं जाएंगे और क्या उनके बच्चे बोंडेड लेबर नहीं बन जाएंगे। आप आराम से कुछ भी कह दें लेकिन मैं आप से यही कहना चाहता हूं कि वहां के लोगों से मिनिमम चार्जेज फ्लेट रेट पर नहीं लेने चाहिए। लेकिन रेवेन्यु की रिकवरी बंद होनी चाहिए थी पर आपके बजट में यह सारा प्रोविजन है कि रिकवरी होगी। काश्तकार यह बराबर कहता है कि उसका जो नुकसान है, उसका कम्पेनसेशन उसको मिलना चाहिए। लेकिन यह नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट से कोई पूछे कि चम्बल में पानी नहीं है। एटोमिक पावर स्टेशन काम नहीं कर रहा है। आपने बिजली 100 परसेंट कट कर दिया है। सारे उद्योग ठप्प पड़ गये हैं, लाखों मज़दूर बेकार हो गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान केनाल के बारे में सब जानते हैं कि अगर उसको पूरा कर दिया जाए तो हम आपको अनाज देंगे, सारे हिन्दुस्तान को अनाज देंगे। मैंने क्वेश्चन पूछा है जिसमें यह बताया गया है कि अभी 114 मील काम करना है और यह 1985-86 तक पूरी होगी।

राजस्थान नहर को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में लिया जाये।

लेकिन यह काम कब शुरू होगा ? मेरे ख्याल से जब हम दुनिया से चले जाएंगे तब शुरू किया जाएगा। यह राजस्थान प्रोजेक्ट को रुपया दिया है। यह आपकी प्लानिंग है। कितना रुपया दिया है ? 50 करोड़ रुपया ज्यादा दे दिया है। इतनी कीमतें बढ़ गयी हैं और आपने

50 करोड़ रुपया ज्यादा दे दिया है। इससे तो मैं कहता हूं कि पहले जो इस प्लानिंग में आपने रुपया दिया था उससे और कम रुपया हो गया है। हमारी इण्डस्ट्री की सब्सीडी 52 लाख रुपये आप पर बकाया है जो कि हम आपसे मांगते हैं जिसके बारे में आप मान भी गये हैं। वह सब्सीडी हमें मिलना चाहिए, वह भी आप नहीं दे रहे हैं। करोड़ों रुपया पिछली मिलों को पैसा देना है। 52 लाख रुपया यह मांगते हैं। यह सब रुपया हमें दे दो। राजस्थान पानी के लिए तरसता है। उसके लिए भी 60 करोड़ रुपये में से इतना कम रुपया दिया गया है। यह सब इसलिए हो रहा है कि राजस्थान का कोई फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर नहीं है, केबिनेट में कोई मिनिस्टर नहीं है। इसीलिए राजस्थान को इग्नोर किया जा रहा है। (व्यवधान) मेरे से सौ गुना काबिल तो हमारे माननीय सुखाड़िया जी बैठे हैं, वे ही गवर्नमेंट में आ जाएं।

आप पानी का पैसा क्या दे रहे हैं ? राजस्थान में पानी एक रुपये में मिलता है। एक रुपये किलो जानवरों का चारा मिलता है। यह राजस्थान के लिए गवर्नमेंट करने जा रही है।

राजस्थान में नेचुरल केलेमिटीज के लिए गवर्नर ने 124 करोड़ रुपया मांगा है और आप दे रहे हैं साढ़े सात करोड़ रुपये। आप इस बजट को पास करके खुश होंगे। इस योजना में कोई प्लानिंग नहीं है, कोई थींकिंग नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। इस प्रकार के बजट से तो भगवान ही बचायेगा।

श्री पी० वेंकट सुब्बया (नन्दयाल) : यह केवल लेखानुदान है।

श्री मूलचंद डागा : यह वोट आफ अकाउंट्स के लिए आपको राज्यपाल कहते हैं कि इस मद में हमें सौ करोड़ रुपए दो और आप साढ़े सात करोड़ रुपए दे रहे हैं। इस से तो राजस्थान को भगवान ही बचायेगा।

श्री कुम्भा राम आर्य (सीकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य और सफाई शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[सरकार द्वारा गांवों की उपेक्षा (30)]

"कि पेय जल पूर्ति स्कीम के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की पूर्ति की समस्या को हल करने में विफलता (31)]

"कि प्राकृतिक विपत्ति में राहत शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[नष्ट हुए कृषि उत्पादों के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान किये जाने में विफलता (32)]

"कि स्थानीय निकाओं और पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदान की मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[स्थानीय निकायों के बारे में नीति (33)]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चितौड़गढ़) : वित्त मंत्री जी ने 1980-81 का राजस्थान का जो बजट पेश किया है, मैं उसका स्वागत करती हूं। राजस्थान हिन्दुस्तान के पश्चिम में

स्थित है जहां पर पाकिस्तान का बोर्डर लगता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हिन्दुस्तान में दूसरा स्थान रखता है। फिर भी राजस्थान का विकास अभी तक क्यों नहीं हुआ है, राजस्थान अभी तक पिछड़ा हुआ क्यों है ? मैं समझती हूं कि इसके दो मुख्य कारण हैं, राजनीतिक और भौगोलिक। राजनीतिक दृष्टि से यहां पर हमेशा सामन्ती परम्परायें रही हैं, राजा-महाराजाओं का शासन रहा है जिन्होंने कभी भी विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। दूसरे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां का साठ प्रतिशत भाग रेगिस्तानी है। अरावली पर्वत श्रृंखला इसको दो भागों में बांटती है। एक हिस्से को तो दक्षिण-पूर्वी हिस्सा कह सकते है जहां सौ मिली-मीटर बारिश होती है और दूसरे वह भाग है जिसको पश्चिमी भाग कह सकते हैं और जहां पर केवल दस मिलीमीटर बारिश होती है। ऐसी स्थिति में हर वर्ष वहां अकाल पड़ता रहता है, अकाल की छाया हर वर्ष राजस्थान पर मंडराती रहती है। इसलिये जो कुछ भी बजट में प्रावधान किए जाते हैं वे सारे के सारे इस अकाल राहत में चले जाते हैं। आज स्थिति यह है कि राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, वहां पर लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिल रहा हैं। हमें अकाल का सही हल ढूंढना होगा। केवल हम अकाल राहत के काम शुरू कर दें उससे काम चलने वाला नहीं है। अकाल राहत के काम जगह-जगह शुरू किये गए हैं। परन्तु मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि अकाल राहत के कामों में काम करने वाले जो मजदूर हैं उन्हें तीन किलो अनाज मिलता है। आप कल्पना करें कि तीन किलो अनाज से किस प्रकार से वे अपने परिवार वालों का पालन-पोषण कर सकते हैं। तीन किलो अनाज को क्या आप मिनिमम वेजिज कह सकते हैं, इससे मिनिमम वेज की गारंटी की पूर्ति होती है, क्या आप कह सकते हैं ? मेरा निवेदन है कि राहत के इन कामों में जो मजदूर लगे हुए हैं उनकी गरीबी को ध्यान में रखते हुए उन्हें पर्याप्त अनाज दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग अकालका अस्थायी हल ढूंढते ही रहें तो राजस्थान कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। इसका हमको कोई स्थायी हल ढूंढना होगा। हमारी जो नहर योजनाएं हैं, पीने के पानी की जो योजनाएं हैं, उनके वास्ते हमें बजट में अधिक प्रावधान करना होगा। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने भी कहा कि राजस्थान कैनाल कब पूरी होगी ? क्यों नहीं इसे राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया जाता है ? कई योजनायें हमारी सिंचाई की हैं जो अधूरी पड़ी हुई हैं, जैसे औरार योजना है, पार्वती योजना है या अन्य कई योजनाएं हैं। माही योजना भी एक ऐसी ही योजना है। इन सबको पूरा करने के लिए बजट में जो प्रावधान किया गया है वह नितान्त अपर्याप्त है। इससे इन योजनाओं को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में अकाल आए वर्ष राजस्थान में पड़ते रहेंगे और इसी प्रकार से भुखमरी की स्थिति भी वहां पैदा होती रहेगी।

राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जहां औद्योगिक विकास भी नहीं हुआ है। औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान में अभी तक जितना कुछ हुआ है उसे समुद्र में बूंद के समान हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। कई उद्योग यहां स्थापित किए जा सकते हैं जैसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रिकल्चर बेस्ड इन्डस्ट्रीज और फारेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्रीज। इस ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान हिन्दुस्तान में तीसरा है। कई ऐसे मिनरल्ज हैं जो कि केवल

राजस्थान में ही मिलते हैं। जैसे राक फास्फेट को ही आप ले लें। हिन्दुस्तान में जितना यह निकलता है उसका 96 प्रतिशत राजस्थान में बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में यह निकलता है। उदयपुर में झामर कोटडा नाम का स्थान है जहां पर 600 टन प्रतिदिन राक फास्फेट निकलता है। परन्तु उसका रसायन खाद बना करके उपयोग किया जाए, इसकी कोई व्यवस्था अभी तक राजस्थान में नहीं की गई है। खाद के कारखानों की बात मैंने पहले भी की थी और फिर से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान में चितौड़गढ़ एक ऐसा स्थान है जहां पर रसायन खाद का कारखाना डालकर वहां के लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। वहां पर कैचमेंट एरिया भी अच्छा है। इसके साथ ही रौक फोसफेट भी उपलब्ध है। मैं जानना चाहती हूं क्यों नहीं इस ओर ध्यान दिया गया ? इसके साथ ही सोप स्टोन भी, सारे देश में जितना सोप स्टोन होता है उसका 95 प्रतिशत हमारे यहां मिलता है। परन्तु उससे सम्बन्धित कोई उद्योग वहां नहीं डाला गया है। इसी प्रकार से लाइम स्टोन के हमारे यहां भंडार हैं। दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में केवल 5 सीमेंट फैक्ट्रीज ही हैं। मेरा तो निवेदन है कि राजस्थान को "सीमेंट कमप्लैक्स" बना दिया जाना चाहिए जिससे सारे देश की सीमेंट की आवश्यकता पूरी हो सकती है। इसके साथ ही साथ मिनी सीमेंट प्लान्ट बनाकर करके गावों में उद्योग स्थापित कर सकते हैं जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी समस्याओं का समाधान होगा।

इसी प्रकार से कृषि उपज में राजस्थान बहुत अधिक धनी है। वहां गन्ना, कपास और अफीम पैदा होती है। दुनिया में जितनी अफीम पैदा होती है उसका 80 प्रतिशत भाग हिन्दुस्तान में भारत में पैदा होती है और हिन्दुस्तान का वह भाग जो मध्यप्रदेश और राजस्थान है इसमें सारी की सारी अफीम देश की पैदा होती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़ और कोटा में दुनिया के यदि आंकड़े लें तो 30 प्रतिशत अफीम पैदा होती है जो दवाई बनाने के काम आती है। परन्तु दवाई बनाने का एक भी कारखाना वहां पर नहीं है। इसके अलावा जो अफीम के डोडे होते हैं, कैपसूल्स हैं उनसे भी अफीम निकलती है। लेकिन इस प्रकार का कोई कारखाना राजस्थान में में नहीं है। वहां पर 10 रु० क्विंटल अफीम के डोडे खरीदे जाते हैं लेकिन उसके बाद उनको 600, 700 रु० क्विंटल के भाव पर बेचा जाता है। तो इस प्रकार के उद्योग राजस्थान में क्यों नहीं कायम किये जाते हैं ?

राजस्थान का टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत अधिक विकास हो सकता है। क्योंकि राजस्थान ऐसा क्षेत्र है जहां पर ऐतिहासिक परम्परायें रही हैं। खास तौर चित्तौड़गढ़ के बारे में कहना चाहती हूं कि वहां पर ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं जैसे पदमिनी, मीरा, पन्ना बाई, भामाशाह आदि, जिनकी गाथायें वहां के कण-कण में छिपी हुई हैं। वहां पर टूरिज्म को यदि विकसित करें तो हमारे लिए अच्छा हो सकता है। मैं तो सुझाव देना चाहती हूं कि चित्तौड़गढ़ में यदि एक एयरपोर्ट बना दिया जाय तो इससे हम विदेशी टूरिस्टों को बहुत अधिक आकर्षित कर सकेंगे और वहां के लोगों की कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं का भी समाधान होगा।

राजस्थान का विकास करने के लिए और भी बहुत सी बातों पर ध्यान देना होगा। आज अन्त्योदय के नाम पर जनता पार्टी द्वारा कई योजनायें चलायी गयीं। इसका नाम बड़ा आकर्षक है, महात्मा गांधी द्वारा दिया गया नाम है। परन्तु उसमें क्या हुआ है ? वास्तव में जो गरीब है

उसको कर्जा नहीं मिल पाया । हमने अन्त्योदय को कुछ लोगों में सीमित कर दिया, गांव के चार, पांच लोगों को ही उसका लाभ हुआ है । क्या गांव में और लोग गरीब नहीं हैं ? ऋण देने में भी बहुत धांधली हुई है । एक आदमी यदि ऋण लेता है तो आधे से अधिक भाग उसका विचौलिए हड़प जाते हैं और जब ऋण अदा करेगा तब सही चेहरे सामने आयेंगे । इसलिये मेरा कहना है कि अन्त्योदय योजना थोथी है, व्यवहार में इससे गरीबों को कोई फायदा नहीं है ।

साथ ही काम के बदले जो अनाज योजना कायम की गई है, उसके बारे में भी कहना चाहती हूं कि जनता पार्टी के मुख्य मंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री चुने गये थे, उस समय उन्होंने यह बात कही थी कि आज से भ्रष्टाचार अलविदा हो गया । मैं यह कहना चाहती हूं कि भ्रष्टाचार तो उन्होंने गांव-गांव तक पहुँचा दिया, इस "काम के बदले अनाज" की योजना के माध्यम से । उन्होंने सरपंचों को इसमें इन्डल्ज करा दिया है, जगह-जगह अनाज भेजकर लेकिन उसकी व्यवस्था ठीक रखने का कोई प्रोग्राम नहीं है । जगह-जगह उसके लिए गड्ढे खुदवा दिये गये हैं और उस पर धूल डलवा दी गई है । इस प्रकार से सारे राजस्थान को धूल से जोड़ दिया गया है, इस तरह से जो अस्थाई तौर पर काम किया गया है, इससे देश तरक्की नहीं कर सकता है । यह काम के बदले अनाज योजना अब भी चालू है, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इसको सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जाना चाहिए और महत्वपूर्ण कामों को इसके अन्तर्गत लाना चाहिए ।

साथ ही दो शब्दों में यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है । यहां 19 प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं, महिलाओं का प्रतिशत इसमें नगरों में 4 प्रतिशत होगा और गांवों में केवल 2 प्रतिशत । ऐसी स्थिति में शिक्षा के लिए जो बजट रखा गया है, वह अपर्याप्त है ।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जनता पार्टी के राज्य में शिक्षा को आर० एस० एस० के साथ जोड़ दिया गया है । विश्वविद्यालय से लेकर प्रारम्भिक शिक्षा तक, माध्यमिक शिक्षा तक के स्तर की शिक्षा को आर० एस० एस० के साथ जोड़ दिया गया है । वहां पर मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाया जो आर० एस० एस० के हैं, उन्होंने इस प्रकार के आदेश दिये, इस प्रकार की व्यवस्थाएं की कि विश्वविद्यालय में आर० एस० एस० पहुंच गई । हमारे तीन विश्वविद्यालय हैं—राजस्थान, उदयपुर और जोधपुर, इनमें आर० एस० एस० की इस प्रकार की व्यवस्था कायम की गई है कि उसे देखकर हमें शर्म आती है । शिक्षण संस्थाओं में आर० एस० एस० के कैम्प लगाये जाते हैं । ऐसी चीजों को देखकर यदि यह कहा जाये कि राजस्थान में शिक्षा के साथ आर० एस० एस० को जोड़ दिया गया है, तो यह कोई अतिश्योक्ति न होगी । मैं यह कहना चाहती हूं कि शिक्षा के स्थानों पर जहां बच्चे सरस्वती आराधना के लिए आते हैं, वहां आर० एस० एस० को जोड़कर उन बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ न किया जाये ।

इससे अधिक और कुछ न कहकर मैं केवल इतना और कहना चाहती हूं कि अगला बजट जो आपका हो, उसमें राजस्थान के लिए अधिक से अधिक प्रावधान किया जाये । इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उपाध्यक्ष महोदय मैं सर्व प्रथम माननीय वित्त मंत्री का एक ऐसा बजट प्रस्तुत करने के लिए स्वागत करना चाहता हूं जिससे केन्द्र में सत्ताधारी दल के

प्रति राजस्थान के लोगों का भ्रम दूर हो जाता है। वास्तव में केन्द्र में सत्ताधारी दल से मैं एक प्रगतिशील बजट की आशा नहीं कर सकता था।

कल मैं माननीय वित्त मंत्री का उत्तर सुन रहा था। वह उसका उल्लेख कर रहे थे जो श्री जार्ज-फर्नान्डीस ने कहा। उन्होंने उत्तर दिया कि श्री जार्ज फर्नान्डीस अर्थव्यवस्था में भावनाओं को जोड़ने में चतुर हैं। मैं कह सकता हूं कि वे अर्थव्यवस्था को भावनाओं में बदलने में परिपूर्ण हैं। मैं जानता हूं कि जिन लोगों ने सत्ताधारी दल को मत दिया है वे चाहते हैं कि उनकी वास्तविक समस्याएं हल की जायें। किन्तु उनका क्या हुआ? उनकी आकांक्षाएं जीवन की वास्तविकता से बाहर की गई हैं। हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में राजनीति आ गई है और उनकी राजनीति आर्थिक आवश्यकताओं से निश्चित की जाती है। इस सम्बन्ध में इस बजट ने फिर यह सिद्ध किया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से ही यह देश मध्यम वर्ग के व्यापारियों, गुजरों और जमींदारों की नीति से शासित रहा है। हमारे देश में प्राथमिकताएं क्या हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति के 30 वर्ष बाद भी अब हमारी प्राथमिकताएं हैं : शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास। उच्च प्राथमिकता पीने के पानी है। मैं जानता हूं कि भारत के विकास के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। ये घटनाएं क्या हैं? इन 33 वर्षों में सड़कें बनाई गई हैं। कई बहुमंजली इमारतें बनाई गई हैं। कई विकास परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं। किन्तु जिसके काम के लिए? मूलतः सत्ताधारी वर्ग की समृद्धि के लिए। जैसा कि हम देखते हैं इन सब गतिविधियों के बावजूद लोगों की गरीबी इस हद तक बढ़ गई है इसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता है। 78 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। इस बजट में कोई दिशा नहीं है। हम बहुत कुछ चाहते थे कि एक दिशा होती कि प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में कैसे कार्यवाही की जाये और लोगों के दुखों को कैसे दूर किया जाये? संविधान के अनुच्छेद 41 के बारे में क्या है? वित्त मंत्री ने क्यों प्रस्ताव नहीं किया है कि शिक्षा और रोजगार को संविधान में मूलभूत अधिकारों के क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाये? निर्यात के प्रतिस्थापन के लिए हमारे पास धनराशि है। हम साधनों की कमी केवल तब महसूस करते हैं जब तक उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के कार्य का सामना करना पड़ता है। 1978 के आंकड़ों के अनुसार 17 सर्वोच्च औद्योगिक गृहों ने 400 करोड़ से अधिक का काम कमाया। उन पर बेरोजगारी की सहायता के लिए व्यवस्था करने के लिए कर क्यों न लगाया जाना चाहिए? आप उचित प्राथमिकताएं क्यों नहीं निर्धारित करते? आप दावा करते हैं कि आप राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं? किस राष्ट्र का यदि ऐसा है तो हमारे दो राष्ट्र हैं एक कांग्रेस पार्टी के लिए जो केन्द्र में शासन कर रही है और वे बहुत थोड़े हैं तथा दूसरा शेष लाखों लोगों के लिए। इस सन्दर्भ में सभी पक्षों के उन माननीय सदस्यों का समर्थन करता हूं जिन्होंने राज्यों के लिए अधिक-आर्थिक शक्ति देने की मांग उठाई है। हमारा संघीय स्वरूप है और राज्यों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए। हम सभी राज्यों को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं और उनके लिए अधिक शक्ति चाहते हैं। किन्तु मैं भीख मांगना अच्छा नहीं समझता जैसा इस विषय पर बोलते हुए मालूम हुआ है। मैं समझता हूं कि राज्यों के विकास के लिए आवश्यक धनराशि केन्द्र से संघीय स्वरूप के अन्तर्गत स्वाभाविक तरीके से आनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने एक बजट तैयार किया है और उसमें 35 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। इस घाटे को कहां से पूरा किया जायेगा? निर्देश क्या है? चुनावों के बाद यदि वे लोगों को अपनी मीठी वाणी से

धोका देने में सफल होंगे, और लोगों पर भारी कर लगायेंगे। एक मद है : योजना अग्रिम। इसका क्या अर्थ है ? केन्द्र ने राष्ट्रीय आपदाओं का सामना करने के लिए 14.05 करोड़ रुपये की राशि दी है। इसे योजना अन्तिम क्यों दिखाया गया है क्या सरकार एक बाहरी देश के साथ व्यवहार कर रही है ? क्या राष्ट्रीय विपदाएँ राज्य का विषय है ? इसे समवर्ती सूची में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 1880-81 में योजना परिव्यय यथा-स्थित रहना चाहिए। अर्ध-विकसित, अविकसित और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। महोदय, मैं वित्त मंत्री का आदर करता हूं। किन्तु जब वे कहते हैं कि वे राज्य विधान सभाओं को भंग करने में जनता दल का अनुसरण कर रहे हैं तो मुझे दुख होता है। प्रबन्ध की दृष्टि से हो सकता है जनता सरकार का वह गलत रास्ता हो किन्तु सत्ताधारी दल को उसी रास्ते पर क्यों चलना चाहिए ? कांग्रेस (आई) ने आज तक विधानसभा भंग किये जाने का विरोध किया था। किसी सिद्धान्त पर तो दृढ़ रहा जाना चाहिए और यह सिद्धान्त है।

पश्चिम बंगाल में हमने घोषणा की थी कि हम राजनीतिक आधार पर लोगों को गिरफ्तार करने के विरोध में हैं। हमने उस समय केन्द्र में सत्ताधारी दल कांग्रेस के आंतकवाद का सामना किया था। 20,000 लोगों को उनके घरों से उजाड़ा गया था। मेरे साथियों और दोस्तों को जेलों में मारा गया। बाद में हमारी सरकार बनी। मैं "सत्ता" शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं अथवा में यह नहीं नहीं कहना चाहता क्यों कि जब हम सत्ता में आये थे तो कई वरिष्ठ सदस्य इसका गलत अर्थ लगाते थे। हमने वहां केवल सरकार बनाई। हमने सभी राजनीतिक बन्दियों को रिहा किया। किसी को भी राजनीतिक आधारों पर गिरफ्तार नहीं किया गया। हम उस रास्ते को अपना सकते थे जो श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने अपनाया था। किन्तु हमने यह नहीं किया। बुद्धिमान लोग गलत रास्ते पर नहीं चलते। यहां इस बात की रोज यह जोरदार चर्चा होती है कि कांग्रेस (आई) को लोगों का भारी समर्थन मिला है। मैं अन्त में यही कहूंगा कि भ्रमित अल्पमत जनता का यह समर्थन है। जिन्होंने यह भारी समर्थन दिया है वे ईमानदार लोग हैं। किसी दिन उन्हें वास्तविकता का सही पता लग जायेगा और तब ये लोग सत्ताधारी दल को लोकतंत्र का सबक सिखायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामसिंह यादव।

प्रत्येक माननीय सदस्य को केवल पांच मिनट मिलेंगे। श्री रामसिंह यादव यहां नहीं हैं। श्री बनवारी लाल।

श्री बनवारी लाल (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में राजस्थान के लिए जो लेखानुदान पेश है उसका अनुमोदन करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय राजस्थान में अकाल की बड़ी भीषण स्थिति है। वहां पर लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है और अगर दिया भी जा रहा है तो इस तरीके से दिया जा रहा है कि वह लोगों के लिए नाकाफी है। उदाहरणार्थ, काम के बदले अनाज की जो योजनाएं चालू की गई हैं उनमें लिमिटेड काम दिया जाता है जबकि अकाल असीमित है। ऐसी स्थिति में यदि वहां पर नान-प्लान स्कीम्स को चालू नहीं किया गया तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। अकाल राहत के लिए जो पैसा मंजूर हुआ है वह बहुत कम है और उससे काम चलने वाला नहीं है। 1967-68 में भी जो अकाल आया था वह भी इतना ही भीषण था और उस समय तकरीबन 30 लाख लोगों को

मजदूरी दी गई थी जबकि आज सरकार की नीयत केवल 6 लाख लोगों को ही रोजगार देने की है।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय गांवों में जो कार्य कराए जा रहे हैं वह ग्राम-पचायतों के माध्यम से कराए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि जो सरपंच लोकदल या जनता पार्टी के हैं उनकी मान्यता है कि हरिजनों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिए अत: वे काम करने के इच्छुक हरिजनों के सामने पानी का लोटा रख देते हैं और कहते हैं कसम खाओ, अगर कांग्रेस को वोट दिया है तो घर चले जाओ और अगर लोकदल और जनता पार्टी को वोट दिया है तो काम पर लगा देंगे। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से काम लेने के बजाय राज्य सरकार सीधे उनको काम पर लगाए तभी उनको कोई राहत मिल सकती है। गांवों में गरीब लोग हरिजन ही विशेषकर गरीब होते हैं और उन्हीं के साथ दुर्भाव किया जा रहा है। (व्यवधान) मैं फैक्ट्स के साथ यह बात कह रहा हूं। जिला टोंक में ही एक गांव है, चार पांच गांव और भी हैं जहां से आकर लोग शिकायतें करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि तत्काल इसका कोई उपचार किया जाए।

श्रीमान्, चूंकि समय आप ने बहुत कम दिया है, इसलिए मैं अपनी बात को सीमित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं। मैं टोंक जिले से चुनकर आया हूं, मेरे क्षेत्र में बीसलपुर बांध का मामला बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन उसका काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। कई बार योजनायें बनीं, रुपया मन्जूर हुआ, लेकिन पता नहीं मामला कहां उलझ जाता है। इरिगेशन वाले कहते हैं कि इसको पेयजल के लिए काम में लाया जाना है, इसलिए हम इसमें क्यों पैसा लगायें। वे लोग यह बात नहीं समझते हैं कि पैसा सब मिला कर सरकार लगाती है, वे अपने घर से उसमें लगाने के लिये पैसा नहीं लाते हैं। गर्मी का मौसम आ रहा है। इस मौसम में अजमेर, बियावर, किशनगढ़ और नसीराबाद में ऐसी एक्यूट पोजीशन आ कर खड़ी हो जायगी, जिसका समाधान मुश्किल हो जायगा। अकाल अभी हमारे सामने आ चुका है। पहले भी ऐसी स्थिति आ चुकी है, हमको पीने के पानी के लिये टैंकरों को भेजना पड़ा था। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब तक यह बांध नहीं बनेगा, वहां पर पीने के पानी की स्थिति नहीं सुधरेगी और न कृषि व्यवस्था में सुधार हो पायेगा।

मेरा सुझाव है—यदि इरिगेशन वाले यह समझते हैं कि यह योजना केवल पेयजल के लिये है, तो आप उसको पेयजल के लिये ले लीजिए हम को चम्बल का पानी दे दीजियेगा। हमारा जितना क्षेत्र पानी की सप्लाई के लिये आंका गया था, उसके अनुसार करीब 50 हजार हैक्टेयर का अनुमान है, इतने एरिये में पानी दिया जा सकता है, फिर भी यदि आप उस योजना से पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं तो आप करें, लेकिन मेरा एक आल्टरनेटिव सुझाव यह है कि जयपुर को यदि पानी देना है तो आप वहां से नैचुरल रिसोर्सेज काम में लायें फिर, भी जयदा पानी की जरूरत पड़ती है तो हरिपुरा में बांध बनाकर वहां पानी ले जाया जा सकता है। हरिपुर बांध का जो कैचमेन्ट एरिया है, वह 1500 मील का है, वहां से जयपुर पानी दिया जा सकता है।

मैं जिस जिले से यहां आया हूं, वहां रेल लाइन नहीं है। इसी कारण वह क्षेत्र पूरी तरह से पिछड़ा हुआ क्षेत्र बनकर रह गया है। इसके लिए कई बार यहां सदन में प्रश्न

उठाया गया। पिछले सदन में जब यह प्रश्न उठाया गया, तो तत्कालीन रेल मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया था कि अगले सेशन के अन्दर इसका काम चालू किया जायगा। मेरा निवेदन है कि उस आश्वासन के तेहत हमारे क्षेत्र को रेल्वे लाइन से जोड़ा जाय। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि सवाई माधोपुर से अजमेर के लिये डायरैक्ट लाइन निकाली जाय, क्योंकि वहां से मीटर-गेज और ब्राड-गेज का जो रास्ता है, वह बहुत शार्ट हो जायगा। माननीय अध्यक्ष जी मैं वित्त मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

पूरे देश के अन्दर हरिजनों पर एट्रासिटीज के मामले सदन के सामने आये हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन अत्याचारों में किसी तरह की कोई कमी नहीं हो रही है। पिछले दो-तीन सालों में लोगों के मन बहुत खराब हुए हैं उसके अन्तर्गत इन अत्याचारों में तेजी आई है। उदाहरण के तौर पर 24-2-1980 को भरतपुर जिले के कुम्भा गांव में हरिजनों पर हमला किया गया। हमला करने वाले लोकदल के लोग थे, जिन्होंने गोलियां चलाईं, दो आदमी मर गये और कुछ लोग घायल हो गये। आज तक उन को नहीं पकड़ा गया, वे पुलिस से मिल गये हैं। वे बहुत पावरफुल लोग हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, इसी कारण उनको नहीं पकड़ा जाता है। जनता पार्टी के रिजीम में जो सबसे बड़ी घातक बात हुई, वह यह थी कि राजस्थान के अन्दर हमने 30-35 साल तक जिन सामान्तों का मुकाबला करके शान्त किया गया था, वे फिर से पुनर्जीवित होकर खड़े हो गये हैं। गांव-गांव में बन्दूक लिये घूमते हैं, जन-जीवन असुरक्षित हो गया है। पिछले चुनाव के समय जब 3 जनवरी को वोट पड़ रहे थे, उसके पहले 31 दिसम्बर को एक हरिजन को इसलिये मार दिया गया कि उसने अपने घर पर कांग्रेस(आई) का झण्डा लगा रखा था।

इस समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक कि इन लोगों के पास से ले कर सरकार के पास न जमा करवा दिये जाएं।

एक बात में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि हरिजनों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। मेरा निवेदन यह है कि लोग जात-पात के अन्दर विश्वास नहीं करते हैं, उन लोगों के जिम्मे इस काम को रखा जाए अन्यथा हम इस समस्या का समाधान करने में सफल नहीं होंगे। मेरा कहना यह है कि एक विशेष व्यवस्था इन लोगों के लिए की जाए और जिस घटना का मैं ने जिक्र किया है, उसके जो मुल्जिम हैं, उन लोगों को तत्काल गिरफतार कराया जाए क्योंकि उन लोगों में आतंक का वातावरण बना हुआ है। वे दिल्ली के अन्दर पड़े हुए हैं और वे अपने घरों को वापस नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनसे वहां की उच्च जाति के लोगों ने यह कहा था कि अगर वापस आए, तो हम देखेंगे। आप ऐसी व्यवस्था को जिससे वे वापस लौटकर अपने घरों को जाएं और फिर से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन तमाम मुल्जिमों को गिरफतार कराया जाए जो आतंक फैला रहे हैं और जो इस घटना के लिए जिम्मेवार हैं।

इतना कहकर में समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक जो माननीय सदस्यों ने राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की है, उससे मैं अपने आपको जोड़ते हुए कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

हिन्दुस्तान के जितने राज्य हैं, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, तो राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है। राजस्थान का क्षेत्रफल कुल हिन्दुस्तान के क्षेत्रफल के मुकाबले में लगभग 11 प्रतिशत है और इसके मुकाबले में राजस्थान की आबादी केवल 4.7 प्रतिशत है। अगर क्षेत्रफल और आबादी के अनुपात को देखा जाए, तो अपने आप में राजस्थान की तस्वीर किस प्रकार की आती है, इसको साफ करने के लिए यह काफी है। यह बात सच है कि राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है, उसका लगभग 55 प्रतिशत क्षेत्रफल केवल रेगिस्तान से घिरा हुआ है। जहां 55 प्रतिशत रेगिस्तान है, वहां लगभग 25 और 30 प्रतिशत क्षेत्रफल पहाड़ों से घिरा हुआ है। मैदानी इलाका राजस्थान के अन्दर बहुत कम है लेकिन इसका तात्पर्य वह नहीं है कि राजस्थान के अन्दर विकास की क्षमता नहीं है। मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार ने जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों को विकसित किया है, अगर राजस्थान की सम्पदा को देखा जाए, तो वह किसी अन्य प्रदेश की सम्पदा से पिछड़ा हुआ नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में अगर खनिजों और मिनरल्स को देखा जाए, तो आज बिहार के बाद राजस्थान अपना स्थान क्लेम कर सकता है और वह दूसरे नम्बर पर आता है। वहां पर खनिजों के भण्डार भरे पड़े हैं। आज राजस्थान के अन्दर कोपर, जिंक, लेड, संगमरमर और सीमेंट बनाने के लिए लाइम स्टोन भरा पड़ा है और अभी जो जियोलाजीकल सर्वे हुआ था उसके अनुसार राजस्थान के अन्दर मिनरल्स के भंडार 8 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक के भंडार हैं। राजस्थान पशुधन की दृष्टि से भी अगर देखा जाए, तो किसी भी प्रान्त की अपेक्षा पीछे नहीं है बल्कि जो नसलें राजस्थान में हैं चाहे वे बैल हों, गाय हों या भेड़ हों, उनके मामले में राजस्थान किसी भी प्रान्त से पीछे नहीं है। आज यहां पर ऊन जो पैदा होता है, हिन्दुस्तान के अन्दर जितना ऊन पैदा होता है, उसका 60 प्रतिशत केवल राजस्थान के अन्दर है।

इतनी सम्पदा हमारे पास है, मिनरल्स इतना अधिक हमारे पास, ऊन की इतनी ज्यादा पैदावार करने की सम्पदा हमारे पास है, फिर भी राजस्थान अन्य प्रदेशों के मुकाबले में आगे नहीं बढ़ पाया है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की माली हालत क्या है, वहां की गरीबी हालत क्या है ? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी सम्पदा होने के बाद भी माली हालत, पर केपिटा इनकम की दृष्टि से हमारी हालत अन्य प्रदेशों के मुकाबले में बहुत पीछे है। सारे देश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वालों का औसत 42.46 प्रतिशत है जबकि राजस्थान के अन्दर जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनका प्रतिशत 56.30 है। इसमें भी सबसे भयानक स्थिति है खेतिहर मजदूरों की। जो खेतिहर मजदूर राजस्थान में विलो पावर्टी लाइन का जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनका प्रतिशत 81 है। जो छोटे किसान गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनका राजस्थान में 58 प्रतिशत है।

जहां हमारे देश का पर केपिटा नेशनल एवरेज 850 रुपये वार्षिक है, वहां राजस्थान में प्रति व्यक्ति औसत आय केवल 750 रुपये वार्षिक है। यह सब कैसे हुआ ? क्योंकि राजस्थान का विकास उतना नहीं हुआ जितना कि अन्य प्रदेशों का हुआ। यह ठीक है कि हमारी भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी रही है जिसके कारण हमारे यहां अकाल रहता है। लेकिन जहां यह कारण है वहां यह भी कारण है कि योजनाओं की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आजादी के 30-32 साल निकल जाने के बाद भी उस तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया गया।

राजस्थान कितना पीछे पड़ा हुआ है, उसके आंकड़े जरा, उपाध्यक्ष महोदय देखे जाएं। राजस्थान में शिक्षा की अन्य प्रदेशों के मुकाबले में क्या स्थिति है ? भारत में शिक्षित व्यक्तियों में राजस्थान का 20वां स्थान है। राजस्थान में सौ में से केवल 19 इंसान ही शिक्षित कहे जा सकते हैं। इस पिछड़ेपन में केवल जम्मू कश्मीर राज्य ही हमसे आगे है अन्य सभी प्रदेश हमसे पीछे हैं। अर्थात् शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान केवल जम्मू कश्मीर राज्य से ही आगे है, वाकी सभी प्रदेश हमसे आगे हैं।

राजस्थान में सड़कों की हालत पर दृष्टिपात किया जाए। राजस्थान का सड़कों की दृष्टि से भारत में 18वां स्थान है। राजस्थान में प्रति सौ किलोमीटर पर केवल 14.6 किलोमीटर सड़कें हैं जवकि भारत में सड़कों का सौ किलोमीटर पर 37 किलोमीटर औसत है।

इसी प्रकार ग्रामीण विद्युतीकरण में भी राजस्थान कीं स्थिति को देखें। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में भी राजस्थान का 15वां स्थान है। वहां केवल 22 प्रतिशत गांवों में ही विद्युतीकरण हुआ है।

राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र 17 प्रतिशत मात्र है। अर्थात् वहां की 17 प्रतिशत भूमि को ही सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। इसी कारण राजस्थान विकास की दृष्टि से सारे प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है। यह ठीक है कि राजस्थान में रजवाड़े बहुत अधिक थे और वहां पर फेमीन की स्थिति बनी रही। लेकिन इसमें इन 30-32 सालों में केन्द्र से जितनी सहायता विकास के लिए राजस्थान को मिलनी चाहिए थी, उसके न मिलने का भी कारण रहा है। भारत सरकार ने विकास पर कुल खर्च की गई राशि का केवल 2.11 प्रतिशत राशि ही राजस्थान को विकास के लिए दी है। सेन्ट्रल असिसटेंश के मामले में राजस्थान की वहुत उपेक्षा की गई है। सेन्ट्रल फाइनेंशयल इंस्टीच्युशंस ने केवल 2.49 प्रतिशत राशि ही राजस्थान में इन्वेस्ट की है जवकि वहां सारे देश की 4.7 प्रतिशत आबादी है।

इन सबको देखते हुए आने वाले दिनों में इतिहास केन्द्र को कभी माफ नहीं करने वाला है। राजस्थान की सेन्ट्रल असिसटेंश के मामले में वहुत उपेक्षा हुई है। राजस्थान को भारत सरकार ने जो असिसटेंश दी है वह बहुत कम दी है। पब्लिक सेक्टर में लगी कुछ राशि का केवल 2.2 प्रतिशत ही वहां इन्वेस्ट किया गया है। सेन्ट्रल फाइनेंशयल इंस्टीच्युशंस ने भी केवल 2.49 प्रतिशत राशि वहां इन्वेस्ट की है।

पब्लिक सैक्टर की स्थिति यह है कि इने गिने पब्लिक सैक्टर के कारखाने वहां लगाए गए हैं। जितना इनवैस्टमेंट पब्लिक सैक्टर के अन्दर देश में किया गया है उसका राजस्थान में केवल 2.2 प्रतिशत ही किया गया है। राजस्थान की आबादी 4.7 प्रतिशत है, क्षेत्रफल हिन्दुस्तान का

11 प्रतिशत है। लेकिन इतना होते हुए भी केवल 2.2 प्रतिशत रुपया ही पब्लिक सैक्टर के लिए आपने राजस्थान पर खर्च किया है। क्या इतना सा योगदान करके केन्द्रीय सरकार राजस्थान का विकास कर सकती हैं, हमारे पिछड़ेपन को दूर कर सकती है, अकाल की छाया से हमको बचा सकती है ? इस साल ही नहीं हर साल वहां अकाल की छाया पड़ती है। इस साल तीस हजार गाँव अकाल से पीड़ित हैं। कितनी आवादी होगी इन गांवों की इसकी एक भयावह तस्वीर अभी माननीय सदस्य ने आपके सामने पेश की है। अकाल उस प्रदेश का एक परमानेंट फीचर है। मैं चाहता हूं कि अकाल राहत कार्यों के लिए समुचित मात्रा में पैसा राजस्थान को दिया जाना चाहिए और यह सारा पैसा प्लान से बाहर रखकर उसको दिया जाना चाहिए।

राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, इसकी भी एक और मिसाल मैं पेश करना चाहता हूं। सेंट्रल असिस्टेंस गाडगिल फार्मूले को आधार बना कर दी जाती है। यह फार्मूला पापुलेशन को आधार बनाकर चलता है। अगर राजस्थान जैसे पिछड़े हुए राज्य को आप इस आधार पर सहायता देंगे तो वह कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा, उसका पिछड़ापन कभी भी दूर नहीं हो सकेगा। इस आधार पर तो साठ परसेंट रिलीज केवल पापुलेशन के आधार पर बड़े-बडे और घनी आबादी वाले प्रदेशों के पास चली जाती है। इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि इस फार्मूले को आप रिव्यू करें और पापुलेशन के बजाय क्षेत्रफल तथा उसके पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर दें। उन सब के अनुपात को देखकर और गाडगिल फार्मूले को रिव्यू करके सेंट्रल असिस्टेंस दी जानी चाहिए।

राजस्थान के कितने जिले हैं सभी विकास की दृष्टि से, औद्योगीकरण की दृष्टि से बैक्वर्ड हैं और किसी जिले को चुनकर बैक्वर्ड न घोषित किया जाए, बल्कि सभी जिलों को बैक्वर्ड घोषित किया जाए ताकि वहां पर कारखानों को एट्रेक्ट किया जा सके।

वर्ल्ड बैंक से जो आपको लोन मिलता है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उसका केवल सत्तर प्रतिशत रुपया ही सेंटर स्टेट्स को रिलीज करता है। इसके पीछे क्राइटीरिया क्या है, तर्क क्या है यह बताया जाना चाहिए। वह सारे का सारा रुपया रिलीज किया जाना चाहिए स्टेट्स को और उन्हीं कंडीशंज पर किया जाना चाहिए जिन पर वर्ल्ड बैंक ने कंसर्ड स्टेट को किसी प्राजैक्ट के लिए वह रुपया दिया हो। जब तक आप यह नहीं करेंगे, राजस्थान जैसी स्टेट जो पिछड़ी हुई है, उसका पिछड़ापन दूर नहीं हो सकेगा, वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकेगी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब तक राजस्थान अन्य प्रदेशों के मुकाबले में आकर बराबर खड़ा न हो जाए तब तक कितनी धनराशि राजस्थान को चाहिए वह वह दी जानी चाहिए। जो पहले से एडवांस्ड स्टेट्स, हैं, जो पहले से तरक्की कर गई हैं, राजस्थान से आगे बढ़ गई हैं, उनकी रिलीज को बन्द करके वह पैसा राजस्थान को दिया जाना चाहिए और तब तक दिया जाना चाहिए जब तक राजस्थान उनके बराबर न आ जाए।

मैं आलोचना करना नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि बजट के अवसर पर यह बताऊं कि जनता सरकार ने क्या किया और कांग्रेस सरकार ने क्या किया। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात करना एक छोटी बात होगी, घिनौनी बात होगी और इसमें मैं पड़ना नही चाहता हूं। इसको तो आने वाला इतिहास ही लिखेगा कि राजस्थान के अन्दर जनता सरकार ने केवल ढाई

साल में क्या कुछ किया है। वहां पर जो अन्त्योदय योजना शुरू की गई है उसके अन्तर्गत राजपूतों को या ब्राह्मणों को नहीं लिया गया है बल्कि 5 परसेंट लोएस्ट फैमलीज इन ए विल्लेज को ही लिया गया है। गरीब परिवार, छोटे से छोटे परिवार, निर्धन परिवार, जो जिन्दा नहीं रह सकते ऐसे पांच-पांच परिवारों को राजस्थान के अन्दर राजस्थान की सरकार ने चुना और हमें गर्व है कि राजस्थान के अन्दर ढाई लाख परिवारों को केवल एक साल के अन्दर इस समूची योजना के अन्दर लाकर अपने पैरों पर खड़ा किया गया है।

फूड फौर वर्क की आलोचना की गई। मैं कहना चाहता हूं कि काम के बदले अनाज योजना ने राजस्थान का नक्शा बदल दिया है। एक एक गांव के अन्दर स्कूल, धर्मशालायें, अस्पताल, सड़कें, खरंजे और कुओं का निर्माण हुआ है। यह हो सकता है कि कहीं कोई गड़बड़ी हो, लेकिन यह कहना कि सारी पंचायतें और सरपंच बेइमान हैं, यह उचित नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप ? क्या आपका लोकतंत्र के अन्दर विश्वास नहीं है, डेमोक्रेटिक सैट अप में विश्वास नहीं है। मैं पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर खामियां हैं तो वह दूर की जाएं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जो फेमीन के कार्य अभी तक राजस्थान का अन्दर पंचायतों के द्वारा कराया जा रहा है क्या उस काम को अब पंचायतों से छीन लिया गया है ? यदि हां, तो मैं समझता हूं कि इससे अधिक लज्जा की बात राजस्थान के लिए और केन्द्रीय सरकार के लिए और कोई नहीं हो सकती है। मेरी मांग है कि जो फूड फौर वर्क की योजना राजस्थान के अन्दर चालू की गई है उसको चालू रहना चाहिए ताकि राजस्थान का विकास हो सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बिरधी चन्द जैन (वाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट प्रस्तुत किया गया है उस सम्बन्ध में मैं अधिक न कहकर कुछ समस्याओं के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं चुना गया हूं वह वाड़मेर और जैसलमेरनिर्वाचन क्षेत्र है जो दुनिया का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, और क्षेत्रफल में केरल प्रान्त से ढाई गुना बड़ा है। अभी माननीय गोयल जी कह रहे थे गाडगिल फौरमूले के बारे में। मेरा निवेदन है कि इसके अन्तर्गत अगर सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है तो हमारे वाड़मेर और जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र का हुआ है। कल मैंने पीने के पानी के बारे में प्रश्न पूछा था। इस ओर वाड़मेर और जैसलमेर की तरफ सबसे कम ध्यान गया है। वहां आज स्थिति यह है कि 10,10 मील से लोगों को पानी लाना पड़ता है। महिलाओं को चार मील पानी लाने के लिए जाना और चार मील वापस लौट कर आना पड़ता है। मतलब यह कि परिवार का एक आदमी केवल पीने का पानी लाने के लिए लग जाता है। राजस्थान की सरकार ने 33,000 गांवों से 24,000 गांवों की समस्याप्रद बताया जबकि मेरे सवाल के जवाब में केन्द्रीय सरकार ने केवल 4,000 गांव ही समस्याप्रद माने। इसका परिणाम यह होता है कि हम आर्थिक सहायता से वंचित हो जाते हैं, हमें राशि का मिलती है। 60 करोड़ रुपया जो सेन्ट्रल वजट में पीने के पानी के लिए ऐलोकेटेड है उसमें से 3 करोड़ रुपया केवल हमको मिलता है। आप बतायें कि इतने कम धन से किस प्रकार हमारी पीने के पानी की समस्या हल होगी ? किस प्रकार से हम 5 वर्ष के अन्दर पीने के पानी की समस्या को हल कर सकेंगे ? समझ में नहीं आता। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्रों के लिए यह सोचना पड़ेगा कि

जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि पिछड़ेपन और क्षेत्रफल को आधार समझ करके सभी सेन्टूली स्पान्सर्ड स्कीमों के लिए आपको धनराशि देनी चाहिए तभी हमारा विकास हो सकेगा।

आप हमसे आशा करते हैं कि डिफेंस के मामले में हम प्रहरी होकर काम करें। हमारी सीमा से पाकिस्तान लगा हुआ है। आप चाहते हैं कि हमारा मौरेल बूस्ट हो। लेकिन दूसरी तरफ हमारी स्थिति यह है कि हमेशा हर योजना में हमारी अवहेलना की जाती है। जैसलमेर क्षेत्र में अभी कह दिया गया, 1963 से लेकर के करीब 10,12 वर्ष तक यह कह दिया गया कि आयल और नेचुरल गैस कमीशन ने कोशिश की और उस क्षेत्र में गैस प्राप्त होने की बहुत ही गुंजाइश है। जबकि पास में ही पाकिस्तान में सुई क्षेत्र में गैस मिली है, हमारे क्षेत्र में भी गैस मिलने की काफी सम्भावना है। परन्तु राजनीतिक कारणों से, जो पहले केन्द्रीय मंत्री थी उस वक्त, उन्होंने उस कार्य को बन्द करके पीलीभीत पहुंचा दिया।

इस प्रकार से आज अगर हमारे क्षेत्र में आयल निकलता है और गैस उपलब्ध होती है तो हमारा क्षेत्र विकसित हो सकता है और उसके विकसित होने की संभावना है, परन्तु पोलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारणों से हमारा क्षेत्र अविकसित है। अभी हमारे माननीय सदस्य श्री डागा कह रहे थे कि हमारे राजस्थान का कोई भी मैम्बर कैबिनेट स्तर का मंत्री नहीं बनाया गया है। यहां के कैबिनेट में राजस्थान के किसी मैम्बर को मंत्रि-मण्डल का सदस्य नहीं बनाया जाता, केवल श्री राजबहादुर जी पिछले वर्षों में कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे। उनके अलावा किसी को भी कभी कैबिनेट स्तर का मंत्री नहीं बनाया गया यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

हमारे यहां डीज़ल और पैट्रोल की जो कमी है, उसको हमारा जैसलमेर क्षेत्र पूरा कर सकता है। वहां पर जो सर्वेक्षण हो रहा था, उसको अधूरा छोड़ दिया गया है। उस सर्वेक्षण को अगर पूरा किया जाये, तो यह कमी दूर हो सकती है।

अकाल के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि बाड़मेर और जैसलमेर में जो अकाल की भीषण स्थिति है, वैसी हिन्दुस्तान के और किसी क्षेत्र में नहीं है। आज स्थिति इस प्रकार की है कि बहुत कम मजदूर काम पर लगे हुए हैं। उनको भी जो पेमेंट होता है वह भी दो-दो महीने बाद होता है। उस पेमैंट में भी 50 और 75 परसेंट तक डिडक्शन की जाती है। जिनके साथ ऐसा किया जाता है, उनकी क्या स्थिति होती है, यह आप जान सकते हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि वह इस समस्या पर गौर करें।

हमने 1967-68 में भी निवेदन किया था कि हमारे जिले में भी कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं हो रहा है, कोई इरिगेशन का वर्क नहीं हो रहा है। वहां कोई भी प्रोडक्टिव वर्क अगर करना चाहे, तो कोई भी गुंजाइश नहीं है। मैंने पहले भी विधान-सभा में निवेदन किया था और अब फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां 15 रुपये प्रतिव्यक्ति प्रति माह आप दे दीजिए जिसमें आधी सब्सीडी हो और आधा लोन हो और लोन विद्आउट इन्ट्रेस्ट हो। पहले 1967-68 में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई थी, उससे ही लोग बचे थे। अगर यह व्यवस्था नहीं करेंगे तो लोग भूखे मरेंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आगे जो विधान-सभा के चुनाव आ रहे हैं, इनमें भी कांग्रेस (आई) को बहुत कठिनाई आयेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि इस समस्या का निदान तुरन्त कर दिया जाये।

श्री मनफूल सिंह चौधरी (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्तमंत्री महोदय ने जो राजस्थान का बजट रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं आपकी मार्फत राजस्थान की कुछ समस्याओं की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

राजस्थान के अन्दर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और कुछ हिस्सा गंगानगर का ऐसा है जिसके अन्दर पशुधन बहुत अधिक है और अकाल में सबसे ज्यादा पशुधन मारा जाता है। अकाल की परमानैन्ट समस्या को हल करने के लिये मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। पहले भी हमारी कांग्रेस सरकार ने 2,3 लिफ्ट योजनाएं तैयार की थीं उसके अन्दर यह एक योजना थी लूनकरनसर लिफ्ट योजना, वह पूरी करली गई, इसके अलावा तीन योजनाएं और हैं और उनका सर्वे भी हो चुका है वे हैं एक कोलायत योजना, एक नागौर योजना और एक चूरू योजना, यह तीनों पूरी नहीं की गईं और इनका काम जनता सरकार ने बन्द कर दिया था। अगर यह तीनों योजनाएं पूरी हो जायें, तो मैं समझता हूं कि रेगिस्तान का सबसे ज्यादा हिस्सा इनमें कवर हो जाता है और आधे राजस्थान का अकाल इन तीन योजनाओं को पूरा करने के बाद समाप्त हो सकता है। ये तीन लिफ्ट योनजाएं पूरी हो जायें तो राजस्थान का अकाल खत्म हो सकता है।

(श्री शिवराज पी० पाटिल पीठासीन हुए)

बीकानेर जिला, जैसलमेर जिला और कुछ हिस्सा गंगानगर जिले का है इसके अन्दर राठी नस्ल की बहुत अच्छी गायें होती हैं जो हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा मशहूर गायें मानी जाती हैं। इस वर्ष जो अकाल पड़ा है जिसके कारण चारे की भारी कमी पड़ गई है, और वहां का किसान बहुत कमजोर हो गया है, इसकी वजह से वहां की राठी नस्ल की गायें खत्म होती जा रही हैं। वह गायें दूर नहीं जा सकती हैं, इसलिए उनके लिए उसी जगह चारे का इन्तजाम किया जाय तो वह नस्ल राठी बचायी जा सकती है। संवत 1925 का जो अकाल पड़ा था उसमें एक गाय के लिए सौ रुपया सरकार ने ऋण (कर्जा) दिया था। उस ऋण का एक पैसा भी आज बाकी नहीं है, सारा अदा कर दिया गया है। मैं यह सुझाव वित्त मंत्री जी को देना चाहता हूं कि आज चूंकि चारा, नीरा, ग्वार और दाना वगैरह सब मंहगा हो गया है, इसलिए उस राठी नस्ल की गाय को बचाने के लिए जिसका दूध दिल्ली के अन्दर भी लोग पीते हैं, सौ रुपये प्रति गाय जो पहले दिया था उसके बजाय कम से कम तीन सौ रुपये प्रति गाय उस किसान या पशुपालक को दिया जाय तो वह राठी नस्ल की गाय बच सकती है। इसी तरह से वहां चारा पहुंचाने की बात रेल के मार्फत पहुंचाएंगे तो पहली बात तो यह है कि रेलवे अभी तक कंसेशन नहीं दे रही है चारा नीरा वगैरह पहुंचाने के लिए। जैसलमेर और बीकानेर में जो चारा पहुंचाने की बात है तो वह पंजाब से, हरियाणा से और गंगानगर से लाते हैं, उसमें उनको चारा पहुंचाना बहुत कठिन है और खर्च भी बहुत पड़ता है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह जो चारा वहां पहुंचाया जाय उसमें पशुपालन को चारे की सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी चाहिए और सब्सिडी के अलावा सरकार ट्रकों का भी इंतजाम करे जाय जिससे कि चारा आसानी से साइड पर पहुंच जाय और आसानी से उनको मिल जाय। एक सुझाव और देना चाहता हूं कि गाय का सबसे

ज्यादा जो खाद्य है वह है ग्वार। उस ग्वार का आज एक्सपोर्ट हो रहा है, वह फैक्ट्रियों में जा रहा है। यह ग्वार गाय का ऐसा खाद्य पदार्थ है कि चार सेर दूसरे दाने के बदले एक सेर ग्वार अगर दिया जाय तो वह उसके मुकाबिले में अच्छा है। इसलिए उस ग्वार का एक्सपोर्ट तुरंत बन्द कर दिया जाय।

नहरों के सिलसिले में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। गंगानगर जिले के अन्दर बहुत नहरें हैं—राजस्थान कैनाल, भाखड़ा, कैनाल, गंग कैनाल। राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में वह निवेदन करना चाहता हूं कि इन तीन वर्षों में जब से कि जनता सरकार आई, एक इंच भी वह कैनाल आगे नहीं बढ़ी। कोई भी एक अध्ययन दल बैठाकर उसका अध्ययन किया जा सकता है। उससे पता लगेगा कि राजस्थान कैनाल जो वहां की मैन कैनाल है जिस पर राष्ट्र की इतनी बड़ी धनराशि लगी हुई है, उसके अन्दर घास खड़ी है और पानी चलने की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। एक हमारी लिंक कैनाल बनी थी राजस्थान कैनाल से भाखड़ा में पानी डालने के लिए। लेकिन आज पांच साल से वह बन्द है। उसके अन्दर पानी नहीं चला है। आज क्योंकि बरसात नहीं हुई, डैम्स के अन्दर पानी नहीं है, उसके कारण भाखड़ा कैनाल का जो एरिया है वह अकाल से बहुत बुरी तरह प्रभावित है। एक तरह से नहरी इलाका होते हुए भी वहां अकाल पड़ गया है क्योंकि बरसात नहीं हुई है। इसलिए राजस्थान कैनाल से जो लिंक कैनाल करोड़ों रुपये लगाकर बनी थी और जो बन्द पड़ी है उसके अन्दर पानी डालना चाहिए, यह मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, भारत सरकार के वित्त मंत्री महोदय ने 34 करोड़ घाटे का राजस्थान बजट सदन के सामने पेश किया है। यह सही है कि राजस्थान पिछड़े हुए राज्यों में है, वहां पर बहुत गरीबी, बेकारी और अशिक्षा है। इन बुराइयों को दूर करने के लिए साधनों की आवश्यकता है। वहां पर साधन की सामग्रियां रहते हुए भी साधन जुटाने में कांग्रेस की सरकार भी असफल रही है और जनता पार्टी की सरकार भी असफल रही। मैं शराबबन्दी का विरोधी नहीं हूं, शराब पीने वालों का बड़ा विरोधी हूं लेकिन शराबबंदी करके जो एक अव्यावहारिक काम आपने किया है वह भी आपकी आय की कमी का एक कारण है। व्यवहार में तो शराववन्दी होती नहीं, लोग धड़ल्ले से गैर-कानूनी तरीके पर शराब पीते हैं लेकिन राज्य के साधन में कमी आ जाती है। साधन में कमी आने का एक दूसरा कारण यह है कि पिछली सरकार ने बड़े-बड़े व्यापारियों के लिए सेल्स टैक्स में छूट दे दी।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) ! आप प्रोहिबिशन के समर्थक हैं या नहीं ?

श्री रामावतार शास्त्री : प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए क्योंकि यह अव्यावहारिक है—यह बात मैंने कही है। आप लोगों में बहुत सारे लोग ढालने वाले हो सकते हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूं।

यहां पर यह बात ठीक कही गई कि राजस्थान खनिज सम्पदा से भरपूर है। खनिज

सम्पदा में बिहार के बाद राजस्थान का ही नम्बर आता है। लेकिन खनिज सम्पदा का उपयोग किया जाये, उसको निकालकर आम जनता की खुशहाली में लगाया जाये—यह प्रयास कोई सरकार नहीं करती है। मैं चाहूंगा कि खनिज सम्पदा के विकास के लिए एक निगम, कार्पोरेशन की स्थापना की जाए जिसकी यह जवाबदेही हो कि वह इसको विकसित करे और राज्य की प्रगति में उसको लगावे। जाहिर बात है कि अगर साधन की कमी है तो भारत सरकार आर्थिक मदद दे। यदि राज्य के ऊपर ही छोड़ देंगे तो यह काम चलने वाला नहीं है।

राजस्थान में अकाल भी आता है और बाढ़ भी आती है जिसमें अरबों रुपए की बरबादी होती है। प्राकृतिक प्रकोप के नाम पर इसमें 1,43,52,000 रु० की व्यवस्था की गई है जोकि बहुत कम है, इसको और बढ़ाया जाना चाहिए लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि उसका उपयोग हो, दुरुपयोग न हो। अभी राजस्थान तथा दूसरे प्रदेशों में इस प्रकार की राशि का दुरुपयोग होता है। राजनीतिक नेता, कंट्रैक्टर और निहित स्वार्थ के लोग उसका ज्यादा हिस्सा हड़प जाते हैं। इसको बचाने का प्रयास होना चाहिए। तब आप सही मायनों में मदद दे सकते हैं।

यही बात सहयोग-समितियों के बारे में है। सहयोग समितियों का जाल वहां भी है और दूसरे राज्यों में भी है, उसके लिए 8 करोड़ 79 करोड़ 66 लाख रुपए की व्यवस्था आपने की है। इसका उद्देश्य है कि साधारण किसानों का भला हो, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो गरीब किसान हैं, उनका भला हो, लेकिन होता क्या है? बड़े किसान कुण्डलियां मार कर सहयोग समितियों में बैठ जाते हैं और सारी राशि हड़प जाते हैं, हजम कर जाते हैं। इसको रोकने की आवश्यकता है।

अभी एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि वहां पर मजदूरों को तीन किलो गेहूँ दिया जा रहा है, जिसके विरोध में उनकी हड़ताल चल रही है। काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत मजदूरों को 5 से 6 किलो अनाज दिया जाता है, लेकिन उसके बजाय उन मजदूरों को 3 किलो अनाज दिया जाय—यह कहां का न्याय है? मैं चाहता हूं कि आप तुरन्त इसमें हस्तक्षेप करें ताकि उनकी मजदूरी को बढ़ाया जाय और वह हड़ताल समाप्त हो सके।

राजस्थान नहर की चर्चा लगभग सभी सदस्यों ने की है। इसके लिए कांग्रेस की सरकार भी दोषी थी और जनता पार्टी की सरकार भी दोषी थी। इन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया उस क्षेत्र में जितने बड़े-बड़े किसान हैं, उन्होंने वहां जमीनों पर कब्जा कर रखा है, अतः उनकी इजारेदारी को, उनकी मोनोपोली को तोड़ा जाय। इस नहर योजना को शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए, अन्यथा मरुभूमि ज्यादा बढ़ेगी और सम्भव है वह मरुभूमि बढ़ते-बढ़ते एक दिन दिल्ली को भी अपने बाहों में समेट ले, उस समय बड़ी दयनीय स्थिति हो जायगी। इसलिए राजस्थान नहर का काम ठीक से और जल्दी पूरा होना चाहिये और साथ ही जिन धनी किसानों ने वहां जमीनों पर कब्जा कर रखा है, उनकी मोनोपोली को तोड़ा जाय। यदि आप ऐसा कर सकें, तभी आप वहां के पिछड़ेपन को, वहां की गरीबी को दूर कर सकते हैं।

मैं आप से यह भी निवेदन कर दूं कि मंहगाई, बेरोजगारी, डीजल, किरासन तेल आदि सवालों को ले कर वहां 27 मार्च को एक बड़ा भारी प्रदर्शन होने जा रहा है। सी० पी० आई०, सी० पी० आई० (एम), लोकदल और कांग्रेस (अर्स) के लोग मिलकर यह प्रदर्शन करने जा रहे

हैं। यदि आप ने ये काम नहीं किये तो आपको जन-असंतोष का मुकाबला करना होगा और फिर आपकी कोई बात नहीं चल सकेगी।

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं पहली बार सदन में बोल रहा हूं इस लिए मेरे साथ समय का लिहाज नहीं बरता जाना चाहिए। हमारे राज्य के अनेक संसद सदस्यों ने, जो अलग-अलग स्थानों से चुनकर यहां आये हैं, अपने भाषणों में इस बात को प्रमाणित किया है कि राजस्थान आज तक बहुत उपेक्षित रहा है। राजस्थान के बारे में जो स्टेटिस्टिक्स यहां पर पेश किये गये हैं, उन से सभी सहमत हैं कि जब तक गाडगिल फार्मूला में संशोधन नहीं आयेगा, तब तक राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था कभी अच्छी नहीं हो सकती।

राजस्थान के पिछड़े होने के कई कारण हैं। राजनीतिक कारण हैं, ऐतिहासिक कारण हैं तथा कुछ नैचुरल कैलेमिटीज के अलावा भौगोलिक कारण भी हैं। जहां राजस्थान के अन्दर कुछ विषमताएं हैं, वहां उसकी कुछ विचित्रतायें भी हैं। आर्थिक विषमता तो इतनी ज्यादा है कि शायद किसी भी प्रदेश में नहीं होगी। राजस्थान के अन्दर ऐतिहासिक रूप से देखा जाय तो यह 22 रजवाड़ों का समुदाय है। यहां पर केवल अजमेर और मेरवाड़ा ही ऐसा क्षेत्र था, जिसमें ब्रिटिश इण्डिया के द्वारा शासन होता था। इस लिये हिन्दुस्तान में कोई ऐसा राज्य नहीं हैं जो राजस्थान के समान हो। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, विस्तार की दृष्टि से राजस्थान देश में दूसरा राज्य है। जन-संख्या के अनुसार जैसा बतलाया गया है देश की 4.5 प्रतिशत इसकी जनसंख्या है। एक तरफ राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में रेगिस्तानी टीले हैं और दूसरी तरफ अरावली पर्वतों से आच्छादित आदिवासी क्षेत्र है।

उन दोनों के बीच में जो इतना बड़ा असंतुलन है, उसको मिटाना बहुत ही जरूरी है। क्या आज की सरकार या भूतपूर्व सरकारों ने इस बात को देखा था कि जब तक एरिया प्लान नहीं बनाया जाएगा, तब तक सही माइनों में विकास नहीं हो सकता है। यातायात के मामले में, सड़कों के मामले में, उद्योगों के मामले में राजस्थान पिछड़ा हुआ है और राजस्थान के अन्दर ही कुछ जिले दूसरे जिलों से पिछड़े हुए हैं। उत्तरी जिलों में पानी की डिफीकल्टी होने के बाद भी, मैं यह कह सकता हूँ गांगानगर और जालौर के मुकाबले में हमारे डूंगरपूर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले बहुत पिछड़े हुए हैं। वहां पर आदिवासी रहते हैं और उनका आबादी का घनत्व वहां पर इतना बढ़ा हुआ है कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। शेड्यूल्ड एरिया घोषित होने के बावजूद भी गवर्नर साहब ने उसके बारे में अपना प्रतिवर्ष का प्रतिवेदन राष्ट्रपति जी को बहुत सालों से नहीं भेजा है जबकि इसका प्रावधान संविधान में है और इस तरह से संविधान की जो आवश्यकता है, उसको पूरा नहीं किया गया है। अब आप ही बता सकते हैं कि ऐसे क्षेत्रों के आदिवासियों की क्या स्थिति हो सकती है। उनकी रोज़ी-रोटी का क्या प्रबन्ध है। अभी तक कोई प्रबन्ध उनके लिए नहीं किया गया है, जिसके कारण बहुत से लोग अपना गांव छोड़कर चले गये हैं। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि जिस गांव की आबादी एक हजार थी, यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर, जहां पर एक हजार वोट थे, कहीं तीन वोट पड़े हैं, कहीं पांच वोट पड़े हैं और कहीं दस वोट पड़े हैं इन चुनावों में ऐसा क्यों हैं ? यह इसलिए है कि वहां से लोग बाहर दूसरे प्रदेशों में चले गये हैं, गुजरात प्रदेश में चले गये हैं, मध्य प्रदेश चले गये हैं और जब इस प्रकार का

पलायन हुआ है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर काम शुरु किये जाएं। मैं यह कह सकता हूं कि कांग्रेस के शासनकाल में 1968-69 में और 1975 में जब अकाल पड़ा था, वहां पर लाखों लोगों को मजदूरी पर लगाया गया था लेकिन इस बार जो अकाल पड़ा है, तो वहां पर लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है और वे बाहर चले गये हैं। एक तरफ तो यह स्थिति है और दूसरी तरफ वहां पर पूरी तरह से वसूलयावी की जा रही है। जब अकाल की घोषणा हो गई, तो वह वसूलयावी बन्द की जानी चाहिए, ऐसा मेरा आप से निवेदन है लेकिन वहां पर उस पैसे को वसूल करने के लिए सख्ती बर्ती जा रही है। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि अदालत की जो डिगिरियां हुई हैं, उनको भी उनसे वसूल किया जा रहा है। उनको बन्द किया जाना चाहिए।

अब मैं अपने यहां की कुछ योजनाओं के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां जो जासम, माही, कमला आम्बा, सोमकादर और डाया सिंचाई योजनाएं हैं, इन केलिए उचित प्रावधान करके इनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि हमारे क्षेत्र का विकास द्रुत गति से हो सके।

इसके अलावा एक सुझाव और देना चाहता हूँ। जो कुछ कर्जा फैमिन के नाम से दिया जा रहा है। जैसा कि अभी माननीय सदस्य, कोटा ने कहा है कि यह 2.4 करोड़ रुपए है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। हमारे यहां के गवर्नर साहब ने 100 करोड़ रुपए की मांग की है। क्यों नहीं वहां पर एक स्टडी टीम को भेजते हैं? वह स्टडी टीम वहां पर जाए और सारी स्थिति का जायजा लेकर रुपए देने की सिफारिश करे। मैं खास तौर पर यह कहना चाहूँगा कि वित्त मंत्री उनको निर्देश दें कि वह आदिवासी इलाके में जाए और वहां पर जो लोगों की हालत है, उस पर ध्यान दे।

एक सुझाव और देना चाहता हूँ अभी एडवान्स प्लान एसिसटेंस के नाम से पैसा दिया जा रहा है। एडवान्स, प्लान एसिसटेंस के नाम से जो पैसा दिया जा रहा है, क्या राजस्थान उससे कभी ऊपर उठ सकेगा? 9 अरब रुपए कर्जे के हैं और 75 करोड़ रुपए ब्याज है जबकि आपने जो बजट बनाया है, वह 13 करोड़ रुपए का है। अब आप ही बताइये कि जब 9 करोड़ रुपया कर्जा है और इतना ब्याज है, तो इस बजट से क्या यह राज्य ऊपर कभी उठ सकता है? कैसे उस राज्य का उत्थान हो सकता है। वहां पर खनिजों के भंडार भरे पड़े हैं और सारी चीजों के होने के बावजूद भी, वह राज्य प्रगति नहीं कर रहा है मैं खास तौर से फाइनेन्स मिनिस्टेर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि नये ढंग से राजस्थान का प्लानिंग होना चाहिए और प्लानिंग के जो नाम हैं, उनको बदलकर नये ढंग से प्लानिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : एक महत्वपूर्ण समस्या पर प्रकाश डालना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के लोगों को, जिन्होंने अपने घर-बार को त्यागा, राजस्थान में बसाया गया है। किन्तु वहां हालत संतोषजनक नहीं है और राजस्थान सरकार सबसे पहले उन्हे तंग करने पर उतारू रहती है। यहां तक कि 27,000 परिवारों में से जो विस्थापित हो गए थे। तथा जिन्हें अधिकांशत: बीकानेर जिले में तथा अनुपगढ़ तहसील में बसाया गया, 4500 परिवारों को किसी-न-किसी बहाने उस जमीन से जो उन्हें आबंटित की गई थी, बंचित किया गया है।

अत: मैं अब माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह राजस्थान के लेखानुदान

पेश करें। उन्हें इस समस्या की जांच हेतु भारत सरकार की ओर से एक केन्द्रीय दल भेजना चाहिए। यह एक गम्भीर मामला है। उन लोगों को जिन्होंने राष्ट्र के विकास के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया है, कम महत्व नहीं दिया जाना चाहिए और न ही उन्हें परेशान किया जाना चाहिए। कृपया उस दल के सदस्यों को राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों, राजस्थान और केन्द्रीय सरकार में से लें ताकि इस समस्या का सदा के लिए समाधान हो जाए।

सभापति महोदय : अब, माननीय वित्त मंत्री।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : सभापति महोदय, दुर्भाग्य से राजस्थान सूखे और बाढ़ दोनों से प्रभावित रहा है। पिछले वर्ष इसे बाढ़ का अनुभव हुआ और यह सूखे से भी काफी प्रभावित रहा।

मैं सभा के समक्ष इस विपत्ति से प्रभावित लोगों के दुखों को दूर करने के लिए उपायों से संबंधित आंकड़े रखना चाहता हूं। जहां तक बाढ़ स्थिति का संबंध है, केन्द्रीय सरकार ने 19.9 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया किन्तु इसने वास्तव में केन्द्रीय निधियों में से इसकी 75% राशि अनुदान के रूप में दी है।

जहां तक सूखे की स्थिति का संबंध है, केन्द्रीय सरकार ने 18·75 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया। लगभग 7.74 करोड़ रुपये की सहायता देने के पश्चात् इस संबंध में 16·85 करोड़ रुपये तक की सहायता दी जा सकती है।

इसके अतिरिक्त "काम के लिए अनाज" हेतु सामान्यतः 1·81 लाख टन अनाज दिया जाता है और इस विशेष परिस्थिति का ध्यान रखते हुए 1.05 लाख टन अतिरिक्त अनाज सप्लाई किया गया है। मैं ये आंकड़े यह स्पष्ट करने के लिए दे रहा हूं कि केन्द्र बाढ़ और सूखे की स्थिति से पूर्णतया अवगत रहा है और वह सब कुछ करने के लिए तैयार है जो इन परिस्थितियों में किया जा सकता है। मैं यह आश्वासन भी देना चाहता हूं कि यदि "काम के लिए अनाज" योजना के लिए अधिक सहायता की आवश्यकता पड़े तो राजस्थान केन्द्र सरकार के पास आ सकता है और केन्द्र इस पर सहानुभूति से विचार करेगा।

वर्ष 1980-81 की व्यापक योजना यह है कि इसके लिए 325 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं जबकि वर्ष 1979-80 में 275 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे और अब केन्द्रीय सहायता 115 करोड़ रुपये है। योजना सहायता में वृद्धि की गई है और योजना धन के वंटबारे में भी। इससे यह भी पता चलता है कि प्राथमिकता क्षेत्र पर उचित बल दिया गया है।

उदाहरण के लिए, पानी और विद्युत विकास पर 189·5 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे जो कि कुल आवंटन का 60 प्रतिशत होगा। वास्तव में विश्व बैंक या अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन और अन्तर्राष्ट्रीय सहायता से चल रही सभी परियोजनाओं का पूरा वित्त पोषण किया जाएगा।

मैं अब बहस के मध्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेता हूं। श्री मूलचन्द डागा ने सूखे के लिए धन की व्यवस्था करने को कहा है। जैसा कि पहले कहा गया है कि सरकार ने काम के लिए अनाज और नकद दोनों तरह से काफी सहायता दी है।

मैंने अभी-अभी आंकड़े दिए हैं। प्रतीत होता है कि उन्होंने आंकड़ों को गलत पढ़ लिया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि सूखे से राहत के लिए केवल 7 करोड़ रुपए दिए गए हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य को अन्तर धन राशि उपलब्ध करानी होती है। इस मामले में 7·7 करोड़ रुपए का अन्तर आता है। अतः इसकी व्यवस्था राज्य के बजट में कर दी गई है। शेष धनराशि जैसा कि मैंने कहा है 16 करोड़ रुपये हैं। यह सहायता के रूप में, योजना सहायता के रूप में तथा 1 लाख 5 हजार टन अन्न विशेष रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए दिया गया। श्री डागा ने कहा है कि राज्य ऋण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि केन्द्र के बोझ को कम किया जाए। माननीय सदस्य जानते हैं कि वित्त आयोग की सिफारिशों के अधीन वित्त आयोग द्वारा सिफारिशें देने तक के ऋणों को दो भागों में विभाजित किया गया—कुछ को बट्टे खाते में डाल दिया गया और कुछ को रिशेड्यूल कर दिया गया। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है 45 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए गए और शेष धन को इस प्रकार रिशेड्यूल कर दिया गया कि वर्ष 1979-84 के दौरान 137·98 करोड़ रुपए की राहत मिल सकेगी अर्थात् सातवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान।

इसके अतिरिक्त श्री डागा ने यह कहा है कि शिक्षा के लिए अपर्याप्त व्यवस्था की गई है। जहां तक शिक्षा हेतु आबंटन का प्रश्न है, इसके लिए पिछले वर्ष अर्थात् 1979-80 की तुलना में 10 करोड़ रुपये अधिक की व्यवस्था की गई है। इसे बजट में शामिल किया गया है। इन मामलों में तो मैं पहले ही कहता रहा हूं कि यह आन्तरिक बजट है। यदि राज्य सरकार का गठन होता है और यदि वह आबंटन को बढ़ाया या कम करना या अपनी प्राथमिकताओं का समायोजन करना चाहती है तो वह ऐसा कर सकेगी।

श्री सरन ने सूखे और ऋण की वसूली के कारण निर्धनों को जो कष्ट हुए हैं उसका उल्लेख किया है। जहां तक उन लोगों के राजस्व का संबंध है, जो कि उन्होंने असिंचित भूमि के लिए देना है, उसे रोक दिया गया है। जहां तक सहकारी संस्थाओं के देय ऋण का सवाल है यह अनुरोध किया गया है कि अल्पकालिक ऋणों को मध्यम अवधि के ऋणों में बदल दिया जाएगा लोग एक अवधि में इसे वापस कर सकें। इसी प्रकार मध्यम अवधि के ऋणों को दीर्घनिधि ऋणों में बदला जा सकता है। इससे कपटों को दूर करने में काफी सहायता मिलेगी। श्री सरन ने यह भी कहा है कि राजस्थान में सार्वजनिक निवेश बहुत कम किया जाए। भारत में व्यय किए जाने वाले कुल 15000 करोड़ रुपए में से 219 करोड़ रुपए राजस्थान में व्यय किए जाएंगे। इसमें वास्तव में सुधार की गुंजाइश है और भारत सरकार इसका ध्यान रखेगी।

निर्मला कुमारी शक्तावत ने राजस्थान नहर परियोजना के सम्बन्ध में एक जोरदार भाषण दिया है जिसको उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। वास्तव में वर्ष 1980-81 के लिए बजट प्राक्कलनों में 31 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी परियोजना के लिए 31 करोड़ रुपए काफी नहीं हैं। यह सब इस पर निर्भर करता है कि इसमें से कितने की खपत होती है और यदि कार्य में प्रगति होती है तो धनराशि को बढ़ाया जा सकता है। और अगर बजट में इसका प्रावधान कर दिया जाए और इसे न दिया जाए तो यह बजट में तोड़-मरोड़ करना होगा। यदि काम सन्तोषजनक ढंग से और तेज गति से होता है तो यह सदा सम्भव होता है कि अनुपूरक प्राक्कलनों में इसकी व्यवस्था करके आबंटन में वृद्धि कर दी जाए।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : वित्त मंत्रालय में इस नहर परियोजना हेतु बाहर से धन प्राप्त करने का प्रस्ताव था। विश्व बैंक से 90 करोड़ रुपए और 210 करोड़ रुपये ईरान सरकार से इस परियोजना हेतु प्राप्त हुए थे। किन्तु इस परियोजना में कोई प्रगति नहीं हुई है।

श्री आर० वेंकटरामन : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। मैं इसकी जांच करूंगा और बाद में इसे आपको सूचित करूंगा क्योंकि आपकी इसमें रुचि है।

मैंने आपको बताया है कि यह आवंटन इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है कि इसमें से कितने की खपत हो सकती है और कितना खर्च हो सकता है। इसमें कोई औचित्य नहीं है कि पहले आवंटन कर दिया जाए और बाद में उसे व्ययगत हो जाने दिया जाए। पिछले वर्षों में जिस दर से धन खर्च हुआ है उससे भी यह पता चलता है कि इसके लिए जितने धन की व्यवस्था की गई है उससे अधिक धन खर्च नहीं किया जा सकता।

फिर श्री गोयल ने भी राजस्थान राज्य के संबंध में बड़ा अच्छा भाषण दिया है। वस्तुतः उन्होंने वे सब आंकड़े दिए हैं जिससे राजस्थान के पिछड़ेपन का पता चलता है। मुझे उन दिनों की याद आती है जब हम सब राष्ट्रीय विकास परिषद् में भाग लेने जाया करते थे। श्री सुखाड़िया राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया करते थे और मैं तमिलनाडु का। हम सब वहां जाया करते थे। हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा किया करते थे कि हम एक दूसरे से अधिक पिछड़े हुए हैं ताकि केन्द्र से अधिक सहायता मिल सके। असली मुद्दा यह है कि विभिन्न राज्यों के इस देश में जहां राज्यों की पृष्ठभूमि भी भिन्न हो, ऐसा फार्मूला तैयार करना जो सबको सन्तुष्ट कर सके अत्यन्त कठिन है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल को अंग्रेजों के शासन के दौरान उनके द्वारा किए गए निवेश का लाभ मिला और इस कारण प्रशासन और औद्योगीकरण में उन्होंने काफी प्रगति की। तमिलनाडु और ऐसे ही एक दो अन्य राज्यों ने प्रशासन के क्षेत्र में तो प्रगति कर ली. परन्तु औद्योगिक क्षेत्र में नहीं। परन्तु वे राज्य जो राजाओं की रियासतें थीं, पिछड़ी ही रहीं और मुझे श्री गोयल द्वारा उठाए गए मुद्दों से पूर्ण सहानुभूति है और यह उन दिनों मेरे मित्र द्वारा अधिक प्रभावी ढंग से किया जाता था। स्थिति यह है कि इतिहास के परिणामों को आप रात भर में नहीं बदल सकते। श्री गोयल द्वारा उठाया गया मुद्दा यह है कि गाडगिल फार्मूला स्वीकार नहीं किया जा सकता। परन्तु सभी राज्यों के लिए एक फार्मूला स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इस फार्मूले पर कई बार चर्चा हो चुकी है। और यह केवल वही फार्मूला है जो 1967 या 1968 से स्वीकार्य रहा है और खरा उतरा है। इस फार्मूले के अधीन केन्द्रीय सहायता का 60% जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है, 10% पिछड़ेपन के आधार पर, 10% चल रही योजनाओं के लिए दिया जाता है। अतः यदि आप ऐसा फार्मूला बनाना चाहते हैं जो सभी राज्यों को स्वीकार्य हो तो आपको ऐसा फार्मूला बनाना होगा जिससे वे सब सहमत हों। राजस्थान और अन्य राज्यों को पूरी स्वतन्त्रता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में इस फार्मूले को बदलने की बात करें। परन्तु हमें जहां तक ज्ञान है और अनुभव है ऐसा कोई फार्मूला बनाना कठिन है जो राष्ट्रीय विकास परिषद् के एक बड़े भाग को स्वीकार्य हो। अन्य बातों के साथ-साथ मैं अब भी यह कहता हूं कि केन्द्र सरकार की यह विशेष जिम्मेदारी है कि वह पिछड़े राज्यों की सहायता करे।

मैंने उड़ीसा के बारे में कल भी यही बात कही थी। राजस्थान की भी वही स्थिति है। पिछड़े राज्यों की सहायता करना केन्द्र का विशेष उत्तरदायित्व है और वे ऐसा करें कैसे इस मामले पर राज्यों और केन्द्र के बीच और आगे चर्चा होनी चाहिए। इसका एक रास्ता जो मेरी निगाह में है, वह यह है कि उन क्षेत्रों में केन्द्रीय निवेश में वृद्धि की जाए जिनमें रोजगार के अधिक अवसर हैं तथा जहां विकास की अधिक गुंजाइश है। यदि इसके अन्य ऐसे भी रास्ते हैं जिनके द्वारा इस उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है तो उन पर कभी भी विचार-विमर्श किया जा सकता है। परन्तु मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि केन्द्र राज्यों को उनके सम्पूर्ण सहयोग के साथ आगे लाना चाहता है और केन्द्र यह भी देखना चाहता है कि सभी राज्यों में विकास को उस स्तर पर प्रोत्साहित किया जाए जोकि स्वयमेव राज्यों के लोगों के लिए सही ढंग से संतोषजनक होगा। कुछ राज्यों को पिछड़ा ही छोड़कर कुछ राज्यों में भारी विकास करने का कोई भी प्रयास न तो पूरे राष्ट्र के हित में होगा और न ही विकसित राज्यों के भी हित में होगा। माननीय सदस्यों को उस पुरानी कहावत का तो पता ही है कि कहीं की गरीबी सब जगह की अमीरी को समाप्त कर सकती है। यदि कुछ जगहों पर सम्पन्नता है और बाकी सब जगह विपन्नता व्याप्त है तो वह सम्पन्नता भी नहीं रहेगी। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पिछड़े राज्यों में तीव्र प्रगति के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए जायेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : विश्व बैंक से प्राप्त हुई धनराशि का क्या हुआ ? केन्द्र द्वारा राज्यों को कितना धन वितरित किया जा रहा है ?

श्री आर० वेंकटरामन : श्री गोयल स्वयं जानते हैं कि अब तक तो विश्व बैंक सहायता का केवल 25% ही राज्यों को दिया गया था, उसे बढ़ाकर अब 70% कर दिया गया है तथा इसलिए इस मामले में इस समय कोई संशोधन करने की बात सोचना बहुत जल्दबाजी होगी। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है पिछड़े राज्यों की सहायता करने के अनेक रास्ते हैं। यह एक ऐसा मामला हो सकता है जिस पर आगे विचार-विमर्श किया जा सकता है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि राज्यों को दी जाने वाली सहायता 25% से बढ़ाकर 70% करके एक बड़ा भारी कदम उठाया गया है। अतः अब तक की गई प्रगति को कम से कम संतोषजनक तो मान लिया जाए यद्यपि हम और अधिक की मांग कर सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई है कि आवर्ती अकाल की समस्या का हल सशक्त और दृढ़ आधार पर ढूंढा जाए। माननीय सदस्यों को पता ही है कि राजस्थान में हमने सूखा क्षेत्र राहत कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम चला रखे हैं। आगामी वर्ष अर्थात् 1980-81 के लिए हमने मरुस्थल विकास कार्यक्रम के लिए 11.8 करोड़ रुपये और सूखा क्षेत्र राहत कार्यक्रम के लिए 10.8 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान नहर जैसी अन्य योजनाएं भी हैं जिनके लिए भी जैसा कि मैं बता चुका हूं प्रावधान किया गया है। मेरा विचार है कि मैंने उठाये गए सभी मुद्दों के बारे में सही उत्तर दिया है। मुझे विश्वास है कि अन्य राज्यों के साथ-साथ राजस्थान भी सभी दिशाओं में शीघ्र प्रगति करेगा।

सभापति महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य यह नहीं चाहता कि उसके किसी कटौती प्रस्ताव को अलग से रखा जाए, मैं वर्ष 1980-81 के लिए राजस्थान से सम्बद्ध लेखानुदान की मांगों पर आए सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ ही मतदान के लिए रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए

सभापति महोदय : अब मैं लेखानुदानों की मांगों (राजस्थान) को मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग सं० 1 से 49 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजीलेखा की लेखानुदानों की राशियों से अनधिक राशियां राजस्थान राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1.	राज्य विधान मंडल	23,21,000	..
2.	मंत्री परिषद्	10,79,000	..
3.	सचिवालय	1,08,69,000	..
4.	जिला प्रशासन	2,18,36,000	..
5.	प्रशासनिक सेवाएं	91,97,000	..
6.	न्याय प्रशासन	1,38,31,000	..
7.	निर्वाचन	2,22,37,000	..
8.	राजस्व	3,65,72,000	..
9.	वन	3,24,56,000	..
10.	विविध सामान्य सेवाएं	2,13,000	..
11.	विविध सामाजिक सेवाएं	55,24,000	..
12.	अन्य कर	71,42,000	..
13.	आबकारी	56,64,000	..
14.	बिक्री कर	1,00,15,000	..
15.	पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	6,07,38,000	..
16.	पुलिस	11,90,26,000	..
17.	कारागार	74,41,000	..

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
18.	जन सम्पर्क	28,72,000	..
19.	लोक निर्माण कार्य	8,01,84,000	4,91,30,000
20.	आवास	63,75,000	1,00,62,000
21.	सड़कें एवं पुल	6,81,15,000	5,57,18,000
22.	क्षेत्र का विकास	7,27,26,000	27,00,000
23.	श्रम और रोजगार	19,09,27,000	..
24.	शिक्षा कला एवं संस्कृति	43,80,70,000	1,000
25.	कोषागार व लेखा प्रशासन	72,27,000	..
26.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई ..	18,19,97,000	..
27.	पेय जल योजना	6,13,97,000	6,21,42,000
28.	सूखा आंशकित क्षेत्र कार्यक्रम	3,60,00,000	..
29.	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	1,33,19,000	15 00,000
30.	जन जाति क्षेत्रीय विकास	2,90,50,000	1,82,42 000
31.	पुनर्वास एवं सहायता	9,34,000	34,000
32.	नागरिक आपूर्ति	34,52,000	4,04,000
33.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	4,91,89,000	1,000
34.	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	15,17,11,000	7,000
35.	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	64,76,000	3,67,000
36.	सहकारिता	3,04,22,000	3,09,75,000
37.	कृषि	5,99,36,000	4,86,000
38.	लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	2,56 69,000	47,59,000

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
39.	पशु पालन एवं चिकित्सा	2,52,86,000	7,75,000
40.	राजकीय उपक्रम	48,01,000	81,68,000
41.	सामुदायिक विकास	16,25,26,000	..
42.	उद्योग	1,21,33,000	1,57,87,000
43.	खनिज	3,21,89,000	42,17,000
44.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	1,07,77,000	..
45.	राज्य कर्मचारियों को ऋण	..	4,44,35,000
46.	सिंचाई	17,20,06,000	36,65,65,000
47.	पर्यटन	7,59,000	19,01,000
48.	विद्युत्	1,000	27,21,33,000
49.	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन ..	1,71,48,000	..

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 1979-80 के लिए राजस्थान की अनुदानों की अनुपूरक मांगों को मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ दो में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां राजस्थान राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।

मांग संख्या 1 से 7, 9 से 11, 15 से 22, 24, 26, 27, 29 से 32 और 34 से 48.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	संसद	2,69,000	..
2.	मंत्री परिषद्	2,66,000	..
3.	सचिवालय	32,42,000	..
4.	जिला प्रशासन	20,11,000	..
5.	प्रशासनिक सेवाएं	44,78,000	..
6.	न्याय प्रशासन	3,92,000	..
7.	निर्वाचन	3,09,23,000	..
9.	वन	84,21,000	..
10.	विविध सामान्य सेवाएं	1,96,000	..
11.	विविध सामाजिक सेवाएं	82,76,000	13,97,000
15.	पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	89,46,000	..
16.	पुलिस	3,42,20,000	..
17.	कारागार	5,30,000	..
18.	जन सम्पर्क	3,31,000	..
19.	लोक निर्माण कार्य	4,78,91,000	2,000
20.	आवास	4,00,000	..
21.	सड़कें एवं पुल	1,57,30,000	2,78,91,000
22.	क्षेत्र का विकास	4,000	28,00,000

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
24.	शिक्षा कला एवं संस्कृति.	1,83,37,000	21,99,000
26.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई . .	14,97,000	. .
27.	पेय जल योजना	2,51,83,000	2,20,39,000
29.	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास . .	2,54,000	. .
30.	जन जाति क्षेत्रीय विकास	98,28,000	. .
31.	पुनर्वास एवं सहायता	4,99,11,000	1,84,34,000
32.	नागरिक आपूर्ति	7,51,000	4,02,000
34.	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	37,80,52,000	1,43,97,000
35.	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं . .	20,42,000	1,000
36.	सहकारिता	4,73,61,000	9,14,21,000
37.	कृषि	2,19,26,000	1,58,50,000
38.	लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	4,21,22,000	. .
39.	पशुपालन एवं चिकित्सा	1,17,00,000	. .
40.	राजकीय उपक्रम	24,49,000	4,00,000
41.	सामुदायिक विकास	5,00,000	. .
42.	उद्योग	1,85,00,000	38,80,000
43.	खनिज	1,90,47,000	. .
44.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	26,000	1,42,000
45.	राज्य कर्मचारियों को ऋण	. .	12,55,000
46.	सिंचाई	50,62,000	9,000
47.	पर्यटन	1,34,000	. .
48.	विद्युत्	. .	6,45,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए राजस्थान राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए राजस्थान राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री आर० वेंकटरामन : मैं विधेयक पुन:स्थापित करता हूँ ।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए राजस्थान राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए राजस्थान राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

राजस्थान विनियोग विधेयक, 1980

वित्तमंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए राजस्थान राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1979-80 के एक भाग की सेवाओं के लिए राजस्थान राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं विधेयक पुनःस्थापित करता हूँ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 1979-80 के एक भाग की सेवाओं के लिए राजस्थान राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1979-80 के एक भाग की सेवाओं के लिए राजस्थान राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

तमिलनाडु बजट, 1980-81—सामान्य चर्चा,

लेखानुदानों की मांगें 1980-81 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें, (तमिलनाडु) 1979-80

सभापति महोदय : अब सदन में तमिलनाडु के बजट से सम्बद्ध मद संख्या 25, 26 पर विचार किया जायेगा जिसके लिए 2½ घन्टे का समय निश्चित किया गया है।

जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव भेजे हैं यदि वे अपने कटौती प्रस्तावों को पेश करना चाहे तो वे जिन कटौती प्रस्तावों को पेश करने के इच्छुक हों उनका क्रमांक देते हुए 10 मिनट के भीतर-भीतर अपनी पर्चियां पटल पर भेज दें। केवल उन्ही कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत हुआ माना जाएगा।

क्या मैं माननीय सदस्यों से आग्रह कर सकता हूँ कि वे यथासम्भव कम से कम समय लें जिससे हम उन सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दे सकें जो बोलना चाहते हों और समय पर कार्यवाही पूरी हो सके। हम दोनों ही बजट पास करने हैं—तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।

अब मैं श्री अब्दुल समद से बोलने का अनुरोध करता हूँ।

श्री अब्दुल समद (वेल्लोर) : महोदय, छल की नीति पर चलने वाली अन्ना द्रुमुक सरकार को बर्खास्त किये जाने का स्वागत करने में इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग देश की अन्य सभी लोकतान्त्रिक तथा प्रगतिशील शक्तियों के साथ है। अन्ना-द्रुमुक सरकार भ्रष्टाचार तथा साम्प्रदायिकता का अड्डा थी। अन्ना-द्रुमुक पार्टी सदा राज्य के मामलों में गैर-कानूनी और असंवैधानिक हस्तक्षेप करती रही। इस प्रकार पार्टी समग्र रूप में सरकार का दायित्व निभाती रही है। सभी सरकारी क्रियाकलाप इस ढंग से किये जाते थे। जैसे किसी फिल्म की शूटिंग की जा रही हो जिसमें कि कोई संकीर्ण हृदय अभिनेता तानाशाही शक्तियां अपने हाथ में ले लेता है। हाल ही में अन्ना-द्रुमुक दल को छोड़ने वाले मुख्य नेताओं द्वारा जारी किये गये वक्तव्यों से अभिनेता मुख्य मंत्री की अक्षमता तथा तानाशाही का पता चलता है। वास्तव में अन्ना-द्रुमुक शासन में कोई सरकार नहीं थी, अपितु केवल अराजकता थी। इसलिए ऐसी भ्रष्ट, अक्षम सरकार के पदच्युत किये जाने पर, असंतुष्ट राजनीतिज्ञों का छोड़कर, सभी वर्गों ने लोगों में इसे सही दिशा में बताकर संवैधानिक कार्यवाही इसका स्वागत किया है।

सभापति महोदय, मुझे अपने राज्य की कुछ समस्याओं का उल्लेख करने का अवसर दें। वहां पर बिजली की बहुत कमी है। इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन बहुत ही अनिश्चित हो गया है तथा राज्य के औद्योगिक क्रियाकलापों पर गम्भीर प्रभाव पड़ रहा है।

बिजली के संकट के अतिरिक्त मिट्टी के तेल तथा डीजल की भी कमी है। मुझे विश्वास है कि वास्तव में इन चीज़ों की कमी नहीं है। मेरे राज्य में वास्तविक दोष वितरण प्रणाली का है। पिछली भ्रष्ट सरकार की नीतियों के कारण उत्पन्न हुए दोषों को राष्ट्रपति शासन के दौरान शीघ्र दूर किया जाना चाहिए ताकि तमिलनाडु में बिजली की कटौती तथा इंधन की कमी की दो ज्वलंत समस्याओं का समाधान किया जा सके।

खेद है कि मेरे राज्य में कृषि लाभदायक व्यवसाय नहीं है। किसानों को दिया जाने वाला धान का मूल्य लाभदायक नहीं है। गन्ने के मामले में भी किसानों को अपनी लगाई गई पूंजी तथा

श्रम का पूरा लाभ नहीं मिल पाता ।तमिलनाडु में गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य मिलना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता किसान गन्ने का उत्पादन नहीं करेंगे, जिससे समस्या और भी गम्भीर हो जायेगी । मुझे पूरा विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार जो कृषकों के हित संरक्षण के लिए वचनबद्ध है, उनकी स्थिति सुधारने तथा उनके कष्ट दूर करने के लिए तुरन्त उपाय करेगी ।

चीनी का भाव बढ़ना दुःखद बात है। वर्तमान सरकार द्वारा चीनी का मूल्य, जोकि पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों के कारण बढ़ा है, वृद्धि-पूर्व स्तर पर लाये जाने के प्रयास किये जाने चाहिए ताकि नागरिकों को शीघ्र ही राहत मिले ।

मेरे राज्य में इस लोकप्रिय सरकार के लिए तुरन्त कार्यवाही करने वाली परियोजना सेतु समुद्रम है, जिसे बिना विलम्ब गम्भीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए । इस बारे में मैं सरकार का ध्यान रामास्वामी मुदालियार प्रतिवेदन की ओर दिलाता हूं जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सेतु समुद्रम परियोजना न केवल व्यावहारिक ही है, अपितु लाभदायक भी है । दूसरे पंबल पुल की समस्या पर भी तुरन्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है । मुझे इस पुल के महत्व पर बल देने की आवश्यकता नहीं है जो न केवल हमारे देश के भीतर अपितु, हमारे मित्र देश श्रीलंका के साथ भी सम्पर्क जोड़ता है । पंबल पुल का कार्य निलम्बित कर दिया गया है क्योंकि इस राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के कार्य को एक अयोग्य ठेकेदार को सौंपा गया था । इसके लिए नए सिरे से प्रबन्ध किया जाना चाहिए तथा इस पुल के कार्य को शीघ्र निष्पादन के लिए योग्य व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए ।

सलेम इस्तपात संयंत्र के कार्य में न जाने क्यों इतना विलम्ब हुआ है । यह दुःख की बात है कि स्थल के चयन के बारे में बहुत-सा भ्रम बना हुआ है तथा कर्मचारियों में अपने भविष्य के बारे में अनिश्चितता फैली हुई है । सलेम इस्पात परियोजना राजनीतिक प्रतिष्ठा का मामला नहीं है, अपितु तमिलनाडु की अर्थ-व्यवस्था सुधारने का उपयोगी माध्यम है जिसका राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा । इसलिए इस संयंत्र के सभी स्तरों को पूरा किये जाने के लिए धन के आवंटन में किसी प्रकार का संकोच नहीं बरता जाना चाहिए तथा इस संयंत्र के निर्माण द्वारा व्यक्तियों में आशावाद पैदा किया जाना चाहिए ।

तमिलनाडु में सभी मीटर-गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की राष्ट्रीय नीति को पूरी शक्ति के साथ तथा शीघ्र ही क्रियान्वित किया जाना चाहिए । मेरा सुझाव है कि पल्लपाटरी को भी इस नई लाइन में सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योंकि यह क्षेत्र पूरे देश में व्यापार करने वाले एक समुदाय की निवास भूमि है ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मद्रास महानगर में एक मुद्रिका रेलवे लाइन बिछाई जानी चाहिए जो नगर सभी भागों को जोड़े । यदि यह बन जाती है—निःसन्देह यह व्यवहार्य है—तो यह निःसन्देह मद्रास नगर में बढ़ती हुई यात्रियों की आवश्यकता की पूर्ति करेगी ।

यह वास्तव में विचित्र बात है कि अन्ना-द्रुमुक सरकार के पदच्युत किये जाने के बाद भी उसके द्वारा नियुक्त विभिन्न बोर्ड कार्यरत हैं । यह भी पता चला है कि अन्ना-द्रुमक ने इन बोर्डों को अनुदेश दिये हैं कि वे त्यागपत्र न दें । यह कार्य एक प्रकार से वर्तमान सरकार का विरोध है जिससे कि अन्ना-द्रुमुक को कोई लाभ नहीं होगा । जहां तक राज्य वक्फ बोर्ड का सम्बन्ध है ।

भूतपूर्व सरकार के वक्फ मंत्री के कारण जोकि मुख्य मंत्री के निष्ठावान अनुयायी थे, वक्फ बोर्ड ने अपने इतिहास में सबसे बुरी स्थिति प्रदर्शित की है। अन्ना-द्रुमुक द्वारा नियुक्त वक्फ बोर्डों को केन्द्रीय वक्फ बोर्ड अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। पता नहीं किसके आदेश से तमिलनाडु राज्य वक्फ बोर्ड बिना जांच किये केन्द्रीय वक्फ बोर्ड अधिनियम का उल्लंघन करते हुए आदेश जारी करता रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने भारी संख्या में रिट-याचिकायें मंजूर कीं और इनके द्वारा कई मामलों में अन्ना-द्रुमुक सरकार के आदेशों पर कार्यवाही रोक दी गई। इससे वक्फ बोर्डों के कदाचार सिद्ध होते हैं—बोर्ड का चेयरमैन कार्य का निष्पादन इस प्रकार करता है जैसे कि वक्फ बोर्ड उसकी निजी सम्पत्ति हो। वक्फ बोर्ड अर्द्ध-न्यायिक अधिकरण है जो पूर्णतः धार्मिक संस्थाओं से संबंधित हैं। चेयरमैन के रूप में ऐसे व्यक्ति का नियुक्त किया जाना जिसकी संस्थाओं के धर्म एवं नियमों के प्रति कोई आस्था न हो अनुचित तथा अक्षम्य है। तमिलनाडु का मुस्लिम समुदाय वक्फ बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन के अनियमित क्रियाकलापों से तंग है। इसलिए वक्फ बोर्ड वर्तमान चेयरमैन को अविलम्ब पदच्युत किया जाना चाहिए। उसके बाद जब तक नये वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हो जाता किसी सक्षम अहर्त्ता प्राप्त व्यक्ति को विशेषाधिकारी नियुक्त किया जाये। तमिलनाडु का मुस्लिम समुदाय सरकार से इस बारे में तुरन्त कार्यवाही की अपेक्षा करता है। यह भली प्रकार विदित है कि यद्यपि मद्रास दूर दक्षिण में स्थित एक नगर है, फिर भी वहां उर्दू बोलने वाले काफी लोग रहते हैं। वर्तमान लोकप्रिय सरकार की नीति महत्वपूर्ण उर्दू भाषी केन्द्रों में उर्दू एकादमी स्थापित करने की है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मद्रास नगर में भी उर्दू एकादमी स्थापित की जाये। मेरा यह भी निवेदन है कि इसके लिए वर्तमान अंतरिम बजट में भी व्यवस्था की जाये।

अन्ना द्रुमुक शासन के दौरान किए गए एक और अत्याचार की ओर ध्यान दिलाते हुए मुझे खेद होता है। मेरा संकेत तमिलनाडु के मदुरै जिले में पालानी पुलिस स्टेशन के भीतर की गई नृशंस हत्याओं की ओर है। गरीब परन्तु ईमानदार फल-विक्रेता इब्राहीम की हत्या से पूरे तमिलनाडु की आत्मा कांप उठी। इतने को ही पर्याप्त नहीं समझा गया। उसकी विधवा का अपमान किया गया जो कि महिलाओं की प्रतिष्ठा के विरुद्ध जाता है। इन अमानवीय तथा निर्दयतापूर्ण घटनाओं की जांच करते हुए मैं गहरे दुःख एवं रोष के साथ कहना चाहता हूं कि जिस देश में एक सिद्धांतवादी अनुशासनप्रिय महिला प्रधान मंत्री हो, वहां पर महिलाओं का इस प्रकार अपमान असहनीय है। इसलिए कानून की स्थापना के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाये तथा ऐसे घोर अपराध करने वालों के विरुद्ध दृढ़ कार्यवाही की जाये।

मैं अपने कर्त्तव्य से विमुख माना जाऊंगा यदि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिलाता। यह भली प्रकार विदित है कि धान के उत्पादन में उत्तर आरेकाट जिला जिसमें कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र स्थित है केवल थंजावूर जिले के बाद आता है। पालर नदी जिसके तट पर मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, छह महीने पानी से भरी रहती है। परंतु यह दुःखद बात है कि पानी के इस प्रभु-प्रदत्त उपहार के बहुत बड़े भाग को यों ही समुद्र में जाने दिया जाता है। यदि पालर नदी के जल का कृषि कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर समुचित उपयोग किया जाता है तो इससे हरी क्रांति का युग अवश्य आयेगा। मेरा सुझाव है कि दामोदर घाटी परियोजना तथा अमरीका

की टेन्नेसी घाटी परियोजना की तरह पालर नदी के अमूल्य जल के संरक्षण तथा समुचित उपयोग के लिए पालर विकास परियोजना का तुरन्त निर्माण किया जाये ।

सभापति महोदय, लोकसभा के इस ऐतिहासिक सत्र में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं ।

श्री अब्दुल समद : (बैलूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग (पृष्ठ 3) में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[सलेम इस्पात परियोजना के कार्य पूरा किए जाने में विलम्ब । (1)]

श्री अब्दुल समद : (बैलूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय शीर्षक के अंतर्गत लेखानुदानों की मांग (पृष्ठ 3) में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[पालिक्कोंडा और गुडियथम के नजदीक पोलार पर पुल की आवश्यकता । (2)]

[अम्बूर और वनियमवाड़ी के नजदीक पुल की आवश्यकता । (3)]

श्री अब्दुल समद (बैलूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रकीण पूंजी. परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत (पृष्ठ 4) में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[मडावम के समीप सेतु समुद्रम परियोजना का काम शुरू करने में विफलता, जिसकी सिफारिश सर ए० रामास्वामी मुद्दैलयार समिति ने की है (4)]

[मंडम्पम और धनुषकोड़ी को जोड़ने वाले पुल के निर्माण का कार्य छोड़ दिये जाने का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय (5)]

[मरडोना पुल के निर्माण का कार्य शुरू किए जाने में विफलता जिसका शिलान्यास पहले ही हो चुका है । (6)]

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : मैं बजट का समर्थन करते हुए कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हू ।

माननीय वित्त मंत्री ने भूतपूर्व सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था और प्रशासन में फैलाई गई अस्तव्यस्तता और गतिहीनता को दूर करके एक अत्यधिक संतुलित बजट पेश किया है ।

भूतपूर्व सरकार ने किसी योजना तथा कार्यक्रम के आधार पर कार्य नहीं किया ।

वित्त मंत्री इस बात से अच्छी तरह परिचित है कि राज्य में 1967 से कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ है । ग्रामीण क्षेत्रों का विकेंद्रीकृत रूप में औद्योगीकरण करने हेतु, अधिक धन का आवंटन किया जाना चाहिए और राज्य के औद्योगीरण के लिए नए उपक्रम आरंभ करने होंगे ।

अना-द्रमुक शासन के परिणामस्वरूप राज्य में नौकरशाहों का स्थानीय निकायों पर जैसे पंचायत और पंचायत यूनियनों तथा सहकारी संस्थानों में म्यूनिसपल कौंसिल में उनका प्रभुत्व है

और कई वर्षों से उनके चुनाव नहीं हुए हैं निर्वाचित निकायों के स्थान पर सलाहकार निकायों का गठन किया गया है और इनमें तत्कालीन सरकार द्वारा अन्ना-द्रमुक दल के व्यक्ति नामनिर्देशित है। अतः इन निकायों में चुनाव अविलंब कराया जाए।

राज्य में प्रायः बिजली की कटौती होती रहती है जिससे राज्य के औद्योगिक उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कई स्थानों पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता है क्योंकि इन स्थानों में बिजली बहुत मंद रहती है। विद्युत उत्पादन के लिए अतिरिक्त आवंटन किया जाना चाहिए। सड़क की बत्तियां भी नियमित रूप से नहीं जलतीं।

मैं वित्त मंत्री का ध्यान राज्य की स्कूलों की बिल्डिगों की ओर दिलाना चाहता हूं। इन बिल्डिगों की हालत बहुत खराब है। कई स्कूल भवनों की हालत तो बहुत ही खतरनाक है। कई वर्षों से उनकी मरम्मत नहीं हुई है। पुराने स्कूलों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए और स्कूलों के निर्माण के लिए एक वृहद् योजना बनाई जानी चाहिए।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की अत्यधिक कमी है। भूतपूर्व सरकार ने काश्तकारों के हितों की सुरक्षा नहीं की। इन लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है॥ अब जबकि बांधों और टैंकों में पर्याप्त जल है जल की उचित सप्लाई और वितरण के अभाव में फसलें नष्ट हो रहीं है विशेषकर धान की फसल। छोटी नहरों का उचित रख-रखाव नहीं किया जा रहा और गाद भी हटाई नहीं जाती।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि 1978 की बाढ़ से जो दरारें पैदा हुई थीं वे आज तक भरी नहीं गई हैं। किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

दक्षिण के जिलों में बहुत से लोग खजूर के पेड़ से रस निकालने तथा उससे संबन्धित व्यवसायों में लगे हैं। वह अत्यंत निर्धन हैं और सरकार द्वारा सहायता के अभाव में उनका व्यवसाय बहुत मन्दा पड़ रहा है। ईंधन, ऋण राज सहायता तथा अन्य वित्तीय सहायता देकर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

तमिलनाडु में मछुओं की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अधिकांश मछुए पुरानी नीति का अनुसरण कर रहे हैं और सीजन न रहने पर वह बेकार रहते हैं। पश्चिमी तट पर बसने वाले मछुओं को समुद्र के भयंकर कटाव से प्रति वर्ष काफी नुकसान उठाना पड़ता है उनके मकान, मछली पकड़ने के सामान जैसे नौकाएं, जाल इत्यादि खराब हो जाते हैं इसलिए समुद्र के कटाव को रोकने के लिए कुछ स्थायी उपाय करने होंगे।

सीमेंट, मिट्टी का तेल, चीनी, डीजल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के अभाव के कारण लोगों को कठिनाई हो रही है। इस अभाव को शीघ्र दूर किया जाना चाहिए।

जहां तक कन्याकुमारी जिले का संबंध है, औद्योगिक रूप में यह एक सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। सरकार द्वारा इसे औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। इस जिले में सरकारी क्षेत्र का एक भी औद्योगिक उपक्रम नहीं है। जिस जिले में तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकेन्द्रीयकृत रूप में उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। जिले में

निम्नलिखित उद्योगों की स्थापना के लिए, जिनके लिए पर्याप्त अवसर है, तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। रबड़ आधारित उद्योग यहां स्थापित किया जा सकता है क्योंकि इस जिले में रबड़ का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है यहां पर रबड़ का प्रति एकड़ उत्पादन भारत में सबसे अधिक है। अत: इस क्षेत्र में रबड़ पर आधारित उद्योगों की स्थापना करना उचित होगा इस जिले में टिटेनियम फैक्टरी भी लगाई जा सकती है। इसके लिए कच्चा माल—इलमेनाइट है जोकि जिले के तटवर्ती क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और अब उसका निर्यात विदेशों को किया जा रहा है। तमिलनाडु में एक टिटेनियम फैक्टरी लगाने का प्रस्ताव है। इसे कन्याकुमारी जिले में लगाया जाए।

इसके अतिरिक्त जिले में नारियल रेशे से सम्बंधित लघु उद्योग भी खोलने की काफी गुंजाइश है।

इस संबंध में मैं एक और विषय की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस जिले में स्थित काजू के कारखानों को पर्याप्त काजू नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में काजू निगम का एक एकक बनाया जाना चाहिए।

कोलाचेल बन्दरगाह, जोकि तमिलनाडु में पश्चिम तट पर अकेली बन्दरगाह है, में सुधार करने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए।

हजारों पर्यटक प्रतिदिन कन्याकुमारी जाते हैं। अत: इसका विकास एक आकर्षक पर्यटक केन्द्र के रूप में किया जाए।

कन्याकुमारी जिले में एक कृषि अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव था। कोयम्बतूर कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने इस सम्बन्ध में इस स्थान का दौरा किया था। भूमि भी उपलब्ध है। अनुसंधान केन्द्र के लिए यह स्थान बिल्कुल उपयुक्त रहेगा। सभी किस्म की फसलें खाद्यान्न संबंधी तथा नगद फसलें जैसे कि रबड़, काली मिर्च, लोंग, कोको यहां उगाई जाती है और इसीलिए मैं अनुसंधान केन्द्र हेतु इस स्थान को अत्यधिक उपयुक्त समझता हूं।

नागरकोइल—त्रिवेन्द्रम सड़क राष्ट्रीय राजपथ है। यह एक अन्तर्राज्यीय सड़क है। सड़क का वह भाग जो केरल में पड़ता है उसका रख-रखाव अच्छा है, परन्तु जो भाग तमिलनाडु में पड़ता है उसका रख-रखाव किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं केन्द्र सरकार को तमिलनाडु में फिल्म अभिनेता श्री रामाचन्द्रन द्वारा चलाई जा रही निष्क्रिय तथा जनविरोधी सरकार का समापन करने के लिए बधाई देता हूं।

चूंकि समय का अभाव है इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण विषयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक गेहूं के मूल्य का संबंध है—मैं इस सभा में वर्ष 1973 से जनता सरकार ने गेहूं का लेवी मूल्य दोबारा अधिक किया है। कई बार मैंने सभा में धान के वसूली मूल्य को बढ़ाने का अनुरोध किया है। लेकिन भाषा में भेदभाव के साथ-साथ

धान और गेहूं का बसूली मूल्य निर्धारित करने में भी भेदभाव किया जाता है। अतः मैं आशा करता हूं कि कम से कम यह सरकार दक्षिण के धान उत्पादकों के हितों की रक्षा करेगी। चावल का लेवी मूल्य इतना बढ़ाया जाना चाहिए कि वह किसानों के लिए लाभप्रद हो तभी तमिलनाडु के किसानों के हितों और समग्र दक्षिण भारत की सुरक्षा होगी।

जहां तक गन्ने का संबंध है, गन्ना उत्पादकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपने उत्पाद का लाभप्रद मूल्य नहीं मिलता। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह गन्ने का मूल्य बढ़ाकर उसे किसानों के लिए लाभप्रद बनाए।

जहां तक अखिल भारतीय ऋण-मुक्ति अधिनिय का संबंध है सभा में सभी दलों के नेताओं ने गरीब तथा मध्यम किसानों को कुछ राहत पहुंचाने की दृष्टि से ऐसा अधिनियम पुनःस्थापित करने का अनुरोध किया है यह उचित समय है कि सरकार इस अधिनियम को लाए ताकि उन गरीब किसानों को जिनके पास पांच-दस एकड़ भूमि है कुछ राहत मिल सके और जब तक हम उन्हें राहत नहीं देंगे तब तक हम उन निर्धन किसानों की रक्षा नहीं कर सकते जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। अतः में इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह न केवल तमिलनाडु, बल्कि समूचे भारत में सभी ऋणों को माफ करके मध्यम तथा गरीब किसानों को राहत दे।

जहां तक बिजली की कमी का सम्बन्ध है, तमिलमाडु में यह सबसे ज्वलंत समस्या है। तमिलनाडु की तत्कालीन सरकार द्वारा बिजली की सप्लाई में 60 प्रतिशत की कटौती कर दिये जाने से किसानों तथा उद्योगपतियों को भारी हानि उठानी पड़ी। इसके कारण न तो किसान अपने कृषि सम्बन्धी कार्य कर सके और न ही उद्योगपति अपने उद्योगों को चालू रख सके। मुझे आशंका है कि इसके परिणाम स्वरूप कृषि एवं औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में उत्पादन कम हो जायेगा। कल मैंने मद्रास में दूरदर्शन का एक कार्यक्रम देखा था जिसमें बिजली बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे थे .....

सभापति महोदय : आपको अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिए। आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री के० मायातेवर : जैसाकि श्री अब्दुल समद द्वारा ठीक ही बताया गया है कि तमिलनाडु के बिजली मंत्री तथा तत्कालीन मुख्य मंत्री एवं बिजली बोर्ड के सभापति के आलस्य तथा गैर-जिम्मेदारी पूर्ण रवैये के कारण ही स्थिति ऐसी बन गयी कि सरकार को 60 प्रतिशत की कटौती लागू करनी पड़ी।

ट्यूटीकोरिन में ट्यूटीकोरिन संयंत्र के लिए 40 करोड़ रुपया नष्ट किया गया है, किन्तु उसमें उत्पादन बिल्कुल ही नहीं हुआ है। इसी प्रकार नेवेली में यद्यपि 6000 लाख यूनिट का उत्पादन होना चाहिये, फिर भी वहां उत्पावन नहीं हो रहा है एनोर तापीय एकक में केवल 33 प्रतिशत उत्पादन हो रहा है।

विभिन्न स्थानों में एकक समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः मैं इस सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए पग उठाने का अनुरोध करता हूं कि वर्तमान अथवा भविष्य में बिजली की कमी न रहे ताकि किसान और उद्योगपति अपनी गतिविधियों को जारी रख सके और उत्पादन में कोई कमी न हो।

तमिलनाडु में अन्ना-द्रुमक शासन के अन्तर्गत अनोखे मुख्य मंत्री ने जिन्हें मैं "मुख्य मंत्री" न कहकर केवल "अयोग्य मुख्य मंत्री" कहूंगा—इंस्पैक्टर जनरल के 4 पद बनाये। क्या आपने पहले ऐसा उदाहरण भारत संघ के किसी राज्य में देखा है कि पुलिस विभाग में 4 इंस्पैक्टर जनरल हों? इसके अतिरिक्त उन्होंने पुलिस के महानिदेशक का एक अन्य अनोखा पद भी बनाया। यह सब करदाता के धन का अपव्यय ही सरकार से है। मैं श्री एम० जी० आर० द्वारा जो प्रशासन को लेशमात्र भी नहीं समझते हैं बनाये गये इन महानिदेशक तथा इंस्पैक्टर जनरल के अतिरिक्त पदों को समाप्त करने की प्रार्थना करता हूं वह फिल्म अभिनेता हैं जो प्रशासन के मूलभूत सिद्धांतों को नहीं जानते। वहां इंस्पैक्टर जनरल का केवल एक ही पद होना चाहिये। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने गत सत्र में कहा था,* (व्यवधान) वह तमिलनाडु के मुख्य मंत्री थे।

सभापति महोदय : सभा में एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होता है। एक व्यक्ति की जो यहां आरोपों का उत्तर देने के लिए उपस्थित नहीं है, इस सभा में इस प्रकार आलोचना नहीं की जा सकती। आपको अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिये। श्री के० टी० कोसलराम को पांच मिनट दिये गये हैं।

****श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेंडूर) :** मेरे लिए पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त करना बहुत ही असम्भव बात है।

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले गत वर्ष की तुलना में तमिलनाडु के इस वर्ष के बजट में 4 करोड रुपया अधिक रखने के लिए श्री आर० वेंकटरामन का अभिनन्दन करना चाहता हूं। वह तमिलनाडु सरकार में मंत्री थे और यह पर्याप्त होगा कि मैं समस्याओं के बारे में केवल संकेत रूप में उल्लेख करूं और वह इनको अपने आप समझ लेंगे।

मैं तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक सरकार की बर्खास्तिगी के औचित्य से पूरी तरह सहमत हूं, जैसाकि मेरे माननीय मित्र श्री अब्दुल समद तथा श्री मायातेवर द्वारा बताया गया है। अब मैं इस बात का उल्लेख करूंगा कि विश्व बैंक पर्याप्त राशि, कई करोड़ रुपये, ऋण के रूप में देने के लिए तैयार हो गया है। यह राशि वास्तव में तमिलनाडु में वृहत् भूमिगत जल निकासी पद्धति, पूरे तमिलनाडु में पेय जल योजनाओं, तीव्र परिवहन पद्धति के रूप में प्रसिद्ध भूमिगत रेलवे परियोजना के लिए होगी। अन्नाद्रमुक सरकार की अकर्मण्यता के विश्व बैंक को भी शान्त कर दिया। श्री वेंकटरामन जान जानते हैं कि बकिंगम नहर को गहरा खोदा जा सकता है और उसमें भूमिगत रेलवे का निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार पेयजल की एक विस्तृत योजना तैयार करने के लिये निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायत संघों तथा पंचायतों को भी संबंधित किया जाना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री को इन योजनाओं के लिये विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को उचित रूप देने के हेतु शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

अन्ना-द्रमुक सरकार तमिलनाडु सरकार का प्रशासन चला रही थी, तब संसद सदस्यों, विधायकों आदि जैसे जनप्रतिनिधियों के पत्रों के प्रति मंत्रियों और सचिवों ने कठोर रवैया

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**तमिलनाडु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अपनाया हुआ था, वे सरकार की कार्यवाही के लिये अनुरोध करने वाले पत्रों की ओर ध्यान नहीं देते थे। यहां तो यदि एक सदस्य प्रधानमंत्री को लिखता है, तो उसे तीन दिन के भीतर उसकी रसीद प्राप्त हो जाती है और एक महीने के भीतर उसे उसके पत्र के संबंध में की गयी कार्यवाही के बारे में सूचित कर दिया जाता है। उसके साथ इस प्रकार सम्मानपूर्वक एवं बहुत अच्छे ढंग से व्यवहार किया जाता है। तमिलनाडु में वहां के सरकारी तंत्र पर से अन्नाद्रमुक सरकार का प्रभाव अभी दूर नहीं हुआ है। मैंने कुछ दिन पूर्व राज्यपाल को एक पत्र लिखा और राज्य प्रशासन के अवर सचिव से उत्तर प्राप्त हुआ। यह वास्तव में लोक प्रतिनिधियों का अपमान है। अब जबकि राज्य प्रशासन केन्द्रीय राज्य के नियंत्रण में है, तो प्रशासन को अवश्य ही इस बात के निदेश जारी किये जाने चाहिए कि वह लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करें और जिनको ऐसे पत्र लिखे जायें, उन्हीं के द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में उन्हें सूचित किया जाना चाहिये।

मुझे खेद से कहना पड़ता है कि राज्य प्रशासन के लिये अभी तक कोई मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं तैयार किये गये हैं। हाल में हुये चुनावों के दौरान हमने 20-सूत्री कार्यक्रम को अपने चुनाव घोषणापत्र के रूप में अपनाया था। वास्तव में यह 20-सूत्री कार्यक्रम हमारे लोगों का मांगपत्र है। इसमें चीनी, मिट्टी के तेल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की मूल्यों को नियंत्रित करने तथा सीमेंट आदि में चोरबाजारी को रोकने के लिए उठाये जाने वाले पग शामिल हैं। हमने अभी तक राज्य प्रसाशन को पूरे उत्साह तथा शक्ति के साथ 20-सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये निदेश नहीं दिया है।

चीनी के कुल उत्पादन में से 35 प्रतिशत खुले बाजार के लिए होती है तथा 65 प्रतिशत लेवी क्षेत्र के लिये दी जाती है। लेवी चीनी को रु० 2.95 पै० प्रति किलोग्राम की दर से बेचना होता है। चीनी के मिल मालिकों के लिए खुले बाजार की चीनी का मूल्य 4.50 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। जबकि खुले बाजार की चीनी किसी भी मूल्य पर बेची जा सकती है, जिसकी कि कानून द्वारा भी अनुमति दी गई है, लेवी की चीनी को खुले बाजार में 7 से 8 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। जब हम इसका कारण पूछते हैं, तो हमें बताया जाता है कि यह खुले बाजार की चीनी है। क्या इससे अधिक खराब स्थिति हो सकती है? यह बात नहीं है कि परम्परागत जमाखोरी तथा चोरबाजारी करने वालों का इस चीनी घोटाले में हाथ है। इसमें नागरिक पूर्ति निगम के विक्रेता अन्तर्ग्रस्त हैं। तहसीलदार, उप-तहसीलदार एवं बी० डी० ओ० को उन्हें गिरफ्तार करने, उन्हें हथकड़ी लगाने तथा पेरेड कराने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए ताकि यह दूसरों के लिए निवारक का काम कर सके। दोहरी मूल्य नीति ही इस सब गड़बड़ का मुख्य कारण है। उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए और 3·50 रुपये प्रति किलोग्राम का एक समान मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

इस समय एस० आई० ई० टी० कालेज कई महीनों से बन्द पड़ा हुआ है। यह मद्रास के उज्ज्वल नाम पर एक अमिट कलंक है। श्री वेंकटरामन जानते हैं कि जब श्री अविनाशीलिंगम चेतियार शिक्षा मंत्री थे, तो ऐसे गैर-सरकारी कालेजों तथा स्कूलों के प्रबन्ध को, जो उनके प्रबन्धकों द्वारा बन्द कर दिये गये थे, अपने नियंत्रण में लेने की शक्ति सरकार को प्रदान करने के

लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। श्री अब्दुल समद वकफ बोर्ड के कुप्रबन्ध को रोकने के लिये केन्द्र के हस्तक्षेप करने का अनुरोध कर रहे थे। यहां मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार राज्य प्रशासन को एस० आई० ई० टी० कालेज को अपने हाथ में लेने और सैकड़ों छात्रो के लाभ के लिए इसे पुनः खोलने का निदेश दें।

कालायनार करुणानिधि ने, जब वह मुख्य मंत्री थे, पान्गयार सिंचाई परियोजना के लिए नींव पत्थर रखी थी। इसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। जब 4,5 दिन पूर्व मुझे सचिव को मिलने का अवसर मिला, तो मुझ बताया गया कि वन विभाग इसके क्रियान्वित किये जाने में बाधक है। क्या इससे बढ़कर कोई अन्य बात शर्मनाक हो सकती है कि सरकार का ही एक विभाग इस योजना को क्रियान्वित करने में बाधक हो ? हमारे वित्त मंत्री ने स्वयं राज्यपाल को एक पत्र लिखा है। उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैं नहीं जानता कि तमिलनाडु में क्रिस प्रकार का प्रशासन है।

मैं महसूस करता हूं कि एक सलाहाकार पर्याप्त नहीं है। गत बार जब वहां तीन सलाहकार थे तो कार्यभार अधिक होने के कारण कार्य तेजी से नहीं हो रहा था। दो अन्य सलाहकारों की तुरन्त नियुक्ति की जानी चाहिये।

अन्नाद्रमुक सरकार ने मन्दिर न्यासों, सहकारी समितियों, सलाहकार निकायों आदि में अपने दल के प्रतिबद्ध व्यक्तियों की नियुक्ति की। उन्हें राज्य सरकार की बर्खास्तगी के पश्चात् भी त्यागपत्र न देने का परामर्श दिया गया है। इन राजनीतिक कर्मचारियों को बिना किसी विलम्ब के इन निकायों से हटाया जाना चाहिये।

श्री अब्दुल समद ने सेलम इस्पात संयंत्र, सेतू समुद्रम परियोजना आदि का उल्लेख किया है। जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, मैं उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता। हाल ही में किसानों के आन्दोलन के दौरान अन्नाद्रमुक सरकार ने इस आन्दोलन को कुचल दिया, उनके सामान को जब्त कर लिया तथा उसे नीलाम करने का भी प्रयत्न किया। माननीय वित्त मंत्री को चाहिये कि वह ऐसे जब्त किये गये सामान को छोटे किसानों को वापस करने का निदेश दें। उन्हें दिये गये ऋणों तथा उस पर लगने वाले ब्याज को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अन्यथा उनके दुख दूर नहीं होंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री सी० चिन्नास्वामी (गोबिचेट्टिपलयन) : अन्नाद्रमुक दल की ओर से मैं तमिलनाडु के बजट के संबंध में कुछ शब्द बोलना चाहता हूं। इस बजट को वास्तव में तमिलनाडु में लोक प्रतिनिधियों द्वारा बनाया तथा पेश किया जाना चाहिए, किन्तु केन्द्र द्वारा अनावश्यक तानाशाही जिसका कोई अन्य उदाहरण नहीं मिलता, कार्यवाही से तमिलनाडु के वास्तविक तथा प्रत्यक्ष लोक प्रतिनिधियों, अर्थात् अन्नाद्रमुक सरकार को अपने राज्य के बजट को प्रस्तुत करने से वंचित कर दिया गया।

तमिलनाडु की अन्नाद्रमुक सरकार किस योग्यता तथा दक्षता से कार्य करती रही है, उसका पता स्वयं बजट से ही लग जाता है। 1978-79 के आंकड़ों से 0·32 करोड़ रुपये के घाटे की तुलना में 3.66 करोड़ रुपये का शुद्ध अधिशेष दिखाया गया है। 1979-80 में सौदों के

फलस्वरूप 2·41 करोड़ रुपये के शुद्ध अधिशेष की आशा है। आप एक लोकप्रिय सरकार के, जिसे 1977 से पांच वर्ष के लिए तमिलनाडु के लोगों का जनादेश प्राप्त हुआ था, दक्षतापूर्ण कार्य-संचालन का कौन-सा बेहतर प्रमाण चाहते हैं फिर भी कांग्रेस-आई० सरकार ने अपने नये भागीदार के साथ अपवित्र षडयंत्र करके एक लोक प्रतिनिधि विधान सभा की हत्या करने में कोई बुराई नहीं समझी। वे सभी लोकतंत्र सिद्धान्तों की अवहेलना करके किसी भी मूल्य पर अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। यदि केन्द्रीय सरकार यह महसूस करती है कि वह अधिक बुद्धिमान है, तो उसे अपने बजट की ओर देखना चाहिये।

1979-80 में 1382 करोड़ रुपये घाटे का अनुमान लगाया था जो दुगने से भी बढ़कर 2700 करोड़ रुपये हो गया है। 1980-81 में 1235 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान लगाया गया है जिसके बढ़कर दुगने या तिगुने हो जाने की भयानक आशंका है। यह यही केन्द्रीय सरकार है जिसने एक फांसी देने वाले की तरह तमिलनाडु की लोकप्रिय सरकार का गला घोटा है। समय-समय पर हम संसद में अत्याचारों के बारे में कहते रहते हैं। माननीय संसद सदस्य इस बात की ओर अवश्य ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना गरीब तथा सुरक्षाविहीन लोगों पर किया गया सबसे बड़ा अत्याचार है। मैं यह बात खेद के साथ कह रहा हूं कि लोकतंत्र तथा राजनीतिक ईमानदारी के सभी सिद्धान्तों को उल्लंघन करके सलाहकार शासन एक पक्षपाती शासन की तरह कार्य कर रहा है। यह शासन कांग्रेस-आई० तथा डी० एम० के० दलों के स्थायी मोर्चे की तरह अधिक कार्य कर रहा है और···

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री सी० चिन्नास्वामी : विरोधी पक्ष का केवल मैं ही एक सदस्य उपस्थिति हूं, अतः कृपया मुझे पूरा समय दीजिये।

इस शासन ने अपने शुद्ध कामचलाऊ कार्यों का अतिक्रमण किया है।

अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर अन्नाद्रमुक दल ने 2 मार्च, 1980 को तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन को अनुचित ढंग से लागू करने के प्रति विरोध करने के लिए एक सामूहिक रेली का आयोजन किया। तमिलनाडु की कामचलाऊ सरकार ने जो केवल कांग्रेस-आई० डी० एम० के० मोर्चे की पिट्ठू है, अपनी चुनाव सम्भावनाओं के प्रति खतरा महसूस किया और इसलिए पुलिस को रेली को पूरी तरह तितर-बितर करने के लिए कार्यवाही करने के लिए लगा दिया। उत्तेजक एजेंट के रूप में एक आधुनिक आक्रमक राज्य की तरह सभी चालों का उपयोग किया गया और कानून और व्यवस्था के कथित उल्लंघन के लिए अन्नाद्रमुक तथा अन्य सहयोगी दलों के हजारों कार्यकर्ताओं को पीटा गया तथा उन पर गोली चलाई गई। हजारों कार्यकर्ताओं को अस्पताल में ले जाना पड़ा इस प्रकार एक छोटा जलियांवाला बाग बना दिया गया। किस प्रकार का लोकतंत्र आ रहा है ? प्रतिक्रियावादी शक्तियों द्वारा भयानक व्यवहार किया जा रहा है जिससे हमें हिटलर तथा मुसुलीनी की याद आ जाती है। तमिलनाडु में बिजली की कटौती की जा रही है। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना कर रहा हूं।

सभापति महोदय : महत्वपूर्ण बातों के बारे में बोलिए।

श्री सी० चिन्नास्वामी : पेरियार जिला अभी-अभी बनाया गया है तथा यह औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। पेरियार जिले में पेरुनदुर्रै, नम्बयार, पुलयामपट्टी, साथी, अंथियार, भवानी, धारापुरम और कांगयाम में और अधिक उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। इसे तुरन्त किया जाना चाहिए।

आम चुनावों के दौरान वर्तमान कृषि मंत्री ने यह प्रचार किया था कि वे कृषकों के हितों को प्राथमिकता देंगे तथा उनकी सभी शिकायतों को दूर किया जाएगा। किन्तु हम वास्तव में क्या देख रहे हैं ? इस प्रकार सहजता से किये गए वचनों को शीघ्रता से भुलाया जा रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

***श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियान (करूर) :** सभापति महोदय, श्रीमान् जी मैं माननीय वित्तमंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत तमिलनाडु के बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपनी प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो हाल में हुए आम चुनावों के दौरान देश भर में अल्पसंख्यकों सहित करोड़ों साधारण लोगों के लिए प्रेरणास्रोत रही हैं।

सबसे पहले मैं औद्योगिक क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र आदि में सभी सलाहकार निकायों एवं समितियों को जिनमें अन्नाद्रमुक दल के लोग हैं भंग करने की मांग करता हूं। बाढ़ राहत तथा कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए दिया गया धन शोचनीय रूप से अपर्याप्त है। कार्य के इन दो मुद्दों के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे जनसाधारण की व्यथा को कम करने में काफी सहायता मिलेगी इस बात पर नियंत्रण रखने के लिए कि दिए गए धन को किस प्रकार खर्च किया जा रहा है, संसद सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जानी चाहिए।

छोटे किसान भारी ऋणों के नीचे दबे हुए कराह रहे हैं। इन ऋणों को तुरन्त माफ किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हरिजन, विशेषकर कि कृषि श्रमिकों को खुले आसमान के नीचे कष्टों को सहन करना पड़ रहा है। एक व्यापक ग्रामीण आवास योजना को तुरन्त लागू किया जाना चाहिए और हमारे माननीय वित्त मंत्री को इस योजना के लिए निस्संकोच पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी चाहिए।

यह तो सभी लोग जानते हैं कि जहां कहीं भी ऐसी सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कों की सही ढंग से देखभाल नहीं रखी जाती। यह कोई बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहना नहीं है कि सड़कों का उचित जाल विछाए बिना, गांव वास्तव में अलग-अलग किए गए द्वीप से हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पनपने वाले हमारे जैसे देश के लिए यह अपरिहार्य है कि हमारी नियोजित गतिविधियों की योजना में ग्रामीण सड़कों को मुख्य स्थान दिया जाए। माननीय वित्त मंत्री महोदय को ग्रामीण सड़कों के लिए धन का प्रावधान करना चाहिए।

सभापति महोदय जब हम सिंचाई की सुविधाओं की कमी से परेशान हैं तो हम केरल में पश्चिमोत्तर बहने वाली नदियों के पानी को बेकार नहीं बहने दे सकते। जबकि पूर्वी भाग में झुलसी

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

हुई धरती है तो पश्चिमी भाग में पानी को बेकार समुद्र में चला जाने दिया जाता है। इस पानी को काम में लाकर पूर्वी भाग के लिए सिंचाई के उपयोग में लाया जाना चाहिए। वर्षों से कावेरी की जलपूर्ति कम हो जाने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया हैं। श्री कामराज के शासन काल में मेरे जन्मस्थान मनाप्पाराई में पीने के पानी की एक योजना तैयार की गई थी। इस पर अभी तक अमल नहीं किया है। इस योजना को और बिना किसी विलम्ब के चालू किया जाना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि प्रति हजार की जनसंख्या के पीछे एक सहकारी समिति होनी चाहिए, जिसके द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाना चाहिए। तमिलनाडु में बिजली की कटौती एक राष्ट्रीय घटना का रूप धारण कर गई है। तापीय एकक अपनी प्रस्थापित क्षमता से कम काम कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में तमिलनाडु में, कोयले की घोर कमी व्याप्त है। इसी प्रकार रेलों के चलाने के लिए भी कोयले का अभाव है। केन्द्रीय सरकार को तुरन्त तमिलनाडु को कोयला भेजना चाहिए। मेरे चुनाव-क्षेत्र, करूर में सरकारी क्षेत्र का कोई भी उद्योग नहीं है। करूर में सरकारी क्षेत्र का एक औद्योगिक एकक चालू करने का मेरा वित्त मंत्री महोदय से निवेदन है, जिससे कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को जुटाया जा सके। जैसा कि श्री कोशलराम और श्री अब्दुल समद ने भी जोर देकर कहा है, सलेम करूर डिन्डीगल बड़ी रेलवे लाइन पर काम शुरू कर देना चाहिए। हमारे ग्रामीण क्षेत्र आन्तरिक रूप से पिछड़े रह जायेंगे, यदि वहां पर उद्योग स्थापित नहीं किए जाते।

नेहरू-योजना के नाम से जानी जाने वाली ग्रामीण औद्योगीकरण की एक योजना मैंने जांच-पड़ताल और अनुमति के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजी है। यदि यह मेरे क्षेत्र में सफलता-पूर्वक लागू कर दी जाए तो इसे देश के अन्य भागों में चालू किया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्रीजी इस योजना की स्वीकृति दे दें और ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक इस योजना को चालू करने के लिए धन प्रदान करें।

ऐसा लगता है कि तमिलनाडु में इस्पात की कमी स्थायी रूप धारण कर गई है। तमिलनाडु के लिए और अधिक इस्पात आबंटित किया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्र के छोटे किसानों, छोटे कलाकारों और दस्तकारों को अचानक ऋण देना बन्द कर दिया है। इस सम्बन्ध में मुझे कई तार मिले हैं। मेरा निवेदन है कि वित्तमंत्री महोदय ग्रामीण क्षेत्रों के इन लोगों को ऋण सहायता फिर से चालू करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आदेश दें। सूखा-ग्रस्त और बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को दिये गए ऋणों को माफ कर दिया जाना चाहिए। मेरे चुनाव क्षेत्र के मरुंगापुरी कड़ावूर और मनाप्पाराई पंचायत संघ खण्डों को औद्योगीकरण में पिछड़े हुए क्षेत्र घोषित किए जाने चाहिए और उद्योगों की स्थापना के लिए सभी प्रकार के आर्थिक और भौतिक प्रलोभन दिए जाने चाहिए। इस मामले में भी मैं अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर चुका हूं। इस पर विचार किया जाए, ध्यान दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री एम० कन्डा स्वामी** : (त्रिरुचेनगोडे) : माननीय सभापति महोदय वित्त मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गए तमिलनाडु के बजट की चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

आभारी हूं। मैं अपने प्रतिष्ठित नेता डा० कलाईगनर करुणानिधि जिनके प्रोत्साहित करने पर ही मैं इस महान सदन का सदस्य बन सका के प्रति सम्मान प्रकट करता हूं और अपने चुनाव-क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर इस सदन में भेजा।

यह आम बात है कि आज से 30 मास पूर्व तमिलनाडु का प्रशासन प्रतिभाशाली नेताओं तथा प्रतिष्ठित अधिकारियों के हाथ में था। परन्तु गत 2½ वर्ष में तमिलनाडु का प्रशासनिक स्तर मिट्टी में मिल गया। औद्योगिक उन्नति रुक गई। टाल-मटोल करना रोज की आदत बन गई। घपलेबाजी बढ़ती गई। किसी प्रकार के दृढ़ निर्णय नहीं लिए गए और समस्याओं के हल नहीं ढूंढे गए। विभिन्न राजकीय क्रिया-कलाप ठप्प पड़ गए। यह बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि तमिलनाडु की इस हालत के लिए मुख्यरूप से अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम सरकार उत्तरदायी है।

एम० जी० आर० सरकार ने शराबबन्दी के बारे में एक अप्रिय कानून पास किया जिससे आम आदमी प्रभावित हुआ। यदि किसी व्यक्ति को शराब पीते हुए पाया जाता तो उसे 3 मास का कारावास देने के अतिरिक्त उस पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता। क्या आप किसी छोटे आदमी से यह आशा कर सकते हैं कि वह इस कमर-तोड़ सजा को सहन करे। मन्त्री महोदय को चाहिए कि इस कानून को तुरन्त संशोधित करें जिससे आम आदमी को इस क्रूर कानून से छुटकारा मिल सके।

डॉ० के० करुणानिधि जब मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने हरिजन निवास निगम शुरू किया और उन्होंने यह वादा किया कि हरिजनों की भलाई के लिए 40000 छोटे मकान तैयार किए जाएंगे। श्री एम० जी० आर० ने इस समाज कल्याण कार्य को रुकवा दिया। मैं मांग करता हूं कि तुरंत इस योजना को फिर से चालू किया जाए जिससे तमिलनाडु के हरिजनों का भला हो सके।

जिन किसानों ने हाल के आन्दोलन में भाग लिया था उनके विरुद्ध अनेक अपराध मामले दर्ज किए गये हैं। इन मामलों को अविलम्ब वापिस लिया जाना चाहिये। कृषिजन्य ऋण समितियों द्वारा दिये गये ऋणों को वापिस करते में छोटे किसान असमर्थ हैं। इन ऋणों को माफ कर दिया जाना चाहिए। उन किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीजल दिया जाना चाहिये जिनके पास डीजल इन्जन हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में डीजल और मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं के वितरण तन्त्र को न केवल सुदृढ। शक्तिशाली बनाया जाए, अपितु कारगर भी बनाया जाना चाहिए जिससे आवश्यक वस्तुएं उन किसानों को बिना किसी तकलीफ के उपलब्ध हो सकें जो पहले ही अनेकानेक कष्टों में पिस रहे हैं।

हल्दी पर प्रति क्विन्टल 200 रुपये का निर्यात शुल्क लगाने से किसानों पर वज्रपात हुआ है। हल्दी के लाखों बोरे रुके पड़े हैं। जिसने इस वर्ष हल्दी के उत्पादन को भी प्रभावित किया है और हल्दी की कीमतों में भी गिरावट का रुख है। किसानों के सहायतार्थ सरकार को बिना किसी विलम्ब हल्दी पर लगाये गये निर्यात शुल्क को हटा लेना चाहिये।

कावेरी के पूर्वी किनारे पर मेट्टूर से लेकर मोहनूर तक निर्धारित परमिट से किसान उठान-सिंचाई में जुटे हुए हैं। मेरी मन्त्री महोदय से अपील है कि वे राज्य प्रशासन को ऐसे आदेश दें कि उठान-सिंचाई में संलग्न किसानों को बिजली पहुँचाई जाए। मेरे चुनाव क्षेत्र में एल-4 लाइसेन्स लेकर हथ-करघा बुनकर कार्य कर रहे हैं। हाल ही में उन पर भारी जुर्माने लगाए गये हैं, जिसे उन्हें तंग करने का एक अजस्र स्रोत बना लिया गया है। इस प्रकार के जुर्मानों पर अभी से रोक लगनी चाहिये और हथकरघा बुनकरों को बिना किसी दबाव के उत्पादन करने देना चाहिये।

एम० जी० आर० के प्रबन्धकाल में मजदूरों को प्रतिशोध का शिकार बनना तड़ा। यहां तक कि जब वे शेषासामी पेपर मिल और सहकारी चीनी मिल में विधिवत हड़ताल पर थे तो उन्हें निलम्बित किया गया और दण्ड दिया गया। भारत सरकार को चाहिये कि वह मजदूरों को उनके अधिकारिक भुगतान दिलवाए। मेरे चुनाव-क्षेत्र में पीने का पानी एक दुर्लभ वस्तु बन गई है। पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए नलकूप खोदे जायें। त्रिरुचेनगोड़े में नहरों की स्थिति बड़ी ही नाजुक है। पानी जमीन में सोख लिया जाता है जो पानी की सरासर बर्बादी है। इन नहरों की तुरन्त मरम्मत की जानी चाहिये। इरोडे को एक औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिये और उद्योगियों को सभी प्रकार के औद्योगिक और वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाने चाहिये जिससे वे इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित कर सकें और रोज़गार के अवसर जुटा सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ईरा अनबारासु (चिंगलपट्टु) : महोदय, उल्लेखनीय बजट लाने के लिए वित्त मन्त्री महोदय को बधाई देते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि तमिलनाडु का औद्योगीकरण वर्तमान वित्त मन्त्री श्री थीरू आर० वेंकटरामन के अनथक प्रयासों से उस समय हुआ जबकि वे तमिलनाडु के उद्योग मन्त्री थे। मैं एक बार फिर उनसे यही आशा करता हूं कि वे समस्त देश का औद्योगीकरण करें और मुझे अटूट विश्वास है कि बहुत से मूल उद्योग भारत में स्थापित करने और फिर देश को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करने के लिए उचित कदम उठायेंगे। तमिलनाडु के बजट का स्वागत करते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है, परन्तु फिर भी, मैं अपने वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान कुछ उन महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर दिलाना चाहता हूं जिनके लिए अधिक धन जुटाने की आवश्यकता है।

हमारी नीति का उद्देश्य तो समाजवादी पद्धति के समाज की स्थापना है। मुझे पता चला है कि 'राज्याध्यक्ष, मन्त्री और मुख्यालय कर्मचारीगण' के अन्तर्गत 5.38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं अनुभव करता हूं कि यह राशि बहुत अधिक है, और पद्दलितों के कल्याण के हितार्थ इस राशि को घटा दिया जाना चाहिये और बढे हुए शेष धन का उपयोग कल्याणार्थ उपाय करने के लिए किया जाना चाहिए।

इससे आगे मैंने पाया है कि दुग्ध आपूर्ति योजना के लिये दिया गया धन बहुत ही थोड़ा है। तमिलनाडु के लोग दूध की अपर्याप्त पूर्ति से पीड़ित हैं और इसलिए 1980-81 के लिये नियमित बजट लाते समय इसके लिए अधिक धन का प्रावधान किया जाना चाहिए।

यदि में तमिलनाडु में न्यायालयों की निंदनीय स्थिति और भवनों के अनुरक्षण के बारे में न कहूँ तो मैं एक वकील होने के नाते अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकूंगा। न्यायालयों की अधिकांश इमारतों का निर्माण ब्रिटिश काल में किया गया था और अब तक ऐसे उपाय कतई नहीं किए गये हैं जिससे पर्याप्त सुविधाओं और उपरकरणों के साथ नये भवनों का निर्माण किया जा सके। वकालत के धन्धे में लगा वकील होने के कारण मैंने न्यायालय-भवनों की अनुपयुक्तता और सन्दर्भार्थ विधि पुस्तकों के उपलब्ध न होने की कमी की व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। वास्तव में तमिलनाडु के अधिकांश न्यायालयों में पुस्तकालय होता ही नहीं है। तमिलनाडु के न्यायालयों में लम्बे समय से आस्थगित पड़े हुए मामलों को निपटाने के लिए न्यायिक अधिकारियों की कुल संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये। न्याय प्रशासन को दी जाने वाली धनराशि अपर्याप्त है और उसमें बढ़ोतरी करके संशोधन किया जाना चाहिये।

यह एक सुविदित तथ्य है कि ग्राम भारत की रीढ़ हैं। परन्तु भूतपूर्व अ० भा० अ० द्र० मु० क० सरकार द्वारा तमिलनाडु में अब तक किए गये विद्यमान जन-स्वास्थ्य उपाय निंदनीय रूप में अपर्याप्त हैं। मैंने पाया है कि जन-स्वस्थ्य के लिए केवल 14.86 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नियमित बजट में इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : क्या मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूँ कि इस प्रकार से पढ़कर सुनाने का चलन इस सभा में नहीं है ? आप पत्रों को देख भर सकते हैं।

श्री ईरा अनबारासू : महोदय, मैं तो अपनी टिप्पणियों को मात्र देख ही रहा हूँ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : सभापति महोदय यदि आप हमारे दल के व्यक्ति को बोलने के लिये नहीं कहते तो हम विरोध में उठकर बाहर चले जायेंगे। यहां पर हमारा दल दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा विपक्षी दल है। आपको प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुसार सदस्यों को बुलाना है।

सभापति महोदय : मैंने सोचा कि उस राज्य के सदस्यों को ही पहले बोलना चाहिए।...

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : यह कोई तमिलनाडु विधान सभा नहीं है। यह तो भारत की लोक सभा है जिसमें हमारा दल दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा विपक्षी दल है।.....

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं अभी बुलाता हूं।

श्री ईरा अनबारासू : मछली पालन को बढ़ावा देने के लिये केवल एक करोड़ रुपये रखे गये हैं। तमिलनाडु के समुद्र तटीय क्षेत्रों सागर-धन की भारी सम्भावना को देखते हुए, एक करोड़ रुपये का प्रावधान बहुत कम है और अधिक धन देने से सागर-खाद्य उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे हमारे देश को अधिक विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। अतः राशि को दुगना करने के लिये आबंटन को बढ़ाया जाना चाहिये।

तमिलनाडु के पिछड़े वर्ग समुदायों की बड़ी भारी संख्या है और उनको सर्वाधिक कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। अब तक वेन्नीयाकुला क्षत्रिय, सेनमुन्था मुदलियार, बालूजा नायडू मछुआरे,

धोबी, नाई और औउड्र जैसे सबसे अधिक पिछड़े समुदायों के हितों की रक्षा निमित्त कुछ भी कदम नहीं उठाये गये हैं। हरिजनों से दूसरा सबसे बड़ा और सबसे अधिक गरीब एकमात्र समुदाय केवल वेन्नीयाकुला क्षत्रिय समुदाय है। और बार-बार आन्दोलन और धरनों के बावजूद...

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री ईरा अनबारासु : मेरे भाषण में दूसरे सदस्यों ने व्यवधान डाला था। महोदय, मुझे एक मिनट का समय और मिलना चाहिए।

मैं वेन्नीयाकुला क्षत्रिय समुदाय के बारे में बोल रहा था। अ० भा० अ० द्र० मु० क० सरकार इस समुदाय के हितों की सुरक्षा में असफल रही है और उनकी अवहेलना भी की है। सामान्यतया, यदि हमारी प्रिय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जोकि इस सरकार की सर्वेसर्वा हैं और तमिलनाडु के लोग जिन्हें अपनी 'अम्मा' मानते हैं, ऐसा करने में असफल रहती हैं तो फिर कोई भी सरकार इस समुदाय के हितों की रक्षा नहीं कर सकती।

तमिलनाडु के गांवों के लोग अभी भी अन्धकार में हैं। अधिकांश गांवों में बिजली ही नहीं पहुंची है। अ० भा० अ० द्रमुक सरकार ने इस वादे के साथ कि उन्हें बिजली दी जायेगी प्रत्येक व्यक्ति से 2 रुपये वसूल किये, परन्तु धन एकत्र करने के बाद तमिलनाडु सरकार ने केवल उनकी अवहेलना की और ग्रामीणों को ठगा। बहुत से गांवों में बिजली ठीक ढंग से नहीं पहुंचाई गई है।

अब मैं चेंगलपट्टू स्थित कोलावई झील पर बने नौसेना पत्तन परियोजना की बात करता हूं। यद्यपि परियोजना को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था, लेकिन जनता सरकार ने परियोजना को चालू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। अत: मैं अपने प्रिय वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस परियोजना को चालू करने के लिए और आगे कदम उठाएं।

वित्त मन्त्री महोदय को भली-भांति पता है कि कांचीपुरम सिल्क साड़ियों और अन्य रेशमी सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। परन्तु जनता सरकार ने इस उद्योग को पोषण देने के बजाय इस उद्योग पर और अधिक कर लगाए। अत: मेरा वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इस उद्योग को राहत देने के लिए उचित कदम उठाएं।

आज से लगभग दस वर्ष पूर्व कांग्रेस सरकार ने चेंगलपेट में कल्पकम आणविक विद्युत ऊर्जा परियोजना शुरू की थी, परन्तु उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। मेरा इस सदन से अनुरोध है कि इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएं जिससे तमिलनाडु को बिजली के घोर संकट से निकाला जा सके।

श्री एम० रामन्ना राय (कासरगोड) : मैं तमिलनाडु विधान सभा भंग करने एवं एम०जी० रामचन्द्रन सरकार को बर्खास्त करने की क्रिया की मैं निंदा करता हूं। मुझे इस सदन में द्रमुक के सदस्यों के तर्कों को सुनकर विस्मय हुआ है ऐसा जान पड़ता है कि वे लोग इन्दिरा गांधी के द्वारा इसके पूर्व द्रमुक मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी को भूल गये हैं।

(व्यवधान)

इतना ही नहीं करुणानिधि और उनके साथ कुछ लोगों के खिलाफ इंदिरा गांधी की हत्या की कोशिश से संबंधित अपराधिक मामला भी है और अब उसी इंदिरा गांधी की

बढ़ा-चढ़ाकर प्रशंसा की जा रही है। महाशयजी यह कुछ नहीं केवल करुणानिधि एवं इंदिरा गांधी का पाखंड है। यदि यह पाखंड नहीं तो और क्या है ?

अब इस तरह का पाखंड और इस तरह की सांठ-गांठ केवल तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं है। आपको यह मालूम है कि हाल के लोकसभा एवं विधान सभा चुनाव के दौरान केरल में क्या हुआ ? इंदिरा गांधी कांग्रेस ने आर० एस० एस० की समर्थक एन० डी० पी० पार्टी से चुनाव समझौता कर लिया किसलिए ? संभवत: कुछ सीटें जीतने की इच्छा से अगर यह पाखंड नहीं तो और क्या है ? महाशयजी, मैं तमिलनाडु विधान सभा को भंग करने एवं एम० जी० रामचन्द्रन के मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की क्रिया की निंदा करता हूं।

महाशयजी, इस बजट प्रस्ताव में कुछ भी नई चीज नहीं है। तमिलनाडु को उतनी ही राशि प्रदान की गई है जितनी सन् 1979-80 में की गई थी। मेरा प्रश्न यह है कि आखिर तमिलनाडु सरकार को बर्खास्त क्यों किया गया ? विधान सभा को क्यों भंग किया गया ? इसी संदर्भ में मेरा अगला प्रश्न यह है कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे उनके मुद्दे अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय थे। परन्तु यहां अन्ना द्रविण मुनेत्र कड़गम के मंत्रिमंडल जो तमिलनाडु में सुचारु रूप से कार्यरत था उसे भंग किया गया। मेरी समझ में यह बात तब आ सकती है जब पूरे भारत सरकार की पार्टियां अगर चुनाव हारती हैं तो उन्हें भंग किया जाय। यहां एक मात्र अद्रमुक पार्टी ही तमिलनाडु में ठीक काम कर रही है।

कुछ सदस्य—यह अखिल भारतीय अन्ना डी० एम० के० है।

श्री एम० रामन्ना राय : क्षेत्रीय दल से केवल यही आशा की जाती है कि वह लोगों की क्षेत्रीय आवश्यकता को पूरी कर सकती है। यह बात सुसंगत नहीं कि जो पार्टी लोकसभा चुनाव में हार जाय तो उस पार्टी से संचलित राज्य सरकार को भी बर्खास्त किया जाय। डी० एम० के० तमिलनाडू में लम्बे अर्से से शासन में थी। इसके पूर्व कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। तदुपरांत ए० आई० ए० डी० एम० के० सत्ता में आई, परन्तु इसमें किसी भी पार्टी ने कोई महत्वपूर्ण कानून, जैसे बीड़ी एवं सिगार का कानून जो केन्द्रीय सरकार के द्वारा पारित किया गया था, का क्रियान्वयन नहीं करवाया। हालांकि इन पार्टियों ने एक के बाद दूसरी ने राज्य पर शासन किया। परन्तु केरल में इस अधिनियम को लागू किया गया है और इसका लाभ लोग उठा रहे हैं।

मैं अब वित्त मन्त्री, इस सभा और सभापति से यह कहना चाहता हूं कि 1968 से केरल सरकार 'बीड़ी सिगरेट अधिनियम को कार्यान्वित कर रही है। इस अधिनियम को लागू करने का यह उपयुक्त अवसर है क्योंकि तमिलनाडु केन्द्रीय शासन के अधीन है। इससे उन बीड़ी मजदूरों की जो कम वेतन पाते हैं, सहायता की जा सकती है। इस अधिनियम के अन्तर्गत उच्च मजदूरी और अन्य सुविधाएं देने के कारण केरल में बीड़ी उद्योग के अत्यधिक क्षति उठानी पड़ रही है। परन्तु इसके साथ-साथ बीड़ी मजदूरों को बीड़ी उद्योगों के मालिकों के कारण हानि उठानी पड़ रही है। तमिलनाडु के मामलों में इस अधिनियम को लागू नहीं किया जा रहा है जिसके परिणाम-स्वरूप बीड़ी मजदूरों को कम मजदूरी दी जा रही है। अब तमिलनाडु केन्द्रीय शासन के अधीन है। उन्हें अब यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह केन्द्रीय अधिनियम तमिलनाडु में भी लागू हो।

मैंने नोट किया है कि बजट में भूमि सुधारों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की गई है। इस पर आपको सबसे पहले विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है। मैं अब ईरा मोहन को बुलाता हूं।

(व्यवधान)

श्री एम० रामन्ना राय : महोदय, बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। चूंकि कर्नाटक के मुख्य मंत्री 'सक्स आफ दी सायल' नीति को लागू करने जा रहे हैं। इसलिए तमिलनाडु के बहुत से लोग तमिलनाडु में वापस आ जाएंगे। बजट में उन तमिल लोगों के पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था की गई है जो वापस आयेंगे।

सभापति महोदय : राय जी, आपको पांच मिनट का समय दिया गया था। आप 7 मिनट बोल चुके हैं। कृपया बैठ जाइये। आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री एम० रामन्ना राय : तमिलनाडु विधान सभा को भंग किए जाने की निन्दा करनी है।

सभापति महोदय : आप उसी बात को मत दोहराएं जो आप पहले कह चुके हैं।

श्री एम० रामन्ना राय : कांग्रेस (आई) और द्रमुक के बीच हुआ अनुचित गठबन्धन अत्यन्त भ्रामक है।

सभापति महोदय : आप इसे भली-भांति स्पष्ट कर चुके हैं। अब कृपया बैठ जाइये।

श्री एम० रामन्ना राय : मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह बजट में की गई व्यवस्था को मंजूरी न दे।

सभापति महोदय : श्री ईरा मोहन।

***श्री ईरा मोहन (कोयम्बटूर)** : अपनी पार्टी, द्रविण मुनेत्र कषगम की ओर से मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये तमिलनाडु बजट का स्वागत करता हूं और मैं बोलने का अवसर दिये जाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

यह कोई अतिशोक्ति नहीं है कि भ्रष्ट अन्नाद्रमुक सरकार के जाने पर तमिलनाडु के 4·5 करोड़ लोगों ने राहत की सांस ली। भ्रष्ट सरकार को बर्खास्त करना केवल राजनीति से ही प्रेरित नहीं था। जब हमारे राष्ट्रपति हाल ही में मद्रास गए थे तो हमने उन्हें अन्नाद्रमुक सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचारों का एक आरोप-पत्र पेश किया था। इस आरोप-पत्र पर द्रमुक इन्दिरा कांग्रेस, मुस्लिम लीग, फारवर्ड ब्लाक और गठबन्धन के अन्य सहभागियों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये थे। इस सम्बन्ध में मुझे यह आशंका है कि सी० पी० एम० के माननीय सदस्य, जो मेरे से पहले बोले हैं, इसको कहीं गम्भीर से न लें। यदि सी० बी० आई० द्वारा जांच का आदेश दिया जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी और भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो जाएंगे।

मुख्य मंत्री श्री एम० जी० आर० ने पृमफुहार शिपिंग कारपोरेशन के लिए अत्यन्त ऊंची दरों पर समुद्री जहाज खरीदने के लिए एक षड्यन्त्र किया। इस मामले में करोड़ों रुपए लगाए

* तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

गए। इस प्रकार गरीब करदाताओं के धन का अपव्यय किया गया। इस चुनाव के दौरान एक नारा था 'समुद्रीजहाज के चोरों से सावधान।' मुझे पूर्ण विश्वास है कि वित्त मंत्री इससे अवगत है।

द्रमुक सरकार ने लोगों के हित को दृष्टि में रखते हुए यह आदेश दिया था कि निजी बसों के मालिकों को 3 से अधिक बसें चलाने की अनुमति न दी जाए। परन्तु अन्नाद्रमुक सरकार ने सार्वजनिक हित की इस नीति में संशोधन कर दिया और आदेश दिया कि निजी बस मालिक 5 बसें चला सकते हैं। यह आर्थिक लाभों को देखते हुए किया गया है। यह इस अकाट्य तथ्य से सिद्ध होता है कि आर० टी० ओ० ने एम० आर० गोपालन ट्रांसपोर्ट कम्पनी तिरुनेलवेली को गम्भीर परिणामों की धमकी दी थी क्योंकि उन्होंने मुख्य मंत्री को गुप्त रूप से धन देने से इन्कार किया था। इस मामले की सत्यता सी० बी० आई० की जांच से सिद्ध हो जाएगी।

तमिलनाडु में विद्युत की काफी कमी है। उद्योग बन्द कर दिए गए हैं और उत्पादन की सैंकड़ों करोड़ की हानि हो रही है। मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इन्नोर थर्मल प्लांट, टूटीकोरिन प्लांट, नेवेली प्लांट अपनी निर्धारित क्षमता से बहुत कम उत्पादन कर रहे हैं। मैं यह मांग करता हूं कि तकनीकी विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए जो इन प्लाटों में अधिकतम स्तर तक उत्पादन करने के लिए उपायों का सुझाव दें। हम केरल से विद्युत प्राप्त करने के लिए करोड़ों रुपए व्यय कर रहे हैं। द्रमुक सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में 50 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाला एक यूनिट स्थापित करने की एक स्कीम बनाई थी और इसे केन्द्र की स्वीकृति के लिए भेजा था।

केन्द्र सरकार को इसकी जांच-पड़ताल करके शीघ्र ही इसे स्वीकृति देनी चाहिए। मेरे विचार में कुछ आधुनिक मशीनों के अभाव में नेवेली में लिग्नाइट उत्पादन गिर रहा है। नेवेली लिग्नाइट परियोजना हेतु मशीनरी प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। विश्व बैंक ने तमिलनाडु में पीने के पानी की एक व्यापक योजना और भूमिगत जल निकास योजना के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव रखा है। यह वस्तुतः दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य की अन्नाद्रमुक सरकार और केन्द्र में जनता सरकार दोनों ने इस ऋण पर प्रभावपूर्ण ढंग से काम करने का प्रयत्न नहीं किया। केन्द्रीय सरकार को विश्व बैंक से यह ऋण प्राप्त करने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए।

मैं माननीय वित्त मंत्री से तमिलनाडु में स्वर्णकारों को बचाने का भी अनुरोध करता हूं। इन लोगों को स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के कारण अकमनीय कष्ट सहने पड़ रहे हैं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि कोयम्बटूर आकाशवाणी केन्द्र से वाणिज्य सेवा आरम्भ की जाए और चूंकि कोयम्बटूर औद्योगिक शहर है इसलिए सरकार की इससे पर्याप्त आय हो सकेगी। कोयम्बटूर में एक टी० वी० केन्द्र भी स्थापित किया जाए। कोयम्बटूर और त्रिपुरा के रेलवे स्टेशनों का विस्तार किया जाना चाहिए। कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिपुरापल्ली के हवाई अड्डों का विस्तार किया जाना चाहिए। कोयम्बटूर में एक इलैक्ट्रोनिक एस्टेट स्थापित की जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री० के० ए० राजन (त्रिचूर) : सभापति महोदय, हमारे समक्ष अन्तरिम बजट और

तमिलनाडु अनुदानों की मांगें हैं। वित्त मंत्री ने हमें पहले ही यह चेतावनी दी है कि इस बजट की अपनी सीमाएं है। परन्तु विभिन्न मदों के लिए किए गए आबंटन के विषय में कुछ कहने पूर्व मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा हूं। राज्य विधानसभाओं के भंग होने के सम्बन्ध में मेरा मत यह है कि यह असंवैधानिक, गैर-कानूनी और एक पक्षीय कार्रवाई है। जब हमारे समक्ष राष्ट्रपति की घोषणा स्वीकृति के लिए आएगी तो हमें इस पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा और मैं इस समय इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। श्री वेंकटरामन तमिलनाडु की समस्याओं से भली-भांति परिचित हैं। मैं एक महत्वपूर्ण समस्या पर प्रकाश डालना चाहता हूं। यद्यपि उन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर आबंटन किया है। जहां तक विद्युत उत्पादन का प्रश्न है, हम सब जानते हैं कि तमिलनाडु में अत्यधिक कमी है और सौभाग्य की बात तो यह है कि तमिलनाडु अपनी कमी की पूर्ति यथासम्भव केरल से कर रहा है। परन्तु भविष्य में केरल तमिलनाडु को विद्युत सप्लाई नहीं कर सकेगा। मेरे विचार में तमिलनाडु में विद्युत की कमी का कारण यह है कि वहां के मौजूदा विद्युत केन्द्रों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। हमें इन बातों की पुनरीक्षा भविष्य के संदर्भ में करनी है। मेरे विचार में हमें नई परियोजनाएं बनानी होंगी। अन्यथा औद्योगिक और कृषि दोनों क्षेत्रों में संकट उत्पन्न हो जाएगा। वित्त मंत्री इस तथ्य से अवगत हैं और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आगामी वर्षों में विद्युत के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस मामले पर विचार किया जाए।

इससे पहले कि मैं तमिलनाडु की कुछ अन्य समस्याओं की बात करूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि 2 मार्च, 1980 को तमिलनाडु विधानसभा के भंग हो जाने के पश्चात् विघटन विरोधी दलों ने मद्रास शहर में एक जुलूस निकाला दुर्भाग्यवश कुछ घटनाएं घटीं और इन 16 दलों के प्रतिनिधि 16 मार्च को राज्यपाल से मिले और उन्हें एक अभ्यावेदन दिया तथा उनसे अनुरोध किया कि इस घटना की तथा राज्य की कुछ राजनीतिक पार्टियों के गठजोड़ से पुलिस ने जुलूस वालों पर जो अत्याचार किए उसकी न्यायिक जांच करवाएं। इसके अतिरिक्त पिछली सरकार द्वारा पास किए गए कुछ कानून भी हैं। शराब परमिटों से संबंधित नियमों को उदार बनाने के लिए नशाबन्दी संशोधन अधिनियम पेश किया गया और पारित हो गया। विरोधी पार्टियों ने इस मामले को 16 मार्च, 1980 को राज्यपाल के समक्ष रखा। परन्तु इस संबध में अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

एक अन्य बात बेरोजगार स्नातकों को भत्ता देने से संबन्धित है। पिछली सरकार ने बेरोजगार स्नातकों को 60 रुपये प्रति मास देने की स्वीकृति दी थी। इस स्कीम को अत्यन्त लाभकर समझा गया था और अब इसे लागू नहीं किया जा रहा है। किसानों के हित में भी अन्नाद्रमुक सरकार ने एक विधेयक रखा था। तमिलनाडु में कोई भी सरकार आए उसे किसानों के हितों को देखना चाहिए अतः इस विधेयक के कुछ उपबन्धों विशेष पर विचार किया जाए।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या जो न केवल तमिलनाडु को प्रभावित कर रही है, अपितु सभी राज्यों को प्रभावित कर रही है, वह है मंहगाई की समस्या। मिट्टी का तेल, डीजल आदि आवश्यक वस्तुओं की कमी की समस्या तथा अन्य सभी समस्यायें इस राज्य की भांति अन्य राज्यों की है। इस समस्या का समाधान तमिलनाडु के किसानों के हित में तथालोगों के हित में किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन सभी बातों पर विचार करके आवश्यक कार्रवाई करेगी।

जिन पुलिसजनों को आन्दोलन में भाग लेने के लिये पीड़ित किया गया इस सरकार ने उन्हें बहाल करने का निर्णय लिया है। परन्तु दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश इस निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया गया है और पुलिसजन खाली घूम रहे हैं। इस समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। मुझे आशा है कि सरकार इन सभी बातों का ख्याल रखेगी और उचित ढंग से इन पर विचार करेगी।

वित्त और उद्योग मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : समापति महोदय, इस चर्चा में काफी सदस्यों ने भाग लिया है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनेक सुझाव दिये हैं। मैं पहले संक्षेप में वित्तीय आवंटन से सम्बंधित स्थिति को स्पष्ट करूंगा और बाद में माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों की चर्चा करूंगा। महोदय, तमिलनाडु की वित्तीय स्थिति अच्छी प्रतीत होती है। वर्ष 1980-81 के बजट के अनुसार पूंजीगत व्यय के पश्चात् केवल 23.00 लाख रुपये का घाटा रहेगा और इसकी पूर्ति राजस्व एकत्र करके तथा बचत करके की जा सकेगी। राज्य ने योजना व्यय में वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। 1980-81 में हमने 307 करोड़ रुपये की तुलना में 383 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसमें आई० ए० टी० पी० फार्मूले के अन्तर्गत अन्य 30 करोड़ भी सम्मिलित हैं। योजना व्यय में की गई इस वृद्धि का पता विद्युत और सिंचाई क्षेत्र को दी गई उच्च प्राथमिकताओं से चलता है।

श्री राजन तमिलनाडु में विद्युत के अभाव का जिक्र कर रहे थे। मैं उन्हें यह सूचित करना चाहता हूं कि वर्ष 1980-81 में 383 करोड़ रुपयों में से 155 करोड़ रुपये इस उद्देश्य के लिए रखे गये हैं। तमिलनाडु सरकार राज्य की गम्भीर स्थिति से भली-भांति परिचित है। इस कठिनाई का एक अन्य कारण यह है कि थर्मल पावर स्टेशन की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। इन्नोर, टूटीकोरिन और नेवेली विद्युत संयंत्र की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। उनके उत्पादन में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो गई है और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि विशेषज्ञों का एक दल वहां उन्हें ठीक करने जा रहा है। चेकोस्लोवाकिया, स्कोडा एजेंसी से, जिनसे इन्नोर का संयंत्र प्राप्त किया गया था विशेषज्ञ प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है ताकि विशेषज्ञों की राय प्राप्त की जा सके और इन संयंत्रों का ठीक ढंग से रख-रखाव हो सके। एक बार इन तीन यूनिटों में उत्पादन में वृद्धि हो जाए तो विद्युत स्थिति सुधर जाएगी।

पिछले वर्ष इस राज्य पर बाढ का प्रभाव पड़ा और सातवें वित्त आयोग के फार्मूले के अनुसार बाढ़ के कारण हुई हानि को पूरा करने के लिए 75% राशि राज्य को केन्द्र द्वारा दी गई है। अधिकतम 15.68 करोड़ रुपये के व्यय की स्वीकृति हुई है और इसका 75% राज्य को दिया गया है। सामान्य 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अधीन तमिलनाडु को 73,000 टन खाद्यान्न आबंटित किया गया है और यह आबंटन संतोषजनक प्रतीत होता है।

मैं अब माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों को लूंगा। श्री अब्दुल समद ने विद्युत स्थिति का उल्लेख किया है और मैं इस संबंध में पहले ही बोल चुका हूं। उन्होंने सेलम इस्पात संयंत्र का भी जिक्र किया है और शिकायत की है कि उसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की गई है। मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि सेलम इस्पात संयंत्र के लिए 1979-80 के 40 करोड़ रुपये के आवंटन को बढ़ाकर 52 करोड़ रुपये कर दिया गया है। संयंत्र की कुल अनुमानित लागत

137 करोड़ रुपये है। उन्होंने पाम्बन पुल का भी जिक्र किया है जहां काम रुका पड़ा है। उस इलाके में पिछले वर्ष आए तूफान और बाढ़ के कारण थोड़ा बहुत काम जो किया गया था उसे नुकसान पहुँचा है। इस मामले के संबंध में ठेकेदार और सरकार के बीच बात-चीत चल रही है। और हमें आशा है कि इसे शीघ्र ही सुलझा लिया जायेगा और कार्य पुनः प्रारंभ हो जायेगा। ठेकेदार यह चाहता है कि बाढ़ तथा तूफान के कारण हुई क्षति का खर्च सरकार द्वारा पूरा किया जाये। श्री कोसलराम द्वारा कृषकों से वसूली के सम्बंध में एक अन्य बात उठाई गई है। मैं इस सम्बन्ध में सदन को यह बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार केन्द्रीय बैंकों को 27.5 करोड़ रुपये उधार देने के लिए सहमत हो गई है ताकि केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण ले सके; ताकि केन्द्रीय बैंक इसका भुगतान कर सके और भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण की सुविधाएं प्राप्त कर सके। अभी भी अत्यधिक मात्रा में ऋण की बकाया धनराशि का भुगतान करना है तथा इतना ऋण बाकी है कि केन्द्रीय बैंक बकाया धनराशि का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए वे रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करने में असमर्थ हैं। अब इस धनराशि को राज्य सरकारों द्वारा दिया जा रहा है और केन्द्रीय बैंकों को ऋण दिया जा रहा है ताकि केन्द्रीय बैंक, रिजर्व बैंक से ऋण लेते रहें। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि यह सुविधा केवल उन्हीं को उपलब्ध होगी, जिन्होंने ऋणों का भुगतान कर दिया है और जिन्होंने इसका भुगतान नहीं किया है उनके लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

मद्रास के लिए तीव्र गति से चलने वाली परिवहन व्यवस्था के लिए माननीय सदस्यों द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस मामले पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। चूंकि यह एक ऐसी योजना है जिस पर काफी धन खर्च होगा, इसलिए शीघ्रता से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता।

श्री के० टी० कोशलराम : विश्व बैंक ऋण देने के लिए तैयार है।

श्री आर० वेंकटरामन : अन्यथा हम इसे आरंभ कर ही नहीं सकेंगे। बहुत सी अन्य बातें भी सदन में उठाई गई थीं जिनके बारे में मैं उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता। उनमें से अधिकतर बातें एक दूसरे पर दोषारोपण करने से सम्बन्धित हैं और वे बजट से नाममात्र के लिए ही सम्बन्धित हैं। अब मैं बजट को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : यदि कोई सदस्य यह नहीं चाहता कि उसके किसी कटौती प्रस्ताव को पृथक् रूप से रखा जाए तो मैं अब तमिलनाडु की वर्ष 1980-81 की लेखानुदानों की मांगों के सम्बन्ध में सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा।

ठीक है। अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए एक साथ रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब मैं लेखानुदानों की मांगों (तमिलनाडु) को मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग संख्या 1 से 56 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के

स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक लेखानुदान की राशियां तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली 1980-81 के लेखानुदानों की मांगों (तमिलनाडु) की सूची

मांग की संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	भू-राजस्व विभाग	1,81,02,000	—
2.	राज्य उत्पाद शुल्क विभाग	28,75,000	—
3.	मोटर वाहन अधिनियम-प्रशासन	54,37,000	—
4.	सामान्य बिक्री कर तथा अन्य कर और शुल्क-प्रशासन	2,51,93,000	—
5.	स्टाम्प प्रशासन	24,68,000	—
6.	पंजीयन	99,34,000	—
7.	राज्य विधान मण्डल	27,60,000	—
8.	निर्वाचन	3,74,78,000	—
9.	राज्य अध्यक्ष, मंत्री और मुख्यालय स्टाफ	5,38,34,000	—
10.	दुग्ध पूर्ति स्कीम	23,72,000	—
11.	जिला प्रशासन	6,98,68,000	—
12.	तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1959 का प्रशासन	57,60,000	—
13.	न्याय प्रशासन	2,23,08,000	—
14.	जेलें	1,91,63,000	—
15.	पुलिस	14,19,91,000	—

1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
16.	अग्नि शमन सेवा (दमकल सेवा)	1,06,78,000	—
17.	शिक्षा	73,24,26,000	—
18.	चिकित्सा	19,50,83,000	--
19.	लोक स्वास्थ्य	14,86,20,000	—
20.	कृषि	17,21,31,000	—
21.	मीन उद्योग	1,03,67,000	—
22.	पशु-पालन	4,9647,000	—
23.	सहकारिता	2,87,67,000	—
24.	उद्योग	3,69,85,000	—
25.	सिनकोना	58,95,000	—
26.	हथकरघा और वस्त्र उद्योग	1,59,15,000	—
27.	खादी	52,64,000	—
28.	सामुदायिक विकास परियोजना, आदि	16,10,10,000	—
29.	श्रम और कारखाने	1,88,74,000	—
30.	समाज कल्याण	3,60,62,000	—
31.	अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आदि का कल्याण	6,37,65,000	—
32.	पिछड़े वर्गों आदि का कल्याण	2,51,18,000	—
33.	आवास	2,68,80,000	—
34.	नगर विकास	4,25,94,000	—
35.	नागरिक पूर्ति	1,72,01,000	—

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
36.	सिंचाई	9,91,13,000	—
37.	लोक निर्माण—इमारतें	88,71,000	—
38.	लोक निर्माण-स्थापना तथा औजार और संयंत्र	2,88,46,000	—
39.	सड़कें और पुल	16,72,28,000	—
40.	सड़क परिवहन सेवाएं और नौवहन	13,60,000	—
41.	दैवी विपत्तियों के कारण सहायता	97,000	—
42.	पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	9,61,01,000	—
43.	विविध	15,28,89,000	—
44.	लेखन सामग्री और मुद्रण	2,89,71,000	—
45.	वन विभाग	2,05,95,000	—
46.	मुआवजा और समनुदिष्ट राशियां	6,27,72,000	—
47.	सूचना पर्यटन और फिल्म प्रोद्योगिकी	61,92,000	—
48.	कृषि पर पूंजी परिव्यय	—	60,82,000
49.	औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय	—	1,75,73,000
50.	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	—	10,79,62,000
51.	लोक निर्माण—इमारतों पर पूंजी परिव्यय	—	4,43,35,000
52.	सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय	—	3,68,14,000
53.	सड़क परिवहन सेवाओं और नौवहन पर पूंजी परिव्यय	—	3,23,000
54.	वनों पर पूंजी परिव्यय	—	2,49,42,000
55.	विविध पूंजी परिव्यय	—	2,90,44,000
56.	राज्य सरकार द्वारा उधार और अग्रिम	—	38,06,57,000
	जोड़	2,89,58,60,000	64,77,32,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब में तमिलनाडु की वर्ष 1979-80 के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये—

मांग संख्या 1 से 4, 6 से 9, 12 से 31, 33, 34, 36 से 41, 43 से 56.

लोक सभा

सदन की स्वीकृति के लिब प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 1979-80 के अनुदानों की पूरक मांगों (तमिलनाडु) की सूची (की कार्यसूची के अनुसार)

मांग की संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	भू-राजस्व विभाग	71,91,000	—
2.	राज्य उत्पाद शुल्क विभाग	35,39,000	—
3.	मोटर वाहन अधिनियम-प्रशासन	10,47,000	—
4.	सामान्य बिक्री कर तथा अन्य कर और शुल्क-प्रशासन	33,61,000	—
6.	पंजीयन	9,65,000	—
7.	राज्य विधान मण्डल	17,73,000	—
8.	निर्वाचन	3,47,48,000	—
9.	राज्य-अध्यक्ष, मंत्री और मुख्यालय स्टाफ	1,61,64,000	—
12.	तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1959 का प्रशासन	8,00,000	—
13.	न्याय प्रशासन	9,78,000	—
14.	जेलें	88,99,000	—
15.	पुलिस	60,96,000	—

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
16.	अग्नि शमन सेवा (दमकल सेवा)	11,84,000	—
17.	शिक्षा	4,04,72,000	—
18.	चिकित्सा	2,03,46,000	—
19.	लोक स्वास्थ्य	7,000	—
20.	कृषि	8,30,79,000	—
21.	मीन उद्योग	55,77,000	—
22.	पशु पालन	1,67,69,000	—
23.	सहकारिता	5,03,45,000	—
24.	उद्योग	6,000	—
25.	सिनकोना	1,000	—
26.	हथकरघा और वस्त्र उद्योग	1,16,92,000	—
27.	खादी	1,000	—
28.	सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि	7,66,90,000	—
29.	श्रम और कारखाने	35,09,000	—
30.	समाज कल्याण	89,68,000	—
31.	अनुसूचित जन-जाति और अनुसूचित जाति आदि का कल्याण	9,000	—
33.	आवास	3,000	—
34.	नगर विकास	4,77,42,000	—
36.	सिंचाई	6,19,52,000	—
37.	लोक निर्माण—इमारतें	1,34,33,000	—
38.	लोक निर्माण—स्थापना तथा औजार और संयंत्र	3,19,60,000	—
39.	सड़कें और पुल	13,88,86,000	—
40.	सड़क परिवहन सेवाएं और नौवहन	59,70,000	—
41.	दैवी विपत्तियों के कारण सहायता	1,04,08,000	—
43.	विविध	1,000	—

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
44.	लेखन सामग्री और मुद्रण	1,000	—
45.	वन विभाग	1,05 48,000	—
46.	मुआवजा और समनुदिष्ट राशियां	1,93,27,000	—
47.	सूचना-पर्यटन और फिल्म प्रौद्योगिकी	65,09,000	—
48.	जमींदारों को मुआवजा	—	9,03,000
49.	लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल पूर्ति पर पूंजी परिव्यय	—	4,37,000
50.	कृषि पर पूंजी परिव्यय	—	1,000
51.	औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय	—	2,86,55,000
52.	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	—	7,000
53.	लोक निर्माण—इमारतों पर पूंजी परिव्यय	—	3,000
54.	सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय	—	1,000
55.	सड़क परिवहन सेवाओं और नौवहन पर पूंजी परिव्यय	—	4,53,50,000
56.	वनों पर पूंजी परिव्यय	—	80,61,000
57.	विविध पूंजी परिव्यय	—	11,27,77,000
58.	राज्य सरकार द्वारा उधार और अग्रिम	—	1,29,23,83,000
	जोड़	75,09,56,000	1,48,85,78,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

तमिलनाडु विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980

वित्तमंत्री श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग कि सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 तथा 3 और अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 तथा 3 और अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 1, अधिनियमत-सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

तमिलनाडु विनियोग विधेयक, 1980

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1979-80 को सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य को संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1979-80 को सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य को संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब खण्डवार विचार किया जायेगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड, 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उत्तर प्रदेश बजट, 1980-81—सामान्य चर्चा, अनुदानों की मांगें (लेखानुदान), 1980-81, और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (उत्तर प्रदेश), 1979-80

सभापति महोदय : अब सदन में यह संख्या 32, 33 और 34 जोकि उत्तर-प्रदेश के बजट के बारे है यह विचार किया जायेगा जिसके लिए 2½ घंटे का समय निर्धारित किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या श्री चन्द्रपाल शैलानी सदन में उपस्थित हैं और अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि परिवहन विभाग शीर्षक के अन्तर्गत अनुदानों की मांग में 100 रु० कम किये जायें ।"

[अलीगढ़ में सिकन्दरराव नगर में बस अड्डे पर स्थायीय भवन का निर्माण करने की आवश्यकता क्योंकि यात्रियों को अत्यधिक असुविधा और कठिनाई होती है (1)]

"कि परिवहन विभाग शीर्षक के अन्तर्गत अनुदानों की मांग में 100 रु० कम किये जायें ।"

[सिकन्दरराव-जलेसर रोड पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें चलाई जाने की आवश्यकता (2)]

"कि गृह विभाग (पुलिस) शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रु० कम किये जायें ।"

[दिनोंदिन कानून और व्यवस्था की स्थिति के बिगड़ते जाने के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के जनसामान्य के बीच भय और असुरक्षा की भावना का फैलना (3)]

"कि लोक निर्माण विभाग (आवास इतर भवन) शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रु० कम किये जायें ।"

[उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के पनैथी से शंकरा तक की खराब हालत वाली कच्ची सड़क को पक्का किये जाने की आवश्यकता (4)]

"कि लोक निर्माण विभाग (आवास इतर भवन) शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रु० कम किये जायें ।"

[कासवानगंगीरी से सिकन्दरपुर चौक तथा कासवानगंगीरी से अतरौली तक की कच्ची सड़क को पक्का किये जाने की आवश्यकता (5)]

"कि लोक निर्माण विभाग (आवास इतर भवन) शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[अलीगढ़ जिले की सिकन्दराराव तहसील के गांव रतीमानपुर से पौंड़ा तक की कच्ची सड़क को तुरन्त पक्की सड़क में बदलने का कार्य शुरू करने की आवश्यकता (6)]

"कि कृषि विभाग (कृषि) शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रु० कम किए जायें :"

[उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के उन किसानों को तुरन्त आर्थिक सहायता दिये जाने की आवश्यकता जिनकी फसल भारी ओलावृष्टि से नष्ट हो गई है। (7)]

"कि कृषि विभाग (कृषि) शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हैसियन का उत्पादन करने वाले किसानों को, उसकी कृषि का विकास करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन देने की आवश्यकता (8)]

"कि उद्योग विभाग (भारी और मध्यम श्रेणी उद्योग) शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[अत्यधिक धान उपजाने वाली अलीगढ़ जिले की सिकन्दराराव तहसील में एक बड़ा सरकारी धान मिल स्थापित करने की आवश्यकता (9)]

"कि चिकित्सा विभाग—पूंजी परिचय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में सिकन्दराराव में, जो तहसील मुख्यालय है, एक नये और आधुनिक अस्पताल की स्थापना करने की आवश्यकता (10)]

"कि चिकित्सा विभाग—पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में ग्राम पौंड़ा में एक सार्वजनिक अस्पताल स्थापित करने की आवश्यकता (11)]

"कि खाद्य और सिविल पूर्ति विभाग—पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदारों की मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[उत्तर प्रदेश में डीजल और मिट्टी के तेल की भारी कमी, जिसके परिणामस्वरूप किसानों और छात्रों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है (12)]

"कि खाद्य और सिविल पूर्ति विभाग...पूंजी परिव्यय शीर्षक अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[उत्तर प्रदेश में सीमेंट की भारी कमी, जिसके परिणामस्वरूप जन सामान्य को बड़ी कठिनाई हो रही है (13)]

"कि खाद्य और सिविल पूर्ति विभाग—पूंजी परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत लेखानुदानों की मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[उत्तर प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की कमी और ऊंचे मूल्यों के कारण उत्पन्न नाजुक स्थिति (14)]

सभापति महोदय : मैं यह विनती करूंगा कि जो प्वाइन्ट्स रेज किए जाएं, वे रिपीट न हों।

श्री मुलतान सिंह।

चौधरी मुलतान सिंह (जलेसर) : सभापति महोदय, यदि समय कम है, तो मैं अपना भाषण पढ़ देता हूं। जो उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ है, वह न के बराबर है और किसान विरोधी है। किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है। गेहूं की कीमत कम से कम 200 रुपये प्रति क्वींटल देनी चाहिए थी। सन् 1970 में गेहूं का मूल्य 96 रुपये प्रति क्वींटल था जबकि सन् 1980 में 117 रुपये है। ट्रेक्टर सन् 1970 में 14 हजार रुपये का आता था और आज वह 60 हजार रुपये का आ रहा है।

किसान के उपयोग में आने वाली सभी चीजों—सीमेन्ट, लोहा, खाद, बीज, कपड़े की कीमतों से 3 से 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। जबकि खेती के उद्योग में पैदा होने वाली चीजों को सवाई या ड्योढ़ी वृद्धि भी नहीं हुई है। कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं। लेकिन कृषि मंत्री जी भी क्या करें ? सही बात यह है कि जो भी किसान की उपज का मूल्य तय किया जाता है वह किसान से पूछकर नहीं किया जाता है। नौकरशाही उसकी उपज का मूल्य तय कर देती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें कृषि मन्त्री जी की राय ली जाती है, या इस हाउस की राय ली जाती है ? नहीं। देश के 65 प्रतिशत आदमी कृषि में लगे हुए हैं। उनके द्वारा जो पैदावार की जाती है उसके दाम दफ्तर में बैठकर तय कर दिये जाते हैं। सही बात तो यह है कि जिनको गेहूं और ज्वार की बाली का भी पता नहीं होता, वे लोग इन चीजों का दाम तय कर देते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि खेती को उद्योग में शामिल कर लिया जाए। क्या कारण है कि कोई भी वस्तु जो इस देश में बनती है, उसका मूल्य बनाने वाला खुद तय करता है। जब वह उसका दाम लगा देता है तभी वह चीज बाजार में बिकती है। जबकि किसान का मूल्य दूसरे लोग तय करते हैं। (व्यवधान) आप उस पर इनकम टैक्स लगा दीजिए, हम देने को तैयार हैं, लेकिन उसकी उपज का दाम भी उसको उद्योग मानकर तय किया जाए। उपज में उसकी क्या लागत आती है, उसकी जमीन की कीमत पर ब्याज और मजदूरी शामिल करके उसका मूल्य तय किया जाए। क्या कारण है कि कारखाने में जहां कोई वस्तु बनती है, उस कारखाने की आमदनी पर से जब इनकम टेक्स कटता है तो उसे जमीन की कीमत पर भी छूट मिलती है, कारखाने में दो दीवारें खड़ी की जाती हैं तो उस पर भी छूट मिलती है। अगर किसान को भी इन सब चीजों पर छूट दर कर इनकम टैक्स लगाया जाए और उसके माल की कीमत तय की जाए तो गेहूं एक हजार रुपये क्विन्टल से कम नहीं बिक सकता।

एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि फसल का बीमा तुरन्त लागू किया जाए। जानवरों और फसल का बीमा होना चाहिए। मेरे फार्म में आग लग गयी। 60 हजार रुपये का अनाज जल गया। मुझे बस 105 रुपये का लगान माफ कर दिया। अगर किसी कारखाने में आग लग जाती है तो वह सवा लाख का तो क्लेम बीमा से कर लेता, कई साल इनकम टेक्स और सेल्स टैक्स में छूट ले लेता। मैं आप से कहता हूं कि पिछले ढाई साल तो किसान की तरफ देखा गया

है वरना किसान बहुत पीछे पड़ा रहा है। किसान और मजदूर को उसकी उपज की और काम की पूरी मजदूरी कभी नहीं दी गयी। (व्यवधान) पहले हमारा उत्तर प्रदेश सारा का सारा सूखा ग्रस्त था। अब ओला पड़ गया है। सिर्फ कुछ ही जिले इससे बचे हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसमें किसान की ज्यादा से ज्यादा सहायता करें। वरना किसान या तो बर्बाद होगा या फिर देश में बगावत करेगा। अगर उसकी मदद नहीं की गई तो दस-पन्द्रह साल के अन्दर देश में बगावत होगी और जिस तरह से रूस में साइबेरिया की बरफ में राजाओं को डाल दिया जाता था यहां अब भी चाहे बगावत हुई तो 500 राजाओं के साथ ऐसा ही होगा।

पिछली सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए जो सड़कें बनानी शुरू की थीं वे इस सरकार ने सब बंद कर दी हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में सब सड़कें बनना बंद हो गयी हैं। लाखों मजदूर भूखे मर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सब सड़कें जो कच्ची बन चुकी हैं उनको पक्का किया जाए ताकि मजदूर को काम मिल सके और गांव की पक्की सड़क भी बन जाए। क्या कारण है कि दिल्ली में पांच-पांच सौ फीट चौड़ी सड़कें बनती हैं और गांव की बेटियों को विवाह के बाद बैल गाड़ी में बिठा कर विदा किया जाता है?

काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी इस सरकार ने बंद कर दिया है जिससे लाखों मजदूर भूखे मर रहे हैं। मेरे क्षेत्र जलेसर में सिरसा, सेंगर व ईरसान नदियां बहती हैं जो कि बुलन्दशहर होकर जाती हैं। यह ठीक है कि यह अरबों का बजट है। लेकिन इससे बुलन्दशहर से लेकर कानपुर तक जितने भी जिले पड़ते हैं और जो गरकी के कारण बरबाद हो चुके हैं उनका कोई भला होने वाला नहीं है। यहां पर जिन किसानों के पास दो-दो सौ और डेढ़-डेढ़ सौ बीघा जमीन भी है वे भी भूखों मर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा धन यहां के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए खर्च किया जाए और सिरसा, सेगर, ईसन नदियों को गहरा करके इनको नालों का रूप प्रदान किया जाए।

मैं आगरा से आया हूं। हमारे यू०पी० में आगरा, मेनपुरी, इटावा और मध्य भारत के भिंड और ग्वालियर और राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर आदि जिलों में डकैतियां बहुत ज्यादा पड़ती हैं। इनका इतिहास बहुत पुराना है। बाबर के समय से यहां डकैतियां पड़ती आ रही हैं। बाबर ने भी दस हजार घोड़े अमन कायम रखने के लिए यहां रखे हुए थे। मेरी राय में इन जिलों में कोई सरकार नहीं है, न तो केन्द्र की और न ही प्रदेश की कोई सरकार है। आज तक कोई सरकार यहां रही ही नहीं है। डकैत जो उनके मन में आता है करते हैं। मेरा सुझाव है कि यहां लोगों को कम्पलसरी तालीम दी जाए और साथ ही साथ सबको अवश्य ही नौकरियां दी जाएं। साथ ही यहां पर इंडस्ट्रीज भी लगाई जाएं और रेलों और सड़कों का जाल बिछाया जाए। अगर यह सब नहीं किया जाता है तो इन तीनों प्रदेशों के ये जिले परेशान रहेंगे। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते हैं तो सेंटर इनके प्रबंध को अपने हाथ में ले ले और वही यहां सब इन्तजाम करे।

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि जब तक प्रति व्यक्ति पांच सौ रुपये आय न हो जाए तब तक किसी की तनख्वाह न बढाई जाय। साथ ही दो हजार से ज्यादा किसी की तनख्वाह न हो

जब तक हर परिवार की आमदनी 500 पांच सौ रुपया न हो जाए तब तक कोई स्ट्राइक न कर सके, इसका प्रबंध आपको करना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : जमीन की बात भी तो कहो ।

चौ० मुलतान सिंह : किसी के पास अगर जमीन साठ हजार की है तो उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप ऊपर के पांच आदमियों का धन ले लें तो देश का कल्याण हो सकता है। किसी की जमीन अगर साठ हजार की है तो बिड़ला के पास सत्तर करोड़ की है ।

मैं कह रहा था कि जब तक प्रति व्यक्ति आय पांच सौ रुपये न हो जाए तब तक किसी का महंगाई भत्ता या दूसरे भत्ते न बढ़ाये जाएं और न ही किसी की तनख्वाह बढ़ाई जाये ।

पिछड़े वर्गों के लिए मैं चाहता हूं कि 45 प्रतिशत नौकरियां सुरक्षित कर दी जाएं । अगर यह नहीं हो सकता है तो शैड्यूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासिस को खुला छोड़ दिया जाए और ऊंची जातियों के लिए आबादी के अनुपात अनुसार रिजर्वेशन दे दिया जाए । रोजाना उनके मकान छुंकते हैं और रोजाना नुक्ताचीनी होती है । मैं चाहूंगा कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासिस को छोड़ दिया जाये और ऊंची जातियों के लिए रिजर्वेशन आबादी के अनुपात के अनुसार कर दिया जाए ।

यह एक प्रथा सी पड़ गई है कि जिसकी सरकार बनती वह दूसरों की प्रदेश सरकारों को भंग करवा देता है । प्रधानमन्त्री सलाह देकर लोक सभा को भंग करवा सकती हैं और राज्य का मुख्यमन्त्री सलाह देकर प्रदेश की विधान सभा को भंग करवा सकता है । मैं प्रार्थना करूंगा कि संविधान को संशोधित किया जाए ताकि किसी भी विधान सभा या लोक सभा को प्रधानमन्त्री या मुख्यमन्त्री की राय मानकर भंग न किया जा सके और साथ ही साथ विभिन्न दलों के नेताओं को कम से कम तीन बार सरकार चलाने का मौका दिया जाना चाहिए ।

एटा डिस्ट्रिक्ट में औसतन साढ़े चार मौतें रोज डकैतों द्वारा की जाती हैं । दिल्ली में एक कुतिया भी मर जाती है तो फोटो अखबारों में छप जाते हैं । लेकिन इन चार के नाम तक अखबारों में नहीं आते हैं । इस ओर आपका विशेष ध्यान जाना चाहिए ।

आप यह भी देखें कि बजट का 83 फीसदी भाग तनख्वाहों में चला जाता है और 17 प्रतिशत भाग ही विकास कार्यों में खर्च होता है । यही चीज 34 साल से चली आ रही है । आप देखें कि 13 रुपये मिलते हैं 85 आदमियों को देश में और 87 रुपये मिलते हैं 15 आदमियों को। यह कहां का न्याय है ? मेरी मांग है कि धन का बटवारा देहात और शहर में आबादी के लिहाज से होना चाहिए और सर्विसस भी आबादी के लिहाज से ही देहात और शहर के लोगों को दी जानी चाहिए ।

हिंडालको में बिड़ला को बिजली 11 पैसे फी यूनिट मिलती है और किसान को 26 पैसे । यह कहां का इन्साफ है ।

उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का दूसरा कारण यह भी है कि यह प्रदेश बहुत बड़ा है । और मैं चाहता हूं, बल्कि प्रस्ताव करता हूं कि इसके 4 टुकड़े कर दिए जाएं, बल्कि 6 करने चाहिए। वरना यह प्रदेश भुखमरी से बच नहीं सकता । क्योंकि देखा यही गया है कि छोटे प्रदेश हमेशा खुशहाल रहे हैं, जबकि बड़े प्रदेश नहीं ।

तीसरी बात यह कहनी है कि बिजली और डीजल कृषि मंत्री को दिये जायें वरना इस देश का किसान साफ हो जाएगा। कृषि मंत्री के पास कोई चीज नहीं है। न आप तेल देते हैं; न बिजली। तेल किसानों ने ब्लैक में खरीद कर अपना काम चलाया है। मैं जानना चाहता हूं कि ब्लैक में तेल कहां से मिल जाता है? 7 रुपये लिटर के हिसाब से आप जितना चाहें तेल ले सकते हैं। तो क्यों नहीं डेढ़ रुपये लिटर के हिसाब से मिलता है?

बस यही कहकर आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : श्रीमान् मैं माननीय वित्त मंत्री जी को आय व्ययक प्रस्तुत करने के लिए हार्दिक वधाई देता हूं। यह वधाई इस संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वित्त मंत्री जी के ऊपर और विशिष्ट काल में जवकि पिछले तीन साल के कुशासन ने अर्थव्यवस्था को अस्तव्यस्त कर दिया है, सारी उत्पादक प्रणाली को क्षतिग्रस्त कर दिया है··· ।

(व्यवधान)

श्री मुल्तान सिंह : 32 साल आपने राज किया और हमारे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हमने ढाई साल में कुछ नहीं किया तो आपने 32 साल में कौन सा कमाल कर दिया है?···

(व्यवधान)

सभापति महोदय : शायद आप यह नहीं महसूस कर रहे कि आप अपने मित्र के भाषण में व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमान्, मैं कह रहा था कि इस बिखरी हुई अस्तव्यस्त क्षतिग्रस्त अर्थ-व्यवस्था को वित्तमंत्री जी स्वरूप दें, ऐसी महान चुनौती मैं समझता हूं हमारे स्वतंत्र देश के इतिहास में किसी वित्त मंत्री के सामने प्रस्तुत नहीं हुई।

मैं आपके द्वारा माननीय संसद से आग्रह करूंगा कि इस बजट को इस परिपेक्ष्य में देखें, इस संदर्भ में देखें आज उत्तर प्रदेश का नियोजन, उसका विकास यह केवल एक प्रदेश की समस्या नहीं है। यह एक राष्ट्र की महत्वपूर्ण समस्या है कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रान्त जहां जनसंख्या का बाहुल्य है, जहां आबादी का घनत्व, जनसंख्या का घनत्व 340 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हो, ऐसे प्रदेश का नियोजन आज एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। श्रीमन्, यह सदन जानता है कि यह बजट माननीय वित्त मंत्री जी और वर्तमान सरकार की जो आकांक्षायें हैं उनको प्रतिबिम्बित नहीं करता। यह बजट मिला है पिछली सरकार जो उत्तर प्रदेश की थी उसके द्वारा जो खर्च किए गये, जो योजना बनायी गयी यह बजट प्रधानतया उसका प्रतिबिम्ब है। मुझे विश्वास है कि जब माननीया प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में अपनी नई सरकार की नयी नियोजन प्रणाली का सूत्रपात नये आयाम के आधार पर होगा तो जो बजट अन्ततोगत्वा उत्तर प्रदेश की आगामी विधान-सभा में आयेगा वह उत्तर प्रदेश की आज की आवश्यकताओं का सही प्रतिबिम्ब होगा।

में अपने सम्मानित विरोध-पक्ष के मित्रों का, जोकि दूसरे पक्ष में बैठे हैं, आदर करता हूं। हमने और उन्होंने कई वर्षों तक साथ-साथ काम किया है। मैं उनसे कहूंगा कि वह पिछले तीन वर्षों के आंकड़े देखें, सचाई को देखें। जो छठी योजना इस समय उत्तर प्रदेश की है, जिसके परिप्रेक्ष्य में वार्षिक बजट प्रस्तुत हुआ है, वह उसे अपने हृदय के अन्तरतर से देखेंगे तो पायेंगे कि जो

कुछ मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं वह केवल मात्र सत्य है। आप देखें कि उत्तर प्रदेश की, पिछली सरकार ने जो छठी योजना बनाई है, क्या उत्तर प्रदेश के प्रति उसमें न्याय हुआ है?

उत्तर प्रदेश की छठी योजना, जो पिछली सरकार द्वारा बनाई गई, वह 4600 करोड़ रुपये की है और 200 करोड़ रुपया उसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए रखा गया है। आप देखें कि 5वीं योजना जो कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाई गई थी और जो लागू की गई थी, वह 3042 करोड़ रुपये की थी। चौथी योजना लगभग 1100 करोड़ रुपये की थी। तो चौथी योजना से 5वीं योजना में योजना व्यय 3 गुना बढ़ गया। जो योजना परिव्यय था, आउट-ले है, वह 3 गुना बढ़ गया। लेकिन पिछली केन्द्र की सरकार और प्लानिंग कमीशन ने इस व्यय को केवल डेढ़ गुना बढ़ाया है जो कि 3042 करोड़ से 4600 करोड़ किया है। यह जो प्लान-आउट-ले है, योजना परिव्यय है, इसे कितना कम बढ़ाया गया है, इसके दूसरे आंकड़े हैं। 1978-79 की तुलना में 1979-80 में उत्तर प्रदेश के परिव्यय में केवल 3 प्रतिशत की एनुअल इन्क्रीमैंट वार्षिक व्यय वृद्धि हुई है। सन् 1980-81 में जो पिछली सरकार ने योजना स्वीकृत की, उसमें केवल 4 प्रतिशत योजना के परिव्यय में वृद्धि हुई है।

मैं विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो आवश्यकता है, कल्पना कीजिए गंगोत्री-यमुनोत्री से लेकर मिर्जापुर तक और झांसी बुन्देलखण्ड से लेकर देवरिया और गोरखपुर के सुदूर अंचलों तक एक तरफ पर्वतीय क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में बिखरे हुए हैं; और दूसरी ओर बुन्देलखंड के वह क्षेत्र जहां कि सूखे और प्रकृति से लड़ना वहां के जीवन का नियम बन गया है, उनकी क्या हालत है। दूसरी ओर पूर्वी क्षेत्र जो कि गरीबी और निर्धनता के के प्रतीक रहे हैं और हम सब के लिए एक चुनौती है, मध्य क्षेत्र जहां कि अभी विकास भी नहीं हो पाया। पिछले वर्षों में हमारा यह विनम्र प्रयत्न रहा कि उनको हम विकासोन्मुख करें, जो देश के दूसरे विकसित प्रदेश हैं, उनकी तुलना में इन्हें अग्रसर करें। लेकिन पिछले 3 वर्षों में हम देखते हैं कि गंडक प्रोजैक्ट के अन्तर्गत जो 7 हजार ट्यूबवैल बनने थे, उस कार्य को रोक दिया गया। रामगंगा कंमांड एरिया जो मध्य उत्तर प्रदेश की रक्षा करता, प्रत्येक क्षेत्र में पानी देने के लिए अच्छा कार्यक्रम था, उसकी कमांड अथौरिटी की मीटिंग तक नहीं हुई।

शारदा सहायक योजना जोकि कांग्रेस सरकार की इन्दिरा जी के प्रयास से सबसे बड़ी योजना इस देश में है, उसका कार्यक्रम भी दो साल के लिए पिछड़ गया है।

हमने देखा है कि बिजली के कार्यक्रम भी उत्पादन में पिछड़ गए हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि जो थर्मल बिजली की योजना है, उसे स्वीकार करें, यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। चाहे हमारे ऊंचाहार की योजना हो, ओवरा की योजना हो, हरदुआगंज के विकास की योजना हो, वह प्लानिंग कमीशन में अपने प्रभाव को प्रयुक्त करके थर्मल योजनाओं को अधिक-से-अधिक शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वित करायेंगे। यह मेरा उनसे आग्रह है।

आज बिजली का उत्पादन महज 1,000 मेगावाट रह गया है। हमारे जमाने में जो बिजली का उत्पादन होता था वह आज 45 फीसदी घट गया है। सीमेंट का उत्पादन घट गया है। वितरण प्रणाली झकझोर दी गई है राजनीतिक आधार पर। इस कारण वर्तमान शासन को

इस वितरण प्रणाली को, जो कि मिट्टी के तेल, चीनी राशन की वितरण प्रणाली है, जिसे राजनीतिक आधारों पर उस समय एमर्जेंसी के नाम पर जो जेलों में गये थे, उन्हें जो दुकानें दी गईं, इस सारी वितरण प्रणाली को ध्वस्त करना होगा और नई वितरण प्रणाली बनानी होगी। तब जाकर हम सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ कर पायेंगे।

चीनी आज एक मुख्य समस्या हमारे प्रदेश की बन गई है। पिछले दो वर्ष किसानो का करोड़ों क्विंटल गन्ना पेला नहीं जा सका जिस कारण फिर किसानों ने गन्ना कम लगाया। आज जो मुख्य समस्या है यह उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में जो चीनी और गन्ने की दाम नीति रही है और जो गन्ना पेले जाने का प्रबंध नहीं हो सका उसके कारण है और उसका परिणाम हमारे प्रदेश और देश को भुगतना पड़ रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? मैं आग्रह करूंगा कि जो आज हमारी कृषि नीति है और जो चीनी मिलों के संबंध में नीति है उस पर पुनर्विचार किया जाय। पिछले शासन ने तीन वर्ष में, दस चीनी मिलें जो मंजूर थीं, लाइसेंस मंजूर था उनका काम रोक दिया। दस सूती मिलें मंजूर थीं। आज उत्तर प्रदेश में बुनकरों को सूत नहीं मिल रहा है। उन सूती मिलों का काम रोक दिया। मैं आग्रह करूंगा कि अब जो नया नियोजन हो, जो नया प्लान बने उसमें हमारा प्लान रिकास्ट किया जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश की योजना दोबारा बननी चाहिए और जो नया प्लानिंग कमीशन बने वह चीनी मिलों के निर्माण, सूती मिलों के निर्माण, गृह और कुटीर उद्योगों के निर्माण नौर हैंडलूम सेक्टर जो बहुत महत्वपूर्ण है घरेलू उद्योग धन्धों में, उसके प्रसार की ओर ध्यान दे तथा विशेष रूप से बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जो व्यक्ति लाभान्वित हुए थे, उनको जो पिछले दिनों परेशानियां हुईं, उनके लिए जो कार्यक्रम रोक दिए गए, उनकी ओर नये नियोजन में ध्यान दिया जाना अनिवार्य होगा। हमारे प्रदेश में 19 लाख भूमिहीनों को भूमि बीस सूत्रीय कार्यक्रम में दी गई थी, 12 लाख बेघर लोगों को घर बनाने के लिए आवासस्थल-दिए गए थे। वह सारे कार्यक्रम रोक दिए गए।

आज बैंकों की मीटिंग तक नहीं हुई। पिछले तीन साल में उत्तर प्रदेश में जो क्रेडिट डिपाजिट रेशियां हैं बैंकों का वह 58 प्रतिशत से घटकर 44 प्रतिशत रह गया है। आज राष्ट्रीयकृत बैंक प्रोजेक्टों के लिए तरस रहे हैं और क्रेडिट डिपाजिट रेशियां कितना कम हो गया, जितना जनता का बैंकों में जमा होता है उत्तर प्रदेश में और जितना जनता को वापस मिलता है कर्ज के रूप में आज वह कितना कम हो गया, इसके आंकड़े मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। जो छोटे किसान हैं चाहे वह किसी वर्ग के हों, हरिजन, भूमिहीन, अल्पसंख्यक किसी के लिए कोई भी मानीटरिंग किसी प्रकार पिछले तीन वर्षों में नहीं हुआ। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि मार्किट बारोइंग को देखें। राष्ट्रीयकृत बैंकों को इस बात के निर्देश दिए जाएं कि बैंकों के प्रायरिटी सेक्टर के लोन के प्रोग्राम को उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक विकासोन्मुख किया जाए। मैं दूसरा आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं मार्किट बारोइंग का। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सन् 1976 में 40 करोड़ मार्किट बारोइंग हमारे उत्तर प्रदेश में हुई माननीया प्रधान मन्त्री जी के आशीर्वाद से, लेकिन वह आज भी 40 करोड़ है। एक पैसा भी अधिक बारोइंग तीन साल में प्राप्त नहीं हो सकी। योजना कैसे आगे बढ़ सकेगी ? जो रुपया दिया गया उसको वह खर्च नहीं कर सके और आज भी हम देखते हैं कि पिछला जो प्लानिंग कमीशन था, जो अब चला गया है, उसने हमारे साथ कितना अन्याय किया है ? इस बजट में इर्रीगेशन में पिछले वर्ष के मुकाबले में

इस वर्ष 4 करोड़ रुपया कम रखा गया है। पिछले वर्ष 158 करोड़ था, इस वर्ष 154 करोड़ रखा गया है। इसी तरह बाढ़ के लिए 24 करोड़ 50 लाख पिछले साल था, इस साल साढे बाईस करोड़ रखा गया है, दो करोड़ कम है। सड़कों के लिए 68 करोड़ 95 लाख रुपया था पिछले वर्ष, इस वर्ष 61 करोड़ रुपया रखा गया है, साढ़े सात करोड़ कम रखा गया है 17 वीं तरह इंडस्ट्रीज के लिए 40 करोड़ 57 लाख रुपया पिछले वर्ष था, इस वर्ष 32 करोड़ 90 लाख रखा गया है। कारण क्या है इसका कि जो सारा नियोजन पिछले वर्ष प्लानिंग कमीशन ने बनाया उसमें उत्तर प्रदेश की बुनियादी आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया। जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। आज बुन्देलखंड की राजघाट योजना सिसक रही है, बादा के क्षेत्र की पयस्विली योजना सिसक रही है। बुन्देलखंड में जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार इन तीनों राज्यों की मिलाकर बाण सागर योजना बन रही थी, उसका कार्य भी शुरू नहीं किया गया। एक प्रकार हमारा सारा उत्तर प्रदेश एक छोर से दूसरे छोर तक पिछले तीन सालों की अव्यवस्था का शिकार है।

मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में माननीय वित मंत्री जी अपनी विद्वता और अपनी वित्त व्यवस्था की अनुभवशीलता का पूरा-पूरा उपयोग करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश का सही साधनों में विकास हो सके, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ सके, क्षेत्रीय असन्तुलन दूर हो सके और जो अलग-अलग जिलों की अलग-अलग समस्यायें हैं उनका निराकरण हो सके।...जो विकासोन्मुख क्षेत्र हैं उनकी योजनाएं रुकी हुई हैं। जैसे राय बरेली में टेलीफोन का कारखाना रुका हुआ है। जगदीशपुर (सुल्तानपुर) में डेढ़ हजार एकड़ ज़मीन विकसित है, डेढ़ करोड़ रुपया खर्च हो गया है लेकिन वह योजना पड़ी हुई है। इसी प्रकार से नोयडा का विकास रुका हुआ है। इसी प्रकार की जो अन्य योजनाएं रोकी गई हैं उनपर माननीय वित्त मंत्री जो विचार करें तथा नया योजना आयोग भी उस पर विचार करे ताकि जिस विशाल बहुमत को लेकर जन-जन की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करके जो माननीय सदस्य इस सदन के लिए चुने गए हैं उनकी परिकल्पना नये बजट तथा नवीन योजना में पूर्ण हो सके।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय सभापति जी, अभी माननीय सदस्य, श्री तिवारी जी ने उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में उसके आर्थिक पहलुओं पर विस्तार से विवेचन किया है। मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता, केवल सुझाव के रूप में कुछ बातें रखना चाहता हूं।

हमारे उत्तर प्रदेश में आज भयंकर बेरोजगारी की स्थिति है। अभी हमारे श्रम मंत्री ने एक आंकड़ा लोकसभा में पेश किया था जिसमें उन्होंने बताया कि एम्पलायमेन्ट एक्सचेंजज में करीब 14 लाख 7 हजार ऐसे लोगों के नाम दर्ज हैं जो शिक्षित बेरोजगार हैं। यह तो केवल शिक्षित बेरोजगारों की स्थिति है लेकिन इनके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शिक्षित नहीं हैं लेकिन वे भी आज बेरोजगार हैं। गांवों में बहुत से शिक्षित बेरोजगार ऐसे भी हैं जिनके कि नाम बेरोजगार दफ्तरों में नहीं हैं। इस तरह से यदि आप देखें तो उत्तर प्रदेश में एक करोड़ लोग पूरी तरह से बेरोजगार हैं। इन लोगों की बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए सरकार को तत्काल योजनायें बनानी चाहिए। गांव में खास तौर से लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए

खाद्यान्न योजनाओं को अधिक त्वरित गति से लागू किया जाना चाहिए।

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अधिक ध्यान दिया जाए। वहां पर छोटे, बड़े एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए जिससे कि वहां बेरोजगारी समाप्त हो सके। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों तथा सिंचाई के साधनों का अधिक-से-अधिक विकास किया जाए। वहां पर बाढ़ों से प्रति वर्ष अपार क्षति होती है उससे लोगों को बचाने के लिए नदियों के किनारे बंध बनाने की योजना को त्वरित गति से लागू किया जाए। पहाड़ी क्षेत्रों तथा बुन्देलखण्ड के विकास के लिए शीघ्र नए कार्यक्रम तैयार किए जायें तथा उन्हें लागू किया जाए।

कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को भी सुधारना बहुत आवश्यक है। किन्तु जबतक बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रभावशाली कदम नहीं उठाए जाते तब तक कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को सुधार पाना मुश्किल है। साथ ही डीजल किरोसीन शीघ्र सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। लोकल बाडीज के चुनाव तुरन्त कराए जायें जिससे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान हो सके।

मैं अन्त में बुनकरों की समस्या के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हमारे प्रदेश में लाखों लोग आज इस व्यवसाय में लगे हुए हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। तमाम हथकरघे आज बन्द हैं। माननीय तिवारी जी ने भी इस सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं हैं, लेकिन मेरे सामने कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

हमारे यहां एक हथकर्घा निगम है, जिसमें भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है। पिछली सरकार ने भी उस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में काफी योगदान किया है। यहां के अधिकारियों में आपसी रस्सा-कशी और गुट-बन्दी फैली हुई है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। जातिवाद और भाई-भतीजावाद से यह निगम भर चुका है और वह केवल अपने लोगों की समस्याओं के समाधान में ही लगा हुआ है, छोटे बुनकरों से उनका सम्बन्ध टूट चुका है। अगर इन बुनकरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश नहीं की गई तो हमारे प्रदेश में लाखों बुनकर बेरोजगार हो जायेंगे, उनके सामने भुखमरी की समस्या आ जाएगी। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं—

1. सूत एवं कैमिकल के दाम कम करके निर्धारित किये जाएं।
2. बुनकरों द्वारा उत्पादित माल की निकासी के लिए स्थायी व्यवस्था की जाए।
3. बुनकरों को 4 प्रतिशत ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराई जाए।
4. कताई मिलों का सूत बुनकरों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।
5. सन् 1972-73 में बुनकरों को दिये गये ऋण को साफ किया जाए, क्योंकि उस समय सूत एवं रंग के अभाव में ऋण का सारा रुपया महाजनों की तिजोरी में चला गया।
6. हथकर्घा वस्त्रों को बिक्री छूट पर प्रदर्शिनियों द्वारा करने की व्यवस्था की गई है, जिसे वर्ष में चार बार लगाई जाए और प्रदर्शिनियों में बिक्री पर लिए जाने वाले 4 प्रतिशत लेवी (सेल टैक्स) को खत्म किया जाए तथा प्रदर्शिनी कमेटी बनाई जाए, जिसमें बुनकर नुमाइन्दे को

भी रखा जाए । दक्षिण भारत की तरह उत्तर प्रदेश की सहकारी समितियों को भी थोक की बिक्री पर वही छूट दी जाय ।

7. बुनकर सहकारी समितियों का हिस्सा पूंजी ऋण पर लगाने वाले ब्याज की दर कम करके 4 प्रतिशत किया जाए ।

8. बुनकर सहकारी समितियों को उनके उत्पादित वस्त्रों की बिक्री के लिए सेल्स-डीपो की व्यवस्था थी, जिसे फिर से लागू किया जाए ।

9. हैण्डलूम कारपोरेशन में केवल बुनकरों और बुनकर सहकारी समितियों का ही माल (तैयार कपड़ा) खरीदने की व्यवस्था करायी जाए, जो इसका उद्देश्य है ।

10. बुनकर सहकारी समितियों के बकाया रैबेट सन् 1971 से अंत तक का अविलम्ब दिया जाए ।

11. अधिक-से-अधिक बुनकरों को सहकारी क्षेत्र में लाने का प्रबन्ध किया जाए ।

इस तरह से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं । मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस पर ध्यान दें ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : सभापति जी, यह हमारे देश का दुर्भाग्य समझा जाएगा कि आजादी के बाद से हमारे देश के कर्णधारों ने, राजनीतिज्ञों ने इस देश की जनता को आंकड़ों के जाल में फंसा रखा है । 33 साल की आजादी के बाद भी हमारे सूबे और पूरे देश में लोग भुखमरी से मरते हों, रोटी नहीं, रोजी नहीं, रोजगार नहीं, उल्टा उनको जिन्दा जलाया जाता हो, मारा जाता हो, सताया जाता हो—क्या ऐसी आजादी को हम आजादी कहेंगे ।

17 फरवरी को उत्तर प्रदेश की जनता की मर्जी के खिलाफ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया । वहां की लोकप्रिय सरकार को बरखास्त कर दिया गया । मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के बाद से नौकरशाही जिस तरह से नंगा-नाच नाच रही है, उससे जनसाधारण के सामने अनेक प्रकार की दुश्वारियां पैदा हो गई हैं । ऐसा कोई दिन नहीं, कोई घंटा नहीं, कोई पल नहीं, कोई क्षण नहीं, जब नौकरशाही के जुल्म और अत्याचार की तलवार गरीबों, किसानों और मजदूरों पर न लटकती हो । मेरे कहने का मतलब यह है कि इस वक्त हर तरह के जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं । गरीब किसान और मजदूर चाहे बी० डी० ओ० के पास जांय, तहसीलदार के पास जायें, कलैक्टर के पास जायें, एस० पी० के पास जायें—उनकी बात को कोई नहीं सुनता । इन लोगों ने विकास कार्यों को बिलकुल ठप्प कर दिया है । जितने निर्माण के कार्य चल रहे थे सब बन्द हो गये हैं ।

मेरे कुछ साथियों ने अभी बतलाया—काम के बदले अनाज की जो योजना पिछले साल लागू हुई थी—आपको मालूम है कि पहले तो सूखे ने ही किसानों की कमर तोड़ दी थी, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी भयंकर ओल-वृष्टि हुई, जिसने किसानों की कमर को पूरी तरह से तोड़ दिया है । किसानों की अगर एक फसल मारी जाती है तो वह वर्षों तक होश में नहीं आता, यदि दोनों फसलें स्वाहा हो जाएं तो किसान की हालत क्या होगी, आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं । हमारे नेता और सरकार उनके दुख, दर्द को नहीं जान सकते ।

गरीब किसान को अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत कुछ रुपया बांटने के लिए भेजा गया, लेकिन इतनी धांधली मची हुई है कि वे पटवारी के पास जाते हैं तो आधा पैसा वह अपनी जेब में डाल लेता है और हमारे किसानों को निराश होकर आना पड़ता है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्रीमन्, सिंचाई की व्यवस्था के विषय में मैं यह कहना चाहूंगा कि बिजली नहीं है, नहरें सूखी पड़ी हुई हैं, पम्प सूखे पड़े हुए हैं और किसानों ने कहीं-कहीं तो 7, 7 और 8, 8 रुपये लीटर डीजल लेकर किसी तरह से आपाशी की और फसल को उगाया। लेकिन ओलावृष्टि ने उसको खत्म कर दिया। ऐसी जब स्थिति है, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि इस वक्त जहां गांवों में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है वहां बड़े-बड़े शहरों में रोशनी के लिए, फव्वारों के लिए पानी की कमी नहीं है। गरीब किसानों के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।

अब मैं अपने जिले की कुछ बातें कहना चाहता हूं। मेरे जिले अलीगढ़ में 80 हजार एकड़ भूमि ऊसर पड़ी हुई है। अगर उसको उपजाऊ बनाया जाए, तो उसमें काफी फसल पैदा हो सकती है। मैं सिकन्दराबाद का रहने वाला हूं। धान के उत्पादन में वह अग्रणी है। फसल के टाइम पर वहां से 5 हजार से लेकर 6 हजार कवींटल धान प्रतिदिन आता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में या सहकारी क्षेत्र में होने की वजह से वहां के किसानों का उसको सही मूल्य नहीं मिल पाता है। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे उत्तर प्रदेश सरकार से कह कर सिकन्दराबाद में एक धान मिल सार्वजनिक क्षेत्र खुलवाऐंगे में ताकि वहां के किसानों को अपने उत्पादन की कीमत पूरी तरह से मिल सके।

इसके अलावा मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में हसायन गुलाब का फूल बड़ा मशहूर है। भारत में सर्वोच्च कोटि का गुलाब वहां होता है और दुनियां में फ्रांस को छोड़कर, दूसरे नम्बर का गुलाब का फूल वहां होता है लेकिन वहां पर जो गुलाब के फूल होते हैं, उनको पैदा करने वालों को उनकी सही कीमत नहीं मिल पाती और कन्नौज के जो व्यापारी आते हैं वे उनको लूटकर ले जाते हैं। मेरा कहना यह है कि गुलाब की खेती के लिए अनुसंधान किया जाए, जिससे अच्छी तरह से गुलाब जल, इत्र, गुलकन्द बनाया जा सके और दूसरे देशों में उसको एक्सपोर्ट करके विदेशी मुद्रा कमाई जा सके। इससे सरकार को भी काफी फायदा होने वाला है।

एक बात में यह कहना चाहता हूं कि हाथरस जो मेरी कांस्टीट्युयेंसी है, पहले उत्तर प्रदेश में आजादी से पहले कानपुर के बाद उसका दूसरा नम्बर उद्योगों की दृष्टि से आता था, लेकिन आजादी के बाद उसके विकास की गति अवरुद्ध हो गई। वहां पर जो बड़े-बड़े मिल और उद्योग-धन्धे थे, वे सब चौपट हो गये। अभी एक बिजली काटन मिल है, उस में दो शिफ्ट चल रही हैं। अगर तीन शिफ्ट चलें, तो वहां के लोगों को कुछ फायदा हो सकता है और लोगों को और रोजगार मिल सकता है। एक रामचन्द काटन मिल है, जो 2 साल से बेकार पड़ी हुई है। उसको दोबारा चालू करें, तो मजदूरों की समस्या सुलझ सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि डीजल, मिट्टी के तेल, चीनी तथा सीमेंट की ब्लैक में कोई कमी नहीं है, लेकिन सही कीमत पर मिलने के लिए उनका अकाल

पड़ा हुआ है । मैं एक इन्सटान्स आपको देना चाहता हूँ । जनवरी के पहले हफ्ता में जी० के० काटेज इंडस्ट्रीज हाथरस, जोकि इण्डियन आयल का व्होलसेल डीलर है, पर वहां के ए० डी० एम० (सिविल सप्लाइज) ने छापा मारा और 75 हजार लीटर क्रूड आयल और मिट्टी का तेल पकड़ा । कोतवाली हाथरस में उसकी रिपोर्ट कराई गई मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक उस तेल का पता नहीं चला कि वह कहां गया और न ही उसको गिरफ्तार किया गया । यह शासन के निकम्मेपन की एक मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ।

यह जो बजट पेश किया गया है, इसको मैं पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मानता हूँ । हकीकत यह है कि यह बजट केवल उत्तर प्रदेश में चुनावों को दृष्टि में रखते हुए लाया गया है और लोगों को धोका दिया गया है। और इस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छल, कपट और फरेब किया गया है और चुनावों के बाद किस तरह से गरीबों और मजदूरों की और किसानों की कमर तोड़ी जाएगी, हैवी टैक्सों को लगा कर, इसी सदन में उस बात का पता मई और जून में लग जायेगा में यह कहना चाहूंगा कि इस बजट को लाकर उत्तर प्रदेश की जनता को धोका और भ्रम में डाला गया है । यह बात सही है कि 32 साल की आजादी के बाद भी देश की जनता को रोजी नहीं मिली, रोटी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला और हर तरह से यातनाएं मिली हैं, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि वोट डालने की तहजीव उसमें आ गई है ।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इन्होंने यह मान लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आई की सरकार बनने जा रही है ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : हम ज्यादा बातें करने में विश्वास नहीं करते, हम प्रैक्टिकल बातें करने में विश्वास करते हैं । हम आंकड़ों में विश्वास करते हैं । मैदान खुला हुआ है. लंगोट कसिये और आइये मैदान में । यह उत्तर प्रदेश है । पानी और दूध का भाव मालूम हो जाएगा । आप किस चक्कर में हैं ?

मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आप से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है । कल भी अलीगढ़ में शांतिप्रिय छात्रों के जलूस पर भयंकर लाठीचार्ज हुआ है । उनका कसूर केवल यह था कि वे अपना ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारियों के पास जा रहे थे । उन्हें पहले से कोई चेतावनी नहीं दी गयी, कोई वार्निंग नहीं दी गयी, पहले से कोई इत्तिला नहीं दी गयी और इतनी निर्दयता पूर्वक उन पर लाठीचार्ज किया गया जिसकी मिसाल अंग्रेजों के जमाने में ही मिलती है । आपको मालूम ही है कि तीन अप्रैल से हाईस्कूल और इन्टरमीडिएट के इम्तिहान होने जा रहे हैं । चूंकि वहां मिट्टी का तेल नहीं मिलता है इसलिए विद्यार्थी रात को पढ़कर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं । इसी मांग को लेकर कि पढ़ने के लिए उन्हें मिट्टी का तेल मिलना चाहिए, कुछ विद्यार्थी जिलाधिकारियों के पास जा रहे थे । वहां मिट्टी के तेल के वितरण में जो धांधली हो रही है, जो अनियमितता बरती जा रही है उसी की ओर जिलाधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने वे जा रहे थे । उनको मिट्टी का तेल देने की बजाय बुरी तरह से पीटा गया और जेल में डाल दिया गया । यह स्थिति लॉ एण्ड आर्डर की उत्तर प्रदेश में है ।

इसके सम्बन्ध में मैं इतना और निवेदन करूंगा कि मेरे पड़ौस में एटा जिला है। उस जिले के क्राइम के आंकड़े उठा कर देख लिए जाएं। कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन पांच-छः वहां लाशें नहीं मिलती होंगी। कोई गोली से मारा जाता है, कोई डकैती में मारा जाता है। यही भयंकर स्थिति अलीगढ़ में भी आ रही है। वहां की सरकार से, वहां के अधिकारियों से मिली भगत होने के कारण वहां क्राइम्स को बढ़ावा मिल रहा है। क्रिमिनल्स का संरक्षण अधिकारी लोग करते हैं।

वहां पर लोगों पर बहुत जुल्म हो रहे हैं, बहुत अत्याचार हो रहे हैं। किसानों को पीटा जा रहा है। फिर थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी तो आगे कार्यवाही कैसे होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में एक आतंक छाया हुआ है। मैं आप से केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है कि लोगों को पीटा न जाए तो वहां एक साफ सुथरी सरकार बने। गरीबों को रोजी रोटी दी जाए, उनके वास्ते रोजगार का प्रबन्ध किया जाए।

हमारे एक साथी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकल बाडीज के चुनाव नहीं हुए हैं। बहुत अर्सा हो गया है। यह बात सही है। अलीगढ़ में 1957 में चुनाव हुए थे, उसके बाद नहीं हुए हैं। 1964 के बाद से किसी भी म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव नहीं हुए हैं। सोलह साल हो गये हैं लोक समा के लिए चुनाव हो सकते हैं, विधान सभा के लिए हो सकते हैं और उसमें अलीगढ़ से सदस्य चुना जा सकता है लेकिन वहां लोकलाबाड़ी के, चुंगी के दफ्तर के, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव नहीं हो सकते हैं। यह कह कर कि वहां की स्थिति ठीक नहीं है ये चुनाव नहीं कराए जाते हैं, लोकल बाडीज के चुनावों को स्थगित कर दिया जाता है। जो गरीब लोग, जो देहाती लोग अपनी बात को अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी शिकायतें उनके सामने रखना चाहते हैं, चूंकि चुनाव नहीं हुए हैं और न होने की आशा है, नहीं रख सकते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर नगरपालिका का चेयरमैन हो, सदस्य हो तो उनकी वे सुनवाई करेंगे और उनको राहत पहुंचा सकेंगे। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि अविलम्ब वहां नगरपालिकाओं के चुआव करवाने की व्यवस्था की जाए।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया है। हमारे एन०डी० तिवारी साहब ने भूतपूर्व मुख्य मंत्री उ० प्र० ने उत्तर प्रदेश का बहुत ही अच्छा चित्रण यहां आपके सामने किया है। यह सही है कि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है। इसके पांच भाग हैं। इन पांच भागों में अत्यन्त पिछड़े आठ पहाड़ी जिले हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश के पन्द्रह जिले हैं और बुन्देलखंड के पांच जिले हैं और इन तीन क्षेत्रों की कुल आबादी का 47 प्रतिशत रहता है। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर दृष्टि से यह सबसे पिछड़े हुए जिले हैं। वहां पर विकास हेतु उचित धन राशि की व्यवस्था न होने के कारण से जो क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा हो गया है उसको मिटाने के लिए इस बजट में और आने वाले बजटों में भी विशेष धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

आपको याद होगा कि पूर्वी जिलों के विकास के लिए नमूने के तौर पर स्व० पं० नेहरू की अनुकम्पा चार जिले पटेल आयोग द्वारा चुने गए थे और उनका सोशो-इकोनोमिक (Socio-

Economic) सर्वे हुआ था और वहां कुछ योजनायें कार्यान्वित करने का निर्णय हुआ था। लेकिन अफसोस है और जिलों को इसमें शामिल करने की बात तो दूर रही, यहां इन चार जिलों में इन योजनाओं को कार्यान्वित तक नहीं किया गया है।

प्लानिंग के मामले में उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव तथा अन्याय बरता गया है। 1951 में प्लानिंग शुरु हुई थी। उस समय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रान्तों में सबसे अधिक थी। लेकिन आज इतने वर्षों के प्लानिंग के बाद बिहार को छोड़ कर हम सबसे नीचे हैं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में। इसका कारण यह है कि सेंटर ने जो औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित किए हैं, उनकी स्थापना में भेदभाव बरता गया है। उत्तर प्रदेश को केवल गोरखपुर का एक फर्टिलाइजर का कारखाना छोड़ करके कोई सेंट्रल प्राजेक्ट जो महत्वपूर्ण ही नहीं दिया गया है। 1200 करोड़ रुपया सेंटर ने अपने उद्योग स्थापित करने पर देश में अवश्य खर्च किया है जिसमें से उत्तर प्रदेश को केवल पांच करोड़ ही मिला है जबकि उसकी आबादी पूरे हिन्दुस्तान का पांचवां भाग है। हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने प्लानिंग कमीशन की (बिजली) सलाहकार जो प्लानिंग एक स्टडी ग्रुप वहां भेजा था। बम्बई हाई की गैस पर आधारित फर्टिलाइजर कारखाने स्थापित करने के लिये नियुक्त किया गया था। राज्य सरकार ने छः फर्टिलाइजर के कारखाने किसानों की समस्याओं को देखते हुए स्थापित करने का इसको सुझाव दिया था। लेकिन इस स्टडी ग्रुप ने चार फर्टिलाइजर कारखाने स्थापित करने की सिफारिश की। मैं चाहता हूं कि ये इस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ हो जाने चाहिए और उन में से एक मिर्जापुर (मोहनपुर)में दिया जाना चाहिये॥ पहाड़ी नामक विस्तरित स्थान के वहां पर सभी सुविधाएं हैं।

हमारे प्रदेश में हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड ने भीमताल में एक एविएशन यूनिट लगाने की बात सोची है। प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है कि उसके लिए भी जमीन की तथा अन्य सभी प्रकार की सुविधाऐं दी जाएंगी। मैं चाहता हूं कि वह कारखाना हमारे भीमताल में लगे। जिससे पहाड़ी जिलों के विकास में सहायता पहुंचे।

इसी प्रकार से पैट्रो कैमिकल्ज के कारखाने भी आने वाले हैं। मैं मांग करता हूं कि वरीयता के आधार पर वह भी एक उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाए। मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं कि उद्योग स्थापित करने के मामले में जो धनराशि एलोकेट आवंटित की गई है बत्तीस साल तक, उसमें उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव किया गया है। मेरा निश्चित विश्वास है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, जो भी आज तक गड़बड़ियां हुई हैं, उनको दूर कर दिया जाएगा। और मैं सदन में यह भी कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सूखा है और उसमें भी मिर्जापुर जनपद सबसे ज्यादा प्रभावित है, और हमारी प्रदेश सरकार को जिस गम्भीरता से सूखे का मुकाबला करने का कार्यक्रम लेना चाहिये था वह नहीं लिया गया है। इसलिये मिर्जापुर में या अन्य जगह में जहां पीने का पानी नहीं है, वहां की योजनायें जल निगम द्वारा बनायी गयी हैं, उनको शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाय और लोगों तक पीने का पानी, चाहे टैंकरों द्वारा या अन्य तरीकों द्वारा, पहुंचाया जाय। मिर्जापुर की 15 लाख की आबादी में से साढ़े 12 लाख आबादी आज अप्रत्याशित सूखे से परेशान है जिसमें अधिकतर हरिजन पिछड़े वर्ग और आदिवासी तथा किसान हैं। मैं चाहता हूं कि सहायता कार्य बड़े पैमाने पर किया जाय,

युद्ध स्तर पर किया जाय जिससे जो कलेक्टिव स्टारवेशन सामूहिक भुखमरी डैथ (मौत) होने की आशंका है उससे लोगों को बचाया जा सके। आज बड़ी-बड़ी योजनाओं की बात होती है, मिर्जापुर जनपद में या अन्य जगह जहां भी उद्योग धंधे लगते हैं, उनमें स्थानीय लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता नहीं दी जाती है। मैं मांग करता हूं कि सरकार ऐसी नीति बनावे कि जिससे जिस क्षेत्र में इंडस्ट्री लगावे वहां के डिसप्लेस्ड (विस्थापित) लोगों को बसावे, उनको नौकरी में प्राथमिकता दे और सम्पत्तियों का बाजार भाव पर मुआवजा दें उनको आगे बढ़ाने का काम करें। यह व्यवस्था मिर्जापुर में अभी तक नहीं है। अभी माननीय हरिकेश जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बड़ी बेरोजगारी है, खास कर पूर्वी उत्तर प्रदेश में। आज वहां के लोग बम्बई और कलकत्ता में रोजी की तलाश में पहाड़ों पर जाकर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। 10 वर्ष में बेरोजगारी हटाने वाले जनता पार्टी एवं लोक दल के नेता तो खुद साफ हो गये। मैं वित्त मंत्री से कहूंगा कि ऐसे कार्यक्रम बनाये जायें जिनसे छोटे-छोटे उद्योग खुलें, काटेज इन्डस्ट्रीज स्थापित की जाय और जो भूमिहीनों को भूमि दी गई है उनको इस तरह से काम पर लगाया जाय जिससे उनकी बेरोजगारी दूर हो और जो कांग्रेस के लोग अपना घर छोड़कर बाहर जाने को मजबूर न हों। जनता सरकार के पूर्व पिछली जो सरकार थी उसके जमाने में, यानी हमारी पार्टी की सरकार ने जमाने में विद्युत की जो इंस्टाल्ड कैपेसिटी थी उसकी 60 से 80 प्रतिशत बिजली पैदा की गई। हमारे मुख्य मन्त्री तथा विद्युत मन्त्री जाकर के पावर हाउस में बैठते थे। लेकिन जनता पार्टी और लोक दल की निकम्मी सरकार ने ढाई वर्ष में आधी बिजली भी उत्पादित नहीं की जो हमारे क्षेत्र में पैदा होती थी उत्तर प्रदेश की, जहां 3000 मेगावाट की इंस्टाल्ड कैपेसिटी है उसकी जगह 200, 300 मेगावाट बिजली ही पैदा हुई है। यह रहा जनता पार्टी और लोकदल की सरकार की कार्य क्षमता का नमूना। विद्युत परिषद को अस्त-व्यस्त कर दिया गया।

पिछले दो महीने में हमारी केन्द्रीय सरकार ने समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है, जो सीमाओं पर झगड़े होते थे उनको हल कर लिया गया। देश में अमन चैन की व्यवस्था में काफी सुधार किया है। असम आदि में तथा अन्य जगह भी जो समस्यायें थीं उनको भी हल करने का प्रयास किया है उसका परिणाम सामने है। आज यदि डीजल किरोसिन और चीनी की कमी है तो इसके लिये हम दोषी नहीं हैं, बल्कि जनता पार्टी और लोक दल ने उन प्रशासकों की है जिन्होंने देश का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 10 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत पर ला दिया। इनके समय में कारखानों में अनरेस्ट हुआ। हड़ताल हुई श्रमिकों में असंतोष बढ़ा। इन्हीं के जमाने में कानपुर के मजदूरों पर गोली चली जिसमें काफी लोग मरे, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में खेतिहर मजदूरों पर गोली चलाई गई, दो सौ मजदूर प्रभावित हुए इसी प्रकार बनारस, कानपुर अलीगढ़ में जितने साम्प्रदायिक दंगे हुए उनको कोई इतिहासकार लिख भी नहीं सकेगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि चाहे ला ऐंड आर्डर अमन चैन व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे गरीबों को ऊपर उठाने की बात हो, पिछली जनता एवं लोक दल सरकारें निश्चित तौर से सब में विफल रही है। आज हमारी सरकार बनी है, सुदृढ़ सरकार बनी है, और जैसा उधर के साथी ने अभी कहा अगले बजट में टैक्स लगायेंगे, तो उनको यह विश्वास हो गया है कि अगली सरकार भी प्रान्तों

में हमारी ही बनेगी क्योंकि इनकी नीतियां खोखली हो गई हैं। मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। सम्पूर्ण देश के आदिवासियों और हरिजनों के लिए 1967 में एक अमैंडमैंट बिल उनकी सूची दुरुस्त करने हेतु लाया गया था। बहुत से आदिवासी और हरिजन अभी भी उस लिस्ट में साविधानिक सुविधाएं प्राप्त करने से छूट गये हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब मैं वहां पर एम० एल० ए० था। उत्तर प्रदेश की आदिवासियों की सूची को केन्द्र को भेजा था और सूची स्वीकृत कराने का पूरा प्रयास किया, हमारी सरकार ने यहां केन्द्र में प्रस्ताव भेजा कि यहां जो ट्राइवल्स हैं, उनको मान्यता दे दी जाये। इस तरह से बिहार में, महाराष्ट्र में और सारे हिन्दुस्तान में है आदिवासियों एवं हरिजनों के नाम सूची में नहीं हैं उन सबको मान्यता दी जाए। हमारे यहां कुछ ऐसी जातियां हैं, जियार जाति है, मांझी है मल्लाह वगैरा, यह सोशली इकनामिकली और एजूकेशनली इतने वैकवर्ड हैं कि इनको संविधानिक अधिकार मिलने चाहिये ताकि उनका विकास हो सके। सरकार को शीघ्र ही अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति की सूची संशोधित करना चाहिये।

मैं कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि इन वर्गों को जो संवैधानिक अधिकार देकर असन्तुलन को समाप्त करना चाहिए। इसी प्रकार पूर्वी जिलों, पहाड़ी, जिलों तथा बुन्देलखण्ड का भी असन्तुलन समाप्त किया जाये। इनके लिये अधिक धन की व्यवस्था की जाये।

आज श्रम विभाग क्या कर रहा है, हमारे यहां एक रिहन्द बांध है, पावर हाउस है, वहां के मजदूर स्टेट बीमा योजना में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन आज उनको उसमें जबर्दस्ती शामिल किया जा रहा है। इसलिए उनको उससे अलग किया जाये और हर प्रकार से सुसज्जित हस्पताल की व्यवस्था अलग से की जाये।

मुझे खुशी है कि इनका जो औद्योगिक नीति का काला कानून जनता पार्टी का था वह यहां पास होने वाला नहीं है। मैं मांग करता हूं कि मजदूरों के हित में एक ऐसा जानून बने जिससे उनके रहन-सहन. वेतन और बोनस आदि में परिवर्तन लाये जिससे उनको भी लाभ हो और उनकी तरक्की हो।

मैं इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे वैकवर्ड इलाके में, मिर्जापुर में 4 तहसीलें हैं, चुनार तहसील में 27 इंटर कालेज हैं, एक भी डिग्री कालेज वहां नहीं है। मेरा निवेदन है कि चुनार में डिग्री कालेज हो, रार्वटसगंज में डिग्री कालेज हो, एक कहवा तथा एक ओबरा में हो। ओबरा औद्योगिक चुर्क स्थान है यहां पर निश्चित रूप से डिग्री कालेज हों क्योंकि कर्मचारियों की शिक्षा साधनों के अभाव में एफीशियेन्सी घट जाती है, और उनके लड़कों को शिक्षा के लिए बाहर दौड़ना पड़ता है। मैं मांग करता हूं कि औद्योगिक क्षेत्रों के लोगों को पढ़ने-लिखने की सुविधा हो।

साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बिजली उत्पादन में तभी बढ़ोत्तरी हो सकती है जब वहां के इंजीनियरों की कठिनाइयों की तरफ ध्यान दिया जाये। वहां के इंजीनियरों ने आन्दोलन छेड़ा, सरकार ने उनकी समस्या को मानते हुए एक मिश्र आयोग बैठाया था, उस आयोग ने कुछ सुझाव दिये हैं, मेरा निवेदन है कि उन सुझावों को उत्तर प्रदेश सरकार को

निश्चित तौर से मानना चाहिये। इस प्रकार से वहां जो बिजली की दिक्कत है, वह दूर हो जायेगी। असन्तोष समाप्त होगा, नया वातावरण बनेगा।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं जबर्दस्त शब्दों में माननीय वित्त मंत्री द्वारा इस आय-व्ययक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत, आप केवल पांच मिनट समय लें। अभी 17 सदस्य और हैं, श्री रावत

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े हुए प्रान्त के सबसे पिछड़े हुए निर्वाचन क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

1967 से 1971 तक दल-बदल के पितामह माननीय सदस्य बागपत के कारण जो अस्थिरता का वातावरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में आया, उसके कारण उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ। आज स्थिति यह है कि एक तरफ कर्नाटक जैसा प्रान्त है, जो कि विकास की दौड़ में बहुत आगे निकल गया है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पीछे रह गया है। दुःख की बात है कि 1977 में एक ऐसी पार्टी की सरकार वहां पर बनी जिसने, जो भी विकास के कार्य माननीय श्री नारायण दत्त जी तिवारी के नेतृत्व में जारी हुए थे, चाहे जिले और तहसील के निर्माण की बात हो, या बांध, नहरें और सड़क के निर्माण की बात हो, उन्होंने सारी योजनाओं को छोड़ दिया। ठप्प सा कर दिया। कांग्रेस के राज्य में जहां पानी के नल बिछ गये थे, वहां वह पानी नहीं दे पाये, जहां बिजली के पोल गड़ गये थे वहां वह तार नहीं लगा पाये, जहां सड़क खोद डाली गई थी वहां उनका मालवा साफ नहीं कर पाये। आज जिस बात की जरूरत है, मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज रीजनल इम्बैलेन्सेज खड़े हो गये हैं, विभिन्न प्रान्तों के बीच में उनको समाप्त करने की चेष्टा करें, कोशिश करें। जब अगला बजट आए तो उसमें उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जितनी धनराशि का आज प्रावधान किया गया है उससे दुगुनी धनराशि का प्रावधान किया जाय।

17 फरवरी को राष्ट्रपति जी ने अध्यादेश के जरिए, उत्तर प्रदेश के राजनैतिक क्षितिज पर जो ग्रहण लगा हुआ था, उसको समाप्त किया। उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, राष्ट्रपति जी की सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन एक बात और है, हमारे उत्तर प्रदेश के गांवों में आज भी उस ग्रहण का प्रभाव है, आज भी उत्तर प्रदेश के गांवों में जातिवाद का बोल-बाला है। यह प्रभाव इतना गहरा है कि माननीय सदस्य चन्द्रजीत यादव को कम्यूनिस्ट से कास्टिस्ट के स्तर पर उतरना पड़ा। उनको जातिवाद की बोगी में सवार होकर लोक सभा में पहुंचना पड़ा। लोक सभा के चुनाव के वक्त जनवरी 3 तारीख को उत्तर प्रदेश के अमरोहा निर्वाचन क्षेत्र में अकबरपुर पट्टी गांव में तीन हरीजनों को जातिवाद के मदान्धों ने पोलिंग स्टेशन को गोली से उड़ा दिया। 19 लोगों को घायल कर दिया गया। सरजू जो 24 वर्ष की उम्र का था उसको मार डाला गया। उसकी विधवा मोहनियां की मांग का सिन्दूर पोंछ डाला गया। मैं हिन्दुस्तान के जनतंत्र की इस सबसे शक्तिशाली संस्था से पूछना चाहता हूँ कि क्या उस गरीब विधवा मोहनियां की मांग का सिन्दूर फिर से वापस लौटाया जा सकता है ? मेरी यह

प्रार्थना है कि कोई और मोहनियां इस तरीके से विधवा न हो, ये जातिवाद के मदान्ध किसी के घर की इज्जत को न लूटें, किसी मां को उसके बेटे का सहारे से बेसहारा न करें, इसके लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में एक स्पेशल पुलिस स्क्वैड का निर्माण किया जाय जो इस तरह के जातिवाद के मदान्धों, इन विशैले सर्पों, ये विषैले नाग जगह-जगह जो फण उठाकर खड़े हो गए हैं, उनके सिर को कुचल दे। इसके लिए प्रावधान करने का संकल्प किया जाय।

थोड़ी सी बात मैं अपने पर्वतीय क्षेत्रों के पिछड़ेपन के विषय में कहना चाहता हूं। केन्द्र की सरकार ने माननीय इंदिरा जी की कृपा से जितनी धनराशि प्रदेश की सरकार को खर्च करने के लिए दी है और जितना प्रदेश की सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर खर्च करती है उसमें कुछ हिस्सा केन्द्र की सरकार भी अपनी तरफ से देती है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना अधिक है कि विकास में वह धनराशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान होती है। यही कारण है कि आज हिमालय के क्षेत्र में जगह-जगह अपनी बैकवर्डनेस के खिलाफ एक असंतोष उभर रहा है। कुछ ऐसी पृथकता की ताकतें साजिशें वहां पर सिर उठा रही हैं जो देश के हित में नहीं है। मैं वित्तमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो धनराशि उन्होंने मुहैया कर रखी है केन्द्र की तरफ से अनुदान या अंशदान की उसमें दुगुना करें ताकि उन पर्वतीय क्षेत्रों का पिछड़ापन दूर हो सके। जो हिमालय सारे देश के आधे भाग को पानी पिलाने वाली गंगा और यमुना जैसी नदियों को देता है आज वहां का व्यक्ति पानी के लिए तड़फ रहा है, वहां की धरती प्यासी है। वहां पर लिफ्ट इर्रीगेशन की योजना चालू की जाय। वहा जो गांवों में औरतें तीन-तीन किलोमीटर से पानी लाती हैं वे नहीं जानती हैं कि हिन्दुस्तान में कोई प्रजातंत्र भी है। उनको इस प्रजातंत्र का कोई लाभ नहीं पहुंचा। उनको लाभ पहुंचाने के लिए एक काम्प्रीहेंसिव और काम्पैक्ट योजना पेयजल की उपलब्धता प्रारम्भ की जाय। वहां पर हर गांव को पानी देने की कोशिश की की जाय। इसके लिए वर्ल्ड बैंक से हमको जो धनराशि मिलती थी आज उसमें कटौती हो गई है, उसको फिर से प्राप्त करने की चेष्टा की जाय और एल० आई० सी० जैसी संस्थाओं से उत्तर प्रदेश के जल निगम को पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल की योजना के लिए ऋण स्वरूप धन दिलाया जाय। वहां पर पंचेश्वर डैम और पिंडरवाटी योजना के विषय में कई बार आवाज उठ चुकी है। इन योजनाओं को चालू किया जाय। वहां पर विकास की प्राथमिकताओं को बदला जाय। प्लेन्स की जो विकास की प्राथमिकताएं हैं मैदानी पर्वतीय क्षेत्र के विकास के संदर्भ में वह वहां पर अप्लीकेबल नहीं हैं। वहां की धरती में इतना अन्तर है कि एक एरिया से दूसरी एरिया की धरती भिन्न है। एक मील अन्दर दो प्रकार की मिट्टी पायी जाती है। वहां पर सौयल टेस्ट करने वाली लेबोरेटरी स्थापित की जाय और उसी के अनुरूप कृषि का कार्य वहां किया जाय। पशुपालन, फ्रूट विकास और ऐग्रीकल्चर दूसरी तीसरी गये जो हैं, उनमें कुछ इस तरीके की कोशिशें की जाएं कि इंटीग्रेटड प्लानिंग का कांसेप्ट वहां अपनाया जाय और कांसेप्ट आफ एरिया प्लानिंग को वहां पर सख्ती से लागू किया जाय। जब तक पर्वतीय क्षेत्रों की प्लानिंग पर्वतीय क्षेत्र के हित के हिसाब से वहीं कहीं नहीं होगी, उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से नहीं होगी तब तक आप लाख धनराशि दीजिये वहां की उन्नति संभव नहीं है।

शिक्षा के विषय में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पर्वतीय क्षेत्र में जो शिक्षा दी जाती है उसके स्वरूप को थोड़ा-सा बदला जाय। वहां पर वन पर्वतीय क्षेत्र के जीवन हैं। इसलिए

फारेस्ट्री, मिनरालाजी और इस तरह की कुछ चीजों को वहां की शिक्षा में शामिल किया जाय ताकि वहीं के लोग वहां की उन्नति के लिए काम कर सकें और उनको वहीं रोजगार मिल सके। आज हिमालय एक प्रकार से लुट सा रहा है, हिमालय घुल रहा हैं। वहां की जो विभिन्न प्रकार की खनिज सम्पदाएं हैं उनका दोहन, वहां की प्राकृतिक सम्पदा का दोहन हिमालय पुत्रों के हित में नहीं हो रहा है। कुछ व्यक्तिगत स्वार्थी तत्व हिमालय की सम्पदा को लूट रहे है। आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि पर्वतीय क्षेत्रों की प्राकृतिक सम्पदा के दोहन के लिए एक निकाय की स्थापना की जाए ताकि पर्वतीय क्षेत्रों की सम्पदा का राष्ट्रीय हित में उपयोग होने के साथ-साथ स्थानीय गरीब लोगों के हितों की रक्षा भी की जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इतने अल्प समय में इतनी मेहनत के साथ इतना अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री हतान मोल्लाह (उलूबेरिया) : इस समय मध्य प्रदेश का जो बजट यहां पेश किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। उस दिन यह तर्क दिया गया कि वैधानिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से यह ठीक है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि इसका आधार क्या है। यदि कोई चोरी करता है तो उसका यह अर्थ नहीं कि आप डकैती करें। इसके पीछे क्या तुक है कि यदि कोई प्रजातंत्र विरोधी कार्य करें तो प्रजातंत्र की तोडफोड़ ही की जाये ? इस बात के पीछे क्या सिद्धान्त है कि उत्तर प्रदेश के 34 प्रतिशत लोगों के समर्थन से आप उत्तर प्रदेश की विधान सभा को भंग कर सकते हैं ? अत: मैं इस विधेयक को पेश करने का नैतिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से विरोध करता हूँ।

इस बजट का विरोध मैं इस आधार पर भी करता हूँ कि यह उत्तर प्रदेश का अभी तक का सबसे बड़ा घाटे का बजट है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के लोगो को गुमराह करता है ताकि आगामी चुनावों के बाद इस घाटे को पूरा करने के लिए लोगो पर भारी लगाये जा सकें। अतः मैं इस घाटे के बजट का विरोध करता हूं। कुछ लोगों ने अनुसूचित जाति अथवा जन-जाति के लोगों के प्रति सहानुभूति दिखायी है। लेकिन उनके लिए अब तक क्या किया गया। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि 850.0 करोड़ रुपरे को योजना बजट में से अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कल्याण के लिए केवल 6.30 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। 15 प्रतिशत लोगों के लिए केवल एक प्रतिशत राशि आवंटित की गयी है। गरीब वर्ग के लोगों के लिए केवल इतनी ही राशि नियत की गई है।

अभी हाल में हरिजनों के असंख्य घरों को जलाया गया और उनकी औरतों का बलात्कार किया गया।

कल माल्मीकि नगर में 3 व्यक्ति मरे और 120 घर जलाये गये। इससे सिद्ध होता है कि हरिजनों पर अत्याचार अब भी बेरोकटोक हो रहे हैं। मेरे विचार में उत्तर प्रदेश में अब भी बंधक मजदूर हैं। अभी हाल में गांधी पीस फाउंडेशन जैसी स्वतंत्र संस्थाओं, बनारस हिन्दू विश्यविद्यालय तथा आई० सी० एस० ए० आर० के प्रतिनिधियों ने एक सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण से सिद्ध हुआ कि अभी भी उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में बंधक मजदूर हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इसकी जांच की जाये और बंधक मजदूरी को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाये जायें।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रैदासपुर के नाम चित्रांगद दास नाम के एक व्यक्ति हरिजनों पर आक्रमण करने के मामले में पकड़े गये थे। इस मामले पर पिछले वर्ष इस सभा में चर्चा हुई थी। अभी हाल में उस व्यक्ति को लखनऊ में संयुक्त सचिव, हरिजन कल्याण नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 55 लाख कृषि श्रमिक हैं। उनके पास न तो जमीन है और न ही कोई धन है और वे बेरोजगार हैं। उन्हें सरकार द्वारा निश्चित 8 रु० 10 पैसे प्रतिदिन की मजदूरी नहीं दी जाती। इस निश्चित मजदूरी को पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा आदि के मजदूरों को दिया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि भूमिहीन लोगों को, चाहे वे कहीं भी हों, जमीन दी जाये। उन्हें रोजगार दिया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि उन्हें प्रतिदिन 8 रुपए 10 पैसे मजदूरी मिले। उत्तर प्रदेश में कृषि मजदूर को केवल तीन-चार महीने के लिये काम मिलता है और उस बीच भी उन्हें 3 या 4 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है। इसके विपरीत पश्चिम बंगाल में कृषि मजदूर को 8 रुपये 10 पैसे प्रति दिन की मजदूरी मिलती है और कहीं-कहीं तो उन्हें प्रतिदिन 10 या 12 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इन गरीब लोगों का ध्यान रखा जाये।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया आबंटन बहुत ही अपर्याप्त है। मैं अनुरोध करता हूँ कि इस हेतु पर्याप्त प्रावधान किया जाये क्योंकि इससे समाज के गरीब वर्ग को लाभ पहुँचेगा।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि मलगांव के 18 वर्षीय बहादुरसिंह नाम के एक आदिवासी युवक को जोशीमठ गढ़वाल में पुलिस ने गिरफ्तार किया और कुछ दिनों के बाद उसकी लाश ही मिली। पुलिस आदिवासी लोगों को इस प्रकार तंग कर रही है।

उत्तर प्रदेश में लगभग 16 लाख व्यक्ति बेरोजगार हैं। राज्य में भिखारियों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। हमें यह मालूम नहीं कि इस देश में कब तक एक ओर समृद्ध प्रधान मंत्री और दूसरी ओर भिखारी बनते रहेंगे।

जैसे कि मैंने कहा, उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है हम प्रतिदिन हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के बारे सुनते आ रहे हैं। कई कारखानों में गैर कानूनी शस्त्र तैयार हो रहे हैं जिनसे गरीबों की हत्या की जाती है, उन्हें लूटा जाता है और डकैती की जाती है। गोमती एक्सप्रेस डकैती के बारे में हम पूरी तरह से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं प्रतिदिन होती रहती हैं। हमारे रेलमंत्री तथा प्रधानमंत्री, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्हें इस ओर ध्यान देकर कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करना चाहिए। लगभग 1.10 लाख पुलिस के लोग हैं, वे क्या कर रहे हैं? बजट में पुलिस के लिए 105 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है एक दमनकारी मशीनरी के लिए इतनी बड़ी राशि क्यों रखी जाये, जब यह कानून तथा व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकती?

शिक्षा के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है। यह कुल बजट का केवल 15 प्रतिशत भाग तथा योजना बजट का 2½ प्रतिशत भाग है। उत्तर प्रदेश के 27 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। सरकार की शायद यही इच्छा है कि उन्हें निरीक्षक ही रखा जाये ताकि उनका उपयोग सरकार अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर सके। मैं इसका

सख्त विरोध करता हूं और सरकार से शिक्षा के लिए अधिक राशि आवंटित करने का अनुरोध करता हूं।

भाषण समाप्त करने से पहले मैं सुझाव देना चाहता हूं। मेरी मांग है कि बेरोजगार नौजवान को बेरोजगारी की राहत दी जाये। गन्ना उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। भूमि सुधारों को अविलम्ब लागू किया जाये। जमींदारों से फालतू भूमि ली जाये और उसे भूमिहीनों तथा हरिजनों के बीच बांटा जाये। यह बात सुनिश्चित की जाये कि कृषि मजदूरों को प्रतिदिन कम से कम 8 रुपये 10 पैसे मजदूरी मिले।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं बजट का पुरजोर-विरोध करता हूँ।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) उपाध्यक्ष महोदय, मैं, उत्तर प्रदेश का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और इसके संदर्भ में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

बजट में बाढ़ से बचने के लिए व्यवस्था की गई है, मैं उसमें कटौती नहीं चाहता हूं बल्कि मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन यह तभी सम्भव है जब सूखे से पीड़ित लोग बचे रहेंगे। समूचा उत्तर प्रदेश सूखे से घिरा हुआ है। पिछले वर्षों में जो बाढ़ आई, उस बाढ़ से बचने के लिए श्री राम नरेश यादव की सरकार ने एक अन्त्योदय योजना चलाई थी, लेकिन सम्बन्धित अधिकारियों और मंत्रियों ने अन्त्योदय योजना को ही आत्मोदय योजना बना डाला और जब समूचा उत्तर प्रदेश सूखे से घिरा रहा तो बनारसी दास की सरकार ने राहत के तौर पर जो खाद्यान्न योजना चलाई थी और उस खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जो काम चल रहा था, उस योजना को भी सम्बन्धित अधिकारियों ने अपने स्वयं के अपनी खाने-पीने की योजना बना डाला। यही कारण है कि लाखों लोगों जिन्होंने खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत काम किया, काम करने के बाद उन्हें मजदूरी नहीं मिली।

मेरे अपने चुनाव क्षेत्र—खागा, निराथू, मनझसपुर और चैल—में तीन लाख मजदूर ऐसे हैं, जिन्होंने खाद्यान्न योजना में दो-तीन महीने तक काम किया, लेकिन उन्हें मजदूरी नहीं मिली। उनकी मजदूरी सम्बन्धित अधिकारी खा गये।

इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि इन तहसीलों में सैंकड़ों गांव ऐसे हैं जो पिछले दो महीनों से चने और सरसों के पत्तों को उबालकर, नमक के साथ खाकर, अपने को मरने से बचा रहे हैं। इधर 15-20 दिनों से वे क्या खा रहे हैं, कहा नहीं जा सकता। भुखमरी की हालत वह है कि अभी दो दिन पहले मिर्जापुर के कांग्रेस (आई) के प्रेजिडेन्ट ने कहा है कि दो आदमी उनके यहां भूख से मर गए। मेरे क्षेत्र की उक्त तहसीलों की हालत भी ऐसी ही है।

भुखमरी की बात को छोड़ दीजिये, हमारे उत्तर प्रदेश में तो पानी पीने वाले अब कुंए भी सूखने लगे हैं। इलाहाबाद और फतहपुर जिलों में 80 प्रतिशत कुंए सूख गए हैं, उनमें पानी खत्म हो गया है, जानवर और इन्सान दोनों पानी के बिना तड़पने लगे हैं।

इस बजट में सिंचाई के लिये प्रावधान किया गया है—उसके संदर्भ में मैं बतलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में वे नहरें जो बड़ी नदियो से निकाली गई हैं, उनसे

लगी हुई जो माइनर्स हैं, वे पिछले 20 वर्षों से सूखी पड़ी हैं, वे खेतों को पानी नहीं दे पाती है। चूंकि वे नहरें कमाण्ड के अन्तर्गत आती हैं इसलिये सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। चैल चुनाव क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक की मदद से 45 ट्यूब-वेल्स मंजूर हुए हैं, लेकिन चूंकि वह एरिया नहर के कमाण्ड में आता है, इसलिये वे ट्यूब वेल्ज वहां नहीं लगाये जा रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है—चूंकि वह एरिया जो नहर के कमाण्ड में आता है, लेकिन पानी नहरों से नहीं मिल पाता है; सम्बन्धित माइनर्स सूखी पड़ी हैं, इसलिए उस क्षेत्र को कमाण्ड से बाहर निकाला जाए और वहां पर नलकूप लगाने की व्यवस्था की जाए।

बेरोजगारी की चर्चा मेरे बहुत से साथियों ने की है। उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटीज और कालिजिज से लाखों की संख्या में पढ़ लिख कर नौजवान बाहर आ रहे हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। लाखों पढ़े-लिखे बेरोजगारों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। यदि समय रहते उनको नौकरी नहीं दी गई, तो वे सब चोर, बदमाश, डकैत और कातिल हो जायेंगे, जीवन के प्रति उनके अन्दर नफरत पैदा हो जाएगी। चैल, फतहपुर और इलाहाबाद में लगभग 3 लाख लोग पढ़े-लिखे ग्रेजुएट्स अनएम्पलाएड हैं और उनकी नौकरी पाने की उम्र खत्म हो चुकी है, ओवर-एज हो गये हैं। अब अनको सरकारी नौकरी मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब उनके सामने एक ही विकल्प रह गया है—बन्दूक उठा लें, रिवाल्वर उठा लें, चोरी-डकैती करें। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के हर परिवार का 8 वां व्यक्ति क्रिमनल हो गया है। उत्तर प्रदेश बेरोजगारी को समाप्त करना होगा। यही स्थिति बे-पढ़े-लिखे लोगों की भी है, आज बहुत बड़ी संख्या में मजदूर और दूसरे लोग बेकार हैं। इन सब के लिए कुछ-न-कुछ व्यवस्था करनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश में जहां तक कानून और व्यवस्था का प्रश्न है—हरिजनों, गरीब तबके इन्सानों को बहुत ज्यादा सताया जा रहा है। बड़े लोग न्याय को अदालतों में खरीद रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो सी० आर० पी० सी० 1977 में लागू हुई है, उससे अत्याचारियों का मनोबल बुलन्द हुआ है। पुलिस जो रक्षक समझी जाती थी, वह अब भक्षक बन गई है, भ्रष्टाचार के दरवाजे खुल गए हैं। मेरी मांग है कि 1977 के सी० आर० पी० सी० को वापस करके, 1977 के पहले का जो सी० आर० पी० सी० है, उसे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए, तभी गरीब तबके लोगों की रक्षा हो सकेगी।

मैं यह और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की गवर्नमेंट के जमाने में जो हरिजनों पर अत्याचार हो रहा था, वह इस गवर्नमेंट में भी शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत मुरादाबाद से हो गयी है। मेरा आप से यह कहना कि यदि कड़ाई से इसका दमन नहीं किया गया तो जिन कारणों से जनता पार्टी की सरकार बदनाम हुई थी, हरिजनों का विश्वास उस पर से उठ गया था, उन्हीं कारणों से यह सरकार भी उनका विश्वास खो देगी। इसके लिए सरकार को कुछ उपाय करने पड़ेंगे।

मैं कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद में एक हरिजन आश्रम है। बनारसी दास सरकार उत्तर प्रदेश से गई, लेकिन आज भी बनारसी दास के चमचे गुण्डे, उस हरिजन आश्रम की करोड़ों रुपयों की जो उनकी सम्पत्ति लगी हुई है, पर कब्जा किया हुआ है। जबकि यह हरिजन फंड से

कायम है उनके गुण्डे, वहां पर हरिजन छात्रों पर अत्याचार करते हैं, हरिजनों के नाम पर करोड़ों-करोड़ों रुपये की लूट वहां पर हो रही है। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि इलाहाबाद का जो हरिजन आश्रम है, वह हरिजनों का सबसे बड़ा शैक्षणिक केन्द्र है। बीसियों करोड़ की सम्पत्ति है पर बनारसी दास के गुण्डे और चमचे उसको दिन-दहाड़े लूट रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से अनुरोध है कि वहां की दी जाने वाली ग्रान्ट तत्काल रोक कर मौजूदा कमेटी को भंग करके वहां पर वह संस्था हरिजन प्रतिनिधियों की कमेटी बना कर हरिजन आश्रम तथा हरिजनों की रक्षा की जाए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का स्वागत करता हूं, लेकिन यह अन्त में कहना चाहता हूं कि शोषित वर्गों के लिए, उनके समाज के लिए, सताये हुए लोगों के लिए इस बजट में समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाए।

इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मई 1977 के बाद उत्तर प्रदेश में शासन और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही थी, शासन और व्यवस्था की सारी मशीन जो इतने बड़े सूबा को कन्ट्रोल करती थी, वह बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो गई थी। इसका एक बड़ा कारण यह था कि उत्तर प्रदेश की आबादी, उसकी राजनीतिक चेतना, उसका पिछड़ापन और देश में उसका प्रमुख स्थान होने के कारण, कांग्रेस ने हमेशा योग्य, समझदार, निष्ठावान और तजुर्बेकार नेताओं को उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाया था। इस महान् लाइन में पं० गोबिन्द वल्लभ पंत, डा० सम्पूर्णानन्द, श्री चन्द्रभान गुप्त, पं० कमलापति त्रिपाठी, चौधरी चरणसिंह, श्री बहुगुणा और श्री नारायण दत्त तिवारी जैसे लोग उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री रहे, लेकिन जनता पार्टी ने और उसके नेताओं ने अपनी अदूरदृष्टि के कारण एक बहुत बड़े नातजुर्बेकार आदमी, जिसको सूबे की बात को तो छोड़ दीजिए जिले में भी जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी, वे भले आदमी थे इसमें मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है लेकिन एक नातजुर्बेकार आदमी को उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाया और उसके बाद दूसरी बार एक बहुत बड़े तिकड़मी आदमी को, जो न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में अपनी तिकड़म के लिए मशहूर था, उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाया। (व्यवधान) ऐसे तिकड़मी आदमी के होते हुए, उत्तर प्रदेश के शासन में और व्यवस्था में गिरावट आना स्वाभाविक था।

उत्तर प्रदेश के शासन को छिन्न-भिन्न करने के जिम्मेदार ये लोग थे। जिसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो हमें वहां कानून और व्यवस्था संभालना कठिन हो गया है। चोरी, डकैती, कत्ल, छीना-झपटी और राहजनी के आंकड़े इस हाउस में आ चुके हैं। ये चीज बढ़ी-से-बढ़ी लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे भयंकर चीज हुई वह थी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर और हरिजनों पर जुल्म। बनारस और अलीगढ़ में बड़े भयानक दंगे हुए। उपाध्यक्ष महोदय, बनारस में 120 घंटे का कफ्यू लगाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुसलमानों की बस्ती में इतना बड़ा कफ्यू लगाया गया कि उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। दूसरे महायुद्ध के समय हिटलर ने पेरिस में केवल 90 घंटे का कर्फ्यू लगाया था जिससे सारी दुनिया चीख उठी थी और जनता पार्टी ने 120 घंटे का कर्फ्यू लगाकर हिटलर के रिकार्ड को भी तोड़ दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ में पूरे एक साल तक दंगे हुए। ये दंगे आर० एस० एस० के० के नवमान के० नेतृत्व में हुए। लेकिन जब उसको पकड़ा गया तो श्री रामनरेश यादव ने टेलीफोन करके उसे छुड़वा दिया। क्योंकि उस समय आर० एस० एस० उनके लिए बुरा नहीं था और उन्होंने आर० एस० एस० के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। अभी हमारे एक सम्मानित सदस्य ने कहा कि परसों भी अलीगढ़ में एक घटना घटी। बात यह है कि कांग्रेस अलीगढ़ यूनवर्सिटी का अल्पसंख्यक स्वरूप बहाल करने जा रही है। वह बिल इसी सत्र में इस सम्मानित सदन में आने वाला है। इसके विरोध में कुछ लोग हैं वहां दंगे कराना चाहते हैं मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि उसको अलीगढ़ पर नजर रखनी चाहिए ताकि जो पिछले साल की घटना है, जबकि अलीगड़ में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे, उस घटना की पुनरावृत्ति फिर से अलीगढ़ में न हो।

कानून और व्यवस्था की स्थिति जो पिछली सरकार ने उत्तर प्रदेश में पैदा कर दी थी, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अभी उस शासनतंत्र को बदला नहीं गया है। लगता है कि राज्यपाल के सलाहकार राज्यपाल को ठीक राय नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं गृहमंत्री जी से और सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर कानून और व्यवस्था के और दूसरे सुधार के लिए उत्तर प्रदेश में कदम उठाए जाएं।

उपाध्यक्ष जी, दूसरी बात मैं विकास के बारे में कहना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार ने कितनी भी विकास की योजनाएं बनाई थीं, जनता पार्टी और लोकदल के शासन काल में उन पर कोई काम नहीं हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश का हवाला तो माननीय नारायण दत्त जी तिवारी ने दिया है, मैं अपने जिले गाजीपुर की बात करता हूं। गाजीपुर के विकास के लिए वहां के लोगों की भावनाएं उमड़ी हुई हैं। वहां पर गंगा पर पुल बनाने की योजना थी जिसका शिलान्यास माननीय पंडित कमलापति जी त्रिपाठी ने 1972 में किया था। पिछले तीन सालों में उस पुल पर बिल्कुल काम ठप्प पड़ा रहा है। मैं चाहता हूं कि उस पुल पर तेजी से काम चालू किया जाए जिससे कि वह 1982 तक बनकर तैयार हो जाए। इसी तरह से शारदा सहायक पम्प केनाल जो कि एशिया की सबसे बड़ी पम्प केनाल है, जो कि मध्य उत्तरप्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े भागों की सिंचाई करने वाली है उस पर भी काम ठप्प पड़ा हुआ है। इसी तरह से देवकली पम्प कैनाल है जो कि कई जिलों की सिंचाई करने वाली है और जमानिया पम्प कैनाल जो कि गाजिपुर की जमानिया तहसील और बिहार के रोहतास जिले की सिंचाई करने वाली है उन पर भी पिछले तीन वर्षों से काम ठप्प पड़े हुए हैं। उस पर कोई काम नहीं हुआ है। मेरा अनुरोध है कि उस पर तेजी के साथ काम किया जाए।

माननीय श्री हरिकेश बहादुर ने बुनकरों की बात कही है। उत्तर प्रदेश में आज बुनकर भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। सूत की, स्टेपल की कीमत 85 रुपए से बढ़कर 124 रुपए हो गई है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय इस दाम वाली बात को भी हल करें।

उत्तर प्रदेश भयंकर अकाल की चपेट में है। वहां 'काम के बदले अनाज' की योजना जोरदार तरीके से लागू की जानी चाहिये।

अकाल के निपटने के लिए अधिकारियों और शासनतंत्र की तरफ से पूरी तरह से और ठीक ढंग से योगदान किया जाना चाहिए। जब तक वे इस काम में नहीं जुटेंगे तब तक अकाल की समस्या का हल खोजा नहीं जा सकेगा। मैं मांग करता हूं कि जब तक अकाल की स्थिति बनी रहती है और बारिश ठीक से नहीं हो जाती है, जब तक पूरे देश में अकाल की छाया रहती है तब तक उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में विधान सभा के चुनाव न कराए जाएं। अगर कराए जायेंगे तो शासन की मशीनरी चुनाव कराने में लग जाएगी और अकाल पीड़ितों की सहायता नहीं पहुंच सकेगी और अकाल पीड़ितों को राहत पहुंचाने के काम में बाधा पड़ेगी। इसलिए अकाल की भयंकर छाया में अकाल पीड़ितों की मदद की जानी चाहिए और चुनाव को स्थगित कर दिया जाना चाहिए।

श्री मुजफ्फर हुसैन (तहराइच) : उस भवन का खुदा ही हाफिज है जब भी वान किसान हो जा।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बाद हरफतनीय सदस्य 3 मिनट लेंगे।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां (एटा) : मेरी दरखास्त है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। आपने छोटे-छोटे सूबों को दो-दो ढाई-ढाई घंटे दिए हैं। उत्तर प्रदेश ढाई घंटे में खत्म नहीं होगा। हमें पूरा मौका दिया जाए बोलने का। यह मुनासिब नहीं है। उत्तर प्रदेश की बहुत-सी प्राबलेम्ज हैं। उसको निगलैक्ट किया गया है। इण्डस्ट्रीज सबकी सब दूसरे प्रदेशों को दे दी गई हैं। दो तीन मिनट में हम बोल नहीं सकेंगे। हमें चार घंटे चाहियें। हम तमिलनाडु के लिये दुगुना समय चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उसके बाद में कुछ नहीं जानता। उस समय मैं पीठासीन अधिकारी नहीं था।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : तमिलनाडु के ढाई घंटे मिले थे। आप उस समय सभा में थे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। मैं स्थिति स्पष्ट करता हूं। (**व्यवधान**)। सभा की अनुमति से ही 2½ घंटे का समय नियत किया गया था। मेरे विचार में उस समय आप उपस्थित नहीं थे।

हम आपकी इच्छानुसार नियम नहीं बदल सकते।

श्री मलिक एम० एम०ए० खां : मैं नियम नहीं बदल रहा। मैं आपको सभा की प्रथा बता रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस निर्णय को सभी दलों के परामर्श से कार्य मंत्रणा समिति ने लिया था। क्या आप 8 या 9 बजे शाम तक बैठना चाहते हैं।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : हम इसे कल समाप्त करेंगे। एक घंटा जिन राज्यों को दिया गया था उनको डेढ़-डेढ़ और दो-दो दिए गए हैं। आप रिकार्ड उठाकर देख लें। एक घंटा एलाट हुआ था और दो घंटे बहस चली है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभा को कब तक बैठने को कहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसके बाद निर्णय लेंगे।

श्री आर० वेंकटरामन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा की भावनाओं की सराहना करता हूं। वे अधिक समय चाहते हैं। जब तक ये चाहें, हम उस समय तक बैठ सकते हैं। अभी सात बजे हैं। हम आठ बजे तक बैठ सकते हैं।

आप समय का आबंटन स्थिति के अनुसार करें। कल हमें इसे दूसरे सदन में भी पास

करवाता है और हमारा कार्यक्रम बहुत सीमित है। मैं 8 या 8.30 बजे शाम तक बैठने को तैयार हूं। (व्यवधान)। मैं बिना दोपहर भोजन के बैठा हूं जबकि आप सभी ने भोजन ले लिया है। मैं शाम के भोजन की व्यवस्था करने को तैयार हूं यदि माननीय सदस्य 8.30 बजे तक बैठें।

श्री के० ए० राजन (त्रिचुर) : जितना भी समय हो, उसे बराबर बांटा जाएगा। इस बारे में माननीय सदस्यों को सहयोग देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय 8 बजे तक बैठने को तैयार हैं। यदि सदस्य 5 से 8 मिनट के लिए तैयार हैं तो आसानी होगी अन्यथा पहले पांच छः सदस्य ही इतना सारा समय ले लेंगे। मैं कितनी बार घंटी बजाऊंगा, यह एक अरुचिकर कार्य है, लेकिन इसे रुचिसे करना पड़ता है। आपको सहयोग देना चाहिए। मैं 5 मिनट के बाद घंटी बजाऊंगा और आप सहयोग देंगे। इस तरह हम आठ बजे तक पूरा कर सकते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : यदि माननीय सदस्यों को शाम के भोजन का प्रस्ताव स्वीकार है तो मैं प्रबंध करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भोजन नहीं। हमें इसे 8 बजे समाप्त करना है।

श्री एम० एम० ए० मलिक खां : बदकिस्मती यह है कि यू० पी० का बजट सबसे आखिर में आया, वरना हम और स्टेट्स को भी आगे नहीं बढ़ने देते। जिनको 1,1 घंटा अलाट था उनको 2 घंटे का वक्त मिला। यह कहां का न्याय है ? हम चाहते हैं कि वक्त और बढ़ाया जाय।

श्री मुल्तान सिंह : शैड्यूल टाइम ढाई घंटा था, लेकिन दिया पौन घंटा। यह कौन सा न्याय है। यह तो पहले से पिछड़ा हुआ है क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है और मंत्री महोदय 8 बजे तक बैठने के लिए सहमत हो गये हैं। हमें इसे आठ बजे तक समाप्त करना है।

श्री मौलाना सैयद मुजफ्फर हुसैन (बहराइच) : जनाव डिप्टी स्पीकर साहब, उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में बहुत से मेम्बरान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। जहां तक पूरे देश और खासतौर से उत्तर प्रदेश में भुखमरी का सवाल है इसको शिकवा करना मैम्बरों के लिये बेकार है। इसलिये कि जो इसकी बजह है उस पर किसी ने निगाह नहीं डाली। भुखमरी इंडिया के अन्दर सबसे पहले उस वक्त आयी जब 1901 में चौधरी चरणसिंह की पैदाइश हुई, और दूसरी बार तब हुई जब वह उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर हुए और तीसरी भुखमरी पूरे हिन्दुस्तान में तब हुई जब वह प्रधान मंत्री हुए। तो अभी भुखमरी का इलाज क्या हो सकता है, उसके मुताल्लिक आप खुद सोच सकते हैं।। मैं बहराइच के उस क्षेत्र से चुनकर आया हूं जो बिल्कुल बार्डर पर लगता है और गालिबन इस 33 वर्ष की गवर्नमेंट की हुकूमत में अगर थोड़ा बहुत कुछ काम वहां जनता के लिये किया गया है तो पहली गुजिश्ता कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया है। अब हो सकता है कि इस बजट के बाद वहां का कुछ परिवर्तन हो सके।

वहां के इलाके के लोग बहुत ही गरीब हैं, मुफलिस हैं, महज इसलिये कि कारोवार का सिलसिला बहुत कम है। क्योंकि समय कम है, इसलिये मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, सिर्फ चन्द बातें ही कहना चाहता हूं।

सबसे पहले वहां के लोगों के लिये जो दुश्वारी है, वह घाघरा घाट का पुल है, वहां 5, 6 महीने के लिए लोगों की आमोदरफ्त खत्म हो जाती है, तिजारत का सिलसिला खत्म हो जाता है और वहां के लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस ने अपने जमाने में उस पुल को मंजूर किया था, लेकिन उसके बाद जनता गवर्नमेंट ने उसको मुल्तवी कर दिया। वह लोग अपने कारनामे से अच्छी तरह वाकिफ हैं और वही जनता को बतला सकते हैं। मैं आपके जरिये अपनी गवर्नमेंट से मांग करूंगा कि घाघरा घाट के पुल के लिये जो बजट मंजूर हो चुका है, और उसके मुताल्लिक फैसला हो चुका है, उसको फौरन बनाने का काम शुरू किया जाये ताकि वह इलाका जो 4,6 महीने दूसरे जिलों से कट जाता है और वहां के लोग तिजारत से महरूम रह जाते हैं। ऐसा किया जाना चाहिये कि उनका यह सिलसिला जारी रहे और उनकी दुश्वारियां खत्म हो जायें।

एक बात मैं यह और अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर जंगलात का इलाका बहुत ज्यादा है, वहां के पत्ते दूसरे मूलक के सूबों के मुकामात पर जाते हैं। अगर वहां कागज और चीनी की फैक्टरियां कायम कर दी जायें, तो वहां के बेपनाह आवाम की मुश्किलात पूरी हो सकती हैं और उनको काफी सुख मिल सकता है और उनकी गरीबी दूर हो सकती है।

जहां तक आजकल का ताल्लुक है, इस वक्त डीजल, खाद और बिजली की कमी है। इस वक्त हमारे बहराइच जिले के अन्दर परसों की इत्तिला के मुताबिक वहां पर लाठी चार्ज हुआ है। महज इसलिये कि वहां का डी० एम०, एस० पी० कोतवाल, आई० जी० लखनऊ के फार्म का रखवाला है और यह उनका मुन्तजिम है और आई० जी० जो हमारे चौधरी चरणसिंह के आदमी थे, और वहां के कोतवाल राम आसरे यह समझते थे कि सैंया भये कोतवाल अब डर काहे का। आई० जी० हमारे हैं और आई० जी० चौधरी चरणसिंह के हैं जो चाहे हम कर सकते हैं, जो चाहे करेंगे। कोई हमारा कुछ बना बिगाड़ नहीं सकता। चुनाव इस वक्त वहां के हिन्दू, मुसलमान हरिजनों पर इन्तेहाइ जुल्म वह कर रहा है।

मैंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मांग की है और आपके जरिये अपनी हुकूमत से मांग करता हूं कि अगर बहराइच के इलाके के लोगों को सुख-चैन की नींद सोने का मौका दिया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा। उसका जरिया यही है कि जितने वहां पर जनता गवर्नमेंट और लोक-दल के अफसरान हैं, फौरन उनका ट्रांस्फर किया जाये, जब तक यह नहीं होगा, वहाँ के लोगों को सुख नहीं मिल सकेगा।

यही बजह है क्योंकि इस लोक दल की 28 दिन की गवर्नमेंट ने अपने शासन के निकम्मेपन का सबूत दिया है जिसके कारण आज उन्हें जनता ने पार्लियामेंट से दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया है। इसलिए मैं जिला बहराइच और खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुताल्लिक आपसे अर्ज करूंगा कि न डीजल की कमी है, न पैट्रोल की कमी है, वहां कमी इस बात की है कि हमारी कांग्रेस (इ) जो सामान वहां भेजती है, वहां जो जनता और लोकदल के लोग बैठे हैं, वह उसको सही तक्सीम नहीं होने दे रहे हैं, वह उसे लोगों में बांटने नहीं दे रहे हैं। जिले के हर पैट्रोल पम्प से एक न एक डी० एम० और एस० पी० कोतवाल का कोटा बना हुआ है। और वह हैं लोक दल के और जनता पार्टी के मुसल्लत किए हुए। लिहाजा जनता पार्टी और लोक दल के जमाने में मुसल्लत किए हुए डी० एम०, एस० पी० कोतवाल वगैरह इन

आफिसर्स का तबादला किया जाय तो सारा सुधार आसानी के साथ हो जायगा। मैं आपके जरिए गुजारिश करूंगा कि ऐसे हुक्मरान का तबादला करना जरूरी है ताकि हम आसानी के साथ इन जिलों में सुधार कर सकें और लोगों की ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा कि हमारे बहराइच जिले के अन्दर नानपारा में, अकौना में और कैसरगंज के इलाके में बेपनाह ईख बोयी जाती है। अगर वहां सुगर मिल बना दी जाय तो वहां के किसानों को फायदा होगा। अगर कागज की फैक्ट्री बना दी जाय तो वहां का पत्ता और दूसरा सामान जो बाहर जाता है वह वहीं रुक जायगा और कागज वहीं उसी फैक्ट्री में तैयार होगा। इससे हुकूमत को भी फायदा होगा और वहां के आवाम को भी फायदा होगा।

एक चीज और अर्ज करना चाहता हूं। मरहूम रफी अहमद किदवई साहब ने अपने जमाने में एक ट्रेन जरवल रोड से बाया कैसरगंज होकर बहराइच तुलसीपुर के लिए चलाने का प्रोग्राम तय किया था। अगर मरहूम जिन्दा रह जाते तो शायद वह ट्रेन निकल जाती। मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट में उनकी एक हैसियत थी, वक्त थी, उन्होंने इस हुकूमत के साथ बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इसलिए मरहूम किदवई साहब की यादगार में रेल मंत्री उस रेल को जारी कर दें जरवल रोड से बाया कैसरगंज हराइच तुलसीपुर के लिए तो वह किदवई साहब की यादगार होगी और आपका एक कारनामा होगा।

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं कुछेक बातें कहूंगा। मेरी राय है कि यदि उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड में हुई गड़बड़ी ठीक की जा सके, तो राज्य की वर्तमान आधी समस्यायें दूर हो सकती हैं। गत कुछेक वर्षों में इस विद्युत बोर्ड में कोई न कोई संकट आता रहा है। एक ओर तो इंजीनियरों और कर्मचारियों तथा दूसरी ओर नौकरशाही के बीच निरंतर लड़ाई चलती रही है। इसके परिणामस्वरूप मेरी जानकारी के अनुसार स्थापित क्षमता का केवल 52 प्रतिशत का है, उपयोग हो रहा है और बिजली में लगातार कटौती हो रही है। अतः वित्त मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस गम्भीर मामले की छानबीन करें और राज्य में विद्युत उत्पादन तथा वितरण की स्थिति में सुधार करें।

बजट से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए प्रावधान किया गया है। 1978 में इस शीर्षक अन्तर्गत वास्तविकता व्यय 89 करोड़ रुपये था और 1979-80 के बजट में 98 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया था। संशोधित अनुमान 99 करोड़ रुपया था। इसके मुकाबले में 1980-81 के बजट में केवल 36 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। मुझे मालूम नहीं है कि उस राज्य में विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्र कौन-कौन हैं। मेरी जानकारी के अनुसार ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखण्ड और राज्य के पर्वतीय क्षेत्र होने चाहिए। वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह यह बतायें कि विशेष रूप से पिछले क्षेत्रों के विकास के लिए परिव्यय में इतनी भारी कटौती क्यों की गयी है और मेरा उनसे निवेदन है कि यदि संभव हो सके तो वह इस कटौती को समाप्त करें।

सभी जानते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा क्षेत्र है। बढ़ती हुई बेरोजगारी और जमीन पर बढ़ते हुए दबाव के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग पंजाब, बम्बई और अन्य राज्यों जैसे क्षेत्रों में चले जाते हैं। वहां काफी बेरोजगारी और गरीबी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखण्ड

के लिए कुछ विशेष विकास योजनायें बनानी होंगी। बुंदेलखण्ड के बारे में मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं कुछेक क्षेत्रों में गया हूं। इन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए और पेय जल की बड़ी कमी है और चालू अकाल तथा कृषि की स्थिति का उस क्षेत्र के लोगों के पर जीवन बड़ा गम्भीर प्रभाव पड़ा है। उनके लिए जल की व्यवस्था करने के लिए शीघ्र ही कुछ करना होगा।

मैंने देखा है कि इस बजट में एक मद—बन्धक मजदूरों के पुनर्वास के बारे में है। एक माननीय सदस्य में पहले ही यह बताया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में अनेक संख्या में बंधक मजदूर हैं। बंधक मजदूरों के पुनर्वास के लिए मैंने देखा है कि 1979-80 में 4,43000 रुपए नियत किए गए थे, परन्तु संशोधित अनुमान में केवल 40,000 रुपए दिखाया गया है। 4,43,000 रु० में से केवल 40,000 रुपए की धनराशि का उपयोग ऐसे बंधक मजदूरों के पुनर्वास के लिए किया गया है जिन्हें उससे मुक्त किया गया। और 1980-81 के आने वाले बजट के लिए यह केवल 3,3000 रुपये हैं। तो बहुत अपर्याप्त धनराशि है। मुझे नहीं मालूम है कि क्या इस अल्पराशि का समुचित उपभोग भी बंधक मजदूरों के पुनर्वास के लिए किया जाएगा। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इस पहलू पर भी विचार करेंगे।

मैं उनका ध्यान एक और मामले राज्य में खेतिहार मजदूरों की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। देश में कृषि श्रमिकों की सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में है। यहां कृषि श्रमिकों की संख्या लगभग 54 लाख है। यह संख्या केवल वास्तविक श्रमिकों की द्योतक है और इसमें उनके परिवार के सदस्य शामिल नहीं हैं। कृषि श्रमिकों की इतनी बड़ी संख्या के लिए मैं देखता हूं कि उनके कल्याण के लिए धनराशि के नियतन में पर्याप्त वृद्धि नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को कहीं भी क्रियान्वित नहीं किया गया है। न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के लिए कोई उचित तंत्र नहीं है।

अन्त में, मैं उत्तर प्रदेश में हथकरघा बुनकरों की दशा के सम्बन्ध में अपनी चिन्ता व्यक्त करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में हथकरघा बुनकर दुखी हैं। इनकी जितनी संख्या उत्तर प्रदेश में है वह देश में सबसे अधिक है और मेरे राज्य केरल में भी उन्हें गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे केरल में भी बड़ी संख्या में हथकरघा बुनकर हैं। हथकरघा बुनकर सर्वत्र गम्भीर संकट का सामना कर रहे हैं जिसका मुख्य कारण सूत के ऊंचे दाम हैं। सूत का उत्पादन वे कताई मिलें करती हैं जो बड़े सूती कपड़े के व्यापारियों के नियंत्रण और स्वामित्व में हैं। सूत के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्हें खुले बाजार में ऊंचे मूल्य देने पड़ते हैं और इस कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है। अत: मेरा मंत्री महोदय से जो उद्योग मंत्री भी हैं, निवेदन है कि वे सूत के मूल्य पर कुछ नियंत्रण करें और इसे हथकरघा बुनकरों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायें।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है इसलिए औपचारिकता की बातों को छोड़कर माननीय वित्तमंत्री जी को बधाई देते हुए मैं कुछ सुझाव आपकी सेवा में रखना चाहता हूं।

मान्यवर, मेरा ऐसा ख्याल है और मेरी यह मान्यता है कि उत्तर प्रदेश की बेकारी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, विषमता तब तक समाप्त नहीं हो सकती, जब तक कि उत्पादन

के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण नहीं करते हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि जब उत्तर प्रदेश के उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण कर लिया जाएगा और व्यक्तिगत न होकर समाज में निहित हो जायेंगे तो उनसे होने वाले मुनाफे से सारा समाज लाभान्वित होगा।

हमारा उत्तर प्रदेश जो एक कृषि प्रधान प्रदेश है, कहना चाहता हूं वित्त मन्त्री जी से निवेदन के तौर पर, कि वे अपने स्तर से और इसके बाद हमारे प्रदेश की सरकार को जिन पर भविष्य में चलाने की जिनको जिम्मेदारी मिले, उनसे यह कहें कि कृषि को भी अगर को-ओपरेटिव सैक्टर में लाकर नहीं चला सकते, अगर उसका राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते तो सामूहिक खेती प्रयोग के तौर पर उनको करानी चाहिए। यदि इसकी शुरूआत की जाएगी तो निश्चित रूप से जहां बड़े किसानों के खेतों में पैदावार बढ़ी है, बड़े-बड़े भू-स्वामियों के खेतों में पैदावार बढ़ी है, वहीं छोटे किसान, जो साधन-विहीन किसान हैं, जिनके पास न जोतने के लिए हल है न बैल हैं, जो समय पर खाद नहीं खरीद सकता है, जो समय पर पानी नहीं पहुंचा सकता है, उसको ये सारी चीजें जब मुहैया होंगी, तब तक उनकी खेती की पैदावार बढ़ेगी। अगर आप निगाह डाल कर देखेंगे और विचार करेंगे, और आंकड़े इकट्ठे करेंगे तो आपको लगेगा कि जो पैदावार खेती के क्षेत्र में हुई है, कृषि के क्षेत्र में हुई है, उसमें बड़े किसानों के खेतों में तो 12, 13 और 14 क्वींटल प्रति एकड का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन वहीं पर जो दो-चार बीघे का किसान है, खेतिहर मजदूर है, वह दो और चार बीघा मन भी पैदा नहीं कर रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि उसके पास साधन नहीं हैं, गरीबी और बेरोजगारी के कारण वह तड़पता है, दूसरों के खेती खलिहानों और रोजी-रोटी की तरफ मुंह ताकता रहता है। मुझे आशा है माननीय मंत्री जी इन दोनों सुझावों को स्वीकार करेंगे और मेरा अपने स्तर से और प्रदेश सरकार, जिनके हाथ में उत्तर प्रदेश की सरकार का नेतृत्व और भार जाने वाला है, उनसे अगर कहेंगे तो मैं समझूंगा कि एक रचनात्मक समाजवादी समाज की रचना की तरफ लगने वाला सुझाव वे स्वीकार करेंगे और इस पर अमल होते ही जैसा कि हमारी पार्टी ने और हमारी सरकार ने समाजवादी समाज की कल्पना की है, समाजवादी समाज के सिद्धान्त पर अमल करके, लोकतान्त्रिक तरीके से अमल करके और उस पर चलकर समाज के लिए विकास कर सकेंगे। आर्थिक विषमताओं और सामाजिक विषमताओं को दूर करके ही, जैसा कि हमारी सरकार ने कल्पना की है, उसको वास्तविक रूप दे सकेंगे।

इसी सन्दर्भ में मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। राष्ट्रपति शासन लागू होते ही जब कांग्रेस पार्टी के हाथ में सरकार आई तो आप ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर अपराधों की बड़ी भयावह स्थिति थी। जगह-जगह पर अपराध हो रहे थे। यही नहीं आप ने सुना होगा कि पिछली सरकार ने गांवों में, विशेषकर इन्टीरियर के गांवों में, जो छोटे-बड़े अस्पताल कायम किये थे, उनमें दो-तीन साल के प्रयास के बावजूद भी डाक्टर नहीं पहुंचे। कोई किसी की बात को नहीं मानता था, न सचिव, मुख्य सचिव को गांव के लेविल की या जिला लेविल की प्रशासन में मशीनरी कोई बात मानने को तैयार थी। एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई थी। मैंने इस सम्बन्ध में पिछले दो सालों में असंख्य लोगों से मिल कर एक-एक जिले में इस समस्या का अध्ययन किया। मुझे मालूम हुआ कि एक-एक जिले में हजारों लोगों को आग्नेय-शस्त्र के लाइसेन्स बांटे गये हैं, यह

उसी का परिणाम है। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि आप आंकड़े मंगा कर देखें—आप चार दशक के या पांच दशक के आंकड़े मंगा लें, 1940 से 1980 तक के आंकड़े मंगाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि पब्लिक में बहुत ज्यादा तादाद में अग्नेय-अस्त्र के लाइसेंस दिये गये हैं, और जैसे-जैसे ये लाइसेंस दिये उत्तर भारत में उसी अनु-पात में अपराधों वृद्धि हुई है। मैंने इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी को सुझाव दिया था कि इन पर रोक लगाई जानी चाहिये। जब तक लाइसेंस दिये जाने पर रोक नहीं लगाई जाएगी, तब तक बुलेट-बारूद गुण्डों, लफंगों और बदमाशों को मिलता रहेगा और ये अपराध करते रहेंगे। मैंने जो अध्ययन किया है, उसी के आधार पर मैंने यह सुझाव दिया है और मुझे विश्वास है कि आप इसे स्वीकार करेंगे और प्रदेश सरकार के अधिकारियों को इस तरह का आदेश देंगे। मैंने इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार को भी ता० 23-12-1977 को लिखा था और उनके सहायक आयुक्त महोदय ने मुझे जवाब भी दिया था। उस जवाब में उन्होंने लिखा था कि इसका सर्वे किया गया है और सर्वे स पता चला है कि जो अधिक अग्नेय-अस्त्र बांटे गये हैं, उन्हीं के कारण अपराधों में वृद्धि हुई है। इसलिये मेरा पुनः निवेदन है कि आप इस पर विचार करें और यदि चाहते हैं कि उत्तर -प्रदेश में अपराधों में कमी आये, तो आग्नेय-अस्त्रों के बांटने पर निश्चित रूप से रोक लगाने के लिये पहल करें।

अब में एक-दो बातें और कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आर्थिक संशोधन जुटाने के लिये जो नगरीय आवासीय भूमि बांटी जाती है, उस पर थोड़ा नियन्त्रण किया जाय। बड़े-बड़े पैसे वाले, छोटे या बड़े प्लाट उन भूमि खण्डों को खरीद लेते हैं और बाद में उसे छोड़े रहते हैं, उन पर निर्माण नहीं करते हैं। 10-5 साल के बाद, मान लीजिये उन्होंने 10 हजार में खरीदा था, उस भूमि को लाख, दो लाख रुपये में बेचते हैं। इस तरह से मकानों के बनने में कठिनाई आ रही है, आवासीय समस्या हल नहीं हो रही है। ये लुटेरे लोग जो अपने पैसे को बैंकों में न रख कर इस तरह से जमीनों में लगा देते हैं, लाखों रुपया कमा लेते हैं और टैक्स से भी बच जाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि जब भी कोई इस तरह से जमीन खरीदे तो उस पर इस बात का प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये कि अमुक समय के अन्दर उसे मकान बनवा लेना होगा। अगर नहीं बनायेगा, तो उस पर प्रतिवर्ष टैक्स लगाया जाना चाहिये, एक साल नहीं बनवाता है तो इतना टैक्स और दो साल नहीं बनवाता है तो इतना टैक्स। चूंकि वे इस जमीन पर मुनाफा इसलिए उस मुनाफे में से सरकार को भी हिस्सा राजस्व के रूप में कमाते हैं मिलना चाहिए। इससे आपके राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी और दूसरी तरफ ओर जो टैक्स बचाने का प्रयास होता है, उस पर रोक लगेगी, साथ ही मकान जल्दी जल्दी बनने लगेंगे जिससे आवासीय समस्या का समाधान होगा। तीसरे जो खाली पड़ी हुई जमीन है, उसका उपयोग हो जाएगा।

दूसरी बात मैं मन्दिरों के बारे में कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ी संख्या में मन्दिर हैं। दक्षिण भारत में मैंने देखा है कि मन्दिरों की व्यवस्था के लिए सरकार ने बोर्ड बना दिए हैं, मैं चाहता हूं कि वैसी ही व्यवस्था उत्तर भारत के मन्दिरों के लिए भी की जाए। आप जानते हैं इन मन्दिरों में लाखों रुपया चढ़ावे के रूप में आता है और उस धन का दुरुपयोग उन मन्दिरों के मठाधीश अपने हित के लिए, अपनी सम्पत्ति बढ़ाने के लिए अपने ऐशोआराम के लिए,

करते हैं। इसलिए ऐसे मन्दिरों की व्यवस्था के लिए आप बोर्ड बनायें जो उन मन्दिरों का संचालन करे और उन मन्दिरों से होने वाली आय का उपयोग मन्दिरों के रख-रखाव पर हो, ताकि पर्यटन की दृष्टि से उन में सुधार हो और विदेशी पर्यटक भी वहां आयें। इससे उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा राजस्व मिल सकेगा।

उत्तर प्रदेश में सड़कों का बहुत अभाव है। मैंने उत्तर प्रदेश की सड़कों की अन्य राज्यों से तुलना की है—जिनके कुछ आंकड़े मैं यहां पर दे रहा हूं—

राज्य का नाम	सड़कों की सप्लाई प्रति 100 वर्ग कि०मी०		प्रति किलोमीठर मा प्रति 1 लाख जन संख्या
केरल	65		119
तमिलनाडु में	37	और	120
पंजाब में	29	"	99
हरियाणा	33	"	146
कर्नाटक	24	"	152
महाराष्ट्र	13	"	97
उत्तर प्रदेश	12.7	"	43

यानी 43 किलोमीटर सड़क प्रति लाख व्यक्तियों पर उत्तर प्रदेश में है जबकि केरल में 119 किलोमीटर प्रति लाख व्यक्तियों पर है। सड़कों की लम्बाई प्रति सौ वर्ग किलोमीटर में में कितनी है ? उत्तर प्रदेश में 12.7 है। इससे आप यह देखें कि सड़कों के मामले में उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। वित्तमंत्री जी जानते होंगे कि पिछले वर्षों में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत खाद्यान्न के अन्तर्गत, टैस्ट वर्क्स के अन्तर्गत हजारों मार्ग हमारे उत्तर प्रदेश में बनाए गए थे। यह जो काम हुआ था, तो इसमें करोड़ों रुपये व्यय हो चुके हैं। इन योजनाओं में जो ये कच्ची सड़कें मिट्टी की बनी हुई हैं, अगर बारिश हो जाएगी, तो दुर्दशा होने वाली है और मिट्टी जमीन में नीचे चली जाएगी और इस तरह से करोड़ों रुपए बर्बाद हो जायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इन सड़कों को पक्का करने की योजना होनी चाहिए। उ० प्र० में करीब 25 हजार किलोमीटर मार्ग बनाने में साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। मैं वित्तमन्त्री जी से प्रार्थना करूगा कि जो लाखों, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया है, उसको अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं, जनहित में उसको बचाना चाहते हैं, यह जो धन लग चुका है, यह व्यर्थ न जाए तो इन सड़कों को बनाने के लिए उ० प्र० के सार्वजनिक निर्माण विभाग को साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया खर्च करने हेतु देते और पंजाब और हरियाणा के तरीके से हमारे प्रदेश के अन्दर भी गांवों को जोड़ने के लिए लिंक रोड्स बनाई जाएं। अगर 1,000 और 1500 वाली आबादी के गांवों को सड़क मिल सकें, तो वे अपना विकास कर सकते हैं।

यह सौभाग्य की बात है कि जिस वक्त उत्तर प्रदेश में माननीय बहुगुणा जी मुख्य मंत्री थे, तो इन्होंने हरिजनों के लिए एक वित्त विकास निगम बनाया था। उस वित्त विकास निगम के माध्यम से हरिजनों को तरह-तरह के रोजगार और व्यवसाय करने की सुविधा दी गई थी। यही नहीं, एक लाख, दो लाख रुपये की सुविधा दी जाने लगी थी सुअर, मुर्गी या बकरी पालने के लिए

ही पहले सहायता दी जाती थी पर बैंकों से प्रतिबन्ध जो लगा हुआ था, वह उन्होंने खत्म कर दिया और सब बिजनेसों के रोजगारों लिए सुविधा दी गई। जब जनता पार्टी की सरकार आई, तो हमारे चौधरी साहब ने अपनी एक नातेदार महिला को वहां मन्त्री बनाकर बैठा दिया और हम रोजाना उनसे विनती करते रहे कि पूर्व की तरह लोन सुविधाएं दी जाएं, लेकिन वे सब डकार गईं और एक भी व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिलेगा, जिसको 50 हजार रुपया ही रोजगार या व्यवसाय के लिए दिया गया हो। जब उन से कहा गया, तो उन्होंने कहा कि 3 हजार और 4 हजार से ज्यादा हम खर्च के लिए एक व्यक्ति को कर्जा पर छूट नहीं करेंगे तो यह मेन्टेलिटी, यह नजरिया, यह दृष्टिकोण रहा उनका और ऐसे परिवार का व्यक्ति वहां पर रहा है, जो हमेशा हरिजनों पर शोषण करता रहा है और उनकी उपेक्षा करता रहा है और उनकी उपेक्षा करता रहा है। जिससे न्याय के लिए हम हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि अब बहुत फर्क पड़ गया है मूल्यों में और जो चीज आज से चार साल पहले एक रुपये में मिलती थी, वह अब 4 रुपये में मिलने लगी है बहुगुणा जी ने एक लाख रुपये की छूट दी थी और सब्सीडी भी देते थे बैंकों से लोन लेने पर, तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी यह कहना चाहूँगा कि कम से कम 3 लाख, 4 लाख रुपये के बिजनेस पर स्वसीडी और ब्याज की छूट दे देनी चाहिए और जो लोग आर्थिक रूप से हमेशा उपेक्षित रहे हैं, सामाजिक रूप से हमेशा उपेक्षित रहे हैं, उनको आगे बढ़ने का मौके मिले और उनको छोटे बड़े रोजगारों के अवसर सुलभ हो सकें सकें और दूसरे नागरिकों के समान छोटे बड़े रोजगार और व्यवसाय करके एक अच्छे नागरिक बन सकें। जो सामाजिक दुर्भावना के शिकार हैं, वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें, ऐसी कोशिश हमारी सरकार को करनी चाहिए।

आपने जो समय दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मलिक एम० एम० ए० खान (एटा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश बड़ा खुशकिस्मत है जिसने कि मुल्क को सवा तीन प्रधाम मंत्री दिये। चौधाई जो थे उन्होंने तो कभी सदन का मुंह भी नहीं देखा है। यह भी हमारी बड़ी खुशकिस्मती रही। मगर इसके साथ-साथ प्रदेश की बड़ी बदकिस्मती भी रही कि देश की इतनी सेवा करने के बाद भी उत्तर प्रदेश के हिस्से में मुल्क में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर 12 हजार करोड़ रुपया खर्च किया गया उसमें से केवल पांच सौ करोड़ रुपया आया।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना बैकवर्ड सूबा है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो मैं आपको बताऊं कि आजादी से पहले पर केपिटा इनकम में जहां मुल्क में ऊपर से इस सूबे का दूसरा या तीसरा नम्बर था वहां आजादी के 32 साल के बाद नीचे से इसका दूसरा नम्बर है। इसके बारे में अधिक क्या निवेदन करूं इसे सब जानते हैं।

अभी हमारे दोस्त मुलतान सिंह ने एटा जिले की बात कही कि साढ़े चार आदमी रोज मारे जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वह एक बहुत ही बैकवर्ड जिला है। चाहे मैनपुरी जिला हो, एटा जिला हो, बांदा जिला हो, फतेहपुर जिला हो, इन जिलों में बेरोजगारी है, कोई इंडस्ट्री वहां नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। हमारे यहां के लिए एक वर्किंग ग्रुप मुकर्रर किया गया था जिसके चेअरमैन गवर्नमेंट आफ इण्डिया के प्लानिंग कमीशन के एक एडवाइजर थे। उस ग्रुप के सामने वहां के लोगों ने यह निवेदन किया था कि हमारे सूबे को 6 फर्टिलाइजर प्लान्ट दिए जाएं

काफी अध्ययन के बाद उस वर्किंग ग्रुप ने हमारे सूबे के लिए चार फर्टिलाइजर प्लान्ट मंजूर किये थे। मगर जैसा बर्ताव हमेशा से सूबे के साथ होता रहा है कि गैरों को खिलाओ, अपने तो भूखे भी होंगे तो कुछ नहीं कहेंगे, लिहाजा वे चार फर्टिलाइजर प्लान्ट आज तक सूबे में नहीं आये। इसलिए में मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे फर्टिलाइजर प्लान्ट जल्दी से जल्दी सूबे में बनाये जाएं और उनमे से मेहरबानी करके एक हमारे पिछड़े जिले एटा को दिया जाए जिसमें कि साढ़े चार आदमी दिन-प्रति-दिन कत्ल कर दिये जाते हैं।

अगर मंत्री महोदय ये फर्टिलाइजर प्लान्ट देना मंजूर फरमा लें तो दूसरे मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि मथुरा में बहुत बड़ी रिफाइनरी लग रही है जहां नेफ्था पैदा होगा। मेरी दरख्वास्त है कि मथुरा रिफाइनरी से जो नेफ्था पैदा हो उसका पैट्रो केमिकल सिन्थेटिक फाइबर कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया जाए। जहां तक इन कारखानों के इस्टीमेट्स का ताल्लुक है, मेरी राय में वह दो सौ करोड़ या ढ़ाई सौ करोड़ रुपये तक ही इन पर खर्च होगा। इसके लिए मैं एक तरकीब बताता हूं जिससे उत्तर प्रदेश का रुपया उत्तर प्रदेश में ही लग जाए। अभी तक फाइनेंस डिपार्टमेंट कड़ी भारी भूल की है कि उसने बीड़ी पर एक्साइज ड्यूटी लगायी है, बीड़ी के बण्डल पर एक्साइज ड्यूटी लगायी है। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो पांच लाख आदमी हमारे उत्तर प्रदेश में बीड़ी बनाने के काम में लगे हैं। लेकिन लूज बीड़ी पर एक्साइज ड्यूटी नहीं है। जबकि सारे मुल्क में आपको कहीं भी लूज बीड़ी बिकती नहीं मिलेगी। आपने एक मौका दिया है इस एक्साइज ड्यूटी की छूट देकर रोटी खाने पीने का। होता यह है कि एक चौथाई बीड़ियां अपने कारखाने में बनाता है और तीन चौथाई मजदूरों को घरों में बनाने के लिए दे देता है जो लूज बीड़ी बना कर उस कारखानेदार को लाकर दे देते हैं। उस लूज बीड़ी से जो बचत टैक्स में होता है उसका एक्साइज डिपार्टमेंट के साहब बहादुर लोग और कारखानेदार आपस में बंटवारा कर लेते हैं। इससे सरकार को सैकड़ों करोड़ की आमदनी हो सकती है, लेकिन इससे वह वंचित रह जाती है। इस गलत पालिसी की वजह से उसको यह आमदनी हो पाती है। मेरा निवेदन है। इस एक्साइज ड्यूटी से जो लूज बीड़ी पर लगे जो आमदनी हो वह उत्तर प्रदेश में ही लगाई जाए। उसका फायदा उत्तर प्रदेश को ही मिलना चाहिए। मेरा सुझाव है कि जिस तरह से आप माचिस पर बैंड रोल लगवाते हैं उसी तरह के बैंड रोल एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से हर बीड़ी के बंडल पर भी लगवाने की व्यवस्था करें। ऐसा आपने किया तो आप यकीन करें कि सैकड़ों करोड़ रुपये का फायदा इस मुल्क को होगा। आप चाहें तो इसके बारे में मैं आपको लिखकर भी दे सकता हूं।

हमारी स्टेट के साथ बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। आजकल चीनी, डीजल, केरोसीन गल्ले वगैरह की वहां बेइंतहा कमी है। वहां बड़ा भारी सूखा पड़ा हुआ है। भुखमरी की स्थति वहां पर पैदा हो गई है। आप ताज्जुब करेंगे कि पचास हजार टन चीनी हमको चाहिए जोकि हमें एलाट भी की गई है और उसके अलावा बैंक लाग भी है लेकिन आज तक तकलीफ गवारा नहीं की गई है कि बैंक लाग को पूरा किया जाय या एलाट की भी गई है वह सारी सप्लाई की जाए। नतीजा यह है कि वहां आठ दस रुपए किलो चीनी बिक रही है।

हमारे सूबे के लिए साठ फूडग्रेन स्पेशल ट्रेंज एलाट हुई हैं जो मार्च में आ जानी चाहिये थी। लेकिन केवल सात ही अब तक पहुंची हैं। 53 बाकी हैं। अगर चार स्पेशल ट्रेंज रोज पहुंचे

गल्ले की तब जाकर मार्च के आखिर तक यह गल्ला पूरा हो पाएगा। ऐसा बरताव हमारे साथ क्यों हो रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आता हो।

डीजल को आप देखें। 86 हजार मीट्रिक टन हमको मार्च के लिए एलाटिड है जबकि हमारी जरूरत डेढ़ लाख की है। हम 86 हजार से भी सब्र कर लें अगर इतना ही दे दिया जाए। लेकिन सिर्फ 16 00 मीट्रिक टन ईस्ट यू० पी० को, 15000 वैस्ट यू०पी० को दिया है। 14000 ईस्ट यू० पी० में मौजूद है, 5400 मीट्रिक टन वैस्ट यू० पी० में मौजूद है। लेकिन बाकी जो है वह भी दिया नहीं जाता है। हमारा निवेदन है कि जो हमारा बाकी बचता है उसको हमें कोयली फिाइनरी से दे दें और इसको मार्च में पूरा कर दें तो कुछ थोड़ा बहुत हमारा भला हो जाए। सूखे से हमारा प्रदेश मरा हुआ है। आप डीजल को रोक कर उसको और मार रहे हैं। फसल करीब है। अगर एक पानी और लगा दिया जाए तो शायद दस बीस किलो एक बीघे में पैदा हो जाए और हमें फायदा हो जाए।

मिट्टी के तेल को आप लें। तीस हजार मीट्रिक टन हमें मार्च में चाहिए। अभी तक सिर्फ एक तिहाई दिया है, दो तिहाई बाकी हैं। यह उसका बाकी है जो वायदा हुआ है। मैं उन चीजों की मांग कर रहा हूं जो आपने एलाट की है, जिनको देने का आपने मार्च में वादा किया लेकिन आप दे नहींरहे हैं। रोज मीटिंगें हो रही हैं। इरिगेशन मिनिस्टर के यहां सात तारीख को मीटिंग हुई थी। वहां पर डारेक्टर रेलवे ट्रांस्पोर्ट भी मौजूद थे। उन्होंने वादा किया कि हम बैगंज देंगे इन चीजों को ले जाने के लिए। सुना गया है फर्टिलाइजर कारपोरेशन का भी कुछ सामान ले जाने के लिए मिलेगा। लेकिन सारे वैगंज जाते कहां हैं और क्यों उत्तर प्रदेश पर इतनी मेहरबानी होती है ?

आप हमारी स्थिति को देखें। हमारे यहां टोटल जैनरेटिंग पावर है 2,9451 सामने बैठने वालों ने वैसे ही सत्यानाश करके फेंक दिया है। इन 2,945 मेगावाट जनरेटिंग पावर में से 1068 हाइड्रो से है और 1,877 थर्मल जैनरेशन से होती है। तो हाइड्रो की पोजीशन यह है कि सिर्फ 200 मेगावाट बिजली इस साल में मिली है पानी नहीं है, सूखा है। मन्जूर। लेकिन जो थर्मल जैनरेशन है, कोयले की व्यवस्था के लिए 7 मार्च को इनर्जी मिनिस्टर के यहां मीटिंग हुई जिसमें तय हुआ कि 8, 8 दिन का कोयला हर सैंटर पर पहुँचाया जायगा। हमारे यहां दो सैन्टर हैं—एक हरदुआगंज अलीगढ़ में और दूसरा पनकी कानपुर जिले में। इनके पास सिर्फ एक या दो दिन का कोयला ही मौजूद है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर जल्दी से जल्दी कोयला नहीं भेजा गया तो थर्मल जैनरेशन भी बन्द हो जायगा। आपने वायदा किया है 7 मार्च की मीटिंग में कि आप 8 दिन का कोयले का स्टाफ हर स्टेशन पर रखेंगे। तो क्या हमारी भूल हुई है जो आप हमको नैगलेक्ट कर रहे हैं और हमारे यहां कोयला नही भेजा जा रहा है ?

एक्साइज ड्यूटी तम्बाकू पर चौधरी साहब ने छोड़ी, और बड़ा भारी किसानों के लिए शोर मचाया। लेकिन फायदा किसको हुआ ? जिन्होंने तम्बाकू गोडाउन में खरीद कर रख ली थी उनको फायदा हुआ। अगर में भूल कर रहा हूं तो मुझे माफ करें। तो जो तम्बाकू गोदामों में इकट्ठी हो गई थी उसको एक्साइज ड्यूटी से छोड़ दिया। लेकिन जो किसा के पास तम्बाकू रखी हुई है उस पर आज भी ड्यूटी लगती है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा जो बीड़ी एक्साइज ड्यूटी

की बात कही, तम्बाकू की एक्साइज ड्यूटी की बात कही, कापदा यह है कि एक्साइज ड्यूटी किसान अगर न दे और वह चाहे तो दर्खास्त दे कर अपनी तम्बाकू को जाया कर दे जो उसके पास रखी हुई है। मैं ऐसे जिले से आता हूं जहां काफी तम्बाकू होती है। वहां किसानों के यहां तम्बाकू रखी हुई है और वह निवेदन कर रहा है एक्साइज ड्यूटी वालों से कि भाई अगर माफ नहीं करते हैं तो इसको जला दो। तो वहां उसको जलाने के लिए भी तैयार नहीं हैं। जो कानून के अन्दर अधिकार है तम्बाकू जो रखी हुई है उसको जलाया जा सकता है किसान की दर्खास्त पर उसको भी आपके अधिकारी नहीं कर रहे हैं। अव्वल तो आपने बड़े-बड़े पेट वालों की एक्साइज ड्यूटी माफ की है, जबकि उन पर भी लगनी चाहिए और अगर आप इसकी हिम्मत नहीं करते हैं माफ करने की तो उसे जलवा दीजिये। कितनी बड़ी ज्यादती है किसानों के साथ? मेरी कांस्टीट्यूऐंसी में एक शख्स है जिसने ऐक्साइज ड्यूटी माफ होने से 11 लाख रुपए एक दिन के अन्दर पैदा किया। मैं निवेदन करूंगा कि ऐक्साइज ड्यूटी माफ कर दें।

मैं एक निवेदन करूंगा कि इस बात का बड़ा भारी शोर है कि पुलिस और सी० आर० पी में माइनौरिटी की भर्ती हो रही है। अल्प संख्यकों को भर्ती की जायेगी। होना क्या है? मैं चाहता हूं कि यह पार्लियामैंट के रिकार्ड पर आये कि जब यह बेचारे इस वर्ग से ताल्लुक रखने पुलिस लाइन में पहुंचते हैं तो धकिया के बाहर निकाल दिये जाते हैं और गवर्नमैंट को लिख दिया जाता है कि ये लोग आते ही नहीं हैं आपके यहां रिकार्ड तो है नहीं कि कितने लोग भर्ती होने के लिये आये। माइनौरिटी वालों की बदकिस्मती है कि क्लास-4 में भी उन्हें जगह नहीं मिलती। स्टेटमैंट बड़ें लम्बे दिये जाते हैं कि सी० आर० पी० और पुलिस में भर्ती हो रही है और वहां की रिपोर्ट दी जाती है कि आते ही नहीं, मिलते ही नहीं।

मैं अपनी आंखों देखा वाक्या बताता हूं कि दो-दो हजार मुसलमान सी० आर० पी० की भर्ती के लिए लाइन में लगे हैं और उनको बाहर निकाल दिया गया है और एक को भी नहीं लिया गया। यह बड़ा भारी धोखा और झूठ है, या तो कहते हो वह करो, वरना मत कहो। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह का इंतजाम किया जाये कि जो भी भर्ती होने के लिए जाये, उसका रिकार्ड पुलिस लाइन में होना चाहिये, सी० आर० पी० के आफिस में होना चाहिये और एक सर्टिफिकेट उसके पास भी होना चाहिये जो भर्ती होने के लिये गया, ताकि वह सरकार के सामने प्रूफ दे सके कि हम वहां जाते हैं और हमको इस तरह से नैगलैक्ट किया जाता है। खास तौर से इस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है, मैं स्टेटमैंट पढ़ता हूं कि सी० आर० पी० में माइनौरिटी की भर्ती, पुलिस में माइनौरिटी की भर्ती लेकिन भर्ती के लिये जाते हैं, उन्हें वापिस कर दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि ऐसा तरीका बना दिया जाये ताकि यह साबित हो जाये कि वह भर्ती होने के लिए आये अगर वह नाप-तोल में नहीं आते तो रिजैक्ट कर दें, मना कर दें, मगर मालूम तो हो कि कितने भर्ती होने आए। वहां पर इसका पता ही नहीं है। वहां वह लाइन से बाहर हो गए और गवर्नमैंट की रिपोर्ट में दिया कि आते ही नहीं।

एक और तमाशा हमारे उत्तर प्रदेश में पंडित जी के जमाने में शुरु हुआ। बहुगुणा जी बैठे हैं, उन्होंने 4 हजार टीचर उर्दू के रखे थे। एक बड़ी भारी एकेडैमी शुरु की गई उर्दू की। मैं कहता हूं कि पढ़ेगा कौन, इस एकेडैमी को क्यों रखते हो, क्यों रुपया बर्बाद कर रहे हो। एकेडैमी

के नाम पर देखिये कि यह 4 हजार टीचर क्या कर रहे हैं ? हम तो उर्दू भूल गये, हमारे लड़के एक लफ्ज अलिफ, बे, पे भी नहीं लिखपाते । आप बताइये कि यह कितना बड़ा झूठ और धोखा है। बड़ी-बड़ी एकेडैमी उर्दू की है, एक करोड़ रुपया बर्बाद करते हैं । चौथी लोक-सभा में जब 2 करोड रुपया इस एकेडमी के लिए मंजूर हुआ तो बेहतर यह होता कि एकेडैमी के बजाय 50,50 लाख रुपए के 4 जोन में उर्दू के 4 कालेज खोल दिये जाएं। इस एकेडैमी का इस्तेमाल तो तभी हो जब उर्दू पढ़ने वाले तो हों । उर्दू पढ़ने वाले ही हिन्दुस्तान में खत्म होते जा रहे हैं और उन पर रुपया बेकार बर्बाद कर रहे हैं या तो एकेडैमी को बन्द कीजिए, या उर्दू का इस्तेमाल कराइये कम-से-कम हिन्दी स्पीकिंग एरिया में तो । अगर आप ईमानदारी से मुखलिम हैं, और चाहते हैं कि उर्दू डैवलप हो, तो उर्दू का इस्तेमाल भी होना चाहिए, नहीं तो एकेडैमी बन्द कर देनी चाहिए काम के रुपये को बर्बाद मत कीजिये ।

अभी मेरे दोस्त ने कहा कि हमेशा लाइसेंस दिये जाते हैं । मैं भी सोचता रहता हूं और यह सही बात कि ला एंड आर्डर की पोजीशन इसी वजह से भी खराब है कि लाइसेंस गलत लोगों को दिये जाते हैं । मैं तो यह कहता हूं और इस बात पर यकीन रखता हूं और इस बात पर यकीन रखता हूं कि अगर लाइसेंस प्रथा खत्म कर दी जाये तो क्राइम नहीं होंगे, बन्द हो जायेंगे । हरेक को हथियार बांधने का अधिकार हो, जो मारने आये, उसके हाथ में भी हथियार हो और जो मरने वाला हो, उसके हाथ में भी हथियार हो । जो डाका डालने वाला हो. उसके हाथ में भी हथियार रहे और जिसके डाका पड़े उसके घर में भी 4,6 हथियार हों, तब मालूम होगा कि कौन मारता है, कौन मरता है और कौन जीता है । आप एकतरफा हथियार देते हैं, तो इससे आप ही क्राइम कराते हैं । हथियारों के सिलसिले में पूरी पाबन्दी होनी चाहिए । सही बात यह है कि जो हथियार रखते हैं, वही डाकुओं को हथियार देते हैं और डकैती कराते हैं और वही कत्ल करवाते हैं ।

आप एलेक्शन कराने जा रहे हैं । हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में एलेक्शन कराने जा रही है । उन बेचारों का क्या होगा जिन्होंने तीस साल बूथ की शकल नहीं देखी, ऐसी कांसपिरेसी उनके खिलाफ चली आ रही है । उसका भी कोई इन्तजाम कर रहे हैं ? वेस्टर्न यू० पी० में मैं आपको ऐसे गांवों में ले जा सकता हूं, आप यकीन कीजिए, मैं खुद मुक्त-भोगी हूं, बहुगुणा जी ताईद करेंगे, मेरे ऊपर बागपत के अन्दर ईंटें पड़ीं, मेरी मोटर तोड़ दी, मुश्किल से मेरी जान बची । बागपत में ऐसे गांव शेड्यूल्ड कास्ट्स के मिलेंगे जिन्होंने तीस साल से बूथ की शकल नहीं देखी है । बेकार है इलेक्शन कराना और जनतन्त्र का नाम लेना । ये लोग जनतन्त्र का नाम लेते हुए शर्माते नहीं हैं जिन्होंने कि अपनी कांस्टीच्यूएंसीज में लोगों के वोट देने के अधिकार छीन लिए हैं । और वह भूतपूर्व प्रधान मन्त्री जो इसका नाम लेते हैं, आप गौर कीजिए, उनके क्षेत्र में हारने वाले को 1 लाख 60 हजार वोट मिले हैं । कहीं हिन्दुस्तान में ऐसी परसेंटेज वोट की है ? हारने वाले को 1 लाख 60 हजार वोट मिले हैं । 98 परसेंट, 86 परसेंट 80 परसेंट, यह परसेंटेज हैं । जितने पोलिंग पर वोट हैं उससे ज्यादा वोट पड़े । 700 वोट हैं तो 710 पड़ गए । वहां पर रात को जब पोलिंग आफिसर पहुंचता है तो उससे कहा जाता है, बेटा दूध मलाई वाला पियोगे या हल्दी वाला ? मैं आपको सच बता रहा हूं मैं भी वहीं का रहने वाला हूं पश्चिमी यू० पी० का । उसने कहा कि भाई, मलाई वाला तो कहा कि अच्छा लाओ

बक्सा और उस बक्से में जो परचे मिले वह भर दिए और सब सील कर दिया। सुबह को मालूम हुआ कि सब वोट गायब। तमाशा यह है कि वोट पहले नहीं डालेंगे, दूसरों के। वहां कह देंगे कि देखो भाई, गांव के वोट डालने आए तो तुम्हारा वोट नहीं पड़ेगा। तो आप एलेक्शन तो कराने जा रहे हैं लेकिन इसका का भी कोई इन्तजाम फरमाएंगे कि जिन लोगों को तीस साल से जनतांत्रिक अधिकार नहीं मिले हैं क्या इस सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि उनको जनतांत्रिक अधिकार दिलाए जाएं ? मोबाइल पोलिंग की बात की जाती है और दूसरे तरह की पोलिंग की बात की जाती है लेकिन होता कुछ नहीं है। न उन गरीबों के दरबाजे पर मोबाइल पोलिंग पहुँचता है और न उनके लिए और कोई इन्तजाम होता है। जहां अछूत और मुसलमान हैं वहाँ 500 पर पोलिंग बूथ बने हुए हैं तो जब तक इसका इन्तजाम न किया जाय, उत्तर प्रदेश के अन्दर तब तक चुनाब कराना बिलकुल बेकार है। जो अब तक होता रहा है वही होगा। अगर चुनाव कराना है तो सबसे पहले यह जो बूथ कैप्चरिंग होती है उसका इन्तजाम कीजिए। तब तो चुनाव सही हो पाएगा वरना नामुमकिन है।

मैं अध्यक्ष महोदय का आभारी हूँ कि मुझे बोलने का समय दिया और अन्त में इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : महोदय जी, मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। माननीय सदस्य जब उर्दू विद्युतपरिषद् (एकाडमी) एवं उर्दू-शिक्षकों के नियुक्त की चर्चा कर रहे थे, तब शायद इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि यह धन अपव्यय है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि इस मुद्दे पर मेरा विचार भिन्न है। नम्रतापूर्वक मैं यह सूचित करना चाहूंगा हालांकि इसका उत्तर माननीय वित्त मंत्री महोदय को देना हैं, मुझे मालूम है कि इस मसले पर भारी बहस हुई थी सदस्यगण भले ही इस छोटे पर महत्वपूर्ण मुद्दे का अनदेखी कर सकटे हैं। उर्दू विद्युत-परिषद ने उत्तर प्रदेश में विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के दृष्टिकोण से बड़ी सेवा की है। उर्दू में पुस्तकें और कविता करने वालों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाय। निद्यालय में जो शिक्षक नियुक्त किये गये हैं वे उर्दू का अध्यापन औपचारिक ढंग से प्रारंभ कर रहे हैं। फिर भी मेरा उनसे मौलिक प्रश्न पर ही मतभेद हैं। उर्दू एक सशक्त भाषा है इसकी सजीवता एक लंबे अर्से तक यदा कदा चाहे सरकार ने सहायता दी हो या इसकी अवहेलना की हो, बरकरार भारतीय उर्दू पत्रिकाएं, उर्दू साहित्य भारतीय उर्दू कवियों की महानतम देन हमारे पड़ोसी देश की तुलना में उर्दू को अधिक है जिसने उर्दू भाषा को हमसे लेकर अपनी राष्ट्रीय भाषा बनाया है।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : डिप्टी स्पीकर साहब, बहुगुणाजी ने जो बात कही है उसके लिये मैं आधा मिनट लूंगा। यह सही है कि उर्दू टीचर्स मुकर्रर किए गये हैं स्कूलों में लेकिन मेरा प्वाइन्ट था कि जब पढ़ने वाले ही नहीं हैं तब अकादमी जो किताबें तैयार कर रही है उनसे क्या फायदा होगा। आप इस बात का मौका ही नहीं दे रहे हैं कि उर्दू सरकारी अदालतों में और दूसरी जगहों पर इस्तेमाल हो सके। उर्दू में दरख्वास्त नहीं ली जाती, उर्दू को कहीं इन्करेज नहीं किया जाता सरकारी इंस्टीट्यूशन्स में ऐसी हालत में हमारे बच्चे समझते हैं कि उर्दू पढ़कर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि जब किताबें

पढ़ने वाले ही नहीं होंगे फिर किताबों की क्या जरूरत होगी ? आप पहले हक दिलाइये कि सरकारी अदालतों में और दूसरे सरकारी कामों में उर्दू की दरख्वास्त और लिट्रेचर एन्टरटेन किया जायेगा ।

श्री एच० एन० बहुगुणा : आप इसी आदेश को लेकर आये हैं और यही घोषणापत्र में भी अर्न्तनिहित है ।

श्री काजी जलील अब्बासी (डुमरियागंज) : डिप्टी स्पीकर साहब अभी बहुत से लोग बोलने वाले हैं इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि हाउस का टाइम बढ़याा जाए और सभी को बोलने का टाइम दिया जाए ।

(व्यवधान)

श्री राम अवतार शास्त्री : हम कितने समय तक बैठेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक आप लोग बैठना चाहें ।

श्री पी० पार्थसार्थी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि : "कि वह प्रश्न अभी रखा जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "प्रस्ताव अभी रखा जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री

श्री काजी जलील, अब्बासी (डुमरियागंज) : यह बहुत अनुचित है·····(:व्यवधान) हम बोलना चाहते हैं·····(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही बन्द करने का प्रस्ताव किया गया था और स्वीकृत किया गया । अब मंत्रीजी बोलेंगे·····(व्यवधान) । नहीं, मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा । कुछ भी, कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायगा ।·····(व्यवधान) कार्यवाही समाप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उसे स्वीकार किया गया था । मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा·····(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को बोलने का अनुमति नहीं दे रहा हूं । अब मन्त्री साहब जवाव देंगे ।

(व्यवधान)

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग राज्य मंत्री श्री पी० वेंकटसुब्बया : महोदय जी क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ? निःसंदेह वाद-विवाद को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है । बहुत समय से सदन की कार्यवाही चल रही है, मगर कई सदस्यों में यह आक्रोश है कि उन्हें अवसर नहीं दिया गया । उन्हें शांत करने के लिए कुछ सदस्यों को 3-4 मिनट तक बोलने का समय दिया जाना चाहिये । मंत्री महोदय उनका जवाब 8.15 तक देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : बंद-प्रस्ताव पारित किया गया है और उसका अनुमोदन किया गया है ।·····

माननीय सदस्य : उसे वापस नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह पूछता हूं कि क्या सदन 3 सदस्यों को 3-3 मिनट तक बोलने देगा। क्या सदन इसे स्वीकार करता है।

ठीक है, फिर मनानीय सदस्य बोल सकते हैं। सदन की ओर से केवल 3 मिनट का समय दिया जाता है।

श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे (खलीलाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं और इस सदन का भी बहुत-बहुत आभारी हूं।.....(व्यवधान) आप मेरी सुनिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं आपको अनुमति दूंगा। अभी मंत्री महोदय उत्तर देंगे। मैं उन्हें बुला चुका हूं। इसके बाद उपयुक्त अवसर पर इन तीनों या चारों सदस्यों को बोलने दिया जायेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही आपको बता चुका हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। ईस्टर्न यू० पी० का जब सवाल आता है, तब कोई न कोई सवाल जरूर खड़ा हो जाता है। 30 साल उत्तर प्रदेश ने ईस्टर्न यू० पी० को लूट लिया और आज जब हम लोगों को बोलने का मौका मिला, तो यह सवाल.....(व्यवधान).....

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप कृपया बैठ जाइये। अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में कुछ बातों का मोटे तौर पर उल्लेख करने के बाद, सदस्यों द्वारा उठाये गए प्रश्नों का उत्तर दूंगा। वर्ष 1980-81 के लिए उत्तर प्रदेश के लिए योजना उपबन्ध की धनराशि को 807 करोड़ से बढ़ाकर 850 करोड़ कर दिया गया है। इससे 850 करोड़ की धनराशि इसमें सिंचाई तथा बिजली पर 55 प्रतिशत अर्थात् 466.05 रुपये खर्च किए जायेंगे। इन आंकड़ों का आगे ब्यौरा यह है कि 290 करोड़ रुपये बिजली पर 176 करोड़ रुपये सिंचाई तथा बाढ़-नियंत्रण पर व्यय किये जायेंगे। योजना उपबन्ध की आलोचना तो भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री तिवारी द्वारा भी की गई है। इसके बारे में तो मैं बाद में कहूंगा परन्तु मैं आंकड़े देना चाहता हूं ताकि लोगों की स्थिति की जानकारी हो सके।

उत्तर प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा है और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। सूखे पर व्यय करने के लिए 34.9 करोड़ रुपये की अधिकतम राशि की सीमा निर्धारित की गई है और इसकी व्यवस्था कर दी गई है। इसके अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्यतः 2·04 लाख टन अनाज दिया जाता है जबकि अब विशेष रूप से इस कार्य के लिए 3.25 लाख टन की व्यवस्था इस कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई है। ताकि सूखे की चपेट में आये विभिन्न जिलों को राहत प्रदान की जा सके।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : (गढ़वाल) माननीय सदस्यों द्वारा मुख्य रूप से यह प्रश्न उठाया गया था कि अनाज को भेजा नहीं जा रहा है और यदि आप आबंटन के आंकड़े देने की

अपेक्षा सदस्यों को यह आश्वासन दें कि अनाज को भेजना आरम्भ कर दिया जायेगा तो वह अधिक लाभकारी होगा ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने अपने वक्तव्य के आरम्भ में कहा था कि पहले मैं वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में मुख्य बातों का उल्लेख करूंगा तथा आवंटन के बारे में बताऊंगा क्योंकि लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि कितना अनाज भेजा जा चुका है, ताकि लोगों के मन में यह आशंका न रहे कि पर्याप्त आवंटन नहीं किया गया है । मैं इसे इसलिए स्पष्ट कहना चाहता हूं ताकि लोगों को यह मालूम हो सके कि जहां तक सूखे की स्थिति का सम्बन्ध है सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि उसके लिए उपयुक्त आबंटन दिया जाये । आलोचना के बारे में मैं कुछ बाद में कहूंगा । स्थिति के बारे में मोटी बातें यही हैं कि पर्याप्त खाद्यान्न का आबंटन किया गया है, पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है और वर्ष 1980-81 के लिए योजना में की गई व्यवस्था बढ़ा दी गई है । अब मैं सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों तथा विशेष रूप से चर्चा के दौरान उठाये गये प्रश्नों का उत्तर दूंगा ।

श्री मुलतानसिंह द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य की आलोचना की गई थी और कहा गया था कि 117 रुपये का समर्थन मूल्य पर्याप्त नहीं है तथा इसे और बढ़ाया जाना चाहिये । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी प्रथा के अनुसार मूल्य निर्धारण कृषि मूल्य आयोग द्वारा किया जाता और यह मूल्य-निर्धारण करते समय कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के अनुसार उत्पादन मूल्य तथा अगले सम्बद्ध अन्य पहलुओं को दृष्टिगत रखता है और उसी के अनुसार 117 रुपये के मूल्य का निर्धारण किया गया है । इसी प्रकार चने के बारे में 140 रुपये से 145 रुपये की सिफारिश की गई थी जिसे स्वीकार किया जा चुका है । श्री सिंह द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए किये गये आवंटन की आलोचना भी की गई थी । मैं इस सम्बन्ध में यह बता देना चाहता हूं कि वर्ष 1980-81 के बजट में कृषि तथा उससे सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए 137.8 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की योजना है । कृषि सिंचाई के लिए यह आवंटन 155 करोड़ रुपये होगा और 22 करोड़ रुपया बाढ़ नियन्त्रण के लिए होगा । उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि मूल्यों में वृद्धि हो रही है। जब सदन में उस ओर बैठे सदस्य भी मूल्य-वृद्धि के लिए सरकार की आलोचना करने लगते हैं तो वह यह भूल जाते हैं कि वह वास्तव में अपनी ही आलोचना कर रहे हैं क्योंकि दिसम्बर 1979 से फरवरी के बीच मूल्य-सचक में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई और जब से हमारी सरकार ने यह कार्यभार संभाला है इसमें केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । अतः उन्हें यह जानना चाहिये कि पहले कितनी वृद्धि हो रही थी और अब कितनी वृद्धि हो रही है । इससे पूर्व सामान्य बजट पर चर्चा का उत्तर देते समय भी मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि मूल्यों में वृद्धि हुई है, मैंने इस बात को स्वीकार किया था कि हम मूल्य-वृद्धि को रोक नहीं पाये हैं परन्तु मैं इतना कह देना चाहता हूं कि अब इस वृद्धि की दर पहले की अपेक्षा काफी कम हो गई है । अतः यह आलोचना भी सारहीन हो जाती है ।

मेरे माननीय मित्र श्री तिवारी ने बहुत ही तर्कसंगत भाषण दिया और ऐसा मालूम होता था जैसे जैसे आंकड़े उन्हें याद हों और उनका भाषण इस चर्चा के लिए काफी उपयोगी रहा । उनका कहना था कि योजना परिव्यय पर्याप्त नहीं है । मैं इस बात का उल्लेख कर देना चाहता

हूं कि यह केवल अन्तरिम बजट लेखानुमान है। इसके बाद जब राज्य की नई सरकार चुनी जायेगी तथा वह वहां का कार्यभार संभालेगी, तो इन प्राथमिकताओं के अनुसार आवंटनों को घटाने या बढ़ाने का उसे पूर्ण अधिकार होगा तथा वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें फेर बदल कर लेगी। परन्तु इस समय मुख्य उद्देश्य यही है कि दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात् सिंचाई तथा बिजली और कृषि के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाये। यही कुछ मैंने कहने का प्रयत्न किया है और इन प्राथमिकताओं की पुनः व्यवस्था करने के लिए नई सरकार पूर्णतया स्वतन्त्र होगी।

श्री तिवारी ने तापीय विद्युत संयंत्रों की मंजूरी के कार्य को शीघ्र करने की बात भी कही थी। मैंने उनकी बात समझ ली है और इस सम्बन्ध में जो कुछ भी किया जाना होगा, उसकी ओर ध्यान दिया जायेगा।

श्री मलिक एम० एम० ए० खान : यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री आर० वेंकटरामन : श्री हरीश रावत ने राज्य में असमानताओं का प्रश्न उठाया है और कहा था कि असमानतायें समाप्त कर दी जानी चाहिये। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक तो जिला आयोजन कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है और इसके अन्तर्गत 12 जिलों का विकास किया जायेगा। यह कार्यक्रम क्षेत्र के पिछड़ेपन को दृष्टिगत रखते हुए चयन के आधार पर आरम्भ किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत असमानताओं को दूर करने के लिए वहां अधिक पूंजी निवेश करने की व्यवस्था की जायेगी।

जिला स्तर पर यह समेकित योजना आरम्भ करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इसी के फलस्वरूप वह स्थानीय आयोजन द्वारा स्थानीय समस्याओं की ओर अधिक स्थान दे रही है।

एक अन्य प्रश्न यह भी उठाया गया था कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र पर कम पूंजी-निवेश किया गया है। इस बात पर टिप्पणी किए बिना कि पूंजी-निवेश कम किया गया है या अधिक, मैं सदन के समक्ष उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्रों पर किए गए पूंजी निवेश के आंकड़े रखना चाहता हूं जोकि इस समय 658 करोड़ रुपये है। यदि उत्तर प्रदेश सरकार यह चाहती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के और अधिक केन्द्रीय उपक्रम उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएं या लगाए जाएं तो ऐसा करने के लिए अन्य सुविधाओं जैसे कि कच्चा माल आदि की उपलब्धता को भी दृष्टिगत रखना होगा। परन्तु इस तथ्य को निश्चय ही दृष्टिगत रखा जाएगा कि केन्द्रीय पूंजी निवेश से निश्चय ही लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने तथा उन्हें रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने में सहायता मिलती है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी द्वारा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का उल्लेख किया गया और वह उससे संतुष्ट नहीं थे। आंकड़ों से उनका आंशका का विवरण किया जा सकता है क्योंकि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत 10,000 एक दूसरे से जोड़ने वाली सड़कों को लिया गया है जिनकी लम्बाई 25,000 किलोमीटर होगी, इसी प्रकार सिंचाई के लिए 'तालाबों की खुदाई का कार्य आरम्भ किया गया है। 116 पुलियों का निर्माण किया गया है आदि-आदि इसलिए यह आलोचना कि काम के बदले अनाज' कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में कारगर ढंग से लागू नहीं किया गया है, वह आंकड़ों के संदर्भ में सार्थक नहीं लगती।

उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुई ओला-वृष्टि का उल्लेख भी किया गया है। हमारे पास उन जिलों, जहां कि क्षति हुई है तथा उनमें आगरा, इटावा, अलीगढ़ तथा एटा आते हैं।

श्री रामलाल राही : सीतापुर की तहसील महमूदाबाद और सिधौली के अनेक गांवों में फसल का एक दाना भी नहीं रह गया है, अपार ओलावृष्टि से।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं जिलों का उल्लेख कर रहा हूं। इन जिलों में क्षति हुई है। इन क्षेत्रों में नकद तथा अन्य प्रकार से सहायता देने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। अभी तक जो समाचार प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार मकानों के गिरने से केवल 3 मवेशियों की मृत्यु हुई है।

श्री हन्नान मोल्लाह का कहना था कि 850 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में हरिजन कल्याण हेतु केवल 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यहां मुझे वही बात फिर दोहरानी पड़ रही है जोकि कल मैंने श्री फर्नान्डीज सेकही भी कि बजट के आंकड़ों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता होती है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि क्या कहां मिलेगा। ऐसा होता है कि कुछ व्यय योजनेतर लेखों का होता है और कुछ योजना लेखे का। यदि आप आंकड़ों को देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि योजनावद्ध तथा गैर-योजनावद्ध बजट सम्बन्धी उपबन्धों को देखें तो आपको पता चलेगा कि योजना के अन्तर्गत 9.27 करोड़ तथा गैर योजना के अन्तर्गत 23.71 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पूंजीगत खाते में 60 लाख रुपये हैं। अतः योजना लेखों के अन्तर्गत कुल 9.87 करोड़ रुपये हुआ और गैर-योजना खाते के अन्तर्गत 23.71 करोड़ रुपये और इसका कुल जोड़ 33.58 करोड़ रुपये हुआ। अतः उन्होंने 6 करोड़ के जो आंकड़े दिए हैं वह गलत हैं।

मेरे मित्र श्री कोडियन द्वारा जो शिकायत की गई है, वह भी कुछ ऐसी ही है। उनका कहना था कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए जो विशेष उपबन्ध किया गया है, उसे पुनरीक्षित प्राक्कलन में 99 करोड़ रुपये से घटाकर 36 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यदि उन्होंने आंकड़ों को ध्यान से देखा होता तो उन्हें पता चलता कि पृष्ठ 78 पर वर्ष 1979-80 के लिए दर्शाई गई अनुदानों के भागों में योजनावद्ध तथा गैर योजनाबद्ध आंकड़ों को मिलाने से उनका जोड़ 99 करोड़ ही हो जाता है। वर्ष 1978-79 में योजनाबद्ध खाते में 33 करोड़ तथा गैर योजना बात खाते में 55 करोड़ पर दर्शाए गए हैं। वर्ष 1979-80 के लिए भी ऐसी व्यवस्था है। फिर वहां इस का संकेत भी दर्शाया गया है कि गैर-योजना उपबन्ध को उपयुक्त शीर्षक के अन्तर्गत हस्तांतरित कर दिया गया है। इसे इस खाते में नहीं दर्शाया गया है अपितु इसे विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाया गया है। ऐसा उत्तर प्रदेश के महालेखाकार के कहने पर किया गया है जिसने कहा था कि गैर योजना उपबन्ध को उससे सम्बन्धित शीर्षक में हस्तांतरित किया जाना चाहिए तथा उसे यहां नहीं दर्शाया जाना चाहिए। बजट-पत्रों में इसका उल्लेख कर दिया गया है। इससे यह पता चलता है कि धनराशि कम नहीं हुई है अपितु उसके आंकड़े बहुत बड़े हैं।

जहां तक उत्तर प्रदेश में बिजली के उत्पादन का सम्बन्ध है, वहां की तापीय निर्धारित क्षमता 1977 मेगावाट है तथा इस समय वहां तथा 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है जोकि वर्तमान संदर्भ में यदि उसकी तुलना देश के अन्य भागों के साथ की जाए तो काफी

संतोषजनक लगता है। क्योंकि यह लगभग 60 प्रतिशत बैठता है। जल विद्युत की निर्धारित क्षमता 1068 मैगावाट है परन्तु सूखे के कारण यह 150 मेगावाट रह गई है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में इस समय भयंकर सूखे की स्थिति बनी हुई है। इस समय जो बिजली उपलब्ध है उसका 60 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों, 30 प्रतिशत उद्योगों तथा 10 प्रतिशत भाग शहरी क्षेत्रों को दिया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : यह गलत है।

श्री आर० वेंकटरामन : आप इन आंकड़ों को चुनौती नहीं दे सकते क्योंकि यह आंकड़े उन्हीं लोगों के दिये हुये हैं तो इन पर कार्य करते है। आपकी जानकारी कानों सुनी बात पर आधारित हो सकती हैं। बिजली का उत्पादन बढाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वस्तुतः अगले वर्ष भारी मात्रा में बिजली पैदा की जायेगी।

अब मैं माल की ढुलाई के मुद्दे पर आता हूं। पिछली सरकार के कार्यकाल में सामान की ढुलाई की हालत बिल्कुल ही खस्ता रही। रेलों द्वारा माल ढोये जाने की स्थिति वस्तुतः खराब रही। ताप बिजली घरों तक कोयला नहीं पहुँचा। अनाज भी देश के विभिन्न भागों तक नहीं पहुंचा। चीनी उठाई ही नहीं गई। हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद मन्त्रिमंडल की एक उप-समिति गठित की गई हैं जो आधारभूत आवश्यकताओं पर विचार करेगी। समिति इस समय माल डिब्बों के बारे में विचार कर रही है। यह समिति 7 मार्च को गठित की गई थी और मुझे बताया गया है कि अनाज, कोयला और चीनी अब तेजी से ढोये जा रहे हैं। पर मैं अभी संतुष्ट नहीं हूं। समिति हर सप्ताह बैठक करती है ओर स्थिति की समीक्षा करती है। इन वस्तुओं को रेलगाड़ियों तथा अन्य परिवहन साधनों द्वारा लाने-ले-जाने का हम हर सम्भव प्रयत्न करेंगे। मैं यह बड़ा नहीं बनाना चाहता कि इसकी समस्या ही नहीं है। मंत्रिमंडल की उप-समिति इस काम में व्यस्त है और आशा है कि आगामी दो-तीन सप्ताह में इस दशा में काफी सुधार होगा।

मैं लगभग सभी मुद्दों का जवाब दे चुका हूं। अब मैं सभा से प्रस्ताव स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष जी, माननीय तिवारी जी ने यह कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ उद्योग लगाये जाने वाले थे जिनके निर्माण को तत्कालीन सरकार ने रोक दिया। उसमें महमूदाबाद की सरकारी क्षेत्र में बनने वाली शुगर फैक्ट्री थी जिसका निर्माण स्थगित कर दिया गया था। परन्तु अन्य सहकारी क्षेत्र में बनने वाली फैक्ट्रियों की अंशपूंजी में छूट दी गई है और उनका बनवाना प्रारम्भ करा दिया गया है। वही नीति महमूदाबाद शुगर फैक्ट्री के लिये क्यों नहीं लागू की जाती ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं उत्तर प्रदेश राज्य के वर्ष 1980-81 के बजट के सम्बन्ध में लेखानुदानों की मांगों पर पेश किए गए कटौती प्रस्ताव एक साथ मतदान के लिए रखूंगा। यदि कोई सदस्य कटौती प्रस्ताव अलग से पेश करने का इच्छुक हो तो बताएं।

कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों के अनधिक लेखानुदान की राशियां उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।

मांग संख्या 1, 3, से 13, 17 से 72, 74 से 78, 80 से 104, 108 से 123 और 125."

मांग की संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
क—राजस्व व्यय		
		रु०
1.	राज्य विधान मंडल ...	66,99,000
3.	मंत्रिपरिषद्	22,86,000
4.	न्याय विभाग ...	3,28,24,000
5.	निर्वाचन विभाग ...	5,51,20,000
6.	संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति कर एवं बिक्रीकर) ...	2,82,59,000
7.	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) ...	14,69,20,000
8.	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) ...	63,76,000
9.	स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग ...	14,01,09,000
10.	आबकारी विभाग ...	53,36,000
11.	परिवहन विभाग ...	5,80,33,000
12.	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी-कर ...	12,02,000
13.	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय) ...	2,13,42,000
17.	सचिवालय ...	2,37,08,000
18.	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ..,	24,35,000
19.	गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय) ...	1,06,07,000
20.	सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग ...	29,46,000
21.	संस्थागत वित्त विभाग ...	3,82,000
22.	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग ,..	6,44,000
23.	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) ...	4,14,65,000

1	2		3
			रु०
24.	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	...	93,55,000
25.	गृह विभाग (पुलिस)	...	35,72,33,000
26.	गृह विभाग (कारागार)	...	2,87,57,000
27.	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	...	2,54,62,000
28.	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अना-वासिक भवन)	...	39,55,000
29.	सतर्कता विभाग	...	33,52,000
30.	नागरिक सुरक्षा विभाग	...	2·46,80,000
31.	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	...	9,37,95,000
32.	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	...	2,80,03,000
33.	शिक्षा विभाग	...	1,07,23,02,000
34.	प्राविधिक शिक्षा विभाग	...	2,94,54,000
35.	स्पोर्टस विभाग	...	34,49,000
36.	सांस्कृतिक कार्य विभाग	...	24,67,000
37.	विज्ञान और प्राद्योग विभाग	...	21,37,000
38.	चिकित्सा एिभाग (चिकित्सा)	...	24,65,31,000
39.	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	...	6,96,39,000
40.	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	...	8,46,99,000
41.	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवासीय भवन)	...	39,26,000
42.	आवास एवं नगर भूमि विभाग	...	1,16,09,000
43.	सूचना विभाग	...	68,61,000
44.	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	. .	1,66,71,000
45.	श्रम विभाग (सेवायोजन)	...	1,99,30,000
46.	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग	...	12,49,63,000
47.	सहायता और पुनर्वासन विभाग	...	11,12,000
48.	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता	...	3,60,00,000
49.	सहकारिता विभाग	...	1,45,13,000
50.	पर्वतीय विकास विभाग	...	12,12,77,000

1	2		3
			रु०
51.	नियोजन विभाग	...	1,19,12,000
52.	कृषि विभाग (कृषि)	...	11,10,52,000
53.	कृषि विभाग (औद्योगिक विकास)	...	1,65,70,000
54.	गन्ना विकास विभाग	...	1,75,10,000
55.	ग्राम्य विकास विभाग	...	14,73,78,000
56.	पंचायती राज विभाग	...	2,78,62,000
57.	क्षेत्रीय विकास विभाग	...	12,35,27,000
58.	खाद्य तथा रसद विभाग	...	2,25,30,000
59.	पशुधन विभाग	...	3,95,36,000
60.	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)	...	34,98,000
61.	मत्स्य विभाग	...	32,33,000
62.	वन विभाग	...	8,58,62,000
63.	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	...	81,90,000
64.	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)	...	1,95,37,000
65.	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	...	6,33,04,000
66.	उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)	...	24,51,000
67.	विद्युत् विभाग	...	8,53,000
68.	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य—राजस्व लेखा)	...	36,64,69,000
69.	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	...	16,28,51,000
70.	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	...	12,95,12,000
71.	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	...	15,37,000
72.	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	...	8,47,08,000
74.	पर्यटन विभाग	...	14,61,000
	योग राजस्व व्यय		4,48,01,67,000
ख—पूंजीगत व्यय			
75.	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	...	6,13,14,000

1	2		3
			रु०
76.	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	...	2,56,77,000
77.	चिकित्सा विभाग—पूंजीगत परिव्यय	...	2,24,84,000
78.	स्वायत्त शासन विभाग—पूंजीगत परिव्यय	...	1,000
80.	गृह (पुलिस) विभाग—पूंजीगत परिव्यय	...	2,95,000
81.	गृह (कारागार) विभाग—पूंजीगत परिव्यय	...	15,17,000
82.	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	...	3,88,05,000
83.	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग—पूंजीपति परिव्यय)	...	4,47,000
84.	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग—पूंजीगत परिव्यय	...	20,00,000
85.	सहकारिता विभाग—पूंजीगत परिव्यय	...	4,00,93,000
86.	पर्वतीय विकास विभाग—पूंजीगत परिव्यय	...	11,54,49,000
87.	उद्योग विभाग—पूंजीगत परिव्यय	...	4,23,64,000
88.	सूचना विभाग—पूंजीगत परिव्यय	...	16,67,000
89.	पंचायती राज विभाग—पूंजीगत परिव्यय	...	17,000
90.	संस्थागत वित्त विभाग—पूंजीगत परिव्यय	...	6,25,000
91.	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)—पूंजीगत परिव्यय	...	66,67,000
92.	राजस्व विभाग (जमींदार उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर)	...	4,54,000
93.	कृषि विभाग—पूंजीगत परिव्यय	...	12,14,42,000
94.	ग्राम्य विकास विभाग—पूंजीगत परिव्यय	...	29,75,000
95.	क्षेत्रीय विकास विभाग—पूंजीगत परिव्यय	...	16,34,000
96.	नियोजन विभाग—पूंजीगत परिव्यय	...	33,000
97.	खाद्य तथा रसद विभाग—पूंजीगत परिव्यय	...	57,56,33,000
98.	पशुधन विभाग—पूंजीगत परिव्यय	...	8,47,000
99.	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)—पूंजीगत परिव्यय	...	1,34,000

1	2	3
		रु०
100.	मत्स्य विभाग—पूंजीगत परिव्यय ...	3,46,000
101.	वन विभाग—पूंजी परिव्यय ...	3,91,000
102.	सिंचाई विभाग—(निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) ...	80,53,53,000
103.	सिंचाई विभाग—(बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) ...	12,68,28,000
104.	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) ...	16,51,71,000
105.	परिवहन विभाग—पूंजीगत परिव्यय ...	1,000
	कुल योग, पूंजीगत व्यय ..	2,16,66,64,000
घ—ऋण और अग्रिम		
108.	शिक्षा विभाग—ऋण और अग्रिम ...	28,67,000
109.	प्राविधिक शिक्षा विभाग—ऋण और अग्रिम ...	1,67,000
110.	स्वायत्त शासन विभाग—ऋण और अग्रिम ...	3,08,22,000
111.	आवास विभाग—ऋण और अग्रिम ...	95,42,000
112.	राजस्व विभाग—ऋण और अग्रिम ...	52,68,000
113.	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग—ऋण और अग्रिम ...	8,17,000
114.	उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम ...	2,45,87,000
115.	पर्वतीय विकास विभाग—ऋण और अग्रिम ...	1,32,23,000
116.	वन विभाग—ऋण और अग्रिम ...	20,000
117.	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग—ऋण और अग्रिम ...	50,000
118.	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)—ऋण और अग्रिम ...	1,33,33,000
119.	सहकारिता विभाग—ऋण और अग्रिम ...	16,27,000
120.	कृषि विभाग—ऋण और अग्रिम ...	86,67,000
121.	क्षेत्रीय विकास विभाग—ऋण और अग्रिम ...	2,50,00,000
122.	पशुधन विभाग—ऋण और अग्रिम ...	3,000
123.	विद्युत विभाग—ऋण और अग्रिम ...	56,68,17,000
124.	वित्त विभाग—ऋण और अग्रिम ...	93,33,000
	योग, घ—ऋण और अग्रिम ...	71,21,43,000
	कुल योग ...	7,35,89,74,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजीलेखा राशियों से अनधिक पूरक राशियां उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :—

मांग संख्या—1, 4, 9, 14, 18, 19, 21, 23, 28, 29, 34, 35, 37, 39 से 41, 45 से 48, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 61 से 63, 65 से 67, 69 से 75, 82, 86, 87, 88क, 89, 91, 92 95, 97, 107, 117, 118, 121, 122 और 125."

मांग संख्या	शीर्षक		राशि
1	2		3
म—राजस्व व्यय—			रु०
1.	राज्य विधान मण्डल	...	54,000
4.	न्याय विभाग	...	53,000
9.	स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग	...	6,97,28,000
14.	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय)	...	2,07,42,000
18.	सचिवालय	...	41,22,000
19.	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	...	1,000
21.	सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग	...	9,46,000
23.	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	...	1,000
28.	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	...	1,00,00,000
29.	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	...	37,000
34.	शिक्षा विभाग	...	2,000
35.	प्राविधिक शिक्षा विभाग	...	1,000
37.	सांस्कृतिक कार्य विभाग	...	58,000
39.	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	...	19,03,000
40.	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	...	48,14,000
41.	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	...	1,000
45.	सूचना विभाग	...	2,90,000
46.	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	...	10,06,000
47.	श्रम विभाग (सेवायोजन)	...	2,45,000
48.	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग	...	2,000

1	2		3
			रु०
50.	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता)	...	1,000
52.	सहकारिता विभाग	...	3,000
53.	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र	...	2,000
55.	कृषि विभाग (कृषि)	...	20,01,000
57.	गन्ना विकास विभाग	...	1,000
58.	ग्राम्य विकास विभाग	...	3,80,01'000
61.	क्षेत्रीय विकास विभाग	...	10,00,00.000
62.	खाद्य तथा रसद विभाग	...	2,94,000
62.	पशुधन विभाग	...	1 000
63.	मत्स्य विभाग	...	1,77,000
66.	वन विभाग	...	1,000
67.	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	...	1,60,00,000
69.	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	...	3,31,91'000
75.	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	...	1,77,000
	योग, राजस्व व्यय	...	30,47 58,000
ख—पूंजीगत व्यय			
82.	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	...	1,40,00,000
86.	गृह (कारागार) विभाग—पूंजीगत परिव्यय	...	1,15,000
87.	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	...	54,05,000
88—	क हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग पूंजीगत परिव्यय)	...	1,30,00,000
89.	सहकारिता विभाग—पूंजीगत परिव्यय	...	2,33,45,000
91.	उद्योग विभाग—पूंजीगत परिव्यय	...	4,25,01,000
92.	सूचना विभाग—पूंजीगत परिव्यय	...	40.00,000
95.	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय	...	1,68,00,000
97.	कृषि विभाग—पूंजीगत परिव्यय	...	2,14,37 000
107.	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय)	...	2,000
	योग, पूंजीगत व्यय	...	14,06,05,000
ग—ऋण अग्रिम			
117.	उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम	...	1,000
118.	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र—ऋण और अग्रिम	...	75,00,000
121.	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम	...	6,09,00,000
122.	सहकारिता विभाग--ऋण और अग्रिम	...	2,75,75,000
125.	पशुधन विभाग—ऋण और अग्रिम	...	66,00,000
	योग, ऋण और अग्रिम		10.25.76.000
	कुल योग		54,79,39,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1980

वित्त मंत्री (**श्री आर० वेंकटरामन**) ! मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री आर० वेंकटरामन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष, 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाने जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे (खलीलाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका और इस सदन का अभारी हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्याओं को मंत्री जी को सुनाने का आपने मुझे मौका दिया । सबसे अधिक आभारी हूँ गरीब मजदूरों की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी का कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की तानाशाही सरकार को भंग कर दिया ।

नारायणपुर की घटना को लेकर पूरे देश का सिर झुक गया । नारायणपुर में जो जांच चल रही है, वहां जो घटनाएं घटी हैं, उसके बारे में पूरे सदन के सदस्यों से मैं आग्रह करूंगा कि आप सब वहां जाकर वहां कि दुर्दशा को देखकर आइये । वहां पर जिस तरह से बहु-बेटियों की इज्जत लूटी और जिस तरह से डाके डाले गये, जोकि लोक-दल सरकार ने कराये, मैं इन्दिरा जी का अभारी हूं कि उन्होंने वहां की तानाशाही सरकार को खत्म कर दिया ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो हालत है, यह उत्तर प्रदेश का बजट है, इस बजट का पन्ना-पन्ना हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के सदस्य उलटकर देख चुके हैं कि बस्ती, देवरिया, गाजीपुर और गोंडा व बहराइच के लिये क्या लिखा है, लेकिन इसमें कुछ भी देखने को मिला ही नहीं । पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ हमेशा-हमेशा से इस तरह की उपेक्षा होती रही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से, वित्त मंत्री व दूसरे मंत्रियों से और मंत्रियों के माध्यम से उत्तरप्रदेश सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तरप्रदेश इस समय बड़े ही संकट से गुजर रहा है और अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा इसी तरह से की जाएगी, जैसी कि अब तक होती रही है तो यह हम लोगों के कब्जे से

बाहर निकल जायेगी। यह मैं बड़ा स्पष्ट अपने नेताओं से कहना चाहता हूं। बस्ती की क्या हालत है, में कुछ नहीं है। प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के आर्शीवाद से बहुत लड़ाई लड़ने के बाद मगहर में एक सूती मिल की स्थापना हुई।

इन्दिरा जी ने किया। संजय जी को ले जा कर मैंने शिलान्यास कराया। नारायण दत्त जी उस समय मुख्य मंत्री थे। जब मिल की स्थापना हो पाई और मिल बनने लगी तो उत्तर प्रदेश की और हिन्दुस्तान की जनता बौखला गई, भ्रम में पड़ गई और जनता पार्टी की सरकार को यहां ला कर दिल्ली में बैठा दिया। पांच साल की जगह वह सरकार ढाई साल चली और क्या हुआ उस मगहर मिल का? वहां जो मिल लगी वह किसके लिए लगी? गरीब मजदूरों और बुनकरों के लिए लगी। पूंजीपतियों के लिए वह मिल नहीं लगाई गई थी। इन्दिरा जी ने आदेश दिया था कि गरीब बुनकरों के कल्याण के लिए मगहर में मिल लगाओ। वह संत कबीर का ऐतिहासिक स्थान है। मिल लग गई। जनता पार्टी की सरकार आ गई। आर० एस० एस० के लोगों की की भर्ती हो गई उस सरकार में। सारा आर० एस० एस० भर गया। नतीजा क्या हुआ कि जो वहां से सूत निकलता है एक आर० एस० एस० एस के पूंजीपति को वह सारा सौंप दिया जाता है। माननीय वित्तमंत्री जी इसको सुन लें, और वह पूंजीपति उस सूत का है ब्लैक करता हैं। इसकी वे जांच करक लें, मैं उनको प्रमाण दे रहा हूं। तो जो सूती मिल लगी उसका फायदा बुनकरों को नहीं मिला। जिस समय हमारी सरकार यहां केन्द्र में थी 85 रुपया बंडल सूत मिलता था 32 नम्बर का और उसका जोड़ा उस समय 24 और 25 रुपये में बिकता था। आज क्या हालत है कि आज बुनकरों को मिल रहा है 106 रुपये बंडल सूत और वही कपड़ा आज खरीदा जा रहा है और 24 और 25 रुपये में। हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश बुनकरों का क्षेत्र है, गरीबों का क्षेत्र है, मजदूरों का क्षेत्र है, सर्वहारा वर्ग का क्षेत्र है और वह लूटा जा रहा है पूंजीपतियों द्वारा। तो वित्त मंत्री जी से मेरा विनम्र आग्रह है कि उस सूती मिल का वह जो एजेंट है जो कुल सूत खरीद ले रहा है उसके ऊपर प्रतिबन्ध लगाइए। उसको सारा सूत खरीदने से रोकिए।

दूसरी प्रार्थना यह है हाथ जोड़कर सारे संसद् सदस्यों से और आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि देश आजाद हुए 32 वर्ष हो गए लेकिन मेरे क्षेत्र में मेहदावल एक कस्बा है, आज भी वहां की जमींदारी नहीं टूटी। मैंने बहुत पत्र लिखे उत्तर प्रदेश की सरकार को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज बागडोर श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथ में है। आपके माध्यम से मैं प्रधान मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि मेहदावल टाउन एरिया की जमींदारी तुरंत तोड़ी जाए जिससे गरीब मजदूरों की रक्षा हो सके।

एक बात और कहना चाहता हूं। जब जनता पार्टी की सरकार आई तो पूरे प्रदेश में जिला परिषदें कांग्रेस के हाथ में थीं। ज्यों ही जनता सरकार आई सारी जिला परिषदें भंग हो गईं, सारी नोटिफाइड एरियाज़ और टाउन एरियाज़ भंग हो गईं। मेरी अपील है कि उत्तर प्रदेश की जिला परिषदें जो उस वक्त भंग की गई थीं. उनको तुरंत बहाल कराया जाए।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कहानी जरा सुन लीजिए। हमारे भाई मुशीर साहब अभी बोल रहे थे। उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, आगरा और रूहेलखंड डिवीज़न

में गरीब मजदूर अपना वोट डालने नहीं पाए । आप जो चुनाव कराने जा रहे हैं वह किस बल बूते पर कराने जा रहे हैं ? कौन वोट देने जाएगा ? इसका प्रबंध पहले कीजिए कि गरीब मजदूर मेरठ, आगरा, और रूहेलखण्ड डिवीज़न में वोट डालने पाएं । फिर चुनाव करा लीजिए । चुनाव कराने से पहले आपको इस मुद्दे पर जरूर ध्यान रखना चाहिए । एक कमेटी बनी थी कांग्रेस के ससद सदस्यों की और लोगों की, उसमें हम लोग गए थे आगरा डिवीज़न देखने । वहां पर पता लगा कि पोलिंग के दिन हत्याएं की गईं, मर्डर्स हुए । मेरी अपील है आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और बाकी सारे मंत्रियों से कि आप उस डिवीज़न को ठीक करें जिसमें गरीब मजदूर वोट डालने पाएं ।

गन्ने की कहानी भी जरा सुन लीजिए । आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में दूसरा भाव है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरा भाव है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में दूसरा भाव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरा भाव । मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी, प्रदेश से सारे नेताओं और कृषि मंत्री तथा प्रधान मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विषमता को समाप्त किया जाए ।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और प्रस्तुत वित्त विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं ।

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं केवल दो मिनट ही बोलूंगा, इससे अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि सदन का समय बड़ा कीमती है । हमारे प्रदेश की बहूवादी के लिए सारे प्वालन्ट यहां पर प्रस्तुत किए जा चुके हैं । मैं केवल देवरिया और बालिया के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । देवरिया और बलिया वालों ने एक कविता भेजी है जिसका आभास शायद उनको पहले ही लग गया था:

जब वक्त गुलशन पर पड़ा तो लहू हमने दिया
जब वाहर आई तो कहते हैं तुम्हारा काम नहीं ।

देवरिया बलिया वालों की आज यही हालत है । मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि यह सदन आज से बहुत पहले से ही जानता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश को दशा से प्रभावित होकर ही हमारे परम आदरणीय नेता पं० जवाहरलाल नेहरू ने पूर्वी जिलों के सुधार के लिए पटेल आयोग की स्थापना की थी । उस आयोग की सिफारिशें सरकार के पास मौजूद हैं । मैं केवल यही चाहता हूं कि जिस सदन में हमारे पं० जवाहरलाल नेहरू रहे, देश के अन्य वरिष्ठ नेता रहे उस सदन के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी से प्रभावित होकर जो कमेटी बनाई गई उसकी जो सिफारिशें हैं उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए ।

मेरा दूसरा निवेदन है कि बालिया जनपद में घाघरा के किनारे लीलकार गांव में हजारों मकान हैं, करोड़ों की सम्पत्ति है लेकिन नदी से दूरी अब केवल दो सौ गज़ की ही रह गई है । सरजू नदी बराबर काट रही है । इस सम्बन्ध में तत्काल यदि कोई व्यवस्था नहीं की गई तो करोड़ों की सम्पत्ति और हजारों घर नष्ट हो जायेंगे । मैं खुद वहां जाकर देख आया हूं इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए । इसी प्रकार से ग्राम हल्दी रामपुर भी

घाघरा से कट रहा है। अगर समय रहते इन दोनों गांवों की हिफाजत नहीं की गई तो दोनों गांव कटकर घाघरा में विलीन हो जायेंगे।

श्रीमन्, इस सदन में जबकि कमलापति त्रिपाठी जी जहाजरानी मंत्री थे तब भागलपुर रोड पुल मंजूर हुआ था। फिर सरकार बदल गई, दूसरी सरकार आई तो उस पर अमल नहीं हुआ भागलपुर रोड पुल यह पहले से स्वीकृत है कोई आज की बात नहीं है। इसलिये इसको बनाया जाना चाहिए।

अभी इसके पहले मंत्री जी का उत्तर हमने सुना यदि उपयुक्त साधन हों तो वहाँ पर मशीनरी लगाई जा सकती है। देवरिया, सलेमपुर में बड़ी लाइन जा रही है, वहां पर 14 सुगर फैक्टरीज हैं आपको काफी बगास मिल सकता। पास में नेपाल का बार्डर है, काफी बांस मिल सकता है और धान की खेती से काफी पुयाल मिल सकता है। इस प्रकार से यह सबसे से ज्यादा सूटेबिल जगह है और अगर कोई इन्डस्ट्री खोलनी है तो सलेमपुर में पेपर मिल जरूर खोली जानी चाहिए।

साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि पूर्वांचल में सलेमपुर ऐसी जगह है, जहां एक गांव से दूसरे गांव में जाना दूभर है। वहां पर सड़कें नहीं हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर जो बड़े-बड़े गांव हैं, उनको मेन-रोड से कनैक्ट कर दिया जाए।

दूसरा निवेदन यह है कि इस प्रदेश में बिजली की कमी है। इसके पहले जो तीन प्रोजैक्ट्स सरकार ने स्वीकृत किए हैं—आनपारा, उचाहार, मनेरीमाली—इन तीनों पर तत्काल काम शुरू कर देना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे प्रदेश में बिजली के उत्पादन की जो मशीनें लगी हुई हैं उनकी स्थापित क्षमता 2184 मेगावाट की है, किन्तु उनमें 1300 से 1400 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है, इसमें सुधार किया जाए। मेरी दृष्टि में इसका मुख्य कारण यह है कि अगर इसी ज़िम्मेदारी टैक्मीकल हैण्ड्स पर डाल दी जाए और उनको ज़िम्मेदारी देकर यह कहा जाए कि आप काम नहीं करते हैं तो यह जिम्मेदारी आपकी और सफलता भी होगी तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है शायद इस तरह से मैं समझता हूं कि बिजली का उत्पादन बढ़ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े-बड़े प्रशासन करने वाले आई० सी० एस० आफिसर हैं, वे टैक्नीकल हैण्ड नहीं है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह जिम्मेदारी टैक्नीकल हैण्ड्स पर डालनी चाहिए।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के पूर्व में जो शुगर फैक्ट्रियां हैं वे जीर्ण हो चली हैं, उनकी रिकवरी केवल 8,8.5, 9 परसेंट है ओर किसानों का करोड़ों रुपया बाकी है, उनमें सुधार होना चाहिए, अगर सुधार नहीं हुआ तो पूर्वी जिला बर्बाद हो जाएगा। डीज़ल, मिट्टी का तेल आदि के सम्बन्ध में में यह निवेदन करना है कि उनकी ठीक प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। नेपाल तथा यू० पी० की सरहद पर विशेष पुलिस दस्ते कायम किए जायें ताकि स्मगलिंग को रोका जा सके। हमारे गांव के पास एक स्कूल है, उसकी हिफाजत होनी चाहिए और उसकी मदद की जानी चाहिए ताकि वह ठीक प्रकान स चल सके।

इन शब्दों के साथ मैं, आपका अभार प्रकट करते हुए कि आपके मुझे उत्तर प्रदेश बजट पर बोलने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस अवस्था में यदि सदस्य विस्तार से अपनी बात कहने की बजाय महत्वपूर्ण मुद्दों तक ही अपना भाषण सीमित रखें तो अच्छा होगा ।

श्री महाबीर प्रसाद (बांसगांव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश को क्षेत्रीय असंतुलन के आधार पर इस माननीय सदन में माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो प्रस्ताव या विल पारित करने के लिए निवेदन किया गया है, इस सदन में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, उसी के संबंध में मैं भी अपने को सम्मिलित करते हुए कुछ तथ्यों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है, जहां पर 85 प्रतिशत लोग देहातों और गाँवों में रहते हैं । हम दूसरे शब्दों में कहें तो उत्तर प्रदेश गांवों का प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वह सिंचाई के साधन हों, चाहे विद्युतीकरण व उद्योग के साधन हों, चाहे हरिजनोत्थान और शिक्षा के साधन हों, हर साधनों में बहुत ही पिछड़ा हुआ है । इसलिए मैं चन्द शब्दों में आपके माध्यम से सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मैं ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आया हूं जो कि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल और गोरखपुर जिले का बांसगांव तहसील है, वह एकदम पिछड़ी हुई तहसील है, वहां पर घाघरा और कुबानों के बीच में एक विशाल क्षेत्र है जोकि नदियों के पास बसा हुआ है, लेकिन वहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो सकी है । अब तक सरकार कहती थी कि वहां पर स्टेट ट्यूबल-वैल नहीं हो सकता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि वहां पर अभी जनता पार्टी की सरकार थी और वहां खाद्यान्न मंत्री श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव थे, उन्होंने अपने गांव-मणिकापुरा में एक स्टेट-ट्यूब-वैल लगवाया है । जहां पर 30 साल तक ट्यूब-वैल नहीं लगे थे कहां पर सिंचाई की व्यवस्था और स्टेट-ट्यूब-वैल लगाया है । मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर हर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की जाए ! सहजनवा से दोहरीघाट तक के लिए रेलवे लाइन की व्यवस्था करने के लिए मैं पहले ही रेल मंत्री जी से निवेदन कर चुका हूं, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए । हरिजनोत्थान के संबंध में मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि अभी तक वहां पर पेयजल की व्यवस्था नहीं हो सकी है । जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, तो हरिजन विभाग से हरिजनों के लिए कूप निर्माण के लिए पैसा दिया जाता था ।

जब जनता पार्टी और लोक दल की सरकार बनी तो उन्होंने उसको समाप्त कर दिया । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस व्यवस्था को फिर से चालू किया जाय और हरिजनों के पीने के पानी के लिये कुओं की व्यवस्था की जाय । आपको सुनकर ताज्जुब होगा आज भी हरिजनों को कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता है, आज भी उनको तालाबों और पोखरों के पानी को पीना पड़ता है ।

जहां तक उनके निवास की व्यवस्था का प्रश्न है, हमारी कांग्रेस सरकार के समय में 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन हरिजनों को तीन-तीन डिस्मिल ज़मीन दी गई थी । लेकिन जब जनता पार्टी और लोक दल की सरकारें बनीं, उस ज़मीन को उनसे छीन लिया गया । अब मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि उस व्यवस्था को पुनः लागू किया जाय । इसी तरह से

विद्युतीकरण के सम्बन्ध में भी बीस सूत्री कार्यक्रम के अधीन हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का नियम बना था, लेकिन बाद में उसको बन्द कर दिया गया। मैं चाहता हूं कि उसे फिर से लागू किया जाय।

श्रीमन्, हमारे क्षेत्र में आवागमन के साधन, सिंचाई के साधन, नहरों के साधन, स्टेट ट्यूब वैल के साधन, शिक्षा के साधन, स्कूलों के साधन तथा अन्य सभी साधनों की व्यवस्था की जाय। इन कामों पर अविलम्ब कार्य शुरू किया जाय ताकि वे पिछड़े हुए क्षेत्र, विशेषकर उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जो क्षेत्रीय असुन्तलन के आधार पर बहुत पिछड़ा हुआ है, आगे बढ़ सके।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं उन सबको उचित कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा। सदस्यों ने जो शिष्टाचार और सहृदयता प्रदर्शित की है मैं उसके लिए उनका आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डों पर विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें !"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1980

वित्त मंत्री (**श्री आर० वेंकटरामन :** मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1979-80 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1979-80 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री आर० वेंकटरामन: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 1979-80 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"वित्तीय वर्ष 1979-80 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित तिथि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डों को लेते हैं :

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री आर० वेंकटरामन : बहुत-बहुत धन्यवाद।

8 बजकर 55 मिनट म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 19 मार्च 1980/29 फाल्गुन, 1901 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।